वैदिक शिक्षा मीमांसा

लेखक
डॉ० भास्कर मिश्र
वरिष्ठ प्राध्यापक
श्री लालबहादुरशास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ
नई दिल्ली

प्रस्तावना
श्री किरीट जोशी
सचिव-राष्ट्रिय वेदविद्याप्रतिष्ठान
नई दिल्ली

ईस्टर्न बुक लिंकर्स
दिल्ली : (भारत)

भारत सरकार के मानवसंसाधनविकासमन्त्रालय के शिक्षा एवं संस्कृति विभाग द्वारा प्रदत्त अनुदान सहायता से प्रकाशित ग्रन्थ 'वैदिक शिक्षा मीमांसा'।

प्रकाशक :

ईस्टर्न बुक लिंकर्स

५८२५, न्यू चन्द्रावल, जवाहरनगर,

दिल्ली-११०००७,

प्रथम संस्करण : १९९१

मूल्य : रु०

मुद्रक : नवीन प्रिंटर्स

ई-१५० कृष्ण विहार दिल्ली-४१



समर्पण

वैदिकवाङ्मय एवं मीमांसाशास्त्र के निगूढ़तत्त्वसमुपदेष्टा
पितामहकल्प परमगुरुवर सतताराध्य पूज्यपाद आचार्य
श्रीपट्टाभिरामशास्त्री जी
जिनकी प्रेरणा एवं शुभाशीर्वाद से ही इस ग्रन्थ
की संरचना सम्भव हो सकी है, उन्हीं के
करकमलों में यह ग्रन्थ सादर समर्पित।

FOREWORD

I was very happy to go through the manuscript of this book written by Dr. Bhaskar Mishra. It is not an easy task to write on the system of Vedic Education. Not many scholars have made any serious research in this field. Even the few books where this subject has been discussed do not have the same scope as Dr. Mishra has proposed for his book. I consider, therefore, Dr. Mishra's book as a significant contribution to the study of the Vedic system of education.

An important feature of this book is that it provides a systematic analysis of the underlying motives, processes and contents of Vedic Education. In this sense, Dr. Mishra has provided a scientific treatise of Vedic pedagogy. The second feature of this book is that it brings to the readers rich acquaintance with the source material. For every important statement in the book, Dr. Mishra has provided references to the original literature. In this sense, the book vibrates with authenticity. The third feature of this book is that it provides a profound study of the Vedic system of education in the context of both Indian and western thinking on education. It is an intellectual feast for the readers to go through this book because the author has himself made a detailed study of the contemporary educational thought and expounded critically the major trends of educational issues in the light that can be obtained from a comparative study of the Vedic system of education and that of the long range of educational thought from ancient times to the present day.

The utility of this book for scholars and for students is evident; there is no doubt that this book will be considered to

be an important contribution to the Indian pedagogy, and students and teachers engaged in the study of Indian System of education will derive much benefit from this book. But even more improtantly, I find in this book instructive lessons for all those who are interested in reforming our present educational system. Since decades, there has been in India a serious thinking as to how our educational system can be changed so as to make it truly national. In the early decade of this century, Sri Aurobindo wrote a book entitled. "A National System of Education", and he pointed out that only that education can be regarded as national which brings out the spirit and soul of India. He was the first among the modern thinkers who advocated the need for a national system of education and gave a fresh inspiration to the discovery of the inner truths of the great principles underlying the Vedic and Vedantic system of education. Since then, there have been great attempts in our country to bring about radical changes in the system that was foisted on India by Macaulay. Sri Aurobindo was preceded by the great pioneer Maharshi Dayanand Saraswati, who inspired the experiments in the Gurukul system. This experiment became more widespread in the early part of the present century. Sri Aurobindo himself gave an impetus to the cause of national education when he accepted the Principalship of the National College in 1906, which was just established at that time by the progressive leaders of Bengal. Rabindranath Tagore had also started his experiment in Santiniketan, and here too, the inspiration of the Vedic and Upanishadic system was clearly discernible. Mahatama Gandhi also derived his inspiration from the Ashram concept of education. Later experiments of Sri Aurbindo at Pondicherry reflected a powerful imprint of the ancient spirit of Indian education as also a far, reaching vision of the future. But in spite of all these experiments, our Indian system has sadly continued to be what Macaulay wanted it to be. Even after independence, we have not been able to make any radical departure from the system that the British developed for us. To the contemporary reformer, this is a very sad situation, and there seems to be urgency which is demanded

by a manifold crises which has gripped our present educational system.

It is against this background that a systematic study of issues in education is imperatively demanded. In this study, authentic understanding of the roots of Indian education is indispensable. As we study the Veda, the Upanishads, Ramayana, Mahabharata, and other profound works of Smritis and Shastras of ancient times, we begin marvel at the heights and depths of their authors. We begin to ask ourselves as to what cultivation of human faculties must have been attempted in those times which produced the great and imperishable rishis, versatile scholars, distinguish authors, heroic warriors, subtle and able statesmen and diplomats and consummate artists, musicians, sculptors, architects, and creators of various arts and crafts. Surely, there must be a great secret in the system of education that was founded by the Vedic seers. An Indian system of education can never become truly Indian unless this secret is discovered and made manifest, with whatever enrichment our contemporary thought might bring to it, in our contemporary system of education.

The great merit of Dr. Mishra's book lies in the fact that it is a search for that Vedic secret. It underlines that secret is basically contained in four important elements : a profound insight and detailed understanding of the nature and processes of education; insistence on the importance of the teacher in respect of inner realisation, his own selfdiscipline, and his power of comminication which imparts knowledge not only by instruction but mainly by example and influence; insistence on the aspiration of the pupil, on his seeking, on his capacity to come nearer to the teacher and to the secret sources of knowledge; and insistence on experience as the fundamental instrument of learning. All these four elements are brought out effectively in the present book, and one can find them as the underlying emphasis and unbroken thread in this book.

I am confident that this book will be welcomed by educationists, scholars and students and that they will find in this

book rich material, useful insights, and, above all, a systematic exposition of the foundational system of Indian education. I wish to congratulate Dr. Bhaskar Mishra for having written this important book and expect that he will continue to make further studies and bring to us the fruits of his labours in the service of Indian students and teachers.

(KIREET JOSHI)
SECRETARY
Rashtriya Veda Vidya Pratishthan

प्रस्तावना

डॉ० भास्कर मिश्र द्वारा लिखित पुस्तक 'वैदिक शिक्षा मीमांसा' की हस्त-लिपि देखकर मुझे अपार हर्ष हुआ। वैदिक शिक्षा पद्धति पर पुस्तक लिखना कोई सरल काम नहीं है, और इस दिशा में बहुत कम विद्वानों ने शोध करने का प्रयास किया है। जो कुछ पुस्तकें इस विषय पर उपलब्ध हैं, उनमें वह विस्तार देखने को नहीं मिलता, जो डॉ० मिश्र की इस पुस्तक में परिलक्षित होता है। इस कारण डॉ० मिश्र की यह पुस्तक वैदिक शिक्षा पद्धति के अध्ययन की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण प्रयास है।

इस पुस्तक की महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें वैदिक शिक्षा के उद्देश्यों और प्रक्रिया तथा विषयवस्तु का गहन अध्ययन किया गया है। इस अर्थ में डॉ० मिश्र ने वैदिक शिक्षा शास्त्र पर एक वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया है। दूसरी बड़ी विशेषता इस पुस्तक की यह है कि पाठकों को विषयों के मूल स्रोतों की अच्छी जानकारी उपलब्ध होती है। जो कुछ भी इस पुस्तक में डॉ० मिश्र ने लिखा है, उसका संकेत सन्दर्भ ग्रन्थों तथा साहित्य के साथ जोड़ा है। इस अर्थ में भी इस पुस्तक में मौलिकता का दिग्दर्शन होता है। तीसरी बड़ी बात जो इस पुस्तक के बारे में कही जा सकती है, वह यह है कि भारतीय तथा पाश्चात्य—दोनों प्रकार के चिन्तन के परिप्रेक्ष्य में वैदिक शिक्षा पद्धति का इसमें अच्छा दिग्दर्शन कराया गया है। इस पुस्तक को पढ़ना पाठकों के लिये एक आध्यात्मिक भूख को मिटाने के बराबर है, क्योंकि लेखक ने स्वयं समसामयिक शैक्षिक विचारों का अच्छा अध्ययन किया है और आज की शिक्षा प्रणाली की जो मुख्य धाराएँ हैं, उन पर प्रकाश डालते हुये वैदिक शिक्षा प्रणाली से किसी हद तक लाभान्वित हुआ जा सकता है, इसका भी उल्लेख किया है, और इस प्रकार से उन्होंने प्राचीन से अर्वाचीन समय तक की विचाराधारा का इस पुस्तक में समावेश किया है।

स्पष्ट है यह पुस्तक विद्वानों के लिये तथा छात्रों के लिये उपयोगी सिद्ध होगी। इसमें सन्देह नहीं कि भारतीय शिक्षा-शास्त्र के लिये यह पुस्तक एक

महत्त्वपूर्ण देन के रूप में अङ्गीकार की जायेगी और छात्र तथा अध्यापक, जो भारतीय शिक्षा पद्धति के अध्ययन में लगे हैं, वे इस पुस्तक से लाभान्वित होंगे। मेरे विचार में वे सभी बुद्धिजीवी, जो आज की शिक्षा पद्धति में सुधार चाहते हैं, उनके लिये इस पुस्तक में आवश्यक सामग्री उपलब्ध है। पिछले दशक से भारतवर्ष में बराबर चिन्तन हो रहा है कि हम अपनी शिक्षा प्रणाली को वास्तविक अर्थों में राष्ट्रीय बनाने के लिये किस प्रकार बदल सकते हैं। इस शताब्दी के पहले दशक में श्री अरविन्द ने एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक था "राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति"। उन्होने इस पुस्तक में यह दर्शाया कि वही शिक्षा वास्तविक अर्थों में राष्ट्रीय मानी जा सकती है, जो भारत की आत्मा को उजागर कर सके। वे उन विचारकों में से सर्वप्रथम थे, जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति की बात उठाई और वैदिक और वेदान्त की शिक्षा प्रणाली की वास्तविकता और उसमें अन्तर्निहित सिद्धान्तों को सर्व-साधारण के लिये प्रस्तुत किया। तब से हमारे देश में बराबर प्रयत्न जारी हैं, ताकि मेकाले ने भारत पर जो शिक्षा पद्धति थोप दी थी, उसमें मूलभूत सुधार किया जा सके। श्री अरविन्द से पूर्व महर्षि दयानन्द सरस्वती ने शिक्षा की गुरुकुल पद्धति लागू की और वर्तमान शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में इसका बहुत प्रसार हुआ। १६०६ में श्री अरविन्द ने जब नेशनल कालेज के प्राचार्य पद को स्वीकार किया, तो उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा को और अधिक बल दिया। यह कालेज बंगाल के प्रगतिवादी नेताओं ने उन्हीं दिनों स्थापित किया था। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने भी शान्तिनिकेतन का उदाहरण प्रस्तुत किया जो वेदों और उपनिषदों की शिक्षा पद्धति से प्रेरित था। शिक्षा की जो आश्रम पद्धति है, वह महात्मा गांधी जी को भी रुचिकर लगी। इसके पश्चात् पाण्डिचेरी में श्री अरविन्द ने जो काम किया उससे भारतीय शिक्षा के प्रति उनकी दूरगामी दृष्टि स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। यह सब होते हुए भी दुःख की बात है कि हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति अभी भी मैकाले के पदचिह्नों पर ही चल रही है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भी हम लोग उस शिक्षा पद्धति में कोई मूलभूत सुधार न कर पाये जो कि अँग्रेज शासक ने हमारे लिये तैयार किया था। आज के सुधारक के लिये यह दुखद स्थिति है और हमारी शिक्षा पद्धति में जो समस्यायें उत्पन्न हो गई हैं उनको देखते हुये इसमें सुधार लाने की अत्यन्त आवश्यकता है।

इस पृष्ठभूमि में शिक्षा की समस्याओं पर एक अध्ययन करना समय की माँग है। इस अध्ययन में भारतीय शिक्षा के स्रोत और मूल को समझना

अनिवार्य है। जब हम वेदों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत तथा अन्य शास्त्रों को पढ़ते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि उनके लेखक कितने महान् रहे होंगे और उनकी दृष्टि कितनी व्यापक और कितनी गहन रही होगी। हम स्वयं से यह प्रश्न करने लगते हैं कि मनुष्य का मस्तिष्क उस समय किस कोटि का रहा होगा, जिसने ऐसे ऋषियों को जन्म दिया, जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, अद्वितीय लेखक थे, वीर योद्धा थे, राजनीतिज्ञ भी थे और साथ ही साथ वे कलाकार थे, संगीतज्ञ थे, वास्तुकला और चित्र-कला में तथा दूसरी कलाओं में निष्णात थे। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय की शिक्षा प्रणाली में कोई रहस्य निहित होगा, जिसके कारण ये सब कुछ सम्भव हुआ और इसका श्रेय उन वैदिक ऋषियों को जाता है जो त्रिकाल-दृष्टि सम्पन्न थे। भारतीय शिक्षा प्रणाली तब तक वास्तविक अर्थों में भारतीय नहीं कहलाएगी, जब तक इस रहस्य का उद्घाटन करके उसे फिर से क्रियान्वित नहीं किया जाये और आधुनिक युग की आवश्यकताओं का उसमें समावेश न हो।

डॉ० मिश्र की पुस्तक की सबसे बड़ी उपादेयता यह है कि वैदिक रहस्य को उद्घाटित करने का इसमें प्रयास किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि यह रहस्य चार मौलिक बातों में निहित है : पहली यह कि शिक्षा की प्रगति और पद्धति की विस्तृत जानकारी, दूसरा आत्मानुभूति की आवश्यकता पर अध्यापक द्वारा बल देना तथा उसका स्वानुशासन, तीसरी बात कि उस अध्यापक में केवल शिक्षा देकर समझाने की ही दक्षता न हो, अपितु वह अपने छात्रों के समक्ष उदाहरण भी प्रस्तुत कर सके, जिससे कि उनपर प्रभाव पड़े और चौथा—छात्र की क्या आकाक्षाएँ हैं, उनको उद्घाटित किया जाये और अध्यापक में सामर्थ्य हो कि वह उसे प्रेरित करे कि वह उसके निकट आकर ज्ञान के स्रोतों के रहस्य को पहचान सके तथा अनुभव और अनुभूति को ज्ञानार्जन का प्रथम सोपान माना जाये। ये चारों बातें इस पुस्तक में बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत की गई हैं। वास्तव में इस पुस्तक में आद्योपान्त यही बातें एक सूत्र की भाँति परिलक्षित होती हैं।

मुझे विश्वास है कि शिक्षा-विद्, विद्वान् तथा छात्र इस पुस्तक का स्वागत करेंगे और इस पुस्तक की सामग्री, इसमें बतलाई गई रहस्यपूर्ण बातों तथा भारतीय शिक्षा की आधारभूत पद्धति का जो विश्लेषण इसमें किया गया है,

निन्दा की है और कहा है अपने आप में सब कुछ भरने की इस दुष्प्रवृत्ति से मानव समष्टि का ही नहीं किन्तु व्यष्टि का भी विकास रुक जाता है। श्रद्धा मनु को मृग मार कर खाने तथा उसके चर्म को वस्त्र के रूप में प्रयोग करने का विरोध करती है और कहती है—इन्हें जीने दो, स्वयं को जीने के लिए फल और अन्न उपजाओ, उन्हें खाओ, इनके लोम से वस्त्र मत बनाओ, कपास आक आदि से रूई का संग्रह करो, उनसे सूत कात कर वस्त्र बनाकर पहनो, जैसा कि मैं करती हूँ—"**अपने में सब कुछ भर कैसे व्यक्ति विकास करेगा। यह एकान्त स्वार्थ भीषण है, अपना नाश करेगा। औरों को हँसते देखो मनु! हँसो और सुख पाओ। अपने सुख को विस्तृत कर लो, जग को सुखी बनाओ**"। यह शिक्षा का आदर्श है।

अपने प्रति जो आचरण दूसरों के द्वारा करने से हमें दुःख का अनुभव होता है, दूसरों के प्रति वैसे आचरण का त्याग ही मानवता है। "**आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्**" यह शिक्षा मानव को अन्य पशुओं से श्रेष्ठ बनाती है। परन्तु आज तो स्वार्थ का ही सर्वत्र बोलबाला है। अपने स्वार्थ में जरा सी बाधा आयी कि मित्र शत्रु बन जाते हैं। रामायण की कथा हमें मनोरम लगती है, उसे दूरदर्शन पर देखने के लिए सभी जाति के लोग लालायित रहते हुए देखे जाते हैं, क्योंकि राम-कथा पुरुषोत्तम-परिवार की कथा है। इससे सिद्ध होता है कि हममें अभी सद्वृत्ति के प्रति आस्था है, परन्तु चारों ओर का वातावरण इतना दूषित है कि सद्वृत्ति को पनपने का अवसर नहीं मिलता। इसीलिए प्रजाहितपरायण राम के भाव का आश्रयण हम नहीं कर पाते। उस समय का रावण भी आज के मानव से उत्तम था, जो कि सीता से कहता है—"**एवं चैवमकामां त्वां न च स्प्रक्ष्यामि मैथिलि। कामं कामः शरीरे मे यथाकामं प्रवर्तताम्।**" इसका कारण है—अधिकारी के द्वारा अध्यात्म शिक्षा एवं नैतिकशिक्षा का नहीं दिया जाना, अर्थात् सिद्धान्त पक्ष और प्रयोगपक्ष में तालमेल का न होना शिक्षा का महान् दोष है।

आज की शिक्षा अक्षरों और अङ्कों की शिक्षा है। इसलिए इस शिक्षा में नौकरी की खोज की जाती है। वंशानुक्रम से प्राप्त कार्य को शिक्षित होते ही लोग छोड़ देते हैं। आज का पण्डित कर्मकाण्ड छोड़ देता है जो उसे पीढ़ी दर पीढ़ी से संस्कार के रूप में प्राप्त था। वह कर्मकाण्ड की आचार्य परीक्षा पास कर अध्यापन तो करता है परन्तु उसके प्रायोगिक पक्ष से घृणा करता है। कृषि-विश्वविद्यालय का किसान स्नातक खेती करना छोड़कर नौकरी करना चाहता है, यदि वह इस विज्ञान की प्राप्त शिक्षा को वंशानुगत खेती

करने में लगाये तो ज्ञान और क्रिया दोनों के संयोग से कृषि कार्य में चार चाँद लग जाएँ। वंशानुगत कृषिज्ञान और कुलागत संस्कार से विभूषित, अक्षरज्ञान रहित ग्रामीण किसान जितना जानते हैं, उतना वे नहीं जानते हैं, जो कृषि का डिप्लोमा या उपाधि लिये फिरते हैं। अतः प्रवृत्ति और कुलक्रमागत संस्कार को देखकर शिक्षा देना आवश्यक है।

शिक्षा से शरीर, मन, चित्त और आत्मा में विकास की अपेक्षा की जाती है। यह वह तत्त्व है, जिससे मानव समस्त प्राणियों में उन्नत स्थान प्राप्त करता है। प्राचीन महर्षियों ने उसके दो भेद किये हैं— (१) ज्ञानदायक शिक्षा और (२) विज्ञान-वर्धक शिक्षा। '**मोक्षे धीर्ज्ञानमन्यत्र विज्ञानं शिल्प-शास्त्रयोः।**'' मोक्ष विषयक विवेक की उत्पादिका शिक्षा को ज्ञान और शिल्प-शास्त्र आदि विषयों की शिक्षा को विज्ञान कहा गया है। मोक्ष का अर्थ यद्यपि परमात्मा से सायुज्य की अनुभूति द्वारा प्राप्त अलौकिक आनन्द किया जाता है, तथापि उस आनन्द की दशा में पहुँचने के लिए चित्तवृत्ति का परिशोधन और सब प्राणियों में आत्मभाव का उद्रेक आवश्यक है यह परिशोधन सर्वत्र समानता की बुद्धि के रूप में होता है। **सियाराममय सब जग जानी, करौं प्रणाम जोरि जुगपानी,**' कहते हुए ''**तुलसीदास**' समस्त संसार के स्त्री और पुरुष प्राणियों को सीताराममय मानते हैं। यह उदात्त आत्मभाव और सर्वत्र ईश्वर का दर्शन, ज्ञान द्वारा होता है। यह भाव जब उत्पन्न होगा तब क्यों व्यक्ति किसी को सतायेगा। **हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्मायदृष्टये**'' मन्त्र में जिस लोभ से सत्य आवृत है, उस आच्छादन को हटाने तथा सत्य धर्मार्थसिद्धि के लिए प्रार्थना की गयी है।

ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किञ्चिज्जगत्यां जगत्।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्यस्विद्धनम्॥

इस उपनिषद् वाक्य में कहा गया है कि संसार की समस्त सम्पत्ति और वस्तु ईश्वर की है, जगत् में जो कुछ है, वह उसी परमपिता परमात्मा की देन है। पैतृक सम्पत्ति पर जैसे सभी पुत्रों का समान अधिकार होता है, उसी तरह जगत् की समस्त वस्तुएँ सब की हैं, इसलिए त्यागपूर्वक उसका भोग करना चाहिए, दूसरे भाई की उपादेय वस्तु पर ललचायी दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। ऐसी शिक्षा को अपनाने पर संसार का समस्त कलह स्वतः विनिष्ट हो जाता है। भारत भी आज भौतिक उन्नति की साधिका वैज्ञानिक शिक्षा मात्र पर जोर दे रहा है। भौतिक शिक्षा को यदि जीवन-मूल की ज्ञापिका,

अन्तःकरण की वृत्तियों के परिशोधिका और चारित्रिक उत्थान आत्मिक विकास की साधिका शिक्षा के साथ जोड़कर नहीं चलाया गया तो 'जीओ और जीने दो' का सिद्धान्त केवल नारा मात्र बनकर रह जायेगा। विश्वबन्धुत्व के लिए अनेक प्रयत्न किये जा रहे हैं परन्तु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता है। इसका कारण है अध्यात्म सम्बन्धी शिक्षा का अभाव। 'ह्यूमेनिटी' की शिक्षा आज वे ही ग्रहण करने वाले माने जाते हैं जो वैज्ञानिक-शिक्षा के ग्रहण योग्य बुद्धि नहीं रखते, ऐसे शिक्षाविद् को समाज वह आदर नहीं देता जो देना चाहिए। विज्ञान के साथ मानवीय जीवन मूल्यों की शिक्षा जब एक व्यक्ति को नहीं दी जायेगी तो घातक शस्त्रास्त्रों का निर्माण कैसे रुकेगा? प्रसाद ने लिखा है—**जब जब विज्ञान जयी होता, सभ्यता कराहने लगती है। मानवता की है राह हृदय तू यह संदेश सुनाता चल।**" माना कि प्रत्येक व्यक्ति दार्शनिक नहीं हो सकता, उत्तम कवि-हृदय नहीं पा सकता, जैसा कि कहा गया है—**नरत्वं दुर्लभं लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वं दुर्लभं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा।**" परन्तु दण्डी ने यह भी कहा है—**न विद्यते यद्यपि पूर्ववासना गुणानुबन्धि प्रतिभानमद्भुतम्। श्रुतेन यत्नेन च वागुपासिता ध्रुवं करोत्येव कमप्यनुग्रहम्**" इसमें जिस व्युत्पत्ति और अभ्यास के द्वारा वाणी की उपासना की बात कही गई है, वह शिक्षाजन्य ही है। मम्मट ने शक्ति, लोक-काव्य एवं शास्त्रादि के अवेक्षण से जन्य निपुणता और काव्यज्ञ के कथनानुसार पुनः पुनः काव्यरचना में प्रवृत्ति रूप अभ्यास तीनों के समाहार को काव्य के प्रति सम्मिलित हेतु कहा है। यद्यपि यह सब बात काव्य के सन्दर्भ में कही गई है परन्तु यह सभी शिक्षार्थी पर भी लागू होती है। जगन्नाथ ने केवल प्रतिभा को काव्य का कारण माना है परन्तु उस प्रतिभा के दो भेद किये हैं—सहजा और आहार्या। सहजा प्रतिभा जन्मजात संस्कार है और आहार्या अध्ययन, मनन और अभ्यासजन्य होने से अर्जिता मानी गई है। वे काव्य—घटनानुकूल शब्दार्थोपस्थिति को प्रतिभा मानते हैं। नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा भी प्रतिभा कही गई है। शिक्षक को देखना चाहिए कि छात्र की प्रवृत्ति किस ओर है, प्रवृत्ति से प्रतिभा का अनुमान करके तदनुकूल शिक्षा देनी चाहिए। इससे अधिक सफलता मिलने की सम्भावना है। बीज-रूप से सारे भाव अन्तःकरण में विद्यमान रहते हैं। वे उचित मार्ग-दर्शन पाकर उद्बुद्ध हो सकते हैं। बाल्यकाल में यदि उनको विकसित करने का अवसर न मिला तो वे विकसित नहीं हो पाते, इतना ही नहीं यदि भूमि में फूल के पौधे न लगाये जाएँ, पुष्प के बीज न बोये जाँय तो प्रकृत्या वहाँ काँटे उग

जाते हैं। इसलिए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है चित्तवृत्तियों का परिशोधन। कोई भी चित्तवृत्ति अपने आप में बुरी नहीं है। उदाहरणार्थ क्रोध को ही लीजिए—वह सत्त्वगुण से अनियन्त्रित है, रजस् से क्रियाशील है और तामस् से प्राधान्येन प्रभावित है, तो गर्हित है। परन्तु यदि आर्त के त्राण के लिए है एवं अत्याचारी के उन्मूलन के लिए है, समाज-राष्ट्र के अहित करने वालों के दाँत खट्टे करने के लिए है तो सत्त्वगुण से प्रभावित होने के कारण स्तुत्य है, ऐसा क्रोध रौद्र रस का उद्रेजक है और प्रशंसनीय है। राम ने राक्षसों पर क्रोध ही किया था, वह क्रोध कितना रमणीय था, यह कहने की आवश्यकता नहीं है।

अन्तःकरण में सत्त्व के उद्रेक से सात्त्विक कार्य करने का उत्साह जगता है। तामस और राजस प्रवृत्ति पर सत्त्व का अधिकार जमा देना ही शिक्षा का उद्देश्य रहा है। अर्थ और काम धर्माविरुद्ध होने पर उपादेय बनते हैं, यह कार्य शिक्षा करती है। धर्म का अर्थ यहाँ संकुचित नहीं है किन्तु व्यापक है। मनु ने धृति, क्षमा, दम, अस्तेय-मन-वचन-कायनिष्ठ, शुचिता इन्द्रिय-निग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध इन को धर्म कहा है। ये ही यहाँ धर्म पद से ग्राह्य हैं। शिक्षा को इनके विकास में सहायक बनाने से ही शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण होता है।

भारतीय महर्षियों ने मानव को स्वस्थ शरीर, शुद्ध चित्तवृत्ति, और आत्मा से प्रबल बनाने के लिए शास्त्र रचे हैं। उनकी दृष्टि में किसी एक की उपेक्षा से भी शिक्षा अधूरी रहती है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ चैतन्य का निवास रह सकता है। बुद्ध ने भी पुनर्जन्म माना है। पुनर्जन्म का सिद्धान्त युक्ति-युक्त तो है ही, मानव समाज के लिए कल्याणकारी भी है। इसके मानने से सत्कर्म में प्रवृत्ति होती है और अधर्म से डर लगता है। पाप और पुण्य का फल व्यक्ति को अवश्य मिलता है, यह सिद्धान्त अत्यन्त हितकारी था परन्तु आज के भौतिकवाद युग में इसे बड़ा धक्का लगा है। वेदान्त का अद्वैतवाद आज पहले से अधिक उपयोगी है। ईश्वर पर आस्था उठ गई है, वह कर्मों का द्रष्टा है, तदनुसार फलों का दाता, सर्वव्यापक है, यह बुद्धि जब दूर हुई तो खुलकर दुष्कर्म करने में लोग प्रवृत्त होने लगे। प्रजातन्त्र में बहुमत का महत्त्व होता है, परन्तु इसके लिए यह भी आवश्यक है कि प्रजा विवेकी हो। विवेक का अर्थ है—राष्ट्र का हित, संविधान का आदर। तभी निःस्वार्थ व्यक्तियों का चयन हो सकता है। परन्तु यहाँ विकसित चित्तवृत्ति वाले न अधिक मतदाता हैं और न राजकाज के लिए

उम्मीदवार प्रतिनिधि ही निष्काम सेवा परायण हैं, मत चयन के समय जिन प्रलोभनों को अपनाया जाता है, वे सब गर्हित होते हैं। इसलिए उचित प्रतिनिधि चुनकर नहीं आते। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के समय जो त्याग नेताओं में देखा जाता था, वह दिनानुदिन क्षीण होता जा रहा है। "सत्य ही ईश्वर है" यह नारा जगह-जगह लिखा हुआ है परन्तु इस का पालन कोई नहीं करता है। चुने हुए प्रतिनिधि जनता के सेवक हैं, परन्तु जब वे चुन कर आते हैं तो वे अपने को जनता से ऊपर और उनके हित को देखे बिना हुकूमत करते हैं। महात्मा गांधी और विनोबा भावे जैसे तपे-तपाये महात्माओं का नाम तो हम लेते हैं, परन्तु उनकी बातों का पालन नहीं करते। यदि करते तो अहिंसा के एक निष्ठ सेवक के देश में निरीह व्यक्तियों की हत्या क्यों होती ?

त्यागी पुरुषों का दिनानुदिन सब क्षेत्रों में जो अभाव होता जा रहा है, उसका कारण है—तप, त्याग और विवेकी पुरुषोत्तम के द्वारा लिखित शास्त्रों के अध्ययन का तथा प्रयोग का अभाव। हम सब कुछ पढ़ते हैं परन्तु निःस्वार्थ व्यक्तियों के द्वारा कथित वेद, उपनिषद्, काव्य पुराण, धर्म-शास्त्र और राजनीति के ज्ञान से दूर हैं। चरित्र निर्माण के लिए जितना कुछ भारत के संस्कृत वाङ्मय में कहा गया है, उतना कहीं अन्यत्र नहीं है। प्रातःकाल से लेकर सायंकाल और सायं से प्रातः तक की सारी क्रियाओं को धर्म से जोड़कर इन ऋषियों ने जो हमें दिया है वह चरित्र, आत्मा, अन्तःकरण, काय तथा वाणी की शुद्धि के ही उपाय हैं। यहाँ तक कि हमारा स्नान कार्य भी धर्म और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है। कोई व्यक्ति जब यहाँ स्नान करने लगता है तो वह उस स्नान के जल में अपने देश की सारी नदियों का आवाहन करते हुए कहता था—

> गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति ।
> नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु ॥

ऐसा कह कर और श्रद्धा से सब नदियों के जल का उस जल में सन्निधान मानकर समस्त राष्ट्र की अखण्डता की भावना से ओत-प्रोत उस जल से स्नान करता है, मानो राष्ट्रीयता की भावना से उस जल के द्वारा अपने आप को पवित्र करता है। फिर प्रान्त-भाव और भाषा भाव का पार्थक्य कहाँ रह जाता है ? आज इस रहस्य को समझाने की आवश्यकता है। ऐसे प्रसङ्ग, ढूंढ़ कर उनकी सामयिक व्याख्या की जा सकती है। जिससे उपहासात्मकता

विगलित हो जाय और उसका सामाजिकता और राष्ट्रीयता के साथ समन्वय हो जाय।

भारतीय वाङ्मय की दृष्टि से इस पुस्तक में शिक्षा पर विचार किया गया है। मानव के दो पक्ष हैं—बहिरङ्ग और अन्तरङ्ग। ऋषियों ने दोनों पक्षों के विकास के लिए शिक्षा को माध्यम माना है। केवल शरीर ही मानव नहीं है, वह भावुक और विचारशील भी है, उसका आत्मिक तथा अन्तरंग पक्ष अधिक प्रबल है। निर्गन्ध किंशुक पुष्प को वह आदर नहीं मिलता जो सुन्दर सुरभित गुलाब और कमल को मिलता है। साक्षरता से यदि सरसता नहीं उत्पन्न हुई तो वह व्यर्थ ही नहीं, खतरनाक भी है। सरस विपरीत अवस्था में भी सरस बना रहता है, वह कोई गर्हित कार्य नहीं करता परन्तु साक्षरा: को यदि विपरीत करके उच्चारण करते हैं तो राक्षसा: बन जाता है। इसीलिए कहते हैं—

सरसः विपरीतोऽपि सरस एव तिष्ठते।
साक्षरा विपरीताश्चेद् राक्षसा एव केवलम्॥

अन्तःकरण के विकास से रहित कु-शिक्षा उसी तरह भयंकर होती है, जिस तरह मणि से विभूषित सर्प भयंकर होता है। "दुर्जनः परिहर्तव्यः विद्यया लंकृतोऽपि सन्। मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः॥" इसलिए आत्मिक विकास को भारतीय शास्त्रों में अधिक महत्त्व दिया गया है। योग-दर्शन भी मैत्री, करुणा मुदिता और उपेक्षा, इन चार चित्तवृत्तियों को मानता है। पुण्यकार्य के कर्ताओं के साथ स्नेह नामक चित्तवृत्ति मैत्री कहलाती है। आर्त और दुःखी व्यक्तियों पर दया तथा दुःख के निवारण के उपाय की प्रेरिका चित्तवृत्ति का नाम करुणा है। पापाचार और गर्हित कार्य करने वालों की उपेक्षा तथा उनके सामाजिक बहिष्कार को उपेक्षा कहा गया है। सुखी व्यक्तियों के सुख में प्रसन्नता ही मुदिता है। इनका विकास जिससे हो, वही शिक्षा है। इनके विकास से पाँच प्रकार के क्लेश अपने आप नष्ट हो जाते हैं। वे क्लेश हैं—अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अनित्य देहादि को नित्य मानकर प्रवृत्त होना या देह, इन्द्रिय आदि को आत्मा मानना अविद्या है। अस्मिता अहंकार का दूसरा नाम है। अपने अनुकूल विषय में अभिलाषा ही राग है, अनभिमत में रोषद्वेष कहलाता है, कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्धारण के बिना आग्रह अभिनिवेश कहलाता है। इन पाँच प्रकार के क्लेश के मूल तत्त्व जो व्यक्ति को और समाज को त्रस्त और दुःखी बनाते हैं। उनका निवारण चित्तवृत्तियों के परिष्कार से

तथा परिशोधन से ही सम्भव है। इस परिशोधन का मार्ग दिखाने वाली विधि ही शिक्षा है।

अतः मैंने प्राचीन ग्रन्थों में वर्णित शिक्षा तत्त्व को रखने का प्रयास इस पुस्तक में किया है। वेद, उपनिषद्, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, पुराण, काव्य आदि में वर्णित शिक्षा और उसकी प्रक्रिया, आचार्य और शिष्य के सम्बन्ध, अध्ययन-अध्यापन के समय पालन करने के योग्य नियम आदि का आख्यान यहाँ किया गया है। यह पाया गया है कि तत्त्वदर्शी महर्षियों द्वारा प्रदत्त वाङ्मय निधि में जो अमूल्य विचार रत्न भरे पड़े हैं, उनकी ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ज्ञान पवित्र वस्तु है, वह प्रकाश की तरह है, परन्तु अपने वाङ्मय की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। जगह-जगह नये आधुनिक विचारों का भी यहाँ प्रसङ्गानुकूल उल्लेख किया गया है।

मुझ अल्पज्ञ व्यक्ति द्वारा विशाल एवं अगाध ज्ञान के सागर के समान वैदिक वाङ्मय का आलोडन एवं उसके रत्नों की खोज वस्तुतः असम्भव कार्य ही है तथापि परमश्रद्धेय महर्षिकल्प परमगुरु श्रीपट्टाभिरामशास्त्री जी द्वारा प्रदत्त सत्प्रेरक शुभाशीर्वादों के सम्बल ने इस वैदिक शिक्षा मीमांसा की संरचना में मुझे समर्थ बनाया है। राष्ट्रिय वेद विद्या प्रतिष्ठान् के सचिव परमादरणीय श्री किरीट जोशी जी ने इस ग्रन्थ की प्रस्तावना लिखकर मेरे इस प्रयास को सार्थक एवं महिमामण्डित करने की कृपा की है—एतदर्थ उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन पुण्य कर्तव्य मानता हूँ। इस ग्रन्थ की संरचना-हेतु परमपूज्य पितृचरण डा० मण्डन मिश्र का मार्गनिर्देशन सतत मुझे प्राप्त हुआ। परमादरणीय डा० वाचस्पति उपाध्याय, आचार्य, संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, प्रभृति विद्वानों के सत्परामर्श ने इस ग्रन्थ को यह स्वरूप प्रदान किया है। उन सभी संस्कृत सुधीजन का भी मैं कृतज्ञ हूँ।

दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृतविभाग में रिसर्चएसोशिएट के रूप में शोधकार्य में संलग्न मेरी धर्मपत्नी डा० श्रीमती रश्मि मिश्रा ने विशाल संस्कृत वाङ्मय में शिक्षा विषयक उद्धरणों के सङ्कलन में मनोयोग पूर्वक मेरी सतत सहायता की है। वस्तुतः उसके प्रयास एवं अध्यवसाय ने इस ग्रन्थ की संरचना को पूर्णता प्रदान की है।

इस ग्रन्थ का प्रकाशन करने हेतु भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मन्त्रालयीय शिक्षा संस्कृति विभाग ने सानुग्रह वित्तीयसहायता प्रदान की है। एतदर्थ विभाग के अधिकारी धन्यवाद के पात्र हैं।

इस ग्रन्थ के मुद्रण एवं प्रकाशन के कार्य को ईस्टर्न बुक लिंकर्स के प्रबन्धक श्री श्याम मल्होत्रा ने बड़ी लगन से पूर्ण किया है एतदर्थ उनके प्रति आभार प्रकट करना अपना अनिवार्य कर्तव्य मानता हूँ।

इस ग्रन्थ में मैंने विशाल संस्कृत वाङ्मय में विकीर्ण शिक्षाविषयक चिन्तन को चुनकर यथामति गुम्फित करने का प्रयास किया है तथा प्राचीन भारत में शिक्षा के उद्देश्यों एवं शिक्षक विद्यार्थी, सम्बन्धों की मीमांसा की है। वस्तुतः हमारी प्राचीन भारतीय चिन्तन परम्परा का मूल वैदिक वाङ्मय है अतः इस ग्रन्थ का अभिधान 'वैदिक शिक्षा मीमांसा' रखा है, इस ग्रन्थ में मैंने वैदिक वाङ्मय के साथ साथ विशाल संस्कृत साहित्य में समुल्लिखित शिक्षा विषयक विचारों को समाहित करने का प्रयास किया है। इसके साथ ही इस ग्रन्थ में अध्यात्मप्रधान भारतीय चिन्तन परम्परा की उपयोगिता प्रतिपादित करने वाले पाश्चात्यशिक्षाशास्त्रियों के विचार यथा-प्रसङ्ग प्रस्तुत किए हैं। इस प्रकार मैंने शिक्षा विषयक व्यापक चिन्तन परम्परा इस ग्रन्थ में समाहित करने का श्रम मात्र किया है।

कुतो वा नूतनं वस्तु वयमुत्प्रेक्षितुं क्षमाः।
वचोविन्यासं वैचित्र्यमात्रमत्र विचार्यताम् ॥

विनीत
भास्कर मिश्र

विषय-सूची

१

शिक्षा का स्वरूप

अर्वाचीन साहित्य में प्रतिपादित विचारों के अनुसार मनुष्य स्वयं सृष्टिकी बेशकीमती सम्पदा एवं अमूल्य संसाधन है। आवश्यकता इस बात की है कि उसमें निहित गतिशीलता और संवेदन शीलता के उचित दिशा-बोध के लिए उसे एक ऐसा नियन्त्रित और सम्बन्धित वातावरण मिले, जिसमें प्राप्त प्रशिक्षण के द्वारा वह मानवीय मूल्यों और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित समस्याओं के समाधानार्थ तथा आवश्यकताओं की परिपूर्ति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहा करे। विकास की इस पेचीदा और गतिशील प्रक्रिया में शिक्षा अपना उत्प्रेरक योग दे सके। इसके लिए हमें सुयोजनाबद्ध नीति निर्धारित करनी होगी।

प्रारम्भ में मानव की सामाजिक और सांस्कृतिक अस्मिता को अभिव्यक्ति प्रदान करने का जो सांकेतिक रूप था उसको विवरणात्मक रूप में मानव-जाति के उत्तरोत्तर विकास क्रम में बढ़ते हुए आपसी सामीप्य और आवश्यकताओं ने वस्तुध्वनित शब्दावली द्वारा भावाभिव्यक्त्यर्थ शब्द-शक्ति के सर्जन द्वारा नई-दिशा प्राप्त हुई। परिणामतः लिपि के विकास ने भाषा-वैज्ञानिकों के समक्ष अनेकानेक प्रश्न-चिह्न अङ्कित कर अधिगम की प्रक्रिया में नवीन चेतना का संचार किया तथा पैतृक-व्यवसाय में बालक की निपुणता का दायित्व परिवार द्वारा हस्तान्तरित होकर शिक्षालय को प्राप्त हुआ, जहां गुरु-सान्निध्य को प्राप्त कर अध्ययनार्थी ज्ञानार्जन की सतत् प्रक्रिया द्वारा जीवन की पूर्ण तैयारी के लिए बौद्धिक, शारीरिक और आध्यात्मिक प्रशिक्षण को प्राप्त करता हुआ आत्माभ्युदय के मार्ग को प्राप्त करता है।

शिक्षा के इस विस्तृत क्षेत्र ने शिक्षा-मर्मज्ञों के अन्तःकरण में अनेकानेक प्रश्न उपस्थित कर उत्प्रेरक का कार्य किया, यथा—शिक्षा क्या है ? शिक्षा किसे कहते हैं ? शिक्षण की प्रक्रिया का क्या स्वरूप है ? जन-जागरण में शिक्षा का क्या योगदान है ? इन प्रश्नों पर गहन चिन्तन द्वारा निष्कर्ष देते हुए मनीषियों ने कहा है कि—**नैतिकता तथा धर्म के सदृश शिक्षा भी समुचित रूप से परिभाषित नहीं की जा सकती**। उचित भी है कि शिक्षा के अर्थ को यथार्थरूप दे पाना स्वतः शिक्षा के परे है। फिर भी भारतीय और पाश्चात्य शिक्षाविदों ने एक-रूपता तथा क्रमबद्धता देने का दुःसाहस किया है। उनके मतानुसार शिक्षा मानवीय चेतना का वह ज्योतिर्मय पुञ्ज है, जिससे मानव-व्यक्तित्व चतुर्दिक् विकास को प्राप्त करता है। शिक्षा के द्वारा न केवल वैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है, अपितु मानवीय दृष्टिकोण में नवीनता का संचार भी होता है, जिससे सुसभ्य और सुश्रेष्ठ समाज का प्रादुर्भाव होता है। आज के बच्चे कल के राष्ट्र-उन्नायक हैं। जिनमें व्यक्तित्व, मनोवृत्ति, सामाजिक विश्वास, आदतों, अध्ययन-कौशल और सम्प्रेषण के निर्वाह के लिए सब से अच्छा साधन शिक्षा है।

अतः शिक्षा के क्षेत्र और मानवीय जीवन के अभ्युदयार्थ उसकी उपादेयता का अध्ययन करने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है ? और विभिन्न शिक्षा-शास्त्रियों ने शिक्षा की प्रक्रिया को किस रूप में विभक्त किया है।

शिक्षा का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ—

'शिक्षा' शब्द को आँग्ल भाषा में *Education* कहते हैं, जिसकी निष्पत्ति लैटिन भाषा के मूल-शब्द *Educatum* से हुई है, जो *E+Duco* का सम्मिलित रूप है। यहां *'E'* अभिप्रेरित है—अन्तर्निहित शक्ति से तथा *Duco* से तात्पर्य है—अग्रसर करना, निकालना, विकसित करना तथा बाहर करना। इस प्रकार 'शिक्षा' शब्द का अभिप्राय है—मानव में निहित मूल प्रवृत्तियों को बाहर की ओर विकसित करना अथवा निकालना। अतः *Education* शब्द का सामान्य और सर्वमान्य अर्थ है—*The act of teaching or training* अर्थात् अध्यापन की वह प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत शिक्षक शिक्षार्थी को अपनी ओर से कुछ देता नहीं है, वरन् उसमें निहित नैसर्गिक गुणों को बाहर की ओर प्रकट करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। पुराणों में कहा

भी गया है कि—**अन्तर्निहित सच्चिदानन्दाकार परब्रह्म परमेश्वर रूप आत्म-तत्त्व का सम्यक् बोध कराने वाला ही सद्गुरू कहलाता है, इसके विपरीत अन्य सभी नामधारी गुरु कहलाते हैं।**[1] क्योंकि गुरु-सान्निध्य से पूर्व अथवा गुरु-ज्ञान के अभाव में बालक की सम्पूर्ण मूल-प्रवृत्तियाँ सुषुप्तावस्था में उसके अन्तःकरण में निहित रहती हैं, जिन्हें शिक्षारूपी साधन के द्वारा शिक्षक बाहर की ओर विकसित करता है। जिसके फलस्वरूप महर्षियों ने सद्गुरु को शिष्य सन्ताप-हारक उपाधि से अलंकृत करते हुए कहा है कि "**दुर्लभः सद्गुरुर्देवः शिष्यसंतापहारकः**"। हिन्दी साहित्य में भी गुरु-महिमा के विषय में कहा गया है कि—**गुरु बिनु ज्ञान कहां ते लाऊं**। किन्तु *Education* शब्द से यह ध्वनित होता है कि 'शिक्षा' एक वस्तु विशेष है, जिसके माध्यम से शिक्षक छात्र की अन्तर्निहित प्रवृत्तियों को बाहर की ओर निकालता है। इस ध्वनि-मत का खण्डन करते हुए शिक्षाविदों एवं भाषा वैज्ञानिकों ने कहा है कि **शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, जो मानव में निहित मानवीय गुणों का शोधन एवं अभिवर्धन करती हुई सर्वाङ्गीण विकास की ओर अभिमुख करती है, न कि शिक्षारूपी वस्तु-विशेष के सहारे से शिक्षक, शिक्षार्थी में निहित गुणों को बाहर की ओर अग्रसर करता है।** शिक्षा मर्मज्ञों ने लैटिन भाषा के जिन अन्य दो शब्दों से *Education* शब्द को निष्पाद्य माना है, वे हैं—*Educare* एवं *Educere*[2]। कहा जा सकता है कि—'*Education*' शब्द इन्हीं दोनों से निष्पादित है, जिसका अर्थ है—**प्रशिक्षण, सम्बर्द्धन और पथ-प्रदर्शन**। अधिगम की इस प्रक्रिया द्वारा शिक्षक शिक्षार्थी के अन्तःकरण में व्याप्त अज्ञानरूपी तिमिर (अन्धकार) के अनावरण से ज्ञान की अजस्र- धारा को प्रवाहित करता है। परिणामतः शिक्षा का लक्ष्य केवल आवश्यकतानुसार बालक का नये सिरे से कुछ निर्माण करना नहीं है, अपितु स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करते हुए बालक में सुषुप्त नैसर्गिक शक्तियों को अनावृत और विकसित करना है। स्वामी विवेकानन्द के विचारों से भी यही पुष्ट होता है कि—**मनुष्य की अन्तर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त कराना ही शिक्षा है।**

---

१. अन्तःस्थ सच्चिदानन्दसाक्षात्कारं सुसाधयेत्।
योऽसावेव गुरूः प्रोक्तः परो नामधरः स्मृतः॥

२. Educare—To Educate, To bring up, To raise.
(शिक्षित करना, पालन-पोषण करना अथवा उन्नत करना)
Educere—To brining forth, To lead out.
(जन्म देना अथवा नेतृत्व करना)

ज्ञान मनुष्य में स्वभाव सिद्ध है। कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता, सब अन्तःस्थित ही है हम जो कहते हैं कि मनुष्य 'जानता' है, यथार्थ में मानव-शास्त्र संगत भाषा में हमें कहना चाहिए कि वह आविष्कार करता है, अनावृत या प्रकट करता है। अतः समस्त ज्ञान चाहे वह भौतिक हो अथवा आध्यात्मिक, मनुष्य की आत्मा में है। बहुधा वह प्रकाशित न होकर आच्छादित रहता है और जब आवरण धीरे-धीरे हट जाता है तब हम कहते हैं कि "हम सीख रहे हैं"। जैसे-जैसे इस वरण-निवारण की प्रक्रिया बढ़ती जाती है, हमारे ज्ञान में अभिवृद्धि होती जाती है। अतः संक्षिप्त रूप में कह सकते हैं कि—**शिक्षा प्रशिक्षण, सम्वर्द्धन और पथ-प्रदर्शन का कार्य करती हुई मानव को चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर करती है।**

संस्कृत-व्याकरण के अनुसार "**शिक्षणं शिक्षा**"[1] इस व्युत्पत्ति में √**शिक्ष् विद्योपादाने" शिक्ष्** धातु से भाव में 'अङ् प्रत्यय करने पर प्रातिपदिक संज्ञा होने पर स्त्रीत्व विवक्षा में **टाप्** प्रत्यय द्वारा '**शिक्षा**' शब्द की निष्पत्ति होती है, जिसका अर्थ है—सीखना अथवा ज्ञानार्जन करना। "**शिक्ष्यते विद्योपादीयतेऽनयेति शिक्षा**" इस करण व्युत्पत्ति में—जिस साधन प्रणाली से ज्ञान उपार्जित करता है, उसी का नाम शिक्षा है। शिक्षण शब्द के उच्चारण से हमारा अभिप्राय न केवल अध्यापन से है, अपितु सीखने से भी है। परिणामतः '**सीखना और सिखाना**' दोनों अर्थों में इसे शिक्षण की प्रक्रिया के रूप में ग्रहण किया जाता है। अतः जिसके द्वारा जो कुछ भी सीखता है अर्थात् जिससे व्यवहार में परिवर्तन होता है, वह शिक्षा है। '**शिक्ष्यते उपादीयते विद्या यया सा शिक्षा**' अर्थात् जिसके द्वारा विद्या का उपादान किया जाय वह '**शिक्षा**' है।

आचार्य मधुसूदन ओझा ने **ब्रह्मसमन्वय** में शिक्षा और विद्या के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा है कि—**विद्यास्ति ज्ञानविज्ञानदर्शने संस्क्रियात्मनि** अर्थात् ज्ञान-विज्ञान दर्शन से आत्मा में एक प्रकार का संस्कार उत्पन्न करना 'विद्या' है। दूसरे शब्दों में, आत्मा को संस्कृत अर्थात् संस्कार युक्त बनाना ही शिक्षा अर्थात् विद्या का मुख्य उद्देश्य है। अतः सामान्यतः '**विद्या**' शिक्षा शब्द का वाचक है, जो √विद् धातु से करणार्थ में क्यप् प्रत्यय होने पर बना है। '**विद्या**' शब्द अनेकार्थक है, **क्योंकि विद्या शब्द की निष्पत्ति विद् ज्ञाने, विद् सत्तायाम्, विद्लृ लाभे एवं विद्** विचारणे अनेक धातुओं से संभव है यथा—ज्ञानार्थ में **वेत्ति अनया इति विद्या। सत्तार्थ में**

विद्यते अनया या सा इति विद्या। लाभार्थ में **विन्दति विन्दते वा अनया या सा इति विद्या।** विचारार्थ में **विन्ते अनया या सा इति विद्या।** चेतनार्थ में **वेदयते अनया या सा इति विद्या।**

उपर्युक्त चारों धातुओं के समन्वय से शिक्षार्थ के सूक्ष्म और वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण द्वारा किये गये विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि—जब मानव शिशु स्वच्छ और निर्मल आकाश गङ्गा से इस धरातल पर अवतीर्ण होता है उस समय ज्ञान-प्राप्ति के साधन स्वरूप पञ्च ज्ञानेन्द्रियों से युक्त होकर सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के ज्ञान को युगपत् प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता अपितु वह समस्त ब्रह्माण्ड के सम्बन्ध में विविध ज्ञान को चार अवस्थाओं में √विद् धातु के चार भावों से ग्रहण करता है, जिसे क्रमिक रूप से इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है—

(i) **विद्-ज्ञाने**[1]—जन्म-काल से ही मानव-शिशु की ज्ञानेन्द्रियां सक्रिय रूप से ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में गतिशील रहती है. जिसके फलस्वरूप चक्षु-इन्द्रिय रूपी साधन द्वारा उसके मन-मस्तिष्क में प्रकाश और रूप प्रवेश करते हैं, कर्णेन्द्रिय द्वारा शब्द-शक्ति का बोध, रसना (जिह्वा) इन्द्रिय द्वारा अम्लत्वादि की अनुभूति, घ्राणेन्द्रिय द्वारा गन्ध का आभास तथा त्वचा के स्पर्श द्वारा शीतलत्व-उष्णत्व का ज्ञान होता है। किन्तु इसके साथ ही यह जिज्ञासा होती है कि—क्या जन्म के साथ ही ज्ञानेन्द्रियों द्वारा स्पर्शादि क्रिया के द्वारा तत्तत् विषय-वस्तु सम्बन्धी बोध हो जाता है अथवा ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में कुछ समय लगता है ? इसके उत्तर में दार्शनिकों का मत है कि प्रारम्भिक अवस्था में मानव-शिशु के मन-मस्तिष्क पर इन्द्रियादि मार्ग द्वारा बाह्य विषय-वस्तु सम्बन्धित-ज्ञान की प्रतिक्रिया केवल 'वेदना' अथवा 'अनुभूति' तक ही सीमित रहती है, इससे अधिक उन वस्तुओं अथवा विषयों का उसे कोई ज्ञान नहीं होता। उदाहरणार्थ—जब मानव-शिशु की आंख पर सूर्य की तीव्र किरणें अथवा प्रदीप (दीपक) का प्रकाश पड़ता है, उस समय प्रतिक्रिया स्वरूप उसके मन-मस्तिष्क पर एक 'वेदना' उत्पन्न होती है, फलतः या तो वह अपनी आंखें झपकाने लगता है अथवा उसकी ओर लगातार देखता रहता है, किन्तु देखते हुए भी वह यह अनुमान नहीं लगा पाता कि वह वस्तु क्या है ? और उसमें से यह ज्योतिपुञ्ज प्रकाश क्यों निकल रहा है ? इस अवस्था को केवल उसकी वेदना (*Sensation* अथवा *perception*) की अवस्था ही कह सकते हैं। इस स्थिति में प्राप्त नैसर्गिक गुण जो गर्भावस्था से ही सुषुप्त

१. सिद्धान्तकौमुदी अदादिगण में धातु संख्या-१०६४

पड़े रहते हैं, उनमें क्षोभ उत्पन्न कर जगाया अथवा सक्रिय किया जाता है, जिससे उसे ज्ञान प्राप्ति की ओर अभिमुख किया जाता है।

सृष्टि-प्रक्रिया क्रम में भी ईश्वर के संसर्ग तथा तप (ज्ञान) और बल से जड़ व सुषुप्त प्रकृति में भी दार्शनिक सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व उसमें 'महत्' अर्थात् महान होने की 'बुद्धि' उत्पन्न होने की कल्पना करते हैं। उनके मतानुसार जड़ प्रकृति में ईश्वर-संसर्ग द्वारा जागृति अथवा चेतना उत्पन्न होने के कारण सृष्टि का निर्माण होता है। यथा—**सर्वनियन्ता विश्वकर्मा प्रभु के संसर्ग से जड़ प्रकृति में सर्वप्रथम चेतना बुद्धि (ज्ञान) उत्पन्न होती है कि "मैं बहुरूप सृष्टि का सर्जन करू"**[1]। जैसा कि अन्यत्र श्रुति वाक्य भी प्रमाण है—**एक होते हुए भी अनेकों में व्याप्त हो जाऊँ**।[2] अतः आत्मतत्त्व के उद्बोधन के लिए सृष्टि—क्रम और उसके स्वरूप को जानना परमावश्यक है।

जड़ पदार्थों को जागृत अथवा उद्बोधित करने की शैली वैदिक परम्परा से चली आ रही है। यथा—आधिदैविक अर्थों में, **"उद् बुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि..."**[3] "अथवा **सामिधाग्नि...घृतैः बोधयत...**"[4] आदि अनेक स्थलों में इस प्रकार का भाव अन्तर्हित है। अस्तु, प्रकृति में सर्व प्रथम '**चेतना अथवा बुद्धि**' उत्पन्न होती है। अतः विद् ज्ञाने धातु विद्या (शिक्षा) शब्द का मूल माना गया।

(ii) **विद् सत्तायाम्**[5]—जन्म काल के कुछ समय पश्चात् जब नवजात मानव शिशु में पारिवारिक जनों के संसर्ग द्वारा जानने की उत्सुकता अथवा '**वेदना**' या अनुभव द्वारा ज्ञान की अभिवृद्धि होने लगती है, तब उसे सर्व प्रथम अपने आपका बोध होता है। जिसके कारण वह अपने आपको संसार की अन्य वस्तुओं से पृथक् अनुभव करने लगता है अर्थात् **"मैं मैं हूँ, और यह भिन्न है"** ऐसा अनुभव करने लगता है। दूसरे शब्दों में, वह परिवार और विश्व

१. "अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाम्..."। श्वेताश्वतरोपनिषद्-४-५।

२. 'एकोऽहं बहुस्याम्।

३. यजुर्वेद—१५/५४।

४. यजुर्वेद—३।१।

५. सिद्धान्तकौमुदी—दिवादि गण में धातु संख्या ११७१।

में अपनी पृथक् सत्ता का अनुभव करने लगता है, यथा—यह मैं करता हूँ, इसी भाव को दार्शनिक अस्मिता 'अहंकार' (*Ego*) के नाम से पुकारते हैं। अतः जन्म काल के समय उस अबोध बालक को अपने पृथक् अस्तित्व (सत्ता) और व्यक्तित्व का ज्ञान नहीं था, परन्तु संसर्गजन्य ज्ञान की अनुभूति ने उसके अन्तःस्थल में अपनी स्वतन्त्र सत्ता का भाव जागृत कर दिया। यह उसके ज्ञान की द्वितीय अवस्था कहलाती है।

दार्शनिक लोग, विशेषकर सांख्यशास्त्री विद्वान् **'महतोऽहंकारः'** कारिका के अनुसार मानते हैं कि सृष्टि-क्रम में प्रकृति की प्रथम विकृति रूप महत्तत्व (बुद्धि) से अहंकार की उत्पत्ति हुई है। उनके मतानुसार सृष्टि के प्रारम्भ में मूल प्रकृति परमाणु रूप में विद्यमान नहीं थी, अपितु वेद में प्रतिपादित एक रस (*Homogenous*) स्वरूपा थी। अर्थात् सलिल रूप में थी। किन्तु महत्तत्व रूप 'बुद्धि' के प्रादुर्भाव से उत्पन्न विषमता के कारण मूल परमाणुओं में अहंकारभाव की अभिवृद्धि होने लगी। दूसरे शब्दों में वे सलिलता (*Homogenous stage*) से फटकर पृथक्-पृथक् (*Hetrogenous*) रूप में विभक्त हो गये। इस अवस्था को दार्शनिकों ने प्रकृति की 'अहंकार' अवस्था कहा है, जैसे बच्चे में बोधक अधिक होने पर अपने व्यक्तित्व का बोध अथवा उसमें अहंकार या अपनी स्वयं की पृथक् सत्ता का ज्ञान हो जाता है। सृष्टि-क्रम में प्रकृति के विकास के लिए, बच्चे की बुद्धि-विकास में जाति या देश की परिवृद्धि या विकास के लिए अपनी सत्ता का अनुभव करना एक आवश्यक अवस्था है, जिसे संस्कृत की **'विद् सत्तायाम्'** धातु इंगित करती है।

(iii) **विद्लृ लाभे**[1]—जन्मोपरान्त मानव-शिशु का समाज में जैसे-जैसे अस्तित्व और व्यक्तित्व बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे वह अपने ज्ञान को अधिकाधिक परिवृद्ध और परिपक्व करता जाता है। जितना उसका ज्ञान बढ़ता है, उतना ही वह संसार में सुलभ ऐश्वर्यादि से सम्बन्धित अनेकानेक पदार्थों को प्राप्त कर लाभ उठाना चाहता है। वह अपने लिए विद्या, कला, कौशल, धन, दारा, पुत्र-पौत्र और लोक-श्लाघा आदि प्राप्त करना चाहता है। वेद भी उपर्युक्त सुख-भोग सामग्री के उपभोग के विरोध में नहीं है, क्योंकि—"**वयं स्याम पतयो रयीणाम्**...[2]" इत्यादि वेद के अनेक स्थल इस पक्ष के साधक हैं और वेद-विद्या द्वारा ही हमारा देश प्राचीन काल में, ज्ञान-विज्ञान, कला-

१. सिद्धान्तकौमुदी तुदादिगण में धातु सं० १४३३।
२. यजुर्वेद—१६/४४।

कौशल, धन और ऐश्वर्यादि साधनों से परिपूर्ण रहा तथा अपनी वेद-विद्या के ज्ञान द्वारा सम्पूर्ण विश्व को अलौकिकता प्रदान करते हुए हर प्रकार से समृद्ध बनाता रहा। "**तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा**...[१]" इस मन्त्र द्वारा वेद-विद्या जहाँ हमें धन-ऐश्वर्यादि संसाधनों के उपभोग की प्रेरणा देती है, वहीं उन ऐश्वर्यादि सुख-साधनों को कैसे भोगे, इसका भी निर्देश देती है।

उपर्युक्त त्याग-भावना से भोग्य ऐश्वर्यादि साधनों में हमारे आचार्य यम-नियमों के पालन, ब्रह्मचर्य व्रत, दीक्षा तथा जितेन्द्रियता आदि के द्वारा व्यक्ति की मनोवृत्ति को उन्नत बनाते हुए, उन्हें भोगों में लिप्त नहीं होने का निर्देश देते रहते थे। इस मनोवृत्ति का ज्वलन्त उदाहरण मर्यादा पुरुषोत्तम राम में देखा जा सकता है। अयोध्या नरेश दशरथ जिस समय ज्येष्ठ पुत्र राम को राज्यभार सौंपकर चक्रवर्ती सम्राट बनाने के उद्देश्य से राजदरबार में बुलाते हैं, उस समय तेजस्वी राम का चेहरा तप्त ताम्र के समान देदीप्यमान दिखाई पड़ रहा था तथा कुछ कालोपरान्त जब माँ कैकेयी द्वारा भरत को राज्याभिषेक और उन्हें चौदह वर्ष के घोर वनवास का निर्देश देती है, उस समय भी उनका चेहरा तप्त ताम्र की भाँति शोभायमान प्रतीत हो रहा था, उससे भाषित होता है कि दशरथ पुत्र पुरुषोत्तम राम को राज्य के समस्त ऐश्वर्यादि सुखों और वन के अनेकानेक दुःखों में समानता दिखाई दी। इससे यह द्योतित होता है कि अध्ययन काल के समय आश्रम के अनेक आचार्यों ने उन्हें "**तेन त्यक्तेनभुञ्जीथा**..." इस वैदिक मन्त्र के अनुरूप दीक्षित किया हो। इस प्रकार व्यक्ति संस्कृत की '**विद्लृ लाभे**' धातु के अर्थ को सार्थक करता हुआ अपनी आयु की मध्य कक्षा तक पहुँच जाता है।

व्यक्ति अपनी ५०-५५ वर्ष की आयु तक संसार के अनेक पदार्थों के विषय में ज्ञान प्राप्त करता हुआ उस ज्ञान से समस्त लौकिक सम्पदा का लाभ उठावे, क्या वैदिक ज्ञान इतने पर ही समाप्त हो जाता है? वर्तमान में अनेक वैज्ञानिक उपलब्धियों द्वारा प्राप्त साधन, ज्ञान की इसी अवस्था तक सीमित हैं। अन्य धर्म और धार्मिक ग्रन्थ तो मानव की आध्यात्मिक उपलब्धि को ज्ञान की चरम सीमा बताते हैं। उनके अनुसार मनुष्य द्वारा सांसारिक ज्ञान प्राप्त कर संसार में उपलब्ध समस्त भोग्य पदार्थों का सेवन करते हुए आध्यात्मिक प्रशिक्षण द्वारा अन्त में परमशान्ति में लीन होना ही, मनुष्य के पुरुषार्थ की चरम सीमा है। इस सम्बन्ध में दार्शनिकों के अन्तःकरण में वेद के स्वरूप

१. यजुर्वेद—४०/१।

और महत्त्व के विषय में बहुधा जिज्ञासा उत्पन्न होती है, यथा—क्या वेद का ज्ञान इससे भिन्न है ? वेद द्वारा निर्धारित व्यक्ति के व्यक्तित्व की चरम सीमा क्या है ? इन सबका समाधान, वेद का वेदत्व √विद् धातु के अगले भाव से स्पष्ट होता है ।

(iv) **विद्-विचारणे**[1]—वेदार्थ की पराकाष्ठा का बोध "**विद् विचारणे** अथवा **विद् चेतनाख्याननिवासेषु**"[2] के अनुसार मानव में तर्क-वितर्क युक्त श्रेष्ठ बुद्धि के उत्पन्न होने से है, जिसके द्वारा समस्त सांसारिक सुख सामग्री का त्याग बुद्धि से आस्वादन कर विरक्तता को प्राप्त होता है, तब व्यक्ति की बुद्धि में निखार आता है । इसके विपरीत यदि त्याग-भाव से भोगों का भोग न किया जाय तो राजा भर्तृहरि के शब्दों में—**हमने विषयों को नहीं भोगा अपितु विषयों ने हमें खा डाला,**[3] ही चरितार्थ होता है । परन्तु यदि वेद विहित कर्त्तव्य तथा धर्म द्वारा अर्थ का उपभोग किया जाता है, तो उन भोगों के बन्धन से मुक्ति (मोक्ष) अथवा छुटकारा पाने की बुद्धि उत्पन्न होती है । उस शुद्ध बुद्धि में गम्भीर विचार उत्पन्न होते हैं, यथा—मैं क्या हूँ ? यह संसार क्या है, क्यों बना है ? मेरा इससे क्या सम्बन्ध है ? इसको बनाने वाला कौन है ? इत्यादि । इससे यह परिलक्षित होने लगता है कि—मैं इस महान विश्व का एक अङ्ग हूँ, अकेला मैं इस विश्व में एक क्षुद्र अणु सदृश हूँ । उसे अपनी पृथकता में शंका और भीति का आभास होने लगता है । वह अपने आपको इस ब्रह्मरूपी विश्व का एक अभिन्न अङ्ग मानने लगता है, जिससे उसमें ब्रह्म-भाव[4] (बडप्पन) बढ़ने लगता है । इसी आधार पर हमारे महर्षियों ने मानव को वेद द्वारा निर्दिष्ट ब्रह्मलोक की प्राप्ति में पुरुषार्थ-चतुष्टय के अनुरूप आचरण करने का निर्देश देते हुए उसे 'कल्याण-पथ' कहा है, यथा—**मनुष्य के कल्याण के लिए वेद निर्दिष्ट मार्ग के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है ।**[5] अतः विद् विचारणे धातु से मानव-जाति को यह उद्‌बोध होता है कि—वेद प्रतिपादित पुरूषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति का अन्तिम मार्ग ब्रह्म-तत्त्व का बोध होना ही है । इसीलिए हमारे मन्त्र-द्रष्टा महर्षियों ने प्राणीमात्र को

---

१. सिद्धान्तकौमुदी रुधादिगण में धातु सं० १४५१ ।
२. देखें—वहीं चुरादिगण में धातु सं० १७०६ ।
३. भोगाः न भुक्ताः वयमेव भुक्ताः । भर्तृहरि वैराग्य शतक—७ ।
४. अहम् ब्रह्मास्मि ।
५. नान्यः पन्था विद्यते अयनाय । यजुर्वेद—३१/१८ ।

विद्-धातु की चारों अवस्थाओं के माध्यम से क्रमिक ज्ञानार्जन का उपदेश दिया है। उनके मतानुसार विद्या ही मानव-व्यक्तित्व का सर्वोत्कृष्ट साधन है, जिसके माध्यम से मानव आत्माभिव्यक्ति की शक्ति को प्राप्त करता हुआ निःश्रेयस भाव से जनकल्याण के कार्य में प्रवृत्त होता है।

तैत्तिरीयोपनिषद् के शांकरभाष्य में शिक्षार्थ को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि — **जिससे वर्णादि का उच्चारण सीखा जाय, उसे शिक्षा कहते हैं अथवा जो सीखे जाँय वे वर्ण आदि ही शिक्षा हैं। शिक्षा को ही 'शीक्षा कहा गया है।**[1] शिक्षा के स्थान पर 'शीक्षा' शब्द वैदिक प्रक्रिया के अनुसार है। आचार्य **सायण** ने भी शिक्षा के व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा है कि— **जो स्वर-वर्णादि के प्रकार का उपदेश दे, वह शिक्षा है।**[2] आचार्य **राजशेखर**[3] ने भी वर्णों के स्थानादि के आधार पर उच्चारण निष्पत्ति को '**शिक्षा**' कहा है।

वेदाध्ययन शिक्षण-प्रक्रिया में शुद्धोच्चारण और शुद्ध स्वर-प्रक्रिया पर अत्यधिक बल दिया गया है। क्योंकि वर्णों के शुद्ध-उच्चारण से शब्द की शुद्धि और भावाभिव्यक्ति में स्पष्टता झलकती है। परिणामतः अन्तःस्थित भावों के मूल रूप में परिणत होने का उद्देश्य ही वैदिक-व्याकरण का आधार है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वर्णादि के शुद्ध उच्चारण द्वारा ही वाणी में ऋत् (सत्य) का निवास होता है। इसी वेदोक्त लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए हमारे अर्वाचीन शिक्षा-शास्त्रियों ने अधिगम-प्रणाली में 'शुद्धोच्चारण' की प्रक्रिया को 'अशुद्धि संशोधन' के नाम से उद्धृत किया है। इस विषय में पाणिनि-शिक्षा में एकनिष्ठ हो शुद्धोच्चारण के साथ वेद-पाठ करने वाले ब्रह्म-चारी के विषय में कहा गया है कि—**शुद्ध उच्चारित वर्ण इस लोक में प्रयोक्ता को प्रतिष्ठा व सम्मान प्रदान कराते ही हैं, साथ ही साथ ब्रह्मलोक में भी उसे**

---

१. शिक्षा शिक्ष्यतेऽनयेति वर्णाद्युच्चारणलक्षणम्। शिक्ष्यन्त इति वा शिक्षा वर्णादयः। शिक्षैव शीक्षा। दैर्घ्यं छान्दसम्।

शांकरभष्य तैत्तिरीयोपनिषद्— १/२।

२. स्वरवर्णाद्युच्चारणप्रकारो यत्र शिक्ष्यते उपदिश्यते सा शिक्षा।

ऋग्वेद भाष्य भूमिका-पृ० ४९।

३. तत्र वर्णानां स्थान-करण प्रचलादिभिः निष्पत्तिः।

शिक्षा काव्य मीमांसा-वि० अ०।

प्रतिष्ठित करते हैं। क्योंकि सद्गुरु से विधिवत् अध्ययन और अभ्यास किए हुए तथा परम्परानुसार उच्चारित वेद-मन्त्रों के **विशुद्ध में स्वयमेव ब्रह्मा विराजते हैं।**[1] पाणिनि के इस कथन द्वारा भी यही ज्ञात होता है कि विचाराभिव्यक्ति में शुद्ध शब्द-शक्ति का ही महत्त्व है। अतः अधिगम की प्रक्रिया के समय स्वर के उच्चारण स्थल और शब्द-शक्ति के स्वरूप के विषय में अध्ययनार्थी को स्पष्ट बोध कराना चाहिए। इसी सम्बन्ध में धर्म व्याख्याता आचार्य याज्ञवल्क्य ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि—**वेदाध्ययन के समय गुरुजन को मन्त्रोच्चारण की शुद्धता पर विशेष बल देते हुए शिक्षार्थी को सर्वप्रथम शुद्धोच्चारण और विधि पूर्वक स्वर प्रक्रिया में दक्षता प्रदान करनी चाहिए।**[2] महर्षि प्रतिपादित इस सिद्धान्त का अनुसरण करते हुए आश्रम-प्रणाली के अन्तर्गत वेदाध्ययन के समय गुरु स्वयं वेद-मन्त्रों को जटा-घन पाठों आदि के अनुसार शुद्ध उच्चारित करता था तथा तदनुसार शिक्षार्थियों को उसका अनुसरण करने का निर्देश देता था। जिसका मुख्य लक्ष्य वेदार्थ की नियामकता को सुरक्षा प्रदान करना है। क्योंकि वैदिककालीन शिक्षण-पद्धति की प्रमुख विशेषता ही यह थी कि उस समय शिक्षार्थियों को गुरुमुख द्वारा शिक्षणाभ्यास कराया जाता था अर्थात् बिना पुस्तकों की सहायता से गुरु वचन को ही आप्त प्रमाण मानता हुआ शिक्षार्थी गुरु से विद्या-दान प्राप्त करता था या यों कहा जा सकता है कि वेदार्थी आप्त वचन के रूप में गुरु वाणी को प्रमाण मानता हुआ उसे ज्यों का त्यों कण्ठस्थ कर अग्रिम पीढी को समर्पित करने के लिए सुरक्षित रखता था। संरक्षण की इसी प्रक्रिया को एकरूपता देने के लिए कठिन और व्यवस्थित नियम निर्धारित किये गये हैं। इन नियमों के अनुसरण का मुख्य उद्देश्य वेद-वेदाङ्गों को गुरुमुख से सुनकर ज्यों का त्यों मूलरूप में अग्रिम पीढी को स्थानान्तरित करना था, जिससे हम अपनी अमूल्य निधि के

---

१. एवं वर्णा प्रयोक्तव्या नाऽव्यक्ता न च पीडिताः।
सम्यग्-वर्ण-प्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते॥ पाणिनि शिक्षा-३१।
सुतीर्थादागतं व्यक्तं स्वाम्नायं सुव्यवस्थितम्।
सुस्वरेण सुवक्त्रेण प्रयुक्तं ब्रह्म राजते॥
पाणिनि-शिक्षा-५१।

२. अभ्यासार्थं द्रुतां वृत्तिं प्रयोगार्थं तु मध्यमाम्।
शिष्याणामुपदेशार्थं कुर्याद् वृत्तिं विलम्बिताम्॥
याज्ञवल्क्य-स्मृति-४९।

रूप में संस्कृति का संरक्षण और सम्बर्द्धन करते हुए समाज में जन-जागरण और आत्म-विश्वास को विकसित कर सकें। इसी उद्देश्य की परिणति के लिए वेद-मन्त्रों का पद, क्रम, जटा तथा घनपाठ आदि स्वर प्रक्रिया के अनुरूप विधिवत् अध्ययन-अध्यापन होता था।

अध्ययन-अध्यापन की इस प्रक्रिया को अपनाने का स्पष्ट निर्देश देते हुए महर्षि यास्क ने पाणिनि शिक्षा द्वारा निर्दिष्ट स्वर-वर्णादि भावों के उच्चारण महत्त्व को उद्धृत करते हुए कहा है कि—**सामान्यतः शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वाङ्गीण विकास माना गया है। परन्तु वैदिककाल में गुरुकुलों में दी जाने वाली शिक्षा का मुख्य उद्देश्य वैदिक संहिताओं के सूक्तों के स्वर-वर्णों के शुद्ध उच्चारण को भली-भाँति सिखाना या अभ्यास कराना था।** इसी कारण पाणिनि-शिक्षा में सर्वप्रथम शब्दोच्चारण की शक्ति और उससे मिलने वाले फल के विषय में बताया गया है कि—**किसी भी वैदिक मन्त्र के उच्चारण में स्वर और वर्ण का विपर्यय या उसका मिथ्या प्रयोग उस मन्त्र के मूल अर्थ को ही नहीं बतला पाता अपितु अशुद्ध उच्चारण से वह मन्त्र वाग्वज्र के सदृश बन यज्ञकर्ता रूप यजमान का विनाश कर देता है। जैसा कि 'इन्द्रशत्रुर्वर्धस्व' के अशुद्ध उच्चारण "इन्द्र-शत्रुः," उच्चारित करने से इन्द्र के मित्रों की अभिवृद्धि हुई।**[1] इससे भी यही ज्ञात होता है कि अधिगम की प्रक्रिया में शुद्धोच्चारण का अत्यधिक महत्त्व है।

इस प्रसंग में वैदिक परम्परा[2] में त्वष्टा की बाधा प्रसिद्ध है—कभी वृत्रासुर नामक महाबली राक्षस ने अपने शत्रु इन्द्र का विनाश करने के लिए एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में प्रयुक्त होने वाला मन्त्र था—**'इन्द्र-शत्रुर्वर्धस्व'** अर्थात् इन्द्र का शत्रु विजयी हो। यहाँ **'इन्द्र-शत्रुः = इन्द्रस्य शत्रुः'** में षष्ठी तत्पुरुष समास अभीष्ट था परन्तु यह अर्थ तभी सिद्ध हो सकता था जब स्वर-वैदिक प्रक्रिया के अनुसार यह पद अन्तोदात्त हो। ऋत्विजों के प्रमाद से इस यज्ञ में उक्त मन्त्र का उच्चारण अन्तोदात्त की जगह आद्यु-

---

१. मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा,
मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह।
स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति
यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्॥

पाणिनीय-शिक्षा—५२।

२. पाणिनीय-शिक्षा—६/१/२२३, ६/२/१।

दात्त से हो गया। इस प्रकार स्वर परिवर्तन से 'इन्द्र-शत्रुः' यह वाक्यांश तत्पुरुष समास से बहुव्रीहि समास में परिणत हो गया। जिसके परिणाम स्वरूप इस मन्त्र का अर्थ **"इन्द्रः शत्रुः यस्य"** अर्थात् इन्द्र ही है जिसका घातक **उसकी** वृद्धि हो—यह अर्थ हुआ। स्वर के इस परिवर्तन से मन्त्रार्थ में परिवर्तन हो जाने से इन्द्र के शत्रुओं के स्थान पर इस यज्ञ के प्रभाव से ४९ रुद्र गण, जो इन्द्र के सहयोगी और मित्र थे, उत्पन्न हुए। इस प्रकार अन्तोदात्त के स्थान पर आदि-उदात्त जैसा स्वर परिवर्तन यज्ञकर्ता वृत्रासुर के लिए अत्यधिक अनिष्टकारक सिद्ध हुआ।

वैदिक संहिताओं के मन्त्रोच्चारण के समय छोटी-छोटी भूल-चूक या अशुद्धि अनिष्ट दायक होती है। इस प्रकार के उल्लेख संस्कृत-वाङ्मय में अनेक स्थलों पर मिलते हैं, यथा—महाभाष्यकार पतञ्जलि ने शुद्धोच्चारण पर बल देते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा है कि—**जो शिष्य उदात्त के स्थान पर अनुदात्त स्वर को उच्चारित करने का प्रमाद करता था, तो खण्डिकोपाध्याय उसे थप्पड़ मार देते थे।**[1] इस प्रकार वेदाध्ययन परम्परा में अशुद्ध उच्चारण दण्डनीय होता था। पुराणों में कहा गया है कि वाक्-देवी सरस्वती द्वारा महर्षि दुर्वासा के अशुद्ध उच्चारण का उपहास किया गया। वस्तुतः मन्त्र के अशुद्ध उच्चारण से उसके मूल अर्थ में विपर्यय हो जाता है, इसीलिए शिक्षा-शास्त्र में जो वेद के छः अङ्गों में से प्रथम और प्रधान अङ्ग है, मन्त्रोच्चारण और उसके अर्थबोध पर अधिक बल दिया गया है। निरुक्तकार यास्क ने वेदार्थ के महत्त्व को स्पष्ट करते हुए कहा है कि—**जो व्यक्ति वेदाध्ययन में लगा रहता है किन्तु उसके अर्थ को भली-भाँति नहीं जानता, वह मकान के खम्भे के सदृश भार वहन करने वाला है। वस्तुतः जो वेद के अर्थ को जानता है, वही कल्याण (मोक्ष) प्राप्त करता है और पाप कर्मों से मुक्त होकर स्वर्ग में अपने लिए उच्च स्थान बना लेता है।**[2] अतः वेदार्थ का

---

१. य उदात्ते कर्तव्येऽनुदात्तं करोति खण्डिकोपाध्यायस्तस्मै चपेटां ददाति। पतञ्जलि महाभाष्य-१/१/१ "वृद्धिरादैच्" पर लिखित भेदकत्वात् स्वरस्य की व्याख्या।

२. स्थाणुरयं भारहारः किलाभूत्
अधीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थम्।
योऽर्थज्ञ इत् सकलं भद्रमश्नुते
नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा॥

निरुक्त-१/१८२।

बोध और शुद्धोच्चारण निष्पत्ति को वैदिक-वाङ्मय में **'शिक्षा'** शब्द से सम्बोधित किया गया है।

'शिक्ष् विद्योपादाने' धातु से विद्या-ग्रहण-अर्थ में शिक्षा शब्द का प्रयोग भारतीय शास्त्रों में होता आया है। माण्डूक्योपनिषद् में वेदचतुष्टय के अनन्तर षड्-वेदाङ्गों[1] का उल्लेख मिलता है। पाणिनीय-शिक्षा शास्त्र में भी वेदार्थ का स्पष्ट बोध कराने वाले वेदाङ्गों[2] का उल्लेख किया गया है। जिन में शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। पाणिनि-शिक्षा में शिक्षा-शास्त्र को वेदरूपी पुरुष का घ्राण कहा गया है। जिस प्रकार सभी अङ्ग-प्रत्यङ्गों के परिपुष्ट और सुन्दर होने पर भी नासिका के बिना मानव-शरीर नितान्त गर्हणीय तथा अशोभनीय दिखाई पड़ता है, ठीक उसी प्रकार 'शिक्षा' नामक वेदाङ्ग से रहित वेदपुरुषाकृति नितान्त अशोभनीय और बीभत्स जान पड़ती है। ऋक्प्रातिशाख्य के भाष्य में **विष्णुमित्र** ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि—**उदात्तादि स्वरों तथा वर्णोच्चारण के स्थान, करण और प्रयत्न के उपदेशक शास्त्र को 'शिक्षा' कहते हैं।**[3] तैत्तिरीयोपनिषद् में भी शिक्षा के छः अङ्गों[4] का उल्लेख मिलता है। **आदिशङ्कराचार्य** ने भाष्य-भूमिका में 'शिक्षा' शब्द को स्पष्ट करते हुए कहा है कि—**जिसके द्वारा वर्णादि का उच्चारण सीखा जाय वह शिक्षा है।** इस विवेचन के मूल में संकुचित दृष्टि का निर्वाह हुआ है। उपनिषद् काल में केवल वर्णादि की शिक्षा ही प्रचलित नहीं थी, अपितु **'शिक्षेद्दमं दानं दयामिति'**[5] के अनुसार तत्कालीन शिक्षा में दम, दान तथा दया

---

१. शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं ज्योतिषां गतिः।
छन्दो विच्छित्तिरित्येष षडङ्गो वेद उच्यते ॥
माण्डूक्योपनिषद्-१/१/५।

२. छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते,
ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते।
शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्
तस्मात् साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते ॥
पाणिनीय-शिक्षा-४१-४२।

३. 'शिक्षा स्वरवर्णोपदेशकशास्त्रम्'। ऋक्प्रातिशाख्य-भाष्य।

४. शिक्षां व्याख्यास्यामः। वर्णः स्वरः मात्रा बलं साम सन्तानः। इत्युक्तः शिक्षाध्यायः। तैत्तिरीयोपनिषद्-१/२/१।

५. बृहदारण्यकोपनिषद्—५/२/३।

जैसे आत्मिक गुणों के विकास का भी प्रावधान सन्निविष्ट था । इस सम्बन्ध में उनकी स्पष्ट धारणा थी कि आत्मिक गुणों के विकास के अभाव में आधिभौतिक आधिदैविक और आध्यात्मिक जीवन की उन्नति सम्भव नहीं हो सकती है। इन तीनों की पूर्ति का सर्वोत्कृष्ट उपाय शिक्षा रूपी साधन के द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अतः सम्पूर्ण वैदिक-वाङ्मय में शिक्षा के माहात्म्य का ही उल्लेख किया गया है।

'शिक्षा-वल्ली' में स्नातकों के उपदेश-विधान के अन्तर्गत व्यक्ति के आध्यात्मिक और भौतिक जीवन के उत्कर्ष का विधान था। जिसके अनुसार वैदिक-शिक्षा का शुभारम्भ बुद्धि और मन को सत्प्रेरणाप्रदाता स्वरूप ज्योतिर्मय-पुञ्ज भगवान भास्कर की गायत्री-मन्त्र द्वारा स्तुति पाठ से होता है। इस मन्त्र-पाठ द्वारा भगवान् भास्कर से प्रार्थना की गई है कि—**हम सच्चिदानन्द स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर के उस श्रेष्ठ तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि को प्रकाशित करते हुए हमारे अन्तःकरण में व्याप्त समस्त संशयों का छेदन कर अभ्युदय और निःश्रेयस् को प्रदान करे।**[1] **श्री अविनाशचन्द्र बोस ने अपनी पुस्तक** "*The call of the Vedas*" में गायत्री मन्त्र का आंग्ल भाषा में—*We contemplate that adorable glory of the Dity—That is in the earth, the sky, the heaven! he stimulated our mental power*". अनुवाद किया है। इससे भी यही दृष्टिगत होता है कि वैदिक महर्षियों ने मन की शुद्धता और बुद्धि की तीव्रता के लिए चित्त की एकाग्रता पर बल दिया है। चित्त की एकाग्रता को बनाए रखने के लिए यज्ञ और दान के साथ-साथ तप का संयोग होना भी अनिवार्य है।

यदि तप की परिभाषा पर विचार करें तो स्पष्ट है कि शास्त्रानुमोदित शरीर, इन्द्रिय तथा मन का शोधन ही तप है। इस शोधन के लिए चित्त की शुद्धि और विषयों की निवृत्ति परमावश्यक है, जो नित्य नियम-व्रत के परिपालन और आचरण से सम्प्राप्य है। इसी उद्देश्य से श्रीमद्भगवद्गीता में शरीर, वाणी और मन के क्रम से तीन प्रकार के तप बताये गये हैं—शरीर-तप, वाङ्मय-तप और मानस-तप। महर्षियों ने फलाकांक्षा रहित होकर

---

१. भूर्भूवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि।
धियो यो नः प्रचोदयात्॥
ऋग्वेद-३।६२।१०; यजुर्वेद-३।३५; सामवेद-१४६२।

निष्कामी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धाभाव से अनुष्ठित उक्त त्रिविध तप को 'सात्त्विक' कहा है। इन तीनों प्रकार के तपों के अनुपालन से प्राणी-मात्र में शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक शक्ति का विकास होता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मन्त्र-द्रष्टा महर्षियों ने भगवान् सूर्य की सतत् उपासना का निर्देश दिया है। उपासना-मार्ग की प्राप्ति तपश्चर्या द्वारा ही सम्भव हो सकती है। इसीलिए **'शिक्षा-वल्ली'** में स्वाध्यायी को तपोमय-जीवन व्यतीत करने का निर्देश दिया है। संक्षिप्त में कहा जा सकता है कि सम्पूर्ण वैदिक-वाङ्मय के अनुसार शिक्षा का अर्थ—**नैसर्गिक गुणों का शोधन कर मानव को अभ्युदय और निःश्रेयस प्रदान करना है।**

कविकुलगुरुश्रेष्ठ **महाकवि कालिदास**[1] ने अपने ग्रन्थों में शिक्षार्थ के रूप में **'प्रबोध'** शब्द का प्रयोग बुद्धि द्वारा प्राप्त श्रेष्ठ ज्ञान के अर्थ में किया है। इसके साथ ही साथ कवि-श्रेष्ठ ने 'विद्या' की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि 'विद्या' मानव के उत्थान के लिए अमोघ अस्त्र का कार्य करती है। गद्य-शिरोमणि आचार्य बाण-भट्ट ने भी शिक्षा-अर्थ में 'विद्या' शब्द का प्रयोग किया है। हर्षचरित में 'विद्या' के पठन, उपदेश, श्रवण, अभ्यास, गोष्ठी और विनोद के रूप में उपभोग सम्बन्धी उल्लेख है। **बौद्ध विद्वान्**

---

१. अनाकृष्टस्य विषयैर्विद्यानां पारदृश्वनः।
तस्य धर्मरतेरासीद्वृद्धत्वं जरसा विना॥ रघुवंश-१।२३१।
वन्यवृत्तिरिमां शाश्वदात्मानुगमनेन गाम्।
विद्यामभ्यासेनैव प्रसादयितुमर्हसि॥ रघुवंश-१।८८।
उवाच धात्र्या प्रथमोदितं वचो ययौ तदीयामवलम्ब्य चाङ्गुलिम्।
अभूच्च नम्रः प्राणिपातशिक्षया पितुर्मुदं तेन ततान सोऽर्भकः॥
रघुवंश-३।२५।
सम्यगाराधिता विद्या प्रबोधविनयाविव॥ रघुवंश-१०।७१।
स्वाभाविकं विनीतत्वं तेषां विनयकर्मणा।
मुमूर्च्छ सहजं तेजो हविषेव हविर्भुजाम्॥ रघुवंश-१०।७९।
अपि क्रियार्थं सुलभं समित्कुशं जलान्यपि स्नानविधिक्षमाणि ते।
अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्॥
कुमारसम्भव-५।३३।
सखि विश्रब्धा भव। ननु भगवता देवगुरुणा अपराजितां नाम शिखाबन्धनविद्यामुपदिशता त्रिदशप्रतिपक्षस्यालङ्घनीये कृते स्वः।
विक्रमोर्वशीयम्—अङ्क-२।

दिवाकर मित्र के आश्रम के लिए **'शिक्षा'** शब्द का प्रयोग मिलता है। तैलगु और मराठी भाषा में शिक्षा-अर्थ में **'दण्ड'** शब्द का प्रयोग मिलता है।

जगद्गुरु **आद्य शंकराचार्य** ने शिक्षा के हजारों भेद बताये हैं। उनके मतानुसार—**किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति में प्रयोजक तत्त्वों के इष्ट साधन, ज्ञान या प्रयत्न को शिक्षा, शिक्षण या प्रशिक्षण कहते हैं।**[1] पर वे शिक्षा को **'विद्या'** पद से विशेषतया अभिहित करते हैं। उन्होंने अपने **ब्रह्मसूत्र-भाष्यादि** ग्रन्थों में—**अक्षर-विद्या, अग्नि-विद्या, अन्तर्यामिविद्या, अश्वपतिविद्या, आनन्दविद्या, उद्गीथविद्या, उपकोसलविद्या, गार्ग्यक्षरविद्या, दहरविद्या, पर्यङ्कविद्या, पञ्चाग्निविद्या नाचिकेतसविद्या. त्रिणाचिकेतसविद्या, प्रतर्दन-विद्या, प्रवाहणविद्या, प्राणविद्या, बालाकिविद्या, बाध्वविद्या, भूमाविद्या, मन्त्रविद्या, मधुविद्या, महाभाग्यविद्या, मैत्रेयीविद्या वैश्वानरविद्या, शाण्डिल्य-विद्या, संवर्गविद्या आदि शताधिक विद्याओं पर विचार करते हुए आध्यात्मिक या ब्रह्मविद्या को ही प्रधान विद्या बतलाया है।** जैसाकि कहा भी गया है—**"ज्ञानं ब्रह्म। अज्ञानं ब्रह्म...।"** श्रीमद्भागवतकार के मतानुसार भी यह विद्या, ज्ञान, शिक्षा ब्रह्म से भिन्न नहीं है—

वदन्ति तत्तत्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम्।
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते॥

तत्त्वबोध, तत्त्व-प्राप्ति, सानुभव अद्वैतदृष्टि आदि परमात्मा के ही पर्याय हैं। उसकी दृष्टि मात्र से संसार के समस्त जीव सभी पातकों से मुक्त होते हैं।[2] कर्म जाल से मोक्ष, परमानन्दस्वरूप शान्त शाश्वत परमात्मपद में प्रतिष्ठा विद्या का प्रयोजन या फल है। इसीलिए सम्पूर्ण वाङ्मय में वेदाध्ययन की अनिवार्यता पर बल देते हुए आत्माभ्युन्नति के लिए शिक्षारूपी साधन के माध्यम से संस्कृति के संरक्षण और सम्वर्द्धन का उपदेश दिया गया है। यजुर्वेद के ४०वें अध्याय (ईशोपनिषद्) में विद्या ज्ञानार्थ की बोधक है, जिस को जानने के पश्चात् और कुछ जानने की इच्छा ही शेष नहीं रह जाती है। दूसरे शब्दों में यों कहा जा सकता है कि शिक्षा अर्थात् विद्या ही आत्म-साक्षात्कार की सर्वश्रेष्ठ सीढी है। आत्म-साक्षात्कार ही वह ज्ञान है, जिसकी अनुभूति होने पर कुछ अवशिष्ट नहीं रह जाता। अतः यहाँ 'विद्या' शब्द आत्म-ज्ञान या आत्मानुभूति का द्योतक है, जो शिक्षा-अर्थ के रूप में मानव का पूर्ण विकास करता है।

---

१. विभिन्नप्रवृत्तिप्रयोजकेष्टसाधनताज्ञानाख्यशिक्षायाः प्रयत्नः शिक्षणं कथ्यते।

२. तद्दृष्टिगोचराः सर्वे मुच्यन्ते सर्वपातकैः।

२

शिक्षा: अर्थ-विभाजन

'साक्षरता' को ही मानव के बौद्धिक स्तर का माप-दण्ड मान कर शिक्षित-अशिक्षित, ज्ञानी-अज्ञानी और ग्राम्य-अग्राम्य अर्थात् सभ्य-असभ्य आदि शब्दों को हम लौकिक-व्यवहार में अपनाते आये हैं, किन्तु वास्तव में केवल 'साक्षरता' ही मानव-व्यक्तित्व का परिमार्जन नहीं है। क्योंकि यह देखा गया है कि नियमित रूप से किसी कृषि विश्वविद्यालय में पढ़े छात्र की तुलना में पिता के साथ खेत में कार्यरत कृषक पुत्र को कहीं अधिक खेती-बाड़ी सम्बन्धी ज्ञान होता है, जो उसे वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल से प्राप्त होता है। अत: साक्षरता शिक्षा का न तो अन्तिम उद्देश्य ही है और न प्रारम्भिक प्रक्रिया। लोक में भी देखा जाता है कि साक्षरता की अपेक्षा मानव-व्यक्तित्व के विकास में शिक्षा का सांस्कृतिक पक्ष अधिक महत्त्व रखता है। 'साक्षरता' केवल मानव के बौद्धिक विकास तक सीमित है, जबकि सांस्कृतिक पक्ष मानव को आध्यात्मिक विकास से सम्बन्धित होने के कारण व्यावहारिक जगत् का बोध कराता है। इसी को इंगित कर मूर्धन्य मनीषियों ने कहा है कि— **कोरे पुस्तकीय ज्ञान को प्राप्त कर लेना अपने आप में कोई अर्थ नहीं रखता, अपितु विद्या-अर्जन के पश्चात् सतत अभ्यास आवश्यक है।** महाकवि के इस कथन से भी यही पुष्ट होता है कि हमारे अर्जित ज्ञान की लोक में सार्थकता तभी तक है, जब तक कि वह व्यवहार पक्ष में उतना ही खरा उतरे। सम्भवत: इन्हीं तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए हमारे शिक्षा-मर्मज्ञों ने शिक्षा के अर्थ को दो भागों में विभक्त किया है—

(i) शिक्षा—संकुचित अर्थ

(ii) शिक्षा—व्यापक अर्थ

संकुचित अर्थ—लोक-व्यवहार में स्कूल अथवा विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त ज्ञान को ही—'**शिक्षा**' शब्द से अभिहित किया जाता है, जहाँ राजपत्रित स्वायत्तशासी संस्थाएँ स्थान विशेष के अन्तर्गत निश्चित शिक्षण-विधि द्वारा बालक को उस अक्षय ज्ञान-भण्डार का ज्ञान कराती है, जो उसके पूर्वज अपने अनुभवों द्वारा उसके विकास के लिए सञ्चित कर गये हैं। अत: सामान्यत: शिक्षा का अर्थ—उद्देश्य पूर्वक विशेष ग्रन्थ को पढ़ना समझा जाता है, जो शिक्षा के संकुचित अर्थ को इंगित करता है। शिक्षण की इस प्रक्रिया के अन्तर्गत शिक्षणार्थी को पूर्वसञ्चित अनुभवों के आधार पर संगृहीत शब्दावलि का स्पष्ट बोध कराते हुए जीवनोपयोगी संसाधनों को जुटाने का प्रशिक्षण दिया है। इस प्रकार शिक्षा के संकुचित अर्थ के अन्तर्गत शिक्षणार्थी को उसके अन्तस्थ भावों को नपी-तुली शब्दावलि के माध्यम से अभिव्यक्त करने की क्षमता तथा लिपि-ज्ञान के माध्यम से उसे अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य प्रदान किया जाता है। इसीके साथ-साथ उसे अल्प-श्रम द्वारा अधिकाधिक आत्म-निर्भरता एवं सम्बन्धित संसाधनों को संगृहीत करने के लिए प्रेरित किया जाता है। नियोजित प्रेरणा की यह शक्ति, शिक्षा के संकुचित अर्थ को इंगित करती है। **जॉन स्टूअर्ट मिल** ने '**शिक्षा**' शब्द के इस सीमित अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा है कि—**शिक्षा संकुचित रूप से वह संस्कृति है, जो प्रत्येक पीढ़ी जान-बूझकर अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपती है, जिससे वह अपना जीवन-यापन कर सकें या उन्नति के उस स्तर से और उन्नत शिखर पर पहुंच सकें, जहाँ अब तक पहुंचा जा चुका है**। इसी सम्बन्ध में अन्य शिक्षा दार्शनिक **टी-रेमॉण्ट** का कथन भी है कि—**संकुचित अर्थ में शिक्षा का प्रयोग बोल-चाल की भाषा और कानून में किया जाता है। इस अर्थ में शिक्षा, व्यक्ति के आत्म-विकास और वातावरण के सामान्य प्रभावों को अपने में कोई स्थान नहीं देती है। इसके विपरीत, यह केवल उन विशेष प्रभावों को अपने में स्थान देती है, जो समाज में अधिक आयु के व्यक्ति जान-बूझकर और नियोजित रूप में अपने से छोटों पर डालते हैं, भले ही ये प्रभाव परिवार, धर्म या राज्य द्वारा डाले जायें**। दूसरे शब्दों में, वयस्क वर्ग एक पूर्व निश्चित योजना के अन्तर्गत शिक्षार्थी के सम्मुख एक विशेष प्रकार के नियन्त्रित वातावरण को प्रस्तुत करता हुआ एक निश्चित ज्ञान को निश्चित विधि द्वारा निर्धारित

काल में समाप्त करने का प्रयास करता है, जिससे वह अपने समुचित बौद्धिक स्तर को प्राप्त करता हुआ समाज में उपयुक्त स्थान बना सके। इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध पाश्चात्य शिक्षा-दार्शनिक जी० एच० थॉमसन का मत है कि—**शिक्षा एक विशेष प्रकार का वातावरण है, जिसका प्रभाव बालक के चिन्तन, दृष्टिकोण तथा व्यवहार करने की आदतों पर स्थायी रूप से परिवर्तन के लिए डाला जाता है।**

'**एकोऽहं बहु स्यामीति**' इस श्रुति वाक्य के अनुसार ब्रह्माण्डात्मक विश्व-प्रपञ्च का आविर्भाव सत्ता-स्फुरण द्वारा आत्म-शक्ति की इयत्ता तथा ईदृक्ता के अनुभव-विनोद से हुआ है। चित् अर्थात् ज्ञान-शक्ति ही एक मात्र सत्ता का प्रमाण है। अतः अनन्त सत् और असंख्य चित् से संवलित परिपूर्णानन्द में निमग्न परब्रह्मस्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार ही वेद-शिरः स्थानीय उपनिषदों का सार है। अनेक शिक्षा-दार्शनिकों ने उस चिदात्मस्वरूप चित्-शक्ति की अनुभूति का साधन इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति रूप अन्तर्दृष्टि को माना है। इस चित्-शक्ति के अनुभव में पूर्वानुभव के परिणामस्वरूप उत्तरवर्ती इच्छा, ज्ञान और क्रिया में परिवर्तन, संशोधन, परिवर्धन अथवा संकोच की प्रवृत्ति का नाम ही शिक्षा है। यह शिक्षा आत्म-प्रेरित अथवा गुरु-प्रेरित होती है। गुरु-प्रेरित शिक्षा नियमित, क्रमबद्ध तथा सोद्देश्य होने के कारण सामान्यतः शिक्षा-पद्धति के नाम से व्यवहार में लायी जाती है। सम्भवतः सुनियोजित और सोद्देश्य शिक्षा की इस प्रक्रिया के अनन्तर मानवीय व्यक्तित्व के एकपक्षीय बौद्धिक विकास के फलस्वरूप शिक्षा-मर्मज्ञों ने इसे शिक्षा के संकुचित क्षेत्र की श्रेणी में रखा है।

उपर्युक्त वेदोक्ति की सार्थकता को प्रमाणित करते हुए पाश्चात्य दार्शनिक जे० एस० मैकंजी ने शिक्षा के सीमित स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा है कि—**संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय हमारी शक्तियों के विकास और उन्नति के लिए चेतना पूर्वक किये गये किसी भी प्रयास से हो सकता है।** शिक्षा के इस अर्थ में शिक्षक की प्रधान भूमिका है, जबकि शिक्षार्थी की गौण, या यों कहा जा सकता है कि शिक्षण-प्रक्रिया में शिक्षक की अहम् भूमिका है, जिसके अन्तर्गत वह अपनी इच्छानुसार अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से तथा ज्ञान के विभिन्न अङ्गों के प्रभाव से अध्ययनार्थी के व्यवहार में परिवर्तन तथा आचरण में परिशोधन करता हुआ बौद्धिक-स्तर में परिवर्धन करता है।

अर्थात् संकुचित रूप में शिक्षा एक सोद्देश्य प्रक्रिया है, जिसे हम '**शिक्षा**' न कहकर अध्यापन "*Teaching*" या निर्देश "*Construction*" के नाम से सम्बोधित कर सकते हैं। सम्भवतः इसी आधार पर अमरीका के प्रसिद्ध शिक्षा-दार्शनिक हेंडरसन ने शिक्षा के तीन—'प्रशिक्षण, निर्देश और प्रेरणा' आवश्यक अङ्गों पर अत्यधिक बल दिया है, जिसके माध्यम से बालक के व्यवहार में परिवर्तन और परिशोधन के लिए विशेष वातावरण तैयार किया जाता है, जिसकी रूप रेखा विद्यालय-प्रांगण में निश्चित की जाती है। क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में विद्यालय ही एक मात्र ऐसा साधन है, जहाँ शिक्षार्थी सोद्देश्य व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए प्रवेश पाता है।

संस्कृत-वाङ्मय के उद्भट विद्वानों ने गुरु-सान्निध्य और पुस्तकीय ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हुए संकुचित अर्थ के स्वरूप को स्पष्ट किया है कि—**जिसने पुस्तकीय ज्ञान अथवा गुरु के समक्ष बैठकर विद्या-अभ्यास नहीं किया है, वह ठीक उसी प्रकार है जैसे नीर-क्षीर विवेकी हंसों के मध्य में बगुला।**[1] इस काव्योक्ति से भी यही भाषित होता है कि '**साक्षरता**' ही मानव में समानुकूलन की भावना को विकसित करती है। अर्थात् मानव को इस योग्य बनाती है कि वह अपने सुख-दुःख को दूसरों पर अभिव्यक्त कर सके तथा दूसरे के सुख-दुःख को समझने के योग्य बना सके। किन्तु जहाँ तक शिक्षा के वास्तविक अर्थ और स्वरूप का प्रश्न है, वहाँ 'साक्षरता अथवा पुस्तकीय ज्ञान' मानव-व्यक्तित्व विकास का एकपक्षीय उद्देश्य है अर्थात् साक्षरता अभियान द्वारा मानव के बौद्धिक पक्ष का तो विकास किया जा सकता है किन्तु उसके अन्य अनेक पक्षों, यथा—शारीरिक, आध्यात्मिक प्रशिक्षण और सामाजिक गुणों की अभिवृद्धि का विकास नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि 'संकुचित शिक्षा' द्वारा मानव का सर्वाङ्गीण विकास सम्भव नहीं है। इस प्रक्रिया द्वारा अध्ययनार्थी तोते के समान विषयों को कण्ठस्थ तो कर सकता है, किन्तु उसे उसका व्यावहारिक ज्ञान न होने के कारण आवश्यकता पड़ने पर जीवन की विषम परिस्थितियों में उस ज्ञान के आधार पर मार्ग में उत्पन्न अनेकानेक बाधाओं के निराकरण में वह असमर्थ होता है। यों भी कहा जा सकता है कि अनुभव-जन्य और

---

१. पुस्तकेषु च नाऽधीतं नाऽधीतं गुरुसन्निधौ।
न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये बको यथा॥
सुभाषित रत्नभण्डागार-३६/१५।

व्यावहारिक ज्ञान, जो पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित नहीं होता के अभाव में केवल सैद्धान्तिक पक्ष को लेकर अपने भावी जीवन के निर्माण में दिशा-विहीन नाविक के समान गन्तव्य स्थल के मार्ग का बोध न होने के कारण चारों ओर भटकता ही रहता है अर्थात् यों कहा जा सकता है कि सैद्धान्तिक रूप से दिशा-सूचक यन्त्र के विषय में विस्तृत जानकारी होने पर भी विधिवत् उसके प्रयोग के विषय में न जानने के कारण आवश्यकता पड़ने पर भी वह उसके प्रयोग में सफल नहीं हो पाता है। यही स्थिति अर्थ-ज्ञान के अभाव में पाठ्य-वस्तु को तोते के सदृश रटने वाले की भी होती है।

संक्षिप्त में कहा जा सकता है कि शिक्षा के संकुचित क्षेत्र द्वारा बालक के बौद्धिक पक्ष का विकास तो किया जा सकता है, किन्तु उसके अन्य शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पक्षों के विकास के बिना स्वतः आत्मानुशासन के भावों को विकसित नहीं किया जा सकता, जो कि बौद्धिक उपलब्धि के लिए आवश्यक है। अतः संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा बालक की स्वतन्त्रता का गला घोंटते हुए उसके स्वाभाविक विकास में एक चुनौती का कार्य करती है। जैसाकि आचार्य विष्णु शर्मा की स्पष्टोक्ति है कि—अध्ययन-अध्यापन एक बात है तथा प्रशिक्षण या शिक्षा ग्रहण करना दूसरी बात है, क्योंकि व्यवहार में भी देखा जाता है कि—**शास्त्रों के अध्ययन के बाद भी लोग मूर्ख ही रह जाते हैं, अतः वही व्यक्ति विद्वान् है जो क्रियावान् अर्थात् शास्त्र निर्दिष्ट उपदेशों के अनुरूप चेष्टायें (व्यवहार) करता है। कहा भी गया है कि—भली-भाँति सोच समझकर निर्माण की गई औषधि भी नामके उच्चारण मात्र से रोगी को रोग मुक्त नहीं करती है, उसके लिए उसे उस औषधि का सेवन करना ही पड़ता है।**[1] इसी प्रकार अनेक विषयों का अध्ययन-अध्यापन करना और उनका अर्थ-ज्ञान के अभाव में कण्ठस्थीकरण करना ही शिक्षार्थी का परमोद्देश्य नहीं है, अपितु उसके लिए प्राप्त ज्ञान का व्यावहारिक प्रयोग करने की क्षमता का होना भी अनिवार्य है। इसी व्यवहार ज्ञान को शिक्षा-मनोवैज्ञानिकों ने **'शिक्षा'** शब्द से अभिहित किया है। उनके कथनानुसार शिक्षा का परिमार्जन अर्जित ज्ञान के व्यवहार मात्र तक परिमित

---

१. शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खा
यस्तु क्रियावान् पुरुषः स विद्वान्।
सुचिन्तितं चौषधमातुराणां
न नाममात्रेण करोत्यरोगम्॥'

हितोपदेश—१/१७१।

नहीं है, अपितु इसके अन्तर्गत हमारे सम्पूर्ण व्यक्तिगत, पारिवारिक, नागरिक, राष्ट्रीय, मानवीय और आध्यात्मिक सम्बन्धों को अभिव्यक्त करने वाली चेष्टाएं भी सम्मिलित हैं, जिन्हें हम शिक्षा के व्यापक अर्थ में समाहित कर सकते हैं।

शिक्षा का व्यापक अर्थ—विस्तृत अर्थ में व्यक्ति को सभ्य और उन्नत करना ही शिक्षा है। शिक्षा की यह प्रक्रिया यावज्जीवन चलती रहती है, जैसाकि एक विचारक ने स्पष्ट शब्दों में कहा है—**विप्र आजीवन विद्यार्थी रहता है, या यों कहा जा सकता है कि विप्र जीवन-पर्यन्त शिक्षा ग्रहण के लिए उन्मुक्त और उन्मुख रहता है।**[1] अर्थात् मानव का सम्पूर्ण जीवन शिक्षा के लिए और शिक्षा सम्पूर्ण जीवन के लिए है। जैसाकि पाश्चात्य विद्वान् **डमविल** का कथन है—**जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त व्यक्ति को प्रभावित करने वाले सभी तत्त्व शिक्षा के व्यापक स्वरूप के अन्तर्गत आ जाते हैं।** इससे भी यही प्रकट होता है कि स्वयं के अनुभव द्वारा अथवा आस-पास के वातावरण से प्रभावित हो बालक क्षण-प्रतिक्षण नवीन ज्ञान को प्राप्त करता रहता है। इससे यह द्योतित होता है कि जिज्ञासु (अध्ययनार्थी) की जिज्ञासा जीवन के अन्तिम क्षण तक भी शान्त नहीं होती है। अर्थात् वह प्रतिक्षण कुछ न कुछ जानने के लिए सदैव जिज्ञासु बना ही रहता है। कारण—एक चिकित्सक को जितने ज्ञान की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति सीमित संसाधन होने के कारण विश्वविद्यालय द्वारा नहीं हो पाती, क्योंकि चिकित्सक की चिकित्सा विस्तृत अनुभव और पर्याप्त संसाधनों पर आधारित होती है। अतः कुशल चिकित्सक बनने के लिए आवश्यक है कि वह अधिक से अधिक व्यक्तियों की चिकित्सा करे तथा नवीनतम आविष्कारों की पूर्ण जानकारी प्राप्त करता हुआ अपेक्षित संसाधनों को प्राप्त करने का प्रयास करे तथा उनमें कुशलता अर्जित करे। यह बात केवल चिकित्सकों पर ही नहीं, अपितु अध्यापक, वकील, चित्रकार और लेखक आदि व्यक्तियों पर भी लागू होती है। जैसाकि कहा भी है—

करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान।
रस्सी आवत जात तें, सिल पर पड़त निशान॥

कवि के इस कथन का भी यही निष्कर्ष निकलता है कि व्यक्ति को यदि अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त करनी है, तो उसे अपने लक्ष्य सिद्धि के लि

१. 'यावज्जीवमधीते विप्रः'।

निरन्तर प्रयत्नशील रहना चाहिए। यही सुझाव अध्ययनार्थी के लिए भी महर्षियों ने दिया है। उनके मतानुसार प्रयत्नशीलता ही मानव के अभ्युदय और निःश्रेयस् का मूल कारण है, जिसकी परिणति अनुभव-जन्य ज्ञान के रूप में परिलक्षित होती है। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि जीवन में सतत अभ्यास की प्रक्रिया शिक्षा पर आधारित है, या यों कहा जा सकता है कि जीवन का प्रत्येक अनुभव शिक्षा प्रदान करता है। यदि नवजात शिशु के जीवन को ही लिया जाय तो ज्ञात होता है कि उसका प्रारम्भिक जीवन पूर्णतः अपने माता-पिता, भाई-बहन तथा परिवार के अन्य सदस्यों की सहानुभूति पर आश्रित रहता है, यहाँ तक कि उसे अपनी संकुचित आवश्यकताओं को अभिव्यक्त करने के लिए न तो कोई सांकेतिक भाषा ही है, जिसके माध्यम से वह अपने जीवनयापन सम्बन्धित वस्तुओं की मांग कर सके और न ही उसमें अपने स्वयं के पैरों पर खड़े होने का साहस ही है अर्थात् वह पूर्णतः अपने आश्रित-जनों पर आश्रित है। किन्तु जैसे-जैसे वह बड़ा होता है, उसमें आत्म-बल और जिज्ञासा के भाव उत्पन्न होने लगते हैं। परिणामतः वह सम्बन्धित परिप्रेक्ष्य और उसमें रहने वाले व्यक्तियों के विषय में जानने का प्रयत्न करता है। इतना ही नहीं, उनकी विभिन्न चेष्टाओं से प्रभावित होकर तदनुरूप अपने आपको ढालने का प्रयत्न भी करता है। यही प्रयत्न उसे शिष्टाचार और नागरिकता के साधारण नियमों में प्रशिक्षित करते हैं। अतः मानव-शिशु अपने जीवन की प्रत्येक घटना से, चाहे वह घटना अच्छी हो अथवा खराब, कुछ न कुछ ज्ञान अवश्य प्राप्त करता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया अनुभव जन्य ज्ञान पर आधारित होने से जीवन में स्थायित्व लाती है, जिसे शिक्षा के व्यापकार्थ के रूप में ग्रहण किया जा सकता है।

वास्तविकता भी यही है कि अनुभव विहीन ज्ञान के बिना जीवन में स्थायित्व नहीं आ सकता और स्थायित्व के अभाव में मानव-व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कैसे सम्भव है। इसीलिए महर्षियों ने शिक्षार्थ के व्यापक स्वरूप को ग्रहण कर व्यावहारिक पक्ष को विकसित करने का सुझाव दिया है तथा औपचारिक साधन के साथ-साथ अनौपचारिक साधनों को भी अनिवार्य रूप से अपनाने का निर्देश दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ बौद्धिक विकास के लिए एक ओर औपचारिक साधन के रूप में क्रमबद्ध पाठ्यक्रम को अपनाने की आवश्यकता है वहीं शैक्षणिक-भ्रमण, सांस्कृतिक आयोजनों और विद्यालय प्रांगण में खेल के मैदान की ओर भी विशेष ध्यान दिया

जाना चाहिए, जिसके कारण अध्ययनार्थी में स्नेह, सहानुभूति और उदारता आदि गुणों का स्वतः और स्वाभाविक रूप में विकास हो सके। जैसा कि **टी० रेमाँण्ट** का कथन भी है—**शिक्षा विकास का वह क्रम है, जिससे व्यक्ति अपने को धीरे-धीरे विभिन्न प्रकार के भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। जीवन ही वास्तव में शिक्षित करता है। व्यक्ति अपने व्यवसाय, पारिवारिक जीवन, मित्र-मण्डली, विवाह-उत्सव, पितृत्व, मनोरंजन और यात्रा आदि के द्वारा शिक्षित किया जाता है।** इससे भी यही पुष्ट होता है कि शिक्षार्थ के व्यापक स्वरूप द्वारा ही अध्ययनार्थी न केवल सामाजिक और नागरिक प्रशिक्षण प्राप्त करता है अपितु सत्य, सदाचार और आपसी सहयोग आदि अनेक गुणों को भी प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में प्राणी-मात्र को जीवन का वास्तविक प्रशिक्षण सामाजिक पृष्ठ भूमि से ही प्राप्त होता है, परिणामतः वह आत्म-निर्भरता को प्राप्त होता हुआ अपने समीपस्थ लोगों के हित-संरक्षण में दृढ़-संकल्प लेकर आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों को जुटाने का प्रयास करता है।

पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक रेमांण्ट का यह कथन ठीक ही प्रतीत होता है, क्योंकि बालक अपने पारिवारिक परिप्रेक्ष्य में रहते हुए ही सहयोग, प्रेम सहानुभूति, आदर-सत्कार आदि समाजोचित व्यवहार का प्रशिक्षण प्राप्त करता है, जो उसे उस अनुपात में अन्यत्र उपलब्ध नहीं हो सकता। उदाहरणार्थ—माता से त्याग व सहानुभूति के भाव और पैतृक-व्यवसाय से पिता के गुणों को ग्रहण करता हुआ बालक आत्म-निर्भरता को प्राप्त करता है तथा भाई-बहन द्वारा आपसी सहयोग के भावों को ग्रहण करता हुआ विस्तृत समाज को बनाने में अपनी अहम् भूमिका निभाता है। इसी प्रकार विभिन्न सांस्कृतिक आयोजनों और शैक्षणिक यात्राओं में भाग लेता हुआ उससे प्राप्त विभिन्न अनुभवों के आधार पर प्राप्त-ज्ञान में अभिवृद्धि को प्राप्त करता है। वातावरण से सामञ्जस्य की शिक्षा उसे पुस्तकीय ज्ञान से प्राप्त नहीं होती अपितु प्रकृति के प्राङ्गण में स्वतः अनुभव के आधार पर प्राप्त होती है, जिसमें स्थायित्व के भाव निहित होते हैं। प्रकृतिवाद के प्रबल प्रवर्तक **रूसो** का कथन है—**मानव का पहला विवेक ज्ञानेन्द्रियसिद्ध** है। दूसरे शब्दों में, आत्म-प्रशिक्षण ही वास्तविक शिक्षा है, जिससे अपना और अपने से सम्बन्धित समाज का हित सम्भव है। ऐसी शिक्षा किसी विशेष संगठन अथवा व्यक्ति, समय या स्थान अथवा देश और परिस्थिति तक ही सीमित नहीं रहती अपितु जिन व्यक्तियों के सम्पर्क से बालक जो कुछ भी सीखता है, वे सब उसके गुरू

हैं तथा जिस स्थान पर सीखने अथवा सिखाने का कार्य करता है, वह उसका विद्यालय है। इस प्रकार बालक का समस्त जीवन विद्यालय और शिक्षा का काल है। शिक्षा के इसी स्वरूप को स्पष्ट करते हुए प्रसिद्ध शिक्षा-दार्शनिक **लाँज** कहते हैं कि—**बच्चा अपने माता-पिता को और छात्र अपने शिक्षकों को शिक्षित करता है। प्रत्येक बात, जो हम कहते, सोचते या करते हैं, हमें किसी भी प्रकार दूसरे व्यक्तियों द्वारा कहीं, सोची या की गई बात से कम शिक्षित नहीं करती है। इसी व्यापक अर्थ में जीवन-शिक्षा है, शिक्षा-जीवन है।** प्रसिद्ध शिक्षा-मर्मज्ञ **पेस्टालाँजी** का कथन भी है कि—**शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, सामञ्जस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है।**

प्रसिद्ध पाश्चात्य दार्शनिक **मिल** ने शिक्षा के व्यापक-अर्थ को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा है कि—**शिक्षा केवल वही बातें अपने में नहीं लेती जो हम अपने लिए करते हैं, पर वह भी जो हम दूसरों के लिए करते हैं या कहिए कि व्यापक रूप से शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे हम अपने स्वभाव के पूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर सकें। यही नहीं इससे भी कहीं अधिक शिक्षा हम में उन सब प्रभावों का समावेश करती है जो हमारे चरित्र और हमारी शक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। न्याय विधान, सरकार की नीति, औद्योगिक कला. समाज में रहने के तौर-तरीके और यहाँ तक कि प्राकृतिक प्रभाव जैसे—जलवायु, जमीन और तत्कालीन रहने की जगह भी मानव के चरित्र-निर्माण में सहायक सिद्ध होती है तथा ये भी उस की शिक्षा के अंग हैं। मार्क हाँपकिन्स का विचार है कि—व्यापक अर्थ में, शिक्षा में वे सभी बातें आ जाती हैं, जो अपने प्रति निर्माणकारी प्रभाव डालती हैं।**

अत: व्यापक अर्थ में यह सम्पूर्ण विश्व ही शिक्षा का एक विस्तृत क्षेत्र है तथा मानव-शिशु, बालक, किशोर, युवक-युवती और प्रौढ़ व्यक्ति सभी शिक्षार्थी हैं। ये सब जीवन-पर्यन्त स्वयं के अनुभव अथवा अनुकरण द्वारा कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। यहां तक कि मानव केवल मानव से ही नहीं, अपितु पशु-पक्षियों से भी कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करता ही है यथा—प्रथम बार नन्द से पराजित होने पर चन्द्रगुप्त और चाणक्य ने एक वृद्धा से ज्ञान प्राप्त किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने वनवास काल के दौरान मकड़ी से शिक्षा ग्रहण की। इसी प्रकार एक छोटी से छोटी चींटी या मधुमक्खी भी हमें निरन्तर श्रम द्वारा सफलता प्राप्ति की शिक्षा देती है। खरगोश कछुए की प्रतियोगिता दौड़ भी हमें धैर्य और निरन्तर प्रयत्नशील

रहने की शिक्षा देती है। अतः हमको समाजोचित व्यवहार का प्रशिक्षण और आत्म-निर्भरता की शिक्षा, शिक्षण के व्यापक स्वरूप से ही प्राप्त होती है, जिसकी आधार-शिला अनुभवजन्य ज्ञान पर ही आधारित है। इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध शिक्षाविद् और दार्शनिक जे० एस० मेकेंजी का कथन है कि—**व्यापक अर्थ में 'शिक्षा' एक ऐसी प्रक्रिया है, जो आजीवन चलती रहती है और जीवन के प्रायः प्रत्येक अनुभव से उसके ज्ञानभण्डार में वृद्धि होती है।** प्रसिद्ध उक्ति भी है—**जिसके पास बुद्धि है, बल भी उसी के पास है।**[1] यहाँ बुद्धि से हमारा अभिप्राय सोच-समझ कर लिए गए निर्णय से है, जो व्यावहारिक तथा प्रायोगिक पक्ष होने के कारण शिक्षा के व्यापक अर्थ को प्रकट करता है। अतः व्यापक अर्थ में शिक्षा वह अनियन्त्रित वातावरण है जिसके अन्तर्गत बालक अपनी प्रकृति के अनुसार स्वतन्त्रतापूर्वक अनेकानेक अनुभव प्राप्त करते हुए विकासोन्मुख होता है। स्वतः विकास की इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए राष्ट्रपिता **महात्मा गाँधी** ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि—**शिक्षा का अर्थ मैं बालक अथवा मनुष्य में आत्मा, शरीर और बुद्धि के सर्वाङ्गीण विकास और सबसे अच्छे विकास से समझता हूँ।**

श्रीमद्भागवत् में महर्षि ने शिक्षा के व्यापक अर्थ को स्पष्ट करते हुए मानव कर्तव्यों के चित्रण काल में कहा है कि—**मानव पहले शरीर, सन्तान आदि में मन की अनासक्ति सीखे। फिर भगवान के भक्तों से प्रेम कैसे करना चाहिए यह सीखे। इसके पश्चात् प्राणियों के प्रति यथायोग्य दया, मैत्री और विनय को निष्कपट भाव से शिक्षा ग्रहण करे।**[2] तभी मानव के व्यक्तित्व का सर्वाङ्गीण विकास हो सकता है अन्यथा नहीं। किन्तु इस प्रकार की शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान अथवा सैद्धान्तिक प्रक्रिया द्वारा ही सम्भव नहीं है, अपितु इसके लिए व्यावहारिक पक्ष जो अनुकरण अथवा अनुभव-जन्य ज्ञान पर आधारित है, को अपनाना होगा, तभी उसमें मानवीय गुणों की अभिवृद्धि हो पायेगी।

---

१. 'बुद्धिर्यस्य बलं तस्य'।

हितोपदेश (सुहृद्भेद)—२।१३।

२. सर्वतो मनसोऽसङ्गमादौ सङ्गं च साधुषु।
दयां मैत्रीं प्रश्रयं च भूतेष्वद्धा यथोचितम्॥

—श्रीमद्भागवत्।

'शिक्षा' शब्द के उपर्युक्त विवेचन से ज्ञात होता है कि मानव जीवन का सम्पूर्ण विकास न तो मात्र पुस्तकीय ज्ञान द्वारा ही सम्भव है और न ही केवल अनुभवजन्य ज्ञान द्वारा। शिक्षा-मर्मज्ञों ने इस कथन की पुष्टि करते हुए विभिन्न तथ्यों के आधार पर शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ प्रस्तुत किया है।

शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ—

(i) **शिक्षा : केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं है**—इस कथन द्वारा शिक्षा के संकुचित अर्थ के खण्डन प्रसंग में शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि—बालक का सर्वाङ्गीण विकास औपचारिक शिक्षा द्वारा प्रदत्त नियन्त्रित वातावरण में सम्भव नहीं है, क्योंकि इस प्रक्रिया द्वारा सैद्धान्तिक रूप से बालक में व्यावसायिक कुशलता तो विकसित हो सकती है किन्तु अनुभव-विहीन ज्ञान के व्यावहारिक पक्ष के अभाव में उसे उस कार्य में निपुणता प्राप्त नहीं हो सकती। भारतीय मनीषियों ने शब्द-ज्ञान या ग्रन्थ-कण्ठस्थीकरण की प्रक्रिया को ही केवल 'शिक्षा' नहीं माना है, क्योंकि ऐसा अङ्गीकार करने पर शिक्षितों में शुक (पक्षी) की गणना करनी पड़ती। **तब ऐसी स्थिति में राम-कृष्ण आदि सीमित शब्दों के कण्ठस्थीकरण मात्र से शुक (तोता) भोजन कर सकता है तो विद्वज्जन कैसे बुभुक्षित रह सकते हैं।**[1] इससे यह अर्थ बोधित होता है कि शिक्षा केवल ग्रन्थीय ज्ञान मात्र नहीं है, अपितु बौद्धिक विकास अथवा सैद्धान्तिक पक्ष का सविस्तृत विवेचन करना है। भोजन-मात्र का सम्पादन करना तो केवल गौण प्रयोजन है। प्रत्येक कार्य के प्रधान-अप्रधान दो प्रयोजन होते हैं। जिसके बिना प्राणी जीवित नहीं रह सकता, यह प्राणी का स्वाभाविक अङ्ग है। किन्तु जो किसी दूसरे के द्वारा प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकते, उसी प्रयोजन के वास्ते मनीषीगण यत्न करते हैं। भोजन करना, वस्त्र धारण करना आदि मनुष्य का स्वाभाविक कार्य है, इसके बिना प्राणी जीवित नहीं रह सकता। किन्तु भोजन, वस्त्र आदि उस व्यक्ति का विशिष्ट रूप नहीं है, विशिष्टता तो उसी में है जो अन्य के द्वारा नहीं कहे गए तथा नहीं किये गये कार्यों का सम्पादन है। उपर्युक्त कथनानुसार शब्दों का अभ्यास मात्र पामर-अपामर इन दोनों से ग्राह्य है, इसमें कुछ

---

१. सद्विद्या यदि का चिन्ता वराकोदरपूरणे।
शुकोऽप्यशनमाप्नोति राम रामेति च ब्रुवन्॥

—शाङ्‍र्गधरपद्धति-४७३।

विशेषता नहीं है। वैशिष्ट्य तो उसी में है जो अविहित शब्दों को विश्लेषणात्मक व्याख्यान द्वारा जन-समाज में व्यवहारोपयोगी बनाता है। लोकोपयोगी बनाना ही शिक्षा का प्रधान प्रयोजन है। क्योंकि जब तक शिक्षा लोकोपयोगी नहीं बनती तब तक उसका अपना कोई रूप नहीं बनता। इस सम्बन्ध में विद्वानों की स्पष्टोक्ति है कि प्रधान के ग्रहण करने पर अप्रधान का स्वयमेव ग्रहण हो जाता है। शिक्षा के द्वारा मानव लोक-कल्याण में तत्पर रहता हुआ अपने को भी बाध्य तथा अन्तः क्षुधा इन दोनों से पूर्ण कर डालता है। इसलिए जन-समाज की क्षुधा को निवृत्त करने में सुतरां ही समर्थ होगी। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि शिक्षा का उद्देश्य अन्तर्ज्योति, (अन्तर्ज्ञान) और संस्कार प्रदान करना है। जिसके लिए शिक्षाविदों ने अधिगम की प्रणाली में औपचारिक-अनौपचारिक दोनों ही साधनों को समान रूप से अपनाने का सुझाव दिया है।

साहित्य-शिरोमणि महाकवि कालिदास ने मालाविकाग्निमित्र में शिक्षा को केवल जीविका का साधन मात्र मानने वाले लोगों की निन्दा करते हुए कहा है कि—**यस्यागम: केवल जीविकायै तं ज्ञानपण्यं वणिजं वदन्ति।**[1] अतः सर्वथा यह कहना अनुचित है कि केवल मात्र पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित अधिगम ही शिक्षा का पर्याय है। कहा भी गया है—**विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान होने पर भी यदि व्यक्ति में अन्तर्दृष्टि का विकास और आत्म-ज्योति की उपलब्धि नहीं हुई है तो वह व्यक्ति मूर्ख ही है क्योंकि क्रियावान् अर्थात् व्यावहारिक ज्ञान से युक्त व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में शिक्षित है।**[2] "शिक्षित अर्थात् पण्डित शब्द की व्याख्या करते समय कहा गया है कि जो व्यक्ति धर्म-अधर्म, पाप-पुण्य और कर्तव्य—अकर्तव्य कर्मों का विवेचन करता है, वही व्यक्ति वास्तव में पण्डित है। इससे भी यही ज्ञात होता है कि शिक्षार्थ केवल पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित नहीं है।

भारतीय शिक्षा की उपर्युक्त परिकल्पना प्रसिद्ध पाश्चात्य शिक्षा-मनोवैज्ञानिक **पेस्टालाजी** से मिलती-जुलती है जिसके अनुसार शिक्षा अन्तर्ज्योति और शक्ति का स्रोत है, जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक

---

१. मालविकाग्निमित्र—१।१७।

२. पाठकः पाठकश्चैव ये चान्ये शास्त्रपाठकाः।
सर्वे व्यसनिनो ज्ञेया यः क्रियावान्स पण्डितः॥

महाभारत-३।३१३,३१०।

लेगी ।[1] अतः प्रत्येक प्राणी को अपनी सहज प्रवृत्ति के अनुरूप आचरण करते हुए अपना श्रेयस्कर मार्ग खोजना चाहिए। मार्ग अन्वेषण की यह प्रक्रिया केवल मात्र शिक्षा द्वारा सम्पन्न हो सकती है। जैसाकि **एडिसन** का कथन है—**शिक्षा द्वारा मानव के अन्तःकरण में निहित उन सभी शक्तियों तथा गुणों का दिग्दर्शन होता है, जिनको शिक्षा की सहायता के बिना अन्दर से बाहर निकालना नितान्त असम्भव है**। दूसरे शब्दों में शिक्षा से हमारा अभिप्राय बालक के मस्तिष्क को बाहरी ज्ञान से ठूंस-ठूंसकर भरना नहीं है, अपितु इसके विपरीत उसके जन्मजात नैसर्गिक गुणों के अभिवृद्धचर्थ उचित वातावरण प्रस्तुत करना है। काव्योक्ति भी है—**नैसर्गिक गुणों और उपयुक्त वातावरण के अभाव में शास्त्र आपकी क्या सहायता कर सकता है? जैसे कि मलय गिरि पर रोपित वेणु उचित खाद्य और जल से सिंचित होने पर भी चन्दन नहीं बन सकता। क्योंकि उसमें चन्दन के नैसर्गिक गुणों का मूलतः अभाव है**।[2] ठीक इसी प्रकार अन्तर्निहित शक्ति के अभाव में हम किसी भी बालक को संगीतज्ञ अथवा डाक्टर या इन्जीनियर नहीं बना सकते हैं अथवा नैसर्गिकता के होने पर भी उचित वातावरण के अभाव में उसके स्वाभाविक गुणों का विकास नहीं हो सकता। अतः यह कहना सर्वथा अनुचित होगा कि केवल पुस्तकीय ज्ञान ही शिक्षा का पर्याय है। **विष्णु शर्मा** ने उपर्युक्त कथन की परिपुष्टि में कहा है कि—**यदि आप में नैसर्गिक प्रज्ञा नहीं है, तो शास्त्र आपकी क्या सहायता करेगा? यदि आप नेत्र-विहीन हैं, तो दर्पण आपको वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण नहीं करा सकता**।[3] कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा नैसर्गिक गुणों के अनुरूप उचित वातावरण तो प्रस्तुत कर सकती है किन्तु उसके मन-मस्तिष्क में बलपूर्वक ज्ञान की सरिता का प्रवाह नहीं कर [illegible]ी। अतः बाल-मनोविज्ञान के विशेषज्ञों का कथन है कि बालक के नैस-[illegible]ों का अध्ययन करते हुए शिक्षा द्वारा उसे उचित वातावरण प्रस्तुत

[illegible] व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति।

श्रीमद्भगवद्गीता-३।३३।

अन्तः सारविहीनस्य सहायः किं करिष्यति।
मलयेपि स्थितो वेणुर्वेणुरेव न चन्दनः॥

सुभाषितरत्नभाण्डागार-३६।७।

३. यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रोक्तं किं करिष्यति।
लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति॥

हितोपदेश-३।११६।

किया जाना चाहिए, जिससे वह अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुरूप अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके।

प्रकृतिवाद के प्रबल समर्थक **रूसो** का शैक्षिक-पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में विचार है कि—**बालक को शिक्षक और समाज के अनुरूप शिक्षित नहीं करना चाहिए, अपितु उसकी आवश्यकता और स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुरूप शिक्षक को पथ-प्रदर्शक का कार्य करना चाहिए। परिणामतः सामाजिक आवश्यकताओं की स्वतः पूर्ति हो जायेगी।** अतः अध्यापक को चाहिए कि वह शिक्षण-विधि तथा पाठ्य विषय वस्तु की अपेक्षा बालक को अधिक महत्त्वपूर्ण समझते हुए उसकी प्रवृत्ति और प्रकृति के अनुरूप शिक्षित करे, तभी उसका बहुमुखी विकास हो सकता है। क्योंकि— **मनुष्य की गति में नियम-बद्धता, बाह्याडम्बर, उपदेश और दण्ड का प्रयोग करके जब उसे प्रकृति से दूर रखा जाता है, तभी उसके स्वाभाविक पवित्र मन में विकार उत्पन्न होने लगता है तथा उसकी सरलता और स्वाभाविकता नष्ट होने लगती है।** अतः स्वाभाविक गुणानुरूप बालक के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए विद्यालय-प्रांगण में शिक्षा द्वारा ऐसा वातावरण बनाना होगा, जिसके फल-स्वरूप उसके बौद्धिक विकास के साथ-साथ शारीरिक और आध्यात्मिक विकास भी सम्भव हो सके। सम्भवतः इसी उद्देश्य से अर्वाचीन शिक्षाविदों ने अधिगम के क्षेत्र में शिक्षा के औपचारिक और अनौपचारिक साधनों की अनिवार्यता पर बल दिया है।

(iii) **शिक्षाः अविरल प्रक्रिया—"चरैवेति चरैवेति..."** इस उपनिषद् वाक्य द्वारा आचार्य ने शिक्षणाभ्यासी नचिकेता को आत्मबोध के लिए निरन्तर गतिशील रहने का उपदेश दिया है। इससे यह प्रकट होता है कि शिक्षण एक अविरल प्रक्रिया है, जो जीवन-पर्यन्त चलती रहती है। किन्तु शिक्षा-सामान्य व्यवहार में हम शिक्षा के संकुचित क्षेत्र से इतने प्रभावित हैं कि अर्थ का मूल्यांकन अर्थात् "उसने अपनी शिक्षा समाप्त कर ली है अथवा उसने अपनी शिक्षा प्रारम्भ कर दी है" इन शब्दों द्वारा करते हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि सोद्देश्य पूर्वक क्रमबद्ध पाठ्यक्रम पर आधारित विद्यालयीय ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, न कि परिस्थितियों वश ग्राह्य अनुभवजन्य ज्ञान, जो कि बालक में निहित मूल-प्रवृत्तियों से सम्बन्धित है। किन्तु अनुभवजन्य ज्ञान के बिना मानव का समुचित विकास सम्भव नहीं है। अतः शिक्षा-मनोवैज्ञानिकों

ने अनुभवजन्य ज्ञान से संवलित शिक्षा की सोद्देश्य प्रक्रिया को वास्तविक शिक्षा बताते हुए उसे अविरल प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है, जिसके अन्तर्गत मानव-शिशु गर्भस्थ अवस्था से मृत्युपर्यन्त कुछ न कुछ सीखता ही है। महाभारत में वर्णित अभिमन्यु के चरित्र को ही लीजिए, जिसने चक्रव्यूह रचना की शिक्षा अपनी माता सुभद्रा के गर्भकाल में ही ग्रहण कर ली थी तथा माता के निद्रास्थ हो जाने के कारण व्यूह-भेदन की शेष कला का ज्ञान वह प्राप्त नहीं कर पाया था। इस प्रकार यदि हम देखें तो प्रतिवर्ष, प्रतिमास, प्रतिदिन और यहाँ तक कि क्षण-प्रतिक्षण मानव कुछ न कुछ सीखता ही रहता है।

भारतीय आध्यात्मिक दर्शन द्वारा प्रतिपादित पुनर्जन्म के सिद्धान्त की प्रक्रिया भी यही सिद्ध करती है कि शिक्षा-प्रक्रिया जन्म-जन्मान्तर तक अविरल चलती रहती है, जिसकी परिपुष्टि अन्तर्निहित भावों के प्रकटन से होती है। जहाँ शिक्षार्थ को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि—शिक्षक, शिक्षारूपी साधन के माध्यम से उसके मन-मस्तिष्क में बाहर से कुछ नहीं ठूंसता अपितु उसमें निहित नैसर्गिकता को बाहर की ओर निकालता है। श्रीमद्भगवद्गीता में कर्म-फल के सिद्धान्त को प्रतिपादित करते हुए श्रीकृष्ण ने धनञ्जय से कहा है कि मानव को उसके पूर्वजन्म का अभ्यास ही उन कर्मों में खीच लेता है। जैसा कि कहा गया है—**मनुष्य सदा जिन भावों से भावित होता है, वे भाव ही मरणकाल में गोचर हो जाते हैं और उन्हीं के अनुसार उसका जन्म होता है तथा उसके साथ ही कर्म-संस्कार उत्पन्न होते हैं।** दूसरे शब्दों में, पूर्वजन्मार्जित संस्कार ही मानव की प्रकृति (स्वभाव) होती है, जिसे शिक्षारूपी साधन के द्वारा परिशोधन और परिवर्धन कर देश, काल और परिस्थितियों के अनुरूप परिमार्जित किया जाता है। जिसके फलस्वरूप मानव में समाजोचित व्यक्तित्व की परिणति परिलक्षित होती है।

इन्हीं कारणों से पाश्चात्य एवं भारतीय शिक्षा-दार्शनिकों ने शिक्षा को अविरल प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है। प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री **टी-रेमाण्ट** ने स्पष्ट शब्दों में कहा है—**शिक्षा-जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है।** वह धीरे-धीरे विभिन्न प्रकार **से अपने भौतिक, सामाजिक और**

---

१. यं यं वापि स्मरन्भावन्त्यजत्यन्ते कलेवरम्।
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः॥

श्रीमद्भगवद्गीता—८।६

आध्यात्मिक वातावरण के अनुरूप स्वयं को ढाल लेती है । जीवन ही वास्तव में शिक्षा देता है । एक व्यक्ति अपने व्यवसाय, पारिवारिक जीवन, मित्र, मनोरञ्जन-यात्रा के माध्यम से शिक्षित किया जाता है । संक्षिप्त में कहा जा सकता है—शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, जो बालक को सदैव देश, काल और परिस्थितियों के अनुरूप प्रगति की ओर अग्रसर करती है ।

(iv) **शिक्षा : द्विमुखी प्रक्रिया—ॐ मम व्रते ते हृदयं दधामि मम चित्त-मनुचित्तं तेऽस्तु**[1] इत्यादि श्रुति-वाक्यों द्वारा गुरु शिक्षार्थी को आत्मानुरागी होने का आदेश देता है, साथ ही साथ जिन्होंने गुरु-सान्निध्य में रहकर वेदाध्ययन का लाभ प्राप्त नहीं किया है, उन बालकों को गुरु वचनों को सुनने का उपदेश देता है । इससे यह ध्वनित होता है कि शिक्षा से हमारा अभिप्राय यह नहीं है कि शिक्षक स्वयं सक्रिय होकर बालक के मस्तिष्क में अपार ज्ञान का भण्डार भर दे और शिक्षार्थी स्वयं निष्क्रिय हो कूप-मण्डूक की तरह बैठा रहे । निष्कर्षतः यह प्रतीत होता है कि शिक्षण-प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही समान रूप से सक्रिय रहते हैं । उसका मुख्य कारण यह है कि गुरु-सान्निध्य में शङ्का-समाधान होता रहता है और बिना शङ्का-समाधान के अध्ययनार्थी की ज्ञान-पिपासा शान्त नहीं हो सकती अर्थात् वह ज्ञान के वास्तविक स्वरूप को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता है । इसके साथ-साथ गुरु अपने आचरण से भी शिक्षार्थी को ज्ञान का प्रसाद प्रत्यक्ष और परोक्षरूप से देता रहता है । इसीलिए कहा भी गया है—"**शिष्यप्रज्ञैव बोधस्य कारणं गुरुवाक्यतः ।**"

उपर्युक्त कथनानुसार प्रसिद्ध पाश्चात्य शिक्षा-मनोवैज्ञानिक **एडम्स** ने अपनी पुस्तक *"Evolution of Educational theory"* में शिक्षा को एक द्विमुखी प्रक्रिया मानते हुए, उसका इस प्रकार विश्लेषण किया है—

(i) शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, जिसमें एक व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरे के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, जिससे कि उसके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन हो जाय ।[2]

---

१. पारस्करगृह्यसूत्र—१/८/८

2. It (Education) is a bipolar process in which one personality acts upon another in order to modify the development of the other.

(ii) यह प्रक्रिया केवल सचेतन ही नहीं है, अपितु सोद्देश्य अथवा विचार पूर्ण भी है। इस में शिक्षक का एक स्पष्ट प्रयोजन होता है और वह उसी के अनुरूप बालक के व्यवहार में परिवर्तन करता है।[1]

(iii) वे साधन जिनके द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, यथा—(क) शिक्षक के व्यक्तित्व का बालक के व्यक्तित्व पर प्रभाव तथा (ख) ज्ञान के विभिन्न अङ्गों का प्रयोग।[2]

एडम्स के उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि "**शिक्षक और शिक्षार्थी** शिक्षण-प्रक्रिया की दो धुरियां हैं, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में समान महत्त्व है। दूसरे शब्दों में, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक की पृथकता से दूसरे का अस्तित्व ही क्षीण हो जाता है। अतः दोनों अन्योन्याश्रित हैं अर्थात् दोनों की ही क्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, यथा—यदि शिक्षक सिखाता है तो शिक्षार्थी सीखता है; शिक्षक निर्देश देता है तो शिक्षार्थी उसका अनुपालन करता है। इस प्रकार अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक-शिक्षार्थी में परस्पर आदान-प्रदान होता रहता है। जिस के माध्यम से शिक्षक अपने व्यक्तित्व तथा ज्ञान के विभिन्न अङ्गों के प्रभाव द्वारा बालक के व्यक्तित्व को अपनी ओर आकृष्ट करते हुए उसके व्यवहार में परिवर्तन और सुधार लाता है, तथा उसे इस योग्य बनाता है कि वह अपना तथा समाज का (जिसका कि वह अङ्ग है), विकास कर सके। प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री **राँस** ने भी शिक्षा को द्वि-मुखी प्रक्रिया माना है। उनका विचार है कि चुम्बक के समान शिक्षा के भी दो ध्रुव हैं, जिसके एक ओर शिक्षक और दूसरी ओर शिक्षार्थी बैठा है। अतः शिक्षा एक द्वि-मुखी प्रक्रिया है।

(v) **शिक्षा : त्रि-मुखी प्रक्रिया**—प्रसिद्ध शिक्षा-मनोवैज्ञानिक एडम्स ने शिक्षा को द्वि-मुखी प्रक्रिया बताया है। जिसका आधार शिक्षा मनोविज्ञान

---

1. The process in not only a Conscious one but a deliberate one. The Educator has clearly realized the intention of modifying the development of the Education.
2. The means by which the development of the educand is to be modified are two folds (a) The direct application of the Educatore's personality to the personality of the Educand and (b) The use of Knowledge in its Various forms.

—Adams

है। परन्तु शिक्षा का सामाजिक आधार आज अधिक महत्त्व पूर्ण होता जा रहा है। इसी बात को दृष्टि में रखते हुए प्रसिद्ध अमरीकी शिक्षा-दार्शनिक जाँन डीवी ने शिक्षा में एक तीसरे मुख को प्रतिपादित करते हुए शिक्षा को त्रि-मुखी प्रक्रिया बताया है तथा समस्त शिक्षण-प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पक्ष के रूप में विभक्त किया है। उनके मतानुसार यद्यपि यह बात निर्विवाद है कि बालक को शिक्षित करने के लिए उसकी मूल-प्रवृत्तियों का ज्ञान होना परमावश्यक है, जो एक मनोवैज्ञानिक पक्ष है, किन्तु हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि समाज के सहयोग के बिना उचित दिशा में बालक के मनोवैज्ञानिक पक्ष का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि सामाजिक पृष्ठभूमि ही उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए उचित मार्ग प्रशस्त करती है। इस दृष्टि से यह परमावश्यक है कि बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों के परिहार हेतु समाज को यह निश्चित करना होगा कि बालक को कौन-कौन से विषय किस शिक्षण-पद्धति द्वारा पढ़ाये जाएं, जिससे उसमें कार्य-कुशलता और समाज-स्वीकृत आचरण के अनुरूप क्षमता का विकास हो सके। किन्तु यह तभी सम्भव हो सकता है, जब सामाजिक आवश्यकता पर आधारित पाठ्यक्रम को अधिगम की प्रक्रिया के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया जाय। इस स्थिति में शिक्षा द्वि-मुखी प्रक्रिया न होकर त्रि-मुखी प्रक्रिया कहलायेगी, जिसके तीन महत्त्वपूर्ण अङ्ग हैं—(i) शिक्षक (ii) शिक्षार्थी और (iii) पाठ्यक्रम। यह पाठ्यक्रम सामाजिक परिस्थितियों पर आधारित होता है तथा इसके द्वारा शिक्षा में सामाजिक पृष्ठभूमि पर समायोजन की भावना को विकसित करने का प्रयास किया जाता है, जिससे वह अपने आपको सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप बनाते हुए समाज में उत्पन्न जटिलताओं के निवारणार्थ तैयार कर सके तथा विश्व में व्याप्त आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक प्रकोपों से जन-समुदाय को छुटकारा दिला सके। इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए हमारे पाश्चात्य और भारतीय मनीषियों ने शिक्षण प्रक्रिया के अन्तर्गत सामाजिक पृष्ठभूमि को पाठ्यक्रम में समाहित किया है। शिक्षा के प्रसंग में व्यक्ति के साथ साथ समाज का भी शिक्षाविदों ने जहाँ शिक्षार्थी के व्यक्तित्व विकास की ओर शिक्षक को पूर्ण ध्यान देने का निर्देश दिया है, वहीं उसे सामाजिक आवश्यकताओं की परिपूर्ति के लिए शिक्षार्थी को योग्यता प्रदान करने का सुझाव भी दिया है।

भारतीय शिक्षा-मर्मज्ञों ने भी उपर्युक्त शिक्षण-सामग्री की सार्थकता को पुष्ट करते हुए कहा है कि गुरु-सान्निध्य में शास्त्रीय अनुशीलन की प्रक्रिया द्वारा ही मानव-व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास हो सकता है। क्योंकि गुरु-सान्निध्य जहाँ एक ओर अध्ययनार्थी के व्यक्तित्व-विकास के लिए नैतिक आधारों पर आधारित संस्कृति का बोध कराता है, वहीं दूसरी ओर शास्त्रीय अनुशीलन की प्रवृत्ति को विकसित भी करता है। जिसके लिए अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षा के प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष साधनों को उचित स्थान दिया गया है। गुरु-सान्निध्य में शास्त्रीय चिन्तन की प्रवृत्ति को स्पष्ट करते हुए भारतीय मनीषी ने शिक्षण की त्रि-मुखी प्रक्रिया की ओर स्पष्ट संकेत किया है, यथा—

पुस्तकेषु च नाऽधीतं नाऽधीतं गुरुसन्निधौ।
न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये बको यथा॥[1]

उपर्युक्त काव्योक्ति से भी यही पता चलता है कि अधिगम की प्रक्रिया में 'शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम', ये तीन ही घटक हैं और ये तीनों अन्योन्याश्रित हैं अर्थात् शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम का सम्मिलित रूप ही अधिगम की प्रक्रिया में सहायक होता है। जिसका मूल उद्देश्य अध्ययनार्थी का आत्मिक विकास करते हुए उसे इस योग्य बनाना है, जिससे वह समाजोत्थान के कार्यों में अपनी अहं भूमिका निभा सके।

किन्तु विभिन्न शिक्षा-मर्मज्ञों ने देश, काल और परिस्थितियों के आधार पर 'शिक्षा-अर्थ' को एकांगी और अधूरा बना दिया है। जैसे—आदर्शवादी विचारधारा के प्रबल समर्थकों ने शिक्षा-प्रक्रिया को मानव के आध्यात्मिक विकास के रूप में स्वीकार करते हुए आत्मा और परमात्मा के साक्षात्कार को मोक्ष-प्राप्ति का साधन माना है। यथार्थवादी एवं प्रकृतिवादी दृष्टिकोण इसे भौतिक विकास के संसाधनों तक ही सीमित रखता है। यही नहीं, प्रयोजनवाद के प्रबल समर्थक और विचारक इसे सामाजिक विकास का साधन मानते हैं। इसके साथ ही साथ भारतीय संस्कृति का पोषक वैदिक-वाङ्मय इसे आध्यात्मिक चिन्तन द्वारा परब्रह्मतत्त्व की प्राप्ति में मोक्ष का साधन मानता है।

सामान्यतः लोक-व्यवहार में प्रयुक्त 'शिक्षा-अर्थ' को मानव के बौद्धिक विकास की पराकाष्ठा तक सीमित मानने से लिखने-पढ़ने और शिक्षा को एक

१. सुभाषितरत्नभाण्डागार—३९/१५

ही समकक्ष मानना नितान्त असंगत प्रतीत होता है, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि शिक्षित व्यक्ति अक्षर ज्ञान-विहीन व्यक्ति से योग्य ही हो, अपितु इसके विपरीत अशिक्षित व्यक्ति व्यावहारिक और सामाजिक गुणों में निपुण होने के कारण शिक्षित व्यक्ति से कहीं अधिक योग्य और समझदार होता है, जैसाकि कृषि-विज्ञान में स्नातक उपाधि से अलङ्कृत छात्र की अपेक्षा खेत में कार्यरत कृषक पुत्र, जिसने पैतृक व्यवसाय के रूप में कृषि को अपनाया है तथा पिता के साथ खेत में रहते हुए अनुकरणात्मक प्रवृत्ति द्वारा अथवा स्वतः अभ्यास की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त ज्ञान से खेती सम्बन्धित नियमों की जानकारी प्राप्त की हैं। इससे यही ज्ञात होता है कि साक्षरता को ही केवल शिक्षा की कसौटी मानने वालों का मत नितान्त भ्रामक है, क्योंकि लिखना-पढ़ना साक्षरता है और साक्षरता केवल शिक्षा का एक अङ्गमात्र है, जिससे मानव-व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास नहीं हो सकता है। जैसाकि विवेकहीन साक्षरता की निन्दा करते हुए भारतीय चिन्तक ने कहा है—**'सरस' (दया-ममता-करुणा आदि अन्तःकरण के उत्तर धर्मों से युक्त विवेकी मानव) विपरीत अवस्था में भी सरसत्व को नहीं छोड़ता, क्योंकि 'सरस' शब्द को यदि उलटा भी पढ़ा जाये तो 'सरस' ही पढ़ा जायेगा, किन्तु 'साक्षरा' शब्द का विपरीत उच्चारण करने पर 'राक्षसा' शब्द उच्चारित होता है।**[1] कहने का तात्पर्य यह है कि विवेक और अन्तःकरण के उच्चधर्मों से रहित साक्षरता राक्षस सदृश विनाशकारी होता है। अतः केवल साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। आचार्य **चतुर्भुजमिश्र** ने भी इसी प्रकार के भावों को अपने ग्रन्थ में स्थान दिया है।[2]

इसी आधार पर शिक्षा-मनोविज्ञान के प्रबल समर्थक, मर्मज्ञ एवं पाश्चात्य दार्शनिक भी 'शिक्षा के अर्थ' को न तो आध्यात्मिक प्रशिक्षण तक और न ही केवल बौद्धिक विकास की पराकाष्ठा तक सीमित रखना चाहते हैं तथा न ही उसे व्यक्तित्व-निर्माण और वातावरण के साथ समानुकूलन की भावना से बाँधना चाहते हैं, अपितु उसे एक ऐसे साधन के रूप में प्रयुक्त करना चाहते

---

१. सरसो विपरीतश्चेत्सरसत्वं न मुञ्चति।
साक्षरा विपरीताश्चेद्राक्षसा एव केवलम्॥

२. बहुभिर्न विरोद्धव्यं साक्षरैर्नकदाचन।
साक्षरा विपरीताश्चेद् राक्षसा एव केवलम्॥

रसकल्पद्रुम—२३२/६१

हैं, जिसका क्षेत्र-फल अत्यन्त विशाल हो तथा जिसके अन्तर्गत व्यक्ति, समाज, वातावरण और सामाजिक सम्पत्ति आदि सभी का समायोजन हो जाय। क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समाज विहीन व्यक्ति की कल्पना करना सर्वथा असङ्गत ही नहीं है, अपितु न्यायोचित भी नहीं है। अतः समाजानुकूल व्यवहार और जीवनोपयोगी साधनों के प्रशिक्षणार्थ उपर्युक्त तथ्यों को शिक्षा-पाठ्यक्रम में औपचारिक-अनौपचारिक शिक्षा साधनों के रूप में समान महत्त्व प्रदान किया गया है। जिसके फलस्वरूप हम एक ऐसे समाज की संरचना करना चाहते हैं, जिसमें सामाजिक चेतना, राष्ट्रोत्थान की भावना, अनेकता में एकता के दर्शन तथा रुचि-अभिरुचि और आवश्यकतानुरूप व्यक्तित्व का सामञ्जस्यपूर्ण विकास सम्भव हो सके। अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समस्त शिक्षाविद् यह स्वीकार करने लगे हैं कि शिक्षा के प्रति सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाने से ही व्यक्ति और समाज का बहुमुखी विकास किया जा सकता है, जिसके अनन्तर मानव के मानसिक विकास के साथ-साथ कल्पनाशक्ति और मनोभावों को स्वच्छता प्रदान की जा सकती है तथा जिज्ञासु मस्तिष्क, अन्तर्दृष्टि, चेतनाशील आत्मा और अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति को विकसित किया जा सकता है। तभी हम शिक्षा के वास्तविक अर्थ "मानव के सर्वाङ्गीण विकास" को प्राप्त कर सकते हैं।

भारतीय संस्कृति के पोषक वेद-वेदाङ्गों में शिक्षा को पवित्रतम साधन मानते हुए ज्ञान और शिक्षा की महिमा को वर्णित किया गया है। **'न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते'**[1] कहकर श्रीमद्भगवद्गीता में श्रीकृष्ण ने ज्ञान को पवित्रतम घोषित करते हुए उसे निःश्रेयस् प्राप्ति का मार्ग बताया है। जैसाकि—**"सा विद्या या विमुक्तये"** में निर्दिष्ट है। किन्तु वागुच्चारण की प्रक्रिया—निर्देशक शास्त्र को **'शिक्षा'** नाम देने के कारण तथा समस्त वाङ्मय को शास्त्र और साहित्य दो भागों में विभक्त करने के कारण तथा **'विद्या ददाति विनयम्'** इत्यादि में 'विद्या' शब्द का लोक-व्यवहारोपयोगी गुणों के रूप में उल्लेख देखकर ऐसा मानना पड़ेगा कि वे मुक्ति को विद्या का चरम उद्देश्य मानते थे, परन्तु लोकोपयोगी ज्ञान को भी वे विद्या या शिक्षा मानते थे।

अतः अमरकोष में मोक्ष विषयक बुद्धि को ज्ञान और शिल्पशास्त्र विषयक बुद्धि को विज्ञान कहा गया है। **"मोक्षे धीर्ज्ञानमन्यत्र विज्ञानं शिल्प-**

---

१. श्रीमद्भगवद्गीता—४/३८

शास्त्रयोः[1]" इस वाक्य में अमरसिंह ने आत्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की बुद्धियों का उल्लेख किया है। इन दोनों के अर्जन से ही जीवन का पूर्ण विकास सम्भव है। विज्ञान और ज्ञान दोनों के संयोग से सम्पन्न बुद्धि ही सद्बुद्धि है। इसी सद्बुद्धि के विकास से विहित आविष्कार मानव के लिए वरदान सिद्ध हो सकते हैं। आज का विज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान से रहित होने के कारण समस्त वैज्ञानिक उपलब्धियाँ विनाशकारी अधिक और जीवनोपयोगी कम होती जा रही हैं। अतः शिक्षा के क्षेत्र में आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक उपलब्धियों का सामञ्जस्य स्थापित करने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए।

अतः भारतीय मनीषियों का शिक्षा विषयक दृष्टिकोण एकाङ्गी न होकर बहु-उद्देश्यीय था, आध्यात्मिक होकर भी भौतिक उपेक्षापरक नहीं था। **'श्रद्धावांल्लभते ज्ञानम्'**[2] इस गीता वाक्य द्वारा श्रीकृष्ण ने श्रद्धाभाव के बिना ज्ञान का दोहन नहीं हो सकता, ऐसा कहकर उपर्युक्त कथन की सार्थकता को पुष्ट किया है। जिसके बीजमन्त्र में नैसर्गिक गुणानुसार मानव व्यक्तित्व के निर्माण का निर्देश दिया गया है।

परिणामतः यह कहा जा सकता है कि शिक्षामनुष्य के सम्यक् विकास के लिए उसके विभिन्न ज्ञान-तन्तुओं को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया है, जिससे मानव-मात्र में आत्मसात् करने, ग्रहण करने, रचनात्मक कार्य करने, दूसरों की सहायता करने और राष्ट्रीय महत्त्व के कार्यकमों को पूर्ण सहयोग देने की भावना का विकास हो सके। इसका मूल-उद्देश्य व्यक्ति को परिपक्वता प्रदान करते हुए उसे आत्म-निर्भरता प्रदान करना है। अतः शिक्षा केवल वह नहीं है, जो विद्यार्थियों को विद्यालय और महाविद्यालय के प्राङ्गण में दी जाती है अपितु व्यापक अर्थों में जीवन पर्यन्त चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है, जो विभिन्न वर्ग और श्रेणी के लोगों के आपसी विचार-विमर्श द्वारा चलती रहती है तथा उसका अजस्र गतिमान होना आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा हमारे चिन्तन को विवेक सम्मत बनाती है, जिससे हमें समाज को कुरीतियों और अन्याय से मुक्त करने की प्रेरणा मिलती है।

मूलतः सच्ची शिक्षा उस समय प्रारम्भ होती है जब मनुष्य समस्त बाह्य साधनों को छोड़कर अपनी अन्तर्यामी अनन्तता की ओर उन्मुख हो मौलिक-ज्ञान का एक स्वाभाविक स्रोत बनकर नवीन आविष्कार को जन्म देता है।

---

१. अमरकोष—१/५/६

२. श्रीमद्भगवद्गीता—४/३९

शिक्षा सम्बन्धी कुछ परिभाषाएँ—

शिक्षा से मेरा अभिप्राय है—व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा का विकास।

—महात्मा गाँधी[1]

शिक्षा का तात्पर्य है—मस्तिष्क को इस योग्य बनाना कि वह चिरन्तन सत्य को पहचान सके, उसके साथ एकरूप हो सके और उसे अभिव्यक्त कर सके।

—रविन्द्रनाथ ठाकुर[2]

शिक्षा वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा बालक की आन्तरिक शक्तियाँ बाहर प्रकट होती हैं।

—फ्रोबेल[3]

व्यक्ति की आन्तरिक शक्तियों का स्वाभाविक, सन्तुलित तथा गत्यात्मक विकास ही शिक्षा है।

—पेस्टालॉजी[4]

मैं पूर्ण और उदार शिक्षा उसको कहता हूँ, जो किसी व्यक्ति को इस योग्य बना देती है कि वह निजी एवं सार्वजनिक तथा शान्ति एवं युद्धकालीन कार्यों को दक्षता, सुन्दरता एवं न्यायोचित ढंग से कर सके।

—मिल्टन[5]

---

1. By Education, I mean an all round drawing out of the best in child and man-body, mind and spirit.

   —Mahatma Gandhi

2. Education means enabling the mind to find out the ultimate truth making truth its owen and giving expression to it.

   —Ravinder Nath Tagore.

3. Education is a process by which the child makes its internal external.

   —Froebel

4. Education is a natural, harmonious and progressive development of man's innate powers. —Pastalozzi

5. I call, there fore, complete and genesous education that which its a man to perform justly, skillfully and magnanimously all the offices, both private and public, of peace and war. —Milton

शिक्षा से मेरा अभिप्राय व्यक्ति के ऊपर वातावरण के उस प्रभाव से है जो उसके व्यवहार, विचार एवं अभिव्यक्ति की आदतों में स्थायी परिवर्तन उत्पन्न कर देता है ।

—टाम्सन[1]

शिक्षा सतत् अन्तःक्रिया है, जो व्यक्तियों के मध्य एवं व्यक्तियों तथा बाह्यजगत् के मध्य चलती रहती है ।

—यूलिच रॉबर्ट[2]

शिक्षा चेतन रूप में एक नियन्त्रित प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है तथा व्यक्ति भी समुदाय पर अपना प्रभाव डालता है ।

—ब्राउन[3]

शिक्षा का कार्य व्यक्ति का वातावरण से उस सीमा तक समायोजन स्थापित करना है, जिससे व्यक्ति और समाज दोनों को स्थायी सन्तोष प्राप्त हो सके ।

—बॉसिग[4]

शिक्षा प्रजाति की आध्यात्मिक सम्पत्ति के साथ व्यक्ति का क्रमिक समायोजन है ।

—बटलर[5]

---

1. By Education I mean the influene of environment upon the individual to produce a Parmanent Change in its habits of behavioury of thought and of attitude.

   —Thomson

2. It (Education) is the constant interaction among people and between people and the objective world.

   —Ulich Robert

3. Education is the consicously controlled process where by changes in behaviour are produced in the person and through the person with in the group. —Brown

4. The function of education is conceived to be the adjustment of man to his enviroment to the end that the most enduring satisfaction may acrue to the individual and to the society.

   —Bossing

5. Education is the gradual adjustment of the individual to the spiritual possessions of the race.

   —Butler

शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रशिक्षण से है जो बालकों के सद्गुण की मूल प्रवृत्ति के लिए उपयुक्त आदतों के निर्माण द्वारा प्रदान किया जाता है।

—प्लेटो[1]

शिक्षा व्यक्ति की उस समग्र पूर्णता का विकास है, जिसकी उसमें क्षमता है।

—काँन्ट[2]

शिक्षा-व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है, जिससे कि व्यक्ति अपनी क्षमतानुसार मानव जीवन को योगदान कर सके।

—टी॰ पर्सी नन[3]

शिक्षा विकास का वह क्रम है, जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न प्रकार से अपने भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण से शनैः शनैः अपना समायोजन स्थापित करता है।

—टी॰ रेमाँण्ट[4]

भारतीय एवं विदेशी प्रमुख मनीषी शिक्षाशास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत शिक्षा की इन परिभाषाओं के अनुसार शिक्षा के व्यापक उद्देश्यों का परिचय प्राप्त होता है तथा जीवन में शिक्षा के महत्त्व का विशद ज्ञान मिलता है। विश्व में विभिन्न सरकारों द्वारा समय समय पर शिक्षा के सम्बन्ध में विचार हेतु विभिन्न आयोगों की स्थापना की गई इन आयोगों ने भी शिक्षा के स्वरूप

---

1. I mean by education that training which is given by suitable habits to the first instincts of virtue in children.

   —Plato

2. Education is the development in the individuel of all the perfection of which he is capable.

   —Kant

3. Education is the development in the individuality so that he can make an original contribution to human life according to his best capacity.

   —T. Percy Nunn

4. Education is defined as a process of the development by which a human being adapts him-self gradually in verious way to his physical, social and spiritual enviroment.

   —T. Rayment

एवं उद्देश्यों की व्यापक विवेचना प्रस्तुत की है। यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका द्वारा वहीं सञ्चालित हायरसैकेण्डरी स्कूल्स के पाठ्यक्रम को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए गठित आयोग ने शिक्षा के उद्देश्यों का व्यापक विवेचन किया है। इस आयोग ने जीवन में शिक्षा का महत्त्व स्पष्ट करते हुए बताया है कि शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के ज्ञान, रुचियों, आदर्शों आदतों तथा शक्तियों का विकास करना है, जिसके द्वारा उसे अपना उचित स्थान प्राप्त हो सके तथा वह उस स्थान का सदुपयोग कर स्वयं तथा समाज को उच्च एवं पवित्र उद्देश्यों की ओर ले जाएं।"[१]

---

1. The purpose of education is to develop in each individual the knowledge, intrests, ideas, habits and powers where by he will find his place and use that place to shape both himself and society towards nobler ends.
   —Report of the commission on the Reaoganization of the Secondary Schools.—U.S.A.

—o—

३

शिक्षा के प्रमुख अङ्ग

शिक्षा के सूक्ष्मतर अर्थ से ज्ञात होता है कि शिक्षणाभ्यास की प्रक्रिया में शिक्षक, शिक्षार्थी के अन्तर निहित भावों को पाठ्यक्रम के माध्यम से सामाजिक पृष्ठ-भूमि के अनुरूप परिशोधित कर बाहर की ओर प्रकट करता है। प्रकटन की इस कला का नाम ही शिक्षा है। एडम्स ने शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम को महत्त्वपूर्ण अङ्ग के रूप में स्वीकार करते हुए शिक्षा के गत्यात्मक स्वरूप को स्पष्ट किया है। जिसके अन्तर्गत शिक्षक सामाजिक पृष्ठ-भूमि के रूप में पाठ्यक्रम को अपनाकर भावी सन्तति को इस योग्य बनाता है, जिससे वह सर्वतोमुखी प्रतिभा के रूप में प्रतिष्ठित होकर राष्ट्रोन्नयन में भागीदार बन सके। अतः शिक्षा के उद्देश्य और प्रतिफल की परिचर्चा से पूर्व शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम के विषय में विचार करना नितान्त अनिवार्य हो जाता है।

अध्यापक (Teacher)—

'**आचार्यवान्पुरुषो वेद**'[1] इस स्मृतिवाक्य के अनुसार समस्त वैदिक-वाङ्मय में इष्टप्राप्ति-अनिष्ट परिहार के मार्ग प्रशस्तीकरण का एकमात्र साधन गुरु ही है, जो अपनी ग्रह-प्रतिग्रह, विग्रह-परिग्रह और अनुग्रह नामक शक्तियों के द्वारा सान्निध्य प्राप्त शिष्य के अन्तःकरण का ज्ञानाग्नि द्वारा परिशोधन कर पुरुषार्थचतुष्टय की अन्तिम परिणति को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है, अतः उसकी सर्वोच्चता और अनिवार्यता स्वतः सिद्ध है। '**आचार्यः**

---

१. छान्दोग्योपनिषद्—६/१४/२

आचारं ग्राह्यन्ति' जो आचार को शिष्य के चरित्र में उतार देता है, उसे आचारवान् बना देता है, वही आचार्य है। 'आचरितुं योग्यः' इस अर्थ में ण्यत् प्रत्यय से यह प्रयोग बनता है। इसके अर्थ की महिमा को अक्षुण्ण रखने के लिए वार्तिककार ने **'चरेराङि चागुरौ'** से गुरु से भिन्न अर्थ में **'आचार्यः'** बनाने का संकेत किया है, इसलिए **'आचार्यो देशः आचर्यः पुरोडाशः'** बनते हैं।

वेद-वेदाङ्ग, उपनिषद्-ब्राह्मण ग्रन्थों एवं दर्शन-तन्त्रागम शास्त्रों में 'गुरु' को सर्वोपरि स्थान प्रदान करते हुए 'ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश (शङ्कर)' का साक्षात् स्वरूप माना गया है।[1] **महानारायणोपनिषद्** में गुरु को साक्षात् नारायण पद स्वरूप ही माना गया है।[2] तन्त्र और योगशास्त्र में वर्णित अध्यात्म-ज्ञान में प्रवृत्ति और साधना-राज्य में सिद्धि लाभ गुरु प्रदत्त ज्ञान के बिना किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है। ज्ञानाग्नि की शान्ति के लिए गुरु ही एकमात्र ऐसा स्रोत या साधन है, जिसकी अनुकम्पा से शिष्य ब्रह्मपद को प्राप्त कर अमृत-रस का पान कर सकता है, अन्यथा मार्ग में भटकते हुए अधम पथ को प्राप्त करता है। **छान्दोग्योपनिषद्** में कहा गया है—**आचार्य से ही विद्या फलीभूत होती है**।[3] भक्तिमार्ग के प्रबल प्रवर्तक **सन्त कबीर** ने गुरु-महिमा को निरूपित करते हुए जन सामान्य को आदेश दिया है कि—**गुरु और गोविन्द के एक साथ मिलने पर सर्वप्रथम गुरु को ही नमस्कार करना चाहिए क्योंकि वही ज्ञानाग्नि द्वारा हमारी अन्तर्ज्योति को प्रज्वलित करता हुआ ब्रह्मपद प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है, जिसके कारण उसे सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान किया गया है**।[4] इस प्रकार गुरु प्रदत्त मन्त्र ही प्राण-दायिनी शक्ति है, उसकी सेवा ही परमधर्म है, उसका ध्यान ही योगसिद्धि है तथा स्वरूप ही मुक्ति लाभ है। अतः सर्वदा वेदार्थी को गुरु का ही स्मरण करना चाहिए। आत्म-प्रकाश के लिए गुरु-ज्ञान से बढ़कर और कोई

---

१. गुरुर्ब्रह्मागुरुर्विष्णुगुरुर्देवोमहेश्वरः ।
गुरुःसाक्षात्परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥

२. 'गुरुः साक्षादादिनारायणः पुरुषः'। महानारायणोपनिषद्—

३. 'आचार्याद्ध्येव विद्या'। —छान्दोग्योपनिषद्—४/९/३

४. गुरु गोविन्द दोउ खड़े काके लागूँ पाय।
बलिहारी गुरु आपनी गोविन्द दियो बताय ॥
—कबीर-वाणी

मार्ग ही नहीं है। जैसाकि श्वेताश्वतरोपनिषद् में कहा भी गया है—'**जिस साधक की अपने गुरु में ईश्वर के समान परम भक्ति है, उसके हृदय में रहस्यमय कर्म स्वतः ही प्रकाशित होते हैं**।'[1] गुरु के प्रति यह श्रद्धा और भक्ति भाव जिज्ञासु शिष्य का सम्पूर्ण आत्म-समर्पण है, जिसके कारण वह पूर्ण अखण्डत्व की प्राप्ति और आत्म-तत्त्व के साक्षात्कार से सच्चिदानन्द स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर ब्रह्म-लीन हो जाता है। अतः साधना-प्रणाली, इष्ट-प्राप्ति और योग-सिद्धि के लिए गुरु ही सर्वसामर्थ्यवान् सिद्ध पुरुष है। वह शिक्षादाता से कहीं अधिक जीवनदाता और मोक्ष-प्रदाता है। इसी आधार पर **सन्त ज्ञानेश्वर** ने ज्ञानेश्वरी टीका के त्रयोदश अध्याय में गुरु के लक्षण को स्पष्ट करते हुए कहा है कि **जो बाहर तो अपने कर्मों के आचरण के कारण और अन्दर ज्ञान के कारण उज्ज्वल होता है, जिसका अन्तर और बाहर सूर्य के समान तेजस्वी है, वही ज्ञानी है, वही गुरु है**।

आचार्य (अध्यापक) : अर्थ और परिभाषा—'आचारात् आचार्यः' के अनुसार आचार-विचार से परिपूर्ण व्यक्ति ही आचार्य होता है जो अपने उज्ज्वल व्यक्तित्व की किरणों से, श्रेष्ठ विचारों से, सम्मोहक भावों से तथा आचार-विचार से परिपूर्ण द्वारा शिष्य के अन्तर में निहित नैसर्गिक गुणों का परिशोधन करते हुए ज्ञानात्मज्योति को निरन्तर प्रज्वलित करने की शक्ति प्रदान करता है। इस सम्बन्ध में श्रुतिवाक्य भी प्रमाणित है—'**आचार्य परम देव स्वरूप है**'[2] अथवा '**आचार्य प्रजापति ब्रह्मा की मूर्ति है**'[3]। अर्थात् जिस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा अपनी अलौकिक शक्ति से सम्पूर्ण विश्व की सृष्टि करते हैं उसी प्रकार गुरु अपने दिव्य ज्ञान से भौतिकता के आवरण से आच्छादित मानस-पटल को प्रकाशित करता हुआ परमपद की प्राप्ति की ओर उन्मुख करता है। अतः **पद्मपुराण** में आचार्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा है कि—'**जो वेदाध्यायी तथा विष्णु-भक्त हो, मत्सर रहित तथा मन्त्रों के अर्थ को भली-भांति जानने वाला हो, मन्त्रों का भक्त और सदैव**

---

१. यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ।
यस्यैते कथितह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥

—श्वेताश्वतरोपनिषद्-६।२३।

२. आचार्यः परमो देवः।

३. आचार्यो ब्राह्मणो मूर्तिः। मत्स्यमहापुराणम्-२।१।२।

मन्त्राधीन हो तथा पवित्र हो, वही व्यक्ति आचार्य कहलाता है।"[1] उसी के मार्ग का अनुसरण और आदेशों का अक्षरशः पालन करना चाहिए। अद्वैयतारण्यकोपनिषद् में आचार्य के लक्षण को स्पष्ट करते हुए कहा गया है—जो वेद पढ़ा हो तथा विष्णु-भक्त हो और मत्सर रहित तथा भोग को जानने वाला हो वह व्यक्ति आचार्य कहलाता है।[2]

'आगमसार तन्त्र' में गुरु शब्द की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है—'गुरु' शब्द में 'ग'कार—ज्ञान सम्पत्ति का रेफ—सत् तत्त्व का और उकार—शिव तादात्म्य का बोधक है, वह सच्चिदानन्द स्वरूप है।[3] शब्द-कल्पद्रुम में भी 'गुरु' शब्द का विवेचन करते हुए कहा गया है—'गुरु' शब्द में 'ग' कार-सिद्धि दाता, रेफ-पापनाशक और उकार-स्वयं शिव है, यह त्रितत्त्वात्मक गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है।[4] उसको देखकर कालिदास का वह श्लोक स्मरण हो आता है, जिसमें कहा है—'हरि ही जैसे पुरुषोत्तम कहलाने के अधिकारी हैं, केवल त्र्यम्बक को ही महेश्वर कहा जाता है, उसी तरह हे रघु ! मुझ (इन्द्र) को ही मुनियों ने 'शतक्रतु' कहा है, जैसे 'पुरुषोत्तम' शब्द और 'त्र्यम्बक' शब्द द्वितीयगामी नहीं है वैसे ही 'शतक्रतु' शब्द भी द्वितीयगामी नहीं है।[5]

---

१. आचार्यो वेदसम्पन्नो विष्णुभक्तो विमत्सरः।
मन्त्रज्ञो मन्त्रभक्तश्च सदा मन्त्रात्मकः शुचिः॥
पद्मपुराण 'उत्तरखण्ड'-६।२२३।५०।

२. आचार्यो वेदसम्पन्नो विष्णुभक्तो विमत्सरः।
योगज्ञो योगनिष्ठश्च सदा योगात्मकः शुचिः॥
गुरुभक्तिसमायुक्तः पुरुषज्ञोविशेषतः।
एवं लक्षणसम्पन्नो गुरुरित्यभिधीयते॥ अद्वैतारण्यकोपनिषद्

३. गकारो ज्ञानसम्पत्तो रेफः सत्वप्रकाशकः।
उकारात् शिवतादात्म्यं दद्यादिति गुरुस्स्मृतः॥ आगमसार तन्त्र

४. गकार सिद्धिदः प्रोक्तो रेफः पापस्य हारकः।
उकारो विष्णुरयक्तास्त्रितयात्मा गुरुः परः॥ शब्दकल्पद्रुम पृ० ३४०.

५. हरिर्यथैकः पुरुषोत्तमः स्मृतो
महेश्वरस्त्र्यम्बक एव नापरः।
तथा विदुर्मां मुनयः शतक्रतुं
द्वितीयगामी न हि शब्द एषः॥ रघुवंशमहाकाव्य-३।४९

यही महत्त्व **'आचार्य'** शब्द का है। यह पवित्र और महिमा से भरा हुआ शब्द द्वितीयगामी नहीं है। अतः **'सत्यं शिवं सुन्दरम्'** की अभिव्यक्ति प्रदान करने वाला श्रेष्ठ मानव ही गुरु अर्थात् आचार्य है। **अद्वयतारकोपनिषद्** में गुरु शब्द की व्याख्या करते हुए महर्षि ने कहा है—**'गु' शब्द अन्धकार अर्थात् मोह-मायादि गुणों का बोधक है तथा 'रू' शब्द अन्धकार अर्थात् माया-भ्रान्ति-संशय का निरोधक है। जो अविद्यारूप अन्धकार को ज्ञान-रूप सदुपदेश के प्रकाश से दूर करता है, उसी को 'गुरु' कहते हैं।**[1] गुरु अपनी ज्ञानाग्नि द्वारा शिष्य के समस्त सन्तापों को विनष्ट करता हुआ, ज्ञानामृत-पान से जिज्ञासु की जिज्ञासा के समाधान का मार्ग प्रशस्त करता हुआ ज्ञानात्म-ज्योति को प्रज्वलित करता है, जिसके फलस्वरूप वह समस्त विश्व का उपकारी बनकर जन-जागरण और जन-कलयाण के कार्य में प्रवृत्त होता है। निरुक्तकार ने भी 'गुरु' शब्द का निर्वचन करते हुए उसकी गरिमा का उल्लेख किया है। उसके कथनानुसार **'गुरु' शिष्य का उपकारक एवं सत्य मार्ग का प्रदर्शक है।**[2] गुरु शिक्षारूपी स्रोत के माध्यम से छात्र में निहित नैसर्गिक गुणों को प्रस्फुटित करता हुआ बाहर की ओर निकालता है, जिससे उसका व्यक्तित्व सर्वांगीण विकास को प्राप्त करता है। अन्यत्र भी कहा गया है—**"जो अज्ञान को दूर करे अथवा धर्म का उपदेश दे, वह गुरु कहलाता है।'**[3] **आचार्य मनु** ने गुरु के लक्षण और उसके स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा है—**'जो ब्राह्मण शिष्य का यज्ञोपवीत करके कल्प और रहस्य सहित वेद को पढ़ाता है, उसको आचार्य कहते हैं।'**[4] **'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा'**[5] सूत्र से ग्रन्थारम्भ करने वाले महर्षि ने ब्रह्म-तत्त्व प्राप्ति की जिज्ञासा से 'गुरु' पद की गरिमा को स्पष्ट करते हुए कहा है—कर्मफल में विरक्त कर्मानुगृहीत परब्रह्म की प्राप्ति में उपायभूत ज्ञान को जानने की इच्छा वाले पुरुष के अन्तःकरण में सतत प्रज्वलित होने वाली ज्ञानाग्नि द्वारा सूक्ष्मदृष्टि

---

१. 'गु' शब्दस्त्वन्धकारोऽस्ति, 'रू' शब्दस्तन्निरोधकः, अन्धकारानिरोधित्वाद् गुरुरित्यभिधीयते। —अद्वैयतारण्यकोपनिषद्

२. गुरू शिष्योपकर्त्ता सत्पथस्य च प्रदर्शकः। —निरुक्त

३. गिरति प्रज्ञानं गृणाति उपदिशति वा धर्मं स गुरुः।

४. उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्द्विजः।
सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते॥ मनुस्मृति-२।१४०

५. **ब्रह्मसूत्र—१।१।१**

प्रदान करने वाले व्यक्ति को 'आचार्य अर्थात् तत्त्ववेत्ता' पद से विभूषित किया जाता है।

तत्त्व-ज्ञान के अभाव में ब्रह्म-पद की प्राप्ति नितान्त असम्भव है। शिक्षार्थी को सुयोग्य अध्यापक के बिना आत्म-तत्त्व की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। इसीलिए मन्त्रद्रष्टा महर्षियों ने वेदाध्यायी को ज्ञानी-ध्यानी और निदध्यासी के सान्निध्य को प्राप्त करने का निर्देश दिया है। व्यावहारिक पक्ष भी यही है, क्योंकि जो व्यक्ति ज्ञानगर्वित हो स्वयं ही आत्म-ज्ञान की साधना में आसक्त रहता है, उसकी स्थिति **'अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः'** इस श्रुति न्याय के अनुसार अन्धे द्वारा ले जाये गये व्यक्ति अन्धे के सदृश ही होते हैं अर्थात् नेत्रहीन व्यक्ति जिसे स्वयं कुछ दिखाई नहीं देता है, वह अन्य को किस प्रकार मार्ग प्रशस्त कर सकता है, ठीक उसी प्रकार जो स्वयं ज्ञान-गर्वित और अन्धकार से व्यावृत्त है वह ज्ञान-पिपासा की शान्ति के लिए सान्निध्य में आये हुए विद्यार्थी के अन्तःकरण में स्वच्छ और परोपकारी भावों के अंकुर को कैसे प्रस्फुटित कर सकता है, अतः परमज्ञान के जिज्ञासु को ब्रह्म-निष्ठ आत्म-तत्त्ववेत्ता गुरु की शरण में जाने का हर सम्भव प्रयास करना चाहिए, तभी उसके जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो सकता है, अन्यथा मार्ग में भटक जाने की सम्भावना सदा बनी रहती है। तथा जीवन के उच्च आदर्शों के अभाव में भ्रमित हो समाज द्वारा तिरस्कृत होता है। गुरु माहात्म्य को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा गया है—"गुरु बिनु ज्ञान कहां ते लाऊँ। **छान्दोग्योपनिषद्** में भी गुरु-सत्ता को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए महर्षि ने कहा है कि—**'आचार्य से जानी गई विद्या ही प्रतिष्ठा तथा साधुता को प्राप्त कराती है।"** अतः गुरु-पद सर्वश्रेष्ठ और सर्व वन्दनीय है।

यद्यपि आचार्य, अध्यापक, गुरु-शिक्षक और उपाध्याय, ये शब्द समानार्थक रूप में प्रयुक्त होते हैं, फिर भी प्राचीन लेखकों एवं नीतिकारों ने उनमें अन्तर देखा है। यथा—धर्मनिष्ठ आचार्य **मनु** ने उपाध्याय और गुरु के अन्तर को स्पष्ट करते हुए कहा है—**जो व्यक्ति किसी विद्यार्थी को वेद का कोई एक अङ्ग या वेदाङ्ग का कोई अंश पढ़ाता है और उससे अपनी जीविका चलाता है, वह उपाध्याय कहलाता है तथा जो बच्चे का संस्कार**

---

१. आचार्याद्धैव विद्या विदिता साधिष्ठं प्रापतीति।

—छान्दोग्योपनिषद्-४।९।३

कराता है और पालन-पोषण करता है, वह 'ब्राह्मण' गुरु कहलाता है।[१] महर्षि की अन्तिम परिभाषा से स्पष्ट विदित होता है कि 'गुरु' पिता ही होता है जो आश्रम में आये अध्ययनार्थी का पुत्रवत् पालन-पोषण करते हुए उसे इस योग्य बनाता है, जो स्वयं आत्म-निर्भरता को प्राप्त करते हुए समाज का संरक्षण और सम्बर्द्धन करता है तथा भावी सन्तति को सन्मार्ग प्रशस्त करता है। स्मृतिकार महर्षि **याज्ञवल्क्य** ने अपने ग्रन्थ में गुरु और आचार्य का विभेद बताते हुए कहा है—"**जो उपनयन संस्कार तक की समस्त क्रियाओं को सम्पादित कराता हुआ ब्रह्मचारी को वेद-ज्ञान प्रदान करता है, वह गुरु कहलाता है तथा उपनयन-संस्कार द्वारा अपना सान्निध्य प्रदान कर वेदाध्ययन कराने वाले को 'आचार्य' कहा जाता है।**"[२] इससे स्पष्ट ध्वनित होता है कि वैदिककालीन समाज में पिता द्वारा बालक प्रारम्भिक वेदाक्षर-ज्ञान को ग्रहण करता था, तत्पश्चात् उत्कृष्ट ज्ञान-पिपासा की शान्ति के लिए गुरु-आश्रम में प्रवेश प्राप्त कर गुरु-सान्निध्य को प्राप्त करता था। इस प्रकार तत्कालीन समाज में 'गुरु' शब्द पुरुष या स्त्री के प्रति श्रद्धा वाचक शब्द के रूप में प्रयुक्त होता था। जैसाकि महाभारत प्रणेता महर्षि वेदव्यास ने प्रातःस्मरणीय पाँच गुरुओं की गणना द्वारा श्रद्धा सूचक 'गुरु' शब्द का उल्लेख—"**पिता, माता, अग्नि, आत्म-तत्त्व और ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ के लिए किया है।**[३] **आचार्य देवल** ने भी अपने स्मृति ग्रन्थ में—"**पिता, माता, आचार्य, ज्येष्ठ भ्राता, पति (भार्या के लिए) की गुरु-श्रेणी में गणना की है।**"[४] महर्षि शंख ने समस्त मानव जाति के प्राणियों को निर्देश दिया है

---

१. एकदेशं तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुनः ।
   योऽध्यापयति वृत्त्यर्थमुपाध्यायः स उच्यते ।।
   निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधिः ।
   सम्भावयति चान्नेव स विप्रो गुरूच्यते ।। मनुस्मृति-२।१४१-१४२

२. स गुरुर्यः क्रियाः कृत्वा वेदमस्मै प्रयच्छति ।
   उपनीय ददद्वेदमाचार्यः स उदाहृतः ।। याज्ञवल्क्यस्मृति-१/३४

३. पिता माताऽग्निरात्मागुरुश्च द्विजसत्तमः ।
   महाभारत 'वनपर्व'—२१/४/२८-२९

४. गुरूणामपि सर्वेषां पूज्याः पञ्च विशेषतः ।
   यो भावयति या सूते येन विद्योपदिश्यते ।।
   ज्येष्ठो भ्राता च भर्ता च पञ्चैते गुरवःस्मृताः ।
   तेषामाद्यास्त्रयः श्रेष्ठास्तेषां माता सुपूजिता ।। स्मृतिचन्द्रिका-१/३५

कि "**उन्हें माता-पिता एवं गुरु की सर्वदा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि इनका अनादर करने से सम्पूर्ण कर्म निष्फल हो जाते हैं।**"[1] **विष्णुधर्मसूत्र में** "**माता, पिता और आचार्य इन तीनों को 'गुरु' शब्द से अभिहित किया गया है।** स्मृतिकार **मनु** के अनुसार **जो थोड़ा या अधिक ज्ञान देता है वह गुरु है।**"[2]

सामान्यतः व्यावहारिक पक्ष भी यही है कि बालक को प्रथम अक्षर-ज्ञान माता-पिता द्वारा तत्पश्चात् जीवनोपयोगी आत्म-निर्भरता सम्बन्धी ज्ञान गुरु-कृपा द्वारा ही प्राप्त होता है। इस सम्बन्ध में आचार्य **मनु** "**आचार्य को ब्रह्मा की मूर्ति, पिता को प्रजापति की प्रतिकृति, माता को पृथ्वी और भ्राता को आत्माकृति**"[3] की संज्ञा से अलङ्कृत करते हुए स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया है कि "**इन तीनों (माता-पिता और गुरु) की सेवा ही परम तप है।**"[4] अतः शिक्षार्थी को आजीवन इनकी सेवा-शुश्रूषा में नतमस्तक रहना चाहिए। क्यों-कि—**माता की भक्ति से इहलोक, पिता की सेवा से मध्यलोक और आचार्य (गुरु) की सेवा-शुश्रूषा से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है।**"[5] अतः महर्षि ने अन्यत्र इन तीनों की उपासना के लिए स्तुति-गान का निर्देश देते हुए कहा है—'**इन तीनों (माता-पिता और गुरु) की सेवा—शुश्रूषा से मानव को समस्त कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, यही साक्षात् परमधर्म स्वरूप हैं तथा इसके अतिरिक्त उप-धर्म कहे गये हैं।**"[6] **छान्दोग्योपनिषद्** में सत्यकाम जाबाल अपने गुरु से कहता है कि "**आपके ही समान अन्य आचार्यों से मैंने**

---

१. माता पिता गुरुश्चैव पूजनीयास्सदानृणाम् ।
क्रियास्तस्याफलाः सर्वा यस्यैत नादृतस्त्रयः ।। शंखस्मृति-३/३

२. अल्पं वा बहु वा यस्य श्रुतस्योपकरोति यः ।
तमपीह गुरुं विद्याश्रुतोपक्रियया तया ।। मनुस्मृति-२/१४९

३. आचार्यो ब्रह्मणो मूर्तिः पिता मूर्तिः प्रजापते ।
माता पृथिव्या मूर्तिस्तु भ्राता स्वो मूर्तिरात्मनः ।। मनुस्मृति-२/२२६

४. तेषां त्रयाणां शुश्रूषा परमं तप उच्यते । मनुस्मृति-२/२२८

५. इमं लोकं मातृभक्त्या पितृभक्त्या तु मध्यमम् ।
गुरुशुश्रूषया त्वेवं ब्रह्मलोकं समश्नुते ।। मनुस्मृति-२/२३३

६. त्रिष्वेतेष्वितिकृत्यं पुरुषस्य समाप्यते ।
एषः धर्मः परः साक्षादुपधर्मोऽन्य उच्यते ।। मनुस्मृति-२/२३७

सुना है कि गुरु से प्राप्त किया हुआ ज्ञान श्रेष्ठ होता है।"[1] गुरु ही एकमात्र ऐसा स्रोत या शक्ति है जो शिक्षार्थी की अन्तर्निहित ज्योति को प्रज्वलित करता हुआ अन्तःकरण में व्याप्त अनेक संशयों का विच्छेदन करते हुए आत्म-तत्त्व का बोध कराता है। तत्त्व-ज्ञान के अभाव में शिक्षार्थी का सर्वाङ्गीण विकास हो ही नहीं सकता है। सर्वाङ्गीण विकास की इस प्रक्रिया में दक्षता प्राप्त करने के लिए गुरु सान्निध्य का होना परमावश्यक है, यह सर्वविदित और सर्वमान्य भी है। श्वेताश्वतरोपनिषद् और आपस्तम्ब धर्मसूत्र में 'गुरु' के स्थान का उल्लेख करते हुए महर्षियों ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि गुरु को परब्रह्म परमेश्वर स्वरूप मानते हुए सदा-सर्वदा शिष्य को उसकी अर्चना करनी चाहिए। गुरु-निन्दा से बढ़कर दूसरा कोई महापाप नहीं होता। जैसाकि **अथर्ववेद** में आचार्य (गुरु) को शिष्य का मानस-पिता बताते हुए कहा गया है—**"उपनयन संस्कार द्वारा ब्रह्मचारी को आचार्य अपने गर्भ में तीन रात्रि तक रखकर उसे कलुषित संस्कारों से मुक्त करता हुआ द्वितीय जन्म प्रदान करता है, तब उसको देखने के लिए सब विद्वान् एकत्रित होते हैं;"**[2] कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु-ज्ञान से शोधित संशयात्मक बुद्धि का अनेक आचार्यों द्वारा परिशीलन करने के उपरान्त ही उसे समाज में यथोचित मान-सम्मान, प्रतिष्ठा व पद की प्राप्ति होती है। यहाँ महर्षि द्वारा प्रयुक्त 'रात्रि' शब्द अन्धकार का भाव प्रदर्शित करता है। अन्धकार अज्ञान का बोधक है, जिसे तीन भागों में विभक्त किया गया है, यथा—(i) स्थूल, सूक्ष्म और सृष्टि विषयक (ii) आत्मा के विषय में और (iii) आत्मा-अनात्मा के सम्बन्ध में। इन तीनों अज्ञानों से मुक्त कराना ही विद्याध्ययन का परम उद्देश्य है, जो 'रात्रिस्तिस्र' शब्द से स्पष्ट होता है। इस ज्ञान की पूर्णता ही द्वितीय जन्म की दायिका है, जिसके लिए आचार्य (शिक्षक) अन्तेवासी के रूप में अध्ययनार्थी को अपना सान्निध्य प्रदान कर 'आश्रम' में प्रवेश प्रदान करता था। **आपस्तम्ब धर्मसूत्र** में कहा गया है—**"माता-पिता तो हमें पार्थिव शरीर ही प्रदान करते हैं, जबकि गुरु अपना सान्निध्य प्रदान करते हुए**

---

१. श्रुतं ह्येव मे भगवद्दृशेभ्य आचार्याद्धैव विद्या विदिता साधिष्ठं प्रापयतीति तस्मै हैतदेवोवाचात्र ह न किञ्चन वीयायेति वीयायेति।

छान्दोग्योपनिषद्-४/९/३

२. आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः।
तं रात्रिस्तिस्र उदरे बिभर्ति तं जातं द्रष्टुमभिसंयन्ति देवाः॥

अथर्ववेद-११/५/३

ज्ञान-सरिता की अजस्रधारा से बौद्धिक उन्नति और आध्यात्मिक चेतना द्वारा आदर्श व्यक्तित्व का विकास करते हुए श्रेष्ठ जन्म प्रदान करता है।"[1] अतः गुरु के प्रति कृतज्ञ होना और उसका अधिक से अधिक सम्मान करना शिष्य का परम कर्त्तव्य है। **शतपथब्राह्मण** में भी कहा गया है—**"मातृमान पितृवानाचार्यवानपुरुषो वेद।"** **सत्यार्थप्रकाश** में भी **"माता-पिता और आचार्य को देवतुल्य माना गया है।"**[2]

अथर्ववेदीय महर्षि ने तत्त्ववेत्ता सर्वशक्ति सम्पन्न ज्ञान-सरिता की अजस्रधारा में निमज्जन आचार्य (शिक्षक) के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा है—"आचार्य ज्ञान का अथाह **सागर होता है, जो अपने शिष्य को पृथ्वी से लेकर आकाश तक की गम्भीर और छिपी शक्तियों का ज्ञान कराने वाला अद्वितीय व्यक्ति होता है।"**[3] इसीलिए कहा भी गया है कि **"चाँद सूरज सा, लोचन गुरु का, देखें और दिखावें।"**

मध्यकालीन समाज ने भी गुरु को सर्वोच्च प्रतिष्ठा की गरिमा प्रदान की है। बौद्धधर्म और जैन धर्मावलम्बियों ने आचार्य को सर्वोच्च पथ-प्रदर्शक के रूप में स्वीकार किया है। **तिल्लोप** का कथन है कि गुरु-कृपा ही परमार्थ सत्य को जानने का एकमात्र साधन है। **सरहपा** की भी यही मान्यता थी। "रत्नकरंड श्रावकाचार" ग्रन्थ में गुरु को अर्हत पद देने वाला कहा गया है। जैसा कि 'दीर्घ निकाय' में बौद्धधर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध को अर्हत, सम्यक् सम्बुद्ध, ज्ञानसम्पन्न, विद्या और आचरण से युक्त बताया है। आचार-विचार से सम्पृक्त ब्रह्म-तत्त्ववेत्ता ही अपने उन्नत व्यक्तित्व के प्रभाव से शिक्षार्थी और समाज दोनों को ही नईदिशा की ओर प्रवृत्त करने का सामर्थ्य रखता है। जिसके फलस्वरूप शिक्षक (आचार्य) को धर्मोन्नायक और राष्ट्र-पथ प्रदर्शक के नाम से सम्बोधित किया जाता है।

वर्तमान शिक्षा-प्रणाली में शिक्षादाता के लिए प्रयुक्त आंग्ल भाषा का '*Teacher*' शब्द आचार्य (**शिक्षक**) का समानार्थक शब्द है, जिसमें प्रयुक्त

---

१. स हि विद्यातस्तं जनयति तच्छ्रेष्ठं जन्म।
शरीरमेव मातापितरौ जनयतः॥

आपस्तम्ब धर्मसूत्र-१/१/१५-१७

२. मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव। सत्यार्थप्रकाश—

३. आचार्यस्ततक्ष नभसी उभे इमे।
उर्वी गम्भीरे पृथिवी दिवं च॥" **अथर्ववेद-११/५/८**

प्रत्येक अक्षर आचार्य (**शिक्षक**) के उत्कृष्ट व्यक्तित्व और गुणों का बोध कराता है, यथा—'*T*' शब्द *Tactful* अथवा *Trend in teaching methodology* का वाचक है जिसका अर्थ—वाक् चातुर्य अथवा शिक्षण-प्रविधि में निपुण है, '*E*' शब्द *Enthusiasm* का बोधक है, जो उत्साह का सूचक है, '*A*' शब्द *Address* अथवा *Attentiveness* का द्योतक है, जिसका अर्थ-सम्बोधन अथवा ध्यान केन्द्रित है, '*C*' शब्द *Capacity of Leadership* अर्थात् नेतृत्व की क्षमता का बोध कराता है, '*H*' शब्द *Honesty* अर्थात् ईमानदारी का प्रतीक है, '*E*' शब्द *Emotional stability* अर्थात् संवेगात्मक संतुलन के गुण को प्रदर्शित करता है तथा '*R*' शब्द *Respectful* अथवा *Reserve* का सूचक है, जिसका अर्थ आदरणीय अथवा सुरक्षित है। इस उपरोक्त विवेचन से यह प्रमाणित होता है कि शिक्षक ही एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसमें बालक को समझने की शक्ति, काम करने की इच्छा-शक्ति और सहकारिता आदि सर्वोच्च गुणों का संमिश्रण होता है। शिक्षक ही वह शक्ति है, जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरूप से आने वाली सन्ततियों के नैसर्गिक गुणों का चहुमुखी विकास करता हुआ राष्ट्रीय एवं भौगोलिक सीमाओं को लाँघकर विश्व-व्यवस्था तथा मानव-जाति को उन्नति के पथ पर अग्रसर करता है।

शिक्षक सम्पूर्ण शैक्षणिक प्रक्रिया और शिक्षणार्थी के व्यक्तित्व निर्माण में एक धुरी का कार्य करता है वह न केवल शिक्षणार्थी से सम्बद्ध होता है अपितु अप्रत्यक्षरूप में सामाजिक पृष्ठ-भूमि पर निर्मित पाठ्यक्रम के माध्यम से समाज और राष्ट्र की समस्त समस्याओं से आवृत होने के कारण गौरवशाली पद का स्वामी होता है। प्रसिद्ध दार्शनिक **जे०एफ० ब्राउन** ने अध्यापक की भूमिका को स्पष्ट करते हुए कहा है—**'अध्यापक' शिक्षा का महत्त्वपूर्ण अङ्ग होता है। पाठ्यक्रम विद्यालय-संगठन और पाठन-सामग्री यद्यपि अध्यापन के महत्त्वपूर्ण अङ्ग हैं, फिर भी वे सभी तब तक निष्प्राण और अनुपयोगी हैं, जब तक कि अध्यापक अपने सजीव व्यक्तित्व द्वारा उसमें प्राण-प्रतिष्ठा नहीं कर देता।"** हुमायूँ **कबीर** का कथन भी है—"**वे (शिक्षक) राष्ट्र के भाग्य-निर्णायक हैं। यह कथन प्रत्यक्षरूप से सत्य प्रतीत होता है, परन्तु अब इस बात पर अधिक बल देने की आवश्यकता है कि शिक्षक ही शिक्षा के पुन-र्निर्माण की महत्वपूर्ण कुञ्जी है। यह शिक्षक-वर्ग को योग्यता ही है जो कि निर्णायक है।" माध्यमिक शिक्षा-आयोग के प्रतिवेदन** में उल्लेख किया गया है—"**अपेक्षित शिक्षा के पुर्नानिर्माण में सब से** महत्वपूर्ण तत्व **शिक्षक-उसके**

व्यक्तिगत गुण, उसकी शैक्षिक योग्यताएँ, उसका व्यावसायिक प्रशिक्षण और उसकी स्थिति जो वह विद्यालय तथा समाज में ग्रहण करता है, ही है। विद्यालय की प्रतिष्ठा तथा समाज के जीवन पर उसका प्रभाव निस्सन्देह रूप से उन शिक्षकों पर निर्भर है जो कि उस विद्यालय में कार्य कर रहे हैं।" इस प्रकार शिक्षक का महत्त्व समाज और शिक्षण पद्धति दोनों के लिए ही समान रूप से महत्त्वपूर्ण है। वह राष्ट्र की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हुए उसका संरक्षण और सम्वर्द्धन करता है। जैसा कि **सैयदैन** कहते हैं—**"यदि आप किसी देश की जनता के सांस्कृतिक स्तर को जानना चाहते हैं कि किसी समाज विशेष में किन मूल्यों को मान्यता दी जाती है तो उसके लिए अच्छा यही है कि आप मालूम करें कि उस समाज में अध्यापकों का सामाजिक पद माध्यम क्या है और उन्हें कितनी प्रतिष्ठा प्राप्त है।"**

सामाजोत्थान और राष्ट्रीय अभिवृद्धि में शिक्षक की अहम् भूमिका को स्पष्ट करते हुए भारत की स्व० प्रधान-मन्त्री **श्रीमती इन्दिरा गाँधी** ने कहा है—**'शिक्षक शिक्षा के गुणात्मक विकास के लिए कुञ्जी है। उसी की सक्रियता से शैक्षिक-प्रक्रियाओं में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं।"** शिक्षक अपरिपक्व बुद्धि के बालकों का दायित्व अपने ऊपर उठाकर उन्हें इस योग्य बनाता है, जिससे वह समाजोचित व्यवहारों के अनुरूप आचरण करता हुआ आदर्श नागरिकता को प्राप्त करता है।

इस प्रकार शिक्षक ही शिक्षालय और शिक्षण-पद्धति की गत्यात्मक शक्ति है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने उज्ज्वल व्यक्तित्व की छाप से राष्ट्र की भावी सन्ततियों को उचित दिशा निर्देश देकर विश्व-व्यवस्था, मानव-समाज और राष्ट्र की उन्नति में भागीदार बनाता है। उन्हें अज्ञान से मुक्त कर जीवन के अन्तिम लक्ष्य पुरुषार्थचतुष्टय की ओर उन्मुख करते हुए **'सत्यम् शिवम् सुन्दरम्'** का बोध कराता है।

सारांशतः हम कह सकते हैं कि अध्यापक गौरवशाली पद का स्वामी होता है, जिसकी प्रेरणा से शिक्षार्थी बहुमुखी विकास को प्राप्त करते हुए समाज में एक महत्त्वपूर्ण स्थान बना लेता है। क्योंकि उसको समस्त पुरुषार्थ, कर्त्तव्योचितकर्म, ज्ञान-विज्ञान-परमात्मतत्त्व लाभ, शिव-ज्ञान, योग सिद्धि, मन्त्र चैतन्य गुरु से ही उपलब्ध हुआ है। 'गुरु' ही हमारी सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक परम्परा की रत्नमंजूषा का अक्षयकोष है। गुरु-भक्त भील बालक एकलव्य की कथा द्वारा यही बात बड़े सुन्दर ढंग से समझायी जा सकती है, यथा सम्पूर्ण वेद-वेदाङ्ग एवं अस्त्र-शस्त्र विद्या में पारंगत द्रोणाचार्य

द्वारा विद्या-दान से इन्कार करने पर धनुर्विद्या में दक्षता के स्वप्नों को संजोये हुए एकलव्य ने अभिलक्षित गुरु की निर्जीव प्रतिमा से प्रेरणा लेकर धनुर्ज्ञान के सतत अभ्यास द्वारा अद्वितीय सफलता प्राप्त की। अतः निःसन्देह यह कहा जा सकता है कि गुरु-भक्ति अथवा गुरु-ज्ञान के अभाव में मानव जीवन सारहीन और निरर्थक है। महर्षि ने कहा भी है कथन—

यो गुरुः स शिवः य शिवः स गुरुः स्मृतः।
उभयोरन्तरं नास्ति गुरोरपि शिवस्य च॥

आचार्य की योग्यता—मन्त्रद्रष्टा महर्षियों द्वारा प्रतिपादित सम्पूर्ण वैदिक-वाङ्मय का संरक्षण, संस्कृति का पोषण, अपरिपक्व बालकों की बुद्धि का शोधन और सामाजिक चेतना की अभिवृद्धि बिना योग्य अध्यापक (आचार्य) के सम्भव नहीं है। जैसा कि **हुमायुँ कबीर** की उक्ति है—"**शिक्षक यथार्थ में राष्ट्र का निर्माण करता है और देश के नवयुवकों का भविष्य बनाना और बिगाड़ना बहुत कुछ अंशों तक उसी की जिम्मेदारी है। शिक्षक शिक्षा के सुधार की कुञ्जी है।**" इस गरिमा को बनाये रखना प्रत्येक व्यक्ति का कार्य नहीं है, अपितु उसके लिए एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की आवश्यकता है, जिसका मूल्याङ्कन कर पाना नितान्त असम्भव है, फिर भी विभिन्न धर्माचार्यों एवं शिक्षा-मनोवैज्ञानिकों ने गुरु-प्रतिभा को कसोटी पर परखने के लिए कुछ सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है, जिसका अनुसरण करना परमावश्यक है, जिससे वह शिक्षार्थियों के लिए उच्चकोटि का आदर्श प्रस्तुत कर सके।

"**आचारः परमो धर्मः**"[1] इस वाक्य के अनुसार आचरण से बद्ध शिक्षक ही संस्कृति का पोषक, समाज का पथ-प्रदर्शक और राष्ट्र का भाग्य विधाता होता है, अतः ऐसे व्यक्ति को आचार-विचार से युक्त होना चाहिए, शुद्धाच्चरण की जीवन में नितान्त आवश्यकता है। जैसा कि महाभारत में महर्षि ने आचार्य **विदुर** के द्वारा सम्पूर्ण मानव-जाति को उपदेश दिया है—**चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, धन तो आता जाता रहता है, किन्तु चरित्र के नष्ट होने से मानव का मानवत्व ही नष्ट हो जाता है।**"[2] नीतिकार आचार्य **विदुर** के इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि चरित्रवान् व्यक्ति

१. मनुस्मृति-१/१०८

२. वृत्तं यत्नेन संरक्षेद् वित्तमेति च याति च।
अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः॥ महाभारत-५/३६/३०

ही संसार में सर्वाधिक शक्तिशाली और समाज का आदर्श होता है। इसके विपरीत **"जो व्यक्ति (ब्राह्मण) आचार से च्युत होता है, वह वेद के फल को नहीं पाता है"**[1] अर्थात् वेद निर्दिष्ट शिक्षा से भ्रमित हो समाज में अप्रतिष्ठा का पात्र बनकर सर्वत्र तिरस्कृत होता है। प्रमाण भी है—**"आचारहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर पाते हैं।**[2] अतः उसे गुरु-पद पर प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता है। किन्तु जो व्यक्ति सर्वगुण सम्पन्न ब्रह्मतत्त्व का ज्ञाता और शास्त्रार्थ में निपुण है, उसे गुरु-पद पर समारूढ़ किया जा सकता है। जैसा कि आचार्य मनु का कथन भी है—**"आचार से युक्त ब्राह्मण सम्पूर्ण फल को प्राप्त करता है।"**[3] अथर्ववेद में भी सदाचार के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है—**"श्रेष्ठ पुरुष (शिक्षक अथवा आचार्य) अपने शुद्धाच्चरण से मृत्यु को दूर करते हैं"**[4] अर्थात् संशयात्मक बुद्धि से उत्पन्न अन्धकार (भय) को ज्ञानामृत की सरिता से निवृत्त कर ज्ञानज्योति को प्रज्वलित करता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह अपने शुद्धाचरण द्वारा समीप में आये हुए शिक्षार्थी को वेद विहित वचनामृत द्वारा धर्मोपदिष्ट आचरण के अनुरूप उसका जीवन सार्थक बनावे। जैसा कि आचार्य मनु ने गुरु-स्वभाव को स्पष्ट करते हुए कहा है—**"श्रेष्ठ अध्यापक वह है जो दुःखी होने पर भी दूसरे का मन न दुखाये, द्वेष बुद्धि से रहित हो, गर्हित वचन कभी नहीं बोले तथा दूसरों को उद्वेग न दे।"**[5] दूसरे शब्दों में, अध्यापक को शान्त स्वभाव, धैर्य-शाली, पक्ष-पात रहित और मृदुभाषी होना चाहिए। इसके साथ ही साथ उसे "यावज्जीवमधीते विप्रः" इस वाक्य के अनुसार जीवन पर्यन्त अध्ययन-शील और शास्त्रों में पारंगत होना चाहिए, किन्तु अध्यापक के लिए केवल प्रकाण्ड पाण्डित्य ही पर्याप्त नहीं है अपितु उसके लिए उसे वाक्चतुर, वक्ता, प्रत्युत्पन्नमति, तार्किक, रोचक कथाओं का ज्ञाता भी होना चाहिए जिससे वह अधिगम की प्रक्रिया में विभिन्न पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं और उपयुक्त उपकरणों को अपनाकर कक्षा-शिक्षण में रुचि के सिद्धान्त को व्यवहृत करते हुए विषय-वस्तु को बोधगम्य

---

१. आचारद्विच्युतो विप्रो न वेदफलभाग्भवेत्। मनुस्मृति-१/१०९
२. आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः। वशिष्ठ स्मृति-६/४
३. आचारेण तु संयुक्तः सम्पूर्णफलभाग्भवेत्। मनुस्मृति-१/१०९
४. मृत्युं प्रत्यौहन् पदयोपनेन। अथर्ववेद-१२/२/२९
५. नारुन्तुदः स्यादार्तोऽपि न परद्रोहकर्मधीः।
ययास्योद्विजते वाचा नालोक्यां तामुदीरयेत्॥ मनुस्मृति—२/१६१

बना सके। महाभारत प्रणेता महर्षि ने भी अपने ग्रन्थ में यही भाव प्रकट किये हैं।[1] कविकुलगुरुशिरोमणि आचार्य **कालिदास** ने भी श्रेष्ठ व्यक्ति की योग्यता का उल्लेख करते हुए कहा है—**"कुछ गुणी तो ऐसे होते हैं जो केवल अन्तर्चिन्तन में ही लगे रहते हैं किन्तु कुछ ऐसे भी हैं जो स्वयं द्वारा गृहीत गुणों को दूसरों तक पहुँचाने में निपुण होते हैं।**[2] अर्थात् प्राप्त ज्ञान को अन्यों तक पहुँचाने में प्रयत्नशील रहते हैं, किन्तु वास्तविक गुणी (शिक्षक) वही है जिसमें ये दोनों बातें निहित हैं और ऐसे ही गुणी को सर्वश्रेष्ठ समझना चाहिए। संक्षेप में कह सकते हैं कि शिक्षक को विद्वान् ही नहीं अपितु वाग्मी भी होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसमें अत्युच्च योग्यता अपेक्षित की जाती है, जिसके फलस्वरूप वह अपनी पवित्रता, चारित्रिक बल, पाण्डित्य और सदाचारी जीवन के द्वारा उन शिक्षार्थियों के जीवन पर जो श्रीचरणों में बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हों, ऐसी छाप डाले जो अमिट और चिर-स्थायी हो। कूर्म-पुराण, कल्पतरु आदि ग्रन्थों में महर्षियों ने विस्तार पूर्वक गुरु के लक्षणों का उल्लेख करते हुए गुरु को सदाचारी, कुशल, सर्वशास्त्र पारंगत, दयावान्, शील-सम्पन्न, दृढ़ संकल्प, नेतृत्व प्रधान और पर-स्त्री विमुख होना चाहिए। अन्यत्र कवि ने **"शान्त, उदात्त, कुलीन, विनीत, शुद्ध आचरण से युक्त, सु-प्रतिष्ठित, पवित्र, स्वच्छ और सादा परि-धान से युक्त, बुद्धिमान्, दक्ष, आश्रमवासी, ध्यान-निष्ठ, मन्त्र-तन्त्र का ज्ञाता और निग्रह-अनुग्रह में समर्थ व्यक्ति को गुरु कहा है।"**[3] इसी के साथ-साथ कविशिरोमणि कालिदास ने धन द्वारा विद्यादान करने वाले गुरु की निन्दा करते हुए उसे हीनदृष्टि से देखने का सुझाव दिया है। उनके मतानु-

---

१. प्रवृत्तवाक् चित्रकथः ऊहवान् प्रतिभावान्।
आशु ग्रन्थस्य वक्ता च यः स पण्डित उच्यते॥
महाभारत—५/३३/३३

२. श्लिष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था संक्रान्तिरन्यस्य विशेषयुक्ता।
यस्योभयं साधु स शिक्षकाणां धुरि प्रतिष्ठापयितव्य एव॥
मालविकाग्निमित्रम्—१/१६

३. शान्तोदान्तः कुलीनश्च विनीतः शुद्धवेशवान्,
शुद्धाचारः सुप्रतिष्ठः शुचिर्दक्षः सुबुद्धिमान्।
आश्रमी ध्याननिष्ठश्च मन्त्रतन्त्रविशारदः,
निग्रहानुग्रहे शक्तो गुरुरित्यभिधीयते॥
शब्दकल्पद्रुम पृ० ३४०

सार जो अध्यापक (आचार्य) नौकरी पा लेने पर शास्त्रार्थ से भागता है, दूसरों के उँगली उठाने पर भी चुप रह जाता है और केवल पेट पालने के लिए विद्या पढ़ाता है, ऐसे लोग पण्डित नहीं, वरन् ज्ञान बेचने वाले बनिये कहलाते हैं ।[1] यामलतन्त्र के अनुसार रोगी, पुत्रहीन, वामन, धूर्त, क्रियाहीन, द्वेषी व्यक्ति निन्द्य गुरु है । कामाक्षीतन्त्र में संस्कार रहित, वेद शास्त्र विवर्जित, शुष्क भाषी, क्रूर, दम्भी, खल्वाट, क्षयरोगों से ग्रस्त आदि को असद् गुरु कहा गया है । राघवभट्ट ने संस्कार च्युत, मात्सर्ययुक्त, व्यसनी, कुत्सित व्यक्ति को निन्द्य गुरु बताया है ।

पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्रियों ने भी शिक्षक के व्यक्तित्व और गुणों पर गहन अध्ययन किया है । संयुक्त राज्य अमेरिका में "कामनवेल्थ टीचर्स ट्रेनिंग स्टडी" के अन्तर्गत अनुसंधान कार्य में प्रवृत्त चार्टर्स् और वापल्स ने शिक्षक की महत्त्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए विभिन्न आंकड़ों के अनुसार पद की गरिमा को बनाये रखने के लिए अनिवार्य गुणों की सूची प्रस्तुत की, जो निम्न प्रकार से है—

(i) वातावरण से समानुकूलन की शक्ति होना ।
(ii) प्रभावशाली व्यक्तित्व का धनी होना ।
(iii) अध्ययन-अध्यापन में गतिशील होना ।
(iv) सावधानी और पूर्णता का पात्र होना ।
(v) सहानुभूति, दया एवं नम्रता की प्रतिमूर्ति होना ।
(vi) सह-अस्तित्व की भावना से भावित होना ।
(vii) पक्षपात रहित व्यवहार करने वाला होना ।
(viii) प्रेरणा और उत्साह का स्रोत ।
(ix) स्पष्ट-वक्ता और वाणी पर पूर्ण अधिकार रखने वाला ।
(x) साहस, दृढ़ता, स्वतन्त्रता और अभिप्राय-सिद्धियुक्त होना ।
(xi) कर्मठ, धैर्यशाली और ईमानदार होना ।
(xii) नेतृत्व-शक्ति का धनी और आत्म-विश्वास की भावना से परिपूर्ण ।
(xiii) मूल्याङ्कन में दक्ष ।
(xiv) सफाई प्रिय और मितव्ययी ।

---

१. लब्धास्पदोऽस्मीति विवादभीरोस्तितिक्षमाणस्य परेण निन्दाम् ।
यस्यागमः केवलजीविकायै तं ज्ञानपण्यं वणिजं वदन्ति ॥
मालविकाग्निमित्रम्—१/१७

(xv) विद्वत्ता पूर्ण व्यक्तित्व और विषय पर एकाधिकार रखनेवाला ।

डॉ० एफ० एल० कैल्प द्वारा १९१३ में किये गये शैक्षणिक सर्वेक्षण के आधार पर शिक्षक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले गुणों की सूची प्रस्तुत की है—

(i) सम्बोधन (ii) वैयक्तिक आकृति
(iii) आशावादिता (iv) गम्भीरता
(v) उत्साह (vi) चिन्तन की स्पष्टता
(vii) वफादारी (viii) सहानुभूति
(ix) जीवन-शक्ति (x) विद्वत्ता

लेस्ट डी क्रो तथा इलाइस क्रो के मतानुसार शिक्षक के गुण—

(i) भावात्मक स्थायित्व (ii) नैतिक
(iii) ईमानदार (iv) छात्रों में रुचि
(v) प्रेरणा-स्रोत (vi) विचारों का उत्तेजक
(vii) सच्चाई और न्याय-भावना (viii) सहानुभूति
(ix) ग्राह्यता तथा दूसरों का ध्यान रखना
(x) प्रसन्नता तथा उत्साह (xi) अभिरुचि की विशालता
(vii) निर्णायक (xiii) आत्म-संयम

डॉ० आर्थर बी० मोहसेन ने शिक्षक के अनिवार्य गुणों का उल्लेख करते हुए कहा है कि—

(i) स्फूर्ति और कार्य-समता (ii) सांवेगिक-सन्तुलन
(iii) बौद्धिकता (iv) सामाजिक गुणों से ओतप्रोत
(v) प्रशिक्षित और (vi) भेद-भाव रहित व्यक्तित्व वाला होना चाहिए ।

जॉय एल्मर मार्गन ने शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट करते हुए कहा है—

(i) शिक्षक एक भविष्य वक्ता है, वह कल की आधारशिला रखता है ।
(ii) शिक्षक एक श्रेष्ठ नागरिक है, उसका चयन और अनुमति समाज की उन्नति के लिए होती हैं ।
(iii) शिक्षक एक मित्र है, उसका हृदय अपने विद्यार्थियों की श्रद्धा और भक्ति के प्रति संवेदनशील होता है ।
(iv) शिक्षक एक कलाकार है, वह मोम सदृश कोमल भावों से युक्त बालक

के व्यक्तित्व को विभिन्न साँचों में ढालते हुए अभिव्यक्ति प्रदान करने का कार्य करता है।

(v) शिक्षक, अर्थ प्रकाशक है, वह अपने परिपक्व और जीवन में प्राप्त विस्तृत अनुभवों से अल्पायु के बालकों का निर्देशन करता है।

(vi) शिक्षक एक निर्माणक है, वह उच्च गुणों से युक्तभावी सन्तति का निर्माण करता है।

(vii) शिक्षक एक सांस्कृतिक वाहक है, वह बहुमूल्य रुचियों, स्वस्थ मनो-वृत्तियों, एवं आचरणयुक्त प्राचीन संस्कृति से आने वाली पीढ़ी को परिचित कराता है।

(viii) शिक्षक एक योजक है, वह विभिन्न विषयक ज्ञान और सदाचार को एक व्यक्ति में समायोजित करने का प्रयत्न करता है।

(ix) शिक्षक एक सुधारक है, वह अवरोध एवं संशयात्मक प्रवृत्ति को दूर करके वास्तविकता का बोध कराता है।

(x) शिक्षक विश्वासी है, उसमें समाज को सुधारने का विश्वास होता है।

(xi) शिक्षक एक अग्रगामी है, वह सदैव असम्भव को संभव बनाने की चेष्टा करता है,

(xii) शिक्षक बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता है, वह छात्र की रुचि, योग्यता और आवश्यकता का भली-भाँति मूल्याङ्कन कर उचित निर्देश प्रदान करता है।

विद्यार्थी : (Student)

प्राचीन परम्परा एवं मान्यता के विरुद्ध आधुनिक अधिगम की नवीन प्रविधियों में अध्ययनार्थी का महत्त्व मनोवैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध किया जा चुका है। इसका प्रमुख कारण मात्र मानव होना ही नहीं है, अपितु बिना अध्ययनार्थी के अधिगम प्रक्रिया सार्थक ही नहीं हो सकती। जैसाकि प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान् जॉन डेवी ने कहा है—**जब तक कोई शिक्षा करने वाला नहीं है, तब तक शिक्षण का कोई अर्थ नहीं है—ठीक उसी प्रकार जैसे बिना ग्राहक के बिक्री का कोई अर्थ नहीं है।**

आंग्लभाषा में प्रयुक्त *Student*[1] शब्द छात्र, विद्यार्थी अथवा शिक्षार्थी

1. A person who studies for some occupation or one who studies some branch of learning, English dictionary.

का वाचक है । 'छात्र' शब्द से हमारा अभिप्राय उन जिज्ञासुओं अथवा पढ़ने वाले बालकों से है, जो व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कक्षा-समूह का निर्माण करते हैं अर्थात् वे लोग जिनके लिए ही शिक्षा-कार्यक्रम का अस्तित्व एवं संचालन होता है । संस्कृत भाषा में प्रयुक्त **'विद्यार्थी'** शब्द वेदाध्ययन में कार्यरत व्यक्ति का वाचक है । यहाँ प्रयुक्त **'विद्या'** शब्द ज्ञान अथवा शिक्षा का द्योतक है तथा **'आर्थी'** शब्द का अभिप्राय इच्छुक है, इस प्रकार विद्यार्थी का अर्थ हुआ ज्ञान का इच्छुक अथवा विद्या-व्यसनी जिसे 'शिष्य' के रूप में सम्बोधित किया जाता है । 'शिष्य अर्थात् विद्यार्थी' वही कहलाता है जिसने गुरु सान्निध्य को प्राप्त कर क्रमबद्ध रूप से वेदाध्ययन अथवा इच्छित कार्य में प्रशिक्षण प्राप्त किया है । **श्रीमद्भगवद्गीता** में शिष्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि **'मैं आपका शिष्य हूँ, अतः मुझ शरणागत को आप शिक्षा दीजिए ।'**[1] यहाँ ज्ञानार्जन की अर्चना से भी यही द्योतित होता है कि शिष्य वही कहलाता है जो ज्ञान-पिपासा की तृप्ति के लिए आचार्य से याचना करता है । महर्षि का कथन भी है—**'शिष्य वही है जो तन, मन, धन और प्राणों का समर्पण कर योग सीखता है ।'**[2] दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिसकी स्वाध्याय में प्रवृत्ति हो, वही शिष्य अर्थात् शिक्षार्थी कहलाने की पात्रता रखता है ।

ज्ञानार्जन की पात्रता—'शिष्य के शिष्यत्व निर्धारण के लिए विभिन्न शिक्षा-शास्त्रियों और दार्शनिकों ने 'आचार-संहिता' प्रस्तुत कर ज्ञानार्जन की पात्रता का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया है । उनके मतानुसार ज्ञानार्जन के योग्य, विनम्र तथा धर्माचरण में संलग्न बालक को ही विद्याध्ययन का अधिकार प्राप्त है इसके विपरीत आचरण करने वाले बालक को वेदाध्ययन के अधिकार से वंचित किया गया है । **निरुक्तकार** महर्षि **यास्क** ने विद्यासूक्त में शिक्षार्थी के स्वरूप और उसकी पात्रता का विश्लेषण करते हुए कहा है— **'जो शिष्य विद्या को घृणा की दृष्टि से देखता है अर्थात् प्राप्त ज्ञान का उपहास करते हुए उसका प्रयोग विध्वंसकारी प्रवृत्तियों के विकास के लिए करता है तथा कुटिल और असंयमी है अर्थात् धर्मशास्त्र प्रतिपादित आचार संहिता के अनुरूप अपना जीवन व्यतीत नहीं करता, ऐसे शिष्य को विद्यादान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे समाज में सदैव अशांति और भय का वातावरण उपस्थित होने की सम्भावना बनी रहेगी, किन्तु जो पवित्र, ध्यानमग्न, बुद्धि-**

---

१. शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् । श्रीमद्भगवतगीता— २/७

२. शरीरार्थप्राणांश्च सद्गुरुभ्यो निवेद्य यः ।

मान, ब्रह्मचारी, गुरु के प्रति सत्यभाषी और गुरु सान्निध्य में प्राप्त ज्ञान का संरक्षण और संवर्द्धन संग्रहीत धन की भाँति करे, उसे ही शिक्षा प्रदान करनी चाहिए।'[1] दूसरे शब्दों में अनाध्यायी, चोर, लूटपाट और असामाजिक कार्य में प्रवृत्त आतंकवाद को फैलाने वाले बालक को विद्यादान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे शिष्य के साथ-साथ गुरु की प्रतिष्ठा को भी आघात पहुँचता है।

धर्मनिष्ठ नीति निपुण आचार्य मनु के अनुसार दश प्रकार के व्यक्ति शिक्षण प्राप्त करने योग्य हैं—'गुरु-पुत्र, **गुरु-सेवी शिष्य, जो बदले में ज्ञान दे सके, धर्मज्ञानी या जो मन-देह से पवित्र हो, सत्यवादी, जो अध्ययन करने और धारण करने में समर्थ हो, जो शिक्षण के लिए धन दे सके, जो व्यवस्थित मन का हो और जो निकट सम्बन्धी है।'**[2] उन्होंने इस सम्बन्ध में आगे कहा है—**'जिस शिष्य में धर्म और अर्थ नहीं हो तथा शास्त्रोक्त सेवाभाव भी नहीं हो, उसे विद्या नहीं पढ़ानी चाहिए, क्योंकि उसकी स्थिति तो उस बंजर (ऊसर) भूमि के सदृश है जहाँ अच्छे बीज डालने पर भी फसल का नामोनिशान नहीं मिलता।'**[3] दूसरे शब्दों में श्रेष्ठतम गुरु द्वारा अनाध्यायी बालक को दी गई शिक्षा व्यर्थ ही जाती है। कहा भी गया है—भैंस के आगे बीन बजाने से क्या लाभ? मूर्ख के आगे विद्वत्तापूर्ण उपदेश देने का क्या प्रयोजन? महर्षि **याज्ञवल्क्य** ने अपने स्मृति ग्रन्थ में मनु प्रतिपादित शिष्य के गुणों में कुछ गुण और भी जोड़े हैं, यथा—**कृतज्ञ, गुरु से घृणा न करने वाला अथवा गुरु के प्रति सत्य-भाषी, स्वस्थ तथा व्यर्थ का छिद्रान्वेषण न करने वाला शिष्य ही पात्रता रखता है।'**[4] अतः स्वार्थभाव से रहित कर्म में आसक्त व्यक्ति को

---

१. असूयकायानृजवेऽयताय न मा ब्रूया। वीर्यवती यथा स्याम्।···
यमेवविद्याः शुचिमप्रमत्तं मेधाविनं ब्रह्मचर्योपपन्नाम्। यस्ते न द्रुह्येत्कत-
मच्चनाह तस्मै मा ब्रूया निधिपाय ब्रह्मन्। निरुक्त—२/१/४

२. आचार्यपुत्रः शुश्रूषर्ज्ञानदो धार्मिकः शुचिः।
आप्तः शक्तोऽर्थदः साधुः स्वोऽध्याप्या दश धर्मतः॥
मनुस्मृति—२/१०९

३. धर्मार्थौ यत्र न स्यातां शुश्रूषा वाऽपि तद्विधा।
तत्र विद्या न वप्तव्या शुभं बीजमिवोषरे॥ मनुस्मृति—२/११२

४. कृतज्ञोद्रोहिमेधाविशुचिकल्यानसूयकाः।
अध्याप्या धर्मतः साधुशक्ताप्तज्ञान वित्तदाः॥ याज्ञवल्क्यस्मृति—१/२८

वेदाध्ययन का अधिकार प्राप्त है। उसे गुरु सान्निध्य को प्राप्त कर ज्ञान-सरिता की अजस्रधारा में आजीवन स्नान करते रहना चाहिए तथा प्राप्त ज्ञान के आधार पर जन-कल्याण और समाजोत्थान के कार्यों में सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। यही शिक्षा का मूल उद्देश्य भी है और इस उद्देश्य की प्राप्ति ही गुरु के गुरुत्व और शिष्य के शिष्यत्व का परिचायक है।

वेद-वेदाङ्ग और विभिन्न दार्शनिक ग्रन्थों में वेदाध्ययनार्थी (विद्यार्थी) के गुणों के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। वेद प्रतिपादित विषयों के अध्ययन के लिए महर्षि ने अध्ययनार्थी से सतत अनुकरण की अभिलाषा की है, क्योंकि शुद्धोच्चारण पूर्वक गुरुमुख से प्राप्त अर्थज्ञान ही पुरुषार्थ-चतुष्टय में सहायक सिद्ध है। उनके मतानुसार अर्थज्ञान की यह प्रक्रिया गुरु-सान्निध्य के बिना सम्भव नहीं हो सकती है। अतः महर्षि आश्रम में प्रवेश से पूर्व शिक्षार्थी की पात्रता का मूल्यांकन कर उपनयन संस्कार विधि द्वारा पूर्वजन्मार्जित पाप-कर्म संस्कार से दूषित मनोवृत्ति का परिशोधन कर वेद प्रतिपादित आचार-संहिता के अनुरूप सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, यथा—'**सत्य बोलो। धर्म के अनुरूप आचरण करो। स्वाध्याय से प्रमाद न करो...**।'[१] उपरोक्त वेद प्रतिपादित आदेशानुसार आचरण करने वाला व्यक्ति ही '**शिक्षार्थी**' कहलाने योग्य है। '**चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है**'[२] महर्षि **पतञ्जलि** प्रतिपादित इस सूत्र से भी यौगिक प्रक्रिया में निष्णात की अभिलाषा रखने वाले व्यक्ति की पात्रता का मूल्यांकन होता है। महर्षि मतानुसार सतत प्रयत्नशील और आत्मानुशासित व्यक्ति ही ज्ञानार्जन के योग्य है। **आपस्तम्बसूत्र** के मतानुसार **ब्रह्मचारी को सदा अपने गुरु पर आश्रित एवं उनके नियन्त्रण में रहना चाहिए. उसे गुरु को छोड़ किसी अन्य के पास नहीं रहना चाहिए**।[३] **मुण्डकोपनिषद्** में भी योग्य शिष्य के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए कहा है—'**शरण में आए हुए ऐसे शिष्यों को जो पूर्णतः शान्त और निश्चल हो चुके हों, सांसारिक भोगों से सर्वथा वैराग्य हो जाने के कारण जिनके चित्त में किसी भी प्रकार की चिन्ता, व्याकुलता या विकार नहीं रह गए हों, जिसने अपने मन, बुद्धि और एकादश इन्द्रियों को भली-**

---

१. सत्यं वद। धर्मं चर। स्वाध्यायान्मा प्रमदः। तैत्तिरियोपनिषद्-११/१

२. योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः। पतञ्जलि योगसूत्र—१/२

३. न ब्रह्मचारिणो विद्यार्थस्य परोपवासोऽपि आचार्याधीनः स्यादन्यत्र पतनीयेभ्यः। हितकारी गुरोरप्रतिलोमयन्वाचा।
आपस्तम्बधर्मसूत्र—१/१/२/१९

भाँति वशीभूत कर लिया हो, उसे विद्यादान देने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए।'[1] अर्थात् शान्त तथा विषय-विलास के उपभोग से विरक्त व्यक्ति को शिष्यत्व प्रदान करते हुए उसके अन्तःकरण में ज्ञानाग्नि की ज्योति जगाये रखना चाहिए।

आचार्य **गौतम** ने भी विद्यार्थी के धर्म की चर्चा करते हुए उपदेश दिया है—**विद्यार्थी को असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, प्रतिदिन स्नान और सन्ध्योपासना करनी चाहिए जिससे शारीरिक स्फूर्ति बनी रहती है, सूर्य की ओर नहीं देखना चाहिए, उसे मधु-सेवन, मांस, सुगन्धित पदार्थों का प्रयोग, पुष्प-सेवन और दिन में विश्राम नहीं करना चाहिए; क्रोध, लालच, मोह और व्यर्थ के अपवाद से बचना चाहिए; पशु-हनन, अश्लील बातचीत, आसव-सेवन से दूर रहना चाहिए।** अन्ततोगत्वा यह कहा जा सकता है कि धर्मनिष्ठ नीति-निपुण आचार-संहिता के प्रणेता महर्षियों ने आचार्य (शिक्षक) को यह निर्देश दिया है कि आश्रम में प्रवेश देने से पूर्व विद्याध्ययन की अभिलाषा से आए हुए बालकों की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रवृत्तियों का विभिन्न प्रणालियों द्वारा मूल्यांकन कर अपना सान्निध्य प्रदान करते हुए 'शिष्यत्व' से अलंकृत करना चाहिए या यों कह सकते हैं कि महर्षियों द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त गुणों के आधार पर आश्रम में अध्ययनार्थ आगन्तुक को शिष्यत्व प्रदान करना चाहिए।

दीक्षा—'शिष्यत्व' प्रदान करने की प्रक्रिया का नाम ही दीक्षा है। 'दीक्षा' गुरु-शिष्य सम्बन्ध का एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग है, जिसे आश्रम में प्रवेश के समय उपनयन-संस्कार की विधि द्वारा सम्पादित किया जाता है तथा आश्रम छोड़ने से पूर्व गुरु-दक्षिणा अथवा दीक्षान्त समारोह में गुरु-आशीर्वचन के रूप में दिए गए उपदेश के साथ समाप्त होती है। 'दीक्षा' शब्द की निष्पत्ति संस्कृत के दा धातु के 'द' और क्षी धातु के 'क्ष' अक्षर के सम्मिश्रण से हुई है। कुछ देने वाले और कुछ लेने वाले विशेष कर्मों का नाम ही दीक्षा है। जन्म-जन्मान्तर से सञ्चित कुसंस्कारों के विनाश के मार्ग का ज्ञान कराना ही दीक्षा की सार्थकता है। 'दीक्षा' **दिव्य-ज्ञान को देने वाली और समस्त पापों**

---

१. तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक्प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय। येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्।

मुण्डकोपनिषद्—१/२/१३

का क्षय करने वाली होती है ।[1]

विद्यारम्भ-संस्कार के समय गुरु सर्वप्रथम अक्षर-ज्ञान का बोध कराता है। अतः इसे अक्षरारम्भ-संस्कार भी कहा जाता है । **'न क्षरतीत्यक्षरम्'** जो नश्वर नहीं है वह अक्षर है । वह परमात्मा ही है। ब्रह्मरूप अक्षरारम्भ के समय परमात्मा का स्मरण आवश्यक होता है । अक्षर-ज्ञान प्रदाता पिता हो अथवा गुरु, वह **'ओ३म् नमो नारायण सिद्धम्'** इस सिद्ध-मन्त्र का सर्वप्रथम उच्चारण करवाता है । सरस्वती वन्दना के समय **'सिद्धिर्भवतु मे सदा'** मन्त्र का उच्चारण कर बच्चे में एकात्मकता की चेतना उत्पन्न करते हैं । इसी आधार पर श्रीमद्भागवतमहापुराण में कहा गया है—**'यदि शिष्य पर गुरु का सच्चा अनुराग है तो वह अपने शिष्य को गुप्त से गुप्त मन्त्रणा देने पर भी तत्पर रहता है ।'**[3] दूसरे शब्दों में वास्तविक शिष्य वही है, जो गुरुज्ञान सरिता में पूर्णरूप से स्नान करता है । इसी आधार पर महर्षि ने शिष्य को **आजीवन गुरु-चरणों में नत-मस्तक रहने का आदेश दिया है ।**[4] महर्षि **याज्ञवल्क्य** ने वेदाध्ययन के प्रार्थी को आदेश दिया है कि **'वह अध्ययन के लिए एकमनस् हो गुरु की परिचर्या करे ।'**[5] इसी के साथ महर्षि ने कहा है—**'वह गुरु के बुलाये जाने पर ही अध्ययन करे तथा जो कुछ भिक्षादि द्वारा प्राप्त किया हो, उसे गुरु चरणों में समर्पित कर दे ।'**[6] **'हितं तस्याचरेन्नित्यं मनोवाक्काय-कर्मभिः'** स्मृति-वाक्य द्वारा महर्षि ने पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति के कारणभूत आचार्य के अनुकूल मन, वाणी, शरीर और कार्यों द्वारा आचरण करने का निर्देश दिया है । आश्रम छोड़ने से पूर्व अध्ययनार्थी को गुरु दीक्षान्त समारोह के अवसर पर अन्तिम उपदेश के रूप में अनुशासन की दीक्षा देते हुए शिक्षार्थी

---

१. दीयते ज्ञानमित्यर्थं क्षीयते पाशबन्धनम् ।
अतो दीक्षेति देवेशि कथितस्तत्वचिन्तकैः ।। योगिनी-तन्त्र-३/६

२. सरस्वति नामस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि ।
विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा ।।

३. स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत ।
श्रीमद्भागवतमहापुराणम्—१०/१२/४

४. असमाप्ते शरीरस्य यस्तु शुश्रूषते गुरुम् ।
सगच्छत्यञ्जसा विप्रो ब्राह्मणः सद्मशाश्वतः ।।

५. गुरुं चैवाप्युपासीत स्वाध्यायार्थं समाहितः । याज्ञवल्क्यस्मृति—१/२६

६. आहुतश्चाप्यधीयति लब्धं चास्मै निवेदयेत् ।। याज्ञवल्क्यस्मृति—१/२७

से आजीवन सत्य बोलने, धर्म का आचरण करने, स्वाध्याय से प्रमाद न करने, आचार्य की सेवा में मनोनुकूल धन समर्पित करने तथा प्रजासूत्र का लोप न होने का वचन लेता है।

संक्षेप में 'शिक्षक-शिक्षार्थी' शिक्षा की दो महत्त्वपूर्ण धुरियाँ हैं। शिक्षा-मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया के अन्तर्गत शिक्षार्थी को महत्वपूर्ण इकाई स्वीकार करते हुए उसके सर्वाङ्गीण विकास के लिए सामाजिक समस्या पर आधारित उचित पाठ्यक्रम और विद्यालय प्रांगण में शिक्षणानुकूल वातावरण बनाने का सुझाव दिया है। वातावरण से समानुकूल की प्रवृत्ति द्वारा ही शिक्षणार्थी में अनुरूप गुणों का विकास किया जा सकता है। किन्तु यह तभी सम्भव है जब आचार-संहिता द्वारा निर्दिष्ट गुणों वाले शिक्षार्थी को शिष्यत्व प्रदान कर आचार्य उसकी ज्ञान-पिपासा को शान्त करता है। वर्तमान में भी विद्यालय प्रवेश से पूर्व बालक और उसके अभिभावकों के साक्षात्कार की प्रक्रिया को अपनाया जाता है तथा योग्य बालक को ही विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है। उच्चस्तरीय शिक्षा में प्रवेश के समय भी साक्षात्कार अथवा सर्वोच्च प्राप्ताङ्क के आधार पर वरीयता प्रदान करते हुए छात्रों को विभिन्न विषयों में प्रवेश दिया जाता है।

पाठ्यक्रम—

शिक्षणाभ्यास की प्रक्रिया में पाठ्यक्रम का तृतीय स्थान है, जिसके द्वारा शिक्षक, शिक्षार्थी की ज्ञान-पिपासा को शान्त करने का प्रयत्न करते हुए नित्यनव्य-अनुसन्धानों में प्रवृत्त होने का दिशा निर्देश देता है। दिशा-निर्देशन का यह कार्य सामाजिक पृष्ठ-भूमि पर आधारित होता है, जिसमें पूर्वजों द्वारा संचित अनुभवों का संग्रह विद्यमान रहता है। या यों कहा जा सकता है कि देश, काल और परिस्थितियों के अनुरूप सामाजिक आवश्यकताओं की परिपूर्ति के लिए जिस रूपरेखा के अन्तर्गत शिक्षण संस्थाएँ भावी नागरिकों को शिक्षित करती हैं, वह पाठ्यक्रम कहलाता है।

पाठ्यक्रम की उपादेयता के संदर्भ में वेद-वेदाङ्गों के पर्यालोचन से हमें ज्ञात होता है कि शिक्षणाभ्यास की प्रक्रिया में अनादिकाल से विशेष बल दिया जाता रहा है। **छान्दोग्योपनिषद्** में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और इतिहासपुराण का वर्णन मिलता है।[1] इससे ज्ञात होता है कि उपनिषद्काल

१. 'ऋग्वेदं भगवोध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमाथर्वणं चतुर्थमितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं पित्र्यं राशिं दैवं निधिं वकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां···'। छान्दोग्योपनिषद्—७/१/२-३

में इन विषयों के अध्ययन-अध्यापन की विशेष व्यवस्था थी। आचार्य शंकर ने महाभारत सहित चारों वेदों के अध्ययन के लिए व्याकरण के ज्ञान की अनिवार्यता पर बल दिया है।[1] उपनिषदों में पाठ्य विषयों के विवेचना के प्रसङ्ग में आत्मा के विवेचन से अन्य विषयों के अध्ययन को महत्त्व दिया गया है। इन पाठ्य विषयों को मन्त्र कहा जाता था। एक प्रसङ्ग में नारद को (मन्त्रविद्) कहा गया है।[2] पाठ्य विषयों में अनेक आध्यात्मिक और सामाजिक विषयों का समावेश होता था। **महाकविकालिदास** के **'सामाप्त-विद्येन'** इस पद्य से यह स्पष्ट होता है कि विद्या का कोई पाठ्यक्रम रहा होगा, उसको शिष्य ने गुरु के सान्निध्य में अर्जित किया।

पाश्चात्य दार्शनिक **फ्रॉबेल** ने पाठ्यक्रम के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा है—**पाठ्यक्रम को मानव जाति के सम्पूर्ण ज्ञान और अनुभव का सार समझना चाहिए।**[3] ठीक भी है, जो कुछ हम शिक्षणाभ्यास के द्वारा अर्जित करते हैं अथवा नवीन अन्वेषणों द्वारा वर्तमान में जो कुछ भी उपलब्धियाँ हो रही हैं, उसकी पूर्व पृष्ठ-भूमि के रूप में मानव-क्रम विकास सम्पन्न अनुभूत्यात्मक ज्ञान बौद्धिकस्तर और आयुसीमा को ध्यान में रखते हुए 'पाठ्यक्रम' के माध्यम से विभिन्न स्तरों में उपलब्ध कराया जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पाठ्यक्रम जीवन में प्राप्त अनुभवों, क्रियाओं अथवा सम्बन्धित परिप्रेक्ष्य में उत्पन्न परिस्थियों का संचय है, जिनमें बालक भाग लेता है और जिनका वह सामना करता है। माध्यमिक शिक्षा-आयोग ने पाठ्यक्रम के स्वरूप की परिचर्चा में स्पष्ट किया है—**विद्यालय का सम्पूर्ण जीवन पाठ्यक्रम है, जो छात्र-जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित कर सकता है और उनके सन्तुलित व्यक्तित्व विकास में सहायता दे सकता है।**

उपर्युक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि शिक्षणाभ्यास की प्रक्रिया में जहाँ शिक्षक और शिक्षार्थी महत्वपूर्ण हैं, वहीं पाठ्यक्रम का भी अपना विशेष स्थान है। 'पाठ्यक्रम' के अभाव में शिक्षा की औपचारिक

---

१. भारतपञ्चमानां वेदं व्याकरणमित्यर्थः। व्याकरणेन हि पदादिविभागशः ऋग्वेदादयो ज्ञायन्ते।··· शा० भा० छा० उप० ७/१/२

२. 'सोऽहं भगवो मन्त्रविदेवास्मि···'। छान्दोग्योपनिषद्—७/१/३

३. समाप्तविद्येन मया महर्षिर्विज्ञापितोऽभूद् गुरुदक्षिणायै।
स मे चिरायास्खलितोपचारां तां भक्तिमेवागणयत् पुरस्तात्॥
रघुवंशमहाकाव्य— ५/२०

प्रक्रिया किसी भी रूप में सम्पन्न नहीं हो सकती अथवा यों कहा जा सकता है कि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण-कार्य उद्देश्यविहीन और अव्यवस्थित हो जाएगा, जिसे हम शिक्षा के अनौपचारिक साधन के रूप में अभिहित कर सकते हैं। अतः पाठ्यक्रम निर्माण के समय 'जीवन की पूर्णता' की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसाकि **एडरियन** एम० **ड्यूपुयस** ने कहा है—'**विद्यालय लोकतन्त्रीय समुदाय है, जिसमें छात्र कम से कम प्रतिदिन ७ घन्टे तो रहते ही हैं। इसलिए पाठ्यक्रम जीवन-यापन का एक अनुभव होना चाहिए, न कि पूर्णतया वयस्क जीवन के लिए तैयारी।**'

—०—

४

वेद-वेदाङ्ग में शिक्षा

तैत्तिरीय संहिता भाष्य भूमिका में वेद के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए सायणाचार्य ने "**इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारयोरलौकिकमुपायं यो ग्रन्थो वेदयति स वेदः**" के द्वारा निर्देश दिया है कि इष्ट-श्रेयस की प्राप्ति तथा अनिष्ट के परिहार के अलौकिक उपाय को जो ग्रन्थ बतलाता है, वह वेद है। पूर्व-मीमांसा में "**मन्त्रब्राह्मणात्मकः शब्दराशिर्वेदः...**" अर्थात् मन्त्र और ब्राह्मण के नाम से प्रसिद्ध शब्दराशि को वेद कहते हैं, के द्वारा वेद-संहिताओं और ब्राह्मण ग्रन्थों के लिए 'वेद' शब्द की प्रवृत्ति का निर्देश दिया गया है। उत्तर-मीमांसा में "**धर्मब्रह्मप्रतिपादकमपौरुषेयोऽयं वेदः**"[२] अर्थात् धर्म और ब्रह्म का प्रतिपादक अपौरुषेय वेद कहा जाता है।

तैत्तिरीय आरण्यक में सृष्टि प्रक्रिया के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए वेद की अपौरुषेयता को प्रमाणित करते हुए कहा है कि वेदों ने ही इस सम्पूर्ण विश्व का निर्माण किया है—"**सर्वं हीदं ब्राह्मणा हैव सृष्टम्**" यहाँ प्रकरणार्थ '**ब्रह्म**' शब्द वेदार्थ का ही वाचक है। श्रुति-वाक्य से भी प्रमाणित है जिसके द्वारा स्वयं वेद ने अपने को "**ब्रह्म स्वयम्भूः**" अर्थात् '**ब्रह्म और स्वयम्भू**' कहा है। "**वेदो नारायणः साक्षात् स्वयम्भूरिति शुश्रुमः**[३]" द्वारा महर्षि वेद-व्यास ने नित्य नूतन ब्रह्मरूप वेद की अनन्तता सिद्ध करते हुए इसे '**त्रिकालाबाध्य अस्तित्व**' कहा है। जैसा कि स्मृति-वाक्य भी प्रामाणिक है—'**नैव वेदाः प्रली-**

१. कृष्णयजुर्वेदसायण भाष्यभूमिका।

२. शब्दकलपद्रुम, पृ० सं०—४६६

३. वृ० नारद पुरा०—४१

यन्ते महाप्रलयेऽपि..."[1] अर्थात् महाप्रलय के उपरान्त भी वेद नष्ट नहीं होते हैं। श्रीमद्भगवद्गीता में स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने '**कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भावम्**"[2] के द्वारा वेद-वाक्य की अपौरुषेयता सिद्ध करते हुए कहा है—हे अर्जुन! तुम क्रियारूप यज्ञ आदि कर्म को ब्रह्म (वेदों) से उत्पन्न और उस ब्रह्म (वेदों) को ईश्वर से आविर्भूत जानो।

'**सर्वं वेद प्रतिष्ठितम्**',[3] '**सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति**"[4] अर्थात् सारे ज्ञान की प्रतिष्ठा वैदिक ज्ञान पर अवलम्बित है, समस्त ज्ञान और क्रियाकलाप वेद मूलक होने पर ही प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, इस कथन में कुछ भी प्रत्युक्ति नहीं है। '**योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्**"[5] इत्यादि पद्यों के माध्यम से आचार्य मनु ने भी वेद विमुख तथा अन्यत्र परिश्रमशील व्यक्ति की निन्दा की है।

शिक्षा का धार्मिक स्वरूप—

'**वेदोऽखिलोधर्ममूलम्**'[6] इस स्मृति वाक्य द्वारा आचार्य मनु ने समस्त वेद धर्म का, विधेय कर्मों का, विविध दार्शनिक चिन्तनों का मूल माना है, जिस ज्ञानकाण्ड को अन्य चतुर्विध यज्ञों से श्रेष्ठ बताया गया है, उसे वेद मूलक सिद्ध करने का प्रयास समस्त दर्शनों में किया गया है।

पूर्व-मीमांसा सूत्र में जैमिनी ने '**धर्म को वेद विहित कर्म प्रेरक' लक्षण के अर्थ में स्वीकार किया है, अर्थात् वेदों में प्रयुक्त अनुशासनों के अनुसार चलना ही धर्म है। धर्म का सम्बन्ध उन क्रिया-संस्कारों से है, जिनसे आनन्द मिला करता है और जो वेदों द्वारा प्रेरित एवं प्रशंसित है।**[7] धर्म ही मानव-मात्र की लौकिक और आध्यात्मिक शक्ति के अभ्युदय का प्रतीक है। महर्षि कणाद ने धर्म के स्वरूप और उससे प्राप्त फल का वर्णन करते हुए कहा है—**जिस कार्य से अभ्युदय और निःश्रेयस् की सिद्धि होती है, वह धर्म है,**[8]

१. मेघातिथि
२. श्रीमद्भागवद्गीता—३/१५
३. वेदसम्मुलास भूमिकाभाग।
४. मनुस्मृति १२/९७
५. मनुस्मृति—२/१६८
६. मनुस्मृति—२/६
७. चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः।—पूर्वमीमांसा—१/१/२
८. यतोऽभ्युदयनिःश्रेयस् सिद्धिःस धर्मः।—कणादसूत्र—१/१/२

के अनुसार वैशेषिक दर्शन में धर्म के व्यापक अर्थ के रूप में मानवता को अभिव्यक्त किया गया है। महर्षियों ने धर्म-लक्षण का निरूपण करते हुए कहा है—**समस्त विश्व धर्म के आधार पर ही अवस्थित है. धार्मिक कृत्यों में आसक्त जन ही अभ्युदय को प्राप्त होते हैं, धर्म अनाचार को दूर करता है तथा इस भवसागर से पार लगाने के फलस्वरूप धर्म को परमश्रेष्ठ कहा गया है। धर्म मनुष्य को अन्तर्दृष्टि प्रदान करता है, गम्भीर समस्याओं का समाधान देता है. लोगों के साथ पूर्ण समन्वय करता है तथा हमारे मन-मस्तिष्क को परिपक्वता प्रदान करते हुए अभ्युदय और निःश्रेयस् का मार्ग प्रशस्त करता है।**[1] वास्तविक रूप में, धर्म ही एक ऐसा मार्ग है जो समस्त विश्व को मानवता के सूत्र में बाँधते हुए सदाचार और सद्-व्यवहार का प्रशिक्षण प्रदान करता है। समाज में सदाचार और सद्-व्यवहार के कारण ही मानव को यथायोग्य स्थान प्राप्त होता है। आपसी सहयोग और प्रेम-पूर्ण आचरण का प्रशिक्षण धार्मिक शिक्षा द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अथर्ववेद में धर्म' शब्द का प्रयोग धार्मिक क्रिया-संस्कार से अर्जित गुण के अर्थ में किया गया है। महर्षि के मतानुसार—**सत्य, ऋत, तप, राष्ट्र, श्रम, धर्म, कर्म, भूत-भविष्य, वीर्य, लक्ष्मी, बलिष्ठ का बल, यह सब उच्छिष्ट में रहता है।**[2] यहाँ उच्छिष्ट से अभिप्राय है—**ऊर्ध्वभाग में अवशिष्ट** अर्थात् जो उच्च स्थान में अवशिष्ट रहता है। दूसरे शब्दों में, सृष्टि की उत्पत्ति के पश्चात् जो भाग अवशिष्ट रहता है, उसका नाम **'उच्छिष्ट'** है। पुरुषसूक्त में कहा गया है—**त्रिपाद् पुरुष उच्च स्थान में उदित हुआ है और उसका एक अंश इस लोक में बार-बार उत्पन्न होता रहता है।**[3] कहने का तात्पर्य यह है कि चिदात्मयाकार परब्रह्म परमेश्वर का एक अंश विश्वरूपाकार में

---

१. धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा।
लोके धर्मिष्ठम् प्रजा उपसर्पन्ति।
धर्मेण पापमपनुदन्ति
धर्मे सर्वं प्रतिष्ठितम्। तस्मात् धर्मं परमं वदन्ति।
यज्ञेन विश्वं प्रतिष्ठितम् देवाः। तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्।
वाजसनेयि ब्राह्मणोपनिषद्—३/४

२. ऋतं सत्यं तपो राष्ट्रं श्रमो धर्मश्च कर्म च।
भूतं भविष्यदुच्छिष्टे वीर्यं लक्ष्मीर्बलं बले॥ अथर्ववेद—११/७/१७

३. त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्पुनः।
ऋग्वेद—१०/९०/४

परिणत होता रहता है और शेष सब मूल स्थिति में अवशिष्ट रहता है। सत्-असत्, जीवन-मृत्यु, वरण और द्रावण, यह सब द्वन्द्व उच्छिष्ट ब्रह्म में ही होते रहते हैं, अर्थात् जो कुछ यहाँ है, उसका सम्बन्ध उच्छिष्ट परब्रह्म परमेश्वर से रहता है या यों कहा जा सकता है कि परब्रह्म परमेश्वर से पृथक् किसी का भी कोई अस्तित्व नहीं है, वेद-निर्दिष्ट यज्ञादि क्रियाओं में प्रवृत्त व्यक्ति ही पुरुषार्थचतुष्टय के मार्ग को अपनाते हुए उस परब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप से तादात्म्य स्थापित कर सकता है।

महर्षि **वेद-व्यास** का मत है—**जो धारण करने योग्य है, वही धर्म है। प्रजाजन धर्म से ही धारण किये जाते हैं।**[1] कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व निर्माण हेतु वेदोक्त धर्मनिष्ठ संस्कृति के अनुरूप जिन आध्यात्मिक, सामाजिक और व्यावसायिक गुणों को अपनाता है, वही धर्म है। उदाहरणार्थ—मानव-मानवीय गुणों को, राजा-राज धर्म रूपी छत्र-चामरादि चिह्नों से प्रजाजन को, वणिक् वाणिज्य को, कृषक खेती-बाड़ी के व्यवसाय को अपनाता (धारण करता) है, क्योंकि यही उसका धर्म है, जिसके कारण समाज में उसे सम्मान प्राप्त होता है। किन्तु यहाँ यह शङ्का होती है कि क्या चोर के लिए चोरी करना, जो उसका व्यवसाय है, भी धर्म है? इसके समाधान में नीतिनिपुण धर्म-शास्त्रज्ञों ने कहा है—वेद-निषिद्ध और समाज-विरोधी कार्य होने के कारण चोर के लिए चोरी करना एक व्यवसाय अर्थात् उदर-पूर्ति का साधन होने पर भी धर्म नहीं है। वास्तविक रूप में, धारण या नियन्त्रण करने के कारण ही कर्तव्य मार्ग को धर्म कहा गया है। दूसरे शब्दों में, धर्म वह है—जिसके धारण करने से स्वयं की तथा अन्य प्राणियों की अभिवृद्धि होती है।

आदि **शङ्कराचार्य** ने वेदान्त वाक्य द्वारा धर्म का लक्षण प्रतिपादित करते हुए प्राप्तव्य फल के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा है—**जो जगत् की स्थिरता और प्राणियों के उत्कर्ष और समृद्धि का कारण है, वही धर्म है।**[2] अर्थात् मानव धर्माचरण द्वारा ही अभ्युदय और निःश्रेयस् को प्राप्त कर परब्रह्म परमेश्वर से तादात्म्य स्थापित करता हुआ जीवन-मुक्ति के मार्ग को प्राप्त कर सकता है। मानव-जाति के उत्कर्ष के लिए धर्म ही एक

---

१. धारणाद्धर्ममित्याहुः धर्मो धारयते प्रजाः।

महाभारत (कर्णपर्व)—६५/५६

२. जगतः स्थिति कारणं साक्षात् प्राणिनामभ्युदयनिःश्रेयस हेतु स धर्मः।

ऐसा स्तम्भ है, जो विभिन्न सम्प्रदायों में विभक्त होते हुए भी बिना किसी भेद-भाव के समान रूप से मानवता के सूत्र में बांधते हुए विश्व-बन्धुत्व का बोध कराता है तथा आपसी भाई-चारे और सहयोग की शिक्षा देते हुए नैतिकता के पथ पर चलने को प्रेरित करता है। ऐतरेय ब्राह्मण में 'धर्म' शब्द का प्रयोग समस्त धार्मिक कर्तव्यों के अर्थ में किया गया है। जिसके अनन्तर सत्य-निष्ठा, पापादि दुष्प्रवृत्तियों से रहित शुद्धाचरण, परमपिता परमेश्वर में एक निष्ठ आस्था, अनाशक्ति कर्म-योग में आस्था तथा सद्-व्यवहार आदि प्रवृत्तियाँ समाहित हैं। छान्दोग्योपनिषद् में शुद्धाचरण के विधान का प्रतिपादन करते हुए धर्म को तीन शाखाओं में विभक्त किया है—

(i) यज्ञ, अध्ययन और दान करना, गृहस्थ-आश्रम का धर्म है।
(ii) तपस्या अर्थात् तापस धर्म है, तथा
(iii) ब्रह्मारित्व अर्थात् आचार्य-गृह में ब्रह्मचारी बनकर अन्त तक रहना, यह धर्म के तीन स्कन्ध कहलाते हैं।[1]

उपर्युक्त उपनिषद् वाक्य द्वारा महर्षि ने समस्त विश्व को धर्माचरण के अनुरूप व्यवहार करने का निर्देश दिया है। **माण्डूक्योपनिषद्** में भी महर्षि ने 'धर्म' शब्द का विवेचन करते समय कहा है—**जो इन्द्रियों को नियन्त्रण में रखता है, वही धर्म है।**[2] मानव में धर्माचरण द्वारा ही आत्म-संयम, आत्म-नियन्त्रण अथवा आत्मानुशासन की भावना को, जो कि इन्द्रियों का धर्म कहा गया है, विकसित किया जा सकता है। **मनु** का कथन भी है—**वेद और स्मृति में वर्णित आचार ही परम धर्म है।**[3] आचार-च्युत अर्थात् नित्य-नैमित्तिक कर्मों से विहीन व्यक्ति को वेद-प्रतिपादित पुरुषार्थचतुष्टय की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है तथा इसके विपरीत आचारवान् मानव सम्पूर्ण ऐश्वर्यादि सुखों का जीवन में उपभोग करते हुए जीवन-मुक्ति को प्राप्त करता है। जीवन-मुक्ति ही पुरुषार्थ चतुष्टय का अन्तिम धर्म है, जिसकी प्राप्ति हेतु समस्त सम्प्रदायों के आचार्यों ने मानव-जाति को धर्म-निष्ठ आचरण के अनुपालन का उपदेश दिया है।

---

१. त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमस्ततम् एवेति द्वितीयो ब्रह्म-चार्याचार्यकुलवासी तृतीयोऽत्यन्तमात्मानमाचार्यकुलेऽवसादयन्। सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति। छान्दोग्योपनिषद्—२/२३

२. धरति नियन्त्रयति इन्द्रियादीनि इति धर्मः।

३. आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च। मनुस्मृति—१/१०८

महर्षि **वेद-व्यास** ने धार्मिक भावना की ओर संकेत करते हुए कहा है कि— **जो तुम्हारे लिए प्रतिकूल हो वह दूसरों के साथ मत करो, यही धर्म है। इसी के अनुरूप तुम्हें आचरण करना चाहिए।**[1] जिससे अन्य प्राणियों के साथ-साथ तुम्हारे नैसर्गिक गुणों के अनुरूप सामाजिक व्यावसायिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में अभिवृद्धि हो सके। कहने का तात्पर्य यह है कि मानव सामाजिक, व्यावसायिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में अभिवृद्धि तभी प्राप्त कर सकता है जब कि वह धर्म-निष्ठ कर्त्तव्यों से मर्यादित आचरण के अनुरूप आचरण करे। अर्थात् सदाचार और सद्-व्यवहार सामाजिकीकरण का मूल कारण है, कर्तव्य-निष्ठ कर्म भाव व्यवसाय का जनक है तथा सत्य-निष्ठ आचरण आध्यात्मिकता का मूल मन्त्र है, जिसे धर्म की संज्ञा से अभिहित किया गया है।

कार्य-सम्पादन तथा व्यक्तिगत संघर्षों के समाधान हेतु कतिपय शास्त्रों का सम्पादन और समाजोचित सिद्धान्तों का सर्जन करते हुए उनका अनुपालन करना समाज के प्रत्येक प्राणि का धर्म है। वेद-संहितादि ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रतिपादित धार्मिक सिद्धान्तों का अनुगमन करने से ही धर्म तथा समाज की मर्यादाओं का निर्वाह सम्भव हो सकता है, अन्यथा नहीं। दूसरे शब्दों में, मानव के जीवनोत्कर्ष की प्राप्ति का एक मात्र सशक्त साधन 'धर्म' ही माना गया है। मनुस्मृति वाक्य द्वारा धर्म के महत्त्व को स्पष्ट करते हुए आचार्य मनु ने कहा है—**जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसी की रक्षा करता है और जो धर्म का विनाश करता है, धर्म उसे भी नष्ट कर डालता है।**[2] लङ्कापति रावण का अन्त और मर्यादापुरुषोतम राम की दिग्विजय इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, जिसके द्वारा 'अधर्म पर धर्म की जीत' का आदर्श मार्ग प्रशस्त किया गया है। **"रामादिवत्प्रवर्तितव्यं न तु रावणादिवत्"**[3] के द्वारा आचार्य विश्वनाथ ने कृत्य में प्रवृत्ति और अकृत्य का त्याग, की प्रवृत्ति द्वारा धर्माचरण का उपदेश दिया है। आचार्य मनु ने धर्माध्याय में धर्म और धर्माचरण की विषद् व्याख्या करते समय धर्म के जिन दस लक्षणों का विवेचन किया है वे भी इस समन्वित स्वरूप का ही समर्थन करते हैं। उनके मता-

---

१. श्रूयतां धर्मस्वं श्रुत्वा चैवावधर्मताम्।
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्॥ महाभारत

२. धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः। मनुस्मृति—८/१५

३. साहित्यदर्पण—पृ० सं० ७

नुसार— **संतोष, क्षमा, मन को वश में रखना, न्याय से धन ग्रहण करना, पवित्रता, इन्द्रियों को वश में रखना, बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध, ये धर्म के दश लक्षण हैं।**[१] इनमें क्षमा, अस्तेय, अक्रोध— ये समाज से सम्बन्धित हैं और शेष व्यक्ति से ।

धर्म के ये दश लक्षण देश और काल से पृथक् होने के कारण जाति, वर्ण, मत या सम्प्रदाय से ऊपर हैं, इनके विषय में कहीं भी कोई विवाद नहीं है और ये मूल्य मानव को वास्तविक मानव बनाते हैं। जैसा कि कहा भी गया है—"**धर्म नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, हिन्दू हैं हम, हिन्दुस्ताँ हमारा ।**" इसी तरह धर्म, तत्त्वतः समाज-नीति और आत्म-नीति का समन्वित रूप है, जिसके द्वारा '**अहिंसा परमो धर्मः**'[२] और "**आनृशंस्यं धर्मः**"[३] का उपदेश दिया गया है। धर्माचरण द्वारा ही मानव संसार रूपी समुद्र को लांघ कर ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। ब्रह्मत्व की प्राप्ति "**निःश्रेयसफलं तु ब्रह्मविज्ञानं न चानुष्ठानापेक्ष्यम्**"[४] के द्वारा ही सम्भव है। वृहदारण्यकोपनिषद् के मतानुसार—**अन्धकार से प्रकाश की ओर प्रवृत्त करने का, असत्य से सत्य का मार्ग प्रशस्त करने का तथा मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाने का कार्य धर्म ही करता** है। अतः प्राणिमात्र को सदा-सर्वदा धर्म का ही अनुपालन करना चाहिए।

पाश्चात्य शिक्षा मनोवैज्ञानिक **रायबर्न** ने "**भारतीयदर्शन**" में धर्म की उपादेयता को सुस्पष्ट करते हुए कहा है—**भारतीय जनता के जीवन में धर्म का इतना महत्त्वपूर्ण स्थान है कि आदर्श पाठशालाओं के निर्माण में उससे बड़ी सहायता ली जा सकती है**। नवीन राष्ट्रिय शिक्षा-नीति १९८६ में सम्भवतः इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर '**धर्म और संस्कृति** को पाठ्य-वस्तु में विशेष स्थान दिया गया है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मानवीय अधिकारों के संरक्षणार्थ 'धर्म' की सत्ता को स्वीकार करते हुए उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अभ्युन्नति के लिए अनिवार्य सिद्ध किया है। उनके मतानुसार नैसर्गिक गुणानुसार व्यक्तित्व

---

१. धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्म-लक्षणम् ।। मनुस्मृति—६/९२

२. महाभारत (अनुशासनपर्व)—११५/१

३. महाभारत (वनपर्व)—३७३/७६

४. "तत्तुसमन्वयात्" **ब्रह्मसूत्र शंकरभाष्य—१/४**

निर्माण में धार्मिक स्वरूप की सत्ता स्वयं सिद्ध है। शिक्षा द्वारा धर्म-निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण करने से न केवल व्यक्ति में आध्यात्मिक सत्ता का विकास होता है अपितु वैदिक वाङ्मय द्वारा निर्दिष्ट सिद्धान्तों के अनुरूप नैसर्गिक गुणों का परिशोधन और परिवर्द्धन भी होता है। जैसाकि जन-जागरण के उद्देश्य से महात्मा गाँधी ने समय-समय पर अपने विचार अभिव्यक्त करते हुए कहा है—

(i) **धर्म से ओत-प्रोत जीवन—धर्महीन जीवन बिना पतवार की नाव के समान है। जिस प्रकार बिना पतवार के नाव अपने उद्दिष्ट स्थान पर नहीं पहुँचेगी, उसे लहरें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जायेंगी, उसी प्रकार मनुष्य बिना धर्म के इस संसार रूपी भवसागर में हिचकोले खाता फिरेगा और अपने उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर सकेगा।**[1] वास्तविकता भी यही है—धार्मिक भावना से ओतप्रोत व्यक्तित्व ही विश्वबन्धुत्व की भावना से भाषित होता हुआ समाज में आपसी सहयोग और सद्-व्यवहार के अनुरूप आचरण कर पायेगा। नित्य-नैमित्तिक कर्मों का विधि-विधान धर्म-शास्त्रों में प्रतिपादित करते हुए महर्षियों ने मानव-समाज को स्पष्ट आदेश दिए हैं—यदि **विश्व का कल्याण चाहते हो तो धार्मिक स्रोत में बंधते हुए जन-कल्याण की भावना से मर्यादित संस्कृति का अनुपालन करते हुए राष्ट्रोत्थान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दो।** किन्तु यह तभी सम्भव हो सकता है जबकि तुम्हारा मार्ग धर्म-शास्त्र प्रतिपादित सिद्धान्तों पर आधारित हो। जैसाकि महर्षियों ने अपने उपदेश वाक्यों में कहा है—**जीवन का वास्तविक स्रोत ही धर्म है, जिसके अनुपालन से व्यक्ति अन्तिम सत्य 'मोक्ष' को प्राप्त करता हुआ निःश्रेयस् को प्राप्त करता है।**

(ii) **धर्म से प्रभावित राजनीति—मैं ऐसी राजनीति की कल्पना नहीं कर सकता जो धर्म से रहित हो। हमारा प्रत्येक कार्य धर्म से ओत-प्रोत होना चाहिए। धर्म का अर्थ—साम्प्रदायिकता नहीं है।**[2] **महात्मा गाँधी द्वारा** प्रतिपादित धर्मावगुंठित राजनीति का अभिप्राय यह नहीं है कि निजी स्वार्थ के वशीभूत हो चुनावों में विजयश्री प्राप्त करने के लिए सम्प्रदाय विशेष का मत पाने के लिए संकीर्णता पर आधारित धार्मिक पृष्ठ-भूमि का सहारा प्राप्त करें, अपितु वे चाहते थे कि लोकतन्त्र के उच्च आदर्शों के आधार पर

१. हरिजन 'पत्र' २९ अगस्त १९३९
२. हरिजन 'पत्र' १० जनवरी १९४०

जिनकी नींव वेद-वेदाङ्ग प्रतिपादित विश्व-बन्धुत्व की भावना पर आधारित राजनीति को भारतीय संविधान में महत्त्व दिया जाए अर्थात् जाति, सम्प्रदाय और विशेष धर्म से अवलम्बित राजनीति को कोई स्थान नहीं दिया जाय। महात्मा गाँधी के इन्हीं विचारों को महत्ता प्रदान करते हुए भारतीय संविधान में धर्म-निरपेक्ष राज्य की व्यवस्था की गई है, जिसके अनुसार प्रत्येक वर्ग, जाति, धर्म और सम्प्रदाय का व्यक्ति शासन-प्रणाली में समान रूप से अपना सहयोग दे सकता है। उनके मतानुसार समाज में जन-जागरण लाने तथा नागरिकों में उच्च आदर्शों की अभिवृद्धि के लिए धार्मिक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए किन्तु उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि धर्म का क्षेत्र संकीर्ण न होकर मानवाधिकार के संरक्षणार्थ विश्वव्यापी होना चाहिए जिसमें सभी धर्मों का सार निहित हो। ठीक भी है हम तभी संरक्षित और एक सूत्र में बँध पाएंगे, जब हमारी शिक्षा का उद्देश्य सर्व-धर्म सम्भाव के आधार पर आधारित होगा।

(iii) **धार्मिक-शिक्षा—यदि भारत आध्यात्मिक रूप से दिवालिया नहीं होना चाहता तो प्रत्येक युवक को भौतिक शिक्षा के साथ-साथ धार्मिक शिक्षा भी प्रदान करनी होगी।**[1] 'धर्म' हमारी संस्कृति का मूलस्रोत है। विश्व में यदि कहीं हमारा स्थान है तो उसका मूलाधार धर्म ही है। धर्म-भावना के आधार पर ही हम विश्व में गुरु के पद से अलंकृत हैं। अतः यदि हमें विश्व में अपना स्थान सुरक्षित रखना है तो भौतिक विकास के साथ-साथ आध्यात्मिक सत्ता को भी बनाये रखने का प्रयास करना चाहिए। नैतिक-आचरण ही विश्व-बन्धुत्व का मूल कारण है। इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए महात्मा गाँधी ने भारतीयता का मुख्य आभूषण उसकी अपनी संस्कृति बताई है तथा उसे सुरक्षित और संवर्द्धित रखने के लिए शिक्षण-पाठ्यक्रम में समुचित स्थान प्रदान करने का सुझाव दिया।

अतः सृष्टि के प्रारम्भ से वर्तमान स्थिति तक पहुँचने का मानव विकास सम्बन्धी ज्ञान आदि-ग्रन्थ वेदों में सुरक्षित होने के कारण भारतीय विचार-धारा, संस्कृति और दर्शन के द्योतक हैं। उनमें मानव-धर्म का विस्तृत तथा गहन वर्णन उपलब्ध होने से ये मानव के ज्ञान, मानसिक विकास, शक्ति अर्जन और सर्वाङ्गीण विकास के द्योतक हैं। कहा भी गया है—'**सर्वकामप्राप्त्यादिर्मोक्षान्तः पुरुषार्थो वक्तव्य इति वेदः प्रवृत्तः।**' शिक्षा का अर्थ ऐसे ही व्यापक अर्थ का ज्ञान कराना है।

---

१. यङ्ग-इण्डिया—२५ अगस्त १९२७

निरुक्त में ऋषि शब्द का निर्वचन करते समय जहाँ उन्हें मन्त्र-द्रष्टा बताया गया है, वहाँ धर्म का साक्षात्कार करने का सौभाग्य प्राप्तकर्ता भी उन्हें कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि मन्त्रों के साक्षात्कार के साथ-साथ मन्त्रों के प्रतिपाद्य धर्म और अर्थ तथा मन्त्रों के प्रतिपाद्य धर्म और ब्रह्म दोनों का साक्षात्कार भी ऋषियों को ही हुआ है। उनकी **'परा-पश्यन्ती-मध्यमा-वैखरी'** नामक चारों वाणियों[1] में क्रमशः उनके प्रतिपादक शब्द जागृत हुए हैं—**'चत्वारि वाक् परिमिता पदानि, तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः। गुहा त्रीणि निहता नेङ्गयन्ति, तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति'**[2] इन शब्दों द्वारा उन्होंने अपने शिष्यों और पुत्रों के प्रति धर्म और ब्रह्म का उपदेश किया। उपर्युक्त इन दोनों लक्षणों से वेद का स्वरूप और विषय स्पष्ट हो जाता है।

संस्कारों के माध्यम से शिक्षा का स्वरूप—

वेद का विषय धर्म है तथा धर्म का सम्पूर्ण रूप से पालन करने के लिए वर्णाश्रम-व्यवस्था का विधान किया गया है। आश्रम-व्यवस्था के अन्तर्गत बालक के पूर्वजन्म जनित दुष्कर्मों की निवृत्ति हेतु गर्भाधान से मृत्यु-पर्यन्त षोडश-संस्कारों[3] के माध्यम से अन्तःकरण की शुद्धीकरण का प्रयास किया जाता है। महर्षि पतञ्जलि ने 'संस्कार' के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा है—**चित्त के ऊपर जो प्रभाव स्थायी रूप से पड़ जाता है, उसे संस्कार कहते हैं।**[4] 'संस्कार' शब्द "संस्करणं संस्कारः" इस व्युत्पत्ति से **'सम्'** उपसर्ग में **'कृ'** धातु से **'घञ्'** प्रत्यय करके बना है, जिसका अर्थ है—शुद्ध अथवा उन्नति करना। **'मेदनी कोष'** के अनुसार 'संस्कार का अर्थ है—प्रतियत्न, अनुभव और मानस कार्य। जहाँ तक पूर्व जन्म का प्रश्न है, विभिन्न आस्तिक दर्शनों की मान्यता है कि जब जीवात्मा एक शरीर का परित्याग कर दूसरे

---

१. परावाङ्मूलचक्रस्था पश्यन्ती नाभि-संस्थिता।
हृदिस्था मध्यमा ज्ञेया वैखरी कण्ठदेशगा॥ तन्त्रशास्त्र

२. ऋग्वेद—१/१६४/४५

३. गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तो जातकर्म च।
नामक्रिया निष्क्रमणेऽन्नप्राशनं वपनक्रिया॥
कर्णवेधो व्रतादेशो वेदारम्भ क्रियाविधिः।
केशान्तः स्नानमुद्वहो विवाहाग्निपरिग्रहः॥
त्रेताग्नि संग्रहश्चेति संस्काराः षोडशस्मृता। **व्यासस्मृति—१/१३-१५**

४. तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी। **पातञ्जल योगदर्शन—१/५०**

शरीर को धारण करता है, तब उसके साथ पूर्वजन्म के प्रभाव, वासनाएँ आदि संस्कार के रूप में प्राप्त होते हैं, जिनकी परिशुद्धि वर्णाश्रम में प्रतिपादित व्यवस्था द्वारा होती है। अत: वेदाध्ययन और उसके अध्यापन का सम्बन्ध वर्णों और आश्रमों से होना स्वाभाविक है, अर्थात् वैदिक शिक्षा वर्णों और आश्रमों में विभक्त है।

'**मातृदेवोभव। पितृदेवोभव। आचार्य देवोभव।**......[1] इस उपनिषद् वाक्य के अनुसार माता प्रथम गुरु के रूप में बालक को सु-सभ्य बनाने के उद्देश्य से उठने-बैठने अभिवादन करने, बड़ों का आदर करने तथा उचित संस्कार के साथ बोलने-चालने का अभ्यास कराती है। तत्पश्चात् गुरु रूप में पिता पाँच वर्ष की अवस्था तक बालक में सामाजिक और धार्मिक आचार-व्यवहार, परिवार और पड़ौस के साथ सद्-व्यवहार करने के गुणों की अभिवृद्धि करता हुआ पैतृक-व्यवसाय का प्रारम्भिक संस्कार डालता है। किन्तु माता-पिता द्वारा प्रथम अक्षर ज्ञान के रूप में 'अ' से 'ज्ञ' पर्यन्त अक्षरों और संख्याओं के उच्चारण-ज्ञान से ही बालक का सर्वाङ्गीण विकास नहीं हो पाता। विद्यालय के रूप में परिवार की इस त्रुटि का ध्यान रखते हुए ही महर्षियों ने अभिभावकों को बालक को पूर्ण जीवन की तैयारी के लिए खण्डिकोपाध्याय की चटशाला (वर्तमान में—विद्यालय-विश्वविद्यालय) में भेजने का निर्देश दिया है, जहाँ वह गुरु-सान्निध्य में रह रहे अन्य अध्ययनार्थियों के साथ रहता हुआ गुरु के प्रति आदर, सहपाठियों के साथ स्नेह, सहयोग, सेवा तथा सद्भावादि गुणों को ग्रहण करता है, गुरु-मुख से उच्चारित ज्ञानामृत की सरिता का पान करता है तथा शिक्षाभ्यास की विभिन्न कलाओं में निपुणता प्राप्त कर राष्ट्रोत्थान में अपना अभूपूर्व सहयोग देता है।

ज्ञानामृतपान हेतु गुरु-आश्रम में प्रवेश से पूर्व महर्षियों ने बालक के यज्ञोपवीत संस्कार का विधान किया है, जो उसे द्विजत्व की संज्ञा प्रदान करते हुए संस्कारी बनाता है। जैसाकि कहा भी गया है—**वेद-वाक्य के अनुसार द्विज का प्रथम जन्म माता से, द्वितीय जन्म यज्ञोपवीत संस्कार से और तृतीय जन्म ज्योतिष्टोमादि यज्ञ की दीक्षा से होता है।**[2] महर्षियों द्वारा उपनीत अर्थात् संस्कारी बालक को ही वेदाध्ययन का अधिकार प्राप्त था, जिसके लिए वर्णाश्रम अनुसार उपनयन संस्कार की पृथक्-पृथक् अवधि निश्चित की गई है।

१. तैत्तिरीयोपनिषद्—१/११

२. मातुरग्रेऽधिजननं द्विजस्य मौञ्जिबन्धने।
तृतीये यज्ञदीक्षायां द्विजस्य श्रुति चोदनात्॥ मनुस्मृति—२/१६९

"**अष्टवर्षं ब्राह्ममुपनयीत, एकादशवर्षं राजन्यम्, द्वादशवर्षं वैश्यम्**' इस श्रुति आदेश द्वारा 'ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य' के लिए क्रमशः आठ-ग्यारह और बारह वर्ष की अवस्था से उपनयन संस्कार के साथ वेदारम्भ की शिक्षा ग्रहण करने का समय निश्चित किया गया है। आचार्य **याज्ञवल्क्य** ने भी उपनयन-संस्कार का यही समय विकल्प से गर्भ धारण करने से अथवा जन्म से निश्चित किया है।[1] मनुस्मृतिकार आचार्य **मनु** ने भी उपनयन-संस्कार की इसी अवधि को पुष्ट किया है।[2] आचार्य प्रवर ने उपनयन संस्कार की परमावधि को निश्चित करते हुए कहा है—**सोलह वर्ष तक ब्राह्मण को, बाईस वर्ष तक क्षत्रिय बालक को तथा चौबीस वर्ष तक वैश्य बालक को उपनयन संस्कार का अधिकार प्राप्त है, उसके पश्चात् नहीं।**[3] आचार्य **याज्ञवल्क्य** ने भी उपनयन संस्कार की यही अवधि निश्चित की है।[4] जो व्यक्ति इस समय विहित नियमों का पालन करता हुआ शिक्षित हो जाता है, वह समाज का मार्गदर्शक बन जाता है। '**गृह्योक्तकर्मणा येन समीपं गुरोः बालो वेदाय तद्योगात् बालस्योपनयं विदुः**'' के आधार पर 'उपनयन' शब्द का अर्थ है—समीप में ले जाना। किसके समीप में ? आचार्य के समीप। कब और क्यों ? बाल्यावस्था के पश्चात् बालक के माता-पिता अथवा पारिवारिक सदस्य अध्ययन के लिए उसे गुरु-आश्रम में आचार्य के समीप ले जाते हैं, जहाँ गुरु-सान्निध्य को प्राप्त कर वह अपनी मूल-प्रवृत्तियों के शोधनार्थ वेद-वेदाङ्गादि विषयों का अध्ययन करता हुआ आध्यात्मिक जन्म को प्राप्त कर द्विज कहलाता है। जैसा कि कहा भी गया है—**जिसपर पवित्रीकारक कृत्य या संस्कारों का अनुष्ठान किया जा चुका है, वह द्विज कहलाता है।**[5] आप-

---

१. गर्भाष्टमेऽष्टमे वाब्दे ब्राह्मणस्योपनायनम्।
 राज्ञामेकादशे सैके विशामेके यथाकुलम्॥
 याज्ञवल्क्यस्मृति—२/१४

२. गर्भाष्टमेऽब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम्।
 गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भात्तु द्वादशे विशः॥ मनुस्मृति—२/३६

३. आ षोडशाद् ब्राह्मणस्य सावित्री नातिवर्तते।
 आ द्वाविंशात्क्षत्रबन्धोरा चतुर्विंशतेर्विशः॥

४. आ षोडशादा द्वाविंशाच्चतुर्वंशाच्च वत्सरात्।
 ब्रह्मक्षत्रविशां काल औपनायनिकः परः॥ याज्ञवल्क्यस्मृति-२/३७

५. जन्मना जायते शूद्रः संस्कारैर्द्विज उच्यते।

स्तम्बधर्मसूत्र में आचार्य को शिष्य का नया जन्म-दाता बताया गया है, यथा—**माता-पिता से तो हमें केवल पार्थिक शरीर ही प्राप्त होता है, जबकि गुरु से बौद्धिक उन्नति व विकास के परिणामस्वरूप श्रेष्ठ जन्म की प्राप्ति होती है, जिससे उसे 'द्विज' नाम से सम्बोधित किया जाता है।**[1] कहने का तात्पर्य यह है कि—श्रेष्ठ संस्कारों के माध्यम से परिशोधित जीवन की प्राप्ति का नाम ही द्विजत्व है, जो बालक के उपनयन संस्कार के माध्यम से प्राप्त होता है।

व्यवहार में ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य दाँत और अण्डज, ये पाँच द्विज कहलाते हैं। हम जरायुज होते हुए भी अण्डजों के समान ही हैं। सम्पूर्ण मानव-जाति की यह विशेषता है कि वह योग्यता प्राप्त कर लेने पर ही ब्रह्माण्ड में विचरण कर पाती है, जबकि अण्डज सीमित आकाश में ही विचरण कर पाते हैं। द्वितीय जन्म के रूप में पक्षी अपने अण्डों को फोड़कर बच्चों को बाहर निकालता है, जबकि आचार्य अपने सु-संस्कारों के द्वारा, जिसके लिए उपनयन संस्कार परमावश्यक है। क्योंकि गुरु उपनयन संस्कार के साथ ही विद्यार्थी को आश्रम में प्रवेश की अनुमति देते थे।

तात्कालिक सामाजिक व्यवस्था के अनुसार उपनयन संस्कार न होने पर बालक को ज्ञान तथा धार्मिक विधि-विधान के सम्पादन से वञ्चित रखा जाता था। इसके विपरीत उपनीत बालक को ही गुरु-सान्निध्य में बैठकर ज्ञानार्जन और गुरु-आश्रम में प्रवेश का अधिकार प्राप्त था। इसी अधिकार के आधार पर विद्याभ्यासी को **अन्तेवासी**[2] कहकर सम्बोधित किया जाता था। अथर्ववेदीय महर्षि के मतानुसार—**उपनीत बालक को गुरु-पाणिपल्लव की कोमल छाया प्राप्त थी।**[3] जहाँ वह महाव्याहृतियों के साथ त्रेदाध्ययन और शौच के नियमों की शिक्षा ग्रहण करता था। उपनयन संस्कार के समय यज्ञोपवीत धारण करते समय आचार्य[4] बालक से केवल भौतिक सम्बन्ध ही

---

१. स हि विद्यातस्तं जनयति तच्छ्रेष्टं जन्म।
शरीरमेव मातापितरौ जनयतः॥
आपस्तम्बधर्मसूत्र—१/१/१५-१७

२. 'अन्ते गुरुसमीपे वसति तच्छील: पूर्ववत् णिनि प्रत्ययः। शयवासवसिष्व-कालात्। —(पा०सू०-६/३/१८) से अलुक।

३. उपनयनमनो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः। —अथर्ववेद—११/५/३

४. उपनीय ददद्वेदमाचार्यःस उदाहृतः। —याज्ञवल्क्यस्मृति—१/३७

नहीं अपितु आध्यात्मिक सम्बन्ध भी स्थापित कर लेते थे तथा उनके जीवन के उन्नयन और आध्यात्मिक विकास के प्रति सचेष्ट रहते थे। महर्षि द्वारा प्रतिपादित प्रतिज्ञा मन्त्र में कहा गया है—**मैं अपने व्रत में तुम्हारे हृदय का अवधान करता हूँ, जिससे तुम्हारा चित्त (अनुसंधानात्मक अन्तःकरण) मेरे चित्त का अनुगामी हो। तुम मेरे वचनों को एकाग्र मन होकर सुनो। बुद्धि का बृहस्पति तुम्हें मेरे प्रति गुरु-शिष्य सम्बन्ध से प्रेरित करें।**[1] इस प्रतिज्ञा वाक्य द्वारा गुरु-शिष्य के घनिष्टतम सम्बन्ध की सूचना मिलती है। सम्भवत इसी आधार पर पाश्चात्य विद्वान एडम्स ने शिक्षण प्रक्रिया को द्विमुखी नाम से सम्बोधित किया है जिसकी विस्तृत चर्चा हम पूर्व में कर आये हैं। महाभारत के उद्योग पर्व में गुरु-शिष्य के सम्बन्ध की चर्चा करते हुए कहा गया है—**आचार्य अपने अन्तेवासी का शारीरिक दृष्टि से ही पालन पोषण नहीं करता है, अपितु बौद्धिक, आध्यात्मिक और चारित्रिक रूप से उसके अन्तः शरीर का निर्माण भी उसी तन्मयता से करता है, जैसेकि माता अपने गर्भ की सब प्रकार से रक्षा और पुष्टि करती है।**[2] कठोपनिषद् वाक्य द्वारा शिष्य के प्रति आचार्य के दायित्व को स्पष्ट करते हुए कहा गया है—**आचार्य उपनीत ब्रह्मचारी को तीन रात्रि तक अपने उदर में रखता है अर्थात् उससे छिपाकर कुछ भी तत्त्व-ज्ञान नहीं रखता।**[3] यहाँ '**रात्रि**' शब्द अन्धकार का वाचक है और अन्धकार अज्ञान का बोधक है। अज्ञान का स्वरूप—(i) स्थूल, सूक्ष्म और सृष्टि विषयक (ii) आत्मा के विषय में (iii) आत्मा-अनात्मा के सम्बन्ध में, इन तीनों अज्ञानों से मुक्ति पाना ही विद्याध्ययन का मुख्य उद्देश्य है। अतः जब वह तीनों अज्ञानों से मुक्त हो आश्रम से बाहर आता है, तब उसकी प्रतिभा को देखकर देवगण भी आश्चर्य प्रकट करते हैं। इस रूप में आचार्य और शिष्य में जिस घनिष्ठता और एकता का निष्पादन किया गया है, वह वैदिक शिक्षा का अपूर्व वैशिष्ट्य है। वेद

---

१. ॐ मम व्रते ते हृदयं दधामि ममचित्तमनुचित्तं तेऽस्तु।
मम वचमेकमना जुषस्व बृस्पतिष्ट्वा नियुनक्तु मह्यम्॥
पारस्करगृहसूत्र—१/८/८

२. आचार्ययोनिमिह ये प्रविश्य भूत्वा गर्भे ब्रह्मचर्यं चरन्ति। इहैव ते शास्त्रकारा भवन्ति। महाभारत (उद्योग पर्व)—४४/६

३. तिस्रो रात्रीर्यदवात्सीगृहे मेऽनश्नन् ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्यः।
कठोपनिषद्—१/६

ही ज्ञान अथवा आत्म-ज्ञान का एक मार्ग है, जिसके बिना आत्मग्रन्थियाँ खोली नहीं जा सकती हैं। इन ग्रन्थियों को खोलने के लिए शिक्षक शिष्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं और शिष्य गुरु-निर्दिष्ट मार्ग पर उत्साह और उमंग के साथ अग्रसर होते हैं, क्योंकि ज्ञानमयी शक्ति के अभाव में मनुष्य का कोई भी प्रयत्न सफल नहीं हो सकता है।

संस्कारों का शिक्षा से सम्बन्ध--जब तक मानव का अपनी अपेक्षा परम-श्रेष्ठ शक्ति या व्यक्ति से सम्बद्ध नहीं होता तब तक न तो उसे विशिष्ट बुद्धि ही प्राप्त होती है, न ही उदात्त भावना। केवल बुद्धि की प्राप्ति होने पर ही नहीं अपितु भावना की प्राप्ति होने पर ही मानव को शान्ति मिलती है तथा शान्ति मिलने पर ही सुख की प्राप्ति होती है। अशान्त को भला सुख कैसे मिल सकता है। उपासना द्वारा हम श्रेष्ठतम शक्ति से सम्पर्क साध लेते हैं तथा उपनयन (गुरु के पास ले जाये जाने) से हम परम श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ सम्बद्ध हो जाते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति से सम्बन्ध का नाम ही शिक्षा है। अथर्ववेदीय महर्षि की उक्ति है—**उपनयन संस्कार के माध्यम से गुरु शिष्य को आश्रम में प्रवेश देते हुए प्रतिज्ञा कराता है कि जो ब्रह्मचारी पृथ्वी** सूर्य और अन्त-रिक्ष, इन तीनों प्रकार की विद्याओं को पूर्ण करने की इच्छा करता है, **वह समिधा, मेखला तथा तप से पुरुषार्थ करके सबको धर्मानुष्ठान से पूर्ण आनन्दित कर देता है।**[1] आचार्य शिक्षार्थी को भौतिक और आध्यात्मिक विद्याओं में दक्षता प्रदान करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार शिक्षा द्वारा विद्या और विद्या द्वारा ज्ञान की प्राप्ति सुख का साधन है।

इसके विपरीत—**दुःख का मूल कारण अज्ञान है। अज्ञान ही मानव की दुर्गति का रहस्यमय कारण है, क्योंकि ज्ञानमयी शक्ति के बिना मनुष्य का कोई भी प्रयत्न सफल नहीं हो सकता।**[2] इसीलिए कहा गया है—अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। स्वाध्याय और प्रवचन का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। विद्यादि शुभ गुणों को प्राप्त करने के प्रयत्न में अत्यधिक पुरुषार्थ की इच्छा ही मन का संकल्प है। जैसाकि **श्रीमद्भगवद्गीता**

---

१. इयं सुमित् पृथिवी द्यौर्द्वितीयोतान्तरिक्षं समिधा पृणाति।
ब्रह्मचारी समिधा मेखला श्रमेण लोकाँस्तपसा पिपर्ति॥

अथर्ववेद—११/५/४

२. दुःखस्य मूलमज्ञानं दुर्गते गूढकारणम्।
विना ज्ञानमयीं शक्तिं न सिध्येदिह किञ्चन॥

में भगवान् श्रीकृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान का वास्तविक अर्थ समझाते हुए उपदेश दिया है—**जिस अज्ञान के द्वारा ये जीव मोहित हो रहे हैं, वह अज्ञान जिन पुरुषों का आत्मज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है, उनका सूर्य की तरह प्रकाशमान वह ज्ञान परमार्थ वस्तु को प्रकाशित कर देता है।**[1] जैसे सूर्य अन्धकार का नाश कर विश्व को प्रकाशित करता हुआ अपने को भी प्रकाशित करता है, ऐसे ही ज्ञान अन्तर्निहित समस्त नैसर्गिक गुणों को तथा समस्त ज्ञेय वस्तु को प्रकाशित करता है, यही परमतत्त्व है। ज्ञान-प्रक्रिया द्वारा ही आत्माभिव्यक्ति और आत्मानुभूति के भाव प्रकट होते हैं। मनोविश्लेषण के आचार्यों का मत है कि आत्म-प्रकाश से भावना-ग्रन्थि या मानसिक ग्रन्थि का विकास नहीं हो पाता और उसका जीवन-यापन स्वाभाविक गति से चलता है। आत्मानुभूति द्वारा मानव अपने 'स्व' को विकसित करते हुए, उसे विश्व के 'स्व' के साथ एकाकार कर लेता है अर्थात् एकता में अनेकता और अनेकता में एकता के दर्शन करने लगता है। ऋग्वेद-भाष्य में कहा गया है—**जब तक विद्या से सत्य पदार्थ को नहीं जानता, तब तक मानव अभिमान करता हुआ पशु के समान विचरता है।**[2] कहने का अभिप्राय यह है कि जो मनुष्य जन्म पाकर भी शिक्षा से वञ्चित रहता है, उसे विद्या या ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है? ज्ञान के बिना अर्थात् आत्मचिन्तन और आत्माभिव्यक्ति के बिना मनुष्य-जीवन पशु-तुल्य ही है। जैसाकि आचार्य भर्तृहरि ने कहा है—**साहित्य-संगीत और कलाओं से रहित अर्थात वेद-वेदाङ्ग और चौंसठ कलाओं की शिक्षा से रहित (विवेक-शून्य) व्यक्ति पूंछ और सींग से विहीन पशु के समान होता है। वह व्यक्ति घास का सेवन न करते हुए भी जीवन-निर्वाह कर रहा है, यह तो पशुओं का परम सौभाग्य ही है।**[3] इससे यह सिद्ध होता है कि शिक्षा का उद्देश्य पाशव वृत्ति को नष्ट करना है या उससे ऊपर उठाकर मनुष्य को अन्य प्राणियों (अण्डजादि) से श्रेष्ठता प्रदान करना है। विवेक-हीन व्यक्ति के

---

१. ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः।
तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्॥ श्रीमद्भगवद्गीता—५/१६

२. यावद्विद्यया सत्यं न जानाति तावदभिमानं कुर्वन् पशुरिव विचरति।
ऋग्वेद-भाष्य भूमिका

३. साहित्यसंगीतकलाविहीनः साक्षात्पशुः पुच्छविषाणहीनः।
तृणं न खादन्नपि जीवमानस्तद्भागधेयं परमं पशूनाम्॥
भर्तृहरि शतकत्रय—७९६

सम्बन्ध में प्रसिद्ध लोकोक्ति भी है—**'भैंस के आगे बीन बजाने से क्या लाभ'** ठीक उसी प्रकार विवेक-हीन अथवा अज्ञानी पुरुष के लिए ज्ञानात्मक उपदेश निरर्थक ही होता है, क्योंकि इसका उसपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहा भी गया है—**अशिक्षित ब्राह्मण तृण की अग्नि की भाँति निस्तेज हो जाता है।**

तेज-विहीन व्यक्ति का समाज में कोई आदर नहीं होता, इस कथन को दृष्टि में रखते हुए महर्षि ने यजुर्वेद के **'अग्ने सूपायनो भव'**[1] इस मन्त्र द्वारा ज्ञान-स्वरूप परमेश्वर से श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान करने की प्रार्थना की है, जिससे अज्ञान रूपी अन्धकार का विनाश हो सके तथा दिव्य नेत्र-ज्योति प्राप्त हो सके। यजुर्वेद के अन्य मन्त्र में कहा गया है—**हे सर्वद्रष्टा परमेश्वर। तू चक्षु प्रदाता है, मुझे भी ज्ञान-चक्षु प्रदान कर अथवा हे सूर्य! तू नेत्र के व्यवहार को सिद्ध करने वाला है, अतः मुझे नेत्रों के व्यवहार की सिद्धि और नेत्र-ज्योति प्रदान कर।**[2] कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही तिमिर अन्धकार रूपी अज्ञान तिरोहित हो जाता है, उसी प्रकार अन्तः करण में ज्ञानाग्नि के प्रज्वलन से बुद्धि की संशयात्मक प्रवृत्ति का विनाश होने से सर्वत्र ज्ञानालोक रूपी चक्षु (सूर्य) का उदय हो जाता है। इसीलिए महर्षि ने सर्व श्रेष्ठ ज्योति पुञ्ज से ज्योति प्रदान करने की प्रार्थना की है। जैसाकि अन्य मन्त्र के माध्यम से महर्षि ने **ईश्वर से समस्त मानव-प्रजाओं को ज्योति-विवेक प्रदान करने की अर्चना की है।**[3] इस प्रकार सम्पूर्ण वैदिक-वाङ्मय में अविद्या (अज्ञान) का नाश और श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की गई है।

रघुवंशमहाकाव्य के प्रारम्भ में कविशिरोमणि **कालिदास** ने **'मन्दः कवियशः प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम्'**[4] के द्वारा शालीनता का परिचय देते हुए ज्ञान की पराकाष्ठा को अभिव्यक्त किया है, जो शिक्षा का परम लक्ष्य है।

वैदिक महर्षियों ने भी आत्मभूत चैतन्य की प्राप्ति को ही शिक्षा का साक्षात् उद्देश्य स्वीकार किया है क्योंकि आत्मा में उपाधि रूपी विकारों के द्वारा जो विकृतियाँ आई हैं, उन विकृतियों का विनाश अपने स्वरूप के ज्ञान

---

१. यजुर्वेद—३/२४
२. चक्षुर्दा असि चक्षुर्मे देहि। यजुर्वेद—४/३
३. विश्वं ज्योतिर्यच्छ। यजुर्वेद—१५/५८
४. रघुवंशमहाकाव्य—१/३

से ही सम्भव है। उन उपाधि रूपी आवरणों का नाश आत्म-स्वरूप के साक्षात्कार से ही सम्भव है। आत्म-स्वरूप के साक्षात् करने में प्रथम वैदिक वाक्यों द्वारा उपदेश का विधान करने से तथा उन उपदिष्ट वाक्यों द्वारा आत्मा में उत्पन्न संस्कारों के आधार पर चिन्तन आदि व्यापार से एकाग्रता होने पर शुद्ध स्वरूप चिदात्मा का अखण्ड भाव होता है। इसलिए वेदान्त वाक्य ब्रह्मरूपी वस्तु के साक्षात्कार में साधन हैं और शब्द के बिना अर्थ की अभिव्यक्ति तथा प्राप्ति सम्भव नहीं है क्योंकि सभी ज्ञान शब्द से व्याप्त होकर ही भाषित होते हैं।[1] इसीको लक्ष्य करके महाकवि **कालिदास** ने शङ्कर और पार्वती के तादाम्य सम्बन्ध का वर्णन करते हुए शब्द और अर्थ के साथ तादात्म्य सम्बन्ध की स्थापना की है।[2] क्योंकि पदार्थ तत्त्व की निष्पत्ति तथा उपाख्यान शब्द से अभिहित होकर ही सम्भव है। इसीलिए हमारे शास्त्रकारों ने आत्म-तत्त्व की प्राप्ति में शब्द प्रमाण को मुख्य साधन माना है। अर्थ-तत्त्व की प्राप्ति का प्रधान साधन शब्द है और शिक्षा भी शब्द के द्वारा ही दी जा सकती है। इसी उद्देश्य को लेकर उपनयन संस्कार के पश्चात् ही बालक को वेदाध्ययन में प्रवृत्त कराया जाता है। शिक्षा प्राप्ति में जो बाधक तत्त्व हैं, उनका परिशोधन संस्कार द्वारा ही सम्भव है और वह संस्कार शिक्षात्मक ही है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में शिक्षा को मानव-जीवन के समस्त अनुभवों का सार प्रतिपादित किया गया है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य लौकिक—पारलौकिक आचार-विचार की क्षमता, सामर्थ्य और बल प्राप्त करता है, चेष्टा करता है और अन्ततोगत्वा सर्वाभ्युदय की ओर अग्रसर होता है। अतः शिक्षा का परमलक्ष्य अभ्युदय की ओर आत्मा को प्रेरित और नियोजित करना है। ऐसी दशा में शिक्षा मनुष्य के अष्टचत्वारिंशत् (४८) संस्कारों में से एक है। संस्कारों से आत्म-शुद्धि होती है। जिसके लिए वैदिक वाङ्मय में स्पष्ट निर्देश दिया गया है—**शिक्षा रूपी संस्कार से निःसन्देह आत्मा का प्राकृत रूप परिष्कृत होता है और वह निम्न स्तरों से मुक्त होते हुए क्रमिक विकास को प्राप्त कर उच्च स्तरों पर समासीन होता है।** ऐसी स्थिति में शिक्षा मनुष्य को ज्ञान, अनुभव, अभ्युदय की पराकाष्ठा को प्रदान कर मुक्तात्मा बनने में समर्थ बनाती है। अतः स्पष्ट है कि शिक्षा जीवन में सर्वा-

---

१. अनुविद्धमिवज्ञानं सर्वं शब्देन भाषते। वाक्य पदीयम्

२. वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये।
जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ॥ रघुवंशमहाकाव्य—१/१

ङ्गीण विकास हेतु मनुष्य की लौकिक-पारलौकिक सभी प्रकार की चेष्टाओं से सम्बन्धित अनुभवों और तज्जनित ज्ञान का कुल योग होती है, जिससे मनुष्य व्यक्तिगत और सामाजिक दृष्टि से उत्कृष्ट आचार-विचार से परि-प्लावित होता है। दूसरे शब्दों में, शिक्षा मनुष्य को सभी प्रकार से संस्कृत और सभ्य बनाती है, भौतिक और आध्यात्मिकता का विकास करती है तथा लौकिक और पारलौकिक सुख-शान्ति और आनन्द को प्राप्त करने-कराने में समर्थ होती है।

प्राचीनकाल में एक वेद-दो वेद-तीन वेद या चारों वेद पढ़ने पर शिक्षा की समाप्ति की जाती थी। उस समय शिक्षा-अध्याय नाम से अन्तिम पाठ पढ़ाया जाता था, जिसमें विद्याध्ययन के साथ-साथ चरित्र-निर्माण का विशेष महत्त्व समझा जाता था। शिक्षा की समाप्ति पर गुरु अपने शिष्य को उपदेश देते हुए कहता था—**सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, नित्य स्वाध्याय में प्रवृत हो, माता-पिता और आचार्य को देव-तुल्य समझो, यही शिक्षा का मूल मन्त्र है।**[1] स्पष्ट भी है कि जब व्यक्ति अपने कर्त्तव्य का समुचित पालन करेगा, तभी वह न केवल अपना व्यक्तिगत विकास कर पायेगा, अपितु साथ ही साथ उसके द्वारा सामाजिक विकास भी होगा। इसके लिए शिक्षा-अध्याय में पारिवारिक और सामाजिक कर्त्तव्यों का भी निर्देश किया गया है।

स्वाध्याय और प्रवचन—गुरु-कुल परम्परा के अन्तर्गत वेदाध्ययन के साथ-साथ उप-वेदों और उपाङ्गों (पुराण-न्याय-मीमांसा और धर्मशास्त्र) का भी अध्ययन कराया जाता था। इस प्रकार इन अट्ठारह विद्या-स्थानों के अध्ययन को स्थिर बनाये रखने के लिए शिक्षा-अध्याय में स्वाध्याय और प्रवचन करते रहने की शिक्षा दी जाती थी। आचार्य कात्यायन[2] के अनुसार **'देव-यज्ञ, भूत-यज्ञ, पितृ-यज्ञ, ब्रह्म-यज्ञ और मनुष्य-यज्ञ'** इन पाँच महायज्ञों[3]

---

१. सत्यं वद। धर्मं चर। स्वाध्यायान्मा प्रमदः।
मातृदेवोभव। पितृदेवोभव। आचार्यदेवोभव।
तैत्तिरीयोपनिषद्—१/११

२. देवभूतपितृब्रह्ममनुष्याणामनुक्रमात्।
महारात्राणि जानीयात्त एवेह महामरवाः॥

३. वृद्ध गौतम स्मृति में पाँच महायज्ञों की गणना के समय 'देव-यज्ञ' के स्थान पर 'ऋषि-यज्ञ' का उल्लेख किया गया है, यथा—

ऋषियज्ञं ब्रह्मयज्ञं भूतयज्ञञ्च पार्थिव।
नृयज्ञं पितृयज्ञञ्च पञ्चमज्ञञ्च प्रचक्षते॥

का विधान गृहस्थ-आश्रम के नित्य कर्म में किया गया है। आचार्य मनु ने महायज्ञों के विषय-क्षेत्र को निर्धारित करते हुए कहा है—**अध्ययनअध्यापन ब्रह्म यज्ञ है, (अन्न व जल से) तर्पण पितृयज्ञ है, हवन देवयज्ञ है, बलिवैश्व-देव भूत-यज्ञ है तथा अतिथि-पूजन मनुष्य-यज्ञ है।**[1] महर्षि के वचना-नुसार पितर-देव और मनुष्य, इन तीनों की एक नित्य दृष्टि वेद को माना गया है, जिसपर कोई शंका नहीं की जानी चाहिए और जिसके लिए अन्य किसी भी प्रमाण की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, इत्यादि मनु वचनों के अनुसार इन तीनों को वेद दृष्टि का निमित्त मानकर नित्य-कर्म में इनका यज्ञ किया जाता है।

सर्वप्रथम जिज्ञासा होती है—**'स्वाध्याय-यज्ञ' क्या है? "स्वाध्यायो वै ब्रह्मयज्ञः"** अर्थात् नित्य कृत्य पाँच महायज्ञों में से स्वाध्याय, ब्रह्म-यज्ञ कहलाता है। स्वाध्याय एक पारिभाषिक शब्द है, गुरु मुख से श्रुत मन्त्र आदि का अर्थज्ञान के साथ उसी रूप में स्वर और लय के साथ उच्चारण पूर्वक स्वकीय अध्ययन को स्वाध्याय कहा गया है। **"स्वाध्यायेन हि संसिध्येद् ब्राह्मणो नात्र संशयः"** इस महाभारत वाक्य के द्वारा भगवान वेद-व्यास ने स्वाध्याय से ही सर्वसिद्धि प्राप्ति की बात कहकर तद्विरोधी सभी अर्थों को त्याज्य बतलाया है। **"स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते"**[2] के द्वारा स्वाध्याय को वाङ्मय तप कहा गया है। स्वाध्यायादि साधनों से परिपूर्ण शिक्षित व्यक्ति को कोशों में निपुण, प्रवीण, विज्ञ, भिज्ञ, सुधी, पण्डित आदि के नाम से अभिहित किया गया है। **'स्वाध्यायान्मा प्रमदः"**[3] इस उपनिषद् वाक्य के द्वारा महर्षि ने आज्ञा दी है कि अध्ययन-विधि से गृहीत वेदादि

शिव-पुराण में कर्म-तप-जप-ध्यान तथा ज्ञान, ये पाँच महायज्ञ माने गये हैं, यथा—

कर्म यज्ञस्तपो यज्ञो जपयज्ञस्तदुत्तरः।
ध्यानयज्ञो ज्ञानयज्ञः पञ्चयज्ञाः प्रकीर्तिताः॥

१. अध्यापनं ब्रह्म यज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम्।
होमो दैवो बलिर्भौतो नृयज्ञोऽतिथि पूजनम्॥

मनुस्मृति—३/७०

२. श्रीमद्भगवद्गीता—१७/१५

३. तैत्तिरीयोपनिषद्—१/११

सच्छास्त्र के स्वाध्याय में प्रमाद न करें, क्योंकि जिसे स्वाध्याय और प्रवचन प्रिय होते हैं, वे कभी पराधीनता का अनुभव न करते हुए नित्य-कृत्यों को सम्पन्न करते हुए इन्द्रिय संयमादि द्वारा स्वयं परम चिकित्सक बन जाते हैं। मन की एकाग्रता ही सम्पूर्ण शिक्षा का सार है। मन को अन्तःकरण भी कहा गया है तथा योग-दर्शन में चित्त-संज्ञा दी गयी है। आत्म-संयम और आत्म-अनुशासन के लिए चित्त की वृत्तियों के निरोध को परमावश्यक बताते हुए महर्षि पतञ्जलि ने अपने ग्रन्थ के प्रारम्भ में **'अथ योगाऽनुशासनम्'**[1] **'योगश्चित्त-वृत्तिनिरोधः'**[2] इन सूत्रों की रचना की है। उनके मतानुसार चित्त ही वास्तव में शिक्षा का एक मात्र वाहन हैं। राजयोग में धारणा, ध्यान और समाधि एकाग्रता के ही क्रमिक स्तर हैं। समाधि पूर्ण एकाग्रता की स्थिति है, जहाँ ज्ञान-स्वरूप आत्मा का दर्शन होकर विषय का यथार्थ ज्ञान होता है। परिणामतः मानव पुरुषार्थचतुष्टय को प्राप्त करते हुए ब्रह्म तेज से युक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है।

पुरुषार्थचतुष्टय की प्राप्ति का केवल मात्र साधन शिक्षा है, जिसे गुरु सान्निध्य में स्वाध्याय और प्रवचन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। आचार्य भामह की उक्ति है—

> **धर्मार्थकाममोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च।**
> **करोति कीर्ति प्रीतिं च साधुकाव्य निबन्धनम्॥**[3]

यहाँ **'साधु-काव्य'** में **'काव्य'** शब्द शिक्षार्थ का वाचक है, जो अधिगम प्रणाली का साधन स्वरूप है। सर्वोच्च शिक्षा अथवा श्रेष्ठ-काव्य ज्ञान द्वारा मानव को पुरुषार्थ-चतुष्टय (धर्म-अर्थ-काम और मोक्ष) का तत्त्विक-बोध होता है, कलाओं में व्युत्पत्ति बढ़ा करती है, सहृदय (सु-सभ्य) होने का सु-यश प्राप्त होता है, जिसे हृदय का आह्लाद कहा जाता है। आह्लाद की परमावस्था का आस्वादन स्वाध्याय और प्रवचन की प्रविधि द्वारा ही सम्भव हो सकता है, जिसे महर्षियों ने ज्ञान की चरमोत्कृष्ट अवस्था की संज्ञा प्रदान की है। वस्तुतः यह बात सत्य है कि शिक्षा से धर्म की प्राप्ति स्वयं सिद्ध है, क्योंकि स्तोत्र-काव्य-भावना अथवा स्तोत्र काव्य रचना धर्म का ही क्षेत्र है। कहा भी गया है—**एक शब्द का यथार्थ ज्ञान और सम्यक् प्रयोग ऐहिक और पार-**

---

१. पातञ्जल योगदर्शन—१/१
२. वहीं—१/२
३. साहित्यदर्पण—पृ० स० २

लौकिक दोनों प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति कर लेता है।[1] यही वैदिक ज्ञान का रहस्य है। जिसे जानने के लिए शिक्षा-वल्ली में महर्षियों ने स्वाध्याय और प्रवचन की उपयोगिता का विस्तृत वर्णन किया है।

शिक्षा से अर्थ की प्राप्ति तो स्वयं सिद्ध ही है। अर्थ-लाभ द्वारा ऐश्वर्यादि साधनों को सुगमता से प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही साथ सु-सभ्य और सु-संस्कृत व्यक्ति के हृदय में उस अनासक्ति-योग की भावना विकसित की जा सकती है, जो धर्मादि फल भोग के प्रति स्वाभाविक है। क्योंकि अनासक्ति-योग ही मोक्ष प्राप्ति का साधन है। यहाँ 'मोक्ष-प्राप्ति' से अभिप्राय है—मोक्ष-शास्त्र सम्बन्धी विषयों की व्युत्पत्ति उत्पन्न करना अथवा श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करना जिसके लिए महर्षियों ने स्वाध्याय और प्रवचन विधि को अपनाने का स्पष्ट संकेत दिया है। कहा भी गया है—**अभ्यास अर्थात् स्वाध्याय और प्रवचन के अभाव में अधीत शास्त्र विष सदृश कष्टदायक होता है, किन्तु इसके विपरीत क्रमबद्ध और सु-व्यवस्थित रूप से अर्थबोध के उद्देश्य से विशुद्ध रूप में उच्चारित शब्द को परीक्षित कर अनवरत अभ्यास करने पर पठित शास्त्र अमृत के समान उपयोगी सिद्ध होता है।**[2] अर्थात् पुरुषार्थचतुष्टय की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होता हुआ जीवन को पूर्णता प्रदान करता है। पूर्णता अर्थात् नैसर्गिक गुणों के अनुसार मानव-व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति का माध्यम केवल शिक्षा ही है, जो शिक्षणाभ्यास की स्वाध्याय और प्रवचन प्रणाली पर आधारित है।

पुरुषार्थचतुष्टय की प्राप्ति हेतु शैक्षणिक पाठ्यवस्तु में धर्म-शास्त्र, अर्थ-शास्त्र, काम-शास्त्र और मोक्ष-शास्त्र (दर्शन) सम्बन्धी विषयों को उचित स्थान दिया गया है। जिससे 'कर्म' के अनुसार **'वर्ण'** और **'आयु'** के अनुसार **'आश्रम'** इस सिद्धान्त के आधार पर समाज के प्रत्येक व्यक्ति को पुरुषार्थचतुष्टय के निष्पादन का समय मिल सकता है। जिसके लिए महर्षि ने गुरु मुखश्रुत वाक्य का अनवरत स्वाध्याय और प्रवचन करने का निर्देश दिया है। मनु वाक्य भी इस कथन की पुष्टि करता है। उनके कथनानुसार—**अर्थ व काम में अनुराग न रखने वालों के लिए यहाँ धर्मज्ञान का विधान है धर्म-जिज्ञासुओं**

---

१. एकः शब्दः सुप्रयुक्तः सम्यग्ज्ञातः सुष्ठुप्रयुक्तः शास्त्रान्वीतः स्वर्गे लोके च कामधुग्भवति। पतञ्जलिमहाभाष्य

२. अनभ्यासे विषं विद्या सदभ्यासे सुधैव सा।
सद्विषां सेवमानानां देहे देवा दिवौकसः॥

के लिए वेद निरपेक्ष प्रमाण है ।[1] निरपेक्ष प्रमाण का तात्पर्य किसी वस्त्वन्तर की सापेक्षता की आवश्यकता नहीं होती । इसलिए वेद में निरपेक्ष प्रमाणत्व है । स्मृत्यादि शास्त्रों में वेदादि सापेक्ष प्रमाण है, क्योंकि स्मृत्यादि शास्त्र पुरुष प्रणीत होने के कारण इन शास्त्रों का स्वतः एवं निरपेक्ष प्रामाण नहीं है और वेद अपौरुषेय होने के कारण नित्य पुंदोष कलंक शून्य होने से इनमें प्रमाणत्व की सिद्धि के लिए किसी और साधन की अपेक्षा नहीं होती । उस वेद बोधित धर्म का आचरण करनेवाला व्यक्ति स्वत: प्रतिभावान ही शिक्षा का अधिकारी माना जाता है और जो वेद विहित धर्मों का आचरण करने वाला तथा मेधावी नहीं है, वह शिक्षा का अधिकारी नहीं माना जाता है । जैसाकि महर्षि ने अनधिकारी के लिए शिक्षा के निषेध स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा है – **जहाँ धर्म और अर्थ न हो तथा शास्त्रोक्त सेवा भी न हो वहाँ बंजर भूमि में श्रेष्ठ बीज न बोने के समान ज्ञान प्रदान नहीं करना चाहिए ।**[2] दूसरे शब्दों में, कोई किसान उपजाऊ और बंजर भूमि में समान बीज बोता है, किन्तु उसे उपज, उपजाऊ भूमि से ही प्राप्त होती है बंजर भूमि से नहीं, ठीक उसी प्रकार गुरु विद्या-दान तो सभी छात्रों के लिए समान भाव से करता है, किन्तु ज्ञान-मर्म को ग्रहण करने की योग्यता जिज्ञासु छात्र में ही होती है । अत: शिक्षाविदों ने स्वाध्याय और प्रवचन में अनवरत आसक्त रहने वाले जिज्ञासु को विद्या-दान देने का उपदेश दिया है । उनके मतानुसार स्वाध्याय और प्रवचन की प्रक्रिया द्वारा श्रवण, मनन और निदिध्यासन में जिसकी गति नहीं है, उसे विद्या-दान अर्थात् शास्त्र सम्मत उपदेश नहीं देने चाहिए । महाकवि **भवभूति** ने अपनी पुस्तक **उत्तररामचरित**[3] में इन्हीं भावों को अपनी

---

१. अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते ।
धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुति ।।

मनुस्मृति— २/१३

२. धर्मार्थौ यत्र न स्यातां शुश्रूषा वाऽपि तद्विधा ।
तत्र विधा न वप्तव्या शुभं बीजमिवोषरे ।

मनुस्मृति—२/११२

३. वितरति गुरुः प्राज्ञे विद्यां तथैव यथा जडे
न च खलु तयोर्ज्ञाने शक्तिं करोत्यपहन्ति वा ।
भवति च तयोर्भूयान् भेदः फलं प्रति तद्यथा
प्रभवति शुचिर्बिम्बग्राहे मणिर्न मृदां चयः ।।

उत्तररामचरितम्— २/४

शब्दावली द्वारा पुष्ट किया है। अतः शास्त्रोक्त सेवा में संलग्न व्यक्ति ही उसके रहस्य को ग्रहण करने की शक्ति-बुद्धि-प्रतिभा और धारणा से सम्पन्न वेदाध्ययन का अधिकारी हो सकता है। अमेधावी से वेद डरता है, क्योंकि वह अर्थ का अनर्थ कर डालता है। उच्चारण में स्खलन से वेद को ऐसा लगता है, मानो कोई उसपर प्रहार कर रहा है। इसीलिए कहा भी गया है—**बिभेत्यल्पश्रुताद्वेदो मामयं प्रहरिष्यति**। इस दोष से बचने के लिए ही महर्षियों ने वेदाध्यायी को निरन्तर स्वाध्याय और प्रवचन में आसक्त रहने का निर्देश दिया है। क्योंकि स्वाध्याय और प्रवचन के निरन्तर अभ्यास के बिना शब्दोच्चारण में शुद्धता और अर्थबोध की सम्भावना हो ही नहीं सकती है।

आचार्य मनु ने अधिगम-प्रक्रिया में स्वाध्याय के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है—**एक वर्ष तक पवित्रता से जो ब्रह्मचारी अधिगम की प्रक्रिया के अनुरूप वेद-वेदाङ्गों के अध्ययन में निरन्तर लगे रहते हैं, वे निश्चित ही दध-दही-घी तथा शहद का सेवन करते हैं।**[1] कहने का तात्पर्य यह है कि वेदादि अध्ययन द्वारा उनके आचरण में उच्च गुणों की अभिवृद्धि होती है, जिससे उन्हें समाज में यथोचित सम्मान मिलना स्वाभाविक है। मेधातिथि ने दूसरे विद्वानों के इस मत को उद्घाटित किया है, जिसमें उन्होंने दूध-दही आदि को धर्म-अर्थ-काम और मोक्ष का वाचक मानते हुए कहा है—**अन्येतु धर्मार्थकाममोक्षान् पय आदिभिः शब्दैरभिहितान्मन्यन्ते**। आचार्य **कुल्लूकभट्ट** ने इस कथन को परिपुष्ट करते हुए कहा है—**मनुष्य स्वाध्याय से प्राप्त दुग्धादि (धर्म-अर्थ-काम और मोक्ष) के द्वारा देवताओं और पितरों को तृप्त करते हैं; जिससे वे प्रसन्न होकर उनकी सर्वांश की पूर्ति और यज्ञादि अनुष्ठान की निर्विघ्न समाप्ति में सहायता करते हैं।** महर्षि **याज्ञवल्क्य** ने स्वाध्याय से प्राप्त फल का निरूपण करते हुए कहा है—**जो द्विज नित्य प्रतिदिन ऋचाओं का अध्ययन करता है, वह मधु और दूध से देवताओं के लिए तथा मधु और घृत से पितरों के लिए तर्पण करता है। जो (द्विज) सदैव यथा—शक्ति यजुष् मन्त्रों का अध्ययन करता है, वह घृत और जल देवताओं को तथा आज्य और मधु से पितरों को प्रसन्न करता है। जो (द्विज) सर्वदा सामवेदादि वैदिक ऋचाओं का पाठ करता है, वह सोम और घृत से देवताओं के लिए तर्पण करता है तथा मधु और घृत द्वारा पितरों को तृप्ति प्रदान करता है। जो (द्विज) प्रतिदिन यथा-शक्ति अथर्वाङ्गिरस का पाठ करता है,**

---

१. यः स्वाध्यायमधीतेऽब्दं विधिना नियतः शुचिः।
तस्य नित्यं क्षरत्येष पयो दधि घृतं मधु॥ मनुस्मृति—२/१०७

वह देवों का मन्त्र द्वारा तथा पितरों का मधु और घृत द्वारा तर्पण करता है। जो वेदपाठी यथा-शक्ति नित्य-प्रतिदिन वाकोवाक्य पुराण, नाराशंसी, गाथा, इतिहास तथा वारुणादि विद्याओं का अध्ययन करता है, वह मांस, दूध, ओदन और मधु द्वारा देवताओं के लिए तर्पण करता है और पितरों को मधु तथा घृत द्वारा तृप्त करता है। वे (देवता और पितर) तृप्त होकर इस स्वाध्याय के अधिकारी को सभी शुभ अभीष्ट फलों द्वारा सुखी बनाते हैं।[1] इस महर्षि वाक्य द्वारा भी यही स्पष्ट होता है कि अधिगम की प्रक्रिया में स्वाध्याय का महनीय योगदान है। शतपथब्राह्मण में स्वाध्याय की महत्ता बताई गई है। इस पृथ्वी को धन-धान्य से परिपूर्ण कर दान करने से जिस लोक की प्राप्ति होती है, उसका त्रिगुणित फल विद्वान् प्रतिदिन स्वाध्याय करने से पा लेता है। इसलिए स्वाध्याय प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए।[2] स्वाध्याय और प्रवचन के सम्बन्ध में विष्णुपुराण भी निर्देश देता है—स्वाध्याय या ज्ञान तेजस्वी तभी बन सकता है जब हम ज्ञान की ज्योति को निरन्तर प्रज्वलित रखें, नित्य-प्रतिदिन वेद-शास्त्रों के पठन-पाठन से ही यह 'ज्ञान-यज्ञ' या 'ब्रह्म-यज्ञ' सम्पन्न हो सकता है।[3] ज्ञानाग्नि की ज्योति को पठन-पाठन की प्रक्रिया द्वारा ही निरन्तर प्रज्वलित किया जा सकता है, जिसके लिए महर्षियों ने वेदाध्यायी को स्वाध्याय और प्रवचन प्रणाली द्वारा सतत प्रभ्यास का

---

१. मधुना पयसा चैव स देवांस्तर्पयेद् द्विजः।
पितॄन्मधुघृताभ्यां च ऋचोऽधीते च योऽन्वहम ॥
इत्युपक्रम्य चतुर्णामेव वेदानां जपस्य च देवपितृतृप्तिफलमुक्त्वा शेषे
'ते तृप्तास्तर्पयन्त्यैव सर्वकामफलैः शुभैः'। याज्ञवल्क्यस्मृति—१/४१

२. यावन्तं हवाऽइमाँ पृथिवीं वित्तेन पूर्णां ददल्लोकं जयति त्रिस्तावन्तं जयति भूयांसां चाक्षयं य एवं विद्वानहरहः स्वाध्यायमधीयते तस्मात्स्वाध्यायोऽध्येतव्यः।

शतपथब्राह्मण—११/५/६/३

कात्यायनस्मृति भी कहती है—

वसुपर्णां वसुमती त्रिर्दानफलमाप्नुयात्।
ब्रह्मयज्ञादपि ब्रह्मदानमेवातिरिच्यते ॥

कात्यायनस्मृति—४/१५

३. स्वाध्यायसंयमाभ्यां सदृश्यते पुरुषोत्तमः।
तत्प्राप्तिकरणं ब्रह्म तदेतदिति पठ्यते ॥

विष्णु-पुराण—६/६/१

निर्देश दिया है। उपनिषद् में भी कहा गया है—**स्वाध्यायोऽध्येतव्यः। स्वाध्यायान्मा प्रमदः।**[1]

स्वाध्याय और प्रवचन पर शिक्षा-अध्याय में विशेष आग्रह किया गया है। क्योंकि स्वाध्याय और प्रवचन से प्राप्त विषय के अभ्यास अर्थात् पुनः पुनः परिशीलन का एक द्वार है। **भगवान व्यास** तथा **मनु** आदि महर्षियों ने स्वाध्याय के द्वारा बुद्धि, स्वास्थ्य, धन, कल्याण की अभिवृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है। इनमें, उन्होंने न्याय, मीमांसा, वेद-पुराण को विशेष बुद्धिवर्धक माना है, शेष के लिए आयुर्वेद, ज्योतिष, योग-शास्त्र, अर्थ-शास्त्र का स्वाध्याय आवश्यक माना है।[2] धारणामयी बुद्धि मेधा कहलाती है। समझने की चेष्टा में तर्क होता है। न समझने पर संशय उत्पन्न होता है। महर्षि **वेद-व्यास** के मतानुसार योग-साधना और तर्क आदि प्रमाणों से संशयों के विच्छेदन द्वारा परम-तत्त्व की प्राप्ति होती है। स्वाध्याय द्वारा समाधि-दृष्ट प्रज्ञालोक में आत्म-साक्षात्कार से हृदय-ग्रन्थि का भेद, कामनाओं का नाश, पूर्ण-ज्ञान, पूर्ण निष्कामता, सर्व संशयनाश और कर्मजाल से मुक्ति, सर्वत्र परमात्मदर्शन जीवन्मुक्ति सिद्ध होती है। किन्तु अभ्यास के बिना विद्या न तो प्रेयस्कर हो सकती है और न श्रेयस्कर। कहा भी गया है—**अभ्यास के अभाव में अधीत शास्त्र विष के समान कष्ट-प्रद होते हैं, किन्तु भली प्रकार अभ्यास करने पर पठित शास्त्र अमृत के समान उपयोगी होते हैं।**[3] अर्थात् अधीत विषय का स्वाध्याय और प्रवचन द्वारा जितना अभ्यास किया जाता है उतना ही वह स्वयं के लिए और समाज के लिए कल्याणकारी सिद्ध होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सद्ज्ञान को पुनर्पुनर् परिशीलन द्वारा जीवन में उतारा जाता है, उतनी ही जीवन में सरसता और मधुरता आती जाती है तथा प्राप्त ज्ञान जनहित के लिए श्रेयस्कर और कल्याणकारी सिद्ध होता है। कहावत भी है—**सम्यक् अभ्यास से युक्त विद्या के उपासकों के देह में द्यु-लोक निवासी देवता निवास करते हैं।** अर्थात् सद् विद्याभ्यास से व्यक्ति

---

१. बृहदारण्यकोपनिषद्— १/११

२. बुद्धिवृद्धिकराण्याशु धन्यानि च हितानि च।
नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत निगमांश्चैव वैदिकान्॥
विष्णुधर्मोत्तरपुराण— ३/२३३

३. अनभ्यासे विषं विद्या सदभ्यासे सुधैव सा।
सद्विद्यां सेवमानानां देहे देवा दिवौकसः॥

अमरत्व (देवत्व) को प्राप्त होता है। यहाँ अमरत्व से अभिप्राय—दिव्य शाश्वत श्रेष्ठ उन्नति या यश से है। आचार्य **मनु ने** स्वाध्यायी के धर्म का उल्लेख करते हुए कहा है—**(द्विज) नित्य-नैमित्तिक और काम्य कर्मों को सम्पन्न करते हुए वेदाध्ययन में प्रयत्नशील रहें; क्योंकि देवकर्म में संलग्न मानव ही इस चराचर जगत को पालता है अर्थात् अभ्युदय का मार्ग प्रशस्त करता है।**[1] दूसरे शब्दों में मनुष्य देव-कर्म के द्वारा लौकिक-पारलौकिक सर्वाभ्युदय के अनुरूप उत्कृष्ट आचार-विचार को धारण करता है। मानव का अभ्युदय क्षेत्र सामाजिक जीवन से सम्बन्धित परिप्रेक्ष्य में होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु वैदिक-शिक्षा में अनुशासन पर विशेष बल दिया गया है, जिसे स्वाध्याय और प्रवचन प्रणाली द्वारा आत्मसात् किया जाता है।

तात्कालीन सामाजिक व्यवस्था के अनुसार आभ्यन्तर और बाह्य अनुशासन बनाये रखने के लिए सामान्यत: जन-सम्पर्क से अध्ययनशील बालकों को ग्राम और नगरों से अलग रखने का विधान था, जिसके अन्तर्गत वनों-तपोवनों, नदी-तटों और पर्वतों की घाटियों में आश्रम बनाये जाते थे। '**उपह्वरे गिरीणां संगमे च नदीनां धिया विप्रो अजायत**" के अनुसार पर्वतों की घाटियों और नदियों के संगमों पर बसे हुए आश्रमों में उस बुद्धि उपलब्धि की विशेष सम्भावना की जाती थी, जिसके लिए गायत्री आदि मन्त्रों में प्रार्थनाएँ की गई हैं।

अध्ययनशील ब्रह्मचारी के बाह्यलक्षण यज्ञोपवीत, कुशासन, मेखला, मृग-चर्म, जटा-दण्ड और कमण्डलु होते थे तथा आन्तरिक चिह्न शम, दम, तितिक्षा, उपरति तथा अनुशासन पालन होते थे, जो आत्म-कर्म और दम में इन्द्रिय-संयम ब्रह्मचर्य व्रत के मुख्य अङ्ग थे, तितिक्षा से जीवन की तपोमयता तथा उपरति से बाह्य सम्पर्कों से विरक्ति रखना शिक्षा-प्राप्ति के लिए अनिवार्य समझा जाता था। आश्रम की दिनचर्या और रात्रिचर्या आदि का पालन करने के लिए अनुशासन पालन अनिवार्य समझा जाता था। यही शिक्षा का मूल उद्देश्य और प्रमुख महत्त्व है। '**शौचाचारांश्च शिक्षयेत्**'[2] इस स्मृति वाक्य से विशुद्ध आचार-विचार की शिक्षा का आदान-प्रदान करना ही ऐहलौकिक और पारलौकिक हित का परम साधन है। जैसाकि **श्रीमद्भगवद्गीता** में कहा गया है—**जो व्यक्ति शास्त्र विहित कार्यों का अतिक्रमण कर स्वेच्छया**

---

१. स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्दैवे चैवेह कर्मणि।
   दैवकर्मणि युक्तो हि बिभर्तीहं चराचरम्॥ मनुस्मृति—६/७५

२. उपनीय गुरुः शिष्यं महाव्याहृतिपूर्वकम्।
   वेदमध्यापयेदेनं शौचाचारांश्च शिक्षयेत्॥ याज्ञवल्क्यस्मृति—१/१५

कार्य का सम्पादन करता है, वह व्यक्ति इस संसार में न सिद्धि को, न सुख को और न परमोच्चगति को प्राप्त करता है। अतः शास्त्रोक्त मर्यादा का परिपालन करते हुए कार्यों का विधान करना चाहिए। मनुष्य का केवल पशु-पक्ष्यादि की तरह बाह्य शरीर का रक्षण या पालन करना उद्देश्य नहीं होता अपितु इन शारीरिक क्रियाओं से परे अन्तःकरण को परमानन्दित करने वाले आन्तरिक कर्म-कलाप की आवश्यकता पड़ती है। जब तक अन्तःकरण की शुद्धि नहीं होती, तब तक मानव जीवन का कुछ भी उद्देश्य नहीं रह जाता। मानव-जीवन का साक्षात् उद्देश्य आत्म-प्राप्ति है। आत्मा से बढ़कर संसार में कोई भी वस्तु प्रिय नहीं है। जैसाकि याज्ञवल्क्य ने वृहदारण्यकोपनिषद् में अपनी प्रिय भार्या गार्गी के प्रति प्रश्नोत्तर प्रसंग में कहा है कि जितने सांसारिक पत्नी पुत्रादि हैं, उनसे मानव जो प्रेम करता है, उन सभी प्रेमों में आत्मा का विशेष सम्बन्ध है। क्योंकि पत्नी के प्रति तथा पुत्र के प्रति जो भी व्यक्ति प्रेम करता है, वह पत्नी की प्रियता तथा पुत्र की प्रियता के लिए प्रेम नहीं करता अपितु अपने लिए प्रेम करता है, इत्यादि बहुत से संदर्भों के आधार पर आत्म-प्रेम तथा आत्मिक-शक्ति का प्राधान्य बोधन किया है। किन्तु आत्मिक-शक्ति तथा आत्मा का साक्षात्कार बिना अन्तःकरण की शुद्धि के सम्भव नहीं है। अन्तःकरण की शुद्धि वैदिक कर्मों के अनुष्ठान के बिना सम्भव नहीं है और वैदिक कर्मों का अनुष्ठान वेद विहित तथा शास्त्र विहित विधियों के आधार पर ही सम्भव है। अतःशास्त्रोक्त मर्यादा का पालन करना अत्यन्त आवश्यक है।

जैसाकि कहा जा चुका है, वेद में मुख्य प्रतिपाद्य विषय धर्म और ब्रह्म है। तदनुसार धर्म का तो साङ्गोपाङ्ग उपदेश शिक्षार्थियों को दिया ही जाता था, साथ ही साथ उन्हें ब्रह्म का पूर्ण परिचय देना भी आवश्यक समझा जाता था, जिसके लिए वह पुरुषार्थचतुष्टय की अन्तिम अवस्था 'मोक्ष' को प्राप्त करता है। 'मोक्ष' प्राप्ति से तात्पर्य आत्मा-परमात्मा का तथा जीव-ब्रह्म का तादात्म्य स्थापित करना है। जैसाकि श्रुति वाक्य भी प्रमाण है—**'ब्रह्मवद् ब्रह्मैव भवति'** अर्थात् ब्रह्म के स्मरण से ब्रह्म ही हो जाता है। इसके लिए गुरु-उपदेश को केवल सुनने तक ही नहीं, वरन् उसका मनन करने, उस पर ध्यान करने तथा उसका प्रत्यक्ष अनुभव करने को भी शिक्षा के अन्तर्गत

१. यःशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः।
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्॥
श्रीमद्भगवद्गीता-१६/२३

समाहित किया गया था । **बृहदारण्यकोपनिषद् में आत्मा श्रवण, मनन और निदिध्यासन से ही जानी जाती है, ऐसा कहा गया है ।**[१] **"आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः"**[२] ये चारों क्रियाएँ शिक्षा का अङ्ग थी। ब्रह्मचार्याश्रम अथवा अध्ययनकाल में अपने-अपने वर्ण के अनुसार धार्मिक नियमों का पालन करते हुए आध्यात्मिक साधना द्वारा धर्म और ब्रह्म दोनों में शिक्षण ही नहीं अपितु वे प्रशिक्षण भी प्राप्त कर लेते थे, जिससे आगे के जीवन में गृहस्थ-वान प्रस्थ और सन्यास की अवस्थाओं में धर्म-मार्ग में आचार और ब्रह्म-मार्ग में विचार के अभ्यासी हो जाने के परिणामस्वरूप उत्तरोत्तर ज्ञान का विकास करते जाते थे । इस सम्बन्ध में आचार्य **मनु** की उक्ति **है—मनुष्य जैसे-जैसे शास्त्रों का भली-भांति अभ्यास करता है वैसे-वैसे विशेष जानने लगता है और उसका विशेष ज्ञान निर्मल होता है ।**[३] इस विषय में मनु ने आगे भी कहा है कि शास्त्र अनुशीलनकर्त्ता को निरन्तर स्वाध्याय में लगे रहना चाहिए । उनके मतानुसार **शिक्षार्थी को शास्त्र का पारगामी होकर बार-बार उसका अभ्यास करना चाहिए वह उस शास्त्र को निरन्तर अभ्यास के द्वारा उज्ज्वल अर्थात् निःसंदिग्ध करें और उसे पुनः पढ़ने के बाद उसका अनुशीलन करें, न कि वहीं उसे छोड़ दें ।**[४] यह कार्य श्रवण, मनन और निदिध्यास के द्वारा ही सम्भव हो सकता है । इसी आधार पर आचार्य मनु ने ब्रह्मचारी को निरन्तर स्वाध्याय के लिए प्रेरित करते हुए अभ्यास प्रक्रिया पर बल दिया है उस समय लेखन-कला के प्रचार पर अधिक जोर इसलिए नहीं दिया जाता था, क्योंकि आत्म-विषयक ज्ञान को हृदयङ्गम करने की एक मात्र श्रवण-मनन और निदिध्यासन की विधियाँ अधिक प्रसिद्ध थी । वस्तुतः शास्त्रीय रहस्य की प्राप्ति गुरु परम्परा से ही सम्भव है, केवल पुस्तक पढ़ने से रहस्य प्रत्यक्ष नहीं होता । शब्द को देखकर तथा सुनकर भी गुरु-मुख से उसके रहस्य को न सुनने वाला अद्रष्टा और अश्रोता बना रहता है । वाणी अपना रहस्य तपःस्वाध्यायपूत किसी वाचस्पति के समक्ष ही प्रकट करती है । वे वाग् विद् या वाचस्पति गुरु ही शिष्य को रहस्य से अवगत कराते हैं,

१. आत्मनो वा अरे दर्शनेन मत्याविज्ञानेनेदं सर्वं विदितम् ।
बृहदारण्यकोपनिषद्—२/४/५

२. ब्रह्मसूत्र--१/१/२३

३. यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति ।
तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ।। मनुस्मृति—४/२०

४. मनुस्मृति—४/१९

यही कारण था कि लिपि का प्रचार होते हुए भी श्रवण पर अधिक जोर दिया जाता रहा। यदि श्रवण पर जोर न दिया गया होता तो आज तक वेद की उच्चारण परम्परा सुरक्षित न रहती।

वेद के उपाङ्गों में न्याय और मीमांसा के अध्ययन की चर्चा की गई है। न्याय प्रमाण प्रधान दर्शनों का प्रतीक है और मीमांसा प्रमेय प्रधान दर्शनों का, दोनों ही शास्त्र तर्क द्वारा प्रतिपाद्य विषय का प्रतिपादन सिखाते हैं। कल्पशिक्षा से वेद और वेदोपदेश का तर्क द्वारा अनुसंधान कर सिद्धान्त निर्धारित करने में सहज दक्षता प्राप्त हो जाती थी। कहा भी गया है—**जो मनुष्य ऋषि, दृष्ट, वेद तथा तन्मूलक स्मृति शास्त्रों को वेदानुकूल तर्क मीमांसा में प्रयुक्त विधि से विचारता है, वही धर्मज्ञ है, दूसरा नहीं।**[1] अशुद्ध और शास्त्रीय विधि से रहित स्वेच्छापूर्वक कर्म करनेवाला मनुष्य न तो इह लोक में सुखी हो सकता है और न परमगति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार कर्तव्य और कर्म दोनों की शिक्षा मीमांसा दर्शन की प्रमुख देन है, जिसका सम्बन्ध धार्मिक क्रियाओं से है। अतः व्यवहार-जगत कर्तव्यता के ज्ञान की सनातन शिक्षा मीमांसा से ही प्राप्त हो सकती है। आचार्य **मधुसूदन** का कथन है—**आत्मज्ञान पूर्वक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान से धर्माधर्म के विनाश के लिए देह, इन्द्रिय आदि का आत्यन्तिक निराकरण ही मोक्ष है।** इस प्रकार मीमांसा दर्शन की शिक्षा का पर्यवसान ज्ञान और कर्म में होता है। ज्ञान और कर्म का सम्बन्ध '**स्वाध्यायोऽध्येतव्यः**' इस विधि के अनुसार वेदाध्ययन से अपेक्षा रखता है। वेदाध्ययन के बिना वेद विहित कर्मों के अनुष्ठान का ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए वैदिक कर्मों में अनुष्ठानार्थी व्यक्ति को वेदाध्ययन अत्यपेक्षित है। वेदाध्ययन ही शिक्षा का रूप माना जाता है। कर्मानुष्ठान से अन्तःकरण में जो विकृतियाँ सन्निहित हैं, उनका निराकरण होता है। अन्तःकरण विकार रहित होने से मनन, ध्यान, निदिध्यासन आत्म साक्षात्कार में सहायक हो जाता है। यही हमारा ज्ञान और कर्म का समन्वय-वाद है। ज्ञान-कर्म का समन्वयवाद बिना स्वाध्याय के सम्भव नहीं है। अतः जगत में स्वाध्याय और प्रवचन का नितान्त महत्त्व है।

---

१. आर्षं धर्मोपदेशश्च वेदशास्त्राविरोधिना।
यस्तर्केणानुरुन्धत्ते सधर्मं वेद नेतरः॥ मनुस्मृति—१२/१०६

५

शिक्षा का महत्त्व

शिक्षा का अर्थ है विद्या प्राप्ति। लक्षणा के द्वारा शिक्षा शब्द **'विद्या'** अर्थ को बताता है। **'विदन्ति अनया इति विद्या'** इस व्युत्पत्ति के आधार पर अज्ञान-रूपी अन्धकार जिसके द्वारा निवृत्त हो उसका नाम है—विद्या। अज्ञान का नाश ज्ञान से ही सम्भव है। अत: विद्या का अर्थ है—ज्ञान। ज्ञान ही जीवन का प्राण एवं आत्मा है। **"ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समानाः"** उक्ति के द्वारा ज्ञान की सर्वोत्कृष्टता प्रतिपादित करते हुए नैयायिकों ने कहा है—ज्ञान से रहित मनुष्य पशु सदृश है। ज्ञान की प्राप्ति शिक्षा से होती है। शिक्षा ही मानव में मानवीय गुणों को संचारित करते हुए वातावरण से समानुकूलन की भावना को विकसित करती है। जिससे वह संस्कारी मानव कहलाता है। 'शिक्षा-संस्कार' से पूर्व मानव शूद्र, पशु-तुल्य, अज्ञानी और राक्षसी गुणों से युक्त होता है। शिक्षा ही उसके स्वभाव को परिशीलन कर शुद्ध और सु-संस्कृत बनाती है। इस प्रकार प्रसिद्ध पाश्चात्य दार्शनिक **मल्कास्टर** के सदृश भारतीय-विचारकों ने भी शिक्षा को पूर्ण नैसर्गिकगुणों का विकास माना है। विकास की इस प्रक्रिया का मार्ग गुरु-सान्निध्य के अभाव में खोजना असम्भव ही नहीं अतिशयोक्ति पूर्ण भी है। जैसाकि कहा भी गया है—**'गुरुशुश्रूषया विद्या'** अर्थात् गुरु-सेवा बिना ज्ञान प्राप्त करना असम्भव है। ठीक भी है—ज्ञान की प्रक्रिया चाहे औपचारिक हो अथवा अनौपचारिक दृश्य-अदृश्य रूप में गुरु सान्निध्य की सत्ता को स्वीकारा गया है।

वैदिक वचनामृत के द्वारा गुरु वेदपाठी को—आध्यात्मिक शक्ति से आत्मसात् कराते हुए वेद-प्रतिपादित आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधि-

दैविक नामक तीनों दुःखों के अभिघात से निवृत्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जिसके लिए मुख्यतः वेद की तीन शिक्षाएँ प्रसिद्ध हैं—**असत् से सत् में, तमस् से ज्योति में और मृत्यु से अमृत में पहुँचाओ।**[1] इन तीनों प्रार्थनाओं के मूल में वेद की वे तीनों शिक्षाएँ प्रेरक हेतु हैं, जिनमें मानव-मात्र को यह शिक्षा दी गई है कि वह सर्व प्रयत्न से असत्य में से सत्य की ओर, अन्धकार में से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु में से अमृतत्व की ओर जाने का प्रयत्न करे। इस प्रकार समस्त वैदिक-शिक्षा मनुष्य को उस ज्ञान का वरदान देती है जो इन चर्म-चक्षुओं से अतिरिक्त एक दिव्य-चक्षु के रूप में उपयोग में आती है। इसी आधार पर महर्षि ने ज्ञान-मण्डित दिव्य—चक्षु की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है—**ज्ञान मनुष्य का तृतीय नेत्र है, जो उसे समस्त तत्त्वों के मूल को समझने में समर्थ बनाता है तथा उसे उचित कार्यों की ओर प्रवृत्त करता है।**[2] यहाँ महर्षि ने ज्ञान को शिव के तृतीय नेत्र की संज्ञा प्रदान करते हुए उसे कामादि दोषों को जलाकर शिव (कल्याण) रूप बनाने वाला तृतीय नेत्र कहा है महाभारत में भी इसी बात को पुष्ट करते हुए कहा गया है—**विद्या सदृश कोई नेत्र नहीं है और न ही सत्य के समान कोई तप।**[3] ज्ञान-साधना के द्वारा तिमिर-अन्धकार से व्यावृत सांसारिक बन्धनों से निवृत्ति को प्राप्त करता हुआ मानव अभ्युदय और निःश्रेयस् की प्राप्ति में आसक्त रहता है। श्रुतिवचन भी प्रमाण है—'**साविद्या या विमुक्तये**' अर्थात् विद्या वहीं है, जो मुक्ति प्रदान करे, अर्थात् अज्ञानरूपी तिमिर अन्धकार के आवरण को हटाकर निःश्रेयस् प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करे। निःश्रेयस् से तात्पर्य परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति ही है। परब्रह्म परमेश्वर स्वरूप आत्मतत्त्व की प्राप्ति बिना अध्ययन के सम्भव नहीं है। इसलिए शिक्षा का परम तात्पर्य तत्त्व की प्राप्ति ही है, न कि भौतिक धनादि की प्राप्ति। इस प्रकार ईश्वर

---

१. असतो मा सद्गमय।
तमसो मा ज्योतिर्गमय।
मृत्योर्माऽमृतं गमय। बृहदारण्यकोपनिषद्—१/३/२८

२. ज्ञानं तृतीयं मनुजस्य नेत्रं समस्ततत्त्वार्थविलोकदक्षम्।
तेजोऽनापेक्षं विगतान्तरायं प्रवृत्तिमत्सर्वजगत्त्रयेऽपि॥
सुभाषितरत्नसंग्रहः—पृ० १६४

३. नास्ति विद्यासमं चक्षुर्नास्ति सत्यसमं तपः।
महाभारत—१२/३३६/६

चिन्तन, ईश्वर-आराधना आदि भी शिक्षा द्वारा ही दृष्टान्तोपदृष्टान्त पूर्वक ही शास्त्रों के द्वारा अभिहित किये जाते हैं, तभी मानव उन-उन शास्त्रों का समुचित अध्ययन कर स्वलक्ष्य-मूलतत्त्व की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है।

'सा विद्या या ब्रह्मगति प्रदा' कहकर आद्य शङ्कराचार्य ने विद्या को ब्रह्म-गति अर्थात् मोक्ष प्रदायनी बताया है। अर्थात् विद्या बुद्धि की संशयात्मक प्रवृत्ति का विनाश करते हुए अध्ययनार्थी को सन्मार्ग की ओर प्रवृत्त करती है तथा पाप और पुण्य के विवेचन द्वारा सद्गति को प्रदान करती है। शंकाओं का समाधान देती है। पाश्चात्य दार्शनिक **अरस्तू** ने भी इन्हीं भावों को व्यक्त करते हुए कहा है कि—**शिक्षा मनुष्य की शक्ति का विशेषरूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है, जिससे कि वह परमसत्य, शिव और सुन्दर का चिन्तन करने योग्य बन सके।** कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा से हमें जिस ज्योति-पुञ्ज आत्म-तत्त्व का प्रकाश मिलता है, वह संशयों का उच्छेदन, कठिनाइयों का निवारण करने और जीवन के वास्तविक महत्त्व को समझने के योग्य बनाती है। संस्कृत साहित्य में कहा भी गया है—**शास्त्र या शिक्षा ही स्थूल नेत्रों से भिन्न दिव्य-चक्षु प्रदान करती है अतः वह वस्तुतः नेत्र है, क्योंकि शास्त्रों से ही हमारे समस्त धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक संशय दूर होते हैं तथा भविष्य में होनेवाले समस्त हानि-लाभ भी शास्त्रों से हीवि दित होते हैं, जिसके फलस्वरूप मार्ग में उपस्थित होने वाली समस्त विपदाओं का निवारण हो सकता है। इसलिए कहा भी गया है कि जिसकी शास्त्रों में गति नहीं है अथवा जिसने शास्त्रों के मर्म को नहीं जाना है वह व्यक्ति अन्धे के सदृश है।**[1] **टैगोर** प्रभृति विद्वानों ने भी शास्त्रों के साथ-साथ शिक्षा को भी जीवन पथ-प्रदर्शक माना है। इस सम्बन्ध में गुरुदेव **रवीन्द्रनाथ टैगोर** ने शिक्षा के महत्त्व को स्पष्ट करते हुए कहा है कि—**शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह सत्य का अन्वेषण कर सके······तथा अपना बताते हुए उसको व्यक्त कर सके।** कहा भी गया है—**'विद्यासदृशं तृतीयनेत्रं सत्याऽन्वेषकम्'** अर्थात् विद्यारूपी तृतीय नेत्र सत्य का अन्वेषक है। यही तृतीय नेत्र हमें **'सत्यं शिवं सुन्दरम्'** की अनुभूति प्रदान करता है, जिसे उपनिषदों में **'ज्ञानं ब्रह्म। प्रज्ञानं ब्रह्म। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म।'**[2] ब्रह्म को परात्पर तत्त्व कहा है।

---

१. अनेकसंशयोच्छेदि परोक्षार्थस्य दर्शकम्।
सर्वस्य लोचनं शास्त्रं यस्य नास्त्यन्ध एव सः॥ हितोपदेश—१०

२. तैत्तिरीयोपनिषद्—१/१

'सत्यं शिवं सुन्दरम्' आत्मा का परिधान है। जिसे शिक्षारूपी साधन के द्वारा पूर्वजनित संस्कारों के परिशीलन द्वारा धारण किया जाता है। परिष्कृत संस्कार ही मानव में मानवत्व की अभिवृद्धि करते हैं। मानवत्व का मूल्याङ्कन व्यक्ति के वैयक्तिक और सामाजिक जीवन की पृष्ठभूमि के आधार पर किया जाता है। अतः सर्वप्रथम नैसर्गिकता के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में शिक्षा की अहम् भूमिका के विषय में अध्ययन करेंगे।

व्यक्तित्व-विकास—पौराणिकयुग में वेदों का अध्ययन पूर्ववत् प्रतिष्ठित रहा है। विष्णु पुराण के अनुसार **वेदों का अध्ययन-अध्यापन उतना ही महत्त्व-पूर्ण है, जितना वस्त्रों को धारण करना। वेद मानवता के लिए परिधान है। जो व्यक्ति भौतिक वातावरण अर्थात् सांसारिक चमक-दमक से प्रभावित हो इनका परित्याग करता है, वह वस्त्र-विहीन और अनाचारी अर्थात् पापी है।**[1] इसी आधार पर भर्तृहरि ने संस्कृतावाणी अर्थात् वेद-वाणी को भी मानवता का वास्तविक भूषण बताते हुए कहा है कि—**सामान्यतः व्यक्ति बाह्य साज-सज्जा को देखकर अधिक प्रभावित होता है। क्योंकि व्यक्ति में सहज सौन्दर्य हो या न हो, वह संवर-सजकर अपने को अधिक सौन्दर्यशाली और प्रतिभा-शाली सिद्ध करने का प्रयास करता है। किन्तु कोई भी व्यक्ति कितने ही बहु-मूल्य कवच-कुण्डल, जगमगाते चन्द्रहार-सूर्यहार धारण क्यों न करले तथा स्नानादि के उपरान्त कितने ही चन्दनादि सुगन्धित तेलों का लेप क्यों न कर ले अथवा केशों को संवार ले अथवा पुष्प मालाओं से अलङ्कृत क्यों न हो जाये, फिर भी उसके व्यक्तित्व में स्थायी निखार नहीं आ सकता. कारण सौन्दर्य-प्रसाधन की इन सब सामग्रियों में स्थायित्व नहीं है। इसके विपरीत सु-संस्कृत और शुद्ध वाणी ही एक ऐसी वस्तु है, जो मानव के व्यक्तित्व में स्थायित्व लाते हुए उसे पूर्णरूपेण सुशोभित करती है। वाणी की इस गरिमा का बोध शिक्षा द्वारा ही सम्भव है।**[2]

---

१. विष्णुपुराण—३/१७५/८

२. केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला।
न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः॥
वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते।
क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्॥
भर्तृहरिनीतिशतक—१९

वाणी (व्यक्तवाक्) बोलने की शक्ति ईश्वर प्रदत्त है सावधानी से स्थान, करण और बाह्य तथा आभ्यन्तर प्रयत्नों के उपयोग से वह शक्ति जब प्रकट होती है, तब स्वाभाविक सौन्दर्य निखर उठता है मनुष्य से इतर प्राणी को वाक् (बोलने) की शक्ति नहीं है। जो इसका यथावत् व्यवहार करते हैं, वे वाग् योग विद् अनन्त विजय को प्राप्त करते हैं। उनकी वाणी ही 'सूनृता' कहलाती है। इस ईश्वर प्रदत्त शक्ति को विकृत करने वाले इस लोक में भी सम्मान प्राप्त नहीं कर पाते हैं।[1] **भवभूति—धीर बुद्धिमान, सत्य और मधुर बोली को कामधेनु मानते हैं, मीठी और सत्य बोली मनुष्य की दरिद्रता को दूर भगा देती है, दुष्कृत का नाश करती है तथा सभी मङ्गलों को पूर्ण करने वाली माता के समान है—फिर ऐसी वाणी न बोल सकने वाला पूर्ण नहीं तो और क्या है। इस वाणी में सरसता और मधुरता विद्या द्वारा ही समाहित होती है।**[2] शिक्षित व्यक्ति ही वाणी की मधुरता और सरसता के कारण समाज में अधिक मान और सम्मान प्राप्त करता है अर्थात् अनृत वाणी के फलस्वरूप व्यक्ति समाज में तिरस्कृत और अपमान का भाजन बनता है तथा ऋत शब्दों के प्रयोग द्वारा समाज में विश्वसनीयता प्राप्त करता हुआ आदर और श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। वैदिककालीन महर्षियों ने वाणी की शुद्धता के लिए वाग् देवता का आह्वान करते हुए अर्चना की है—**वाणी का स्वामी परमेश्वर मुझे और मेरी वाणी को पवित्र करे।**[3] **यजुर्वेदीय** महर्षि ने अन्य मन्त्र में कहा है कि—**वाणी का स्वामी परमेश्वर अथवा विद्वान् हमारी वाणी को माधुर्य-युक्त और कोमल बनाये।**[4] नीतिकार आचार्य भर्तृहरि ने अपने **शतकत्रय**[5] में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि—**विद्या केवल आभूषण ही**

---

१. सोऽनन्तमाप्नोति जयं परम वाग् योगवित्।
दुष्यति चापशब्दैखाग् योगवित्॥ —महाभाष्य पस्पशा

२. कामान् दुग्धे विप्रकर्षत्यलक्ष्मीं कीर्ति सूते दुष्कृतं या हिनस्ति।
ताञ्चाप्येतां मारं मङ्गलानां धेनुं धीराः सूनृतां वाचमाहुः॥
उत्तररामचरित—५/३०

३. वाक्पतिर्मा पुनातु। यजुर्वेद—४/४

४. वाचस्पतिर्वाचं न स्वदतु। यजुर्वेद—११/७

५. विद्यानाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनं।
विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः॥
विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता।
विद्या राजसु पूज्यते न हि धनं विद्याविहीनः पशुः॥
भर्तृहरिनीतिशतक—२०

नहीं है, उससे भी कहीं अधिक बढ़कर है और जो व्यक्ति विद्या से वञ्चित है अर्थात् संशयात्मक प्रवृति से आवृत है वह पशु-समान है । अर्थात् जो व्यक्ति नीर क्षीर विवेकी नहीं है अर्थात् पाप और पुण्य के विवेचन में असमर्थ होने के कारण बुद्धि-शून्य होने से पशु तुल्य अर्थात् अविवेकी कहलाता है । जिससे बचने के लिए महर्षियों ने निरन्तर सूर्यदेव की उपासना और बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी की अराधना का उपदेश दिया है । इसीके साथ-साथ विद्या-धन को सर्व श्रेष्ठ प्रतिपादित करते हुए उसे जीवनोत्थान के लिए परमावश्यक परिधान बताया है । अन्यत्र स्थल पर निरन्तर वृद्धि को प्राप्त विद्यारूपी गुप्त धन की वशिषता का वर्णन करते हुए महर्षि कहते हैं कि—**विद्या-धन के संग्रह में न तो चोर द्वारा चोरी करने का भय है, न ही प्रतिदेय (टैक्स) आदि से रहित होने के कारण राज-भय है, पैतृक सम्पदा के न होने के कारण इसका भाईयों में विभाजन भी नहीं किया जा सकता और अत्यधिक महत्त्व-पूर्ण और जीवनोपयोगी होने के कारण यह भार स्वरूप भी नहीं है, अपितु इसके विपरीत यह ऐसी वस्तु है जो प्रतिदिन के अभ्यास से और विद्याभिलाषियों में निरन्तर वितरण करने से वृद्धि को प्राप्त होती है । इस प्रकार विद्यारूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठतम है** ।[1] इससे भी यह ज्ञात होता है कि मानव-जाति के अभ्युत्थान के लिए नागरिकों मे साक्षरता के प्रति उत्कण्ठा उत्पन्न करनी चाहिए । जिसके लिए विश्व में विभिन्न राष्ट्रीय सरकारों द्वारा साक्षरता-अभियान चलाया गया है तथा प्रत्येक मानव-शिशु के लिए प्रारम्भिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य किया गया है । जिससे राष्ट्र के नागरिकों में राष्ट्रीय, सामाजिक और वैयक्तिक गुणों की अभिवृद्धि हो सके । जैसाकि प्रत्यक्ष दृष्टव्य भी है कि विद्या द्वारा ऐश्वर्यादि संसाधनों के संग्रह से सुख-शान्ति और ख्याति प्राप्त होती है तथा पुरुषार्थचतुष्टय की अन्तिम अवस्था तक पहुंचने में सहायक सिद्ध होती है । जैसाकि वैदिक मन्त्रों के माध्यम से महर्षियों ने समस्त मानव-जाति को निर्देश दिया है—**हे मानव ! तू ज्ञान और कर्म रूपी पँखों से उड़ने वाला बाज है, अतः सुन्दर विज्ञान और सुख को प्राप्त कर ज्योति को प्राप्त कर और आनन्द में विचर** ।[2] 'विद्या' महान गुरु के समान है अर्थात् विद्या द्वारा ही मानव के अन्तर्चक्षु प्रकाशित होते हैं तथा नैसर्गिक गुणों की

---

१. न चोरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारि ।
व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनप्रधानम् ।।
प्रसंगाभरण—८

२. सुपर्णोऽसि गुरुत्मान् दिवं गच्छ स्वःपत । यजुर्वेद—१२/३

परिशुद्धि होती है। जिसके कारण वह सर्वत्र मार्ग में उपस्थित होने वाली समस्त बाधाओं का निराकरण करते हुए विद्यारूपी धर्म के सहारे पुरुषार्थ-चतुष्टय के अन्तिम लक्ष्य 'मोक्ष' अथवा 'ज्ञान' को प्राप्त करता हुआ समाज में उचित सम्मान पाता है। इसीलिए कहा भी गया है—**'न विद्या समो बन्धुः'**[1] अर्थात् विद्या के समान कोई बन्धु नहीं है, क्योंकि **'विदेशेषु धनं विद्या'**[2] अर्थात् बिदेश गमन के समय विद्या, धन के समान है अर्थात् देश-विदेश में यात्रा करते समय आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न साहित्यिक प्रतियोगिताओं और राज-दरबार में आयोजित विद्वद् संगोष्ठियों में सम्मिलित होते हुए प्रचुर मात्रा में धन और पारितोषिक प्राप्त किये जा सकते हैं।

विद्वत्-परिषद् का राज-सभा में विशेष महत्त्व है, जैसाकि कहा भी गया है—**विद्वान् कवि, शास्त्रज्ञ, संगीतज्ञ, विदूषक, इतिहासकार और पुराण-वेत्ता, ये राज-सभा के सात महत्वपूर्ण अङ्ग हैं, अर्थात् इनके अभाव में सभा कोई महत्त्व नहीं रखती।**[3] कहने का तात्पर्य यह है कि देश, काल और परि-स्थितियों के अनुरूप राजा अपनी विद्वत्—सभा में विचार विमर्श कर राष्ट्रीय उत्थान के लिए सामाजिक पृष्ठभूमि पर विचार-विमर्श कर जन-इच्छा को आदर प्रदान करते हुए नीतियों का निर्धारण करता है; इसीलिए कहा गया है कि जिस राज्य में नीति-निपुण और विद्वत्-वरेण्यों का आदर नहीं किया जाता उसका पतन स्वभावतः स्वयं सिद्ध ही है। इसीलिए ज्ञान-सरिता को आत्म-शुद्धि का पवित्र जल बताते हुए उसमें स्नान करने का निर्देश दिया गया है। विद्या स्वयं ईश्वर है, जो प्रत्येक मानव को उसकी आवश्यकता-नुसार संसाधनों को उपलब्ध कराते हुए सन्मार्ग द्वारा निःश्रेयस् अर्थात् अभ्युदय को प्रदान करती है, धन में यह गरिमा नहीं है। अतः विद्या-धन सर्वधन प्रधान है।

संस्कृत साहित्य में विद्या की श्रेष्ठता और उससे प्राप्तव्य सम्मान का उल्लेख करते हुए कहा गया है—**संसार में व्यक्ति विद्या के कारण ही सुशोभित होता है, उत्तमजनों के द्वारा पूजा जाता है, किन्तु इसके विपरीत विद्या से रहित व्यक्ति विद्वत्—परिषद् आदि में सम्मिलित होने पर सदा**

१. संस्कृत लोकोक्ति संग्रह—पृ० १३१

२. सुभाषितावली—३०५३

३. विद्वांसः कवयो भट्टा गायकाः परिहासकाः।
इतिहासपुराणज्ञाः सभा सप्ताङ्गसंयुता॥
सुभाषितरत्नभाण्डागार—१०१/२

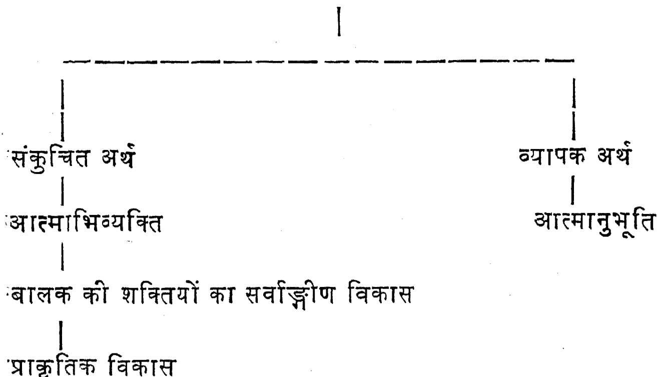
अनादर का पात्र बनता है ।[1] क्योंकि विद्वत्ता ही विद्वत्-परिषद् और श्रेष्ठ समाज का परिधान है जो सैद्धान्तिक और व्यवहारिक ज्ञान-पक्ष से संवेष्टित है । इसीलिए 'विद्या सर्वस्य भूषणम्' अर्थात् विद्या सभी का आभूषण है, ऐसा कहा गया है इस कथ्योक्ति से यह भाषित होता है[2] कि 'विद्या' अर्थात् ज्ञान-रूपी सरिता के माध्यम से ही व्यक्ति इस भव सागर को पार करता हुआ जीवन के चरमोत्कृष्ट लक्ष्य 'मोक्ष' को प्राप्त करता है । ज्ञान-महिमा के विषय में आदिशङ्कराचार्य ने कहा है—**आत्म-ज्ञान संवेष्ठित विद्या के बिना—अन्य विद्याओं के प्रपञ्च उसी प्रकार व्यर्थ हैं, जैसे मङ्गल-सूत्र के अभाव में अनेक आभूषणों से सु-सज्जित कान्ता की कान्ति** । या यों कहा जा सकता है कि अनेकानेक बहुमूल्य आभूषणों से अलङ्कृत नारी का लावण्य मङ्गलसूत्र के न धारण करने पर फीका-फीका लगता है, ठीक उसी प्रकार मूढ़ अज्ञानी अथवा आत्म-ज्ञान से रहित मानव व्यक्तित्व भी समाज में धूमिल सा दिखाई देता है । कहने का तात्पर्य यह है कि 'विद्या' रूपी साधन के द्वारा ही मानव आत्मानुशासित होता हुआ जन-कल्याण की भावना से राष्ट्रोत्थान में अपना पूर्ण योगदान देता है । आचार्य **विष्णुशर्मा** की उक्ति भी है—**'किंशुक' पलाश वृक्ष का पुष्प है । जिस पलाश की समिधाएँ बड़े-बड़े यज्ञों में प्रयोग की जाती हैं और जिसका काष्ठ ब्रह्म-दण्ड के रूप में धारण किया जाता है तथा जिस किंशुक की अकृति शुक-चञ्चु सी सुन्दर और आकर्षक होती है तथा रंग दूर से ही लोगों के मन को मोहित कर लेता है । किन्तु न तो किंशुक देव-पूजा में काम आता है और न ही रूप-सज्जा में उसका प्रयोग होता है, क्योंकि वह निर्गन्ध है । ऐसे ही रूप और यौवन से सम्पन्न तथा श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होने पर भी यदि कोई मानव-शिशु मूढ़-अज्ञानी अथवा विद्या से रहित है, तो उसे समाज में कोई महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं होता ।** दूसरे शब्दों में विद्या-विहीन व्यक्ति समाज द्वारा त्याज्य समझा जाता है तथा धनाढ्य होने पर भी उसे शिक्षित समाज में आदर प्राप्त नहीं हो पाता ।

---

१. विद्यया शस्यते लोके पूज्यते चोत्तमैः सदा ।
विद्या हीनो नरः प्राज्ञः सभायां नैव शोभते ।।
सुभाषितरत्नभाण्डागार—३९/१६

२. ज्ञानविद्याविहीनस्य विद्याजालं निरर्थकम् ।
कण्ठसूत्रं विना नारी ह्यनेकाभरणैर्युता ।।
सुभाषितरत्नभाण्डागार—३९/१२

अतः शिक्षा के मनोवैज्ञानिक युग में, जहाँ अधिगम की प्रणाली में शिक्षक को गौण और शिक्षार्थी को महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है रूसो, पैस्टॉलाजी, फ्रोबिल तथा नन् आदि पाश्चात्य आधुनिक विद्वानों ने शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य पर फिर से बल देना प्रारम्भ कर दिया है तथा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसके संकुचित और व्यापक अर्थ को प्रस्तुत किया है—



प्रकृतिवादी दार्शनिक रूसो ने अपनी प्राकृतिक शिक्षा में व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए कहा है—**प्रत्येक व्यक्ति एक विशिष्ट स्वभाव को लेकर जन्म लेता है। हम बिना सोचे-समझे भिन्न-भिन्न रुचियों वाले बालकों को एक ही प्रकार के कार्यों में जुटा देते हैं। ऐसी शिक्षा उनकी विशेषताओं को नष्ट करके एक निर्जीव समानता की छाप लगा देती है।** अतः प्रकृतिवादी सिद्धान्त के प्रबल समर्थक रूसो ने बालक की सम्पूर्ण शिक्षा का आधार उसकी रुचि अभिरुचि और आवश्यकता को माना है। ऐसी स्थिति में सामूहिक शिक्षण तथा निश्चित पाठ्यक्रम का बहिष्कार कर वैयक्तिक शिक्षा तथा लचीले पाठ्यक्रम का निर्माण करके समस्त शिक्षण-पद्धतियों को क्रिया के सिद्धान्त पर आधारित करना चाहिए **टी० पी० नन्** ने अपनी पुस्तक **"एजुकेशनः इट्स डेटा एण्ड दी फर्स्ट प्रिन्सीपिल"** में व्यक्ति की व्यक्तिगत शक्तियों के विकास पर विशेष बल देते हुए लिखा है—**मानव जगत में यदि कुछ भी अच्छाई आ सकती है तो वह व्यक्तिगत पुरुषों तथा स्त्रियों के स्वतन्त्र प्रयासों के द्वारा ही आ सकती है। अतः शिक्षा का संगठन इस सत्य के आधार पर ही होना चाहिए।** उन्होंने इस सम्बन्ध में आगे कहा है कि—**शिक्षा से प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी अवस्थायें प्राप्त होनी चाहिये जिनमें उसकी**

वैयक्तिकता का पूर्ण विकास हो सके। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि विशेष प्रकार के व्यक्तित्व से ही संसार की उन्नति हो सकती है। जैसाकि—राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी, रवीन्द्रनाथ टैगोर, कबीर, रहीम आदि महापुरुषों के अध्ययन से ज्ञात होता है। अतः बालक को उसकी मूल प्रवृत्तियों के अनुरूप विकसित होने की पूर्ण स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए।

किन्तु आगे चलकर इस उद्देश्य के व्यापकार्थ को स्पष्ट करते हुए नन् ने कहा है—**शिक्षा बालक को इस प्रकार से सहायता प्रदान करे कि वह समाज अथवा मानवीय जीवन को अपनी योग्यतानुसार मौलिक योगदान दे सके**। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि समाज, राज्य और शिक्षा संस्थाओं को बालक की रुचियों तथा प्रवृत्तियों को सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार विकसित करना चाहिए जिससे उसके व्यक्तित्व का उच्चतम विकास हो सके तथा वह बड़ा होकर आनन्दमय जीवन व्यतीत कर सके। नन् के उपर्युक्त कथन से स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्तित्व के विकास से उसका तात्पर्य आत्माभिव्यक्ति न होकर आत्मबोध अथवा आत्मानुभूति है। अतः आत्मानुभूति को ही मानव व्यक्तित्व की परम कसौटी माना गया है। जिसकी अभिव्यक्ति का मूलाधार शिक्षा को ही माना गया है।

संस्कृत साहित्य में काव्योक्ति भी है—**समाज में विद्वान् और राजा दोनों कभी भी समान स्तर प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि राजा राजदण्ड द्वारा अपने राज्य पर शासन करता है तथा वहीं आदर प्राप्त करता है, जबकि विद्वान् अपनी विद्वत्ता की कसौटी से विश्व के सम्पूर्ण भू-भाग में आयोजित विभिन्न विद्वत्-परिषद् में भाग ले सम्मान प्राप्त करता है।**[1] इससे भी यही भाषित होता है कि शिक्षा ही मानव को पूर्ण मानवता प्रदान करती है तथा व्यक्ति को इस योग्य बनाती है जिससे वह आत्मनिर्भरता को प्राप्त करता हुआ जन-कल्याण आन्दोलन में अपनी अहम् भूमिका निभाता है। इसीलिए ज्ञानाभूषण से अलङ्कृत व्यक्ति भी सर्वत्र पूजा होती है। वैदिककालीन महर्षियों ने "**त्वं यविष्ठ दाशुषो नृःपाहि**" मन्त्र द्वारा भू-पालकों को निर्देश दिया है कि—**तू सुखदाता, धर्म-रक्षक और विधाता (आचार्य) की रक्षा कर**। इनके संरक्षण में ही राष्ट्र अभिवृद्धि को प्राप्त कर सकता है।

---

१. विद्वत्त्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन।
स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान्सर्वत्र पूज्यते ॥

सुभाषितावली— ३४२६

क्योंकि धर्म-रक्षक ही धर्म-शास्त्र में प्रतिपादित कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य भाव का विवेचन करते हुए तथा शुद्धाचरण की शिक्षा से आदर्श नागरिकता का प्रशिक्षण प्रदान करते हुए स्वत: आत्मानुशासन की भावना के विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यही आत्मानुशासन राष्ट्र समृद्धि का मूलमन्त्र है। आचार्य विद्यादान द्वारा इस मूलमन्त्र का संरक्षण करता है तथा शिक्षार्थी को अपने सान्निध्य में इस मूलमन्त्र का जप कराते हुए आत्म-निर्भरता प्रदान करता है। इसी भाव से भाषित हो। महर्षि ने प्रजा पालन को इनके संरक्षण का निर्देश दिया है। 'अग्रेणीरसि' मन्त्र द्वारा ज्ञानी पुरुष के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा है कि – **हे विद्वन् ! तू मानव प्रजाओं का उन्नायक है तथा समुन्नत करने वाला और उसका पथ-प्रदर्शक है। यजुर्वेदीय महर्षियों** ने अपने मन्त्र में कहा है कि—**हे विद्वन् ! तू आकाश की ओर मत देख, अन्तरिक्ष की ओर मत जा, पृथ्वी के साथ जुट जा, पृथ्वी पर पराक्रम कर अर्थात् नव-नव वैज्ञानिक अनुसंधानों द्वारा विश्व को विविध वैज्ञानिक उपकरणों को प्रदान करते हुए पृथ्वी-वासियों की समस्याओं के समाधान[1] से संबद्ध हो।**[2] इस महर्षि वाक्य द्वारा यह ज्ञात होता है कि विभिन्न अनुसंधानों में संलग्न व्यक्तियों में तर्क-वितर्क अथवा समस्या-समाधान की शक्ति का विकास शिक्षा द्वारा ही सम्भव है। अत: शिक्षा न केवल हमें विभिन्न अनुसंधानों की ओर ही प्रवृत्त करती है, अपितु हममें निहित मानवीय गुणों की अभिवृद्धि भी करती है। काव्योक्ति भी है—**विद्या-धन को श्रेष्ठतम धन कहा गया है।**[3] जिसकी प्राप्ति के लिए **अग्निपुराण** में कहा गया है—**संसार में सर्वप्रथम तो मानव-जन्म की प्राप्ति ही दुर्लभ है, तदनन्तर विद्या-लाभ दुर्लभ है तथा कवित्व तो और भी दुर्लभ है, उस पर भी कवित्व प्रतिभा तो और भी सुदुर्लभ है, जैसाकि कहा गया है का विद्या कवितां विना' अर्थात् कवित्व शक्ति के बिना विद्या अर्थात् शास्त्र-लाभ किस काम का।**[4] यह सत्य है कि सभी विद्वान विविध शास्त्रों में पारंगत हो सकते हैं, किन्तु यह आवश्यक नहीं कि वे सभी कवि भी हो। विद्या का सर्वोत्तम लाभ-भाषा द्वारा मनोगत

---

१. यजुर्वेद—६/२

२. 'द्यां मा लेखीरन्तरिक्षं मा हिँ् सीःपृथिव्या सम्भवः।'

यजुर्वेद— ५/४३

३. विद्याधनं श्रेष्ठधनमुच्यते। संस्कृतलोकोक्ति संग्रह—पृ० ३१०

४. नरत्वं दुर्लभं लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा।
कवित्वं दुर्लभं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा।। अग्निपुराण—३२७/३

भावों की अभिव्यक्ति है, जो एक विद्वान् को समाज में कविरूप में प्रतिष्ठित कर समुचित आदर प्रदान करती है। इसीलिए कहा भी गया है—**पुरुषों में वे ही व्यक्ति धन्यतम माने जाते हैं, जो मन के भावों** को **वाणी द्वारा अभिव्यक्त कर पाते हैं**। इसीलिए कवित्व और कवि-प्रतिभा को अत्यन्त दुर्लभ माना गया है। सामान्यतः यह भी देखा जाता है कि इधर-उधर के पद-पद्यांश, वाक्य-वाक्यांश को जोड़-तोड़कर व्यक्ति अपने आपको कवि ख्यापित करना चाहता है। ऐसा कवि कोई भी विद्वान् हो सकता है, किन्तु कवि होने के लिए जिस प्रतिभा की आवश्यकता होती है, वह प्रतिभा या कवित्वशक्ति तो नितान्त दुर्लभ है। एक प्रतिभा सम्पन्न कवि सम्पूर्ण विश्व के हित को ध्यान में रखते हुए जो कुछ सृजन करता है, वह उसकी रचना साहित्य कहलाती है। यहाँ **'साहित्य'** शब्द काव्यपरक है, वाङ्मयपरक नहीं है। काव्य या साहित्य में शब्द और अर्थ एक दूसरे से बढ़-चढ़कर सुन्दर होते हैं। उनका वह सौन्दर्य रीति-गुण-अलङ्कार आदि संज्ञाएँ प्राप्त करता हुआ अन्त में भाव और रस-रूप में परिणत हो जाता है। इसीलिए महर्षियों ने साहित्य, संगीत और चौसठ कलाओं के ज्ञान से विहीन व्यक्ति को पशु-तुल्य माना है।

शिक्षा का क्षेत्र अति विस्तृत है। विद्याएँ और कलाएँ सभी शिक्षा के विषय हैं। संस्कृत साहित्य में १८ विद्याओं और चौसठ कलाओं की चर्चा है। अन्य भाषाओं के साहित्य में भी इतनी विद्याएँ और कलाएँ स्वल्प रूप में प्राप्त हैं। किन्तु कुछ आधुनिक विज्ञान से सम्बद्ध विद्याएँ और कलाएँ इनसे अतिरिक्त भी हैं। कलाओं में अधिकतर कलाएँ उपयोग में आती हैं, अतः वे उपयोगी कलाएँ कहलाती हैं। कुछ कलाओं का मूल्याङ्कन उपयोग की अपेक्षा आनन्द प्रदान या मनोरञ्जन करने से सम्बन्ध रखता है, ऐसी कलाओं को ललितकला कहते हैं। विद्याओं और कलाओं को सीखने के लिए जिस मन और बुद्धि की आवश्यकता होती है, वह केवल मनुष्य के पास है, पशु-पक्षी गण उन्हें ठीक से नहीं सीख पाते। इसीलिए कहा भी गया है—

शुनः पुच्छमिव व्यर्थं जीवितं विद्यया विना।
न गुह्यगोपने शक्तं न च दंश निवारणे[1]॥

अतः वास्तव में शिक्षा ही हमें मनुष्य बनाती है। शिक्षा ही अन्तःकरण में विद्यमान पापवृत्ति का परिशोधन कर हमें इस योग्य बनाती है जिससे हम अपने वैयक्तिक गुणों का विकास करते हुए अपने आपको इस योग्य बना सकें

१. वृद्ध चाणक्यशतक—७/१६

कि समाज में आदर और सत्कार प्राप्त हो सके। अतः शिक्षा से रहित हमारा जीवन व्यर्थ और मूल्य रहित है।

'शिक्षा' हमारे पूर्वजन्म जनित संस्कार जो हमें गर्भ से, माता-पिता से तथा उनकी वंशानुगत परम्परा से नैसर्गिक गुणों के रूप में प्राप्त होते हैं, का परिशोधन कर मानवीय गुणों से संश्लिष्ट करती है। संस्कार कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे भी। कुसंस्कारों को विकार कहते हैं। जो जड़ता की ओर ले जाय सो विकार, जो जीव में लिप्त विकारों को मिटा दें सो संस्कार। संस्कार माने सँवारना-सुधारना, चेतनोन्मुख बनाना, पुरुषार्थ सिद्धि के योग्य बनाना और अन्ततोगत्वा ब्रह्मप्राप्ति के योग्य बनाना।

आज व्यक्ति-जीवन जो अनेक प्रकार के विकारों से ग्रस्त है, व्यसनों से बद्ध है तथा अधोगति की ओर उन्मुख है, उसमें शिक्षा के द्वारा संस्कारों में परिशोधन और परिवर्धन करते हुए आध्यात्मिक और सामाजिक गुणों की अभिवृद्धि के लिए समुचित वातावरण तैयार करना चाहिए। जिसके लिए अति प्राचीनकाल से ही हमारे वैदिक महर्षियों ने गर्भाधान से जीवन-मुक्ति तक षोडश संस्कारों का विधान किया है। इन संस्कारों द्वारा मनुष्य के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को विशेष अनुशासन में लाकर सभ्य, सुसंस्कृत, उन्नतिशील और अन्त में मोक्षानुगामी बनाने की शिक्षा मिलती है। इस प्रकार उनके मतानुसार इन संस्कारों से च्युत व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं होता है। प्रसिद्ध नीति निपुण स्मृतिकार आचार्य ने संस्कार-शून्य मानव जाति को शूद्र की उपमा देते हुए कहा है—**'शिक्षा-संस्कार' से पूर्व ब्राह्मण भी शूद्र ही कहलाता है, शिक्षा ही उसके स्वभाव को शुद्ध और सु-संस्कृत बनाती हुई द्विजत्व प्रदान करती है।**[1] इस प्रकार हम कह सकते हैं कि **मल्कास्टर** की भाँति प्राचीन भारतीय चिन्तकों का भी मत था कि शिक्षा हमारी नैसर्गिक शक्ति को पूर्ण बनाती है।

जब शिक्षाहीन मानव ही मानव नहीं रहता, तब इन्द्रिय सुख को जीवन का सुख मानने वाला शूद्र, धन को ही जीवन का परम लाभ समझने वाला वैश्य और धर्म को ही जीवन की उत्तम साधना मानने वाला क्षत्रिय शिक्षा के बिना अपने उद्देश्य—'काम अर्थ और धर्म' में कैसे सफल हो सकता है। इन्हें

---

१. जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद् द्विज उच्यते।
विद्यया याति विप्रत्वं त्रिभिः श्रोत्रिय उच्यते॥

क्रमशः कामशास्त्र, अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र की शिक्षा तो अवश्य प्राप्त करनी ही होगी। इन तीनों वर्णों से उत्कृष्ट माना जाने वाला, मोक्ष को ही जीवन का एकमात्र साध्य समझने वाला ब्राह्मण शिक्षा के बिना अर्थात् मोक्ष-शास्त्र का अध्ययन किये बिना अपने लक्ष्य की पूर्ति कैसे कर सकता है? वंशानुक्रम से ब्राह्मण-जाति में उत्पन्न होकर भी अशिक्षित ब्राह्मण अपनी परम्परा से प्राप्त ब्रह्मतेज को न बढ़ा सकने के कारण तिनके में लगी आग के सदृश शीघ्र ही निस्तेज होकर समाप्त हो जाता है अर्थात् ब्राह्मणत्व से च्युत हो जाता है। परम्परा का तेज अध्ययन-अध्यापन, यजन-याजन और दानप्रतिग्रह आदि छः कर्मों द्वारा ही संवर्तिध और सुरक्षित किया जा सकता है। इसीलिए **अध्ययन-अध्यापन आदि छः कर्म करने वाले को ही ब्राह्मण कहा जाता है।**[1]

उपर्युक्त ज्ञान की प्रशंसा और अज्ञान की निन्दा करने वाले सुभाषितों का यही आशय है कि मनुष्य को शिक्षा—प्राप्ति में प्रमाद नहीं करना चाहिए। उसे चित्त की समस्त वृत्तियों का निरोध कर अध्ययन-अध्यापन में तल्लीन रहना चाहिए, जिसके लिए शिक्षा ही एक ऐसी प्रक्रिया है, जो विभिन्न संस्कारों के माध्यम से मानव में निहित सम्पूर्ण नैसर्गिक गुणों का विकास करती है। उसमें आत्मनिर्भरता के साथ-साथ वातावरण से समायोजन की भावना को विकसित करती है तथा उसे इस योग्य बनाती है जिससे वह स्वयं के व्यक्तित्व के विकास के साथ-साथ विश्व-कल्याण के लिए श्रेयस्कर मार्ग प्रशस्त कर सके। इन्हीं उपर्युक्त प्रमाणों के आधार पर समाज ने बालक की प्रारम्भिक शिक्षा का दायित्व पारिवारिक सदस्यों अर्थात् माता-पिता को सौंपा था, तत्पश्चात् जीवन को पूर्णता प्रदान करने तथा राष्ट्रोन्नयन की भावना को विकसित करने का दायित्व राज्य द्वारा विद्यालय और विश्व-विद्यालय को सौंपा गया है।

ठीक भी है, पारिवारिक परिप्रेक्ष्य में रहते हुए ही बालक अपने माता-पिता से प्रथम-अक्षर ज्ञान और व्यावहारिक-प्रशिक्षण प्राप्त करता है, यही ज्ञान बालक को उसके भविष्य की रूपरेखा बनाने में नींव का कार्य करता है। हमारे आदिग्रन्थ वेद और तत्कालीन शिक्षा-व्यवस्था इसका प्रमुख उदाहरण है। जिसके अनुसार बालक अपनी माता से नैतिक-आध्यात्मिक और चारित्रिक ज्ञान ग्रहण करता है तथा पिता से व्यावसायिक प्रशिक्षण में दक्षता

१. षट्कर्मा ब्राह्मणः स्मृतः।

प्राप्त करता हुआ आत्म-निर्भर बनता है । अतः जो माता-पिता अपने बालक को इस प्रकार की शिक्षा प्रदान नहीं करते अथवा वर्तमान शिक्षा-व्यवस्था के अनुरूप शिक्षित नहीं करते वे उनके शत्रु कहलाते हैं । क्योंकि वे इस प्रकार अपने बच्चों का भविष्य नरक-तुल्य बना रहे हैं । कहा भी गया है—'ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समाना' अर्थात् ज्ञान से रहित मानव-जीवन पशु-तुल्य है । क्योंकि जिस प्रकार हंसों की सभा के मध्य में बगुला शोभा को प्राप्त नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षित समाज में अशिक्षित व्यक्ति भी शोभा का पात्र अर्थात् मान का भाजन नहीं समझा जाता है ।[1] कारण विद्वत् मण्डल में तो विद्वानों को ही स्थान मिल सकता है न कि मूर्ख अर्थात् अज्ञानी को । अग्नि-पुराण में ज्ञान-महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है— ज्ञान परब्रह्म स्वरूप है, इसके विपरीत ज्ञान बन्धन का भी कारण है । यह सम्पूर्ण विश्व ज्ञानमय है और ज्ञान परम विपत्ति स्वरूप भी है ।[2] यहाँ महर्षि ने ज्ञान के जिन दो रूपों की चर्चा की है, वह है—आत्म-तत्त्व सम्बन्धि यथार्थ ज्ञान, जिसके द्वारा व्यक्ति परब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप को जान लेता है अर्थात् सज्ञानी ब्रह्मरूप हो जाता है । किन्तु आत्म-तत्त्व का यथार्थ बोध न होने पर संसार के अनेकविध तत्त्वों का विविध रूप से जो ज्ञान होता है, वहीं वैविध्य बन्धन का कारण बनता है । इस प्रकार ज्ञानात्मक ब्रह्मतत्त्व अज्ञानरूपी तिमिर अन्धकार से आवृत है तथा साथ ही साथ अज्ञान जनित अ-यथार्थ ज्ञानतत्त्व का प्रकाशक न होने से परम विपत्ति का कारण बन जाता है । जब तक पदार्थ का तात्त्विक ज्ञान नहीं होता तब तक भ्रम की निवृत्ति नहीं होती और भ्रम निवृत्ति न होने से सकल बन्धन चक्र में आबद्ध होकर मानव परिभ्रमित ही होता रहता है, उसे त्राण का अवसर ही नहीं मिल पाता है । प्राणी को अपने त्राण के लिए शुद्ध ब्रह्मतत्त्व के स्वरूप का साक्षात्कार होना आवश्यक है । आत्म-तत्त्व को यथार्थरूप में समझने के लिए शास्त्रोक्त उपायों से आत्मा और परमात्मा का ऐक्य रूपभेद मानना आवश्यक है और अद्वैत

---

१. माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः ।
न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा ।।

हितोपदेश (कथामुख)—३७

२. ज्ञानमेव परं ब्रह्म ज्ञानं बन्धाय वेष्यते ।
ज्ञानात्मकमिदं विश्वं न ज्ञानाद्विदयते परम् ।।

अग्नि-पुराण—३२७/३

सिद्धान्त पर आश्रित समस्त प्रपञ्च का एकात्मत्व स्वरूप ब्रह्म-तत्त्व ही मोक्षार्थियों के लिए परमौषधि है। किन्तु जो प्राणी अपने कु-संस्कारों द्वारा यथार्थ ज्ञान को नहीं जान पाते वह समस्त प्रपञ्च में आबद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार ज्ञान के यथार्थ और अ-यथार्थ स्वरूप दृष्टिगत होते हैं उनके रूपों का यहाँ विवेचन किया गया है।

आत्म-तत्त्व सम्बन्धी इस विवेचन से हमें यह ज्ञात होता है कि किसी भी वस्तु का यथार्थ परिचय सुख का कारण है तथा अ-यथार्थ रूप में किसी भी वस्तु को जानना कष्ट का कारण बनता है। अतः प्रत्येक वस्तु के परिचय के अवसर पर हमें गम्भीरता के साथ अध्ययन करते हुए वक्ता के यथार्थ भाव को हृदयंगम करना चाहिए। यदि वक्ता के तथा गुरु के कथन को सही-सही रूप में ग्रहण न किया जाय तो वह शिक्षा व्यर्थ ही नहीं अपितु विपत्ति का कारण भी बन जाती है। इसीलिए आदिकाल से मानव जीवन के उत्थान के लिए शिक्षा की उत्तम-व्यवस्था पर बल दिया गया है।

यद्यपि अनुभवात्मक ज्ञान को प्रशस्यतम ज्ञान कहा गया है तथापि कोई भी प्राणी जीवन के प्रथम रूप में प्रकृष्ट अनुभव प्राप्त नहीं कर सकता है। उसकी प्राप्ति न होने से जीवन का मूल प्रवृत्तियों के अनुरूप विविध विकसित नहीं हो सकता। ज्ञान-प्रकर्ष की प्राप्ति के लिए शिक्षा ही एकमात्र साधन है। जिसके द्वारा मानव बहुकाल सञ्चित अनुभवों का निधिभूत सारस्वत ज्ञान-कोष को प्राप्त कर महा-ज्ञानी बनता है। फलतः उनका अन्तःकरण एक वैयक्तिक न होकर अन्तःकरण की समष्टि रूपता को प्राप्त कर महान् ज्ञान राशि में निमग्न हो जीवन को सार्थक बना लेता है। उसकी कृतियाँ साधारण मनुष्य की न होकर एक विशिष्ट अवतारी पुरुष की हो जाती हैं। जीवन के बाह्य विकास के साथ-साथ आभ्यन्तरिक विकास का स्तर अजस्र गति से बढ़ता जाता है। व्यक्तित्व के विकास के साधन भूत जो ब्रह्मचर्यादि आश्रमों का विधान है, उनमें प्राप्त अध्ययन और अनुभूतियों का अपने गृहस्थ-आश्रम में नित्य परीक्षण करता है तथा उस परीक्षा से परीक्षित ज्ञानराशि पर विश्वास प्राप्त कर आश्रमों का अलंकार-भूत सन्यास आश्रम में ज्ञान के विराट् रूप को आत्मसात् कर लेता है, उससे समस्त विश्व को यथार्थता का ज्ञान करा देता है।

यम-नियमों का महत्त्व—शिक्षण ग्रहण के इस क्रम में शिक्षार्थी को स्वाध्याय, तपश्चर्या, शौचाचार, संतोष और ईश्वर उपासना के रूप में पाँच

नियमों[1] का पालन करना होता है। किन्तु इन नियमों के पालन से महत्त्व पूर्ण है—पाँच यमों[2] का पालन करना। धर्मनिष्ठ आचार्य मनु ने यमों के पालन की अनिवार्यता बताते हुए निर्देश दिया है—**बुद्धिमान व्यक्ति को केवल नियमों का पालन ही नहीं करना चाहिए, अपितु आग्रह पूर्वक पाँचों यमों का निरन्तर पालन करते रहना चाहिए, क्योंकि केवल नियमों का पालन करता हुआ व्यक्ति यदि यमों का पालन नहीं करता तो भी पतित हो जाता है।**[3] अत: मानव-व्यक्तित्व के सर्वाङ्गीण विकास के लिए **'यम-नियम'** दोनों के अनुरूप आचरण करना परमावश्यक है। आचार्य **कुल्लूक भट्ट** ने **अहिंसा सत्य-भाषण, ब्रह्मचर्य, अकुटिलता और अचौर्य, ये पाँच उपव्रत या यम बताये हैं।**[4] यहाँ उन्होंने अपरिग्रह के स्थान पर अकुटिलता नामक यम की गणना करवाई है। महर्षि **याज्ञवल्क्य** ने **ब्रह्मचर्य (सभी इन्द्रियों का संयम), दया, क्षमा, दान, सत्य-भाषण, सरलता, अहिंसा, चोरी** न **करना, माधुर्य (मधुर वचन बोलना) और दम (ज्ञानेन्द्रियों का दमन)**—ये **यम** कहे हैं। **स्नान, मौन रहना, उपवास, देव-पूजा, स्वाध्याय लिङ्ग का निग्रह (कामुकता का त्याग), गुरु की सेवा, पवित्रता, अक्रोध और प्रमाद का त्याग—ये सभी नियम कहलाते हैं।**[5] यम-नियम के बिना कोई भी अभ्यासी योग का अधिकारी नहीं हो सकता। यह न केवल योगाभ्यासियों के लिए ही अनिवार्य है, अपितु इनके अनुसार आचरण करना सभी आश्रम वासियों के लिए परमावश्यक है।

---

१. शौचसंतोषतप:स्वाध्यायेश्वर प्राणिधानानि नियमा:।
पातञ्जलयोगप्रदीप (साधनापाद)—३२

२. अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा: यमा:।
पातञ्जलयोगप्रदीप (साधनापाद)—३०

३. यमान् सेवेत सततं न नियमान् केवलान् बुध:।
यमान्यतत्यकुर्वाणो नियमान् केवलान् भाजन ॥ मनुस्मृति—४/२०४

४. अहिंसासत्यवचनं ब्रह्मचर्यमकल्पता।
अस्तेयमिति पञ्चैते यमाश्चोपव्रतानि च ॥

५. ब्रह्मचर्यं दया क्षान्तिर्दानं सत्यमकल्कता।
अहिंसा स्तेयमाधुर्ये दमश्चेति यमा: स्मृता: ॥
स्नानं मौनोपवासेज्यास्वाध्यायोपस्थनिग्रहा:।
नियमा गुरुशुश्रूषा शौचाक्रोधाप्रमादता ॥
यज्ञवल्क्यस्मृति—३१२-३१३

महर्षि वेदव्यास ने अपने भाष्य में ईश्वर प्रणिधान को ही मुख्य नियम माना है तथा सब नियमों को ईश्वर-समर्पण रूप से करना श्रेयस्कर बताया है। उनके मतानुसार-**ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और परिग्रह का सेवन समस्त मानव-जाति को करना चाहिए। जितेन्द्रिय, शुद्ध मन योगी स्वाध्याय, शौच, संतोष, तप इनका परब्रह्म स्वरूप परमेश्वर में अर्पण करे।**[1] तभी वे श्रीमद्भगवद्गीता में श्रीकृष्ण द्वारा निर्दिष्ट कर्मयोग के अनुसार निःस्वार्थ भाव से यम-नियमों का पालन करते हुए आत्म-तत्त्व स्वरूप परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। यमों में से अहिंसा और सत्य का विशेष महत्त्व बताते हुए **आचार्य मनु** ने कहा है—**प्राणियों की हिंसा न करते हुए ही आत्म-कल्याण का प्रयत्न करना चाहिए और धर्म की इच्छा से सदा सबके प्रति मधुर और कोमल वाणी का प्रयोग करना चाहिए।**[2] यद्यपि यमों में अहिंसा और सत्य दोनों प्रमुख हैं, फिर भी **मनु** ने **सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो, प्रिय सत्य भी मत बोलो, यही सनातन धर्म है, इस वचन द्वारा आचरण का उपदेश दिया है।**[3] इसीलिए उन्होंने दूसरे यम सत्य के स्थान पर मधुर कोमल वाणी का प्रयोग करने की सम्मति प्रदान की है। क्योंकि पाँचों यमों का सम्बन्ध मन और वाणी से है। इस सम्बन्ध में उन्होंने आगे कहा है—**जिसकी मन और वाणी शुद्ध है, वही वेदान्त-शास्त्र द्वारा उपदिष्ट समस्त फल को प्राप्त कर सकता है।**[4] इसके लिए महर्षि ने सर्वप्रथम चित्त की शुद्धि के लिए सरलतम उपाय बताते हुए स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया है—**तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान क्रियायोग हैं।**[5] तप,

---

१. ब्रह्मचर्यमहिंसा च सत्यास्तेयापरिग्रहान्।
सेवेत योगी निष्कामो योग्यतां मनसो नयन्॥
स्वाध्यायशोचसंतोषतपांसि नियतात्मवान्।
कुर्वीत ब्रह्मणि तथा परस्मिन् प्रवणं मनः॥

२. अहिंसयैव भूतानां कार्यं श्रेयोऽनुशासनम्।
वाक्चैव मधुराश्लक्ष्ण प्रयोज्या धर्ममिच्छता॥ मनुस्मृति—२/१५६

३. सत्यं ब्रूयात्प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात्सत्यमप्रियम्। प्रियञ्च नानृतं ब्रूयादेष धर्मः सनातनः॥ मनुस्मृति—४/१३८

४. यस्य वाङ्मनसी शुद्धे सम्यग्गुरते च सर्वदा।
स वै सर्वमवाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम्॥ मनुस्मृति—२/१६०

५. तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः।
पातञ्जलयोग प्रदीप (साधनपाद)

स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान ये पाँचों नियमों के अन्तिम भाग हैं। किन्तु ये व्यावहारिक जीवन को शुद्ध और सात्त्विक बनाने में अधिक सहायक होते हैं, जिससे चित्त शुद्ध और निर्मल होकर अष्टाङ्गयोग पर सुगमता से आरूढ हो सकता है। तप से शरीर, वाणी, मन और अन्तःकरण की शुद्धि होती है। स्वाध्याय से तत्त्व-ज्ञान की प्राप्ति तथा मन की एकाग्रता और ईश्वर-प्रणिधान से कर्मों में कामना और फलों में आसक्ति का त्याग तथा ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त होता है।

यम-नियमों की उपयोगिता का निर्देश महर्षियों ने वेदों के माध्यम से शिष्य—परीक्षा के समय भी दिया है। "**विद्या ह वै ब्राह्मणमाजगाम:**"[1] इत्यादि मन्त्रों में महर्षियों ने कहा है—**विद्या ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण के पास आई और बोली कि मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हारी निधि हूँ, जिसकी वाणी निन्दा करती है, जिसका मन कुटिल हो, जो इन्द्रियों से संयत न हो उसके समक्ष मुझे प्रकट न करना। तब मैं सुरक्षित रहूँगी और बलवती हो जाऊँगी।** इस मन्त्र द्वारा जिसके मन-वचन और कर्म तीनों पवित्र हो, ऐसे बालक को ही शिष्य बनाकर विद्या पढ़ाने का आदेश दिया गया है। ऐसे विशुद्ध बालक ही गुरु सान्निध्य में शिष्टाचार और सदाचार का पालन करते हुए आश्रम में वेदाध्ययन में प्रवृत्त हो सकते हैं। आचार्य मनु का कथन है—**वेदाध्यायी गुरु के प्रति विनीत भाव रखने के कारण अभिवादन-शील तथा वृद्ध-जन सेवा परायण होने के कारण आयु, विद्या, यश और बल की वृद्धि प्राप्त करते हैं।**[2] यहाँ यह शंका नहीं करनी चाहिए कि गुरु की शिक्षा के बिना कोई बालक विशुद्ध कैसे हो सकता है। क्योंकि आचार्य ही बालक का प्रथम गुरु नहीं है, अपितु प्रथम गुरु तो माता है, जिसके द्वारा उसे प्रथम-अक्षर का बोध होता है तथा द्वितीय गुरु पिता है, जिसके द्वारा बालक समाज में नाम व स्थान प्राप्त करता है तथा तृतीय गुरु 'आचार्य' है, जिसके सान्निध्य में रहते हुए वह ब्रह्मतत्त्व को आत्मसात् करता हुआ अपने व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास करता है। इसीलिए आचार्य **मनु** ने **दश उपाध्यायों से आचार्य को, सौ आचार्यों से पिता को और हजार पिताओं से माता को अधिक आदर प्राप्त**

---

१. निरुक्त—२/४/१

२. अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः।
चत्वारि तस्य वर्द्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्॥ मनुस्मृति—२/१२१

होता है, ऐसा कहा है ।[1] तभी उपनिषदों में **'पितृमान् आचार्यवान् पुरुषो वेद'** कहकर श्रेष्ठता के आधार पर क्रम को निर्धारित किया है ।

उपर्युक्त क्रमानुसार ही बच्चा सर्वप्रथम अपने माता-पिता से शिष्टाचार, सदाचार और लोकाचार का प्रशिक्षण प्राप्त करता है, वहीं आचार्य से वेद-वेदाङ्गादि शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण कर ज्ञातव्य तत्त्व को जान पाता है । इस प्रकार माता-पिता की शिक्षा से विशुद्ध हुए बालक को गुरु विद्या प्रदान करे, ऐसी वेद की सम्मति है । इस सम्बन्ध में **यास्क** का भी कथन है—**जिस बालक को समझो कि यह पवित्र है, प्रमादी नहीं है, मेधावी है तथा ब्रह्मचर्य व्रत से सम्पन्न है, उसी के समक्ष मुझे प्रकट करना, आचार्य से विद्या ने यही आग्रह किया है ।**[2] जिसके लिए आचार्य **मनु** ने गुरु को आदेश दिया है कि वह घोर आपत्ति में भी उस बालक को विद्या का दान न दे जो उसके योग्य नहीं है, विद्यादान से पूर्व आचार्य को उसकी पात्रता-अपात्रता का मूल्याङ्कन अवश्य कर लेना चाहिए । बिना मूल्याङ्कन के उसे किसी भी बालक को विद्यादान नहीं देना चाहिए । अन्त में **मनु** ने कहा है—**यदि आचार्य को योग्य वेदाध्यायी न मिले तो अयोग्य शिक्षार्थी को विद्यादान दिये बिना ही वेदज्ञ विद्वान् को विद्या के साथ ही मर जाना श्रेयस्कर है ।**[3] इसके साथ ही साथ महर्षि ने शिक्षार्थी को भी सम्मति दी है—**शिष्य का यह कर्तव्य है कि जो व्यक्ति उसके कानों में सुखपूर्वक सत्य सिद्धान्तामृत का सिंचन करता है और उसे इस प्रकार अमृत दान करता है, उसे अपना पिता और माता समझे और उस गुरु से कभी द्रोह न करे ।**[4] ऐसे योग्य व्यक्ति को विद्या का

---

१. उपाध्यायानन्दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता ।
सहस्त्रं तु पितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते ।। मनुस्मृति—२/१४५

२. यमेव विद्या शुचिप्रमत्तं मेधाविनं ब्रह्मचर्योपपन्नम् ।
यस्ते न द्रुह्येत्कतमच्चनाह तस्मै मा ब्रूया निधिपाय ब्रह्मन् ।।
निरुक्त-पृ० सं० १२८

आचार्य मनु की उक्ति भी है—
यमेव तु शुचि विद्यान्नियतब्रह्मचारिणम् ।
तस्मै मां ब्रूहि विप्राय निधिपायाप्रमादिने ।। मनुस्मृति—२/११५

३. विद्ययैव समं कामं मर्तव्यं ब्रह्मवादिना ।
अपद्यपि हि घोरायां न त्वेनामिरिणे वपेत् ।। मनुस्मृति—२/११३

४. य आमृणत्त्यवितथेन कर्णाविदुःखं कुर्वन्नमृतं सम्प्रयच्छन् ।
तं विद्यात्पितरं मातरञ्च तस्मैनद्रुह्येत्कतमच्चनाह ।।

उपदेश देने का विधान वेद वेदाङ्गादि शास्त्रों में किया गया है। वैदिक शिक्षा के इस उपक्रम से गुरु शिष्य के सम्बन्ध की कमनीयता, रमणीयता और अनुकरणीयता सिद्ध होती है।

सदाचार और शील—तैत्तिरीय-उपनिषद् में शिक्षा ग्रहण के साथ-साथ अनेक सद्-गुणों के उपार्जन का भी उपदेश दिया गया है, क्योंकि **'दुर्लभं हि गुणार्जनम्'** गुण-ग्राह्यता अति दुर्लभ है। इस प्रकरण को देखने से ज्ञात होता है कि स्वाध्याय अर्थात् स्वयं पढ़ना और प्रवचन अर्थात् दूसरों को पढ़ाना, इन दोनों क्रियाओं से ही शिक्षणाभ्यास की प्रक्रिया पूर्ण होती थी तथा इसके साथ-साथ यह भी परमावश्यक समझा जाता था कि आध्यात्मिक प्रशिक्षण द्वारा शिक्षार्थी के मन और वचन में ऋत और सत्य प्रतिष्ठित हो। वाचिक-कायिक और मानसिक तीनों प्रकार के तपों से शिक्षार्थी त्रिशुद्ध हो जाय। दम-मन, संयम, शम—इन्द्रिय निग्रह, अग्नि और अग्निहोत्र जैसे शिक्षा ग्रहण काल प्रथम आश्रम में आवश्यक है, वैसे ही शिक्षा प्रदान काल द्वितीय आश्रम में भी अनिवार्य है। तभी प्रजा (सन्तति) की प्राप्ति के समय भी स्वाध्याय और प्रवचन का उल्लेख किया गया है, यथा— **ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च। सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने च। तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च। दमश्च स्वाध्यायप्रवचने च। शमश्च स्वाध्यायप्रवचने च। अग्नयश्च स्वाध्यायप्रवचने च। अग्निहोत्रं च स्वाध्यायप्रवचने च। अतिथयश्च स्वाध्यायप्रवचने च। मानुषं च स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजापतिश्च स्वाध्यायप्रवचने च। सत्यमिति सत्यवचा राथीतरः। तप इति तपोनित्यः पौरुशिष्टः स्वाध्यायप्रवचने एवेति नाको मौद्गल्यः तद्धि तपस्तद्धि तपः।**[1]

उपर्युक्त सभी गुणों का समावेश सदाचार में हो जाता है। सदाचार को **'आचारः परमो धर्मः'**[2] इत्यादि स्मृति वचनों द्वारा परम धर्म बताया गया है। आचार को ही व्रत और चारित्र्य आदि नामों से भी स्मरण किया जाता है। महाभारत में सदाचार की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है— **जीवन में सबसे अधिक गुण सदाचार है, वही सबसे अधिक संरक्षणीय**

---

१. तैत्तिरीयोपनिषद्—९/१

२. मनुस्मृति—१/१०८

है। **क्योंकि धन-हानि सह्य है, किन्तु चारित्रिक हानि जीवन का विनाश है।**[1] **'स्वास्थ्य और सदाचार'** ये दोनों अन्योन्याश्रित अर्थात् एक दूसरे पर आधारित हैं। दूसरे शब्दों में, एक सिक्के के दो पहलू हैं या यों कह सकते हैं कि जिस प्रकार चन्द्र के बिना चन्द्रिका, प्रभाकर के बिना प्रभा और जल के बिना लहरें अपना कोई अस्तित्व नहीं रखती हैं, ठीक उसी प्रकार सदाचार के बिना स्वास्थ्य का कोई मूल्य नहीं है। वास्तविकता भी यही है कि सदाचार स्वास्थ्य का संरक्षक है। कोई व्यक्ति शरीर से मांसल मोटा-ताजा, हृष्ट-पुष्ट और बलवान् होने के कारण पूर्ण स्वस्थ नहीं माना जा सकता है, क्योंकि शारीरिक हृष्ट-पुष्टता के साथ-साथ मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी अत्यावश्यक है, किन्तु सदाचार के बिना मानसिक स्वस्थता किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं हो सकती है। यही कारण है कि आयुर्वेदीय स्वास्थ्यवृत्त में शरीर और मन दोनों के स्वस्थ रहने के उपाय बताए गये हैं। मन स्वस्थ रखने के लिए जो उपाय या साधन बताये गये हैं, उन्हीं को सदाचार कहते हैं। अन्य महापुरुष ने **'सदाचार'** शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है—**महापुरुष अपने जीवन में प्रतिदिन जिस प्रकार का आचरण, कार्य-व्यापार या व्यवहार करते हैं उसे सदाचार कहते हैं।**[2] सदाचार के पालनकर्त्ता महर्षियों ने पाँच सूत्र प्रतिपादित किये हैं—ब्रह्मचर्यपालन, व्यायाम, पूज्य-पूजा, आत्म-दर्शन और परोपकार। इसी सम्बन्ध में पाश्चात्य विद्वान् का मत है—**धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया और यदि चरित्र चला गया तो सर्वस्व चला गया। 'सदाचार'** द्वारा ही **दीर्घ आयु, सुखी जीवन और अक्षय धन की प्राप्ति होती है।**[3] **'आर्यवृत्तमनुतिष्ठेत्'**[4] के द्वारा प्रसिद्ध नीतिकार आचार्य **चाणक्य** ने नैतिक शिक्षा का उपदेश देते हुए मानव (प्राणियों) को आदेश दिया है कि सदा सर्वदा श्रेष्ठजनों के आचरण का ही अनुकरण करना चाहिए। **'कदाचिदपि चरित्रं न लङ्घयेत्'**[5] कभी भी चरित्र का उल्लंघन

---

१. वृत्तं यत्नेन संरक्षेद् वित्तमेति च याति च।
   अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, वृत्त यस्तु हतो हतः॥
   महाभारत (उद्योगपर्व)

२. सतां सज्जनानां साधुपुरुषाणां वा आचारः जीवनव्यापारः सदाचारः।

३. आचाराल्लभते चायुराचारादीप्सितां गतिम्।
   आचाराद् धनमक्षय्यम् आचाराद् हन्त्यलक्षणम्॥ —विष्णुपुराण

४. चाणक्यसूत्राणि—३१०

५. चाणक्यसूत्राणि—१६३

नहीं करना चाहिए। **'कदाचिदपि मर्यादां नातिक्रमेत्'**[1] कभी भी शिष्टाचार की मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। **'अयशो भयं भयेषु'**[2] मनुष्य को सर्वदा इस प्रकार प्रयत्नशील रहना चाहिए जिससे कि अकीर्ति न हो क्योंकि मनुष्य की अकीर्ति ही उसकी मृत्यु है, यह उसे सर्वदा ध्यान रखना चाहिए। **'आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः'** इस स्मृति वाक्य द्वारा भी महर्षि ने यही भाव व्यक्त किये हैं कि आचारहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते हैं। अतः मानव व्यक्तित्व के निर्माण में आचार की महिमा अवर्णनीय है।

'आचार-शिक्षा' मानव-जीवन में सु-संस्कृति का संचार करती है। यह अवगुणों, दुर्विचारों और दूषित तत्त्वों को हृदय से निकालकर उनके स्थान पर सद्-गुणों, सद्-विचारों और सत्वृत्तियों को बद्धमूल करती है। यह कथन अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि आचार ही मानव का स्वरूप है। **'आचारः कुलमाख्याति वपुराख्याति भोजनम्'** महाकवि **भारवि** के इस वाक्य के अनुसार भी मानव की कुलीनता का मूल्याङ्कन उसके आचार-विचार और रहन-सहन से तथा शरीर के मोटे-दुबले होने का पता उसके भोजन से चलता है। महाभारत के प्रणेता महर्षि **वेद-व्यास** ने **वंश-विशेष में जन्म, यज्ञोपवीत आदि संस्कार, वेद-वेदाङ्ग न्याय-मीमांसा आदि शास्त्रों का अनुशीलन और वंश-परम्परा को ही द्विजत्व का कारण न मानते हुए वृत्त या सदाचार अर्थात् श्रेष्ठ आचरण को ही उसका कारण माना है।**[3] इससे भी यही ज्ञात होता है कि आदि—महर्षियों ने सदाचार को ही व्यक्तित्व के श्रेष्ठत्व का आधार माना था। महर्षि वेदव्यास ने आचरण के अनुसार ब्राह्मणादि वर्णों के विभाजन की चर्चा करते हुए कहा है कि चारित्र्य ही उत्तम वर्ण का लक्षण है, न कि ब्राह्मण-क्षत्रिय आदि, क्योंकि हीनवर्ण अर्थात् शूद्रादि में भी यदि चारित्र्य-गुण दृष्टिगोचर हो तो उसे भी उत्तम वर्ण का व्यक्ति ही मानना चाहिए, जैसाकि रईदास, रविदास और कबीर आदि सन्त कवियों की जीवनी से परिलक्षित होता है। इसके विपरीत कहा गया है—**यदि उत्तम वर्ण में भी चारित्रिक दोष दिखाई दें तो उसे निम्नवर्ण का व्यक्ति ही समझना**

---

१. चाणक्यसूत्राणि—३११

२. चाणक्यसूत्राणि—३१५

३. न योनिः नापि संस्कारो न श्रुतं न च सन्ततिः।
कारणानि द्विजत्वस्य वृत्तमेव तु कारणम्॥
महाभारत (वनपर्व)—१/३/१०८

चाहिए ।[1] महर्षियों के इन विचारों से प्रभावित होकर परवर्ती साहित्यकारों ने भी गुण के आधार पर आचरण की शुद्धता को जीवन में सम्मान का कारण माना है । महाकवि **भवभूति**[2] ने गुणियों में गुण को ही पूजा का स्थान माना है, न कि चिह्न अर्थात् ब्राह्मणादि जाति को और आयु को श्रेष्ठ माना है । **महाकवि माघ**[3] ने भी गुण की महिमा का ही वर्णन किया है । उनके कथनानुसार समाज में सामाजिक गुण के कारण तथा राज-सभा में राज्योचित गुणों के कारण ही व्यक्ति श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करता है, न कि झूठी प्रशंसा करने मात्र से प्रिय बन जाता है । अतः महर्षि वेदव्यास ने अथर्ववेद के मन्त्रों द्वारा मानव-मात्र को निर्देश दिया है कि वह ज्ञानी, तेजस्वी और रक्षक होकर समाज के उत्थानार्थ कार्य करते हुए यशस्वी बने । इसके लिए उन्होंने जीवात्मा को सम्बोधित करते हुए कहा है— **हे जीवात्मन् ! तुम ज्ञानवान् हो, तेज को धारण करने वाले हो, शरीर के रक्षक हो । तुम अभ्युदय को प्राप्त करो और अपने समकक्षों का अतिक्रमण करो, जिससे तुम्हें निःश्रेयस् की प्राप्ति सम्भव हो सके ।**[4] निःश्रेयस् अर्थात् कल्याण की प्राप्ति और समान-स्तर के व्यक्तियों में अग्रगण्यता प्राप्त करने के लिए—विद्वत्ता, तेजस्विता और स्वस्थ शरीर का होना परमावश्यक है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है । दूसरे शब्दों में, यदि स्वास्थ्य ठीक है, मन प्रसन्नचित्त और शरीर हृष्ट-पुष्ट और शक्तिशाली है, तो मानव निरन्तर ज्ञानरूपी सरिता में निमग्न होते हुए अपने कर्तव्य, सदुपदेश, विद्यादान और शुद्ध-आचरण द्वारा समाज में प्रतिष्ठित स्थान बना ही लेता है । क्योंकि वह एक सामाजिक प्राणी है, समाज से पृथक् उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है और न ही व्यक्ति से रहित समाज की कोई रचना ही की जा सकती है । अतः दोनों पक्ष एक दूसरे के लिए उतने ही महत्त्वपूर्ण हैं, जितने कि एक सिक्के के दो पहलू अर्थात् एक-दूसरे के अभाव में एक-दूसरे को पूर्णता प्राप्त

१. यस्य यत् लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यंजकम् ।
यदन्यत्रापि दृश्यते तत्तेनैव विनिर्दिशेत् ।।
विष्णु-पुराण—७/११/२५

२. पूजास्थानं गुणिषु न च लिङ्गं न च वयः ।
उत्तर रामचरित—४/११

३. गुणाः प्रियत्वेऽधिकृता न संस्तवः । संस्कृत लोकोक्ति संग्रह—पृ० ८५

४. सूरिरसि वर्चोधा असि तनूपानोऽसि ।
आप्नुहि श्रेयांसम् अति समं क्राम ।। अथर्ववेद—६/१३३/१

नहीं हो सकती है। अत एव समाज द्वारा व्यक्ति का और व्यक्ति द्वारा समाज का संरक्षण तभी सम्भव है, जबकि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व सामाजिक गुणों से ओत-प्रोत हो तथा समाज व्यक्ति की समस्त आवश्यकताओं को समझते हुए उन्हें पूर्ण करने में सक्षम हो। दूसरे शब्दों में, सामाजिक विकास के लिए व्यक्ति का ही विकास अपेक्षित है, क्योंकि दोनों में व्यष्टि-समष्टि का सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध को शास्वत बनाये रखने के लिए सदाचार अर्थात् श्रेष्ठ आचरण की मुख्य भूमिका है।

इसके लिए मानव-शिशु का प्रथम विद्यालय उसका अपना पारिवारिक परिप्रेक्ष्य है, जहाँ उसे अपने माता-पिता तथा अन्य पारिवारिक सदस्यों के द्वारा आपसी सहयोग, सद्-भावना, स्नेह, त्याग, संतोष और अहिंसा आदि सद्-आचरण सम्बन्धी समाजोचित सद्-गुणों का प्रशिक्षण प्राप्त होता है। परिणामत: उसमें सौमनस्य सम्बद्ध भावना की अभिवृद्धि होती रहती है। जिसकी झलक हमें आगे चलकर समाज और राष्ट्र की एकरूपता तथा समृद्धि के रूप में देखने को मिलती है। जिसके लिए विस्तृत पृष्ठभूमि सामाजिक क्षेत्र से प्राप्त अनुभवात्मक ज्ञान और विद्यालयीय परिसर में समायोजित विभिन्न पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं (प्रार्थना और नैतिक शिक्षा, विभिन्न आयामों और खेलों के माध्यम से तथा सांस्कृतिक और वार्षिक उत्सव के आयोजनों से तथा स्काउट-गाइड और रेड-क्रोस सोसाइटी आदि विभिन्न सामाजिक और राष्ट्रीय संगठनों) के द्वारा तैयार की जाती है।

बौद्ध-विचारधारा सम्यक् दृष्टि, सम्यक् चरित्र और सम्यक् ज्ञान इन तीनों स्कन्धों पर प्रतिष्ठित है। सम्यक् दृष्टि और सम्यक् ज्ञान का शील में अन्तर्भाव न करके वे शील शब्द से सम्यक् चरित्र को ही लेते हैं। शील के सम्बन्ध में बौद्ध विद्वान् आचार्य बुद्धघोष ने विशुद्धि के मार्ग का प्रतिपादन किया है। शील, समाधि और प्रज्ञा द्वारा सभी मलों का निराकरण तथा निर्वाण की प्राप्ति होती है। बुद्ध-शासन की तीन शिक्षाएं हैं— शील से शासन का प्रथम कल्याण प्रकाशित होता है। समाधि बुद्ध शासन के मध्य में है तथा प्रज्ञा अन्तपर्यवसान में है।

शील से अपाय अर्थात् दुर्गति का अतिक्रमण, समाधि से काम धातु का और प्रज्ञा से सर्वभव का अतिक्रमण होता है। जो व्यक्ति निर्वाण के लिए प्रयत्नशील होता है, उसे सर्वप्रथम शील में प्रतिष्ठित होना चाहिए। जब शील अल्प-इच्छता, सन्तुष्टि, एकान्त सेवन आदि गुणों द्वारा सु-विशुद्ध हो जाता है, तब समाधि की भावना का प्रारम्भ होता है। 'समाधि' शब्द का

अर्थ है—समाधान अर्थात् एक आलम्बन में समान तथा सम्यक् रूप से चित् और चैतसिक धर्मों की प्रतिष्ठा। समाधि उस धर्म को कहते हैं, जिसके प्रभाव से चित्त और चैतसिक धर्मों की एक आलम्बन में किसी भी क्षेप के बिना सम्यक् स्थिति हो। समाधि में विक्षेप का ध्वंस होता है तथा चित् और चैतसिक अलग-अलग न होकर एक आलम्बन में पिण्ड (समुदाय) रूप से अवस्थित होते हैं। समाधि के लौकिक-लोकोत्तर, ये दो भेद होते हैं। लौकिक समाधि से काम, रूप और अरूप भूमियों की कुशलता, चित्तैकाग्रता से तात्पर्य है। जो एकाग्रता आर्य मार्ग से सम्यक् प्रयुक्त होती है, उसे लोकोत्तर समाधि कहते हैं। लोकोत्तर समाधि लोक को अतिक्रमित कर स्थित है। लोकोत्तर समाधि का भावना प्रकार प्रज्ञा के भावना प्रकार में संगृहीत है। लोकोत्तर समाधि की भावना होती है। अतः लोकोत्तर की भावना के सम्बन्ध में विशेष वर्णन करना अति समीचीन नहीं होगा। समाधि कुशल चित्त की एकाग्रता को कहते हैं अर्थात् चित्त की वह एकाग्रता जो दोष रहित है और जिसका विपाक सुखमय है। लौकिक समाधि के मार्ग को समथयान कहते हैं और लोकोत्तर समाधि के मार्ग को विपस्यनायान कहते हैं।

महाभारत में भी शील शब्द का प्रयोग सदाचार अर्थात् सच्चरित्रता के लिए ही किया गया है। शील का वाच्य अर्थ-स्वभाव, चरित्र, आचार-विचार और आचरण इत्यादि है, किन्तु हिन्दू, ब्राह्मण, बौद्ध और जैन परम्परा में 'शील' शब्द के गम्भीरतर अर्थ की व्यञ्जना विद्यमान है। प्रत्येक धर्म-साधना ही व्यावहारिक जीवन पर आधारित है। उसे सफलतापूर्वक परिपूर्ण करने की स्थिति में धार्मिक जीवन को भली-भाँति विकसित करने के उद्देश्य से धर्मशास्त्रों में निर्दिष्ट नियमानुसार जीवन भूमि को जोतकर अथवा कर्षण-क्रिया द्वारा अनेक प्रकार के सिद्धान्तों के पालन का निर्देश दिया गया है। इन्हीं सिद्धान्तों और नियमों की संज्ञा शील है और उसका भली-भाँति पालन करना ही शीलाचरण, शीलाभ्यास और अनुशीलन है। बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों तथा स्थविरों और आचार्यों का पञ्चशीलाचार तो सभी को ज्ञात है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री पं० जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राजनीति के उत्तम तत्त्वों का निरूपण 'पंच-शील' नाम से किया।

महाभारत में शिष्टाचार के निरूपण में कहा गया है—**यज्ञ, दान, तप, वेदाध्ययन और सत्य, इन पाँचों पवित्रों का शिष्टाचार में अन्तर्भाव**

किया गया है ।[1] किन्तु **श्रीमद्भगवद्गीता** में जो **महाभारत** का ही एक अङ्ग है उसमें **यज्ञ और दान का पवित्र कर्म में समावेश करते हुए सन्यास अवस्था में भी इनका त्याग न करने का उपदेश दिया गया है ।**[2] मनु आदि धर्मावलम्बी आचार्यों ने सदाचार और शिष्टाचार के क्षेत्र को एक दूसरे से भिन्न बताते हुए भी उसके व्यापकार्थ का प्रतिपादन किया है । बेद और धर्मशास्त्र के अनुकूल सत् पुरुषों के समस्त आचरणों को मनु सदाचार मानते हैं । अतः धर्म के लक्षणों में उन्होंने **वेद, धर्मशास्त्र, सदाचार और** आत्म-तुष्टि **इन चारों को प्रमाण माना है ।**[3] इसके साथ ही साथ शिष्ट या विशिष्ट व्यक्ति के प्रति प्रत्युत्थान, अभिवादन आदि आचरणों को उन्होंने शिष्टाचार में समाविष्ट किया है । शिष्ट पुरुषों के आचरण में भी यज्ञ, दान और तप आदि सभी शुभ कर्म तो आ ही जाते हैं, साथ ही साथ सभ्यता, मानवोचित और समाजोचित व्यवहार, अभिवादन और अभ्युत्थान आदि भी शिष्टाचार में समाहित हो जाते हैं । मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य-स्मृति के प्रारम्भिक अध्याय में, जिसका नाम आचाराध्याय है—शिष्टाचार और सदाचार दोनों का ही विस्तार से वर्णन किया गया है । वर्णों और आश्रमों के लिए जिन नियमों और कर्त्तव्यों का उल्लेख धार्मिक-ग्रन्थों में मिलता है, वे स्वभावतः सदाचार के ही अङ्ग हैं, किन्तु विद्या और वय आदि के कारण जो छोटे हैं, उनका बड़ों के प्रति व्यवहार और उनकी उपस्थिति में मन, वचन और कर्म की संयत चेष्टाओं का उपदेश शिष्टाचार के अन्तर्गत किया गया है । यहाँ तक कि गुरुजनों के समक्ष उनकी अपेक्षा निम्नस्तर के वस्त्रादि धारण करने का विधान भी शिष्टाचरण के अन्तर्गत ही आ जाता है, जिससे गुरुजनों के प्रति विनय का भाव प्रकाशित होता है । **रामायण** में अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र रामादि वेदाध्ययन और शस्त्र-विद्या में प्रवीण होने के लिए गुरु-वशिष्ठ के आश्रम में जाने से पूर्व समस्त राजसी वेश-भूषा का परित्याग कर साधारण

---

१. यज्ञो दानं तपो वेदाः सत्यं च द्विजसत्तम् ।
पंचैतानि पवित्राणि शिष्टाचारेषु सर्वदा ।।
महाभारत (वनपर्व)—२७/६२

२. यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ।।
श्रीमद्भगवद्गीता—१८/५

३. वेदः स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः ।
एतद् चतुर्विधं प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम् ।। मनुस्मृति—२/१२

अध्ययनार्थी की वेशभूषा को धारण करते हैं, ऐसा वर्णन मिलता है। महाराजा दुष्यन्त कण्व-ऋषि के आश्रम में प्रवेश के समय समस्त राजसी वस्त्रों, आभूषणों और चिह्नों का परित्याग कर साधारण वेश-भूषा को धारण करते हैं, यह विनय अथवा शिष्टाचार का ही एक अङ्ग है। आश्रम में प्रवेश के समय स्वयं राजा दुष्यन्त ने तपोवन की मर्यादाओं का उल्लेख करते हुए निर्देश दिया है—**आश्रम में सीधे-सादे वेश में ही जाना चाहिए।**[1] यही शिष्टाचार **रघुवंश महाकाव्य**[2] में महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में प्रवेश के समय महाराजा दिलीप द्वारा भी पालन किया गया था।

वैदिक वाङ्मय में भी सदाचार और शिष्टाचार के पालनार्थ मानवीय गुणों के आधारभूत सिद्धान्तों का उल्लेख करते हुए महर्षियों ने **जिन सात मर्यादाओं को निर्धारित किया है, उनमें से एक को भी अपने जीवन में उतारने वाला व्यक्ति ब्रह्म में स्थित होता है।**[3] इसी के साथ-साथ कुछ निषिद्ध कर्मों का भी वर्णन मिलता है। निरुक्तकार **यास्क** ने धार्मिक कृत्याकृत्य कर्मों का विवेचन करते हुए कहा है—**चोरी व्यभिचार, ब्रह्महत्या, मद्यपान, दुष्कृत्यों की पुनरावृत्ति, गर्भपात और पाप कर्म करके झूठ बोलना, ये सब निषिद्ध कर्म कहे गये हैं।** इनमें पहले चार मनुस्मृति आदि में महापातक गिनाए गये हैं। ये पाप कर्म व्यक्ति और समाज दोनों को पतित बनाते हैं। मनुष्य की पाप कर्म में प्रवृत्ति और उस पर नियन्त्रण कैसे सम्भव हो सकता है? इस पर विचार करते हुए मनु, याज्ञवल्क्य, वृद्धहारीत आदि अनेक स्मृतिकारों ने इसका मूल कारण आचार-हीनता को ही माना है। आचार-हीनता मनुष्य को असंयमित बनाते हुए उसे धर्म विरोधी कार्यों में प्रवृत्त करती है। जिसके फलस्वरूप उसमें निहित शक्ति का ह्रास अधोगति के मार्ग को प्रशस्त करता है। इसीलिए विभिन्न धार्मिक ग्रन्थों में मानव को शुद्धाचरण के अनुरूप समाजोचित कर्मों के विधान का उपदेश दिया है।

---

१. विनीतवेषेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम।

अभिज्ञानशाकुन्तलम्—पृ० सं० ११

२. अनुभावविशेषात्तु सेनापरिवृत्तविव। रघुवंश—१/३७

३. सप्त मर्यादा कवयस्ततक्षुः
तासामेकामिदभ्यंहुरो गात्।
अयोर्ह स्कम्भ उपमस्य नीडे
पथां विसर्गे धुरुणेषु तस्थौ॥

ऋग्वेद—१०/५/६, अथर्ववेद—५/१/६

नैसर्गिक गुणों का विकास—सांख्ययोग शास्त्र प्रतिपादित विषयानुसार पूर्वजन्मार्जित संस्कार ही प्रकृति है, जिसमें निहित सत्त्वादि गुणों के प्राधान्य से मानव में काम-शोक-मोह से व्यावृत्त प्रवृत्ति का विकास होता है । गुणानुसार इन प्रवृत्तियों का परिशीलन और अभिव्यक्ति ही 'शिक्षा' है, जिन्हें मानव-शिशु पैतृक सम्पदा के रूप में, बीजकोष में संक्रमित शारीरिक और मानसिक गुणों के रूप में वंशानुक्रम से ग्रहण करता आ रहा है । पूर्व संस्कार सञ्चित इन गुणों में यद्यपि कोई परिवर्तन सम्भव नहीं है, फिर भी आवश्यकतानुसार इन्हें उचित वातावरण द्वारा पल्लवित और पुष्पित अवश्य किया जा सकता है । जैसाकि संस्कृत-साहित्य में कहा गया है—**मलयगिरि पर रोपित वेणु उपयुक्त खाद और पानी पाकर भी चन्दन नहीं बन सकती, हाँ उपयुक्त खादादि तत्त्व रूप वातावरण को प्राप्त कर समुचित रूप से पल्लवित और पुष्पित अवश्य हो सकती है ।**[1] इससे यह ध्वनित होता है कि जीवन और विकास के क्रम का बहुत कुछ अच्छा या बुरा '**वंशानुक्रम और वातावरण**'[2] के सम्मिलित रूप पर निर्भर करता है, जिसे दिशा 'शिक्षा' द्वारा ही उपयुक्त प्राप्त होती है । शिक्षा ही मानव-व्यक्तित्व में समानुकूलन की भावना को अभिवृद्धि प्रदान करते हुए उसमें समाजोचित अभिव्यक्ति को विकसित करती है । उसे इस योग्य बनाती है, जिससे वह अपना आत्मविकास करता हुआ समाजोन्नयन में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सके । क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष में समाज-हीन व्यक्ति की कल्पना करना सर्वथा निरर्थक ही नहीं, अपितु अतिशयोक्ति पूर्ण भी है । अतः व्यक्ति को '**सर्वजनहिताय सर्वजनसुखाय**' के भावानुसार निजस्वार्थ का परित्याग कर सार्वजनिकहित के लिए कार्य में संलग्न होना चाहिए ।

'ॐ **पूर्णमदः पूर्णमिदम् । पूर्णात् पूर्णमुदच्यते** ।'[3] महर्षि निर्दिष्ट इस वैदिक मन्त्र में सामाजिकीकरण की भावना को परिलक्षित करते हुए कहा है—**वह (समाज) पूर्ण है और वह (व्यक्ति) भी पूर्ण है । पूर्णता से पूर्णता की प्राप्ति होती है अर्थात् समाज को व्यक्ति से तथा व्यक्ति को समाज से पूर्णता**

---

१. अन्तः सारेणहीनस्य सहायः किं करिष्यति ।
मलयेऽपि स्थितो वेणुर्वेणुरेव न चन्दनः ।।

सुभाषित रत्नभाण्डागार—४१/७

२. देखें—शिक्षा-मनोविज्ञान ।

३. यजुर्वेद—शान्ति-मन्त्र ।

प्राप्त होती है, अतः दोनों को एक-दूसरे के हित-संरक्षण में सहयोग देना चाहिए, उपदेशात्मक इस वाक्य द्वारा सम्पूर्ण वैदिक-वाङ्मय मानव के सर्वाङ्गीण विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। यहाँ सर्वाङ्गीण विकास से हमारा अभिप्राय न केवल मानव के बौद्धिक अथवा मानसिक विकास से है जिसका मार्ग औपचारिक साधन के रूप में विद्यालय एक सोद्देश्य प्रक्रिया के रूप में प्रशस्त करता है, अपितु शारीरिक, आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक और राष्ट्रिय भावना का विकास भी है, जिसे अनौपचारिक साधन के रूप में परिवार, समुदाय, चर्च और राज्य आदि अनेक संस्थाएँ, स्वाभाविक एवं आकस्मिक प्रक्रिया के द्वारा विकसित करती हैं। परिणामतः राष्ट्रिय शिक्षा-नीति निर्धारण परिषद् ने धर्मार्थकाममोक्ष रूप चतुर्वर्ग की प्राप्ति हेतु शिक्षा की औपचारिक-अनौपचारिक प्रक्रिया को समान स्तर प्रदान करते हुए आशा व्यक्त की है कि नवीन शिक्षण प्रक्रिया मानव को न केवल जीविकोपार्जन के साधन ही सुलभ करायेगी, जिसका उद्देश्य मानव को पूर्ण आत्म-निर्भरता प्रदान कराना है, अपितु इसके साथ ही साथ विभिन्न रचनात्मक और क्रियात्मक कार्यों को विद्यालय में समुचित स्थान प्रदान करते हुए विभिन्न आयोजनों द्वारा उनमें आध्यात्मिक और सामाजिक गुणों की अभिवृद्धि करते हुए आदर्श नागरिकता की भावना का विकास करना भी है। अतः किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति या साध्यसिद्धि के लिए तद्विषयक जानकारी होना परमावश्यक है। इसके साथ ही उत्तम फल के लिए उत्तम साधन का होना भी नितान्त आवश्यक है। क्योंकि आम्र-फल की निष्पत्ति बबूल के वृक्ष से कभी भी नहीं हो सकती है। मानव-जीवन के चरमोत्कर्ष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी तदनुकूल साधन परम अपेक्षित है, जिसे शिक्षा के अभाव में उपलब्ध नहीं किया जा सकता है।

भारतीय संस्कृति और वैदिक वाङ्मय के प्रवर्तक मन्त्रद्रष्टा महर्षियों ने विद्यादात्री सरस्वती की महिमा का वर्णन करते हुए मानव के सर्वाङ्गीण विकास हेतु प्रार्थना की है—**यह सरस्वती शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक सभी तरह की पवित्रता प्रदान करने वाली है। विद्या अन्न देती है, अनेक तरह की लौकिक और पारलौकिक शक्ति प्रदान करती है तथा बुद्धि पूर्वक किये गये कार्यों को सम्पन्न करती है।**[1] अन्यत्र मन्त्र में कहा गया है—**सरस्वती अपने ज्ञान से संसाररूपी महासागर अर्थात्** आधिदैविक, **आधिभौतिक और**

---

१. पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती।
यज्ञं वष्टु धियावसुः॥ ऋग्वेद—१/१/१०

आध्यात्मिक शक्तियों का ज्ञान कराती है और सब प्रकार की बुद्धियों को प्रकाशित करती है।[1] इन मन्त्रों से यह ध्वनित होता है कि आप्तऋषियों ने मानव के अभ्युदय के निमित्त उनमें निहित नैसर्गिक गुणों के विकास से सम्बन्धित उचित वातावरण को प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न देवी-देवताओं की स्तुति की है। इन स्तुति-गानों से यह द्योतित होता है कि आधुनिक शिक्षाविदों के सदृश ही वैदिककालीन महर्षियों ने भी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानव का सर्वाङ्गीण विकास माना है।

शारीरिक विकास—शरीर, मन, और हृदय का समाहार ही मानव है। इनमें हृदय तीसरा किन्तु परमात्म-तत्त्व की अनुभूति से भक्तिस्थल माना गया है। मन (विचार) और शरीर ये कार्यस्थल कहे गये हैं। परिणामतः विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं के प्रवर्तकों ने इन्हें तीन धाम की संज्ञा प्रदान करते हुए हृष्ट-पुष्ट, दृढ़ और शक्तिशाली बनाने का निर्देश देकर संगठनात्मक शक्ति के स्वरूप का बोध कराया है। जिसके फलस्वरूप विभिन्न शारीरिक अवयवों की सम-भाव से प्रेरित अपने-अपने कार्यों में आसक्ति मानव-व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करती है। इसके विपरीत किसी एक अवयव में उत्पन्न विकार अन्य अवयवों को प्रभावित करता हुआ शारीरिक शिथिलता उत्पन्न करता है। दूसरे शब्दों में, मानव निहित शारीरिक, मानसिक अथवा आत्मिक दुर्बलता उसके व्यक्तित्व की पूर्णता में बाधक सिद्ध होती है। जिसके परिहारार्थ ऋषियों ने **'पूर्णात् पूर्णमुदच्यते'** इस वैदिक मन्त्र द्वारा मानव व्यक्तित्व के सर्वाङ्गीण विकास की परिकल्पना द्वारा पूर्णता की उपलब्धि का मार्ग प्रशस्त किया है।

शारीरिक सबलता स्वास्थ्य लाभ का मूलमन्त्र ही नहीं है, अपितु व्यक्तित्व की पूर्णता का प्रथम सोपान है। इस चिरस्थायी सत्य की परिपुष्टि विभिन्न वैदिक मन्त्रों द्वारा होती है, जिनमें महर्षियों ने **काम, क्रोध, मद, लोभ आदि विभिन्न पाशविक प्रवृत्तियों के दमनार्थ शारीरिक सबलता पर अत्यधिक बल दिया है।**[2] ठीक भी है, शारीरिक शक्ति के क्षीण होने पर मानव में चिड़-चिड़ाहट, शिथिलता और कार्य में अरुचि आदि अनेक दोष परिलक्षित होने लगते हैं। इसी के साथ-साथ उसके शरीर पर अनेक व्याधियों का प्रकोप होने

---

१. महो अर्णः सरस्वती प्र चेतयति केतुना।
धियो विश्वा: वि राजति॥ ऋग्वेद—१/३/१२

२. 'हविर्धानं दृं हस्व'। यजुर्वेद—१/९

लगता है। इन व्याधियों से बचने के लिए ही महर्षियों ने अन्य मन्त्र में **धृति, क्षमा, स्तेय आदि धार्मिक लक्षणों के अनुरूप आचरण से जीवनयज्ञ को अलंकृत करते हुए निरन्तर आगे बढ़ने का निर्देश दिया है।**[1] महर्षि के इस कथन से यह शिक्षा मिलती है कि शारीरिक सबलता का मुख्य कारण मानव का आचार-विचार है। अतः मानव को आत्म-संयमी होते हुए धर्मशास्त्र द्वारा निर्दिष्ट नियमों का पालन करना चाहिए यथा—प्रातःकाल सूर्योदय के साथ उठना चाहिए तथा नित्य-नैमित्तिक क्रियाओं से निवृत्त होते हुए नियमित आचार संहिता के अनुरूप आचरण करना चाहिए तथा रात्रि में जल्दी सोना चाहिए। जीवन-यज्ञ की सफलता-असफलता की कुञ्जी शारीरिक स्वस्थता पर निर्भर करती है, जिसके लिए योगशास्त्र के प्रणेता महर्षि पतञ्जलि आदि अनेक दार्शनिक मनीषियों ने भी यौगिक प्रक्रिया द्वारा शुद्धाचरण की अभिवृद्धि के लिए चित्त की एकाग्रता और शारीरिक अवयवों की पुष्टि के लिए अनेक आसनों का विधान किया है, जिनमें मुख्य हैं—शीर्षासन, सर्वाङ्गासन, धनुरासन, मयूरासन आदि। महर्षि पतञ्जलि ने धर्मशास्त्र प्रतिपादित शुद्धाच्चरण के अनुपालन के लिए यौगिक प्रक्रिया में अनुशासन[2] के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए चित्तवृत्तियों के निरोध[3] का उपदेश दिया है, जिसके फलस्वरूप चित्त में एकाग्रता उत्पन्न होती है तथा चित्त विभिन्न विषयों में आसक्ति से रहित होकर निर्धारित लक्ष्य के मार्ग की ओर प्रवृत्त होता है, जिसके कारण उद्देश्य की प्राप्ति में अनिश्चितता समाप्त हो जाती है। इसीलिए महर्षियों ने चित्त की एकाग्रता को ही सम्पूर्ण शिक्षा का सार माना है, क्योंकि चित्त की एकाग्रता में अनुशासन के भाव स्वतः केन्द्रित होते हैं। अनुशासित व्यक्ति ही अपने गन्तव्य स्थल तक पहुँच सकता है तथा निरोगी काया को प्राप्त कर सकता है। इसी कारण महर्षियों ने चित्त की एकाग्रता के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का अनुपालन करते हुए सदैव स्वाध्याय में प्रवृत्त रहने का निर्देश दिया है। पाश्चात्य दार्शनिक **हॉर्न** ने मानव-व्यक्तित्व के विकास में शिक्षा की अहम् भूमिका को स्पष्ट करते हुए कहा है—**शिक्षा शारीरिक और बौद्धिक रूप में, विकसित चेतन मानव का अपने बौद्धिक, संवेगात्मक तथा उच्छात्मक वातावरण से श्रेष्ठ समायोजन स्थापित करना है।** परिणामतः मानव का पूर्ण विकास शारीरिक स्वस्थता पर ही निर्भर करता

---

१. इममद्य यज्ञं नयताग्रे। यजुर्वेद—१/१२
२. अथ योगाऽनुशासनम्। पातञ्जल योग-प्रदीप—१/१
३. योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः। पातञ्जल योग-प्रदीप—१/२

है । शरीर और बुद्धि में परस्पर सम्बन्ध है, एक का विकास दूसरे के विकास में सहायक है । जैसाकि प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तू की उक्ति है—**स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास रहता है** । ठीक भी है—**शारीरिक शिथिलता मानव को अकर्मण्यता प्रदान करती है । उसके उत्साह और स्फूर्ति का ह्रास करती है । जिससे उसकी अन्य विषयों में आसक्ति समाप्त हो जाती है तथा स्वाध्याय में प्रवृत्ति अवरुद्ध हो जाती है** । अतः सृष्टि के प्रारम्भ से ही महर्षियों ने स्वस्थ-जीवन के लिए मन में ईश्वर का प्रणिधान करने के लिए यौगिक प्रक्रिया का स्पष्ट निर्देश दिया है । योगवाशिष्ठ में भगवान राम को उपदेश देते हुए महर्षि वशिष्ठ ने चित्त-नाश के दो मार्ग प्रशस्त किये हैं—योग और ज्ञान । योग व्यक्ति में सात्त्विक आचार-विचार को जन्म देता है, जब कि ज्ञान आत्मा में आच्छादित अज्ञान रूप तिमिर (अन्धकार) का अनावरण कर ऋतम्भरा की ज्योति को प्रज्वलित करता है । अतः योग-साधना शिक्षा की प्रणाली है । जैसाकि श्रीमद्भगवद्गीता में स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने समत्वबुद्धि रूप योग[1] के लिए उद्यत होने का उपदेश दिया है । किन्तु दृढ़ संकल्प के लिए दृढ़ शरीर का होना परमावश्यक है, जिसके लिए महर्षियों ने खेल-कूद और विभिन्न व्यायामादि क्रियाओं में निपुणता प्राप्त करने का निर्देश दिया है । महाकवि **कालिदास** ने ब्रह्मचारी को शारीरिक स्वस्थता पर अधिक ध्यान देने के उद्देश्य से कहा है—**शरीर सांसारिक ही नहीं अपितु धार्मिक कार्यों के लिए भी परमावश्यक है** ।[2] **चार्वाक्-दर्शन** के प्रबल समर्थकों ने भी शारीरिक सुख को श्रेष्ठता प्रदान करते हुए कहा है—**यह मानव शरीर नश्वर होने के कारण पुनः प्राप्त होने वाला नहीं है, अतः मानव को चाहिए कि वह जब तक जीये सुखपूर्वक जीये, इसके लिए चाहे उसे ऋण ही क्यों न लेना पड़े** ।[3] ठीक भी है—शारीरिक सबलता ही स्वस्थ चित्त का अलंकार है ।

उपर्युक्त दृष्टान्तों से यह परिलक्षित होता है कि सम्पूर्ण वाङ्मय मानव जाति के बौद्धिक विकास के साथ-साथ शारीरिक विकास की ओर भी बल देता है । उनके मतानुसार शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की

---

१. 'योगः कर्मसु कौशलम्' । श्रीमद्भगवद्गीता—२/५०

२. शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् । कुमारसम्भव—५/३०

३. ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् यावज्जीवेत् सुखं जीवेत् ।
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ।। चार्वाक् दर्शन

संतुलित प्रक्रिया से ही मानव-व्यक्तित्व का पूर्ण विकास सम्भव हो सकता है। जिसके लिए महर्षियों ने ज्ञान-पीपासा की शान्ति के साथ-साथ शारीरिक-शिक्षा की अनिवार्यता पर प्रकाश डालते हुए उसे तीन अङ्गों में विभक्त किया है—

(i) शारीरिक क्रियाओं को संयमित और नियमित करना।

(ii) शरीर के सभी अङ्गों और क्रियाओं का सर्वाङ्गपूर्ण, प्रणालीबद्ध और सु-सामञ्जस्यपूर्ण विकास करना।

(iii) यदि शरीर में कोई दोष या विकृति हो तो उसे दूर करना।

प्रत्यक्ष में देखा जाता है कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से पूर्ण विकसित नहीं हो पाते हैं, उनका बौद्धिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। परिणामतः उनमें व्याप्त उत्तरोत्तरहीन भावना उन्हें सामाजिक परिप्रेक्ष्य से दूर भागने के लिए विवश कर देती है वे अपने आपको दीन-हीन और असहाय समझते हुए परिवार पर स्वयं को भार-स्वरूप मानने लगते हैं। कभी-कभी यही हीन-भावना इन्हें आत्म-हत्या अथवा एकान्तवास की ओर प्रवृत्त होने को विवश कर देती है। जिसके कारण उसमें एकाकीपन, असंतोष और निराशा के भाव जाग्रत होने लगते हैं और वह अपने आपको समाजिक व पारिवारिक परिप्रेक्ष्य से कटा हुआ-सा महसूस करने लगता है। इसी निराशा की भावना को दूर करने के लिए ही हमारे महर्षियों और शिक्षाविदों ने शिक्षण प्रक्रिया के अन्तर्गत खेल-कूद आदि अनौपचारिक साधनों को समाहित कर बालक के सर्वाङ्गीण विकास की ओर महत्त्व प्रदान किया है। उनके मतानुसार आत्मिक सबलता के लिए शारीरिक सबलता का होना नितान्त आवश्यक है। जिसके लिए उन्होंने इन्द्रियों के प्रशिक्षणार्थ यौगिक क्रियाओं को स्वास्थ्य लाभ के लिए अनिवार्य बताते हुए शारीरिक-शिक्षा को अनौपचारिक साधन स्वरूप विद्यालय में पर्याप्त स्थान देने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा की महत्ता के विषय में प्रसिद्ध दार्शनिक **रेवेल** की स्पष्टोक्ति भी है—**स्वास्थ्य के बिना जीवन, जीवन नहीं है। यह केवल स्फूर्तिहीनता तथा वेदना की दशा है, मृत्यु का प्रतिरूप है।** जिससे निवृत्ति के लिए महर्षियों ने समय-समय पर मानव-जाति को जीवन में सजीवता बनाये रखने के लिए शारीरिक-स्वास्थ्य, शक्ति-सामर्थ्य और संतुलन की अभिवृद्धि के लिए यौगिक क्रियाओं का सहारा लेने का निर्देश दिया है। फलस्वरूप वर्तमान में विभिन्न शिक्षण विधियों का विकास हुआ है, जिनमें मुख्य दो हैं—मान्टेंसरी और किण्डर-

गार्डन । इन दोनों शिक्षण विधियों में अल्प-बुद्धि और असामान्य बालकों को ज्ञानेन्द्रियों के प्रशिक्षण द्वारा मांसपेशियों को पुष्टता प्रदान करते हुए सबल बनाया जाता है, उन्हीं मांसपेशियों को प्रशिक्षण द्वारा इस योग्य बनाया जाता है कि वह अपने नित्य-नैमित्तिक और दैनिक-क्रियाकलापों को सम्पादित करते हुए घर की साज-सज्जा से सम्बन्धित कला, कुर्सी-मेज आदि के बनाने की विधि, टाइपिंग, बुनाई, खिलौने निर्माण आदि विविध कलाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए आत्म-निर्भरता और विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण ग्रहण करते हुए इस योग्य बन सकते हैं कि अपने जीविकोपार्जन के साधन संकलन के साथ-साथ राष्ट्रोत्थान में भी अपनी अहम् भूमिका निभा सकते हैं । इस प्रकार शारीरिक शिक्षा न केवल स्वास्थ्य-लाभ के लिए ही आवश्यक है, अपितु विभिन्न आयामों द्वारा हमें आत्म-निर्भरता भी प्रदान करती है ।

अर्वाचीन महर्षियों ने शारीरिक अवयवों में पूर्ण सहकार्य के फल को स्पष्ट करते हुए कहा है कि इससे शरीर स्वस्थ और आनन्दयुक्त रहता है । देखिए—शिर में नेत्र हैं, वे एक पक्के फल को देखकर मन को प्रेरणा देते हैं कि यह फल शरीर के लिए लाभप्रद है, अतः फल प्राप्त करना चाहिए । मन शरीर को उस फल तक पहुँचाने के लिए पावों को आदेश देता है, जिसके फलस्वरूप पैर शरीर को उस फल वाले वृक्ष के पास ले जाते हैं, शरीर को वृक्ष पर चढ़ाते हैं तथा फल को तोड़ने के लिए मन हाथों को आदेश देता है तथा हाथ आगे बढ़ते हैं और फल को तोड़ लेते हैं । तत्पश्चात् पैर शरीर को वृक्ष से नीचे उतारता है, छुरी की सहायता से हाथ उस फल को काटकर मुंह में डालते हैं, मुंह उस फल को दाँतों की सहायता से चबाता है और बारीक करके पेट में भेजता है । पेट उसको पचाता है, उसका रक्त बनाता है और हृदय के पास भेजता है । हृदय उस रक्त को शरीर के सभी अङ्गों में भेजता है, जिससे शरीर हृष्ट-पुष्ट बनता है । किन्तु शारीरिक अवयवों में आपसी सहयोग न होने के कारण शरीर दुर्बल और रोगग्रस्त हो जाता है । फलस्वरूप मानव में अकर्मण्यता आ जाती है तथा उसके व्यक्तित्व का विकास रुक जाता है । इस भीषण समस्या के समाधान को ध्यान में रखते हुए हमारे महर्षियों ने शारीरिक अवयवों के सम-विकास के सिद्धान्त को अपनाते हुए देवताओं से स्तुति की है—**हम कर्णेन्द्रियों से शुभ वचन सुनें, जिससे हमारा मन प्रसन्न रहे, हृदय राग-द्वेष से रहित और पवित्र रहे । नेत्र-इन्द्रियों से मन को सुख देनेवाली सत् वस्तुओं को ही देखें, जिससे हमारे अन्तःकरण में दूषित मनोवृत्तियों का विकास न हो पाये, तभी हमें समस्त प्राणी, मित्र,**

सहयोगी और प्रिय दिखाई देंगे तथा हमें घृणा, राग-द्वेष और मनोमालिन्य का अवसर ही प्रदान नहीं करेंगे, जिसके फलस्वरूप शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न और बुद्धि निर्मल और दीर्घ आयु स्वत:प्राप्त हो जायेगी।[1] अत: शिक्षा-मनोवैज्ञानिकों ने एकमत होकर ज्ञानार्जन के साथ-साथ शारीरिक विकास की प्रक्रिया को भी शिक्षा के उद्देश्यों में समाहित किया है। जिससे राष्ट्र की भावी सन्तति का शरीर-स्वस्थ, सुदृढ़, सुन्दर और बलवान् बन सके तथा राष्ट्रीय उत्थान की परियोजनाओं में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सके।

रूसो जैसे महान् दार्शनिक ने भी व्यक्तित्व की पूर्णता में शारीरिक स्वास्थ्य की उपयोगिता को स्पष्ट करते हुए कहा है—**बालक को स्फूर्तिमान और क्रियाशील बनाने के लिए उसकी शारीरिक-शक्ति को पूर्णरूप से विकसित करना परमावश्यक है।** अत: मानव-व्यक्तित्व के निर्माण में शारीरिक सम-विकास की प्रक्रिया को महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हुए हमारे शिक्षाविदों ने विद्यालयीय पाठ्यक्रम में उसे अनिवार्यरूप से लागू किया है। प्रसिद्ध शिक्षा-दार्शनिक **जाँनसन** ने शारीरिक-शक्ति सम्बर्द्धन के महत्त्व को स्पष्ट करते हुए कहा है—**स्वास्थ्य को बनाये रखना नैतिक और धार्मिक कर्त्तव्य है, क्योंकि स्वास्थ्य ही सभी सामाजिक गुणों का आधार है।** अत: शिक्षाविदों ने शारीरिक शिक्षा के साथ-साथ सन्मार्ग प्रशस्तिका शिक्षा को भी पाठ्यक्रम में समाहित किया है।

सन्मार्ग में प्रवृत्ति—स्वास्थ्य-लाभ का मूलमन्त्र धर्मशास्त्र प्रतिपादित आचार-विचार के अनुरूप सन्मार्ग पर चलना ही है। सन्मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति आत्मानुशील द्वारा सत्यान्वेषण में प्रवृत्त होते हुए पुरुषार्थचतुष्टय के अन्तिम फल को प्राप्त करता हुआ चिदात्म-स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर से आत्म-साक्षात् करता है। **'भोगापवर्गार्थं दृश्यम्'**[2] के द्वारा महर्षियों ने प्राणिमात्र को उपदेश दिया है कि भोग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह दृश्य संसार है, अत: उसे विभिन्न विषयों में आसक्त होकर उसका इस प्रकार उपभोग करना चाहिए कि भौतिक-सुख सम्पदा की प्राप्ति के साथ-साथ मोक्ष

---

१. भद्रं कर्णेभि:श्रृणुयाम देवा,
भद्रं पश्ये मा क्षभिर्यजत्रा:।
स्थिरैरंगैस्तुष्टुवा सस्तनूभि—
र्व्यशेमहि देवहितं यदायु:॥ ऋग्वेद-१/८९/८, यजुर्वेद-२५/२१

२. योग-दर्शन—२/१८

प्राप्ति की अन्तिम अभिलाषा को प्राप्त कर सके। जिसके लिए विभिन्न वैदिक मन्त्रों द्वारा मानव को सन्मार्ग के महत्त्व और उसके अनुपालन का निर्देश देते हुए कहा है—**हम सन्मार्ग से कभी विचलित न हों।**[१] यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि वह सन्मार्ग कौन-सा है? जिसके उत्तर में महर्षि ने कहा है—**जिस मार्ग पर श्रेष्ठ पुरुष चले, वही सन्मार्ग कहलाता है।**[२] उसी का अनुगमन करना चाहिए, क्योंकि सन्मार्ग ही नैतिकता का प्रतीक है और सदाचार का आधार है। यही मानव हृदय से दुर्गुणों, दुर्विचारों, दुर्भावों और दूषित तत्त्वों को सर्वथा दूर करता है। अतः यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि आचार ही मनुष्य का स्वरूप है। मानव जीवन का इतिवृत्त उसके नैतिक स्वरूप की व्याख्या है। जैसाकि कहा भी गया है—**आचार-हीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते हैं।**[३] इस काव्योक्ति से भी ऐसा ज्ञात होता है कि आचार ही मानव का परिधान, नैतिकता का प्रति-बिम्ब एवं आध्यात्मिक चेतना का मूल-मन्त्र है।

महाभारत के निर्देशानुसार जीवन का प्राणप्रद तत्त्व आचार ही है। सर्वतोभाव रूप से वही संरक्षणीय है। उसके नष्ट होने पर मानव का व्यक्तित्व ही नष्ट हो जाता है। व्यक्तित्व की कसौटी का मूलाधार मानव का आचार-विचार ही है, जिसके कारण उसे सभ्य सामाजिक प्राणी की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। प्रसिद्ध नीतिकार धर्मनिष्ठ आचार्य **चाणक्य** ने नैतिक आचरण की महत्ता को स्पष्ट करते हुए प्राणी-मात्र को उपदेश दिया है—**उसे सदा श्रेष्ठजनों के आचरण का ही अनुसरण करना चाहिए।**[४] उसी में उसका कल्याण है। अतः कभी भी उसे **चरित्र**[५] **का उल्लंघन तथा शिष्टाचार की मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए।**[६] **मनुष्य को सर्वदा उस कार्य में प्रयत्नशील रहना चाहिए, जिससे उसकी अकीर्ति न हो,**[७] क्योंकि मनुष्य की अकीर्ति ही उसकी मृत्यु का कारण है। **संसार में**

---

१. 'म प्रगाम पथो वयं'।
२. 'महाजनो येन गतः स पन्था'। — हितोपदेश
३. आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः।
४. आर्यवृत्तमनुतिष्ठेत्। — चाणक्य-सूत्र—३१०
५. कदाचिदपि चरित्रं न लङ्घयेत् — चाणक्य-सूत्र—१६३
६. कदाचिदपि मर्यादां नातिक्रमेत्। — चाणक्य-सूत्र—३११
७. अयशो भयं भयेषु। — चाणक्य-सूत्र—३१५

जिस मनुष्य की कीर्ति है, वही वास्तविक रूप से जीवित है[1] और यही चिरस्थायी सत्य भी है, अन्यथा संसार तो नश्वर ही है। वैदिक-वचनामृत द्वारा यशस्विता की अभिवृद्धि के लिये तप और व्रत का मार्ग प्रशस्त करते हुए निर्देश दिया गया है—**जिस परमात्मा की असीम अनुकम्पा से विद्वान् लोग अपना शरीर त्यागकर अमृत के केन्द्र रूप मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, उस परमात्म-तत्त्व के आशीर्वाद से धर्म-व्रत और साधना-यश के इच्छुक हम उस पुण्यलोक (मोक्ष) को प्राप्त करें।**[2] दूसरे शब्दों में, धर्म-निष्ठ प्रकाश-पुञ्ज के मार्ग को अपनाने, सन्मार्ग पर चलने तथा तपोमय जीवन व्यतीत करने पर मानव को स्थायी सुख तथा ख्याति प्राप्त होती है।

वैदिक धर्मानुसार बालक के सर्वाङ्गीण विकास के लिए माता-पिता ही प्रथम भूमिका निभाते हैं। जन्म से लेकर प्रतिक्षण बच्चे का परिरक्षण माता-पिता का प्रथम कर्त्तव्य है। जीवन संवर्धन काल में आने वाली समस्त विपत्तियों को माता-पिता दोनों ही सहन करते हैं और बच्चे के सम्पूर्ण दुःख-दर्द से सम्बन्धित उपशमन के उपाय करते हैं। बालक की अवस्था के विकास के साथ साथ सामयिक शिक्षा भी प्रदान करते हैं, जो उसके भावी जीवन की मूलभित्ति के समान होती है। क्रमशः बालक जब गुरुकुल आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाता है, तो उसे समुचित शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुआश्रम में भेज दिया जाता है। इसके विकल्प में पिता ही अपने ब्रह्मचारी पुत्र को वेदाध्ययन की शिक्षा प्रदान करता है।[3] क्योंकि तत्कालीन ब्राह्मण सभी विद्याओं में **पारंगत** होता था। इसलिए वह दण्ड-नीति राज-नीति, शस्त्र और शास्त्रों का गुरु होता था। इस सम्बन्ध में मनु का वचन स्मरणीय है—**इस देश में पैदा होने वाले अग्रजन्मा (ब्राह्मण) से विश्व के समस्त लोग आदर्श गुणों को ग्रहण करें अर्थात् अनुकरण और अनुपालन करें।**[4] इसीलिए द्विज अपने पुत्र को गुरुकुल में भेजकर अथवा घर पर शिक्षा प्रदान कराता था। इसी क्रम में माता-पिता अपने बच्चे को

---

१. कीर्तिर्यस्य स जीवति।

२. येन देवा स्वरारूरूहुर्हित्वा शरीरममृतस्य नाभिम्।
तेन गेष्म सुकृतस्य लोकं धर्मस्य व्रतेन तपसा यशस्यवः॥
अथर्ववेद—४/११/६

३. पितैव पुत्रः ब्रह्मचारिणे। शतपथब्राह्मण—

४. एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः।
स्वं स्वं शिक्षेरन्पृथिव्यां सर्वमानवाः॥ मनुस्मृति—२/२०

शिक्षा प्रदान कर समाज के लिए एक आदर्श नागरिक के रूप में प्रस्तुत करता था। जिस प्रकार माता-पिता अपनी सन्तान के लिए ज्ञान-दाता, रक्षा-कर्ता आदि स्वरूप का निर्वाह करते हैं, उसी प्रकार प्राणीमात्र की रक्षा के लिए ईश्वर भी तत्पर रहता है। वस्तुतः मनुष्य का माता-पिता ही ईश्वर है। इस सन्मार्ग का निर्देश हमें वेद मन्त्रों से मिलता है।[१] जो जिसको अनन्य भाव से भजता है, वह उसका कृपा भाजन होता है इस आशय को गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है—**जो मनुष्य जिस प्रकार, जिस भाव से मेरा भजन करता है, मैं भी उसे उसी भाव से भजता हूँ।**[२] जिस प्रकार पुत्र के आज्ञा पालक होने से पिता बहुत प्रसन्न होता है, उसी प्रकार मानव जगत जब पिता परमेश्वर का अनन्य भाव से भजन करता है, तो प्रभु उस पर अनुकम्पा करते हैं और उसे तेजस्वी बनाते हैं। शोभन कार्य करने वाले की समस्त संसार में कीर्ति फैल जाती है।[३]

सन्मार्ग प्रवर्तन की दिशा में कुछ मन्त्रांश भी उद्धरणीय हैं।[३] वज्राघात से जैसे वृक्ष गिरता है वैसे ही अपने तेज से शत्रु को नीचे गिराओ[४] तात्पर्य यह है कि समाज में हर तरह के प्राणी निवास करते हैं। उनमें से कुछ दुष्ट जीव ऐसे हैं, जो समाज में अशान्ति और अस्थिरता फैला देते हैं। ऐसे अनिष्ट तत्त्वों के विनाश के लिए तेजस्वी मनुष्यों की आवश्यकता है। 'मनुष्य' शब्द की व्युत्पत्ति भास्कराचार्य ने '**मत्वाकार्याणिसीव्यतीति मनुष्यः**' इस प्रकार की है। अर्थात् यह करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की विवेक बुद्धि जिसमें होती है, उसे मनुष्य कहा गया है। इससे विपरीत भाव वाले मनुष्य को समाज की शान्ति के लिए गिराना चाहिए यह शिक्षा भी मिलती है। क्योंकि वेदमन्त्रों में ही यह प्रार्थना की गई है—**हे प्रभु ! हमें पाप करने वाले तथा हिंसा करने वाले मनुष्य के**

---

१. त्वं त्राता तरणे चेत्यो भूः पिता माता सदमिन्मानुषाणाम्।
ऋग्वेद ६/१/५

२. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्।
मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः॥
श्रीमद्भगवद्गीता—४/११

३. सुक्रतुः सद्मानि उर्विया वि धात्।　　ऋग्वेद—६/३०/२

४. पव्येन राजन्नघशंसमजर नीचा नि वृश्च वनिनं न तेजसा॥
ऋग्वेद—६/८/५

हाथों में न सौंप।[१] प्रशासनिक दिशा में कपटी शत्रु के साथ कपट से ही व्यवहार करने का मार्गनिर्देश वेदमन्त्रों में देखा जाता है।[२] समाज में जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं उन्हीं का ही अनुकरण समाज के अन्य सदस्य करते हैं। श्रीमद्भगवद्गीता में भी कहा गया है—**समाज के आदर्श पुरुषों का आचरण ही अन्य पुरुष अनुकरण करते हैं और वह सामाजिक व्यवहार में जो निर्णय देते हैं सामान्यजन उसी का अनुगमन करते हैं।**[३] इस प्रकार इतिहास में भगवान् ने जिन-जिन उपायों से या जिन आदर्शों के अनुपालन से शत्रुओं पर विजय प्राप्त की है, उसी दिशा में उनके आचरण और उपदेश हमें सन्मार्ग प्रदान करते हैं। सन्मार्ग में चलता हुआ मनुष्य ही इष्ट को प्राप्त कर सकता है। गीता में भी भगवान् श्रीकृष्ण की उक्ति है—**जिन पुण्यात्माओं के पाप नष्ट हो गये हैं, वे द्वन्द्व और मोह से विमुक्त होकर दृढ़, संकल्प से मेरा भजन करते हैं।**[४] इसलिए निष्पाप पुरुष ही ईश्वरतत्त्व का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ऋग्वेद की ऋचा कहती है—**जो लोग काले अर्थात् दोषपूर्ण मार्गों को पार कर जाते हैं, वे ईश्वर को आँख से देख सकते हैं।**[५] भगवान् प्राप्ति में जो असाधारण उपाय वेदमन्त्रों के माध्यम से वर्णित हैं वे इस प्रकार हैं—**हम कान में अच्छे वाक्य हमेशा सुनें, आँख से कल्याणकारी रूप का दर्शन करें, दृढ़ अङ्गों से देवताओं के निमित्त सेवा कार्य करते हुए सम्पूर्ण आयु जीयें।**[६] ऋग्वेद में कहा गया है—हे प्रभु! **तेरी स्तुति के योग्य ज्ञानमयी बुद्धि हमारे में स्थिर हो।**[७] क्योंकि इन्द्रियों

---

१. उरुष्या णो मा परा दा अघायते जातवेदः। दुराध्ये मर्ताय॥
ऋग्वेद—८/७१/७

२. मायाभिरिन्द्र मायिनं त्वं शुष्णमवातिरः।
विदुष्टे तस्य मेधिरास् तेषां श्रवांस्युत्तिर॥ ऋग्वेद—१/११/७

३. यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः।
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते॥ श्रीमद्भगवद्गीता—३/२१

४. येषांत्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्।
द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़ते व्रताः॥ श्रीमद्भगवद्गीता—७/२८

५. श्यावीरतिध्वसन् पथश्चक्षुषा चन संनशे। ऋग्वेद—८/५५/५

६. भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः।
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः॥
यजुर्वेद—२५/२१

७. इयं ते नव्यसी मतिरग्ने अधाय्यस्मदा। ऋग्वेद—८/७४/७

के बहिर्मुखता से आत्मज्ञान सर्वदा असम्भव है। जब ये इन्द्रियाँ बाह्य भौतिक पदार्थों से विमुख होकर अन्तर्मुखी हो जाती हैं, तब जीव को आत्मज्ञान का लाभ होता है, अन्यथा बाह्य सुखोपभोग में इन्द्रियों की तन्मयता से आत्मज्ञान की प्राप्ति असाध्य हो जाती है। इन्द्रियों में अग्रणीय मन उनका संचालन करता है। अतः इन्द्रिय-दमन सम्बन्धी प्रकरण में ऋषियों ने मन को ही समाहित करने के लिए प्रथम प्रयास या प्रार्थना की है। यजुर्वेद में मन बाह्य पदार्थों से निवृत्त होकर शिव संकल्प में जुटे, इसके लिए बहुशः प्रार्थनाएँ की गयी हैं। महर्षि ने स्तुतिमुख से कहा है—**जिस प्रकार रथ-चक्र की नाभि में आरे स्थिर जुड़े होते हैं, ठीक उसी प्रकार ऋग्यजुसाममन्त्रसमुदाय मन के साथ जुड़े हुए हैं। मन की स्थिरता से सब वस्तु प्रतीत होती हैं। मन की अस्थिरता से किसी भी वस्तु की प्रतीति नहीं होती है। जिस प्रकार अच्छा साथी लगाम द्वारा वेगवान घोड़ों को इतस्ततः ले जाता है, उसी प्रकार मन भी इन्द्रियों को अपने-अपने विषयों के साथ भगा देता है। जरारहित अतिशय वेगवान इन्द्रियों के स्वामीभूत जो मन हृदय-सिंहासन में विराजमान है, वह मेरा मन हमेशा कल्याणकारी संकल्पमय हो**[1] इसलिए **'मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः'** के द्वारा कहा गया है कि मन ही मनुष्य का सांसारिक बन्धन और मोक्ष में कारण है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए सभी इन्द्रियों को सत्-पथ में चलना होगा एतदर्थ श्रीमद्भागवत् में प्रार्थना की गई है—**हे प्रभु! वाणी हमेशा आपके गुणगान करती रहे, कान आपके पवित्र गुण-गान का श्रवण करते रहें, हाथ आपके सेवाकार्य में लगे रहें, मन आपके पदारविन्द के मकरन्द पान में मत्त मधुप के समान रहें, आपके अहर्निश संस्मरण में मेरा मस्तक झुका रहे और आपके पवित्र विग्रहकल्प सत्पुरुषों के दर्शन में दृष्टि लगी रहे।**[2] इन सब प्राप्त वाक्यों से हमें यह मार्गनिर्देश मिलता है कि हम अपने

---

१. यस्मिन्नृचः साम यजूंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः।
यस्मिँश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु।।
सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयतेऽभीशुभिर्वाजिन इव।
हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु।।
यजुर्वेद—३४/५-६

२. वाणीगुणानुकथने श्रवणौकथायां हस्तौ च कर्मसुमनस्तवपादयोर्नः।
स्मृत्यांशिरस्तवनिवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेऽस्तुभवत्तनूनाम्।।
श्रीमद्भावत्—१०/१०/३८

कर्त्तव्य परायणता से तथा प्राप्त पुरुषों के द्वारा निर्दिष्ट सन्मार्ग सेवन से सांसारिक द्वन्द्व-मोहादि बाधाओं से विमुक्त होकर परमपद को प्राप्त कर सकते हैं।

इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नवीन शिक्षानीति में नैतिक आचरण के उत्थान हेतु शैक्षिक पाठ्यक्रम में 'योग और संस्कृति' को स्थान प्रदान किया गया है। तथा यह आशा की गई है कि 'योग और संस्कृति' के अध्यापन से अध्ययनार्थी न केवल सन्मार्ग की ओर ही प्रवृत्त होगा, अपितु अपने नैतिक आचरण और योगक्षेम द्वारा राष्ट्र की अखण्डता को स्थिर बनाये रखने के लिए अहम् भूमिका का निर्वाह करेगा। क्योंकि सन्मार्ग में प्रवृत्ति द्वारा ही सद्-व्यवहार की अभिलाषा की जा सकती है। सद्-व्यवहार और नैतिकशिक्षा द्वारा बालक को मानवोचित व्यवहार का प्रशिक्षण दिया जाता है। सन्मार्ग ही मानवोचित व्यवहार का मुख्य द्वार है। अतः वास्तविक रूप में संस्कृति ही सन्मार्ग पोषक है, जिसके माध्यम से हमें आचार-विचार और व्यवहार का बोध होता है।

बौद्धिक-विकास—सन्मार्ग प्रेरित सद्बुद्धि जीवन का स्तम्भ है। कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य का बोध ग्राह्य और त्याज्य का ज्ञान, सत्-असत् की मीमांसा सद्बुद्धि द्वारा ही सम्भव है। अतः ज्योतिर्मय पुञ्ज भगवान् भास्कर (सूर्य) से सुमति की प्राप्ति हेतु आराधना करते हुए दृढ़-संकल्प करते हुए कहा है कि **श्रेष्ठ संसार के उत्पादक सवितादेव के विचित्र गुणों से युक्त लोक-कल्याणकारी उस सद्बुद्धि को मैं अपनाता हूँ, जिसकी पुष्ट सहस्रों धारा वाली दुग्ध से गौरवान्वित वाणी को महर्षि कण्व ने दुहा था।**[1] कहने का तात्पर्य है कि सुमति द्वारा ही मनुष्य लोक-हित, विश्व-हित, समाजहित और राष्ट्र के हित की कामना करता है। सुमति ही मानव में निहित अज्ञान, दुर्भाव, पाप-वृत्ति, अकर्मण्यता, अप्रतिष्ठा और द्रोह आदि दुर्गुणों को नष्ट करती है।

---

१. ताँ सवितुर्वरेण्यस्य चित्राम्
आहं वृणे सुमतिं विश्वजन्याम्।
यामस्य कण्वो अदुहत् प्रपीनाँ
सहस्रधारां पयसा महीं गाम्॥

यजुर्वेद—१७/७४, अथर्ववेद—७/१५/१

उसमें निहित पाशविक प्रवृत्तियों का उन्मूलन करते हुए समाजोचित गुणों का संचार करती है। उसे सु-सभ्य और समाज में सु-प्रतिष्ठित करती है। जैसा कि रामचरितमानसकार तुलसीदास की स्पष्टोक्ति है—'**जहाँ सुमति तहँ सम्पति नाना**'। अर्थात् जहाँ सुमति है वहाँ विभिन्न ऐश्वर्यादि संसाधनों से युक्त सुख-सम्पत्ति निवास करती है। इसीलिए सृष्टि के आरम्भ से ही मन्त्रद्रष्टा महर्षियों ने मानवजाति के कल्याण के लिए सुमति के अभिवृध्यार्थ धर्माचरण के अनुरूप सन्मार्ग पर चलने का निर्देश दिया है। सन्मार्ग की प्राप्ति सत्पुरुषों के बताये गये आचरण के अनुरूप व्यवहार करने से ही सम्भव है। इसीलिए कहा गया है कि मानव-समुदाय को सदा सर्वदा के लिए सद्-वचनों की ही आवृत्ति करनी चाहिए, इससे मन स्वच्छ और बुद्धि निर्मल होती है तथा सत् गुणों की अभिवृद्धि होती है। मानव-अन्त:करण में व्याप्त कलुषित वृत्तियों का प्रक्षालन तथा '**सत्यं शिवं सुन्दरम्**' की परिणति का आत्म-बोध होता है। अत: सुमति के विकास के लिए मानव को शास्त्र निर्दिष्ट सद्-गुणों के अनुरूप ही आचरण करना चाहिए। जैसा कि कहा भी गया है—'**जाकि रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी**'। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसके जैसे विचार होगें, उसे उसी प्रकार का फल प्राप्त होगा अर्थात् यदि व्यक्ति जन-हित के भाव से किसी कार्य में प्रवृत्त होगा तो उसे जन-सहयोग और सम्मान अवश्य प्राप्त होगा, उसके विपरीत यदि वह स्वार्थपरता के वशीभूत होकर किसी कार्य में प्रवृत्त होता है तो उसे तिरस्कार और असहयोग ही प्राप्त होगा। इसीलिए महर्षियों ने मानव के आचार-विचार और व्यवहार की शुद्धता पर अत्यधिक बल दिया है। उनके मतानुसार—**जिस प्रकार के मन में विचार उत्पन्न होंगे, उसी प्रकार वाणी का उच्चारण भी, जैसा उच्चारण होगा वैसा ही आचार तथा जैसा आचार-विचार होगा, वैसा ही मानव-व्यक्तित्व का निर्माण होगा** अत: मानव-व्यक्तित्व के निर्माण में आचार-विचार और व्यवहार का महत्त्वपूर्ण योगदान है। जिसके लिए स्मृति आदि अनेक धार्मिक ग्रन्थों में सद्-बुद्धि के विकास और शुद्धोच्चारण की अभिवृद्धि के लिए विचार, उच्चार और आचार की पवित्रता पर ध्यान देने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है। इस प्रकार सम्पूर्ण वाङ्ग्मय में सद्-बुद्धि के विकास हेतु ऋत का अनुसरण करने का उपदेश

१. यन्मनसा मनुते तद्वचा वदति।
यद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति।
यत्कर्मणा करोति तदभि संपद्यते॥

दिया गया है। ऋत अर्थात् सत्य-वचन सदाचार और सद्-व्यवहार का पूरक माना गया है। ऋत से परिपूर्ण व्यक्ति ही सन्मार्ग में प्रवृत्त होता हुआ जन-कल्याण की भावना से राष्ट्रोन्नयन में अपनी अहम् भूमिका निभा सकता है।

राष्ट्र नव निर्माण और जन-जागरण के कार्य में संलग्न प्राणियों को संघ-शक्ति के निर्माण हेतु परमेश्वर के श्रेष्ठ तेज का ध्यान करने का निर्देश महर्षियों द्वारा दिया गया है। संघ-शक्ति में श्रेष्ठ तेज निहित है, जो सद्गुणों पर आधारित है, सद्-गुण सदाचाराश्रित हैं, सदाचार सुमति-मान् व्यक्ति का धर्म कहलाता है। अतः मानव को सन्मार्ग पर चलने के लिए उस श्रेष्ठ तेज को स्मरण करने की प्रेरणा दी गई है। महर्षि वाल्मीकि ने सद्बुद्धि से उत्पन्न धैर्य के फल का निरूपण करते हुए कहा है— **जो व्यक्ति विपत्ति में, आर्थिक संकट अथवा प्राणान्तक भय के उपस्थित होने पर अपनी बुद्धि से विचार करता हुआ धैर्य धारण करता है, वह अन्त में दुःख का भागी नहीं बनता, अर्थात् दुःखों से विनिर्मुक्त होता हुआ सन्ताप-रहित होता है।**[1]

महर्षियों ने सन्मार्गगामी पुरुष को बौद्धिक विकास के लिए श्रेष्ठ कर्मों का उपदेश देते समय देवताओं से प्रार्थना की है—हम **अत्यन्त सुखद, तेजस्विता देने वाली एवं यज्ञ को पूर्ण करने वाली उस दिव्यबुद्धि की कामना करते हैं। वह सुलभ बुद्धि हमारे वश में हो।**[2] कहने का तात्पर्य यह है कि सद्-बुद्धि पर-हित कामना, कठोर परिश्रम, उत्साह, धैर्य निर्भयता आदि गुणों से युक्त होती है। सद्-बुद्धि ही हमें सात्त्विक कर्मों को सम्पादित करने की प्रेरणा प्रदान करती है, जिन में याज्ञिक क्रियाओं का सर्वोपरि स्थान रहता है। यह मनुष्य की सभी कामनाओं को पूर्ण करती है तथा उसके आत्म-बल में वृद्धि करती है। ऋग्वेद में विश्वकल्याणकारी सुमति की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते समय कहा गया है—हे **सर्वव्यापक पर-मात्मन्! तुम हमें विश्व-हितकारी सुमति दो। हे कामनाओं के पूरक! तुम हमें निर्दोष बुद्धि दो, जिससे सुखद, प्रचुर अश्वादि से युक्त धन का हम से**

---

१. व्यसने वाऽर्थकृच्छ्रे वा भये वा जीवितान्तगे।
विमृशंश्च स्वया बुद्धया धृतिमान्नावसीदति॥ रामायण

२. दैवीं धियं मनामहे सुमृडीकामभिष्टये,
वर्चोधां यज्ञवाहस सुतीर्था नो असद्वशे॥ यजुर्वेद—४/११

सम्पर्क हो ।[१] कहने का तात्पर्य यह है कि बुद्धि मानव की निर्मात्री है, शक्ति है । बुद्धि का संस्कार जीवन का संस्कार है ।

अर्थशास्त्र-विशेषज्ञ और नीतिनिपुण आचार्य चाणक्य ने बौद्धिक श्रेष्ठता को जीवन का आधार बताते हुए कहा है—**'जैसी शिक्षा वैसी बुद्धि,'**[२] अर्थात् समाजिक और पारिवारिक परिप्रेक्ष्य द्वारा बच्चे को जैसे विचार प्राप्त होंगे इससे पूर्व उसी प्रकार उसकी बुद्धि का विकास होगा अर्थात् वैसे ही उसमें संस्कार होंगे । कहा गया है—**जैसी बुद्धि वैसा ही ऐश्वर्य होता है ।**[३] अर्थात् सत् असत् ज्ञानाश्रित बुद्धि शुभ-अशुभ फल प्रदात्री होती है । संज्ञानाश्रित बुद्धि जन-कल्याणार्थ नवीन-नवीन वैज्ञानिक अन्वेषणों में आसक्त होती है, जिसके फलस्वरूप मानव अपने वैयक्तिक अभ्युदय को प्राप्त करता हुआ भौतिक संसाधनों से सम्पन्न होकर ऐश्वर्यशाली बन जाता है । अतः बुद्धि के श्रेष्ठ तेज के लिए मानव को सदैव भगवत् आराधना में तत्पर रहने का निर्देश दिया गया है । क्योंकि सत्य-असत्य, पाप-पुण्य और कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य कर्मों का विश्लेषण तर्क-वितर्क युक्त बुद्धि द्वारा ही सम्भव हो सकता है । इसीलिए आचार्य विष्णुशर्मा ने विवेकयुक्त बुद्धि को अपनाने का उपदेश दिया इन्होंने कथोपकथन के माध्यम से अन्तेवासी को उपदेश देते हुए कहा है कि परिस्थितियों के अनुरूप व्यवहार में लाई गई शास्त्रीय विद्या ही जीवनोपयोगी सिद्ध हो सकती है, अन्यथा प्राप्त ज्ञान विषकण्टक बन जाता है । जैसा कि **'महाजनो येन गतः स पन्थाः'** इस वाक्य के अभिप्राय को अयथार्थ रूप से ग्रहण करने के कारण कल्याण-पथ को त्यागकर व्यक्ति जन-समूह का बिना सोचे-समझे अनुसरण करता हुआ श्मशानघाट पहुँच जाता है । इस भटकाव से बचने के लिए ही आचार्य मधुसूदन सरस्वती कहते हैं—**उपनिषद् उस परम-तत्त्व (सच्चिदानन्दमय तत्त्व) को साक्षात् करने के लिए जो उपाय बतलाते हैं वे इस प्रकार हैं, सर्वप्रथम उसको श्रुति से या गुरु से सुनो तदनन्तर उसके विषय में अपने तर्कों, प्रतितर्कों को हृदय में स्थिर करो कि वास्तव में**

---

१. त्वं विष्णो सुमतिं विश्वजन्याम्
अप्रयुतामेवयावो मतिं दाः ।
पर्चो यथा न सुवितस्य भूरे—
रश्वावतः पुरुश्चन्द्रस्य रायः ।। ऋग्वेद—७/१००/२

२. 'यथा श्रुतं तथा बुद्धि' । चाणक्य सूत्र—४५९

३. यथा बुद्धिस्तथा विभवः । चाणक्य सूत्र—४०९

श्रुतिप्रतिपाद्य तत्व ही है ? फिर उस निश्चित किए हुए तत्त्व का ध्यान करो, तब तुम्हें तत्त्वज्ञान प्राप्त होगा।[1] इसीलिए अर्थ के अनर्थ होने के भय से बचने के लिए ही महर्षियों ने सदैव विवेकपूर्ण परीक्षित शब्दावली का अनुसरण करने का निर्देश दिया है। परीक्षित शब्दावली का बोध ज्ञान द्वारा ही सम्भव हो सकता है, जो कि सद्-बुद्धि का धर्म कहलाता है। कहा भी गया है—**'जिसके पास बुद्धि (सज्ञान) है, वही बलशाली भी है',**[2] अर्थात् जिसके पास बुद्धि की संशयविच्छेदक वृत्ति है, वही सच्चा ज्ञानी और वैभव सम्पन्न भी है। महाभारतकार महर्षि **वेदव्यास**[3] ने भी बुद्धि बल को सर्वोपरि बल की उपमा दी है। ठीक भी है, सद्बुद्धि मानव के अन्तःकरण में व्याप्त अज्ञान स्वरूप अन्धकार से आवृत्त संशयात्मकवृत्ति का परिच्छेदन करते हुए ऋतम्भरारूप ब्रह्मतत्त्व की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। ऋग्वेदीय मन्त्रों में भी सद्-बुद्धि के विकास के लिए प्रार्थना की गई है। एक मन्त्र में तीक्ष्णबुद्धि के धनी बृहस्पति से प्रार्थना की गई है कि वे **नास्तिक और ज्ञान के द्वेषी राक्षसों और हिंसक प्राणियों को मारने के लिए तपावे, अप्रतिष्ठा को दूर करें अर्थात् सम्मान प्रदान करें। कुमति को नष्ट करें अर्थात् अज्ञान, पाप और हिंसक प्रवृत्तियों से हमारी बुद्धि को मुक्त रखें तथा यजमानों के लिए योग-क्षेम करें।**[4]

पाश्चात्य शिक्षा मर्मज्ञों ने ज्ञानार्जन के लिए मानव के बौद्धिक विकास की अनिवार्यता पर बल देते हुए उसके दो पहलुओं पर प्रकाश डाला है—

(i) विद्या के लिए विद्या।

---

१. श्रोतव्यं श्रुतिवाक्यतश्च गुरुतोमन्तव्यमन्तस्ततः
ध्येयंस्यादपरोक्षमित्युपनिषत्तान् वञ्चयत्वनहम्॥
आगोपाङ्गनमाचपण्डितमभीष्टार्थप्रदं सुन्दरं
रूपनेदमलोचि लोचनचरं यैस्ते दयाम्भोनिधे॥

२. बुद्धिर्यस्य बलं तस्य। 	पञ्चतन्त्र (बककर्क-कथा)—२७३

३. यद् बलानां बलं श्रेष्ठं तत् प्रज्ञाबलमुच्यते।
महाभारत (विदुरनीति)—५/१५

४. तपुर्मूर्धा तपतु रक्षसो ये
ब्रह्मद्विषः शरवे हन्तवा उ।
क्षिपदशस्तिमप दुर्मतिं हन्—
नथा करद्यजमानाय शं योः॥ 	ऋग्वेद—१०/१८२/३

(ii) मानसिक विकास के लिए शिक्षा ।

पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक **बेकन** और **कॉमेनियस** ने ज्ञान को मानव-समाज के कल्याण की आधारशिला माना है। उनके मतानुसार जिस शिक्षा द्वारा मनुष्य ज्ञान संचित नहीं कर पाता है, वह निरर्थक है। अतः ज्ञानार्जन ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ज्ञानार्जन से तात्पर्य केवल 'ज्ञान के लिए ज्ञान' अथवा 'विद्या के लिए विद्या' ही नहीं है, वरन् मानसिक विकास भी है, जिसके अन्तर्गत मस्तिष्क की समस्त शक्तियाँ, जैसे—विचार-शक्ति, कल्पना-शक्ति स्मरण-शक्ति आदि समाहित हैं। अतः शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की विचार-शक्ति को पुष्ट करते हुए उसकी बुद्धि को तीव्रता तथा क्रियात्मकता प्रदान करना है।

ज्ञानार्जन का विकास—**'नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते'**[1] कृष्ण उपदिष्ट वचनामृत द्वारा कहा गया है कि इस संसार में ज्ञान के सदृश पवित्र करने वाला कोई भी नहीं है। ज्ञान ही मानव के मन-मस्तिष्क में निहित कलुषित वृत्तियों और संशयात्मक अज्ञानरूपी तिमिर (अन्धकार) को परिच्छेदित कर ज्योतिर्मय-पुञ्ज ज्ञानालोक की ओर प्रवृत्त करते हुए अमरत्व प्रदान करता है। ज्ञान-फल के स्वरूप को प्रतिपादित करते हुए कहा गया है – **ज्ञान प्राप्ति के अनन्तर पराशान्ति रूप मोक्ष की प्राप्ति होती है।**[2] **'ज्ञानादेव तु कैवल्यम्'** इत्यादि श्रुति वाक्य भी ज्ञान को ही कैवल्य का साधन बताते हैं। मुण्डकोपनिषद् में ज्ञानमहिमा का वर्णन करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा गया है **ज्ञानाभिलाषी वेद-पाठी गुरु की शरण में जाकर श्रवण, मनन और निदिध्यासन द्वारा अपनी आत्मा में उस चिदात्मस्वरूप आत्मज्योति का साक्षात्कार करते हुए कैवल्य को प्राप्त करता है।**[3] कैवल्य-प्राप्त्यर्थ महापुरुषों ने अविच्छिन्नगति से स्वाध्याय में प्रवृत्त होने का निर्देष देते हुए कहा है—**उन सब पदार्थों (धनों) को छोड़ दो, जो स्वाध्याय के विरोधी हैं।**[4] ऐश्वर्यादि भौतिक संसाधनों में आसक्ति ही बालक के चित्त को विषयों की ओर भटकाने

१. श्रीमद्भगवद्गीता—४/३

२. ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति।

श्रीमद्भगवद्गीता—४/३९

३. स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्।

मुण्डकोपनिषद्—१/२/१२

४. सर्वान्परित्यजेदर्थान्स्वाध्यायस्य विरोधिनः। मनुस्मृति—४/१७

में सहायक होती है, जिसके कारण बालक का चित्त स्वाध्याय की प्रवृत्ति में स्थिर नहीं हो पाता और वह धीरे-धीरे विद्यालय परिप्रेक्ष्य और अध्ययन-अध्यापन की परिपाटी से विमुख होने लगता है। शिक्षाविदों ने शिक्षणार्थी की इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए ही शिक्षा जगत में अनेक अनुसंधानों के माध्यम से नवीन वैज्ञानिक शिक्षण प्रविधियों को विकसित कर बालक की आवश्यकता और बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त किया है। शिक्षणाभ्यास की इस प्रक्रिया में स्वाध्याय और प्रवचन दोनों ही आवश्यक हैं। शिक्षणार्थी की स्वध्याय में आसक्ति ही ज्ञान-पिपासा को शान्त करने का मार्ग प्रशस्त करती है तथा अन्त:करण में व्याप्त अन्धकार (तिमिर) को निवृत्त करने में सहायक होती है। सम्भवत: इसी आधार पर मनीषियों ने **'ज्ञान (विद्या) को तृतीय नेत्र'**[1] के रूप में स्वीकार करते हुए उत्तम ज्ञान की प्राप्त के लिए वेद में विभिन्न स्थलों पर तत् सम्बन्धित देवताओं से अर्चना की है।

अथर्ववेदीय महर्षियों ने अश्विनी कुमारों को सम्बोधित करते हुए कहा है—**हमें स्वजनों के साथ उत्तम ज्ञान प्राप्त हो तथा निम्न श्रेणी के जो लोग हैं, उनके साथ भी हमें उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। इस संसार में तुम दोनों हमें उत्तम ज्ञान प्रदान करो। जिससे हमारे अन्तःकारण में व्याप्त इह-लौकिक और पारलौकिक सत्ता के विषय में संशयों का निवारण ज्ञानालोक द्वारा सम्भव हो सके।**[2] इससे भी यही ज्ञात होता है कि सत्-असत्, पाप-पुण्य और सृष्टि-उत्पत्ति बिषयक अनेकानेक संशयों का निवारण ज्ञान-चक्षु के प्रस्फुटित होने पर ही होता है। इसीलिए कहा गया है—**अपने प्रकाश से अन्धकार को दूर करें। नेता ज्ञान का प्रसार करके लोगों में अज्ञान को दूर करें।**[3] यहाँ भी महर्षियों ने मानव के मन-मस्तिष्क में ज्ञानालोक को प्रज्वलित करने की प्रेरणा दी है। महर्षि ने अन्यत्र मन्त्र में कहा है—**जिस तरह सूर्य अपनी किरणों से विश्व को व्यापता है, उसी तरह यह मनुष्य भी अपने ज्ञान-तेज से जगत् को व्यापने का यत्न करे। जिस तरह सूर्य अपने निश्चित मार्ग से जाता है और अपने प्रकाश से अन्धकार को दूर करता है,**

---

१. ज्ञानं मनुजस्य तृतीयनेत्रम्।

२. संज्ञानं नः स्वेभिः संज्ञानमरणेभिः।
संज्ञानमश्विना युवमिहास्मासु नि यच्छतम्॥ अथर्ववेद ७/५२/१

३. अन्तर्वावदकृणोज्ज्योतिषा तमः। ऋग्वेद—६/८/३

उसी तरह मनुष्य अपने निश्चित मार्ग पर चलता हुआ अपने ज्ञान से दूसरों के अज्ञान को दूर करे।[1] इसीलिए आदेश भी दिया गया है कि जिस तरह सूर्य अपनी तेजस्वी किरणों से प्रकार फैलाता है उसी तरह मनुष्य ज्ञान को फैलावे। इस प्रकार सम्पूर्ण वैदिक वाङ्मय से यही निष्कर्ष निकलता है कि सर्वत्र ज्ञान का ही प्राधान्य है।

'ऋते सत्यान्न मुक्तिः' अर्थात् ज्ञान के बिना जीवन-मुक्ति सर्वथा असम्भव है, न्याय दर्शन का यही मूल वाक्य है। श्रुतिवाक्य भी प्रमाण है—**'न हि ज्ञानेन बिना मोक्षम्'** अर्थात् ज्ञान के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। सुकरात, दान्ते, कमेनियस आदि अनेक आदर्शवादी शिक्षा-शास्त्रियों के मतानुसार ज्ञान के बल से ही व्यक्ति का विकास सम्भव हो सकता है तथा वह अपने जीवन में भौतिक संसाधनों को उपलब्ध करता हुआ जीवन में सुख और शान्ति का अनुभव कर सकता है।

'सुख और शान्ति' की अनुभूति आत्म-तत्त्व के बोध से होती है। इसीलिए शोक **मोहादि-दोष को हरने वाले परोक्ष ज्ञान से, अज्ञान से उत्पन्न संशय का छेदन करके, अपरोक्ष ज्ञान के लिए यत्न करे। कर्मयोग—जैसा कि गीता में कहा है—'योगसंसिद्धः' अर्थात् शुद्धान्तःकरण होने पर अपरोक्ष ज्ञान को प्राप्त करेगा।**[2] इससे भी यही निष्कर्ष निकलता है कि आत्मानन्द की प्राप्ति में ज्ञान-चक्षु का प्रस्फुटित होना अनिवार्य है। अतः मानव को ज्ञानाग्नि के प्रज्वलन के लिए निरन्तर प्रयत्न करते रहना चाहिए। क्योंकि ज्ञानाग्नि के प्रज्वलन द्वारा ही मानव-मात्र में शक्ति का संचार होता है। यथा—

सिद्धिदात्री भवत्येका शक्तिः सज्ज्ञानयोजिता।
बिना ज्ञानञ्च शक्तिञ्च नैव किञ्चन सिध्यति।।

ज्ञान का साधन विद्या है। उपनिषदों में शब्दात्मक शास्त्रीय विद्या को अविद्या और आत्म-बोध कराने वाली विद्या को विद्या या 'परा' विद्या कहा गया है। ज्ञान के लिए दोनों की अनिवार्यता पर बल देते हुए ईशावास्योप-

---

१. अ सूर्यो न भानुमद्भिरर्कैरग्ने ततन्थ रोदसी वि भासा।
चित्रो नयत् परि तमांस्यक्तः शोचिषा पत्मन्नौशिजो न दीयन्।।
ऋग्वेद—६/४/६

२. ततश्च शोकमोहादिहरसम्यग्दर्शनरूपेण परोक्षज्ञानेन अज्ञानसम्भूतं संशयं छित्त्वा अपरोक्षज्ञानसिद्धचर्थं यत्नं कुरु। 'तत्स्वयं योगसंसिद्धः, ४-३८ इत्यादिना तत्साधनत्वेन निर्दिष्टं योगमातिष्ठ।

निषद् में स्पष्ट उल्लेख किया गया है—**'परा' विद्या जिसे उपनिषदों में विद्या कहा गया है, का फल अन्य (आत्म-ज्ञान) कहा गया है तथा अविद्या अर्थात् शास्त्रीय विद्या का फल अन्य (व्यावहारिक-ज्ञान) कहा गया है।**[1] इस कथन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि अविद्या केवल पुस्तकीय ज्ञान का ही नाम नहीं है, अपितु अनुभवात्मक ज्ञान, जिसका सम्बन्ध व्यवहार से है, वह भी अविद्या या शास्त्रीय विद्या से ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार अचार्य की व्यावहारिक और पारमार्थिक दोनों दृष्टियों की अनिवार्यता ईशावास्योपनिषद् के इन मन्त्रों द्वारा सिद्ध की गई है। बृहदारण्यकोपनिषद्[2] के **'विद्यया देवलोकः'** अर्थात् विद्या से देवलोक की प्राप्ति होती है और **'कर्मणा पितृलोकः'** अर्थात् कर्म (अविद्या या व्यवहारिक ज्ञान) से पितृलोक की प्राप्ति होती है, इत्यादि वचनों का तात्पर्य भी इसके अनुरूप है। यजुर्वेदीय महर्षि ने कहा है—**जो अनात्मज्ञान की उपासना करते हैं, वे गाढ़ अन्धकार में जाते हैं। जो केवल आत्मज्ञान में रमते हैं, वे तो उनसे भी मानो अधिक अन्धकार में जाते हैं।**[3] यहाँ महर्षि ने केवल अविद्या की उपासना से अज्ञानरूपी अन्धकार में प्रवेश और विद्या द्वारा उससे भी अधिक घोर अन्धकार में प्रवेश कह कर दोनों की एक साथ उपासना करने का आग्रह किया है। वास्तव में अविद्या या शास्त्रीय विद्या साधन है और विद्या या आत्म-विद्या साध्य है। साधन के बिना साध्य की प्राप्ति असम्भव है और साध्य की प्राप्ति के बिना साधन निष्फल है। साध्यसाधन की दृष्टि से जब अविद्या और विद्या साध्य होती है तब उनका परम साधन शिक्षा ही होती है। शिक्षा द्वारा ही दोनों का आदान-प्रदान होता है। क्रिया और ज्ञान इन दोनों का समन्वित रूप ही लक्ष्य की सिद्धि में सफल हो सकता है। एकाङ्गी किसी भी प्रकार से लक्ष्य सिद्धि में सहायक नहीं हो सकता। क्योंकि अग्निपुराण में **ज्ञान को प्रधानता तभी दी गई है जब कि क्रिया पक्ष उनके साथ हो, इसी प्रकार कर्म को भी ज्ञान से हीन महत्त्व नहीं दिया गया, जिस प्रकार एक पक्ष में पक्षी आकाश में उड़ने**

---

१. 'अन्यदेवाहुर्विद्ययान्यदाहुरविद्यया'। ईशावास्योपनिषद्—१०

२. अथ त्रयो वाव लोका मनुष्यलोकः पितृलोको देवलोक इति सोऽयं मनुष्यलोक पुत्रेणैव जय्यो नान्येन कर्मणा पितृलोको प्रशसन्ति ॥
बृहदारण्यकोपनिषद्—१/५/१६

३. अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते ।
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः ॥ यजुर्वेद—४०/९
ईशावास्योपनिषद्—९

में समर्थ नहीं होता, उसी प्रकार एकाङ्गी ज्ञान से अर्थात् क्रियाहीन ज्ञान भी सफलता प्रदान नहीं कर सकता है।[1] अविद्या या शास्त्रीय विद्या के प्रसार के लिए आचार्य को '**अष्टवर्षं ब्राह्मणमुपनयति तं वेदमध्यापयीत**' आदेश दिया गया है तथा विद्या या परा विद्या की प्राप्ति के लिए साधक को '**आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः**,'[2] यह उपदेश दिया गया है। इस प्रकार आचार्य कृत अध्यापन और साधक (शिष्य) कृत श्रवणादि शिक्षा के ही रूप हैं।

ब्रह्मत्व की प्राप्ति तथा सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए 'आध्यात्मिकता एवं भौतिकता' दोनों ही परमावश्यक हैं। जिसमें समाजोचित मानवीय गुणों की अभिवृद्धि का मूल कारण आध्यात्मिक प्रशिक्षण का सर्वोपरि स्थान है। मानवीय जीवन में दोनों चिन्तन परम्पराओं का समान स्तर होने पर भी परमलक्ष्य की प्राप्ति में आध्यात्मिकता ही विशेषरूप से हमारे सामने रहती है। कहा भी गया है—**जो आत्मज्ञान तथा प्राकृतिक-विज्ञान इन दोनों को एकत्र जानता है वह प्रकृति विज्ञान से मृत्यु को दूर करके आत्म-ज्ञान से अमरत्व को प्राप्त करता है।**[3] कहने का अभिप्राय यह है कि आत्मा का ज्ञान और सृष्टि का विज्ञान ये दो प्रकार की विद्याएँ मनुष्य की उन्नति के लिए समान उपयोगी हैं। आत्म-विद्या से आत्मिक बल बढ़ता है, शान्ति प्राप्त होती है तथा मन का समाधान होता है। इसी प्रकार सृष्टि की विद्या से ऐहिक उत्कर्ष के साधन प्राप्त होते हैं। इस कारण इन दोनों विद्याओं से मनुष्य की वास्तविक उन्नति होती है। इस मन्त्र में शिक्षा को ही मृत्यु से तर जाने और अमृतत्व को प्राप्त कर लेने का श्रेय दिया गया है। शास्त्रीय विद्या और पराविद्या दोनों की प्राप्ति का साधन शिक्षा ही है, यह कहा जा चुका है। किन्तु ज्ञान और विज्ञान क्या है? इस स्वरूप के सम्बन्ध में प्रकाश डालना अपेक्षित है। संस्कृत वाङ्मय में 'ज्ञान और विज्ञान' ये दोनों शब्द विविध प्रकार के अर्थों में विभिन्न रूप से व्यवहृत देखे जाते हैं। आज की प्रचलित भाषा में सामान्यतः 'ज्ञान' जानने के अर्थ में

---

१. ज्ञानप्रधानं न तु कर्महीनं न तु ज्ञानहीनम्।
तस्मात्तयोरेवमवेत्प्रसिद्धि नत्वेकपक्षः विहगः प्रयाति ।। अग्निपुराण

२. ब्रह्मसूत्र—१.१.२३

३. विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय ँ सद्।
ऽवि वद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते ।।
यजुर्वेद—४०/१४ ईशावास्योपनिषद्—१४

तथा 'विज्ञान' शब्द एक निश्चित सिद्धान्त के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसका तात्पर्य यह है कि इंगलिस 'साइंस' शब्द का अनुवाद 'विज्ञान' शब्द से किया जाता है। 'साइंस' के विविध भेदों का प्रयोग या व्यवहार यहाँ भी विज्ञान में विभिन्न विशेषण लगाकर करते हैं, यथा—भौतिक-विज्ञान रसायन-विज्ञान, मनोविज्ञान, सामाजिक-विज्ञान आदि-आदि। अमर-कोषकार इसके सम्बन्ध में लिखते हैं **"मोक्षो धीर्ज्ञानमन्यत्र विज्ञानं शिल्पशास्त्रयोः"** अर्थात् मोक्ष के सम्बन्ध में जो विचार किया जाय, उस विचार और बुद्धि को 'ज्ञान' कहते हैं। उसके अतिरिक्त शिल्प या शास्त्र विषयक बुद्धि को विज्ञान कहते हैं। शिल्प अर्थात् कारीगरी, धर्म-अर्थ और कामना सम्बन्धी जो विचार होते हैं, वे विज्ञान कहे जाते हैं। किन्तु दार्शनिक शब्द में इनका अर्थ कुछ भिन्न है। जैसा कि श्रीमद्भगवद्गीता में इस सम्बन्ध में कहा गया है—हे अर्जुन! **अब मैं तुझे विज्ञान सहित वह ज्ञान विशेषरूप से कहता हूँ, जिसके जान लेने पर कुछ भी शेष नहीं रहता। इसलिए अब मैं तुमको अत्यन्त गुप्त विज्ञान-सहित ज्ञान का उपदेश करूँगा, क्योंकि तुम सत् पात्र हो। गुणों में दोष निकालने की तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं है। ऐसे ज्ञान-विज्ञान को जानकर तुम शोक-मोह आदि अशुभात्मक दोष से विमुक्त हो जाओगे।**[2] इस प्रकार ज्ञान और विज्ञान तथा विज्ञान सहित ज्ञान के उपदेश का विषय बतलाया गया है। इस विषय विश्लेषण से यह प्रतीत होता है कि जब तक वस्तु या पदार्थ के बाह्य और आभ्यन्तर तत्त्व का ज्ञान नहीं होता, तब तक सर्वाङ्गीण विकास नहीं माना जा सकता। इसलिए 'ज्ञान और विज्ञान' इन दोनों का विश्लेषणात्मक स्वरूप जानना आवश्यक है। ज्ञान तथा विज्ञान के बिना 'विद्या' सम्भव नहीं है तथा विद्या के बिना मनुष्य को सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि—**विद्या के बिना मनुष्य को सुख प्राप्त नहीं हो सकता। सुख के लौकिक और अलौकिक दो रूप हैं—एक सुख त्रि-वर्ग से अर्थात् धर्म-अर्थ और काम से सम्बन्धित है**[1] **तथा दूसरा सुख मोक्ष से, दोनों**

---

१. न हि विद्या बिना सौख्यं नराणां जायते ध्रुवम्।
अतो धमार्थमोक्षेभ्यो विद्याभ्यासं समाचरेत्॥

२. ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः।
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते॥ श्रीमद्भगवद्गीता—७/२
इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे।
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्॥
श्रीमद्भगवद्गीता—९/१

प्रकार के सुख की प्राप्ति के लिए विद्याभ्यास (ज्ञान अर्थात् शिक्षा की प्राप्ति) अवश्य आचरणीय है। कहा भी गया है—**दुःख का मूल कारण अज्ञान है, जिसकी निवृत्ति का मार्ग ज्ञान है। ज्ञान के बिना कुछ भी प्राप्तव्य नहीं है,**[1] अर्थात् ज्ञान मोक्ष-दाता है, ज्ञान के द्वारा ही 'दुःख-त्रय' अर्थात् आधिदैविक आधिभौतिक और आध्यात्मिक दुःखों से निवृत्ति सम्भव है। जैसा कि कहा गया है—**नमो वः पितरः स्वधायै''** अर्थात् जो ज्ञान से पवित्रात्मा होता है, वह सभी दुःखों (दुःख-त्रय) से रहित हो मोक्ष सुख को प्राप्त करता है!

शुक्ल-यजुर्वेदीय शाखा में परब्रह्म परमेश्वर स्वरूप आत्मतत्त्व की प्राप्ति के लिए ज्योतिः पुञ्ज सूर्यमण्डल रूप पात्र से अज्ञानरूपी आवरण के निवारण हेतु स्तुति में कहा गया है—**सत्य (ज्ञान) का मुख स्वर्ण-पात्र से ढका हुआ है।** सत्य **(ज्ञान के दर्शन) के लिए, हे साधक! तू उसे हटा दे।**[2] सत्य का अर्थ है—**'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म'** अर्थात् सत्य ज्ञान अनन्त ब्रह्म है, ऐसा श्रुति भी कहती है। इसीलिए ऋग्वेदीय महर्षियों ने कहा है—**सत्य के केन्द्र से ज्ञान फैले।**[3] **'ब्रह्म'** शब्द नारायण वाचक है। **'सत्त्वान् सत्त्विकः सत्यः सत्य-धर्मपरायणः'**[4] ये शब्द नारायण के वाचक हैं। शुक्ल-यजुर्वेद[4] में कहा गया है कि परब्रह्म परमेश्वर सूर्य के समान स्वप्रकाश स्वरूप ज्योति है। **'वाचं मे तर्प्पयत्'**[5] अर्थात् हे सभ्यजनो! तुम अपनी सत्यप्रिय और हितकर वचनों से मेरी वाणी को तृप्त करो। **'वच मे पिन्व'**[6] अर्थात् तू मेरी वाणी को सींच, मेरी वाणी में सरसता और कोमलता का सञ्चार कर दे। मेरी वाणी को उत्तम शिक्षा से युक्त कर। क्योंकि गरिमायुक्त वाणी से ही मानव मृदु-भाषी होते हुए स्वजनों में उपयुक्त स्थान प्राप्त करता है। वाणी की महिमा का वर्णन करते हुए आचार्य शिष्य को उपनयन संस्कार के पश्चात् ज्ञान के

---

१. दुःखस्य मूलमज्ञानं दुर्गते गूढकारणम्।
बिना ज्ञानमयीं शक्ति न सिध्येदिह किञ्चन ॥

२. हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्।
तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥
यजुर्वेद—४०/१५, ईशावास्योपनिषद्-१५

३. 'प्र ब्रह्मैतु सदनादृतस्य'। ऋग्वेद—७/३६/१

४. महाभारत (अनुशासनपर्व)—विष्णु सह० श्लो०-१०६

५. शुक्लयजुर्वेद—२३/४८

६. यजुर्वेद—१४/१७

महत्त्व को समझाते हुए उपदेश देता है—**सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो, प्रिय असत्य मत बोलो**।[1] इसी उद्देश्य से आचार्य अध्ययनार्थी को शुद्ध, स्पष्ट और स्वरानुसार उच्चारण का अभ्यास करने का निर्देश देता है।

श्रीमद्भगवद्गीता में 'वाङ्मय-तप' के प्रसङ्ग में कहा गया है—**प्रारम्भ से ही गुरुकुल में आचार्य द्वारा बालक को उद्वेगकर तथा सत्यप्रिय हितात्मक वाक्यों का अभ्यास कराना चाहिए, जिससे अन्य प्राणियों को कष्ट न हो**।[2] यही वाणी का सार्थक्य है। प्रत्यक्ष में भी यदि किसी व्यक्ति को स्व-कथित वाक्यों के अनुरूप आचरण करने में थोड़ी बहुत भी असुविधा होती है, तो वह अपना कथन वापस ले लेता है। ऐसा करना भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अनुरूप नहीं है। कविश्रेष्ठ आचार्य तुलसी ने वाणी की महिमा का वर्णन करते हुए अयोध्या नरेश दशरथ से सूर्यवंश की प्रशस्ति में कहलवाया है—**'रघुकुल रीति सदा चलि आई। प्राण जाँय पर वचन न जाई'**।[3] **'रामो द्विनोभिभाषते'**।[4] **चन्द्र टरै, सूरज टरै टरै सकल व्यौहार। पै दृढ़ श्रीहरिचन्द को टरै न सत्य विचार**। इसलिए जो व्यक्ति कामवाद को छोड़कर हित, मित और सत्य वचन बोलता है, उसकी वाणी में **'सत्य-प्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्'** इस प्रमाण के अनुसार जो बात निकलती है, वह तत्क्षण प्रभावित करने वाली और फलदायिनी होती है। इसके विपरीत अशुभ-वचनों का प्रयोग करने से मानव समाज में हीन-दृष्टि को प्राप्त करता है। जैसाकि आचार्य **मनु** का कथन भी है—**कठोर वचन, मिथ्या-भाषण, चुगलखोरी, बेतुकी बातें करना—जिससे कहने वाले और सुनने वाले का कोई लाभ न हो, इस से वाणी का दुरुपयोग होता है तथा परलोक में पशु-पक्षियों की योनि प्राप्त होती है**।[5] अतः अन्तर्निहित भावों की अभिव्यक्ति और भाषा

---

१. सत्यं वद। प्रियं वद। सत्यमप्रियं मा वद। प्रियं चासत्यं मा ब्रूहि।

२. अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्।
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते॥

श्रीमद्भगवद्गीता-१७/१५

३. रामायण अयोध्याकाण्ड—१३/२

४. वाल्मीकि रामायण (अयोध्या काण्ड)

५. पारुष्यमनृतं चैव पैशुन्यं चापि सर्वशः।
असम्बद्धप्रलापश्च वाङ्मयं स्याच्चतुर्विधम्॥ मनुस्मृति—१२/६

शिक्षण में शुद्धोच्चारण पूर्वक सुस्पष्ट वाणी का अत्यधिक महत्त्व है। इसी-लिए महर्षियों ने अन्तर्निहित भावों की अभिव्यक्ति के लिए ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित करते हुए शुद्धोच्चारण पूर्वक भावों को अभिव्यक्त करने का निर्देश दिया है। जैसाकि वाग्देवी सरस्वती की अर्चना के समय विद्या (ज्ञान) के महत्त्व को प्रतिपादित करते हुए कहा गया है—**विद्या (ज्योति अर्थात् ज्ञान) बुद्धि की जड़ता को दूर करती है अर्थात् मानव मन-मस्तिष्क में व्याप्त अज्ञानरूपी तिमिर (अन्धकार) का विनाश करते हुए उसे नैसर्गिक गुणों को बाहर की ओर प्रकट करती है, वाणी में सत्य का सिञ्चन करती है, धर्मा-चरण में प्रवृत्ति द्वारा सम्मान बढ़ाती है, पापों को दूर करती है, चित्त को प्रसन्न करती है, विभिन्न शास्त्र रचना और साहित्यिक संगोष्ठियों के माध्यम से दिशाओं में कीर्ति फैलाती है। अतः कल्प-वृक्ष के समान विद्या द्वारा क्या साध्य नहीं है,**[१] अर्थात् विद्या द्वारा मानव मात्र की समस्त कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं, तथा वह इस योग्य बन जाता है कि अर्थोपार्जन द्वारा आत्म-निर्भरता को प्राप्त होता हुआ जन-कल्याण की भावना से विभिन्न समाजो-चित कार्यों में प्रवृत्त रहता है। इस प्रकार शिक्षा हमारे लिए प्रेरणा-स्रोत और मार्गप्रदर्शिका के रूप में कार्य करती है। अन्य स्थान पर शिक्षा को माता-पिता और पत्नी के सदृश हितकारी और मनोरञ्जनदात्री बताते हुए कहा गया है—**जिस प्रकार माता असहाय अवस्था में शिशु का पालन-पोषण, समाजोचित व्यावहारिक ज्ञान और आध्यात्मिक प्रशिक्षण प्रदान कर रक्षा करती है, ठीक उसी प्रकार विद्या (ज्ञान) भी उसे आत्म-संरक्षण प्रदान करते हुए समाज में उसके हितों की रक्षा करती है। कान्ता के सदृश विभिन्न ऐश्वर्यादि साधनों को सुलभ कराते हुए दुःखों को दूर कर मन को प्रसन्नता देती है। धन-धान्यादि की पूर्ति करते हुए उसे वैभवशाली बनाती है तथा चारों दिशाओं में कीर्ति फैलाती है। इस प्रकार विद्या कल्प-लता के समान हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्णता प्रदान करते हुए योग्यता में वृद्धि, राज-सभा और जन-समुदाय में आदर तथा धन और यश को उपलब्ध कराते हुए हमें धार्मिक और लोक-हित के पुण्यकर्मों की ओर प्रवृत्त करते हुए हमारे**

---

१. जाड्यं धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यम्
मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति।
चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं
किं किं न साधयति कल्पलतेव विद्या॥ भर्तृहरिशतकत्रय—४१

सर्वाङ्गीण विकास का मार्ग प्रशस्त करती है ।[1] इस कथन द्वारा भी यही प्रतीत होता है कि मानव के व्यक्तित्व विकास में विद्या (ज्ञान) का ही महत्त्वपूर्ण योगदान है ।

प्रसिद्ध शिक्षा-मर्मज्ञ **डेनियल विबिस्टर के कथनानुसार—ज्ञान में वे सारी बातें समाहित नहीं होती, जो शिक्षा जैसे विशद अर्थ वाले शब्द में । भावनाओं का प्रशिक्षण, वासनाओं का निषेध, सच्ची और वाञ्छनीय प्रेरणाओं को प्रोत्साहन, गम्भीर धर्म-भाव का उदय और विशुद्ध नैतिकता का निर्माण शिक्षा द्वारा ही सम्भव है ।** इस कथन के द्वारा हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ज्ञान का साधन विद्या है और प्राप्ति का उपाय शिक्षा है । शिक्षा का क्षेत्र व्यापक है, जहाँ बौद्धिक विकास के लिए भी अवसर प्राप्त हो जाता है । श्रीमद्भगवद्गीता में कहा गया है—**अजितचित्त वाले पुरुष की आत्मज्ञान विषयक बुद्धि नहीं रहती, आत्मज्ञान विषयक बुद्धि न होने पर उस अजितेन्द्रिय पुरुष के अन्तःकरण में निदिध्यासनात्मक भावना नहीं होती अर्थात् वह परमात्मा का ध्यान नहीं कर पाता और आत्म-भावना न करने वाले पुरुष को शान्ति नहीं प्राप्त होती, अशान्त पुरुष को मोक्ष का आनन्द कैसे प्राप्त हो सकता है ?**[2] इसी जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए शिक्षाविदों ने आत्म-ज्ञान की प्राप्ति हेतु तथा समस्त सांसारिक बन्धनों से विनिर्मुक्त होने के उद्देश्य से ज्ञानालोक की प्रवृत्ति हेतु ज्ञान-सरिता में निमज्जन करने का निर्देश दिया है ।

आचार्य विद्यारण्य के मतानुसार मानव ज्ञानामृतपान द्वारा संसार की निःसारता को प्राप्त कर परमात्मपद की ओर प्रवृत्त होता हुआ जीवन्मुक्त हो जाता है । इसी प्रकार वेद में भी कहा गया है—**प्रजापति में तीन**

---

१. मातेव रक्षति पितेव हिते नियुङ्क्ते
कान्तेव चाभिरमयत्यपनीय खेदम् ।
लक्ष्मीं तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्तिं
किं किं न साधयति कल्पलतेव विद्या ।।
सुभाषितरत्नभाण्डागार—३१/१४

२. नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना ।
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् ।।
श्रीमद्भगवद्गीता-२/६६

ज्योति हैं,[1] अर्थात् वाक्-शक्ति, मनन-शक्ति और ज्ञान-शक्ति रूप तीनों ज्योतियों को उन्नत कर हृदयस्थित परमात्मतत्त्व की प्राप्ति सम्भव है। ये तीनों शक्तियाँ परस्पर सम्मिश्रित हैं। वाक्-शक्ति के प्रयोग में मनन-शक्ति और ज्ञान-शक्ति भी निहित है। वाणी के द्वारा किसी भी अर्थ का बोध कराते समय मनन-शक्ति और ज्ञान शक्ति का भी उपयोग होता है। यह वाक्-शक्ति आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक शक्ति के विकास का प्रमुख साधन है। वैदिक मनीषियों ने प्रजापति की तीन ज्योतियों के रूप में वाक्-शक्ति, मनन-शक्ति और ज्ञान-शक्ति को पहचानते हुए मानव समाज के लिए इन शक्तियों के सद्-उपयोग की शिक्षा दी है। वस्तुतः वाक् आदि शक्तियाँ प्राणिमात्र में जन्मकाल से ही विद्यमान हैं, तथापि यह तो निश्चित ही है कि वाक्-शक्ति का चरम विकास मनुष्य-जाति में ही देखा जाता है। इसी आधार पर मनन-शक्ति और ज्ञान-शक्ति भी मानव में चरम विकास के रूप में प्राप्त हुई है, ऐसा माना जाता है।

आध्यात्मज्ञानी वैदिक चिन्तकों ने ब्रह्मतत्त्व का विवेचन करते हुए राष्ट्र-पुरुष के विभिन्न अङ्गों के रूप में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्त्तव्यों का उल्लेख किया है। ये सभी वर्ण ज्ञान के माध्यम से राष्ट्र-पुरुष के शरीर में अनुकूल बनकर रहते हैं तथा ज्ञान से ही सबका योग्य निवास होता है। वैदिक मन्त्रों का अभिप्राय है कि ज्ञान ही हमें अपने आपको नीच न मानने और दूसरे को दीन-हीन न समझने की शिक्षा देता है। इसी प्रकार आधिदैविक भावों की अनुकूलता की चर्चा इन मन्त्रों में प्राप्त होती है। वर्तमान में आधिदैविक भावों की अनुकूलता के कारण ही मानव विभिन्न वैज्ञानिक अनुसंधानों के माध्यम से उपलब्ध आणविक शक्ति के सञ्चय से समाज की अभ्युन्नति में संलग्न है। इसके अतिरिक्त भी अन्य अनेक वैज्ञानिक आविष्कारों के माध्यम से जन-हित के लिए ऐश्वर्यादि साधनों को सुलभ कराने का प्रयास किया जा रहा है। अतः वेद में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है—**ज्ञान ही देवों को अनुकूल बनाकर बसाता है। ज्ञान ही दिव्य जनरूप प्रजा को अनुकूल बनाकर बसाता है। ज्ञान ही उत्तम क्षत्र है, ऐसा कहा जाता है। ज्ञान से भिन्न दूसरा बल नहीं है।**[2] इस प्रकार वेद के विभिन्न मन्त्रों में

---

१. ज्योतींषि यानि त्रीणि प्रजापतौ। अथर्ववेद-१०/७/४०

२. ब्रह्म देवाँ अनु क्षियति ब्रह्म दैवजनीर्विशः।
ब्रह्मेदमन्यन्नक्षत्रं ब्रह्म सत्क्षत्रमुच्यते॥ अथर्ववेद—१०/२/२३

आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक विकास के लिए ज्ञान के महत्त्व की शिक्षा दी गई है।

आचरण की शुद्धता—आचार-विचार और खान-पान का मानव जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इस सारगर्भित तथ्य से प्रभावित हो मन्त्रद्रष्टा महर्षियों ने हमें धर्मशास्त्र निर्दिष्ट आचार संहिता प्रदान की है, जिसमें पूर्णतः वैज्ञानिकता समाहित है। यह आचार संहिता मानव कल्पित विचारधारा पर आधारित नहीं है अपितु प्रकृतिस्थ गुणों पर संघटित है। जिन्हें साधना फलस्वरूप मन्त्रद्रष्टा महर्षियों ने प्रत्यक्ष किया है। अतएव हमारे यहाँ धार्मिक व्यवस्था को ईश्वरीय विधान (नियम) कहा जाता है। धार्मिक कृत्यों के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े विधान को वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक सिद्धान्त की कसौटी पर सही पाया है। मनुष्य बुद्धि द्वारा संघटित नियमों का परिवर्तन और परिवर्द्धन तो मनुष्यान्तर से सम्भव है, किन्तु ईश्वर प्रणीत नियमों का परिवर्तन मनुष्यों के द्वारा सर्वथा असम्भव है। शास्त्रवचन के अनुसार ईश्वर भी अपने नियमों को बदलता नहीं है।

शास्त्र निर्दिष्ट धर्मोपदेशों के अनुरूप आचरण करने से मानव का चित्त आह्लादित और मन स्वस्थ रहता है। यज्ञादि अनुष्ठानों के समय प्रयुक्त कुशा, मृगचर्म, ऊर्ण-वस्त्र और रेशमी-वस्त्र को पवित्र माना गया है तथा उसे आसन और उत्तरीय के रूप में अपनाने का निर्देश दिया गया है। जैसाकि **श्रीमद्भगवद्गीता** में कहा गया है—"**चैलाजिनकुशोत्तरम**" अर्थात् कुश मृग-चर्म, ऊन और रेशम के वस्त्र को क्रमशः उत्तरोत्तर रखे जायें। पूजा-स्थल भी आवृत होना चाहिए, ऐसा नियम है। इनके तथ्यान्वेषण से ज्ञात होता है कि इन वस्तुओं में विद्युत-शक्ति प्रसृत नहीं होती। जप-पूजा के द्वारा अन्तः-करण में सञ्चित शक्ति को पृथ्वी अपनी आकर्षण शक्ति से समाहित न करले, इसलिए सन्ध्या वन्दन के समय अवरोधक वस्तु के रूप में इनका ग्रहण किया जाता था। इसी प्रकार सूर्य-मण्डल तपश्चर्या द्वारा अर्जित शक्ति को अपनी ओर आकृष्ट न करले, आवृत (आच्छादित) स्थान का ग्रहण किया जाता है।

'**पूजा**' आदि प्रत्येक, धार्मिक कृत्यों के आरम्भ में शास्त्रोक्त मर्यादा-नुसार '**आचमन**' करने का विधान है। इस क्रिया का रहस्योद्घाटन करते हुए **शतपथब्राह्मण** के प्रारम्भ में प्रश्न उठाया गया है कि सर्वप्रथम आचमन क्यों किया जाता है? ब्राह्मण-वाक्य द्वारा इसके उत्तर में कहा गया है—(i) जल का स्वभाव मलिनता को धोना है तथा (ii) दो वस्तुओं को आपस में मिलाना

है। इसीलिए जल को पवित्र और मेध्य माना गया है।[1] 'पवित्र' शब्द का अर्थ शोधन करना और 'मेध्य' शब्द का अर्थ परस्पर योग-शक्ति को उत्पन्न करना है। यहाँ दोनों शक्तियों की आवश्यकता है। क्योंकि मनुष्य के समक्ष यदा कदा ऐसे अवसर आते हैं जिनका लाभ लेने के लिए उसे झूठ का सहारा लेना पड़ता है अथवा यों भी कहा जा सकता है कि निजस्वार्थ वशीभूत हो वह तथ्यों को उस ओर मोड़ता है, जो झूठ की नींव पर आधारित होते हैं। परिणामत: उसका अन्त:करण मालिन्य और अशान्त हो उठता है। मन, कर्म और वचन में विसंगति होने लगती है। जिसके कारण मिथ्या-भाषण और अन्य अनेक दूषित भावों से अन्त:करण में मलिनता उत्पन्न होने लगती है, कु-संस्कार जाग्रत होने लगते हैं तथा मानव पथभ्रष्ट हो जाता है। इस मालिन्य के प्रच्छालन के निमित्त ही सन्ध्या वन्दन और यज्ञादि अनुष्ठानों के समय आचमन का विधान किया गया है। यज्ञादि अनुष्ठानों के द्वारा जो नये संस्कार उत्पन्न होते हैं, उन्हें आचमन की प्रक्रिया द्वारा अन्त:करण में समाहित किया जाता है।[2] जैसे मलिन वस्त्र पर रंग विशेष का संश्लेषण सम्भव नहीं है अथवा स्थूल वस्तुओं से पूरित घट में घटाकाश की कल्पना असम्भव है, उसी प्रकार मलिनान्त:करण में सत् संस्कारों का संश्लेषण सम्भव नहीं है। अत: अन्त:करण की शुद्धि के लिए सर्वप्रथम धार्मिक कृत्यों में आचमन का विधान किया गया है। धार्मिक कृत्य मानव को अभ्युदय और नि:श्रेयस् प्रदान करते हैं।

भारतीय संस्कृति की यह विशेषता है कि हम अपने विचारों को स्वतन्त्रता पूर्वक अभिव्यक्त कर सकते हैं। किन्तु आचार की स्वतन्त्रता का निषेध है। हमारा व्यक्तिगत जीवन सामाजिक परिस्थितियों को पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है। अत एव मनीषियों ने व्यक्तिगत आचरण की शुद्धता पर भी विशेष बल दिया है। हमारे प्राचीन महर्षियों ने प्रात:काल शय्या

---

१. तद्यदपऽउपस्पृशत्यमेद्धयो वै पुरुषो यदनृतं वदति तेन पूतिरन्तरतो मेद्धया वा आपो मेद्धयो भूत्वा व्रतपाऽयानीति पवित्रं वा आप: पवित्रपूतो व्रतमुपाऽयानीति तस्माद्वा अप-उपस्पृशति। शतपथब्राह्मण—१/१/१/१

२. ॐ ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि नम: स्वाहा।
ॐ ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नम: स्वाहा।
ॐ क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नम: स्वाहा।
ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नम: स्वाहा।।

त्यागने से प्रारम्भ कर दिनभर विभिन्न प्रकार के मनुष्यों द्वारा सम्पादनीय कर्मों का विशद् विवेचन किया है तथा प्रत्येक कर्म के सम्पादन की उचित विधि का पालन करने पर बल दिया है। शास्त्रों में जहाँ कर्तव्य का सम्मुलेख किया गया है, वहाँ सर्वत्र आचरण की शुद्धता को उचित महत्त्व दिया गया है।

बुद्धि की श्रेष्ठता शुद्धाचरण की अभिव्यक्ति पर आधारित है। शुद्धाचरण ही अभ्युदय और निःश्रेयस् के मार्गप्रशस्तीकरण का मात्र कारण है। यह सच्चरित्रता का आधार स्तम्भ है। वेदनिष्ठ महर्षियों ने धर्मशास्त्र प्रतिपादित सिद्धान्तों के आधार पर आचरण करने का निर्देश दिया है। उनके मतानुसार **सत्य बोलो, धर्म के अनुरूप आचरण करो तथा स्वाध्याय के साथ प्रमाद न करो आदि।**[1] समस्त नीति बोधात्मक उपदेश और आचरण सम्बन्धी विचार वेदों में मिलते हैं, जिन्हें कालान्तर में नीति के प्रमाण माने गये हैं। धर्मनिष्ठ आचार्य मनु का श्रुति-वाक्य भी यही प्रमाणित करता है—**वेद ही अखिल धर्म का मूल है।**[2] जिसमें मानव के मानवीय गुणों को धारण करने वाले समस्त तत्त्वों का स्पष्टीकरण किया गया है। **यजुर्वेदीय** मन्त्रों में स्पष्ट निर्देश दिया गया है—**मैं तेरी वाणी को शुद्ध करता हूँ। तेरे प्राणों को शुद्ध करता हूँ। तेरी आँखों को शुद्ध करता हूँ। तेरे कानों को शुद्ध करता हूँ। तेरी नाभि को शुद्ध करता हूँ। तेरे आचरण और पैरों को शुद्ध करता हूँ।**[3] इस प्रकार वैदिक मन्त्रों के माध्यम से महर्षियों ने मानवजाति को स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि मनुष्य को न तो कटु वचन बोलने चाहिए, न ही अभद्र देखना चाहिए और न ही अभद्र-व्यवहार करना चाहिए। अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने भी वैदिक मन्त्रों के अनुशीलन के आधार पर विश्व को बुरा देखने, सुनने और कहने का निषेध किया है। बुराई अर्थात् अशिष्ट आचरण सम्पूर्ण विनाश का मूल कारण है। अतःसम्पूर्ण वैदिक और लौकिक साहित्य विश्व समुदाय को शुद्धाचरण करने का आदेश

---

१. सत्यं वद्। धर्मं चर। स्वाध्यायान्माप्रमदः···।

तैत्तिरीयोपनिषद्—११/१

२. वेदोऽखिलो धर्ममूलम्। मनुस्मृति—२/६

३. वाच ते शुन्धामि, प्राणं ते शुन्धामि।
चक्षुस्ते शुन्धामि, श्रोत्रं ते शुन्धामि।
नाभिं ते शुन्धामि···चरित्राँस्ते शुन्धामि॥ यजुर्वेद—६/१४

देता है। शुद्धाचरण के अनुपालन से ही मानव में परोपकार, त्याग, प्रेम-भाव, न्याय आदि की भावना तथा सत्य-वचन के प्रति निष्ठा जाग्रत होती है, जिससे मानवमात्र में नैतिकता के गुण विकसित होने लगते हैं। शिक्षा के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए हरबर्ट ने कहा है कि—**अच्छे नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा है। शिक्षा व्यक्ति को अपनी मूल प्रवृत्तियों पर नियन्त्रण करना, उनका मार्गान्तीकरण करना तथा शोधन करना सिखलाती है।** जिससे बालक के आचरण में सुधार होता है तथा वह अपनी शक्ति राष्ट्र-नवनिर्माण के कार्यों तथा समाज सुधार सम्बन्धी योजनाओं को क्रियान्वित करने में लगाता है। इसीलिए कहा भी गया है—**मनुष्य आचार से ही श्रेष्ठ होता है, न कि धन से अथवा विद्या से।**[1] अन्यत्र भी कहा गया है—**आचार-हीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते हैं।**[2] अतः शिक्षा-शास्त्रियों ने शिक्षा-पाठ्यक्रम के अन्तर्गत आचरण की शिक्षा को समाहित करने का निर्देश दिया है, जिसके अन्तर्गत सर्वधर्म मान्य उपदेशों, महापुरुषों का जीवन-चरित्र और उनके द्वारा सुझाये गये मार्ग को अपनाने का निर्देश दिया है।

नैतिक-शिक्षा—वेद वर्णित संगठित समाज के चरम विकास सम्बन्धी विचारों, क्रियाकलापों और प्रक्रियाओं का नाम 'नीति' है। 'नीति' संगत प्रक्रियाओं का परिचय प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो, इस दृष्टि से महर्षियों ने आध्यात्मिकता से अनुप्राणित यज्ञादि अनुष्ठानों की परिचर्चा में मानवीय गुणों की विस्तृत व्याख्या की है, जिसे वैदिक वाङ्मय में धर्म के नाम से अभि-हित किया गया है। 'धर्म' नीति प्रधान गुणों का बोधक है, जिसके द्वारा आचार-संहिता की रूपरेखा प्रस्तुत कर मानव-समाज को उसके अनुरूप आचरण करने का स्पष्ट संकेत दिया गया है। देव-गण व श्रेष्ठ पुरुष धर्म संज्ञक आचार-संहिता द्वारा निर्दिष्ट नैतिक नियमों के अनुरूप प्रवृत्त होते हुए ऋत्-मार्ग पर चलने की शिक्षा प्रदान करते हैं। जैसाकि ऋषि वाक्य भी है—**ऋत् अर्थात् नैतिकता के मार्ग पर चलने वाले वरुण से हम इन्द्रिय शक्तियों को प्राप्त करें। नैतिकता के मार्ग पर चलने से इन्द्रियाँ शक्ति सम्पन्न होती हैं।**[3] जिसके कारण शारीरिक सबलता, आत्मशुद्धि और निग्रह द्वारा उत्पन्न स्वच्छ विचार चञ्चल मन को केन्द्रित कर उसे आध्यात्म-चिन्तन की ओर

१. वृत्तेन हि भवत्यार्यो, न धनेन न विद्यया ।
२. आचारहीनान्न पुनन्ति वेदाः ।
३. ऋतस्य ते खां ऋध्याय ।

प्रवृत्त करते हुए पुरुषार्थचतुष्टय की अन्तिम परिणति में सहायक सिद्ध होते हैं। पुरुषार्थचतुष्टय की प्रथम सीढ़ी 'धर्म' है। अतः नैतिक आचरण के विकास के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम में सर्वधर्म समन्वित आदर्श भावों को संगृहीत कर धर्म निर्दिष्ट आचरण के अनुरूप अध्ययनार्थियों को प्रशिक्षित करने का प्रयास किया जाता है। आचरण की शुद्धता से न केवल अन्तःकरण निर्मल होता है, अपितु मन-मस्तिष्क में स्वच्छ और उच्चभाव उत्पन्न होने से सुख और शान्ति मिलती है। आपसी सहयोग और अनुराग की भावना उत्पन्न होती है। सह-अस्तित्व और विश्वबन्धुत्व के भाव विकसित होते हैं। इन्द्रिय-निग्रह द्वारा चित्त विषयों की ओर आसक्त नहीं होता, जिसके कारण बुद्धि-प्रखर होती है, आत्म-बल दृढ़ होता है तथा शरीर सबलता को प्राप्त करता है। यही नैतिकता का मूल उद्देश्य है।

यजुर्वेद में ब्रह्मचारी के लिए कहा गया है—**हे ब्रह्मचारी ! तुम स्वयं शमदमादि नियमों से अपने को समर्थ बनाओ। अपने शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक आदि सामर्थ्य को विकसित करने के लिए स्वयं देवाराधनादि सत्कर्म का पालन करो।**[1] क्योंकि इन्द्रियों का संयम तथा देवाराधन ही मनुष्य को देवतुल्य बना देता है। '**मरणं बिन्दुपातेन जीवनं बिन्दुधारणात्**' इस वाक्य में ब्रह्मचारी को ब्रह्मतेज की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य नियम का कठोर रूप से पालन करने का निर्देश दिया है। **देवता लोगों ने भी इस कठोर नियम का पालन करते हुए मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी।**[2] अतः सम्पूर्ण मानव जीवन का मूलाधार ब्रह्मचर्य माना गया है। जिसके लिए महर्षि पतञ्जलि ने '**योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः**'[3] द्वारा चित्तवृत्तिनिरोध का उपदेश दिया है। ब्रह्मचर्याश्रम में भावी जीवन के निर्माण के लिए समस्त प्रकार के तितिक्षा आदि असाधारण गुणों की शिक्षा दी जाती है। ब्रह्मचारी को अपने दृढ़ व्रत के अनुपालन के लिए कुछ सहायक नियमों का पालन करना होता है। मानसिक स्थिति को सन्तुलित रखने के लिए किसी भी दूषित भाव का मन में स्मरण करना, फिर उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शब्दों से प्रशंसा और प्रख्यापन करना, पुनः उसके दर्शनार्थ मन में उत्कण्ठा जागृत करना, एकान्त में मिलकर कुछ गुप्त भाषण करने

---

१. स्वयं वाजिंस्तन्वं कल्पयस्व स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व।
यजुर्वेद—२३/१५

२. ब्रह्मचर्येण तपसा देवामृत्युमुपाघ्नतः।

३. पतञ्जलि-योगप्रदीप—१/२

की इच्छा रखना तथा उस भावना का सर्वदा मनन और चिन्तन करना, अन्त में उस भावना को कार्य में परिणत करने के लिए उतर जाना, ये सब धर्म उसके ब्रह्मचर्य में बाधक हैं।[1] श्रीमद्भगवद्गीता में भी इसी आशय का अनुमोदन किया गया है। जिस में कहा गया है—**शब्दादि विषयों का मन से बार-बार चिन्तन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति होती है, आसक्ति होने पर उनको प्राप्त करने की प्रबल इच्छा होती है और उस इच्छा की किसी प्रकार पूर्ति न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है।**[2] इस सम्बन्ध में आगे कहा गया है—**क्रोध होने पर संमोह-कार्याकार्यविवेक का अभाव हो जाता है, सम्मोह हो जाने पर शास्त्राचार्यों द्वारा उपदिष्ट वचनों के स्मरण में भ्रम हो जाता है तथा स्मृतिविभ्रम होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि नष्ट हो जाने पर प्राणी नष्ट (मृततुल्य) हो जाता है।**[3] इसीलिए ब्रह्मचारी को शास्त्रनिन्दित क्रिया-कलापों का परित्याग कर शास्त्र प्रतिपादित आचार संहिता का अनुपालन करते हुए अपने आदर्श स्वरूप को समाज के सामने प्रदर्शित करना चाहिए। जिससे कि भावी पीढ़ी के नागरिक उसका अनुकरण करते हुए आत्माभ्युन्नति को प्राप्त कर सकें। अखण्ड ब्रह्मचारी के उत्कृष्ट स्वरूप को वेद में प्रतिपादित करते हुए कहा गया है—**जो जितेन्द्रिय है, वह अमृत की रक्षा करता है,**[4] यहाँ 'अमृत' शब्द से मानव जीवन का अमूल्य लक्ष्य 'मोक्ष' स्वरूप को लिया गया है। 'मोक्ष' अर्थात् अमृत तत्त्व की प्राप्ति ही नैतिकता का चरमोत्कृष्ट फल है।

अन्नमय मानसिक कोष होता है। जैसा हम अन्न खाते हैं, वैसी ही हमारी बुद्धि बनती है। इस भाव का परिपोषण उपनिषद् वाक्यों में व्यापक रूप से किया गया है। उनके अनुवादक ग्रन्थ में यह कहा गया है

---

१. स्मरणं कीर्तनं केलि प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्। सङ्कल्पोऽध्यवसायश्च क्रिया-निपत्तिरेव च। अह्निकसूत्रावलि पृ० २५२

२. ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते।
सङ्गात्सञ्जायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते।।
श्रीमद्भगवद्गीता—२/६२

३. क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतिविभ्रमः।
स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति।।
श्रीमद्भगवद्गीता—२/६३

४. अदब्धो गोपा अमृतस्य रक्षिता। ऋग्वेद—६/७/७

कि **"दीपोभक्षयते ध्वान्तं कज्जलञ्च प्रसूयते"** अर्थात् दीप अन्धकार को खाता है, परन्तु काजल को पैदा करता है। अतः यदि हम अन्न खायें भी तो स्वोदरम्भर के रूप में नहीं। अन्न में वैशिष्ट्य तब आता है, जब हम उसे भगवद् अर्पण करके सेवन करते हैं। वह शक्ति युक्त तब होता है, जब हम उसे सब के साथ बाँट के खाते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र में सर्वभूत सम्भावना से प्रेरित कर बलिवैश्वदेव का विधान किया गया है।[१] इसका आशय यह निकलता है कि भूख लगने पर खाना यह प्रकृति है, मांग कर खाना यह विकृति है और बाँट कर खाना यह संस्कृति है। स्मृति वाक्य[२] भी प्रमाणिक है—जिसमें प्रयुक्त '**विघस**' शब्द नौकरादि (आश्रित पारिवारिकजन) को खिलाने के बाद बचे हुए अन्न की संज्ञा है तथा यज्ञ में आहुति देने से शेष अन्न को '**अमृत**' कहा गया है। अतः सदाचारी पुरुष को सदैव यज्ञादि अनुष्ठान करके अपने आश्रित जनों का उदर पोषण करने के बाद शेष अन्न को ही ग्रहण करना चाहिए। इसलिए ऋग्वेद के अष्टम मण्डल में यह स्पष्ट रूप से बताया गया हैं—**जो अपने स्वयं के लिए ही पका कर खाता है, वह पाप को ही खाता है।**[३] **श्रीमद्भगवद्गीता में भगवतोक्ति भी इस आशय को समर्थन देती है।**[४] **न्यायोपार्जित अन्न से ही अपने परिवार का भरण-पोषण करना चाहिए,** ऐसा स्मृतियों द्वारा जनसमुदाय को उपदेश दिया गया है।[५] श्रुति कहती है—**हमें सिंहकों का उपद्रव जहाँ नहीं है, ऐसे उत्तम मार्गों से धन और सुख प्राप्त हो।**[६] ऋग्वेद

---

१. अहरहर्भूतेभ्यो बलिं हरेत्। तथैतम्भूतयज्ञः समाप्नोत्यहरहर्दद्यादोदपात्रात्तथैतम्मनुष्यज्ञः समाप्नोत्यहरहः स्वधा कुर्यादोदपात्रात्तथैतं पितृयज्ञः समाप्नोत्यहरहः स्वाहा कुर्यादाकाष्ठात्तथैतं देवयज्ञः समाप्नोति ॥
शतपथब्राह्मण—११/५/६/२

२. विघसाशी भवेन्नित्यं नित्यं चामृतभोजनः।
विघसं भृत्यं शेषं तु यज्ञशेषमथामृतम् ॥

३. केवलादी भवति केवलाधी। ऋग्वेद—१०/१०६/६

४. भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ॥
श्रीमद्भगवद्गीता—३/१३

५. न्यायोपार्जितवित्तेन कुर्याद्वैधर्मसंचयम्। शतपथब्राह्मण—१/१

६. अर्चामि ते सुमतिं घोष्यर्वाक् सं ते वावाता जरतामियं गीः।
स्वश्वास्त्वा सुरथा मर्जयेमाऽस्मे क्षत्राणि धारयेरनुद्यून् ॥
ऋग्वेद—४/४/८

की एक ऋचा में यह प्रतिपादित किया गया है—**हे मनुष्य ! तुम जुआ मत खेलो, कृषि से जो धन प्राप्त होता है, उससे सुख पूर्वक जीओ इसके विपरीत परिश्रम न कर के द्यूत क्रीडा के द्वारा धन बढ़ाने के प्रयास मत करो। अपने परिश्रम से जो धन प्राप्त होता है, उससे जो शान्ति मिलती है, वह शान्ति द्यूत क्रीडा से उपार्जित धन के द्वारा नहीं मिलती है।**[1] अतः ऋषियों ने सत्कर्म से ही उपार्जित धन से जीविका निर्वाह करने के लिए प्रेरित किया है। इससे यह शिक्षा मिलती है कि न्यायोपार्जित धन से ही परिवार का भरण-पोषण और धन-संग्रह करना चाहिए।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। अतः समाज में रहना वह पसन्द करता है। पशुओं के समुदाय तथा समाज और मनुष्यों के समुदाय को समाज कहते हैं। अतः समाज में जाने के लिए प्रत्येक मनुष्य-वर्ग के साथ सद्-व्यवहार करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में अथर्ववेद का संज्ञान सूक्त अनुकरणीय है, जिस में घर और परिवारिक जनों के सम्बन्ध की व्याख्या करते हुए विश्व-समाज के स्वरूप को चित्रित किया गया है। जिसकी चर्चा सामाजिक व्यवहार के प्रशिक्षण के समय की जायेगी। शिष्ट पुरुषों के साथ अशन-आशन आदि व्यवहार में अपना कर्तव्य कैसा होना चाहिए, इसका भी उल्लेख वेद में मिलता है। '**मद्यस्तारिवहि श्रेयसः उपचारः**'[2] इस वाक्य से हमें शिक्षा मिलती है कि अपने से श्रेष्ठ पुरुष के सामने समान या उच्च-आसन पर नहीं बैठना चाहिए, यही शिष्टाचार है। अपने से बड़े को 'आप' शब्द से सम्बोधित करना चाहिए तथा अभिवादन स्वरूप सु-स्वागतम् सु-प्रभातम्, '**शुभ-रात्री और नमस्कार**' आदि शब्द उच्चारित करने चाहिए, क्योंकि ये शब्द विनम्रता और सहिष्णुता के परिचायक माने गये हैं। इसी के साथ-साथ बालक को अपने इष्ट-जनों के मनोनुकूल आचरण करना चाहिए। पारिवारिक आचार संहिता के अनुरूप ही घर के प्रत्येक सदस्य का आचारण होना चाहिए। आतिथ्य-धर्म' का निर्वाह शिष्टाचरण का केन्द्रबिन्दु है। इसके अनुपालन द्वारा त्याग, सहानुभूति और अनुराग की शिक्षा मिलती है। इसीलिए महर्षियों ने आदेश दिया है—**घर में आये अतिथि देव को भोजन कराने से पहले स्वयं को नहीं खाना चाहिए।**[3] इस श्रुतिवाक्य के अनुसार ही

---

१. अक्षैर्मा दीव्यः कृषिमित् कृषस्व वित्ते रमस्व बहु मन्यमानः।
तत्र गावः कितव तत्र जाया तन्मे वि चष्टे सवितायमर्यः॥
ऋग्वेद—१०/३४/१३

२. शतपथब्राह्मण—१/१/११

३. तन्वेवाऽनवक्लृप्तम्। यो मनुष्येष्वनश्नत्सु पूर्वोऽश्नीयात्।
शतपथब्राह्मण—१/१/८

लोक-व्यवहार में अतिथि पूजन देखा जाता है। इसके साथ ही साथ अपने आश्रितों को भी धन-धान्य से परिपूर्ण करने का निर्देश श्रुतियों से मिलता है। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में यह चर्चा की गई है—**जो मनुष्य अपने आश्रितों को या याचकों को धन-धान्य दे कर तृप्त करता है, वह हर तरह से सुख प्राप्त करता है, वह देव तुल्य स्वर्ग लोक में अनेक सुखों को पाता है।**[1] इसके विपरीत जो मनुष्य **देवता अतिथि और अपने आश्रितों को तृप्त नहीं करता है, असत्य भाषी और दुराचारी होता है, शोक को** प्राप्त होता है।[2] ऐसे मनुष्यों के प्रति श्रुतिमुख से भी बहुत दुःख प्रकट किया गया है। **जो धन से सम्पन्न हो कर भी दीन-दुःखी तथा याचकों को धन नहीं देता है, ऐसे कृपण धनिकों को तथा जो अत्यन्त आलसी है और अपने कर्तव्य पालन से पराङ्मुख है,** देख कर **मुझे अत्यन्त दुःख होता है। क्योंकि ऐसे लोग शीघ्र नष्ट होते हैं।**[3] इससे यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को दानी और कर्मठ होना चाहिए। कर्मठता ही मानव के अभ्युन्नति का मूल मन्त्र है। जिसे श्रीमद्भगवद्-गीता में कर्मवाद के नाम से अभिहित किया गया है। 'कर्मवाद' की विस्तृत चर्चा हम आगे करेंगें। वैसे व्यवहारिक पक्ष को भी देखा जाये तो कर्मशील व्यक्ति ही अपने उद्देश्य में सफल हो पाते हैं। महर्षियों ने इसीलिए विभिन्न ऋचाओं के माध्यम से मानव समुदाय को कर्म-निष्ठ आचरण करने की शिक्षा प्रदान की है। साथ ही साथ अपने कर्तव्यों के प्रति सतत जागरुक रहने का उपदेश दिया है।

अतः मानवीय गुणों के विकास हेतु महर्षियों द्वारा प्रतिपादित आचार-संहिता के अनुसार परहित चिन्तक अतिथि-सत्कार दया पूर्ण व्यवहार आर्त्त-व्यक्ति की सेवा आदि नैतिक मूल्य शिक्षा के महत्त्वपूर्ण अङ्ग हैं, इन के बिना मानव-जीवन अपूर्ण है। इनके अनुरूप आचरण करने से ही मानवीय

---

१. नाकस्य पृष्ठे अधि तिष्ठति श्रितो यः पृणाति स ह देवेषु गच्छति।
तस्मा आपो घृतमर्षन्ति सिन्धवस्तस्मा इयं दक्षिणा पिन्वते सदा।।
ऋग्वेद—१/१२५/५

२. मा पृणन्तो दुरितमेन आरन् मा जारिषुः सूरयः सुव्रतासः।
अन्यस्तेषां परिधिरस्तु कश्चिदपृणन्तमभि सं यन्तु शोकाः।।
ऋग्वेद—१/१२५/७

३. अध स्वप्नस्य निर्विदेऽभुञ्जतश्च रेवतः। उभा ता वस्रि नश्यतः।।
ऋग्वेद—१/१२०/१२

सामाजिक संगठन सु-दृढता को प्राप्त कर सकता है। इसके विपरीत झूठ, कपट, व्यभिचार, अत्याचार आदि अनेक समाज विरुद्ध आचरण को पाप-कर्म की संज्ञा प्रदान करते हुए उन्हें अनैतिक बताया गया है तथा वैदिक महर्षियों द्वारा उनकी निन्दा की गई है। पाप-कर्म से आवृत्त व्यक्ति को समाज भी हीन भावना से देखता है तथा उसे सर्वत्र अपमान का भाजन बनना पड़ता है। इस प्रकार मानव जीवन की उत्कृष्टता में नैतिक मूल्यों का महत्त्वपूर्ण योग है। वैसे भी समाज में मानव कर्म का आधार-पुण्य और पाप है। **'परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्'** अर्थात् परोपकार करने से पुण्य होता है और दूसरों को पीडा पहुँचाने से पाप। 'पाप और पुण्य 'इन दो कसौटियों पर ही जीवन का व्यवहार आधारित है। पाप का दण्ड और पुण्य का पुरस्कार मनुष्य को अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। परिणामतः उन्हें स्वर्ग और नरक के द्वार भी बताये गये हैं। अथर्ववेद में कहा गया है कि अनाचारी को वरुण देव दण्डित करते हैं और असत्यवादी पर वे रुष्ट होते हैं। अत एव वैदिक मन्त्रों में देवताओं से बार-बार यह प्रार्थना की गई है कि वे हमें निष्कपट और सदाचारी बनाएँ। वैदिक वाङ्मय में नैतिक नियमों की महनीयता का वर्णन करते हुए कहा गया है—**सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। सत्य भी अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। समाज को सतत् विकसित करने वाले ये नियम सनातन धर्म कहलाते हैं।**[1]

धर्म-शास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थों में मानवीय गुणों की अभिवृद्धि हेतु जिन परम्पराओं और रीतियों की प्रमाणिकता और अनुल्लंघनीय शक्ति का विवेचन किया गया है, वह सदाचार कहलाती है। सदाचार नैतिक शिक्षा का विस्तृत रूप है। महर्षि **हारीत** ने सदाचार की विशद् व्याख्या करते हुए कहा है—**सत् का अर्थ है— साधु (अच्छा) और साधु लोग वे हैं, जो क्षीण-दोष (अनैतिक-कर्म रहित) हैं, ऐसे लोगों के आचरण सदाचार कहलाते हैं।**[2] आचार्य **मनु** ने समस्त मानव-जाति के लिए सामान्य व्यवस्था दी है—**व्यक्ति को उसी मार्ग**

१. सत्य ब्रूयात्प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात्सत्यमप्रियम्।
प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष धर्मः सनातनः। मनुस्मृति—४/१३८

२. साधवः क्षीणदोषाः स्युः सच्छन्दः साधुवाचकः। तेषामाचरणं यत्तु स सदाचार उच्यते॥
—हारीत (परा. मा. १, भाग-१ पृ. १४४); विष्णु पुराण (३/११/३) दीपकलिका याज्ञ—१/७

का अनुसरण करना चाहिए, जिस पर सज्जनों के पिता और पितामह चलते आये हैं, ऐसा करने से उसकी कोई हानि नहीं होगी ।[1]

सम्पूर्ण वैदिक वाङ्मय में यज्ञादि अनुष्ठानों के माध्यम से नित्य-नैमित्तिक कर्मों का विधान किया गया है । ये कर्म ही हमारी आध्यात्मिक भावना के स्रोत हैं, नैतिक उत्थान की सीढ़ी हैं, जो हमें सदा सर्वदा ऋत्-मार्ग के अनुशीलन से सत्य, अहिंसा, स्तेय आदि यम-नियम के अनुपालन की शिक्षा प्रदान करते हैं । इस प्रकार वेद विहित कर्म ही शिष्टाचार की कसौटी है, शिष्टाचार ही नैतिकता की कुञ्जी है । वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्याप्त असंतोष उच्छ्रृंखलता आदि का निवारण वेदपोषित भारतीय संस्कृति द्वारा ही सम्भव है । क्योंकि मानव व्यक्तित्व के चहुँमुखी विकास में भारतीय संस्कृति ही समुचित मार्ग प्रशस्त करती है । जैसा कि भारत के राष्ट्रपति **डा० राधाकृष्णन** की स्पष्टोक्ति भी है—**भारत सहित समस्त विश्व के कष्टों का कारण यह है कि शिक्षा केवल बौद्धिक कसरत रह गई है और उसका जीवन के नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों से कोई सम्बन्ध नहीं रहा** । दूसरे शब्दों में संस्कृति के संरक्षण के अभाव में हमारे नैतिक बन्धन टूटते जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप संयुक्त परिवार-प्रथा समाप्ति की अन्तिम सीढ़ी पर है । पहले हम लोग परिवार तक केन्द्रित थे, अब आत्म केन्द्रित होते जा रहे हैं । सारी परम्परागत व्यवस्था टूटती जा रही है । सभी लोग धीरे-धीरे संकुचित होते जा रहे हैं । हम में एक तरह की शून्यता घर करती जा रही है । हमारा रहन-सहन, खान-पान और दिनचर्या बहुत ही संकीर्ण होती जा रही है । यही हमारी सभ्यता का संकट है, नैतिकता का पतन है । जिसके कारण समाज में व्याप्त अनुशासन-हीनता और उद्दण्डता को रोकने के लिए यद्यपि नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आमूल परिवर्तन किये गये हैं, फिर भी निसंकोच रूप से यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि जब तक आर्य संस्कृति की वाणी में संस्कृत को राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा निर्धारित पाठचक्रम में समुचित स्थान प्रदान नहीं किया जायेगा, तब तक आने वाली सन्ततियों का पूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक विकास सम्भव हो ही नहीं पायेगा । क्योंकि सम्पूर्ण वैदिक वाङ्मय ही हमारी संस्कृति के प्राण हैं, नैतिक मूल्यों की आचार-संहिता के स्रोत हैं, वे संस्कृत लिपि में बद्ध हैं, जिसे अन्य भाषाओं की जननी

---

१. येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः ।
   तेन यायात्सतां मार्गं तेन गच्छन्न रिष्यति ।।

   मनुस्मृति -४/१७८, तन्त्रवार्तिक—१/३/७

माना गया है। अतः यदि हमें सु-संस्कृत और संस्कार युक्त होना है, नैतिक आचरण संहिता के अनुरूप आचरण करते हुए शिष्ट अथवा महापुरुषों की कोटि को प्राप्त करना है, तो संस्कृत और संस्कृति के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्पष्ट निर्देश देने होगें, जिससे पाठ्यक्रम में नैतिक उत्थान से सम्बन्धित विषय वस्तु को समाहित किया जा सके। तभी विश्व में व्याप्त असंतोष, अराजकता और आतंकवाद जैसे भयानक वातावरण से छुटकारा पाया जा सकता है। भटकते हुए राही को तभी राह मिल पायेगी। **वाल्टेयर** का मत है—**सब मत (मजहब) एक-दूसरे से भिन्न हैं, क्योंकि उनका निर्माता मानव है। परन्तु सच्चरित्र का महत्त्व सर्वत्र एक समान है, क्योंकि चरित्र का निर्माण ईश्वर करता है**। दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रदत्त उज्ज्वल व्यक्तित्व पर मानव समाज द्वारा निर्मित विभिन्न साम्प्रदायिक संगठनों में पनपी अनैतिक विचारधारा का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए और यह तभी सम्भव हो सकता है जब हम अपनी संस्कृति को पहचाने तथा उसके अनुरूप आचरण करें। इस सम्बन्ध में अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता **महात्मा गाँधी** ने कहा है—**मैं अनुभव करता हूँ और अपने सम्पूर्ण सार्वजनिक जीवन में अनुभव किया है कि विश्व के सभी राष्ट्रों को केवल चरित्र की आवश्यकता है और चरित्र से कम किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है**। किन्तु यह तभी सम्भव हो सकता है जब हम अपने आप को पहचानते हुए विश्व कुटुम्ब की भावना से राष्ट्र नवनिर्माण में अपनी अहम् भूमिका अदा कर पायें। व्यक्तित्व निर्माण में नैतिक मूल्यों की सर्वोच्चता सिद्ध करते हुए **वूल्ले** कहते है—**संसार में न तो धन का प्रभुत्व है, न ही बुद्धि का। यदि किसी का प्रभुत्व है, तो चरित्र का और पवित्रता का।**

चरित्र और पवित्रता का संरक्षण नैतिक मूल्यों के आधार पर ही सम्भव है। नैतिक मूल्यों का विकास शिक्षा का परम् लक्ष्य है, किन्तु इस लक्ष्य की प्राप्ति तभी सम्भव हो सकती है, जब शैक्षणिक पाठ्यक्रम में धर्मोपदेश के साथ-साथ महापुरुषों के जीवन चरित्र को भी समाहित किया जाय। पाठ्य-क्रम में नैतिक शिक्षा की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए प्रसिद्ध पाश्चात्य दार्शनिक **हरबर्ट** ने कहा है—**पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में इतिहास ही ऐसा विषय है, जिसके द्वारा पाठशालाओं में चरित्र-निर्माण का कार्य भली-भाँति सम्पन्न हो सकता है, क्योंकि इतिहास महापुरुषों की गाथाओं का ही दूसरा नाम है**। प्रसिद्ध फ्रांसीसी विद्वान् **कारलाईल** ने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किये हैं। सारांशतः कहा जा सकता है कि इतिहास और

साहित्य के अध्ययन से बालकों में सत्य, साहस और सहानुभूति आदि नैतिक गुणों तथा उच्च आदर्शों का विकास किया जा सकता है। अतः आचार्य को चाहिए कि वे अध्ययनार्थी की रुचि इतिहास तथा साहित्य के अध्ययन करने में बढ़ावें, जिससे उनके अन्तःकरण में सच्चरित्रता के भाव स्वतः विकसित हो सकें।

सत्य वचन का अभ्यास—ऋग्वेद में ऋत् का आचरण ही व्रत कहा गया है। ऋत् के विपरीत जो कुछ भी है, वह अनृत है। **'ब्रह्मसत्यं जगत्सत्यं मिथ्यामायैव केवलम्'** आदिशङ्कराचार्य के इस वाक्य द्वारा भी यही प्रमाणित होता है कि चिर-स्थायी सत्य केवलमात्र ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। यह समस्त जगत् भी ब्रह्ममय ही है। दिखाई पड़नेवाला यह भौतिक संसार मायारूप होने के कारण मिथ्या है, नश्वर है। अतः सृष्टि के प्रारम्भ से ही महर्षियों ने ब्रह्मत्व की प्राप्ति का उपदेश दिया है। 'ब्रह्म' शब्द ऋत् का वाचक है। ऋत्, सत्य का नाम है। सत्य के अनुशीलन से ही आत्म-तत्त्वस्वरूप परब्रह्म परमेश्वर की अनुभूति हो सकती है। जिसके लिए वैदिक-कालीन महर्षियों ने सृष्टि के प्रारम्भ से ही सत्य का अनुशीलन करने का निर्देश दिया है। ऋग्वेदीय मन्त्र द्वारा महर्षि ने सोम देवता को सत्य की रक्षा और असत्य का नाश करने वाला होने के कारण सत्य मार्ग की प्राप्ति हेतु उसकी अर्चना का निर्देश दिया है। उनके मतानुसार—**पाप कर्म करने में जो प्रसिद्ध हैं, जो पापमय जीवन वाले हैं, जो ज्ञान से द्वेष करने वाले हैं, जो कच्चा माँस खानेवाले हैं, जिनका रूप भयंकर है, जो बहुत खाऊ हैं, ये सभी राक्षस हैं, इनका नाश अवश्य करना चाहिए।**[1] इस वचनामृत द्वारा यह शिक्षा दी गई है कि विश्व में सत्याचरण का ही प्राधान्य है। सत्याचरण ऋत् (सत्य) से अनुप्राणित है। अतः मानव को सत्य वचन का ही अभ्यास करना चाहिए। शतपथब्राह्मण में सत्य बोलने की शिक्षा दी गई है। **देवगण सत्य कथन रूप व्रत का पालन हमेशा करते हैं। अतः उनकी महिमा सारा संसार गान करता है। इस प्रकार जो मनुष्य हमेशा सत्य बोलता है, उसको भी समाज में उत्तम प्रतिष्ठा मिलती है।** सत्य बोलने वाला मनुष्य देवतुल्य हो जाता है। देखा गया है कि जो मनुष्य हमेशा सत्य-भाषण करता है, उसकी वाणी में एक

---

१. इन्द्रासोमा समघशंसमभ्य घं तपुर्ययस्तु चरुरग्निवाँ इव।
ब्रह्मद्विषे क्रव्यादे घोरचक्षसे द्वेषो धत्तमनवायं किमीदिने ॥

ऋग्वेद—७/१०४/२

दैविक शक्ति आ जाती है। ऐसे वाक्शक्ति सम्पन्न पुरुष का वचन कभी निष्फल नहीं जाता है। इस तथ्य के अनन्त उदाहरण हमारे पुराण ग्रन्थों में भरे पड़े हैं। प्राणियों के प्रति ऋषि-मुनियों का आशीर्वाद और अभिशाप सद्यः फलीभूत होते थे। ऋग्वेद के मन्त्रानुसार **देवों ने सत्यव्रत का अनुपालन किया**। सत्यव्रत की महिमा की खोज देवों ने सर्वत्र की, परन्तु भू-लोक में स्वर्ग के समान सुख देने वाला और कोई दूसरा व्रत नहीं मिला। अतः इस व्रत को सर्वोपरी व्रतराज माना गया। सदाचार सम्पन्न नारी को सती संज्ञा दी गई है। ऋग्वेद में **अनिन्दित पतिव्रता नारी ही संसार को धारण करती है, ऐसा बताया गया है।**[1] सत्य व्रत के पालन के लिए चित्त में दृढ़ता की आवश्यकता होती है। अतः सत्यधर्मावलम्बी देव तथा मनुष्यगण दृढ़ता से इसका निर्वाह करते हैं। **पारस्करगृहसूत्र** के अनुसार ब्रह्मचारी को अपना व्रत दृढ़तापूर्वक पालन करने को कहा गया है।[2] ऋग्वेद के मन्त्रानुसार **विद्वान् पुरुष जिस बात का निश्चय अपने मन में कर लेते हैं, उसे पहले ही कर डालते हैं, बाद में नहीं। क्योंकि वे किसी प्रकार अन्यथा उक्ति के सुनने के पक्ष में नहीं रहते हैं। इस प्रकार निरहंकारी स्ववचननिष्ठ मनुष्य को अग्नि भगवान अपना तेज प्रदान करते हैं।**[3] श्रुतिवाक्य के अनुसार सत्यनिष्ठ और देवभक्त मनुष्य हमेशा देवों का कृपापात्र होता है। इसके विपरीत **जो मनुष्य कुटिल या असत्य मार्ग को अपनाता है, और देवताओं से द्रोह करता है, वह हृदय में अनेक रोगों को धारण करता हुआ दुःख को प्राप्त करता है।**[4] अतः महर्षि ने मानव समुदाय को सर्वदा सत्य बोलने का आदेश देते हुए असत्य भाषी को अपवित्र बताया है। असत्य, असंख्य पापों को जन्म देता है। एक झूठ छिपाने

---

१. अनवद्या पतिजुष्टेव नारी। ऋग्वेद—१/७३/३

२. दृढ़व्रतोविधत्रः स्यात् सर्वतः आत्मानं गोपायेत्
सर्वेषामित्रमिव शुक्रियमधिष्यमाणः॥ पारस्कर गृहसूत्र—२/७

३. तमित् पृच्छन्ति न सिमो वि पृच्छति स्वेनेव धीरो मनसा यदग्रभीत्।
न मृष्यते प्रथमं नापरं वचोऽस्य ऋत्वा सचते अप्रदृपितः॥
ऋग्वेद—१/१४५/२

४. जनो यो मित्रावरुणावभिध्रुगपो न वां सुनोत्यक्षणयाध्रुक्।
स्वयं स यक्ष्मं हृदये नि धत्त आप यदीं होत्राभिर्ऋतावा॥
ऋग्वेद—१/१२२/९

के लिए अनेक झूठ बोलने पड़ते हैं, फिर भी झूठ-झूठ ही रहता है, सत्य नहीं बन पाता। उसकी नींव कभी भी स्थिर नहीं रह पाती। परिणामतः युग प्रवर्तकों और धर्म-प्रचारकों ने सदा सर्वदा असत् पर सत्य के अधिकार को ही स्वीकारा है, उसीके अनुपालन की शिक्षा दी है।

ऋग्वेदीय मन्त्रों में महर्षि ने सत्य के स्वरूप और उसकी महिमा का वर्णन करते हुए कहा है—**सत्य से मातृ-भूमि का उद्धार किया जाता है, सूर्य के आलोक से आकाश आलोकित होता है, सरलता के कारण आदित्य अपने स्थान में स्थिर रहते हैं तथा सोम द्यु लोक के प्रकाश में आश्रय लेकर रहता है।**[1] कहने का तात्पर्य यह है कि सत्य सृष्टि प्रक्रिया का सूत्रधार है। सत्य ही मानवीय गुणों का आधार और प्रेम का बीज है। सत्य-निष्ठ होने का अभिप्राय ही ब्रह्म की प्राप्ति है। अतः सत्य न केवल पृथ्वी को ही स्थिर किए हुए है, अपितु मानव में स्थिरता और दृढ़ता भी लाता है। अन्यत्र मन्त्र में कहा गया है—**जो सत्य और सीधा है, उसकी रक्षा सौम्य गुणों वाला परमात्मा करता है और जो असत्य है, उसका नाश करता है।**[2] जैसाकि नीति-निपुण चाणक्य ने भी कहा है—**सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं तथा अनृत् (असत्य) से बड़ा कोई पाप नहीं है। अतः आत्मज्ञानी पुरुषों को इस परमधर्म में सदैव निरत रहना चाहिए।**[3] क्योंकि असत् का अन्त बड़ा दुःखदायी होता है। यजुर्वेदीय मन्त्रों में भी महर्षियों ने मानव-जाति को विश्व-कल्याण के उदार भाव को अपनाते हुए सत्यमार्ग के अन्वेषण में निरन्तर लगे रहने का उपदेश दिया है। उन्होंने मन्त्रों के माध्यम से आदेश दिया है—**सब से अधिक ज्ञान वाले तुम सूर्य के समान सत्य के मार्ग से अन्तरिक्ष को देखो। सभासदों के साथ सत्य-मार्ग से विशेष प्रयत्न करो। हे सुवर्ण के दान देनेवाले ! तुम लोग धर्म को विशेषता से प्राप्त हो।**[4] यहाँ सत्य को स्वर्ग का मार्ग कहा

---

१. सत्येनोत्तभिता भूमिः सूर्योणोत्तभिता द्यौः।
ऋतेनादित्यास्तिष्ठन्ति दिवि सोमो अधि श्रितः॥
ऋग्वेद—१०/८५/१ अथर्ववेद—१४/१/१

२. तयोर्यत्सत्यं यतरदृजीयस्तदित्सोमोऽवति हन्त्यासत्।
ऋग्वेद—७/१०४/१२, अथर्ववेद—८/४/१२

३. नहि सत्यात्परोधर्मः नानृतात् पातकं महत्।
तस्मादस्मिन् सदायुक्तः नित्यं स्यादात्मवान् द्विजः॥

४. ऋतस्य पथा प्रेत चन्द्रदक्षिणा।
वि स्वःपश्य व्यन्तरिक्षं यतस्व सदस्यैः॥ यजुर्वेद—७/४५

गया है। सत्य-मार्ग के अन्वेषण से ही मानव पुरुषार्थचतुष्टय के चरमोत्कृष्ट रूप मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। परिणामतः हृदय को पवित्र और दूषित भावों का शोधन करनेवाले सत्य को श्रेष्ठतम तप कहा गया है। आचार्य चाणक्य ने भी वैदिक वाङ्मय के अनुशीलन से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर— **'सत्य से स्वर्ग की प्राप्ति होती है',**[1] ऐसा स्पष्ट निर्देश दिया है। अन्यत्र कहा गया है—**सत्य स्वर्ग की प्राप्ति का एकमात्र साधन है।**[2] इसीके साथ-साथ कहा गया है—**सत्य संसार का धारक है।**[3] ठीक भी है, यह सम्पूर्ण दृश्यमान विश्व **'सत्यं शिवं सुन्दरम्'** की परिणति है। सत्य से भिन्न संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। संसार के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए महर्षियों ने विभिन्न वैदिक मन्त्रों द्वारा सत्य का अनुसरण करते हुए यज्ञादि अनुष्ठानों में प्रवृत्त होने का निर्देश दिया है। सत्याचरण के बिना संसार के वास्तविक सार को समझ पाना असम्भव है। नीति-निपुण आचार्य चाणक्य ने **सत्य को सर्वश्रेष्ठ तप की उपमा दी है।**[4] उनके मतानुसार सत्याचरण द्वारा ही व्यवहार में सौम्यता और वाणी में माधुर्य का विकास हो सकता है। जिसके फलस्वरूप मानव समाज में आदर का पात्र बनता है। आचार्य विदुर ने सत्य-निष्ठ वाणी की सार्थकता पर बल देते हुए कहा है—**बोलने से न बोलना अच्छा है, बोलने में सत्य-भाषण श्रेष्ठ है। सत्य-भाषण में भी सत्य-प्रिय भाषण श्रेष्ठ और धर्मयुक्त सत्य प्रिय भाषण अति श्रेष्ठ है।**[5] अतः प्रत्येक प्राणी को धर्मयुक्त सत्य प्रिय भाषण ही करना चाहिए। आचार्य मनु ने भी सत्य-प्रिय भाषी होने का निर्देश दिया है।[6] व्यवहार में भी ऐसा ही

---

१. स्वर्गं नयति सूनृतम्। — चाणक्य सूत्र—४/६

२. सत्यं स्वर्गस्य साधनम्। — चाणक्य सूत्र—४/८

३. सत्येन धार्यते लोकः। — चाणक्य सूत्र—४/९

४. नास्ति सत्यात् परं तपः। — चाणक्य सूत्र—४/७

५. अव्याहृतं व्याहृतात श्रेय आहुः
सत्यं वदेद् व्याहृतं तद् द्वितीयम्।
प्रियं वदेद् व्याहृतं तत् तृतीयं।
धर्म्यं वदेद् व्याहृतं तच्चतुर्थम्॥
महाभारत (विदुर नीति)—४/१२

६. सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात्सत्यमप्रियम्।
प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष धर्मः सनातनः॥ — मनुस्मृति—४/१३८

देखा जाता है कि जो व्यक्ति मधुर-भाषी और सत्यवचन बोलने वाला है, उसको समाज में बड़ी श्रद्धा के साथ देखा जाता है तथा एक प्रतिष्ठित नागरिक के रूप में उसे उच्च स्थान प्रदान किया जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति कुटुभाषी है अर्थात् सदा असत्य का सहारा लेकर अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए स्वार्थ सिद्धि में लगा रहता है, उसे मानव-समुदाय घृणा की दृष्टि से देखता है। वह सर्वत्र अपमान का भाजन बनते हुए एकांकी जीवन व्यतीत करता है। इस दयनीय अवस्था से बचने के लिए वैदिक मन्त्र द्वारा महर्षि ने मानव-जाति को आदेश दिया है—**अपने-अपने घरों में कल्याणकारक भाषण किया करो, लड़कों के साथ उत्तम भाषण करो**।[१] महर्षि ने पारिवारिक परिप्रेक्ष्य में रहते हुए सत्य वचन का अनुपालन करें, ऐसा निर्देश देकर व्यावहारिक ज्ञान के प्रशिक्षणार्थ पारिवारिक परिप्रेक्ष्य को प्रथम विद्यालय का स्थान प्रदान किया है तथा माता-पिता को बालक का प्रथम गुरु स्वीकार किया है। व्यवहार में भी देखा जाता है कि यदि बालक का पारिवारिक परिप्रेक्ष्य स्वच्छ, अनुशासन बद्ध और यज्ञादि धार्मिक क्रियाओं से युक्त है तो निश्चय ही बालक का अन्तःकरण निर्मल, धार्मिक भावनाओं से ओत-प्रोत और आपसी सहयोग के भाव से अनुप्राणित होगा। इसके विपरीत यदि बालक के माता-पिता के स्वभाव में कटुता, वैमनस्यता और चारित्रिक दोष होंगे तो निश्चित ही उनके बच्चे दुर्विचार युक्त और पाप-मार्ग का अनुसरण करनेवाले होंगे। इसीलिए महर्षि ने यहाँ पारिवारिकजनों को परस्पर सद्-भाषण करने का निर्देश दिया है। उनके मतानुसार बालक के अन्तःकरण में जैसे विचार और संस्कार होंगे, उसीके अनुरूप समाज और राष्ट्र की छवि बन पायेगी। अतः हमें पारिवारिक परिप्रेक्ष्य को स्वच्छ, अनुशासनबद्ध और धार्मिक भावना से ओतप्रोत करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कभी भी अपशब्द अर्थात् गाली-गलोज नहीं करना चाहिए। अपशब्द पारिवारिक और सामाजिक परिवेश में कटुता उत्पन्न करते हैं। कटुता से अशान्ति उत्पन्न होती है। वातावरण दूषित होता है। आपस में वैमनस्य बढ़ता है तथा असहयोग की भावना उत्पन्न होती है। असहयोग अस्थिरता उत्पन्न करता है। अस्थिरता परतन्त्रता प्रदान करती है। परतन्त्रता विनाश की प्रथम सीढ़ी है। इस प्रकार यदि समस्त झगड़ों में झाँका जाये, तो वहाँ 'अपशब्द' ही मूलकारण दिखाई देगा।

विनाश की इस लीला से बचने के लिए अथर्ववेदीय महर्षियों ने आदेश

---

१. भद्रं वदत गृहेषु च। भद्रं वद पुत्रैः। ऋग्वेद—२/४३/२

दिया है—**सदा सर्वदा कल्याण करनेवाला भाषण ही आपस में करो ।**[१] अकल्याणकारी और बुरे शब्दों का प्रयोग करने से अनर्थ की सम्भावना सदा बनी रहती है। इस अनिष्ट से बचने के लिए ही वैदिक वाङ्मय में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि अपनी वाक्-शक्ति को ले कर ऋग्वेद के सूक्तों की शरण लेनी चाहिए, अन्यथा शब्दोच्चारण के अशुद्ध प्रयोग से अर्थ के अनर्थ होने की सम्भावना बनी रहती है। जैसाकि 'इन्द्र-वृत्रासुर युद्ध के समय वृत्रासुर द्वारा कराये गये अनुष्ठान के फलस्वरूप इन्द्र की विजय और वृत्रासुर का नाश हुआ। लोक में शुद्धोच्चारण के विषय में यह श्लोक बहुत प्रसिद्ध है—**कोई पण्डित अपने पुत्र से कहता है कि हे पुत्र ! यद्यपि तुम अधिक नहीं पढ़ना चाहते, तो भी व्याकरण अवश्य पढो। जिससे उच्चारण की शुद्धता होगी—अशुद्ध उच्चारण से स्वजन (आत्मीयजन) श्वजन (कुत्ता) न हो, सकल (सम्पूर्ण) शकल (टुकड़ा) न हो जाय तथा सकृत् (एक बार) शकृत् (विष्टा) का उच्चारण न हो जाय !**[२] इसीलिए कहा गया है कि ऋग्वेदों के सूक्तों में ही वाणी की शुद्धता और आत्मा के उद्धार का सामर्थ्य है। जैसाकि कहा भी गया है—**जिसमें सब देवता और दिव्यगुण रहते हैं, उसी ऋचा के अत्यन्त अविनाशी अक्षरों में प्रकृति-परमेश्वर और जीवात्मा रहते हैं। जो मनुष्य इस बात को नहीं जानता, वह न जानने वाला पुरुष वेद मन्त्रों से क्या करेगा ?**[३] अर्थात् उसको कोई लाभ नहीं होगा। परन्तु जो मनुष्य निश्चय से इस बात को जानता है, वे पुरुष ही एक हो कर उत्तमता से स्थिर बैठ सकते हैं। इसी-लिए अन्यत्र स्थल पर मानव को निर्देश दिया गया है—**वाणी का विशेष रीति से सृजन करना ही तेरा परम धर्म है।**[४] मानव में प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला श्रेष्ठ गुण यह है कि वह वाणी तथा शब्द के मिश्रित रूप को उच्चारण

---

१. वाचं वदत भद्रया। अथर्ववेद—३/३/३

२. यद्यपि बहुनाधीषे तथापि पठपुत्र व्याकरणम्।
स्वजनः श्वजनो माभूत्सकलं शकलं सकृच्छकृत्॥

३. ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्
यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः।
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति
य इत्तद्विदुस्त इमे समासते॥ ऋग्वेद—१/१६४/३९

४. 'वचो विसर्जनं'। यजुर्वेद—१/१५

शक्ति द्वारा अभिव्यक्त कर सकता है, आत्मा के गुप्त संदेश को अभिव्यक्ति प्रदान करते हुए उसे दूसरे पर प्रकट कर सकता है। इसके साथ ही यह भी सत्य है कि शुक आदि अन्य जीवों को भी कुछ शब्दों को अभिव्यक्त करने की शक्ति प्राप्त है, किन्तु वाग्विसर्जन-सामर्थ्य की जितनी शक्ति मानव में निहित है, उतनी अन्य किसी प्राणी में नहीं है। मानव और अन्यान्य सृष्टि के मध्य यदि कोई विभेदक तत्त्व है, तो यह है कि मानव अपने अन्तस्थल में छिपे भावों को भाषा के माध्यम से वाणी द्वारा अभिव्यक्त कर सकता है, जबकि अन्य कोई प्राणी ऐसा करने में असमर्थ है। ईश्वर प्रदत्त इस शब्द-शक्ति में मानव का मानवत्व छिपा पड़ा है, जिसकी अभिव्यक्ति के लिए भाषा मनोवैज्ञानिकों ने उपहार स्वरूप प्राप्त वाक्-शक्ति के प्रकटीकरण में उच्चारण प्रक्रिया पर विशेष बल देने का सुझाव दिया है। उच्चारण-भ्रष्ट अथवा ऋत्-विहीन वाणी अर्थ का अनर्थ कर देती है। अनर्थ की इस आशंका से विमुक्त होने के लिए महर्षियों ने ऋत्-सिंचित वाणी की सार्थकता को व्यक्त करते हुए कहा है कि सत्यनिष्ठ वाणी मानव-व्यक्तित्व को सदा से दूषित और कलंकित होने से बचाती हुई परमार्थ सिद्धि में सहायक होती है।

अतः शिक्षाविदों ने शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण के समय वाणी की शुद्धता और सत्य-वचन के अभिव्यक्त्यर्थ उच्चारण-अभ्यास की ओर भी विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है। उनके मतानुसार वाणी की शुद्धता में ही शिक्षणाभ्यास की सफलता निहित है। अतः पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों ने शिक्षणाभ्यास के प्रारम्भ में ही वाणी की शुद्धता पर अत्यधिक बल देने का निर्देश दिया है।

अहिंसा का प्रशिक्षण—आचार शिक्षा में सत्य के अनन्तर उल्लेखनीय तत्त्व अहिंसा है। अहिंसा सत्यनिष्ठ व्यक्ति का परमधर्म है और यही मानव-अन्तःकरण में स्नेह, दया, प्रेम और अनुरागादि गुणों के विकास में सहायक भी है तथा दुःख-दर्द में एक दूसरे की सहायता के लिए प्रेरित करता है। कहा भी गया है—'**समस्त प्राणियों को अपने अनुरूप देखो**'[1] इसीमें मानव-जाति का कल्याण भी है। सृष्टिक्रम में आवागमन की प्रक्रिया से भी यही शिक्षा मिलती है कि आत्मा और परमात्मा के भेद से जीवात्मा एक होते हुए भी अनेक रूपों में व्याप्त है। इसी प्रकार हम परब्रह्म परमेश्वर की सन्तान होने के कारण शारीरिक रूप से भले ही भिन्न-भिन्न हैं किन्तु वास्तविक रूप में

---

१. 'आत्मानं दृश्यते सर्वभूतेषु'।

हम में उसी परमात्मा की आत्म-ज्योति प्रज्वलित हो रही है। हाँ, यह बात अलग है कि अज्ञान से आवृत्त मानव-अन्तःकरण पूर्व-संचित कर्मों के परिणाम-स्वरूप प्राप्त शुभ-अशुभ फलों से भ्रमित हो अपने-पराये का भेद करने लगता है, जबकि वास्तविकता यह है कि हम सच्चिदानन्दस्वरूप परब्रह्म परमेश्वर के अंश ही हैं, जिसकी '**एकोऽहं बहुस्याम**' की इस इच्छा ने एक होते हुए भी अनेक में व्याप्त कर दिया अर्थात् अज्ञान आवृत्त सुख-दुःख की अनुभूति से अनुभूत कर दिया। जबकि अज्ञान के नाश से अथवा मृत्यु के उपरान्त पृथ्वी पर जन्मे सभी प्राणियों को सच्चिदानन्दस्वरूप परब्रह्म परमेश्वर में समाहित होना है। परिणामतः धर्मनिष्ठ वैदिक ऋषियों ने विश्व-समुदाय को आजीवन धर्मशास्त्र प्रतिपादित अहिंसा-व्रत के सिद्धान्तों के अनुरूप आचरण करने की शिक्षा दी है। जीव-हत्या का निषेध किया है। भ्रूण हत्या को महापाप बताया है। उनके कथनानुसार जो व्यक्ति प्राणियों की हत्या करता है, वह मानो स्वयं अपने-आप अथवा अपने पुण्यों की हत्या करता है। इस पाप कर्म से विमुख होने के लिए ही महर्षियों ने 'अहिंसा' नामक परमधर्म का उपदेश दिया है।

ऋग्वेद के विभिन्न मन्त्रों में महर्षि ने अहिंसा के स्वरूप और उससे सम्बन्धित आचार के विषय में शिक्षा दी है। इन मन्त्रों में अहिंसक प्रवृत्ति के विकास के लिए महर्षियों ने देवताओं से प्रार्थना करते हुए कहा है—हे रुद्र ! **हमारे बड़े गुरुजनों को मत मारो, हमारे बालकों को मत मारो, हमारे तरुण पुरुष को मत मारो, हमारे गर्भस्थ बालकों को मत मारो, हमारे पिता को मत मारो, हमारी माता को मत मारो और हमारे प्यारे पुत्र-पौत्रादि को मत मारो।**[1] यहाँ यह शिक्षा दी गई है कि मनुष्य हो अथवा पशु-पक्षी, किसी की भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, न ही ऐसा कोई व्यवहार करना चाहिए, जिससे किसी की अन्तरात्मा को चोट पहुँचे। आचार्य मनु ने आध्यात्मिक यज्ञ की सफलता में अहिंसा-मार्ग को ही सर्वोत्कृष्ट मार्ग माना है। उन्होंने धर्मानुष्ठानादि क्रियाओं के विधिपूर्वक सम्पादन में कार्यरत व्यक्तियों को आदेश दिया है—**वे अहिंसात्मक प्रवृत्तियों को अपनाते हुए जन-कल्याण**

१. मा नो महान्तमुत मा नो अर्भकं
मा न उक्षन्तमुत मा न उक्षितम्।
मा नो वधीः पितरं मोत मातरं
मा नः प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिषः।।
ऋग्वेद—१/११४/७, यजुर्वेद—१६/१५

की भावना से प्राणियों को शिक्षित करें तथा समाज में मीठी और कोमल वाणी का ही प्रयोग करें ।[1] दुःखी होने पर न तो दूसरे का मन दुखायें और न दूसरे से द्रोह करने में मन लगावें । न ही किसी के प्रति ऐसे अशुभ वचनों का प्रयोग करें, जिससे किसी के मन को सन्ताप हो । **आचार्य मनु ने** कहा है—**जिसकी वाणी और मन सदा ही शुद्ध और ठीक प्रकार से (विषयों से) रक्षित रहते हैं, वही वेदान्त में कहे गए सारे फल (मोक्ष) को प्राप्त करता है ।**[2] यही 'अहिंसा' धर्म है, इसी के अनुरूप हमें व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए । शतपथब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण ग्रन्थों की शिक्षा का सार भी यही है ।

राष्ट्रपिता **महात्मा गाँधी** ने अहिंसा-धर्म में निहित शक्ति को स्पष्ट करते हुए कहा है—**सत्य और अहिंसा से तुम संसार को अपने सामने झुका सकते हो** । अहिंसा ही हम में आत्म-संयमी, दुर्भावना-विहीन एवं पर-हित के कार्यों में संलग्न होने की प्रवृत्ति को विकसित करती है । अहिंसक प्रवृत्ति ही हमें झूठ मत बोलो, दूसरों पर अत्याचार और अनाचार मत करो, सब को एक समान समझो, झगड़ा मत करो, सद्व्यवहार और सदाचार को अपनाओ, चोरी मत करो आदि अनेक शिष्टाचारों की शिक्षा देती है । वर्तमान शिक्षानीति में स्काउट एण्ड गाईड, एन० एस० एस० और रेडक्रोस सोसाइटी आदि अनेक सामाजसेवी संस्थाओं के द्वारा कार्यक्रमों को विद्यालय प्रांगण में समायोजित कर शिक्षणार्थी के अन्तःकरण में सत्य, सहयोग और परहित की भावना को विकसित करने का प्रयत्न किया जाता है ।

महात्मागाँधी ने अहिंसा के पथ को अपनाते हुए ही हमें स्वतन्त्रता का पाठ पढ़ाया । भगवान् बुद्ध के बौद्धधर्म की आधारशिला अहिंसा ही है, जिसने सम्राट अशोक को राजनैतिक हथकण्डों द्वारा कलिंग पर विजय प्राप्ति के पश्चात् पश्चात्ताप की अग्नि में जलने को बाध्य किया तथा अन्त में अहिंसा धर्म के अनुरूप आचरण करने की प्रतिज्ञा कराई । इस प्रकार सम्पूर्ण वैदिक वाङ्मय अहिंसात्मक व्रत के अनुपालन की शिक्षा देता है । संक्षेप में कह सकते हैं कि मानव व्यक्तित्व की सर्वोत्कृष्ट आधार-शिला अहिंसा धर्म ही है ।

---

१. अहिंसयैव भूतानां कार्यं श्रेयोऽनुशासनम् ।
वाक् चैव मधुराश्लक्ष्णा प्रयोज्या धर्ममिच्छता ॥ मनुस्मृति—२/१५९

२. यस्य वाङ्मनसी शुद्धे सम्यग्गुप्ते च सर्वदा ।
स वै सर्वमवाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम् ॥ मनुस्मृति—२/१६०

आध्यात्मिक-प्रशिक्षण—अहिंसात्मक प्रवृत्ति का मूलाधार आध्यात्मिक-भाव है। आध्यात्मिकभाव यज्ञ, दान और त्याग की भावना का सूचक है। यही मानव का सर्वोत्कृष्ट मानवीय धर्म भी है। महर्षियों ने धार्मिक भावना की अभिवृद्धि के लिए यज्ञादिक आध्यात्मिक प्रवृत्तियों का विशिष्ट महत्त्व बताया है। याज्ञिक प्रक्रिया मानव को सदैव कर्म में आस्था रखने की शिक्षा देती है। जैसाकि ऋग्वेद में कहा भी गया है—**श्रम किये बिना देव भी सहायक नहीं होते**।[1] प्रत्यक्ष भी है, अत्यधिक भूख से व्याकुल होने पर भी, भोजन के नाममात्र से क्षुधा शान्त नहीं होती, उसके लिए तो भोजन का ग्रास मुँह तक पहुँचाना ही पड़ता है, दांतों से उस ग्रास को चबाना ही पड़ता है तथा चबाये हुए भोजन को उदर तक पहुँचाना ही पड़ता है, तब कहीं जाकर भूख से छुटकारा प्राप्त होता है। इसी प्रकार शास्त्र निर्दिष्ट नित्य-नैमित्तिक कर्मों को विधि-विधान से सम्पन्न करने पर ही आध्यात्मिक फल की परिणति रूप मोक्ष की प्राप्ति सम्भव हो सकती है। जिसके लिए महर्षियों ने विभिन्न वैदिक मन्त्रों द्वारा यज्ञादि अनुष्ठान के प्रतिपादन से श्रम-महिमा का औचित्य सिद्ध करते हुए, उसे पुरुषार्थ सिद्धि के लिए अनिवार्य बताया है। श्रीमद्‌भगवद्‌गीता में स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण ने भी श्रम-आश्रित कर्मयोग का उपदेश देकर निःस्वार्थ भाव से कार्य में आसक्त होने का निर्देश दिया है। कर्म-प्रधान अनासक्त योग की यही भावना आध्यात्मिक भाव पर आधारित होने के कारण मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करती है।

आध्यात्मिक भाव शारीरिक सम-विकास के सिद्धान्त पर आधारित है। शरीर में स्थूल (पञ्चमहाभूत) और सूक्ष्म (एकादश इन्द्रियाँ) शक्तियाँ निवास करती हैं। स्थूल शक्ति के अधिक बढ़ने से सूक्ष्म-शक्तियों की प्रगति अवरुद्ध हो जाती है तथा सूक्ष्म-शक्तियों के बढ़ाने का प्रयत्न करने पर स्थूल-शक्तियाँ क्षीण होने लगती हैं। इस शारीरिक असंतुलन को रोकने के लिए सम-विकास के सिद्धान्त को अपनाना मानव का परम कर्त्तव्य हो जाता है। मनुष्य की आन्तरिक स्थूल और सूक्ष्म शक्तियों का नाम ही आध्यात्मिक शक्ति है और इन शक्तियों का विकास ही आध्यात्मिक शक्ति का विकास है। महर्षियों ने इन स्थूल और सूक्ष्म शक्तियों के सम-विकास की प्रक्रिया को कर्म-योग की संज्ञा प्रदान करते हुए आध्यात्मिक यज्ञादिक अनुष्ठानों को नित्य

---

१. 'न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवाः'। ऋग्वेद—४/३३/११

सम्पादित करने का निर्देश दिया है। छान्दोग्योपनिषद्[1] में वाणी, प्राण, नेत्र और श्रोत्र इत्यादि शक्तियों को आध्यात्मिक शक्ति के नाम से उल्लेख किया गया है। ईश्वर प्रदत्त इन शक्तियों के विकास के लिए पाश्चात्य शिक्षा दार्शनिक एवं समाज सेविका **डॉ० एनी बेसेण्ट** ने शिक्षा सम्बन्धी अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है—**बालक में अन्तर्निहित उन समस्त शक्तियों का विकास करना, जिन्हें वह अपने साथ लेकर संसार में अवतीर्ण हुआ है, शिक्षा है।**[2] उनके मत में बालक एक दैवी प्राणी है। जन्म के साथ ही वह पूर्व-सञ्चित और वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त अनेक संस्कार अपने साथ लेकर संसार में आता है। जिनका **'शिक्षा'** के द्वारा परिशोधन और परिवर्धन किया जाता है। परिशोधन की इस प्रक्रिया के द्वारा डा० एनी बेसेन्ट बालक में ऐसी क्षमता व गुण भर देना चाहती हैं, जिससे वह सांसारिक सुखों में लिप्त न होते हुए आत्मानुभूति को जीवन का परमलक्ष्य बनाले और यह तभी सम्भव हो सकता है, जब वह आध्यात्मिक नीति के अनुरूप अपने आचरण को ढालने का प्रयत्न करता है।

'आध्यात्मिक कार्य क्षेत्र' का तात्पर्य वैयक्तिक शक्तियों का कार्य-क्षेत्र है, जिसके अन्तर्गत आत्मानुभूति और आत्मानुशासन की भावना का मार्ग विद्यमान है। निःश्रेयस् सिद्धि के मार्ग की प्राप्ति हेतु कर्म-क्षेत्र की प्रधानता का वर्णन करते हुए यजुर्वेदीय मन्त्र में कहा गया है—**विद्या और अविद्या अर्थात् आत्मा का ज्ञान और सृष्टि-विज्ञान सम्बन्धि जानकारी, ये दो प्रकार की विद्याएँ मानव के अभ्युदय और निःश्रेयस् के लिए समान रूप से उपयोगी है। आत्म-विद्या से आत्मिक बल बढ़ता है शान्ति मिलती है तथा मन शंकाओं से विमुक्त हो जाता है, जबकि सृष्टि विषयक ज्ञान से ऐहिक उत्कर्ष के साधनों की प्राप्ति होती है। प्रकृति विषयक ज्ञान से, पञ्च-महाभूतों के ज्ञान से तथा सृष्टि विषयक शास्त्रों की सहायता से मृत्यु अर्थात् अपमृत्यु-दुःख और व्यवहार में दैनिक कार्यों में उत्पन्न रुकावटें दूर हो जाती हैं। तथा आत्म-विद्या से अमरता, मोक्ष अथवा कैवल्य प्राप्त होता है अर्थात् व्यक्ति ब्रह्मपद को प्राप्त करता है।**[3] अतः मनुष्य को चाहिए की वह सृष्टि विषयक ज्ञान से ऐश्वर्यादि

---

१. वाक्···प्राण···चक्षु···श्रोत्रं···इत्यध्यात्मम्।

छान्दोग्योपनिषद् — ३/१८/२

2. Besand, Annie-Basant Spirit, Vol. II.

३. विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय सह।
अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते ॥ यजुर्वेद—४०/१४

साधनों को जुटाते हुए अपनी जीवन-यात्रा को सुखमय बनाने का प्रयास करे तथा आध्यात्मिक ज्ञान "**ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति**" के अनुशीलन से पारमार्थिक जगत् को प्राप्त करते हुए परमकल्याण अर्थात् मोक्ष को सिद्ध करे। महर्षियों ने परम सत्यस्वरूप परब्रह्म परमेश्वर की साधना के लिए आध्यात्मिक प्रवृत्ति को विकसित करने का उपदेश दिया है। आध्यात्मिक प्रवृत्ति का विकास आत्मचिन्तन द्वारा ही सम्भव हो सकता है। आत्मचिन्तन अन्तःकरण का विषय है। इसीलिए पाश्चात्य और भारतीय मनीषियों ने शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए उसे अन्तर्निहित शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करने का साधन माना है। शक्तियों के प्रकटीकरण की यह प्रक्रिया पूर्णतः मनोवैज्ञानिक होते हुए भी आध्यात्मिक योग साधना की प्रक्रिया पर आधारित है, जिसका उद्देश्य अन्तःकरण का परिशोधन करते हुए सात्त्विक गुणों के आविर्भाव से चिदात्मस्वरूप सच्चिदानन्द में आत्मसात् करना है। जिसके लिए यौगिक प्रक्रिया अनिवार्य है।

'मनोयोग' के अभ्यास द्वारा ही मानव को **'कर्म-क्षेत्र'** में सफलता प्राप्त हो सकती है। महर्षि पतञ्जलि ने अपने योगसूत्र में निर्देश दिया है— **मानव हृदय का शाश्वत स्वप्न आत्मा को अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाना है**[1], अर्थात् त्रिगुणात्मक स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर में विलीन हो जाना है। इस महर्षि वाक्य के अनुसार मनुष्य की आत्मा ही सबसे मूलतत्त्व है, मान की समस्त इच्छाएँ तथा मस्तिष्क के सभी तर्क आत्मा की सत्ता पर ही प्रतिष्ठित हैं। यह शाश्वत प्रमाणित है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन् का मन्तव्य भी है—**यदि कोई सत्ता हो सकती है तो वह आत्मा की ही है। यही परम सत्य है, जो अपरिवर्तनशील है, ऐसी अनदेखी वास्तविकता है, जो सम्पूर्ण जीवन एवं तर्क का आधार है। यह वो रहस्य है जो मूकरूप में स्वयं को सिद्ध करता है। हमारी सत्ता है—इस सत्य से अधिक महत्त्वपूर्ण अन्य कोई तथ्य हमारी चेतना में नहीं आता है।**[2]

१. तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्। पातञ्जल योगसूत्र—१/३

2. If anything can be, then the soul is. It is the ultimate truth which is above all change, the unseen reality which is the basis of all life and logic. It is the mystery which silently offims it self, What minds think is not of much importance beside the truth that we are.

भारतीय संस्कृति—पृ० स० ७१

सम्पूर्ण वैदिक वाङ्मय के अनुसार मानव के सभी आयामों का ध्येय आध्यात्मिक पूर्णता है। यह उस परमसत्ता की एकता और सम्पूर्णता के परम विश्वास पर प्रतिष्ठित है, जो त्रिकालद्रष्टा महर्षियों के साक्षात्कार का विषय है। आध्यात्मिक पूर्णता मानव में आत्माभिव्यक्ति और आत्मानुभूति की भावना को विकसित करते हुए मानवीय गुणों से परिपूर्ण करती है। जैसाकि यजुर्वेदीय मन्त्र द्वारा महर्षि ने स्पष्ट किया है—**मानव का सृजन उन्नति के लिए हुआ है, न कि अनुदारता के लिए**।[1] कहने का तात्पर्य यह है कि इस भौतिक संसार में मानव अभ्युदय और पर-कल्याण के लिए जन्मा है, न कि अपने संकीर्ण व्यवहार से प्राप्त अद्भूत शक्तियों का ह्रास करने के लिए। उसे किसी भी कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व इस निष्कर्ष पर पहुँचना चाहिए कि प्रगति होने के कारण उसे उस कार्य में सफलता प्राप्त होगी अथवा नहीं। साथ ही साथ उसे प्रगति-पोषक कार्यों का भी प्रारम्भ करना चाहिए, जिससे राष्ट्र अथवा स्वयं का अभ्युदय हो सके तथा मन की उदारता व्यक्त हो, न कि संकीर्णता। इस के लिए महर्षि ने "**स्वरभिविख्येषं**"[2] मन्त्रद्वारा मानव अभिलाषा को व्यक्त करते हुए कहा है कि मुझे आत्मप्रकाश दिखाई दे अर्थात् मेरे अन्तःकरण में अज्ञानता से व्यावृत समस्त भ्रान्तियाँ विनिष्ट हो जायें, जिसके फलस्वरूप मुझे ज्योतिर्मयपुञ्ज परब्रह्म परमेश्वर से साक्षात्कार हो सके। साक्षात्कार की यह प्रक्रिया समग्ररूप से आत्माभिव्यक्ति और आत्मानुभूति पर आधारित है।

आत्माभिव्यक्ति से तात्पर्य है—आत्म-ज्ञान अर्थात् व्यक्ति का व्यावहारिक पक्ष। आत्म-ज्ञान का अर्थ है—आत्मा और उस पर निर्भर बुद्धि, अहंकार, चित्त, मन, इन्द्रियगण और शरीर के जो गुण, धर्म तथा कर्म हैं, उनका ज्ञान। आत्म-ज्ञान के इच्छुक—"**तू अमर है, तू सुखमय है, तू शक्तिसम्पन्न व पवित्र है, तू तेज स्वरूप है, तू यश है तथा सर्वव्यापक परमात्मा का मन्दिर है**"[3] इन छः मन्त्र भागों के मनन में नित्य-प्रतिदिन मग्न रहता है। जिसके कारण मानव के अन्तःकरण में आत्म-शक्ति विकसित होती है। मनोविश्लेषण चिकित्सकों का मत भी है कि आत्म-प्रकाश अथवा आत्म-शक्ति की अभिवृद्धि से व्यक्ति में भावना-ग्रन्थि अथवा मानसिक ग्रन्थि नहीं पनप पाती, जिसके

---

१. 'भूताय त्वा नारांतये' यजुर्वेद—१/११

२. यजुर्वेद—१/११

३. अमृतं असि। शर्म असि। शुक्रं असि। तेजः असि। धाम नाम असि। विष्णुर्वेप्यः असि। यजुर्वेद—१/३१

कारण मानव अपना जीवन-यापन सुगमता से कर लेता है। आत्मानुभूति से अभिप्राय है—अपने 'स्व' को विकसित करते हुए, उसे विश्व के 'स्व' के साथ स्वीकृत कर देना अर्थात् एकता में अनेकता और अनेकता में एकता के दर्शन करते हुए समाजोजित गुणों की अभिवृद्धि करना। यही वैदिक शिक्षा का मूलमन्त्र है। आध्यात्मिक अभिव्यक्ति की भावना का वास्तविक स्वरूप भी यही है। बिना सामाजिक गुणों को विकसित किये मानव में आध्यात्मिक गुणों का विकास सम्भव नहीं हो सकता। आध्यात्मिकता का प्रशिक्षण ही मानव में मानवोचित गुणों का विकास करता है, जिसे हम नैतिक-आचरण अथवा आत्मानुशासन की संज्ञा से अभिहित कर सकते हैं।

मानव का साध्य वैयक्तिक, सामाजिक और जागतिक शान्ति है। वैयक्तिक शान्ति से आध्यात्मिक भाव की, सामाजिक शान्ति से आधिभौतिक भाव की तथा जागतिक शान्ति से आधिदैविक भाव की अभिवृद्धि होती है। अतः महर्षि ने प्राणि-मात्र को शिक्षा रूपी साधन द्वारा त्रिविध शान्ति को साधने का निर्देश दिया है। इन कर्त्तव्यों का स्मरण कराने के लिए '**ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः**'[1] मन्त्र का तीन बार उच्चारण करने का निर्देश दिया है। जिसके कारण मन एकाग्र होता है तथा ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ अपने-अपने कार्यक्षेत्र में कार्यरत रहती हैं। इनमें ज्ञानेन्द्रियों के लिए ज्ञान-क्षेत्र तथा कर्मेन्द्रियों के लिए कर्म-क्षेत्र निश्चित किये गये हैं। जगत् में जानने योग्य वस्तु का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना ज्ञान-क्षेत्र की व्याप्ति के अन्तर्गत है। पुरुष और प्रकृति, ईश्वर और सृष्टि, आत्मा और अनात्मा, ये दो ही प्रकार के पदार्थ संसार में हैं, जिनका यथार्थ ज्ञान पञ्च ज्ञानेन्द्रियों और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार रूप अन्तःकरण चतुष्टय से प्राप्त होता है। जिसकी परिणति अभ्युदय और निः-श्रेयस् की प्राप्ति द्वारा परमात्म-तत्त्व की सिद्धि है। किन्तु परमात्म-तत्त्व की प्राप्ति द्वारा मानव पूर्णता को तभी प्राप्त कर सकता है, जबकि ज्ञान-क्षेत्र, कर्म-क्षेत्र में प्रविष्ट होता है। अतः ये दोनों क्षेत्र अन्योन्याश्रित हैं। ज्ञान-क्षेत्र जैसे-जैसे विस्तृत होता जाता है, वैसे-वैसे ही कर्म-क्षेत्र में भी अभिवृद्धि होती जाती है। '**जगत्यां जगत्**'[2] मन्त्र के अनुसार जगती के आधार से जगत् है अर्थात् संघ के आधार से व्यक्ति है अथवा समष्टि से व्यक्ति है। इस सम्बन्ध से व्यक्ति को जन-हित का ध्यान रखते हुए निरन्तर कर्म करते रहना

१. यजुर्वेद—शान्तिपाठ

२. यजुर्वेद—४०/१

चाहिए। व्यक्ति में आत्मा और शरीर का सम्बन्ध होने से शरीर को आत्मा के लिए और आत्मा को शरीर के लिए कर्म करने ही चाहिए। श्रीमद्भगवद्-गीता भी ज्ञान और कर्मयोग के समन्वित रूप का उपदेश देती है। प्रसिद्ध पाश्चात्य दार्शनिक **रूसो** ने '**एमील**' में लिखा है—**मुझे बालक को ज्ञान प्राप्त नहीं कराना है। मुझे तो उसे इस बात की शिक्षा देनी है कि वह ज्ञान का शोध किस प्रकार करे**। इस प्रकार प्रकृतिवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक रूसो ने भी ज्ञान और कर्म के समन्वित रूप से प्राप्त यथार्थ ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान की उपमा देते हुए मोक्षानुगामी बताया है।

मुण्डकोपनिषद् में यथार्थ—ज्ञान से प्राप्त लाभ का वर्णन करते हुए महर्षि ने कहा है—**यह अन्तःकरण में विद्यमान ज्योतिर्मय, शुभ्र आत्मा निश्चय ही सत्य-भाषण, तप, ब्रह्मचर्य और यथार्थ-ज्ञान से ही सदा प्राप्त हो सकता है, सर्वदोष रहित साधक ही उसे देख पाते हैं**।[1] अतः महर्षि ने वेद-वेदाङ्ग में प्रयुक्त मन्त्रों के माध्यम से ज्ञान (विद्या) द्वारा बौद्धिक विकास का स्पष्ट निर्देश देते हुए उसे परमात्मपद की प्राप्ति का मार्ग-प्रशस्तक बताया है। यजुर्वेदीय मन्त्रों में उभयशक्ति बोधार्थ ज्ञान के स्वरूप को बताते हुए कहा है—**सब प्राणिमात्रों में, सब पञ्चभूतों, सब लोकलोकान्तरों और सब दिशा उपदिशाओं में रहने वाले पदार्थों को यथावत् जानकर तथा सत्य नियम के पहले प्रकाशक परमात्मा की उपासना करके ज्ञानी भक्त केवल आत्म-स्वरूप से परमात्मा में प्रविष्ट होते हैं**।[2] अगले मन्त्र में कहा गया है—**जब ज्ञानी आकाश से पृथिवी तक के सब पदार्थों को, सूर्यादि समस्त पिण्डों को और सब दिशाओं में रहने वाले सब पदार्थों को तथा आत्मशक्ति को जानता है और सत्य के विस्तृत सूत्र को अर्थात् सूत्रात्मा का अनुभव करने लगता है, तब उस ब्रह्म को साक्षात् करता है और वैसा बनता है, जैसाकि पहले था**।[3] महर्षि

१. सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा, सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्।
अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो, यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः॥
मुण्डकोपनिषद्—३/१/५

२. परीत्य भूतानि परीत्य लोकान् परीत्य सर्वाः प्रदिशो दिशश्च।
उपस्थाय प्रथमजामृतस्यात्मनाऽऽत्मानमभि सं विवेश॥
यजुर्वेद—३२/११

३. परि द्यावापृथिवी सद्य इत्वा परि लोकान् परि दिशः परि स्वः।
ऋतस्य तन्तुं विततं विचृत्य तदपश्यत्तदभवत्तदासीत्॥
यजुर्वेद—३२/१२

ा मन्त्रों के माध्यम से उपदेश दिया है कि (i) तृण से लेकर सूर्य तक
गृष्टि के पदार्थों को जानना (ii) सूत्रात्मा को व्यापार और सृष्टि से
ा मानना और अनुभव करना (iii) आत्मा का परमात्मा के साथ योग
ा और (iv) पूर्व अवस्था के सदृश अवस्था को प्राप्त करना। अर्थात्
ा-शक्ति तथा आत्म-शक्ति को जानना है। केवल विश्व-शक्ति को जानने
थवा आत्म-शक्ति का विचार करने से ही लाभ नहीं होगा। उभयशक्ति
ज्ञान की अनिवार्यता का उल्लेख करते हुए यहाँ कहा गया है कि पदार्थ
से सम्पूर्ण विश्व का तथा आत्म-विद्या से आत्मविषयक ज्ञान प्राप्त होता
दार्थ-विद्या को अविद्या और आत्म-विद्या को विद्या कहा गया है, जिसका
ा हम पूर्व में कर चुके हैं। इन दोनों के ज्ञान से ही सृष्टि विषयक वास्त-
जानकारी प्राप्त होती है। पदार्थविद्या से सृष्टि के अटल नियमों का
ज्ञान होता है तथा ये अटल नियम जहाँ से प्रेरित होते हैं, उस परमात्मा
ज्ञान आत्म-विद्या से होता है।

ज्ञान के महत्व की चर्चा करते हुए प्रसिद्ध पाश्चात्य दार्शनिक **कॉमेनियस**
हा है—**सभी स्त्री-पुरुषों को सब विषयों का ज्ञान देना—यही एक**
र्श विद्यालय का लक्ष्य होना चाहिए। ठीक भी है, ज्ञान ही मानव-जीवन
ेचीदा समस्याओं का समाधान देते हुए जीवन के कल्याणकारी मार्ग को
त करता है। साहित्य और विभिन्न ललित-कलाओं के ज्ञान द्वारा
ात्मक एवं सृजनात्मक प्रवृत्तियों में भाग लेने से आनन्द की प्राप्ति होती
हमारी सभ्यता और संस्कृति के उन्नयन में सहायता मिलती है। जिसके
वरूप मनुष्य संयमित और मर्यादित जीवन व्यतीत करते हुए अपने
ात्व का विकास करता है। ज्ञान ही मानव को सम्पन्नता प्रदान करता
उपर्युक्त कथन की पुष्टि **यजुर्वेदीय मन्त्र**[1] के इस भाव से होती है, जिसमें
ि ने परमेश्वर से प्रार्थना की है कि हम परोपकारियों को लोकोपकारी
और ज्ञान से सम्पन्न करें। इसके साथ ही साथ ऋषियों ने वैदिक मन्त्रों
आशीर्वाद दिया है—**तू अपनी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक**
तयों का प्रचुर मात्रा में विस्तार कर, जिससे तेरा सर्वाङ्गीण विकास सम्भव
सके।[2] सर्वाङ्गीण विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए हमारे मनीषियों
हा है कि सर्वप्रथम बालक की आत्म-शुद्धि के लिए आध्यात्मिक वातावरण

अस्मान् रायो मघवानः सचन्ताम्। यजुर्वेद—२/१०
'उरू प्रथस्व'। यजुर्वेद—१/२२

का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक वातावरण द्वारा बालक के अन्तःकरण में व्याप्त कलुषित संस्कारों का परिहार कर आत्माभ्युदय के मार्ग को प्रशस्त किया जा सकता है। मार्ग-प्रशस्तीकरण की यह प्रक्रिया पूर्णतः मनोवैज्ञानिक होने के साथ-साथ बालक के सर्वाङ्गीण विकास का द्वार खोलती है। अतः पाश्चात्य और भारतीय शिक्षाविदों ने शिक्षा के उद्देश्य के अन्तर्गत बालक के आध्यात्मिक विकास की ओर भी पूर्ण ध्यान दिया है।

भावनात्मक एकता का विकास—भारतीय जीवन दर्शन आध्यात्मिक स्वतन्त्रता पर आधारित है। हमारे सम्पूर्ण आचार-विचार रहन-सहन और खान-पान सब कुछ आध्यात्मिकता से अनुप्राणित है। यही भावना हम अन्तःकरण में व्याप्त संशयात्मक वृत्ति का निदान करती है तथा मानवी गुणों से ओत-प्रोत आपसी सहयोग और सह-अस्तित्व की भावना को जाग्र करती है। जिसके फलस्वरूप मानव से मानव का भावनात्मक सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। वैसे भी **'अमृतस्य पुत्राः'** इस वैदिक वाक्य के अनुसार हम सब उस ज्योतिर्मयपुञ्ज परम-तत्त्व परब्रह्म परमेश्वर की सन्तान है, जिसने **'एकोऽहं बहुस्याम्'** की आकांक्षा से सृष्टि के प्रत्येक अंश में अस्तित्व को प्रकट किया है। सृष्टि नियन्ता की घट-घट में निवास की प्रवृत्ति ने विभिन्न धर्मानुयायियों में साम्प्रदायिक रीति-रिवाज और साधना पद्धति के भिन्न होने पर भी आन्तरिक सम-रसता बनाये रखी है, जो न केवल सैद्धान्तिक विचार-धारा पर आधारित है, अपितु व्यावहारिक भी है। यही दृष्टिकोण हमारे जनतन्त्र और धर्म-निरपेक्ष राज्य का बीजमन्त्र भी है। बिना भावनात्मक एकता के हम विश्व को एक सूत्र में बाँध ही नहीं सकते हैं, तो धर्म-निरपेक्ष की आकांक्षा कैसे कर सकते हैं। **'धर्म नहीं सिखाता आपस में वैर करना, हिन्दू हैं हम हिन्दुस्ताँ हमारा,'** के भाव भी हमें भावनात्मक एकता की शिक्षा देता है। यजुर्वेदीय मन्त्रों में महर्षि ने अखण्ड साम्राज्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा है—**इस जगत् के बाहर और भीतर सर्वत्र यह ज्योतिर्मय प्रकाशपुञ्ज परमात्म-तत्त्व व्याप्त है, अतः समस्त प्राणियों को समान दृष्टि से देखना और उन्हें आत्मवत् समझना ही सच्चे धर्म का सार है। जिन्होंने धर्म के इस गूढ़ार्थ को जान लिया है और इस जगत् की बाह्य विविधता में अनुस्यूत दिव्य एकता के दर्शन कर लिये हैं, उन्हें ही परमानन्दस्वरूप परब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप की प्राप्ति सम्भव है।**[1] दूसरे शब्दों में, जिन्होंने आत्मा-

---

१. यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवाऽनुपश्यति।
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति॥ यजुर्वेद—४०/६

जीवात्मा के भेद से सृष्टिविषयक ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, वही **'सत्यं शिवं सुन्दरम्'** की अनुभूति को प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। यही आत्मानुभूति मानव की आत्माभिव्यक्ति बन भावनात्मक एकता को जन्म देती है।

भारत विभिन्न धर्मों सम्प्रदायों और राज्यों से समवेष्टित होने पर भी किसी सम्प्रदाय या जाति विशेष के नियमों से निरपेक्ष होने के कारण धर्म-निरपेक्ष राज्य कहा जाता है, जिसके अधीनस्थ कश्मीर से कन्याकुमारी तथा पंजाब से असम तक का भू-खण्ड प्रजातन्त्रात्मक शासन व्यवस्था से एकीकृत है। एकीकरण की इस प्रक्रिया को विघटनकारी शक्तियों से बचाने के लिए तथा समाज में बढ़ते हुए असंतोष की रोकथाम के लिए **५ मई १९६१** में **डा० सम्पूर्णानन्द** की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई, जिसे राष्ट्रीय जीवन में भावनात्मक एकता की जाँच, इसके विकास में शिक्षा की भूमिका की परीक्षा, भावात्मक एकता में बाधक तत्त्वों का अध्ययन कर सामान्य रूप से राष्ट्र के समस्त नागरिकों अथवा विशिष्ट रूप से विद्यालय-विश्वविद्यालय में अध्ययनरत बालकों के लिए ऐसे सुझाव देने का कार्य सौंपा गया जिससे उनमें व्याप्त असंतोष और अराजकता को दूर करते हुए भावात्मक एकता को सुदृढ़ किया जा सके। **सन् १९६२** में समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में सुझाव दिया गया है कि भावात्मक एकता के माध्यम से ही वर्तमान युवा पीढ़ी में व्याप्त असंतोष और अराजकता को दूर किया जा सकता है तथा नैतिक आधार पर आपसी सहयोग और भाईचारे की भावना को विकसित किया जा सकता है। इसीलिए समिति ने आध्यात्मिक धरातल पर आधारित भावात्मक एकता के विकास के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम में समुचित स्थान देने का सुझाव दिया है। अपने इस पक्ष को परिपुष्ट करने के लिए समिति का यह मन्तव्य है कि भावात्मक संसार के आधार पर ही राष्ट्र का उत्कर्ष हो सकता है, अन्यथा नहीं। यदि हम जाति, धर्म और भाषा के आधार पर ही आपस में स्नेह अथवा द्वेष करते रहेंगे तो समाज और राष्ट्र छिन्न-भिन्न हो जायेगा। इसके विपरीत यदि व्यष्टि और समष्टि दोनों का सामाजिक और राष्ट्रीय भावना के सम्पोषण के लिए उचित मार्ग-दर्शन किया जाय, तो निःसन्देह वह समाज और राष्ट्र के उत्थान हेतु वरदान सिद्ध हो सकता है।

राष्ट्र और समाज को विघटन से बचाने के लिए उपर्युक्त भावात्मक एकता आवश्यक है, अन्यथा समष्टि के स्थान पर व्यष्टि की भावना के विकसित होने पर राष्ट्र संघटित होने की अपेक्षा विघटित हो जायेगा। इस सन्दर्भ

में **कोठारी आयोग** ने भी चिन्ता व्यक्त की है—**समाज को एक रखने वाले पुराने मूल्य टूट रहे हैं और चूंकि इनका स्थान सामाजिक उत्तरदायित्व की एक नयी भावना द्वारा लिए जाने का कोई प्रभावशाली कार्यक्रम नहीं है, अतः सर्वत्र सामाजिक विघटन के अनेक लक्षण दिखाई दे रहे हैं और वे लक्षण बढ़ भी रहे हैं। इन के अन्तर्गत हड़तालें, बढ़ती हुई अव्यवस्था, सार्वजनिक सम्पत्ति के प्रति अवहेलना, सामाजिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार और साम्प्रदायिक तनाव शामिल है।**

राष्ट्र में बढ़ते हुए विघटनकारी तत्त्वों की समाप्ति कैसे हो? इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कार्य-शालाओं का आयोजन किया जा रहा है। "**राष्ट्रीय शिक्षा नीति १९८६**" के अन्तर्गत वर्तमान में व्यापक रूप से असंतोष को दूर करने का मार्ग प्रस्तुत करते हुए निर्देश दिया है कि भारत ने विभिन्न देशों में शान्ति और आपसी भाईचारे के लिए सदा प्रयत्न किया है और '**वसुधैव कुटुम्बकम्**' के आदर्शों को संजोया है। इस परम्परा के अनुरूप शिक्षा-व्यवस्था का प्रयास यह होना चाहिए कि नई पीढ़ी में विश्व-व्यापी दृष्टिकोण सुदृढ़ हो तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की भावना बढ़े। किन्तु यह तभी सम्भव हो पायेगा जब हमारे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में '**सबके लिए शिक्षा**' हमारे भौतिक और आध्यात्मिक विकास की बुनियादी आवश्यकता हो।

विश्व मञ्च पर मानव-जाति को संगठित करने का एकमात्र उपाय भावनात्मक एकता ही है। जिसकी विकास सम्बन्धी प्रक्रिया के सम्बन्ध में सृष्टि के प्रारम्भ से ही त्रिकालद्रष्टा महर्षियों ने अपना मन्तव्य दिया है। उनके मतानुसार—**समस्त ब्रह्माण्ड का नियन्ता सर्वशक्तिमान् तथा नित्य एक ही है, जिसका मनीषियों ने अपनी-अपनी साधना और क्षमता के अनुसार विभिन्न रूपों में साक्षात्कार किया है।**[1] इसी को विषकलिता रूप से यदि देखा जाये तो विश्व के जितने भी सम्प्रदाय या धर्म हैं, वे चाहे जिस किसी नाम (ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अल्लाह, यीसु आदि) से स्मरण करने की प्रेरणा दें, इन सबका उपास्य सर्वशक्तिमान् नित्य कोई एक ही है। इस बात को यदि मानव-मात्र ठीक से समझले तो साधनामार्ग के पृथक्-पृथक् होने पर भी साध्य की एकता

---

१. 'एकं सद्-विप्राः बहुधा वदन्ति।
रुचिनां वैचित्र्याद् ऋजुकुटिलनानापथजुपाम्।
नृणां एकोगम्य······'। शिवमहिम्नमस्तोत्र

के कारण भावनात्मक एकता का विकास सरलता से हो सकता है। इस भावनात्मक एकता के प्रयोजक गूढ़तत्त्व संस्कृत वाङ्मय में सूत्र और व्याख्या रूप से प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं। इसीलिए संस्कृत वाङ्मय को किसी देश या काल की सीमा में न बाँधकर विश्व की उदार संस्कृति के पोषक के रूप में विशिष्ट स्थान दिया गया है। अतः विभिन्नता में एकता का दर्शन करना हो अथवा समस्त विश्व को एक ही नीड में निवास करने सम्बन्धी भावना को विकसित करना हो तो हमें विश्व भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाना ही होगा। क्योंकि वास्तव में संस्कृत ही हमारी संस्कृति की धरोहर है, उसकी उपेक्षा से समस्त मानवता की ही उपेक्षा होगी। मानवता की उपेक्षा ही राष्ट्र में अशान्ति को जन्म देती है तथा विघटनकारी प्रवृत्ति का त्वरितगति से विस्तार करती है, जो समाज और राष्ट्र दोनों ही के लिए घातक है।

यह कहना गलत नहीं होगा कि उदात्त संस्कृति के परिपोषक संस्कृत वाङ्मय की उपेक्षा के कारण ही वर्तमान में नैतिकता और समष्टि भावना का ह्रास उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। कहीं हम धर्म और सम्प्रदाय के नाम पर झगड़ रहे हैं, तो कहीं क्षेत्र और भाषा से सम्बन्धित विवाद हैं। इन्हीं विवादों में पड़कर हम अपनी उदात्त संस्कृति से विमुख होते जा रहे हैं। इन समस्त विवादों का समाधान करने के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम में संस्कृत को समुचित स्थान देना परमावश्यक है। तभी हम वास्तविक रूप में भावनात्मक एकता के माध्यम से मानवमात्र को एकसूत्र में बाँध पायेंगे।

मानव-व्यक्तित्व का सर्वाङ्गीण विकास—यद्यपि मानव-व्यक्तित्व की पराकाष्ठा का मूल्याङ्कन कर पाना नितान्त असम्भव है, फिर भी श्रीमद्-भगवद्गीता में भगवान् श्रीकृष्ण ने निष्काम कर्मयोग के उपदेश द्वारा पुरुषार्थ-चतुष्टय की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने उपदेशात्मक शब्दों में अर्जुन को निर्देश दिया है—**कल्याणकारी कर्म करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती**"[1] अतः मानव को सदा सत् आचरण से युक्तकर्म ही करना चाहिए। क्योंकि शुद्धाचरण युक्त कर्म ही मानव में नैतिकता का विकास करते हैं। नैतिकता मानव के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास की कुञ्जी है, जिसकी परिणति मानव के सर्वाङ्गीण विकास के रूप में परिलक्षित होती है। महाभारत में मानव-व्यक्तित्व के चहुँमुखी विकास के स्वरूप को स्पष्ट

---

१. न हि कल्याणकृत्कश्चिद्दुर्गतिं तात गच्छति।

श्रीमद्भगवद्गीता—६/४०

करते हुए कहा गया है—**सद्-बुद्धि-कुलीनता, जितेन्द्रियत्व, शास्त्र-ज्ञान, पराक्रम, अल्प-भाषण, यथा-शक्ति दान और कृतज्ञता, ये आठ गुण मनुष्य को प्रकाशित करते हैं।**[1]

प्रकाश मानव का ही प्राण है या चैतन्य है। चैतन्य ही आत्म-तत्त्व से बोधित है। आत्मा के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए हमारे दार्शनिकों ने दर्शन के प्रकारों का मार्ग प्रस्तुत किया है। आत्म-तत्त्व के अभिव्यञ्जन में शरीर इन्द्रियों का सहयोग अपेक्षित है। विद्युत के प्रकाश में जैसे बल्ब आदि साधनों की अपेक्षा होती है, क्योंकि विद्युत का अभिव्यञ्जन बिना बल्ब के नहीं हो सकता है, ठीक उसी प्रकार शरीर के बिना आत्म-तत्त्व के प्रकाश आनन्दादि गुणों की अनुभूति नहीं हो सकती है। इसीलिए हमारे यहाँ प्रथम शरीर, इन्द्रिय और अन्तःकरण की निर्मलता अपेक्षित है। शरीर की सुरक्षा तथा शुद्ध व्यवस्था तभी बन सकती है, जब उसके प्रत्येक अवयव शुद्ध हों। शरीर की शुद्धता के लिए तथा अवयवों की शुद्धता के लिए जो आचार-संहिता शास्त्रों में निर्दिष्ट की गई है, वह अत्यन्त उपादेय है। आचार ही शरीर को सुव्यवस्थित बनाकर इन्द्रियों को सुदृढ़ बनाने के लिए महान् औषधि का कार्य करता है। क्योंकि आधार के सुदृढ़ होने पर ही उसमें रहने वाले पदार्थ शक्ति सम्पन्न और दृढ़ता को प्राप्त कर सकते हैं। शरीर ही इन्द्रियों का आधार है, इन्द्रियाँ शरीर की सुव्यवस्थित अवस्था में ही अपने कार्यों को समुचित रूप में प्रदर्शन कर सकती हैं। इन्द्रियों के दो रूप हैं—ज्ञान और कर्म। ज्ञानेन्द्रियाँ-श्रोत्र, त्वक्, चक्षु, जिह्वा और घ्राण ये पाँच हैं। वाक्-पाणि-पाद-वायु-उपस्थ, ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं। इन सब के ऊपर ग्यारहवीं संख्या "मन" की होती है। समस्त एकादश इन्द्रियाँ आचार सम्पन्न शरीर को पाकर ही अपने वास्तविक शुद्ध स्वरूप को उपस्थित कर सकती हैं। इनका सबल होना अपने-अपने कार्य के सम्पादन में नैपुण्य है। इन्द्रियाँ निर्मल मन पर आधारित हैं, क्योंकि अन्तःकरण (मन) जितना अधिक स्वच्छ अथवा निर्मल होगा, उतना ही उसमें उन पदार्थों का प्रतिबिम्ब स्वच्छ और सुन्दर दिखाई देगा। जैसाकि दर्पण की स्वच्छता प्रतिबिम्ब की स्वच्छता का परिचायक है।

---

१. अष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति
   प्रज्ञा च कौल्यं च दमः श्रुतं च।
   पराक्रमश्चाबहुभाषिता च,
   दानं यथाशक्तिकृतज्ञता च॥ महाभारत

इन तीनों का परस्पर सहयोग रहने पर ही शारीरिक, वाचिक और मानसिक कार्य सुदृढ़ तथा सुव्यवस्थित हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। सात्त्विक वृत्ति सम्पन्न होकर मानव चारित्रिक तथा राष्ट्र के उन्नायक कर्मों को वहन करने में तथा उसके प्रचार-प्रसार में अधिक तेजस्वी बन सकता है। मनुष्य का तेज ही सुन्दर व्यक्तित्व का परिचायक है। जिसका व्यक्तित्व सुन्दर और स्वच्छ है, वही वस्तुतः चेतन है और उस चेतन के चैतन्य से समस्त भू-मण्डल प्रकाशित हो रहा है। अतः चैतन्य ही मानवमात्र का सर्वाङ्गीण विकास है। सर्वाङ्गीण विकास से तात्पर्य चेतन की जो वास्तविक अनुभूति है, उसे संसार के समक्ष प्रायोगिकरूप में लोगों के सामने प्रदर्शित कर सके, जिससे मानव-जाति अपने कर्त्तव्यों के अनुपालन के समय पूर्वजों द्वारा प्राप्त अनुभवों के अनुसरण से अपने व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास कर सके। क्योंकि वास्तविकता भी यही है कि जिस राष्ट्र के नागरिक जितने अधिक विकसित होंगे, उससे उतनी ही अधिक राष्ट्र की राष्ट्रीयता सु-सम्पन्नता को प्राप्त होगी। किन्तु यह तभी सम्भव हो सकता है जबकि राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक सदाचार और नैतिक कर्त्तव्यों के अनुपालन में सतत-प्रयत्नशील हो।

अतः महर्षियों ने सृष्टि के प्रारम्भ से ही विकासोन्मुख मानव के चहुँमुखी विकास के लिए शिक्षा की अनिवार्यता पर बल दिया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा द्वारा न केवल मानव को इस योग्य बनाना है, जिससे वह अपने उदरपूर्ति सम्बन्धी साधनों को जुटा सके, अपितु उसे इस योग्य भी बनाना है कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए सामाजिक आवश्यकताओं को भी पूर्ण कर सके। किन्तु यह तभी सम्भव है, जब शिक्षा उसे पूर्णता प्रदान करती हुई धर्म-निर्दिष्ट आचार-संहिता के अनुरूप आध्यात्मिक व्यवहार करने का मार्ग प्रशस्त करे और यह तभी सम्भव हो सकता है, जबकि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानव-व्यक्तित्व का सर्वाङ्गीण विकास करना ही हो।

— o —

६

सामाजिक-प्रशिक्षण

सम्पूर्ण वैदिक वाङ्मय इस बात का प्रतीक है कि **'आचार शिक्षा'** के द्वारा ही समस्त मानव-जाति और समाज का अभ्युदय और निःश्रेयस सम्भव है, अन्यथा नहीं। जिसके लिए हमारे पूर्ववर्ती महर्षियों ने आप्त वचनों द्वारा समय-समय पर विभिन्न देवताओं की स्तुति गान द्वारा उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया है। यजुर्वेदीय महर्षि ने सुकर्मा से सामाजिक गुणों की अभिवृद्धि और समाजोचित शुद्ध-आचरण की प्राप्ति हेतु अर्चना की है—**हे सुकर्मा ! तू पृथ्वी पर रहने वाली प्रजा की सु-सेवा के लिए, मानव-जाति के उत्कर्ष और अभ्युदय के लिए तथा संस्कृति और सभ्यता के संरक्षण के लिए सदा कटिबद्ध रहो।**[1] अन्य मन्त्र में **लोकोपकारी कार्यों में संलग्न व्यक्तियों के लिए परब्रह्म परमेश्वर से धन-धान्यादि विभिन्न ऐश्वर्य साधनों से सम्पन्न कर ज्ञान-सरिता में निमज्जन करने की प्रार्थना की है**[2]। एक अन्य मन्त्र में कहा गया है—**हे मानव ! तुझे यह शरीर संसार में सदाचार और मानवता के वर्चस्व की स्थापना के लिए मिला है।**[3] जिसमें शिक्षा की अहम् भूमिका है, क्योंकि मानव शिक्षण-प्रक्रिया द्वारा ही समाज में सामञ्जस्य स्थापित करते हुए सत्य-असत्य, पाप-पुण्य, धर्म-अधर्म, न्याय-अन्याय और अच्छे-बुरे का मूल्याङ्कन करता हुआ सन्मार्ग प्रशस्त कर सकता है। सच्चे अर्थों में हमें आचरण सम्बन्धी प्रशिक्षण शिक्षा द्वारा ही प्राप्त

---

१. आदित्यै रास्नासि। यजुर्वेद— १/३०,११/५९,३८/१

२. अस्मान् रायो मघवानः सचन्ताम्। यजुर्वेद—२/१०

३. एष ते योनिर्ऋतायुभ्यां त्वा। यजुर्वेद—७/१०

हो सकता है, जिसके लिए सम्पूर्ण संस्कृत साहित्य लोकोक्तियों और आप्त वचनों से भरा पड़ा है।

आचार्य विष्णुशर्मा ने विद्या और आचरण के अन्योन्याश्रित सम्बन्ध को स्पष्ट करते हुए कहा है—'**विद्या' ही सम्पर्ण मानवीय आनन्दों का मूल कारण है, उससे हमारी योग्यता में वृद्धि होती है, राजसभा और जनसभा में आदर मिलता है, जिससे धन और यश दोनों की उपलब्धि होती है।**[१] विद्याध्ययन से प्राप्त धन हमें सुख ही प्रदान नहीं करता, अपितु धार्मिक और लोक-हित सहित पुण्यकर्मों की ओर प्रवृत्त भी करता है।

लोकहित के निमित्त पुण्यकर्मों की ओर प्रवृत्ति द्वारा ही हम में सम-भाव के आधार पर आपसी सहयोग की भावना का विकास होता है। जिसका मूलमन्त्र सृष्टि के आरम्भ में ईश्वर की **'एकोऽहं बहुस्यामः'** इस इच्छा से प्रकट होता है अर्थात् एक होते हुए भी अनेक में व्याप्त हो जाऊँ, समष्टि-व्यष्टि से सम्बन्ध का ज्ञान कराती है। दूसरे शब्दों में, जिस प्रकार एक ही सूर्य की असंख्य किरणें कोटि-कोटि घटों को एक साथ प्रकाशित करती हैं, ठीक उसी प्रकार जगन्नियन्ता परमपिता परमेश्वर अपने अगणित अंशों से समस्त जीवों में व्याप्त होता है। यही मान्यता समस्त प्राणियों को समान रूप से देखने का आधार है। ईशावास्योपनिषद् की स्पष्टोक्ति है—**जो सभी प्राणियों को आत्मा में और आत्मा को सभी प्राणियों में देखता है वह किसी से घृणा नहीं करता।**[२] इस उपनिषद् वाक्य द्वारा महर्षि ने यह समझाने का प्रयत्न किया है कि आपसी सहयोग, परस्पर अनुराग और एक-दूसरे के दुःख को मानना ही सामाजिक प्रशिक्षण है, जिसका उपदेश समष्टि-व्यष्टि स्वरूप आत्म-तत्त्व परब्रह्म परमेश्वर स्वयं देता है।

श्रीमद्भगवद्गीता में स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण ने आत्मा की अजरता-अमरता और एकरूपता के लक्षण को बताते हुए अर्जुन को उपदेश दिया है—**समाहितान्तः पुरुष सब भूतों में व्याप्त तथा ब्रह्मादि स्तम्भ पर्यन्त सम्पूर्ण भूतों को अपनी आत्मा में एकता को प्राप्त होते हुए देखता है। जो सर्वत्र मुझ परब्रह्म परमेश्वर को और सब को मुझ परब्रह्म परमेश्वर स्वरूप**

---

१. विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रताम्।
पात्रत्वाद्धनमाप्नोति धनाद्धर्मं ततः सुखम्॥ हितोपदेश (कथामुख)—६

२. यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति।
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते॥ ईशावास्योपनिषद्—६

आत्म-तत्त्व में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता।[1] यही समभाव की प्रक्रिया सम्पूर्ण विश्व को एक-सूत्र में एकीकृत करते हुए मानव-जाति के अभ्युत्थान के लिए सामाजिक गुणों की अनिवार्यता पर बल देती है। अतः महर्षि ने श्रुति-वाक्यों द्वारा सृष्टि-नियन्ता परब्रह्म परमेश्वर से विश्व के समस्त प्राणियों के कल्याणार्थ समभाव की अभिवृद्धि हेतु प्रार्थना की है, जिसमें सह-अस्तित्व, आपसी सहयोग, विनम्रता और दया आदि गुण अन्तर्निहित हैं। महर्षि के मतानुसार समस्त प्राणियों का आधार सच्चिदानन्द परब्रह्म परमेश्वर स्वरूप आत्म-तत्त्व ही है। इससे यह भाव परिलक्षित होता है कि समस्त प्राणियों के प्रति समभाव के माध्यम से ही हम अहिंसा और करुणा को प्राप्त कर सकते हैं, और जातीय भेद-भाव के उन्मूलन में अपना सक्रिय योगदान कर सकते हैं जो कि जनतान्त्रिक भावना का मूल-मन्त्र कहा गया है। इस मूल-मन्त्र की सिद्धि के लिये **महर्षि ने सभी प्राणियों का सुख, निरोगी काया, कल्याण पद पदार्थ और समस्त दुःखों के विनाश के लिए सृष्टिकर्त्ता परब्रह्म परमेश्वर से प्रार्थना की है।**[2] भक्ति-मार्ग के प्रबल समर्थक सन्त कबीरादि महात्माओं ने आध्यत्मिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए समभाव के विकास को ध्यान में रख समस्त प्राणियों में एक आत्म-ज्योति के सम्बन्ध से वर्गभेद को अज्ञान-मूलक मानकर उसका विरोध किया है। जैसा कि कहा भी गया है—

ओं ओंकार आदि है मूला,
राजा परजा, एकहि मूला।
हम तुम मां है एकै लोह,
एकै प्रान जीवन है मोह ।।

यहाँ सन्त कवि ने राजा और प्रजा सब का एक ही मूल कारण **'ॐ' या 'ॐकार'** को मानकर एकत्व का दर्शन किया है। भौतिक दृष्टि से भी

---

१. सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ।।
यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति ।
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ।।
श्रीमद्भगवद्गीता—६/२९-३०

२. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत् ।।

रक्त-मांस आदि धातुओं से स्वाँस-परस्वाँस के मूल प्राणों में और मनोविकार मोह आदि में सर्वत्र समानता देखते हुए अभेद दृष्टि का उपदेश दिया है। नानक भी जात्यादि भेद-भाव को विस्मृत कर एतदीय प्रकाश की आराधना का उपदेश देते हैं—**'जपहु ज्योति न पूछहु जाति'**। इस प्रकार विभिन्न धर्मों, जातियों और वर्णों में विभक्त मानव-समुदाय को मूलतः एक मानते हुए भाई-भाई की दृष्टि से देखते हुए सन्त कवियों ने शूद्र स्वार्थ भावना, मानसिक कालुष्य आदि का परित्याग कर सद्भाव और प्रेम को ही स्वर्गानुभूति का मूलमन्त्र माना है तथा राष्ट्रोत्थान में सम-भाव को महत्ता प्रदान की है। वास्तव में भक्ति विचारधारा के प्रवर्तक सूफी-संत एक ऐसे वर्गहीन नव समाज के निर्माण में रत रहे, जहाँ ऊँच-नीच का भेद न हो, किन्तु सहानुभूति और आपसी सद्भावना का वातावरण हो। मलूकदास की उक्ति भी है।

दया करै धरम मन राखै घर में रहै उदासी।
अपना सा दुख सब का जानै ताहि मिलै अविनासी ।।

'बहुजनहिताय बहुजन सुखाय' इस भारतीय सिद्धान्त के आधार पर सामाजिक व्यवस्था का दृढ़-आधार सन्त पलटू की दृष्टि में प्रेम है। 'प्रेम' ही आपसी सहयोग, सद्भाव और सद्-व्यवहार का मूल मन्त्र माना गया है। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास ने विश्व के कल्याणार्थ रामराज्य के आदर्श-स्वरूप की परिकल्पना का उद्घोष करते हुए कहा है—

बयरु न कर काहु सन कोई,
राम प्रताप विषमता खोई।
सब पर करहिं परस्पर प्रीती,
चलहिं स्वधर्म निरत स्रुति रीति ।।

हिन्दी-साहित्य में छायावाद के स्तम्भ जयशंकर प्रसाद ने **'आत्मवत् सर्वभूतेषु'** के सिद्धान्त का अनुपालन करते हुए स्पष्ट किया है—

हम अन्य न और कुटुम्बी हम केवल एक हमीं हैं।
तुम सब मेरे अवयव हो, जिस में कुछ नहीं कमी है ।।

कामायनी में श्रद्धा भी मनु से कहती है—

औरों को हंसते देखो मनु,
हँसो और सुख पाओ।

अपने सुख को विस्तृत करलो,
सब को सुखी बनाओ ।।

इस प्रकार शिक्षा का वास्तविक फल चरित्र-निर्माण और अभेद-दृष्टि की प्राप्ति में ही समाहित होता है। इसीलिए ऋग्वेद के अन्तिम मन्त्रों में मन्त्रद्रष्टा महर्षियों ने संकेत दिया है कि देवता भी इस बात से अनभिज्ञ नहीं थे कि अग्नि में समर्पित आहुतियाँ सब के लिए हैं, न कि किसी देवता विशेष के लिए। अतः उन में यज्ञकर्ता द्वारा समर्पित आहुतियों के परस्पर विभाजन में कोई संघर्ष नहीं होता था अर्थात् उन आहुतियों में दिव्य-शक्तियों का अधिकार भाग निश्चित होता था जो यज्ञकर्ता द्वारा अग्नि में समर्पित की जाती थी। इसी प्रकार समस्त मानव-जाति को महर्षियों ने प्रेरणा दी है कि यह सम्पूर्ण विश्व परमपिता परमेश्वर की इच्छा-शक्ति[1] द्वारा निर्मित है, जिसमें सबका समान भाग और समान कर्त्तव्य है। दूसरे शब्दों में, सृष्टि प्रक्रिया के प्रारम्भ में प्रदत्त अधिकारों का उपभोग एक-दूसरे के अधिकार और कर्तव्यों के संरक्षण द्वारा ही सम्भव हो सकता है। इसके लिए महर्षि ने **समस्त मानव समाज को व्यावहारिक जगत् में मिलकर रहने, चलने, बोलने और सोचने का निर्देश देकर संगठन के महत्त्व को समझाते हुए संघीय-शक्ति का बोध कराया है।**[2] सम्भवतः इसी संघीय-शक्ति ने मानव-समुदाय के अन्तःकरण में सामाजिक संरक्षण द्वारा—लोकतन्त्रात्मक भावना का बीजारोपण किया है।

लोकतन्त्रात्मक भावना में निहित समभाव के बीज को अङ्कुरित करने के लिए महर्षियों ने सुधा-सिक्त वाणी द्वारा शुद्धोच्चारण करने वालों के लिए अभिलाषा प्रकट की है कि चिन्तन-मनन और निदिध्यासन से युक्त मन और तदनुसार उनका संगठन भी एक समान ही हो। तभी सच्चे अर्थों में लोकतन्त्र का उपभोग कर पायेंगे। दूसरे शब्दों में, किसी भी संगठन या सभा में विचारों की समानता के बिना एकरूपता स्थापित नहीं की जा सकती है। इसके लिए महर्षि ने उपदेश दिया है—**हम सबकी प्रार्थना एक समान हो, भेद-भाव रहित परस्पर मिलन की भावना भी समान हो, विचार प्रदान का स्थान एक**

---

१. एकोऽहं बहुश्याम।

२. सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ।।
ऋग्वेद—१०/१९१/२

ही हो, तभी सम्पूर्ण विश्व एक ही नीड़ में रह पायेगा । अपना मन-मनन करने का साधन अन्तःकरण और चित्त-विचारजन्य ज्ञान—एक विधि हो । मैं तुम्हें एक ही उत्कृष्ट रहस्यपूर्ण वचन कहता हूँ और तुम्हें एक समान हवि प्रदान करके सु-संस्कृत करता हूँ ।[1]—सु-संस्कृति की इस भावना द्वारा वैदिक व्यक्ति अपने विषय में, अपने पारिवारिक सदस्यों के विषय में तथा राष्ट्रीय जीवन के उत्थान के लिए ही नहीं वरन् मानवता के कल्याण की कामना करता था । महर्षि ने कामना की है—**तुम्हारा संकल्प एक समान रहे और तुम्हारे हृदय एक समान हों । तुम्हारे मन एक समान हों, जिससे तुम्हारा परस्पर कार्य पूर्णरूप से संगठित हो ।**[2] इस प्रकार ऋग्वेद के अन्तिम भाग में व्यावहारिक जगत् में समानता का उपदेश दिया है । हमारी इस व्यावहारिक और पारमार्थिक दृष्टि द्वारा जो एकता या समानता स्थापित होती है, 'वसुधैव कुटुम्बकम्' इसकी ही एक परिणति है । जिसके अन्तर्गत चक्र की नाभि में अरा के समान एक केन्द्रीय परिवार के समस्त सदस्यों के परस्पर जुड़े रहने की जो सद्भावना वेदों में व्यक्त की गई है, उसी का विकसित रूप हमें विश्व-परिवार में अभीष्ट है ।

इस अभीष्ट सिद्धि के लिए अथर्ववेद में 'सौमनस्यम्' प्रकरण द्वारा सभी जनों में सम-भाव तथा परस्पर सौहार्द की भावना व्यक्त की गई है । जिससे परिवार के सभी सदस्य प्रेम-पूर्वक एकीकृत होकर एक दूसरे का सहयोग करें । क्योंकि बालक के समाजीकरण का मूलाधार परिवार ही है, जिसे समाज के लघुरूप की संज्ञा प्रदान की गई है । अतः उन दोनों के मध्य बिम्ब-प्रतिबिम्ब का-सा सम्बन्ध है । जिसकी झलक हमें प्रथम-विद्यालय के रूप में पारिवारिक परिप्रेक्ष्य में मिलती है, जहाँ बालक अपने माता-पिता तथा अन्य पारिवारिक सदस्यों के संसर्ग से आगन्तुकों के मध्य उठना-बैठना, उनसे बात करना तथा उनके स्वागत-सत्कार से सम्बन्धित औपचारिकता का निर्वाह करना तथा इसके साथ ही साथ अपने से बड़े के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि सामाजिक आचरण का प्रशिक्षण प्राप्त कर विश्व-शान्ति

---

१. समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम् ।
समानं मन्त्रमभि मन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि ।।
ऋग्वेद—१०/१९१/३

२. समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः ।
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ।। ऋग्वेद—१०/१९१/४

स्थापनार्थ अपने सद्-व्यवहार से आपसी सहयोग और सौहार्द को प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में, पारिवारिक सौमनस्य की भावना का ही विकसित रूप हमें विश्व-परिवार में बाँधते हुए सम-भाव को अपनाने की शिक्षा प्रदान करता है। हमारे महर्षियों ने इसी दृष्टि-कोण को सामने रखते हुए विश्व समुदाय को आदेश दिया है कि सब एक दूसरे से मधुर-वाणी में बोले और सबके मन एक समान हों। उनमें एक दूसरे के प्रति पूर्ण सहानुभूति हो। यह सौमनस्य प्रत्येक काल में रहे, जिससे समाज में कलह न हो और सब कार्य सुचारू रूप से सम्पादित होते रहें, परिणामतः राष्ट्र उन्नति करे और समृद्धि को प्राप्त हो। समाज में व्याप्त असंतोष और स्वार्थपरता का उन्मूलन भी इसी बीज-मन्त्र के अनुशीलन द्वारा ही सम्भव हो सकता है। इसी आधार पर हमारे मन्त्रद्रष्टा महर्षियों ने बालक के प्रारम्भिक परिप्रेक्ष्य की शुद्धता पर बल देते हुए आदेश दिया है—**साथ-साथ चलने, कार्य करनेवाले, एक समान गति वाले जनों का मन स्वाभाविक रूप से समान हो जाता है। अमरत्व या दीर्घायुष्य की रक्षा करती हुई दिव्यशक्तियों का मनोभाव जिस प्रकार एक जैसा शुभ होता है, उसी प्रकार समान भावना वाले, देशहित के एक उद्देश्य में निरत-जनों का मनोभाव भी शुभ ही हो।**[1] इस मन्त्र में महर्षि ने जैसे एक परिवार में सौमनस्य और सामंजस्य की कामना की है, वैसा ही सौमनस्य और सामञ्जस्य विश्वपरिवार में भी आकांक्षित है।

मानव के खान-पान और रहन-सहन से उसके आचार-विचार, शारीरिक-सौष्ठव और सांस्कृतिक परम्परा का मूल्याङ्कन किया जा सकता है। महर्षि ने शुद्ध आहार और विचारों में साम्य लाने के लिए कहा है कि साथ-साथ खाना-पीना, उठना-बैठना हार्दिक सम्बन्ध का आधार होता है। अतः उन्होंने समस्त मानव-जाति को पारिवारिक परिप्रेक्ष्य के दृष्टान्त द्वारा आदेश दिया है—**तुम्हारा जल पीने का स्थान सबके लिए समान हो, अन्न का भोग भी सबके लिए एक हो, समान कार्य की एक धुरी के नीचे रहकर कार्य करनेवाले तुम हो, उपासना भी सब मिलकर एक स्थान में ही करो, जैसे चक्र के आरे नाभि में जुड़े होते हैं, वैसे ही तुम अपने समाज में एक दूसरे के साथ मिलकर**

---

१. सध्रीचीनान्वः संमनसस्कृणोम्येकश्नुष्टीन्त्संवननेन सर्वान्।
देवा इवामृतं रक्षमाणाः सायंप्रातः सौमनसो वो अस्तु॥
अथर्ववेद—३/३०/७

रहो ।[1] इस कथन द्वारा महर्षि ने जातीय और राष्ट्रीय उत्थान के कार्य में संलग्न व्यक्तियों को इस मन्त्र का जाप करने का निर्देश दिया है, क्योंकि **'जाति चक्र के समान है'**, अतः जिस प्रकार चक्र के आरे चारों ओर से एक ही धुरी से जुड़े रहते हैं, ठीक उसी प्रकार चारों वर्ण और उनसे सम्बन्धित जातियाँ भी राष्ट्र की धुरी से जुड़ी रहती है । किन्तु यदि प्रमादवश चक्र के आरे धुरी से तनिक पृथक् हो जाये तो चक्रविध्वंस हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जाति-भेद के कारण उत्पन्न वर्णों में असमानता से साम्प्रदायिक दंगों द्वारा राष्ट्र के विध्वंस होने का भय सर्वदा बना रहता है और अन्ततोगत्वा राष्ट्र पराधीनता की जंजीरों में जकड़ने लगता है । अतः महर्षि ने स्वतन्त्र राष्ट्र के अस्तित्व बोध के लिए एक साथ खान-पान द्वारा परस्पर ऐक्य, सौहार्द और सद्भावना का उपदेश दिया है तथा साध्य-साधनों के उपभोग में जो समानता एक परिवार में अभीष्ट है, वही भावना विश्व-परिवार में भी अभीष्ट हो, यही वैदिक शिक्षा का सार है । जिसके लिए यजुर्वेदीय मन्त्रों द्वारा महर्षि ने प्रार्थना की है—**मैं मनुष्य क्या सब प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखूँ, हम सब परस्पर मित्र की दृष्टि से देखें ।**[2]

यहाँ महर्षि ने मित्र-भाव अपनाते हुए समाजोचित व्यवहार द्वारा सदाचरण की शिक्षा दी है, क्योंकि सदाचरण द्वारा ही हम मोक्षानुगामी होते हुए पुरुषार्थ चतुष्टय को प्राप्त कर सकते हैं । अतः अथर्ववेदीय मन्त्रों द्वारा महर्षि ने सद्-आचरण द्वारा संघीय-शक्ति के महत्त्व को स्पष्ट करते हुए कहा है—**पिता का अनुवर्ती और माता से एक मन हुआ पुत्र तथा परस्पर मधुरवाणी का व्यवहार करनेवाले पति-पत्नी जैसे एक परिवार बनाते हैं, वैसे ही समाज बनता है और राष्ट्र का निर्माण होता है ।**[3] यही विधि विश्व-राष्ट्र या विश्व-कुटुम्ब बनाने की भी है । इसके साथ ही साथ महर्षि ने पारिवारिक संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिए आदेश दिया है—**भाई-भाई से द्वेष न करें और बहिन-बहिन से अथवा भाई से द्वेष न करें । सब मिलकर आपस में मधुर**

१. समानी प्रपा सह वोऽन्नभागः समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि ।
सम्यञ्चोऽग्निं सपर्यतारा नाभिमिवाभितः ।।
अथर्ववेद—३/३०/६

२. मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे ।
मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ।। यजुर्वेद—३६/१८

३. अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः ।
जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शान्तिवाम् ।। अथर्ववेद—३/३०/२

भाषण करते हुए अपने कल्याण के लिऐ एक कार्य में दत्तचित्त हो जाओ।[1] भाई-बहन का स्नेह परिवार की दृढ़ता के लिए आधार का कार्य करता है। परिणामतः वे साथ-साथ चलते हुए, समान नियमों का पालन करते हुए, मधुर और सौम्यवाणी बोलते हुए, समाज को उन्नति और सौमनस्य की ओर ले जाते हैं। महर्षि ने **पारिवारिक और सामाजिक संगठन का मूल कारण पारस्परिक सहयोग की भावना को माना है, जिसके लिऐ उन्होंने हृदय की समानता, मन की एकरूपता और विद्वेष शून्यता की जो उपमा यहाँ दी है, उससे अधिक उपयुक्त उपमा उस प्रसंग में और कोई नहीं हो सकती। नवजात बछड़े के साथ गौ पूर्णतया एक रूप होती है। बछड़े का तनिक-सा कष्ट भी मानो उसका अपना कष्ट होता है।**[2] यह समानता केवल शारीरिक नहीं है, अपितु हार्दिक और मानसिक भी है।

अथर्ववेद में देवताओं को एक-दूसरे से अलग न होने और परस्पर द्वेष न करने का रहस्य संज्ञान बताया गया है। संज्ञान का अर्थ—शिक्षा से प्राप्त समान ज्ञान है। जिन पारिवारिक सदस्यों में 'संज्ञान' की प्रवृत्ति होती है, उनमें आपसी द्वेष या भेदभाव पनप नहीं पाता अर्थात् वे लोग आपसी सहयोग और सद्-भावना के साथ परस्पर सौहार्द बनाये रखते हैं। स्वभावतः मानव-प्राणी को जातीय-गठबन्धन, धार्मिक संगठन और सामाजिक बन्धन में बँधकर रहने वाला होने के कारण आपसी एकता बनाये रखना अनिवार्य है। यही अनिवार्यता, मानव समुदाय, समाज और राष्ट्र का निर्माण करती है। यह रहस्य हम पीछे अनेक उद्धरणों द्वारा स्पष्ट कर चुके हैं। किन्तु विश्व को एक कुटुम्ब मानने के लिए पहले परिवार नामक कुटुम्ब का स्वरूप बनाना नितान्त आवश्यक है। परिवार में माता-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री आदि सभी पारिवारिक सदस्यों के प्रति उदार दृष्टिकोण का होना परमावश्यक है, जिसका विकास **'वसुधैव कुटुम्बकम्'** में निहित है, जिससे कि नई पीढ़ी में विश्व-व्यापी दृष्टिकोण विकसित होता है तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की भावना सुदृढ़ होती है। इसीलिए **"मातृदेवोभव। पितृदेवोभव। आचार्य देवोभव। अतिथिर्देवोभव।"** शिक्षा अध्याय के इन

---

१. मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा।
सम्यञ्चः सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया॥ अथर्ववेद—३/३०/३

२. सहृदयं सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः।
अन्यो अन्यमभि हर्यत वत्सं जातमिवाघ्न्या॥ अथर्ववेद—३/३०/१

चार महावाक्यों से माता-पिता, आचार्य और अतिथि में देव-भाव और भक्ति-भाव रखना सिखाया गया है। इसी देवभाव की व्याख्या करते हुए आचार्य मनु ने कहा है कि—**आचार्य ब्रह्मस्वरूप है, पिता प्रजापति रूप, माता पृथ्वी रूपा और भाई साक्षात् स्वयं का स्वरूप ही है**[1]। इस प्रकार छोटे परिवार से अपने आपको विकसित कर विश्व-परिवार के पूर्णस्वरूप को प्राप्त करना हमारी शिक्षा का परम उद्देश्य बताते हुए कहा गया है कि—**'यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्'** अर्थात् जिस अवस्था में पहुँचकर सम्पूर्ण विश्व एक नीड (घौंसला अथवा घर-सा) हो जाता है, वह अवस्था शिक्षा की अन्तिम परिणति है।

१. आचार्यो ब्रह्मणो मूर्तिः पिता मूर्तिः प्रजापतेः।
माता पृथिव्या मूर्तिस्तु भ्राता स्वो मूर्तिरात्मनः।। मनुस्मृति—२/२२६

७

राष्ट्रीय भावना का विकास

'जननीजन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी' के अनुसार जन्मदायिनी माता और जन्म-स्थल ये दोनों ही स्वर्ग से भी अधिक महान् है। क्योंकि स्वर्ग केवल ऐश्वर्यादि संसाधनों को ही सुलभ कराता हैं, जबकि माता केवल शिशु को जन्म ही नहीं देती अपितु स्तन-पान आदि से उसका उचित पालन-पोषण करती हुई, उसे सन्मार्ग का अनुगामी बनाते हुए वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त नैसर्गिक गुणों के अनुरूप समुचित वातावरण प्रदान करने में अपनी अहम् भूमिका निभाते हुए व्यक्तित्व विकास के साथ-साथ समाजोचित व्यवहार करने की क्षमता भी प्रदान करती है अर्थात् समभाव के सिद्धान्त के अनुरूप आपसी सहयोग और सद्भावना की भी शिक्षा प्रदान करती है। ठीक उसी प्रकार मातृ-भूमि भी अपने नागरिकों को धन-धान्यादि से परिपूर्ण कर आत्म-निर्भरता और आत्म-सम्मान की भावना को विकसित करते हुए सम्वर्द्धन और संरक्षण प्रदान करती है। अतः सृष्टि-चक्र के प्रारम्भ से ही महर्षियों ने माता और मातृ-भूमि की समान भाव से स्तुति करने पर विशेष बल दिया है। राष्ट्रोन्नायक बंगीय कवि **बंकिमचन्द्र चटर्जी** ने पराधीनता की जन्जीरों से बन्धनमुक्त कराने के उद्देश्य से समुचित राष्ट्र को एक ही सूत्र में एकीकृत करने की भावना से भारत-माता का स्तुति गान[1] किया है। **'जन-गण-मन-**

---

१. सुजलां सुफलां मलयजशीतलां शस्यश्यामलां मातरं-वन्दे मातरम्।

अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता' राष्ट्रीय गान द्वारा राष्ट्रकवि रवीन्द्र-नाथ टेगोर ने राष्ट्रीय-धर्म को सर्वोपरि बताते हुए राष्ट्रोत्थान में एक जुट होकर आत्म-बलिदान का निर्देश दिया है।

अथर्ववेदीय महर्षियों ने राष्ट्रीयता को मानव-व्यक्तित्व का सर्वोत्कृष्ट परिधान बताया है। उनके मतानुसार—**अन्नादि खाद्य पदार्थों की पूर्ति करने के कारण मातृ-भूमि को स्वर्ग, त्रि-भुवन के सुख-सम्पदा प्रदान करने हेतु अन्त-रिक्ष तथा भरण-पोषण और संरक्षण प्रदान करने के कारण माता-पिता की उपमा दी गई है।**[1] सत्य भी है, माता के आँचल की छाया में ही शिशु अपने आपको संरक्षित मानता हुआ आनन्दादि सुखों का अनुभव करता है। सम्भवत: इसी भाव से द्रवीभूत हो महर्षि ने कहा है—**यह भूमि मेरी माता है और मैं इस पृथिवी का पुत्र हूँ।**[2] दूसरे शब्दों में, महर्षि ने इन वाक्यों द्वारा प्रत्येक देशवासियों को यह शिक्षा दी है कि हम विभिन्न धर्म, सम्प्रदाय और जाति से सम्बन्धित होते हुए भी एक ही माता के औरस पुत्र होने के कारण देश-बन्धु हैं। जैसाकि कहा भी गया है **"न हिन्दू हैं, न मुसलमा। न कोई सिख और ईसाई। हम सब हैं—भाई-भाई"** अत: हमें पारस्परिक सहयोग और बन्धुत्व की भावना को अपनाते हुए सद्-व्यवहार और सद्-आचरण करना चाहिए। तभी हम वेद निर्दिष्ट आप्त ऋषियों के भावानुरूप विश्वरूपी नीड में पारिवारिक सदस्यों के सदृश निवास कर पायेंगे अन्यथा आपसी झगड़ों के माध्यम से छिन्न-भिन्न होते हुए दासता की जञ्जीरों में जकड़ जायेंगे तथा राष्ट्र का अस्तित्व नष्ट हो जायेगा। अत: **'सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र'** की भावना से राष्ट्रीय महत्त्व को स्पष्ट करते हुए कहा गया है—**'न हिन्दू बनेगा न मुसलमा बनेगा, इन्सान की औलाद है, इन्सान बनेगा।'** इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इन्सानियत ही राष्ट्र की आत्मा है तथा नैतिकता ही राष्ट्र का धर्म है।

अथर्ववेद के ७वें काण्ड के प्रथम सूत्र में मातृ-भूमि के स्वरूप और यश का निरूपण किया गया है। मातृ-भूमि—ज्ञानी, शूरवीर, व्यापारी, कारीगर और अशिक्षित, इन पाँच प्रकार के लोगों का निवास-स्थल होने के कारण **'अदितिः पञ्च जना'**[3] नाम से सम्बोधित की जाती है। जैसाकि कहा भी गया है कि—**'मातृ-भूमि सत्कर्म में आसक्त व्यक्तियों का माता के समान कल्याण**

---

१. "अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता:···"। अथर्ववेद—७/६/१

२. माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः'। अथर्ववेद—१२/१/१२

३. अथर्ववेद—७/६(६)/१

करने वाली है"[1] तथा **धर्मादि कृत्यों में संलग्न सत्य-निष्ठ व्यक्तियों की सदैव रक्षा करने वाली है ।**[2] इसके अतिरिक्त मातृ-भूमि योग्य सन्तति द्वारा हमारी पुष्टि करती है तथा धन-धान्यादि पदार्थों की पूर्ति से तुष्टि प्रदान करती है । यह हमें स्थूल **शरीर इन्द्रिय और मन का सुख प्रदान करने के कारण त्रिविध सुखदात्री कहलाती है ।**[3] समस्त ऐश्वर्यादि सुख-साधनों की प्रदाता मातृ-भूमि पर सदैव देवतागण निवास करते हैं । जिसके कारण केवलमात्र मातृ-भूमि की उपासना से ही समस्त देवताओं की अर्चना का फल प्राप्त हो जाता है । अत: महर्षियों ने विश्व के समस्त प्राणियों को निर्देश दिया है कि उसे शान्ति और सहयोग की सद्-भावना को अपनाते हुए राष्ट्रीय विकास के कार्यों में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान देना चाहिए ।

वैदिक वाङ्मय में महर्षियों ने मातृ-भूमि को जन्म-भूमि और पितृ-देश की संज्ञा प्रदान की है । इसके साथ ही साथ उन्होंने इसे पुत्र-भूमि और उत्तम पुरुषार्थियों के लिए स्वर्गधाम भी बताया है । अथर्ववेद के १२वें मण्डल के प्रथम सूत्र के ६३ मन्त्रों में महर्षि ने मातृ-भूमि के स्वरूप और उससे सम्बन्धित भावना का विस्तृत वर्णन किया है । ऋग्वेदीय मन्त्रों में भी मातृ-भूमि और राष्ट्र पर हँसते-हँसते प्राण-न्यौछावर करनेवाले राष्ट्रानुरागियों की भावना का वर्णन किया गया है । राष्ट्रीय-गौरव की प्राप्ति में नत-मस्तक देशवासियों की महिमा का वर्णन करते हुए महर्षि ने कहा है—**सम्पूर्ण मातृ-भूमि को माता मानने वाले समस्त प्राणी सच्चे कुलीन हैं । उनमें न कोई श्रेष्ठ है, न कोई कनिष्ठ है और न कोई मध्यम है । उनका राष्ट्र में राष्ट्र-नागरिक के रूप में समान स्तर है । वे सब अपने ऊपर के दबाब को भेदकर ऊपर उठने वाले हैं । सबका विचार एक-सा है, इस नाते वे सब एक-दूसरे के भाई हैं । वे सब अपने भौतिक सुख से सम्बन्धित ऐश्वर्यादि संसाधनों को बढ़ाने में मिलकर प्रयत्न करते हैं ।**[4] इससे यह स्पष्ट होता है कि वैदिक वाङ्मय का मूल उद्देश्य देश-

---

१. 'सुव्रतानां मातरं' ।   —अथर्ववेद—७/६/२

२. 'ऋतस्य पत्नीं' ।   —अथर्ववेद—७/६/२

३. सा नः शर्म त्रिवरूथं नि यच्छात् ।   —अथर्ववेद—७/६/४

४. ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास उद्भिदोऽमध्यमासो महसा विवावृधुः ।
   सुजातासो जनुषा पृश्निमातरो दिवो मर्या आ नो अच्छा जिगातन ॥
                                                                   ऋग्वेद—५/५९/६

   ''अज्येष्ठासो अनिष्ठास एते सं भ्रातरो वावृधुः सौभगाय ।''
                                                                   ऋग्वेद—५/६०/५

वासियों में राष्ट्र-भक्ति की भावना का विस्तार करते हुए उन्हें स्वावलम्बी बनाना था। जिसके लिए महर्षि ने ऋग्वेद में अन्यत्र कहा है कि—**मातृ-भूमि, मातृ-संस्कृति और मातृ-भाषा नामक त्रिविध सुख देनेवाली देवियाँ हमारे अन्तःकरण में सदा सर्वदा के लिए निवास करें।**[1] अथर्ववेदीय मन्त्र[2] द्वारा महर्षि ने मातृ-भूमि से कल्याण अवस्था की प्राप्ति के लिए अर्चना की है। **'भूमिर्विसृजतां'**[3] इस अथर्ववेदीय मन्त्र में महर्षि ने 'भूमि' शब्द मातृ-भूमि के अर्थ में प्रयुक्त किया है। यहाँ आलङ्कारिक शब्दावलि के माध्यम से महर्षि ने स्तन-पान से मातृत्वभाव का बोध कराया है। माता का दूध पुत्र पीता है, यह सब जानते हैं। गाय का दूध हम सब पीते हैं, इसीलिए गौ को माता की उपमा दी गई है। भूमि का अनाज रस आदि दूध हमें मिलता है, इसलिए यह हमारी माता है। यह सर्वमान्य और सीधा व्यवहार है। यहाँ यह शंका होती है कि **"भूमि या हमारी भूमि"** आदि शब्दों से 'हमारी राष्ट्रभूमि' यह भावार्थ नहीं निकल सकता। इसके उत्तर में अन्यत्र कहा गया है कि—**वह हमारी मातृभूमि हमारे उत्तमराष्ट्र में तेज और बल बढ़ायें।**[4] यहाँ 'उत्तम-राष्ट्र' का अर्थ और 'हमारी भूमि' का अर्थ एक ही है, ऐसा मानना चाहिए। राष्ट्र-भूमि की प्रशंसा और उसके उत्थान में समर्पण की भावना से सम्बन्धित अनेक मन्त्रों के माध्यम से जन-मानस में राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रानुराग का बीजारोपण करने का प्रयास किया गया है। राष्ट्रानुराग की भावना से ओतप्रोत व्यक्ति ही जन-कल्याण के मार्ग में प्रवृत्त रहता है। व्यक्तिशः उत्थान की अपेक्षा जन-समुदाय के उत्थान में ही वह अपना हित समझता है। जन-समुदाय के प्रति समर्पण की यह भावना मानव को राष्ट्र-प्रेम में निमज्जन होने का निर्देश देती है। पूर्वाचार्यों की इस धारणा से यह शिक्षा मिलती है कि राष्ट्रोत्थान में ही व्यक्ति का हित सुरक्षित है। व्यावहारिक पक्ष से भी यही सिद्ध होता है कि जब व्यक्ति अन्य की सहायता में प्रतिबद्ध होता है, तो ईश्वर स्वयं उसके सहायक बनकर उपस्थित हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पदार्थ भावना में निज विकास स्वतः सिद्ध है। अतः वास्तविक रूप में यदि मानव अपनी सत्ता का आभास कराना चाहता है, तो उसे राष्ट्रोत्थान

---

१. इळा सरस्वती मही तिस्रो देवीर्मयोभुवः। बर्हि सीदन्त्वस्रिधः।
ऋग्वेद—१/१३/९

२. भूमे मातर्नि धेहि मा भद्रया सुप्रतिष्ठितम्। अथर्ववेद—१२/१/६३

३. 'सा नो भूमिर्वि सृजतां माता पुत्राय मे पयः' ॥ अथर्ववेद—१२/१/१०

४. सा नो भूमिस्त्विषिं बलं राष्ट्रे दधातूत्तमे। अथर्ववेद—१२/१/८

के प्रति दृढ़संकल्प की भावना से अपने आपको समर्पण करना होगा । क्योंकि राष्ट्र के अभिन्न अङ्ग के रूप में उसकी भी व्याप्ति है या यों कहा जा सकता है कि राष्ट्र के संवर्धन और संरक्षण में ही उसका हित सुरक्षित और संवर्धित है । इसी उद्देश्य से समाजशास्त्रियों ने समाज और राष्ट्र की परिकल्पना में प्राणी-मात्र को सामूहिक रूप से संगठित होकर जीवन-यापन करने की दिशा प्रशस्त की तथा वैयक्तिक सत्ता की अपेक्षा सामाजिक सत्ता को वरीयता प्रदान करते हुए एक उज्जवल राष्ट्र का निर्माण किया । राष्ट्र में रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता की संज्ञा प्रदान की तथा राष्ट्र के प्रति कर्तव्य और दायित्व का बोध कराया । कर्तव्यबोध की इस भावना में राष्ट्रानुराग की भावना स्वतःसिद्ध है ।

इस प्रकार समस्त वाङ्मय में राष्ट्र के स्वरूप और उसकी महत्ता के विषय में चर्चा की गई है । जिसके द्वारा सम्पूर्ण मानव समुदाय को यह निर्देश दिया गया है कि राष्ट्र-भूमि अथवा मातृ-भूमि का परिरक्षण ही उसकी सन्तानों का परमधर्म है । इस संदर्भ में श्रुतिवाक्य भी प्रमाण है । श्रुति-मुख[1] से कहा गया है—हे **परमेश्वर । हमारे निखिल राष्ट्र में ब्रह्मतेजस्वी परम् जितेन्द्रिय मनुष्य पैदा हों, जो हमारे राष्ट्र को ईति-भीत आदि सकलारिष्ट से राष्ट्र में अस्थिरता पैदा करनेवाले शत्रु समुदायों पर विजय प्राप्त करने वाले हों, हजार सारथियों को** अपने पराक्रम से अभिभूति **करनेवाले योद्धा पैदा हों** तथा राष्ट्र की **शक्तिस्वरूपा गौ माता** अतिशय **दूध देनेवाली हो और अतिशय भार-वहन में सक्षम बैल, क्षिप्र-गामी घोड़ा भी उत्पन्न हो ।** इस प्रकार चतुष्पाद के लिए निवेदन करने के बाद द्विपाद जीव के लिए प्रार्थना की गई है, जो गृहस्थाश्रम से जुड़ा है। सूक्ति और काव्योक्ति में स्त्री को गृहस्थाश्रम की आधारशिला निरूपित किया है । इसलिए इस क्रम में गृहस्थाश्रम के लिए प्रार्थना करते समय स्त्री के लिए सर्वप्रथम कहा गया है—हे परमेश्वर ! हमारे राष्ट्र में ऐसी स्त्रियाँ पैदा कर जो सकल सद्-गुणों से

---

१. आ ब्रह्मन्ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योऽति-व्याधी महारथो जायतान्दोग्ध्रीधेनुर्वोढनड्वानाशुः सप्तिः परन्धिर्योषा जिष्णूरथेष्ठाः सभे यो युवास्य यजमानस्य विरो जायतान्निकामे-निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवतयो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम् ।।
शुक्लयजुर्वेद—२२/२२

परिपूर्ण हों क्योंकि श्रीमद्‌भगवद्‌गीता में भगवान् श्रीकृष्ण ने स्वयं कहा है—हे अर्जुन ! **जब स्त्रियाँ स्वैरिणी हो जाती हैं, तो वंश में वर्ण-संकर सन्तान की उत्पत्ति होती है, जो वंश के घातक और अधःपतन का कारण बन जाती है । वर्णसंकर होने से ये अपने पूर्वजों के लिए पिण्ड-दानादि क्रियाओं का भी त्याग कर देते हैं । जिससे पितरों का भी नरक गमन हो जाता है ।**[1] इसीलिए वेदमन्त्र में स्त्री को सकल सद्-गुणों से सम्पन्न होने की ईश्वर से कामना की गई है इसके पश्चात् पुत्र का क्रम आता है । जिसके लिए 'सभेय' शब्द का प्रयोग किया गया है । इसका तात्पर्य यह है कि पुत्र बहुत ही व्युत्पन्न हो और रथ पर बैठकर विजय की कामना करता हो । ये उदार बादल हमारी आवश्यकता के अनुरूप समय-समय पर इस भू-मण्डल पर वृष्टि करते रहें, जिससे यह भूमण्डल शस्यश्यामलता से परिपूर्ण रहे । हमारे धान-गेहूँ आदि औषधियाँ समय से पकते रहें । जिससे दुर्भिक्ष से प्रजा दुःखी न हो । अन्त में योग-क्षेम की अर्चना की गई है । यह शब्द बहुत ही सारगर्भित है, ऐसा लगता है कि प्रार्थनाकर्ता ने 'योग-क्षेम' शब्द से सकल कुशलता की प्रार्थना कर ली । 'योग-क्षेम' का तात्पर्य यह है कि जो अप्राप्य वस्तु है, उसे प्राप्त करना 'योग' है और जो प्राप्त हो गया, उसका परिपालन करना 'क्षेम' है । अप्राप्य वस्तु से पुत्रादि अमूल्यनिधि का ग्रहण होता है और जो प्राप्त विशाल समृद्धि है, उसका परिपालन करना 'क्षेम' हुआ । जिसके परिपालन का भार हम ईश्वर पर छोड़ देते हैं । इस प्रकार बहुत उदात्तभावों से हम अपनी राष्ट्र-भूमि की संरक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ।

शास्त्रों के अनुसार वस्तुतः सप्तशक्तियों से यह धरती टिकी हुई है । गौ-विप्र-वेद-सती-सत्यवादी-निर्लोभी-दानशील, ये सात शक्तियाँ जब तक

---

१. अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः ।
स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः ।।

संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च ।
पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः ।।

दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः ।
उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः ।।

श्रीमद्‌भगवद्‌गीता—१/४१-४२

पृथ्वी पर विराजमान हैं अर्थात् जब तक भू-मण्डल में इनपर अत्याचार नहीं होगा, तब तक यह पृथ्वी बनी रहेगी। इनके पतन से भू-मण्डल का भी पतन अवश्यम्भावी है। पूर्वोक्त श्रुति-वाक्य में भी यह सार-भूत तत्त्व वर्णित है। जिसके माध्यम से महर्षियों ने प्रजापालक को निर्देश दिया है कि राष्ट्रोत्थान के लिए इन शक्तियों का संरक्षण और संवर्द्धन करना चाहिए क्योंकि सत्-शक्तियों की अभिवृद्धि से ही राष्ट्र की वृद्धि सु-निश्चित है। उपनिषद् मुख से एक राजा का यह कथन है—**न मेरे राज्य में कोई चोर है, न कोई अधमपुरुष है और न कोई मद्यपायी पुरुष है। अनाहिताग्नि कोई ब्राह्मण नहीं है और न कोई अविद्वान् पुरुष। स्त्रियों को दूषित करने वाला कोई पुरुष नहीं है। इसलिए कोई कुलटा स्त्री भी नहीं है।**[1] इस उक्ति से यह प्रतीत होता है कि तत्कालीन समय में वह राजा अपने प्रजा-पालन के कर्तव्य में कितना नीर-क्षीर-विवेक रखता था। जिससे उसके राष्ट्र में ऐसा कोई भी कुपात्र नहीं था, जिसके कारण राष्ट्र की अवनति की सम्भावना बनी रहे।

वैदिक श्री-सूक्त में राष्ट्र की अभिवृद्धि निमित्तक श्रुतिमुख से धन की कामना की गई है। उक्ति भी है—**धन मूलक सभी क्रियाएँ होती हैं।**[2] इस सम्बन्ध में अन्यत्र भी कहा गया है—**प्रजा-पालन में युद्धादि के समय प्रतिपक्षी के दमनार्थ शौर्य के साथ-साथ धन का भी होना परमावश्यक है।**[3] धन से ही अभिजन का सम्पादन होता है, यह व्यवहार सिद्ध वाक्य है। श्रुति कहती है—हे **देवगण। धन के साथ उज्जवल कीर्ति हम लोगों के पास आवे, जो कि राष्ट्रोन्नति के लिए सदा सहायक है।**[4] इन श्रुति वाक्यों के अवलोकन से भी ज्ञात होता है कि सर्वत्र राष्ट्र-धर्म का ही वर्णन किया गया है तथा राष्ट्रोन्नति से सम्बन्धित सं-साधनों को प्राप्त करने का मार्ग सुझाया गया है।

वैदिक साहित्य में राष्ट्रोन्नति के लिए शासक के साथ शास्य का जो श्लाघनीय सहयोग प्रतिपादित है, वह समस्त नागरिकों के लिए अनुकरणीय है। इस संदर्भ में वेद प्रतिपादित एक आख्यायिका वर्णनीय है। जिसमें

---

१. न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः।
नानाहिताग्निर्नाविद्वान् न स्वैरो स्वैरिणी कुतः॥
छान्दोग्योपनिषद्—५/

२. धनमूलाः क्रियाः सर्वा द्रव्यहीने कुतः क्रियाः। निरुक्तसमुच्चये—पृ० २४

३. धनमाभिजनमापादयति। निरुक्तसमुच्चये—पृ० ११

४. उपैतुमां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह। श्रीसुक्त-७, ऋग्वेद-परिशिष्ट

शान्तनु के राज्य-उपभोग के समय पड़े घोर दुर्भिक्ष (अकाल) का उल्लेख और बड़े भाई देवापि द्वारा प्रदत्त सहायता का वर्णन किया गया है। धर्म-शास्त्र में दुर्भिक्ष के कारणों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि—**जिस देश में अ-पूज्यों की पूजा और पूज्यों कि अवहेलना होती है, उस देश में अकाल आदि भय उत्पन्न होते हैं।**[1] शान्तनु के राज्य की भी यही स्थिति थी, जिसके कारण राज्य में घोर अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई। समग्र राष्ट्र में हाहाकार मच गया। ऐसी संकट की घड़ी में राजगद्दी से वञ्चित ज्येष्ठ भ्राता देवापि ने राष्ट्र को दुर्भिक्ष से बचाने के लिए तथा सत् नागरिक के रूप में आचरण करते हुए राजा शान्तनु से यज्ञादि अनुष्ठान करवाये। जिसके फलस्वरूप राष्ट्र में पर्याप्त वृष्टि हुई, वृष्टि से अन्नादि का प्रादुर्भाव हुआ और प्रजा सुख-शान्ति पूर्वक जीवन-यापन करने लगी। इस कथानक से यह शिक्षा मिलती है कि वैमनस्य और स्वार्थपरता की भावना का परित्याग कर राष्ट्र पर छाये प्रत्यूह निवारण के लिए सर्वतोभावेन सहायता करनी चाहिए।

ऋग्वेद में राष्ट्र-रक्षा सम्बन्धी विशिष्टसूक्त के अनुसार प्रशासक के प्रशासन को चुस्त और स्वच्छ बनाने के लिए समाज के बुद्धिजीवियों की आवश्यकता है। वैदिक-युग में राजा के या देश-रक्षा के लिए सृजित क्षेत्रीय समुदाय के बलवर्धन के लिए ब्राह्मण समाज विविध प्रकार के वैदिक यज्ञानुष्ठान करते थे। इनका मूलभूत उद्देश्य यह रहता था कि क्षत्रिय समाज देशद्रोहियों को विनिष्ट करके या अपने वर्चस्व से अभिभूत करके देश की स्वतन्त्रता को अक्षुण्ण बनाने के लिए प्रयत्नशील रहे। याज्ञिक प्रक्रिया के विधान से न केवल वायु-मण्डल ही स्वच्छ और प्रदूषण से विमुक्त होता था अपितु धन-धान्यादि के लिए पर्याप्त वर्षा भी होती थी। जिससे राष्ट्र समृद्धि को प्राप्त होता था। इस प्रक्रिया द्वारा राष्ट्र के नागरिकों को आध्यात्मिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था, जिसके फलस्वरूप नागरिकों का नैतिक विकास होता था तथा उनके चिन्तन में शुद्धता और नव्यान्वेषणों में प्रवृत्ति होती थी। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के सूक्त संख्या अस्सी में यह भाव भी आया है कि हमारे राष्ट्र में सब तरह के धन-धान्य भर-पूर रहें। शत्रु विनाशकारी 'श्येन-यज्ञ' समय-समय पर होते रहें। धनवाहक घोड़ों आदि पशुओं के द्वारा राष्ट्र में भर-पूर धन लाया जाय। राष्ट्र की आन्तरिक स्थिति सुदृढ़ हो। हमारे

---

१. अपूज्यपूजनं यत्र पूज्यानां च व्यतिक्रमः।
त्रयः तत्रोत्पद्यन्ते दूर्भिक्षमरणं भयम्॥

शत्रु-सैन्यों पर प्रभावकारी आक्रमण करने का सामर्थ्य देश के सैनिकगणों में विद्यमान हो। देश के सैनिक अपनी स्वतन्त्रता के महत्त्व को समझते हुए देश की रक्षा के लिए सर्वदा कटिबद्ध रहें। प्राणों से प्यारे अपने राष्ट्र को कभी भी दासत्व की जंजीरों में न बाँधें। अपितु अपने प्राणों के समर्पण से राष्ट्र की स्वतन्त्रता को सदैव सुरक्षित रखें।

देवताओं ने इन्द्र को सर्वशक्तिसम्पन्न होने से अपना नेता माना। जब-जब देवताओं पर कोई विपदा पड़ी तब-तब देवताओं ने इन्द्र को उसकी सूचना दी तथा प्रजारञ्जक इन्द्र ने अविलम्ब सहायता प्रदान कर उनको सन्ताप से बचाया। युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए इन्द्र के निमित्त देवगण ने प्रभु की सामूहिक प्रार्थना की। सबका एक ही लक्ष्य था कि हमारा राजा युद्ध में विजयी अवश्य हो। देव-समुदाय के इस प्रयास से मानव समुदाय को यह शिक्षा मिलती है कि **संगठन में ही शक्ति का संचार होता है। संगठन से मनुष्यों के हृदय एक होते हैं और इस प्रकार देश की सुरक्षा आसानी से हो सकती है।**[1] क्योंकि प्रजा और राष्ट्र में समष्टि-व्यष्टि का भाव निहित है। व्यष्टि रूप में राष्ट्र की आधारशिला नागरिक ही होते हैं और नागरिकों के समष्टिभाव को **'राष्ट्र'** कहा जाता है। राष्ट्रीय व्यवस्था को सु-व्यवस्थित करने के लिए राजा और प्रजा में शास्य-शासनभाव सम्बन्ध होता है। क्योंकि जब देश में अनुशासन का भाव नहीं रहता है, तो शासन कार्य में सुचारूता नहीं आ पाती। इस क्रम में एक सूक्ति और उक्ति भी प्रसिद्ध है—**शासन को गरम, बनियों को नरम और स्त्री को शरम अवश्य होना चाहिए।**

समस्त वैदिक वाङ्मय में सारगर्भित राष्ट्रीय-भावनायुक्त ऋचाओं के अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रशासन को प्रजावत्सल होना चाहिए तथा प्रजा को राजकीय प्रशासन से सहमत रहना चाहिए। राष्ट्र की किसी भी विषम परिस्थिति में राजतन्त्र की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। देश पर आये संकट को दूर करने के लिए राजतन्त्र के साथ एक जुट होकर सहायता करनी चाहिए। देश के नागरिक होने से सामाजिक चरित्र के गठन में भी प्रजा की भूमिका सर्वोपरि है। क्योंकि प्रजा समुदाय के आचरण-व्यवहार ही राष्ट्र का दर्पण है। सच्चे नागरिकों के द्वारा किये गये प्रयासों से

---

१. सहस्रं साकमर्चत परि ष्टोभत विंशतिः।
शतैनमन्वनोनवुरिन्द्राय ब्रह्मोद्यतमर्चन्ननु स्वराज्यम्॥
ऋग्वेद—१/८०/९

सामाजिक कुरीतियाँ नष्ट हो जाती हैं। स्वस्थ मानस युक्त होने से प्रजाओं के अन्दर नई उन्नत चेतनाएँ जाग्रत होती हैं, जो राष्ट्र के बहुमुखी विकास में सर्वथा उपयुक्त सिद्ध होती है। राजा प्रजा से तथा प्रजाएँ राजा के प्रशासन से संतुष्ट रहती हैं। यह स्थिति राष्ट्र के लिए अत्यन्त ही कल्याणकारी है।

पुराणों में प्रतिपादित राष्ट्रीय भावना—पुराणों के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि महर्षियों ने स्वराष्ट्र की अखण्डता और एक रूपता बनाये रखने के लिए मङ्गलकानाएँ की हैं। उनके मतानुसार राष्ट्रनिवेश में ही सुख-समृद्धि निहित है। महर्षियों ने राष्ट्र के विभाजन को महान् दुःखदायी और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। राष्ट्र का विभाजन अवनति और ह्रास का कारण है। पराधीनता का सूचक है। इसीलिए उन्होंने स्वाधीनता को जीवन और पराधीनता को मृत्यु की संज्ञा दी है। जैसा कि कहा भी गया है—**स्वाधीनता जीवन की सफलता और पराधीनता असफलता है। जो लोग पराधीन रहकर भी जीवित रहते हैं। वे तो मानो शरीरधारी लाश के सदृश दिखाई पड़ते हैं।**[1] न उनमें कोई उत्साह होता है, न कोई उमंग। न कोई प्रेरणा होती है और न ही कोई आशा। इस प्रकार के निराशपूर्ण जीवन से बचने के लिए स्वतन्त्रता सेनानी लोकमान्य तिलक ने जन-जागरण के उद्देश्य से "**स्वतन्त्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है**" का जयघोष किया। ब्रह्मपुराण में महर्षि ने "**स्वतन्त्र अर्थात् अपने पर अपना अधिकार जमाने के लिए स्वतन्त्र अर्थात् आत्मानुशासन के मार्ग को अपनाने की प्रेरणा दी है।**[2] आत्मानुशासन द्वारा ही मानव समस्त ऐश्वर्यादि साधनों का उपभोग करते हुए जीवन की अन्तिम अभिलाषा को प्राप्त करता है। ब्रह्मपुराण में ब्रह्माण्डवर्णन के प्रसंग में जम्बूद्वीप का वर्णन करते हुए महर्षि ने कहा है कि—**समुद्र से उत्तर दिशा की ओर तथा हिमालय से दक्षिण दिशा की ओर भारत वर्ष की स्थिति है, इसमें जन्म लेने वाले 'भारती' अर्थात् भारतवासी कहलाते हैं, यह देश नव सहस्र योजनाओं में विस्तृत है, स्वर्ग और मोक्ष की**

---

१. सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम्।
एतद्विद्यात्सभासेन लक्षणं सुखदुःखयोः॥
स्वाधीनवृत्तेः साफल्यं न पराधीनवृत्तिता।
ये पराधीनकर्माणो जीवन्तोऽपि च ते मृताः॥
गुरुडमहापुराण (पूर्व खण्ड)—११५/३७

२. 'स्वतन्त्रश्च स्वतन्त्रेण स्वतन्त्रत्वमवाप्यते'। ब्रह्मपुराण—२४५/३०

कामना करने वालों की यह उर्वरा कर्म-भूमि है।[1] **मार्कण्डेय पुराण**[2] **में भी** भारत-भूमि को कर्म-भूमि की संज्ञा दी गई है। पुरुषार्थचतुष्टय ही (धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप फल) को देने वाली यह भारत-भूमि निश्चय ही कर्म-भूमि है। अतः इसके साथ विश्वासघात करना अपने आप के साथ विश्वासघात करना है। इसी आधार पर महर्षियों ने कर्म-भूमि के गौरवार्थ स्तुति करते हुये देवताओं से अनुरोध किया है—'**राष्ट्र-सेना प्रसन्नचित्त रहे, गर्भवती महिलाएँ कल्याणवती हों, कन्याएँ नष्ट न हो पायें, धन-धान्य की अभिवृद्धि हो, गवादिपशु प्रचुर दूध देने वाले हों। अनुसंधानात्मक कार्यों में कुशलता प्राप्त हो, समय पर वृष्टि और कृषि-कार्य सम्पन्न हों, पशु पुष्ट हों, नागरिक निर्भीक हों सुख-शान्ति के साथ रहे तभी राष्ट्र खुशहाली को प्राप्त कर सकता** है।[3] जिसके लिए महर्षियों ने नागरिकों में राष्ट्रीय भावना जागृत करते के लिए नई दिशा प्रशस्त की है, जो जन-कल्याण की आधार-शिला पर आधारित है।

लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रतिपादित राष्ट्रीय भावना—संस्कृत-वाङ्मय में भास, कालिदास, विशाखदत्त, अनन्त-भट्ट और क्षेमेन्द्र आदि अनेक साहित्यकारों की कृतियाँ राष्ट्रीय-भावना की दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय हैं। नाटककार भास ने राष्ट्रीय महत्त्व को स्पष्ट करते हुए कहा है कि राज्य के लिए शत्रु-दमन परमावश्यक है, राजसत्ता नायकाधीन होती है, राष्ट्रहित के लिए किये गये बलिदान से स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा स्वाभिमान की रक्षा सर्वतोभावेन करनी चाहिए। कविकुलगुरु कालिदास की कृतियाँ हिमालय से कन्याकुमारी और कम्बोज से कलिङ्ग तक व्याप्त इस विशाल राष्ट्र के भौगोलिक और प्राकृतिक वातावरण से परिचित कराती हैं तथा ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के प्रति आकृष्ट करती हैं।

---

१. उत्तरेण समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणे।
वर्षं तद् भारतं नाम भारती तत्र सन्ततिः॥
नवयोजनसाहस्रो विस्तारश्च द्विजोत्तमाः।
कर्मभूमिरियं स्वर्गमपवर्गञ्च इच्छताम्॥

ब्रह्मपुराण—१९/१-२

२. तत्कर्मभूमिर्नान्यत्र सम्प्राप्तिः पुण्यपापयो।

मार्कण्डेय पुराण—५५/२२

३. वराहपुराण—१९२/४-१२

हमारी सांस्कृतिक चेतना को जाग्रत करती है और भारत को भारतीयता की गरिमा से गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान करती है। महाकवि ने अज का चारित्रिक मूल्याङ्कन करते हुए कहा है—**उस प्रतापशाली राजा का धन ही केवल दूसरों के उपकार के लिए नहीं था, प्रत्युत् उसके समस्त सद्-गुण दूसरों का कल्याण करते थे, उनका बल पीड़ितों के भय तथा दुःख का निवारण करता था और उसका शास्त्राध्ययन विद्वानों के सत्कार और आदर करने में लगता था।**[1] राष्ट्र-कल्याण की भावना को अभिव्यञ्जित करते हुए कवि श्रेष्ठ ने कहा है—**राजा प्रजा के उपकार में लगे, वेद की पवित्र वाणी का महत्त्व बढ़े और स्वयंभूत शिवा-युक्त भगवान् नीलकण्ठ हमें मुक्त करें।**[2] उपर्युक्त दृष्टान्तों से यह प्रतीत होता है कि यदि हम कालिदास की राष्ट्रीय वाणी का मनोयोग से अध्ययन करें, तो यह शिक्षा मिलती है कि स्वराष्ट्र, स्वदेश तथा स्वधर्म की अभ्युन्नति में प्राणि-मात्र को आसक्त रहना चाहिए। विशाखदत्त का दृष्टिकोण है कि राष्ट्र-हित की दृष्टि से बाह्य-शत्रुओं का दमन करने के लिए आन्तरिक शत्रुओं को वश मे करना परमावश्यक है। राष्ट्र-हित के लिए चन्द्रगुप्त का यह कथन ठीक प्रतीत होता है—**बिना युद्ध के ही आर्य चाणक्य ने दुर्जय शत्रु-सेना को परास्त कर दिया।**[3] भरत-वाक्य में नाटककार ने कहा है—**जिस प्रकार भगवान् विष्णु ने हिरण्याक्ष के उत्पीडन से संतप्त भूतल का उद्धार वाराहरूप से किया, उसी प्रकार इस समय म्लेच्छों के द्वारा उद्विग्न होने वाली पृथ्वी की यह पार्थिव अपने भुज बल से रक्षा करें।**[4] इस प्रतिज्ञा वाक्य से भी राष्ट्रीय भावना का बोध होता है।

---

१. बलमार्तभयोपशान्तये विदुषां सत्कृतये बहुश्रुतम्
वसु तस्य विभोर्न केवलं गुणवत्तापि परप्रयोजना ।। रघुवंश—८/३

२. प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पार्थिवः
सरस्वती श्रुतिमहती महीयताम् ।
ममापि च क्षपयतु नीललोहितः
पुनर्भवं परिगतशक्तिरात्मभूः ।।

३. विनैव युद्धादार्येण जितं दुर्जयं परबलमिति ।

४. म्लेच्छैरुद्विज्यमाना भुजयुगमधुना संश्रिता राममूर्तेः ।
स श्रीमद्बन्धुभृत्यश्चिरमवतु महीं पार्थिवश्चन्द्रगुप्तः ।।

आदि कवि महर्षि वाल्मीकि का अनुगमन करते हुए उत्तररामचरित-रचयिता भवभूति ने राम-कथा के माध्यम से भारतीयों के अन्तःकरण में सांस्कृतिक, धार्मिक और राष्ट्रीय चेतना का संचार किया है। उन्होंने राम-मुख से प्रजाजन की अभिवृद्धि और सन्तुष्टि के लिए बड़े से बड़ा सुख न्यौछावर करने के प्रतिज्ञा-वाक्य द्वारा कहा है— **प्रजाजनों के अनुरञ्जन के लिए प्रेम, दया और सुख के साथ-साथ जनक-तनया (सीता) को छोड़ते हुए भी मुझे तनिक पीड़ा नहीं होगी।**[1] संक्षेप में कहा जा सकता है कि अयोध्या नरेश दशरथ-पुत्र राम की दृष्टि में प्रजा का हित-साधन ही उनका सर्वोपरि धर्म है। इस कर्तव्य-धर्म के पालनार्थ वे अपना सर्वस्व त्यागने को उद्यत हैं। भवभूति की राष्ट्र-हित सम्बन्धित मर्यादित भावना सम्पूर्ण विश्व को राष्ट्र-हित के लिए सर्वस्व बलिदान करने की शिक्षा देती है। राष्ट्रीय-कार्य को मानवता का पूरक और लोकेषणा से विरक्त व्यक्ति को महात्मा की संज्ञा प्रदान करते हुए महर्षि ने राष्ट्र-हित की आकांक्षा को ही सर्वश्रेष्ठ माना है।

महर्षि वाल्मीकि ने राम-रावण युद्ध को दो विभिन्न संस्कृतियों का युद्ध मानते हुए असत्य पर सत्य की विजय, अनीति, अधर्म और अनाचार पर धर्म का आधिपत्य के निरूपण द्वारा राष्ट्रीय-भावना को प्रदर्शित किया है। रावण पर राम की दिग्विजय के रूप में अभारतीय पर भारतीय की विजय से कौन भारतीय राष्ट्राभिमान की भावना से गौरवान्वित नहीं होता ? यह महाकाव्य राष्ट्र की सुरक्षा, प्रजा के सर्वाङ्गीण विकास की कामना, और भारतीय सांस्कृतिक चेतना के उन सभी पक्षों को बड़ी रोचकता के साथ प्रस्तुत करता है, जिससे भारत और भारतीयता के प्रति भारतवासियों में निष्ठा का भाव जाग्रत हो सके। महाभारत में राष्ट्र-कल्याण की भावना से शरशय्या पर आसीन भीष्मपितामह द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को राष्ट्र-प्रजा के लिए सदैव कल्याणप्रद मार्ग को अपनाने का उपदेश राष्ट्रीय उपादेयता को अपने में सँजोए हुए है। शान्तिपर्व में राष्ट्रीय-व्यवस्था का परिचय प्रदान करते हुए कहा है—**यदि राजा प्रजा का पालन नहीं करे, तो प्रजा ही एक दूसरे को खा लेगी इतना ही नहीं प्रत्युत वेदत्रयी का भी अस्तित्व**

---

१. स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि।
आराधनाय लोकानां मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा॥

उत्तररामचरित—१/२

लुप्त हो जायेगा और विश्व को धारण करने वाला धर्म ही रसातल में डूब जायेगा।[१] राजधर्म के अधोगति को प्राप्त होने से समाज और राष्ट्र का सर्वनाश हो जाता है। अतः महर्षि व्यास ने राष्ट्र को सर्वनाश से बचाने के लिए तथा समाज को दिग्-भ्रमित होने से रोकने के लिए नागरिकों में राष्ट्रीय-चेतना को जाग्रत करने की नितान्त आवश्यता है। श्रीमद्भगवद्गीता में भी हमें भारतीयता की भव्य-भावना दृष्टिगोचर होती है। भारत-भूमि में उत्पन्न प्राणियों के भाग्य की सराहना करते हुए भागवतकार वेद-व्यास ने भारत-वर्ष की श्रेष्ठता सिद्ध कर हमें भारतीय होने का जो गौरव प्रदान किया है, वह निस्सन्देह राष्ट्रीय-भावना का ही प्रतिरूप है। इसके साथ ही साथ वर्णाश्रम-व्यवस्था में आस्था जगाकर हमें सामाजिक गौरव से परिचित कराया है। इस प्रकार सम्पूर्ण संस्कृत साहित्य राष्ट्रीयता का उन्नायक और सामाजिक भावना को विकसित करने का स्रोत है।

सारांशतः हम कह सकते हैं कि सम्पूर्ण भारतीय साहित्य राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है। साहित्य-सरिता रूप यह गङ्गा निश्चित ही भारतीयों को राष्ट्रीय और सांस्कृतिक धरोहर में निमञ्जन कराते हुए व्यक्तित्व-विकास की शिक्षा प्रदान करती है। इस प्रकार राष्ट्रीय भावना अथवा राष्ट्रीयता से हमारा अभिप्राय राज्य के प्रति अपार आस्था प्रकट करना ही नहीं है, अपितु राज्य अथवा उसके धर्म, भाषा, इतिहास तथा संस्कृति में भी पूर्ण श्रद्धा रखना है। फ्रांस में हुई १८वीं शताब्दी की महान् क्रान्ति के परिणामों का मूल्याङ्कन करते हुए पाश्चात्य दार्शनिक ब्रुब्रेकर ने राष्ट्रीयता की व्याख्या इस प्रकार की है—**'राष्ट्रीयता' शब्द की प्रसिद्धि पुनर्जागरण तथा विशेष रूप से फ्रांस की क्रान्ति के पश्चात् हुई है। यह साधारण रूप से देश-प्रेम की अपेक्षा देश-भक्ति के व्यापक क्षेत्र की ओर संकेत करती है। राष्ट्रीयता में स्थान के सम्बन्ध के अतिरिक्ति प्रजाति भाषा, इतिहास तथा संस्कृति और परम्पराओं के भी सम्बन्ध आ जाते हैं।** इस सम्बन्ध में राष्ट्रवादियों का मत भी है—**व्यक्ति राष्ट्र के लिए है, न कि राष्ट्र व्यक्ति के लिए है।** अतः प्रत्येक व्यक्ति का यह परम् कर्तव्य है कि वह राष्ट्र की

---

१. राजमूलो महाप्रज्ञा ! धर्मो लोकस्य लक्ष्यते।
प्रजा राजभयादेव न खदन्ति परस्परम्।
मज्जेद् धर्मस्त्रयी न स्याद्यदि राजा न पालयेत्॥

महाभारत (शान्तिपर्व)—६८ अ.

दृढ़ता और अखण्डता बनाये रखने में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान प्रदान करें जिससे राष्ट्र-शक्ति सम्पन्नता से संश्लिष्ट होती हुई शिखरता की उच्चकोटि को प्राप्त कर सकें। किन्तु यह तभी सम्भव हो सकता है, जब **'राष्ट्रीय शिक्षा नीति'** में इस बात की ओर विशेष ध्यान दिया जाए कि राष्ट्र अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए अपनी आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अपने नागरिकों में राष्ट्रीय-भावना के विकास हेतु शिक्षा को अपना मुख्य साधन बनाये। स्पार्टा, जर्मनी, इटली, जापान, रूस और चीन की शिक्षा इस सम्बन्ध में ज्वलन्त उदाहरण है।

भारत की अखण्डता का विध्वंस और पराधीनता की जंजीरों के बन्धनों में बंधने का तात्कालिक शिक्षा-व्यवस्था में राष्ट्रीयता का अभाव और धर्मावलम्बियों की संकीर्णता तथा पुनर्राष्ट्रीय चेतना की जाग्रति मूल कारण रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने कहा था—**मेरे लिए स्वराज का अर्थ है हमारे साधारण से साधारण देशवासियों के लिए स्वतन्त्रता—मात्र ब्रिटिश शासन से भारत को मुक्त कराने में मेरी रुचि नहीं है। भारत को किसी भी प्रकार की पराधीनता से मुक्त कराने के लिए मैं दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ।** इस सम्बन्ध में वर्तमान राष्ट्रपति आर. **वेंकटरामन** ने सम्मति प्रकट करते हुए कहा है—**गरीबी, निरक्षरता, रोग तथा अस्पृश्यता एवं धार्मिक रूढ़िवादिता जैसे अन्य प्रकार के पिछड़ेपन को वे (महात्मा गाँधी) असहनीय भार समझते थे। गाँधी जी की दृष्टि में स्वदेशी के बिना स्वराज, स्वावलम्बन के बिना स्वशासन का कोई अर्थ नहीं था।** राष्ट्रपति ने अपने प्रथम प्रधान-मन्त्री पं० जवाहर लाल नेहरु की दूरदर्शिता, राजेन्द्र प्रसाद, बाबा साहेब अम्बेडकर और मौलाना आजाद जैसे नेताओं की कल्पना शक्ति, बंगाल के विधानचन्द्र-राय, उत्तर-प्रदेश के गोविन्दवल्लभपन्त और तमिलनाडु के कामराज जैसे कई मुख्यमन्त्रियों की व्यवहार-कुशलता के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा है कि इन्हीं के गम्भीर प्रयत्न के फलस्वरूप १९४७ से पहले की उदासीनता के स्थान पर गतिशील सर्वतोमुखी स्वतन्त्र राष्ट्र के विकास का दौर प्रारम्भ हुआ।

उपर्युक्त विवरणों से स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रीयता की शिक्षा, नागरिकों मे राष्ट्र के प्रति अपार भक्ति, आज्ञा-पालन, आत्म-समर्पण, कर्तव्य-परायण और अनुशासन आदि गुणों को विकसित कर के सभी प्रकार के भेद-भावों को भुला कर एकता के सूत्र में बाँध देती है। जिससे राष्ट्र की

राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आदि सभी प्रकार की उन्नति होती है ।

शिक्षा के सम्बन्ध में पूर्वोक्त वर्णन से शिक्षा-विषयक दृष्टि हो जाति है । सारांश यह है कि प्राचीन ऋषियों की दृष्टि में शिक्षा न केवल भौतिक विकास का साधन है अपितु आत्म-परक भी है । इस आधार पर शिक्षा के दो भेद किये गये हैं—विज्ञान और ज्ञान । **"मोक्षे धीर्ज्ञानमन्यत्र विज्ञानं शिल्प शास्त्रयोः"** अमर कोश के इस वाक्य से स्पष्ट होता है कि मोक्ष विषयक शिक्षा ज्ञान कहलाती थी और अन्य लोक विषयक शिक्षा को विज्ञान माना जाता था । परन्तु दोनों के विकास को ही शिक्षा का साफल्य माना जाता था । शरीर और जागतिक तत्त्वों की उपेक्षा को धर्म का बाधक माना जाता था । **'शरीरमाद्यं खलुधर्मसाधनम्'** से यही ध्वननित होता है । **"धर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्, तन्निधन्ता किं न हतं रक्षता किं न रक्षितम्"** के अनुसार चारों पुरुषार्थों का मूल आरोग्य है, शारीरिक स्वास्थ्य है, जिसने उस पर ध्यान नहीं दिया जिसने अपने आप आरोग्य का नाश कर दिया, उसने मानो सारे पुरुषार्थों को मार दिया, जिसने उसकी रक्षा की उसने सब की रक्षा की । ऐसी उक्तियों में शरीर के विकास को उसके स्वास्थ्य को सर्वोपरि माना गया है, क्योंकि उसके बिना कुछ भी सम्भव नहीं है । शारीरिक अस्वस्थता के कारण मानव न तो किसी कार्य में प्रवृत्त हो सकता है और न ही राष्ट्रीय उत्थान में अपनी अहम् भूमिका निभा सकता है । अतः महर्षियों ने आत्म-विकास और राष्ट्रीय अभिवृद्धि के लिए मानव के पूर्ण स्वास्थ्य की कामना की है । इस तरह भारतीय शिक्षा दृष्टि अपने आप में व्यापकार्थ समेटे हुए है । वह मानव के शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास के साथ-साथ विश्वोत्थान की भावना को शिक्षा का उद्देश्य मानती थी ।

—o—

८

वैदिक शिक्षा में यज्ञ का महत्त्व

वैदिक शिक्षा का मुख्य प्रतिपाद्य विषय यज्ञ-विज्ञान है। **'अग्नि सोमात्मकं जगत्'** मन्त्र के द्वारा यज्ञ-विज्ञान के स्वरूप को बताते हुए कहा गया है कि अग्नि में घृतादि सोम प्रधान द्रव्यों की आहुति देना यज्ञ कहलाता है। यज्ञ के तीन अर्थ हैं—**देव-पूजा, संगतिकरण और दान।**[1] **'यत् देवा' अकुर्वन् तत् करवाणि'**[2] अर्थात् जो देवों ने किया वह मैं करूँ, इस अभिलाषा से देवत्व अर्थात् श्रेष्ठ गुणों की अभिवृद्धि हेतु कामना करता हुआ **'देवार्चना'** नामक यज्ञ का विधान करता है **'यजीयान् ऊर्ध्वः प्रतिष्ठति'**[3] अर्थात् यज्ञ करने वाला सदा उन्नत शिखा में रहता है अर्थात् उसके आत्म-तेज में निरन्तर अभिवृद्धि होती रहती है। **'स ज्योतिषा ज्योति'**[4] मन्त्र द्वारा महर्षि ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि तेज से तेज की अभिवृद्धि होती है यह भी यज्ञ ही है। एक दीपक से दूसरा दीपक प्रज्जवलित होता है। गुरू से शिष्य का ज्ञान-दीप जलाया जाता है। विश्व की समस्त मानव जाति का अभ्युदय एक की तेजस्विता से दूसरे का आत्म-प्रकाश होने से होता है। यज्ञ का हेतु यही है कि इससे सब तेजों का संगठन हो और सबकी तेजस्विता बढ़े। यही भावना समाज को श्रेष्ठता प्रदान करती है, संगतिकरण की आवश्यकता को जन्म देती है। संगतिकरण का अर्थ है—संघटन, सामाजिक संघटन से समाज

---

१. यज् देवपूजा संगतिकरणदानेषु।

२. शतपथ ब्राह्मण

३. ऋग्वेद—४/६/८७

४. यजुर्वेद—२/६

की शक्ति का विस्तार होता है। **'यज्ञ बन्धु मनुष्यः चेतयत्'**[1] मन्त्र द्वारा ऋग्वेदीय महर्षि ने संगतिकरण के महत्त्व को स्पष्ट करते हुए कहा है कि यज्ञ अर्थात् संगठन के कार्यों से प्रेम करने वाला ही मनुष्य को ज्ञान दे सकता है। जिसमें त्याग भावना का आधिपत्य होता है वही दूसरे के उत्कर्ष में अपना अभूतपूर्व सहयोग दे सकता है। त्याग अर्थात् दान का अर्थ केवल धन देना ही नहीं है, अपितु जिसके पास जो वस्तु नहीं है, वह उसको देकर उसका उद्धार करना भी दान ही है। दूसरे शब्दों में, अपनी वस्तु को सबकी भलाई के लिए समर्पण करने का नाम ही यज्ञ है। इसी समर्पण द्वारा प्रत्येक प्राणी में त्याग भावना की अभिवृद्धि होती है, राष्ट्र की उन्नति होती है तथा निर्बल बलवान बनते हैं। जैसा कि ऋग्वेदीय महर्षि का कथन है— **महान् यज्ञ से कल्याणकारी बल की प्राप्ति होती है।**[2] इस प्रकार याज्ञिक-प्रक्रिया के विधि पूर्वक सम्पादन से समस्त वायु-मण्डल में व्याप्त प्रदूषण का परिशोधन होता है तथा उसमें निहित धार्मिक भावना के द्वारा पूर्व सञ्चित नैसर्गिक गुणों का परिशीलन मानव को सु-सभ्य और सु-संस्कृत बनाते हुए समाजोचित व्यावहारिक कुशलता प्रदान करता है। इस प्रकार 'यज्ञ' शब्द अपने आप में व्यापकार्थ लिए हुए है। अग्नि प्रज्वलित कर उसमें हव्यादि सोम पदार्थों की आहुति देना तो केवल मात्र यज्ञ का एक स्थूल व बाह्य रूप है जबकि उसमें निहित धार्मिक भावना उसका सूक्ष्म अर्थ है—**वेदों के मार्ग का अनुसरण कर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना, सामाजिक संगठन को सु-दृढ़ता प्रदान करते हुए राष्ट्र का उत्थान करना तथा दान देकर राष्ट्र की प्रजा को सुखी बनाना आदि वैदिक मन्त्र द्वारा महर्षियों ने प्राणि-मात्र में उत्पत्ति और सत्ता बनाये रखने वाले कार्य को यज्ञ कहा है।**[3]

यज्ञ की वैज्ञानिकता—मन्त्र-द्रष्टा महर्षियों ने वैदिक-वाङ्मय की ऋग्वेदीय-शाखा में यज्ञ-विज्ञान को समाहित करते हुए कहा है—**जल, पत्थर और वृक्ष से अग्नि उत्पन्न की जा सकती है।**[4] इस कथन से आधुनिक पुरा-

---

१. ऋग्वेद—४/१/४
२. बृहतः क्रतोः भद्रस्य दक्षस्य। ऋग्वेद—४/१०/२
३. भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंजितः।
४. त्वमग्ने द्युभिस्त्वमाशुशुक्षणिस्त्वमद्भ्यस्त्वमश्मनस्परि।
त्वं वनेभ्यस्त्वमोषधीभ्यस्त्वं नृणां नृपते जायसे शुचिः॥
ऋग्वेद—२/११

तत्त्ववेता की यह मान्यता है कि आग का आविष्कार बहुत बाद में हुआ है और वैदिक-ऋषि अग्नि के आविष्कार की पद्धति से अनभिज्ञ थे, खण्डित हो जाती है। सामवेदीय-शाखा में सृष्टि-विज्ञान की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि हव्यादि पदार्थों से विधि पूर्वक अग्नि में दी हुई आहुति से उत्पन्न औषधि-मिश्रित धुएँ से सूर्य मण्डल में उष्णता बढ़ती है, परिणामतः औषधि मिश्रित जल की वृष्टि होती है, जो ऋतु-परिवर्तन के समय उत्पन्न अनेक रोगों के शमन में सहायक होती हुई शारीरिक हृष्ट-पुष्टता को अत्यधिक बल प्रदान करती है तथा धन-धान्यादि की वृद्धि से ऐश्वर्यादि के साधनों का संचार करती है। यज्ञ-विज्ञान से सम्बन्धित आप्त-वचन की परिपुष्टि करते हुए प्रसिद्ध नीतिकार और वेदामृत-वाणी के प्रचारक आचार्य मनु का कथन है—**अग्नि में विधि पूर्वक डाली गई आहुति सूर्य-मण्डल में जाती है। सूर्य से वृष्टि, वृष्टि से अन्न और अन्न से प्रजा उत्पन्न होती है।**[1] वर्तमान में इस वैज्ञानिक आविष्कार की परिपुष्टि रसायन-विज्ञान के सूत्र 'भास्कर-रश्मि (सूर्य-किरण) की उष्णता से जल वाष्व में परिणत होते हुए वृष्टि का कारण बनता है' से होती है।

श्रीमद्भगवद्गीता में वर्णित सृष्टि-चक्र के उपक्रम में स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण ने आसक्ति रहित कर्म-योग का उपदेश देते हुए यज्ञ-विज्ञान के महत्त्व को प्रतिपादित करते हुए कहा है—**सम्पूर्ण प्राणि अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्म से होता है। अतः कर्म को तू वेद से उत्पन्न हुआ जान और वेद अविनाशी परमात्म-स्वरूप 'ओ३म्' से उत्पन्न हुए हैं, इससे परम अक्षर रूप परमात्मा से उत्पन्न सर्वार्थ प्रकाशक यज्ञ-विधि बोधक वेद यज्ञ में तो सदा ही प्रतिष्ठित रहते हैं।**[2] इस प्रकार यज्ञ के व्यापक स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि यज्ञ-फल आशा विरहित कर्तव्य बुद्धि से किया गया कर्म

---

१. अग्नौ शस्ताहुति सम्यगादित्यमुपतिष्ठते ।
आदित्यज्जायते वृष्टिर्वृष्टेरन्नं ततः प्रजाः ॥ मनुस्मृति—३/७६

२. अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः ।
यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म-समुद्भवः ॥
कर्म ब्रह्मोदभवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् ।
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥

श्रीमद्भगवद्गीता—३/१४-१५

है। अतः यज्ञ स्वरूप कर्म-बन्धन कारक नहीं है, ये कर्म उचित ही हैं। जैसा कि स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण ने अर्जुन से आसक्ति रहित यज्ञार्थ कर्म का उपदेश देते हुए कहा है—**जिस कर्म (यज्ञ) में देवताओं और पूज्यों की पूजा की जाती है, समान स्तर के लोगों से स्नेह वृद्धि की जाती है, तथा दुर्बलों और गरीबों की दान से सहायता की जाती है, उस कर्म का नाम यज्ञ है।**[1] महर्षियों ने वैदिक-वाङ्मय द्वारा निर्देश दिया है कि मनुष्य व्रत और सत्य नियमों का पालन करते हुए व्यक्ति विशेष की उपासना न करे, अपितु राष्ट्रोत्थान में समुचित भूमिका निभाते हुए समाज की उपासना करे तो अति-श्रेष्ठ हो सकता है। इसीलिए **'यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म'** कह कर यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ कर्म बताया है। **'यज्ञो वै विष्णुः'** इस श्रुति वाक्य द्वारा भी यज्ञ को विष्णु अर्थात् परमात्मा का स्वरूप बताया गया है तथा उस आत्म-तत्त्व परब्रह्म स्वरूप परमेश्वर में तादात्म्य स्थापित करने के लिए आसक्ति त्याग कर कर्म करते रहने का उपदेश दिया है, क्योंकि यज्ञार्थ कर्म करने वाला व्यक्ति कर्म-बन्धन से सदैव मुक्त ही रहता है। इस प्रकार यज्ञ सच्चिदानन्द स्वरूप परब्रह्मपरमेश्वर की उपासना का ही एक साधन है। परमात्मा की उपासना से बौद्धिक तेजस्विता, शारीरिक स्फूर्ति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अतः यज्ञ का मूल-तत्त्व आध्यात्मिक ज्ञान ही है, जिससे मानव को निःश्रेयस् की सिद्धि प्राप्त होती है। यज्ञ की आध्यात्मिक प्रक्रिया में बाह्यानुष्ठानादि क्रियाओं को मान्यता देना भी अनुचित प्रतीत नहीं होता है। महाभारत में श्रीकृष्ण को यज्ञ-तत्त्व का ज्ञाता बताया गया है। सत्य भी है कि मानव का सम्पूर्ण जीवन ही एक प्रकार का महायज्ञ है।

बौद्ध-धर्म के प्रवर्तक भगवान् बुद्ध की यज्ञ-विषयक भावना आदर युक्त है, उन्हें यज्ञ अभीष्ट था, किन्तु उसमें दी जाने वाली हिंसा के वे कट्टर विरोधी थे। उन्होंने अहिंसात्मक यज्ञ को ही बौद्ध-धर्म के सिद्धान्तों में स्थान दिया। उनके मतानुसार नित्य भोजन देना, रहने के लिए विहार बनाना, बौद्ध-साहित्य में यज्ञ-कर्म ही कहलाता है। अहिंसा-निष्ठ बौद्धकालीन सम्राट अशोक ने अहिंसात्मक यज्ञ को राजकीय-यज्ञ घोषित कर उसके सिद्धान्तों को शिला-लेखों के माध्यम से प्रसारित करते हुए अपना

---

१. यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः।
तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर॥ श्रीमद्भगवद्गीता—३/९

सम्पूर्ण जीवन बौद्ध-धर्म के सिद्धान्तों को समाज में प्रतिष्ठित करने में लगा दिया था। भारत के प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानी और राष्ट्रपिता महात्मा-गाँधी ने भी स्वतन्त्रता-संग्राम में अहिंसात्मक-यज्ञ को ही शस्त्र रूप में अपनाया था, जिसके फलस्वरूप आज हम स्वतन्त्र देश के स्वतन्त्र नागरिक के रूप में अपने अधिकारों और कर्तव्यों का उपभोग करते आ रहे हैं।

यज्ञ और आयुर्वेद—मानव-जीवन का परम लक्ष्य **पुरुषार्थचतुष्टय की प्राप्ति है।** उत्तम स्वास्थ्य के प्रभाव में रूग्ण-शरीर से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की उपलब्धि सम्भव नहीं है। आरोग्य के बिना जीवन भार स्वरूप प्रतीत होने लगता है। आरोग्य के लिए स्वास्थ्य-शिक्षा परमावश्यक है। जिसके लिये वेदों में बताये गये अनेक यज्ञों के फल निरामयत्व के साधक हैं। **चातुर्मास्य यज्ञ को गोपथ ब्राह्मण में भैषज्य यज्ञ** कहते हैं। **ऋतु-परिवर्तन के समय अनेकानेक उत्पन्न व्याधियों की रोक-थाम के निमित्त पर्यावरण की शुद्धता के लिये यज्ञ सम्पादित किये जाते हैं।**[1] जिनमें प्रयुक्त विशिष्ट औषधियों और वनस्पतियों का उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है, यथा—**पीपल, कुशा, औषधियों का राजा सोम, अन्न, जल, चावल और जौ। इनसे अमरत्व अर्थात् दीर्घायु की प्राप्ति हो सकती है।**[2] जीवला, जीवन्ती, अरून्धती, रोहिणी, कृष्णा, आसिक्नी आदि नाम औषधियों के वाचक हैं। इनमें से जीवन्ती—दीर्घ जीवन प्रदान करने वाली है, क्योंकि वैद्यक ग्रन्थों में इसको समस्त दोषों को दूर करने वाली औषधि कहा है। कृष्णा—यह नाम उत्तमोत्तम वनस्पतियों का है, जो विविध औषधियों में प्रयुक्त होती हैं। जीवला,—यह नाम सिंह पिप्पली का है। यह औषधि बड़ी आरोग्यप्रद है। अतः महर्षियों ने सृष्टि-नियन्ता परब्रह्म परमेश्वर से प्रार्थना की है कि—**सम्पूर्ण औषधियाँ मेरे अनुकूल रह कर इस मनुष्य को पाप रूप रोग से बचायें।**[3] **अथर्ववेदीय महर्षियों ने अन्य मन्त्र में कहा है—**

---

१. भैषज्ययज्ञा वा स्ते।
ऋतुसन्धिषु व्याधिर्जायते।
तस्माद् ऋतु सन्धिषु प्रयुज्यन्ते। गोपथ ब्राह्मण—२/१/१०

२. अश्वत्थो दर्भो वीरुधां सोमो राजामृतं हविः।
व्रीहिर्यवश्च भेषजौ दिवस्पुत्रावमर्त्यौ॥ अथर्ववेद—८/७/२०

३. सर्वाः समग्रा ओषधीर्बोधन्तु वचसो मम।
यथेमं पारयामसि पुरुषं दुरितादधि॥ अथर्ववेद—८/७/१९

वरुण वृष्टि का अधिपति है। उसके क्रुद्ध होने पर जलोदर रोग उत्पन्न होता है। वह पशुओं को भी हानि पहुँचाता है, इसलिए उसे सन्तुष्ट करने के लिए ब्राह्मण ग्रन्थों में यज्ञ का विधान है।[1]

यजुर्वेदीय महर्षियों ने भी औषधि-विज्ञान के स्वरूप का वर्णन किया है। उन्होंने अपने मन्त्रों में औषधि को **अम्ब**[2] के नाम से सम्बोधित किया है। श्वेतकुष्ठ, यक्ष्मा-ज्वर, काल आदि अनेक व्याधियों का उल्लेख और चिकित्सा-प्रक्रिया वैदिक-साहित्य में उपलब्ध होती है। वैदिक-वाङ्मय में आयुर्वेद चिकित्सा-विज्ञान से सम्बन्धित औषधियों और वनस्पतियों को पहचानने की प्रक्रिया और उनसे सम्बन्धित रोगों के उपचार की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद के विष-चिकित्सा नामक सूक्त[3] में सर्प-विष अथवा बिच्छू-विष के प्रभाव को शान्त करने के लिए मधु नामक औषधि का सेवन करने का निर्देश दिया गया है। सर्प-दंशन से शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा गया है—**रोगी टेढा-टेढा, कुरूप और ढीले संधियों वाला हो जाता है, उसे मधु नामक वनस्पति द्वारा ठीक किया जा सकता है।**[4] आधुनिक चिकित्सा-विज्ञान की 'विष-विष को काटता है, अर्थात् नष्ट करता है यह धारणा अथर्ववेदीय, 'सर्प-विष' सूक्त से मिलती है, जहाँ महर्षि ने सर्प-विष को प्राणी-मात्र का शत्रु बताते हुए उसके निदान की प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए कहा है—**विष का उपचार विष से ही होता है। साँप यदि काट ले और यदि मनुष्य भी उसी साँप को काट ले तो वह मनुष्य अवश्य ही बच जाता है, परन्तु उसमें इतना धैर्य होना चाहिए। इससे विष के साथ विष मिल जाता है और वह मनुष्य बच जाता है।**[5] मृगी के उपचार की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए कहा गया है—(१) **बच, खुरशानी' दो तोला शहद के साथ ले, पथ्य-दूध-भात खावें** (२) **ब्राह्मी बच,**

---

१. मित्रावरुणौ वृष्टचाधिपती तौ मावताम्। अथर्ववेद—५/२४/५

२. शतं वो अम्ब धामानि सहस्रमुत वो रुहः। यजुर्वेद—१२/७६

३. इयं वीरुन्मधुजाता मधुश्चुन्मधुला मधूः।
सा विह्रुतस्य भेषज्यथो मशकजम्भनी॥ अथर्ववेद—७/५६(५८)२

४. अयं यो वक्रो विपरुर्व्यङ्गो मुखानि वक्रा वृजिना कृणोषि।
तानि त्वं ब्रह्मणस्पत इषीकामिव सं नमः॥ अथर्ववेद—७/५६(५८)/४

५. अपेह्यरिरस्यरिर्वा असि। विषे विषमपृक्था विषमिद्वा अपृक्थाः।
अहिमेवाभ्यपेहि तं जहि॥ अथर्ववेद—७/८८(९३)/१

कूठ, शंखपुष्पी समभाग ले चूर्ण कर आठ आना भर गौ के घी में सेवन करें। बवासिर के उपचार सम्बन्धि औषधि का उल्लेख करते हुए कहा है—**बडी दुद्धी में लोंग मिलाकर सेवन करें अथवा घी के साथ पियें तो खूनी बवासीर ठीक हो जाती है।** इस प्रकार अथर्ववेदीय महर्षियों ने अनेक व्याधियों और उनके उपचार की प्रक्रिया का वर्णन किया है। इसके साथ ही साथ अथर्ववेदीय महर्षियों ने **स्त्रीचिकित्सा**[1] सम्बन्धित रोगों के निदान के सम्बन्ध में भी स्पष्ट निर्देश दिये हैं।

अत: अथर्ववेदीय मन्त्रों के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि वैदिक-वाङ्मय में केवल कर्मकाण्ड सम्बन्धित याज्ञिक विधि का ही उल्लेख नहीं मिलता है जिसका सम्बन्ध मानव के आध्यात्मिक विकास से है अपितु वेदों में मानव-जीवन-रक्षणार्थ चिकित्सा-विज्ञान सम्बन्धित सूक्ष्म जानकारी प्राप्त होती है।

यज्ञ और ज्योतिष-शास्त्र—वैदिक संस्कृति में आत्म-बोध और आध्यात्मिक प्रशिक्षण हेतु यज्ञों की प्रधानता है। इन यज्ञों का सम्पादन कब और कैसे किया जाए, निर्णयार्थ वैदिक काल में ज्योतिष-शास्त्र के आधार भूत सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया। "**अमावस्यायां अमावस्यायां यजेत पूर्णमास्यां पूर्णमास्यां यजेत**" इत्यादि वैदिक वाक्यों में दर्श और पूर्णमास इष्टियों (यज्ञों) की चर्चा मिलती है। दर्श इष्टि अमावस्या के दिन तथा पूर्णमास इष्टि पूर्णिमा के दिन की जाती है। इन दिनों यज्ञों को सम्पादित करने के लिए अमावस्या और पूर्णमासी का भली-भाँति ज्ञान होना परमावश्यक है, इसी काल गणना के लिए ज्योतिष-शास्त्र का उदय हुआ है।

वर्ष, अयन, ऋतु, मास, पक्ष, दिन, नक्षत्र आदि समस्त कालों और काल-खण्डों का ज्ञान इसीलिए किया गया है कि इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार के लिए जाने वाले अलौकिक अनुष्ठानों का आयोजन यथासमय सम्पादित किया जा सके।

प्रत्येक यज्ञ में कुण्ड-मण्डप और वेदियों की रचना की जाती है। ये वेदियाँ वृत्त, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज, पञ्चभुज आदि अनेक प्राकृतियों में बनती हैं। इन वेदियों की रचना का एक सामान्य नियम निर्धारित है कि इनका क्षेत्र-फल उतना ही होना चाहिए जितना कि प्रधान वेदी का हो। वैदिक काल में अश्व-मेघ-वाजपेय आदि विविध यज्ञों में अनेक प्रकार की वेदियाँ बनाई

---

१. (i) कर्मज भव व्याधि दैवी चिकित्सा
(ii) स्त्री भैषज चिकित्सा।

जाती थी, जिन में से निम्नलिखित बारह वेदियाँ प्रमुख हैं—

(१) श्येनचित्	(२) व्यस्तपुच्छश्येन
(३) कंक	(४) अलज
(५) प्रौग या प्रडग	(६) उभयतः प्रौग
(७) रथ-चक्र	(८) द्रोण
(९) समूह्य	(१०) परिचाय्य
(११) श्मशान एवं	(१२) कूर्म

उक्त वेदियों को यथावत् बनाने के लिए रेखा-गणित के जिन प्रमेय और निर्मेयों का अनिवार्य रूप से प्रयोग किया गया है, वे इस प्रकार हैं[1]—

(१) वृत्त बनाना तथा उसे द्विगुणितादि करना।
(२) वर्गक्षेत्र के ऊपर तथा भीतर वृत्त बनाना।
(३) वृत्त के तुल्य वर्ग क्षेत्र बनाना।
(४) वृत्त के भीतर वर्ग क्षेत्र बनाना।
(५) वर्ग क्षेत्र को द्विगुणित त्रिगुणितादि करना।
(६) दो वर्ग क्षेत्रों के बराबर वर्ग क्षेत्र बनाना।
(७) वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल जानना।
(८) वर्ग क्षेत्र के बराबर त्रिभुज बनाना।
(९) त्रिभुज के बराबर आयत और आयत के बराबर त्रिभुज बनाना।
(१०) प्रदत्त भुजाओं से आयत चतुर्भुज आदि बनाना।
(११) समलम्बचतुर्भुज के बराबर उससे दुगना एवं तिगुना समलम्ब-चतुर्भुज बनाना।

---

१. कात्यायनशुल्बसूत्र—२/४
मानवशुल्बसूत्र—३/२
चैत्रायणशुल्बसूत्र—प्रथम अध्याय
ऋग्वेद—७/१८/१७
अथर्ववेद—२/११/२१
शतपथब्राह्मण—२/६
छान्दोग्योपनिषद्—३/५-१
आपस्तम्बश्रौत्रसूत्र—८/१८
बौद्धायनशुल्बसूत्र—१/४८; १/४८

(१२) समलम्ब चतुर्भुज के आधे (१/२) और तिहाई (१/३) के समलम्बचतुर्भुज बनाना।

(१३) वर्ग क्षेत्र के विकर्ण पर बना वर्ग क्षेत्र उसकी भुजा के वर्ग का दुगना होता है।

(१४) आयत के विकर्ण का वर्ग उसकी भुजाओं के वर्ग योग के बराबर होता है।

वैदिक युग में यज्ञ के समय बनने वाली इन वेदियों की रचना द्वारा विश्व को रेखा-गणित का ज्ञान और उसका व्यावहारिक प्रशिक्षण सब से बड़ी देन है। तत्कालीन भारत न केवल अङ्क-गणित और बीज-गणित से ही, अपितु रेखा-गणित के अधारभूत सिद्धान्तों से भी सु-परिचित था। वैदिक ऋषियों का विश्वास था कि अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए यज्ञ-वेदियाँ सु-निश्चित और निर्धारित तरीके से बनाई जायें। इनकी रचना के प्रकार (विहित विधान) में जरा सी भूल-चूक हो जाने से इष्ट प्राप्ति के स्थान पर अनिष्ट फल मिलने की आशंका बनी रहती थी।

वैदिककालीन महर्षियों ने आज से हजारों वर्ष पूर्व यज्ञों के कुण्ड-मण्डप और वेदियों में प्रयुक्त होने वाले नियमों को भली-भाँति पढ़ने और समझाने के लिए शुल्व-सूत्रों की रचना की। यद्यपि आज हमें केवल बौद्धायन, आपस्तम्ब, कात्यायन, मैत्रायण, मानव वाराह और बाधुल शुल्व-सूत्र ही उपलब्ध होते हैं। जिनका रचना काल १२००ई. पूर्व से ८००ई. पूर्व माना जाता है। किन्तु इन शुल्व सुत्रों में उपलब्ध रेखा-गणितीय विषय वस्तुओं को देख कर निःसंकोच भाव से कहा जा सकता है कि रेखा-गणित का ज्ञान सर्वप्रथम भारत को ही था। सम्भवतः अङ्क-गणित की तरह भारत ने ही विश्व को रेखा-गणित का पाठ पढ़ाया हो।

'गण्' धातु से 'क्त' प्रत्यय लगा कर बना हुआ 'गणित' शब्द गिनने या गणना करने के अर्थ में वैदिककाल में प्रयुक्त हुआ है। तत्कालीन साहित्य में इसका एक पर्यायवाची शब्द **'संख्यातम्'** मिलता है। यद्यपि यह शब्द गणित-शास्त्र के अर्थ को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त नहीं करता, फिर भी इसका अर्थ गिनना, हिसाब लगाना, गणित-क्रिया करना आदि तत् तत् संदर्भों से सिद्ध होता है। गणित-शास्त्र के अर्थ में इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वेदाङ्ग-ज्योतिष में मिलता है। वैदिक संहिताओं में संख्या गणित की आधार भूत क्रियाओं का वर्णन मिलता है। **उस समय गणित के सवालों को तखती, सलेट या कापी पर न लिख कर जमीन में धूल बिछा कर हिसाब लगाते थे,**

इसलिय गणित का एक नाम धूलि कर्म मिलता है।[1] यजुर्वेद की याज्ञवल्क्य वाजसनेय कृत वाजसनेयी संहिता के उस मन्त्र में **एक से लेकर परार्ध (दस खरव) तक की संख्याओं का उल्लेख मिलता है।**[2] सांख्यायन श्रौत सूत्र में **अनन्त (नील) पर्यन्त संख्याओं का उल्लेख किया गया है।** यजुर्वेदीय तैत्तिरीय संहिता[3] में युग्म और अयुग्म संख्याओं का वर्णन मिलता है, जिसमें १०० तक की आधोलिखित सारणियाँ हैं—

४×१=४	५×१=५	१०×१=१०
४×२=८	५×२=१०	१०×२=२०
४×३=१२	५×३=१५	१०×३=३०
२०×१=२०	१००×१=१००	१००×१०=१०००
२०×२=४०	१००×२=२००	१००×१००=१०,०००
२०×३=६०	१००×३=३००	१००×$१०^{१०}$=$१०^{१२}$

तैत्तिरीयसंहिता[4] में निम्नलिखित परिभाषाएँ भी हैं—

$१०^{२}$=शत	$१०^{६}$=प्रयुत	$१०^{१०}$=मध्य	$१०^{१४}$=व्युस्ति
$१०^{३}$=सहस्त्र	$१०^{७}$=अबद	$१०^{११}$=अन्त	$१०^{१५}$=देश्यत्
$१०^{४}$=अयुत	$१०^{८}$=न्यर्वुद	$१०^{१२}$=परार्ध	$१०^{१६}$=ड्यत्
$१०^{५}$=नियुत	$१०^{९}$=समुद्र	$१०^{१३}$=उक्षय	$१०^{१७}$=उदित
			$१०^{१८}$=सवर्ग
			$१०^{१९}$=लोक

वैदिक वाङ्मय में संख्याओं के साथ-साथ गणित की आधारभूत क्रियाओं, जैसे—योग, अन्तर, गुणा और भाग का यत्र-तत्र विविध प्रसंगों में उल्लेख मिलता है।

ज्योतिष शास्त्र की रचना मुख्य रूप से यज्ञों की काल गणना के लिए हुई थी। दर्श और पूर्णमास इष्टियाँ किस दिन की जायें, शान्ति और पौष्टिक अनुष्ठान कब हों, इत्यादि यज्ञ-यागों के काल का ज्ञान करने के लिए वैदिक

---

१. यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा।
तद्वद्वेदाङ्गशास्त्राणां गणितं मूर्ध्नि संस्थितम् ॥

वेदाङ्ग-ज्योतिष—४

२. यजुर्वेदीय तैत्तिरीय संहिता—अनुवाक्—१०-२०

३. कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीय-संहिता—४/७/११

४. कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीय-संहिता—४/४/११

ऋषियों ने ज्योतिष-शास्त्र के आधारभूत सिद्धान्तों का वर्णन और विवेचन किया है। काल गणना में तिथि, नक्षत्र, योग, करण और वार ये पांच प्रधान अंङ्ग हैं, जिन्हें पञ्चाङ्ग कहते हैं। पञ्चाङ्ग की इस गणना के लिए हमारे ऋषियों ने ग्रहों की स्थिति-गति, उनके उदय-अस्त आदि समस्त बातों का गम्भीरता पूर्वक विचार किया है।

यजुर्वेद संहिता में वर्षारम्भ वसन्त ऋतु और मधु मास से माना जाता है। वेदाङ्गकाल में इस मास को **चैत्र मास कहा गया है**[1] तथा हमारे धर्म-शास्त्रों ने इस कथन की पुष्टि की है। भारतवर्ष के अधिकतम प्रान्तों में वर्षारम्भ चैत्र शुक्ल प्रतिपक्ष से होता है। केवल बंगाल, गुजरात, केरल और तमिलनाडु में कहीं कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से और कहीं आषाढ़ शुक्ल प्रदिपदा से वर्षारम्भ माना जाता है।

वर्ष में चैत्रादि बारह महीने होते हैं, जिन्हें 'मास' कहते हैं यह मास दो प्रकार के होते हैं—(i) पूर्णिमान्त मास और (ii) अमान्त मास। पूर्णिमा और अमावस्या में समाप्त होने वाले मासों को क्रमशः पूर्णिमान्त और अमान्त मास कहते हैं। वेदों में इन दोनों का वर्णन मिलता है। पूर्णिमान्त मास था, यह बात पूर्णमासी शब्द से स्पष्ट हो जाती है। क्योंकि जिसमें **मास पूर्ण होता है, वही पूर्णमासी है**।[2] एक मास में दो पक्ष होते हैं—**कृष्ण-पक्ष और शुक्ल-पक्ष**।[3] चन्द्र मास में तीस तिथियाँ होती हैं। पन्द्रह कृष्ण-पक्ष में और पन्द्रह शुक्ल पक्ष में। इनके नाम प्रतिपदा, द्वितीय आदि प्रसिद्ध हैं। **सामविधान ब्राह्मण में कृष्णचतुर्दशी, कृष्णपञ्चमी और शुक्ल चतुर्दशी शब्द आये हैं**।[4] इसी प्रकार **तैत्तिरीय ब्राह्मण में अमावास्या और पूर्णिमा शब्द मिलते हैं**।[5] उपर्युक्त कथन से यह पुष्ट होता है कि वैदिक काल में लोगों को तिथियों का भली-भांति ज्ञान था। तैत्तिरीय संहिता और **तैत्तिरीय**

---

१. सम्वत्सर सूत्र अनुवाक्—२

२. बर्हिषा पूर्णमासे व्रतमुपैति वत्सैरमावास्यायाम्।

तैत्तिरीय संहिता—१/६/७

३. **मासो वै प्रजापतिः। तस्य कृष्णपक्ष एव रविः शुक्लः प्राणः।**
भारतीय ज्योतिष-शंकर बाल कृष्ण दीक्षित-पृ० ५५.

४. **सामविधान ब्राह्मण—२/६, २/८, ३/३**

५. **तैत्तिरीय ब्राह्मण—१/५/१२**

ब्राह्मण[1] **ग्रन्थों में कृत्तिका आदि २७ नक्षत्रों का वर्णन मिलता है।**[1] इस के अतिरिक्त अथर्व-संहिता में चित्रादि २७ नक्षत्रों के नाम इसी क्रम में मिलते हैं, जिस प्रकार कि ये नाम आजकल प्रचलित हैं।[2] तिथि में दो भाग होते हैं, जिन्हें करण कहते हैं। मुहूर्त की जानकारी के लिए इन का उपयोग किया जाता है। **ऋक-संहिता** में सात वारों के लिये **'वासर'**[3] शब्द का प्रयोग कई स्थानों पर मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे वैदिककालीन ऋषियों ने इष्ट-प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञ-यागों के विधि-विधान का वर्णन करते हुए कुण्ड-मापन और वेदियों के लिए रेखा-गणित के सिद्धान्त, पदार्थों की गणना और उनका मान ज्ञान करने के लिए गणित के सिद्धान्त तथा यथा-समय यज्ञों के करने के लिये ज्योतिष-शास्त्र के आधारभूत सिद्धान्त की अपने शिष्यों को शिक्षा-दीक्षा दी थी। यद्यपि उस समय यह शास्त्र अपने स्वतन्त्र अस्तित्व में नहीं आ पाया था, जैसाकि वेदाङ्गकाल और उसके परवर्ती काल में दिखलाई देता है, तथापि इस शास्त्र के आधारभूत सिद्धान्तों का उक्त वर्णन और विवेचन इस बात का साक्ष्य है कि वैदिक काल में तिथि, नक्षत्र, योग, करण, वर्ष, मास, पक्ष और वार प्रभृति सभी काल गणना के प्रधानतम उपकरणों की उसी प्रकार शिक्षा दी जाती थी, जैसी कि आज ज्योतिष-शास्त्र के ग्रन्थों में मिलती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि—वैदिक शिक्षा का उद्देश्य मात्र आध्यात्मिक प्रशिक्षण ही नहीं था, अपितु खगोल और ज्योतिष-शास्त्र की शिक्षा देना भी इसका व्यावहारिक उद्देश्य रहा है।

वैदिककालीन ज्योतिष शिक्षा की प्रमुख देन सौर और चान्द्रकाल की गणना, इनका समन्वय, ग्रहों की गति, स्थिति का ज्ञान, ग्रहण की गणित,

---

१. कृतिकानक्षत्रमग्निर्देवताग्नेरूचस्थ प्रजापतेर्धातुः सोमस्यर्चे त्वा रूचे त्व भासे त्वा ज्योतिषे त्वा रोहिणी नक्षत्रं··· ।

तैत्तिरीयसंहिता—४/४/१०

अग्ने कृत्तिकाः। शुक्रं परस्ताज्ज्योतिरवस्तात्। प्रजापते रोहिणी। आपः परस्तादोषधयोवस्तात्। सोमस्येन्वका विततानि··· ।

तैत्तिरीयब्राह्मण—१/५/१

२. चित्राणि साकं दिवि रोचनानि सरीसृपाणि भुवने जवानि··· ।

अथर्व-संहिता—१०/७

३. आदिप्रत्नस्य रेतसो ज्योतिष्पश्यन्ति वासरम्। परो यदिध्येत दिवा।

ऋक्-संहिता—८/६/३०

खगोल का परिचय और ग्रहों की कक्षाओं के स्वरूप का निर्णय है। वर्तमान में जो सौर-कलैण्डर प्रचलित है, जिस में महीनों के नाम-जनवरी, फरवरी और मार्च आदि मिलते हैं, यह सौर गणना पद्धति पर आधारित है। काल-गणना के साथ-साथ वैदिक ऋषियों ने ह्यूरिष्टिक-विज्ञान, वास्तु-शास्त्र, अङ्ग-विद्या, शकुन-शास्त्र आदि अन्य महत्त्वपूर्ण और लोकोपयोगी बातों का निरूपण विविध प्रसंगों में किया है। आजकल विकसित भारतीय ज्योतिष शास्त्र वैदिक शिक्षा के सर्वमान्य सिद्धान्तों पर आधारित है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र वेद का प्रधान अङ्ग है, उसे वेद का नेत्र कहा जाता है।[1] विष्णुधर्मोत्तरपुराण के अन्त में महर्षि ने ज्योतिष-शास्त्र के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा है—**वेद तो विविध यज्ञानुष्ठानों के लिए प्रवृत्त है और जितने यज्ञ हैं उनका अनुष्ठान कालाधीन है। अतएव जो विद्वान् कालविधान-शास्त्र ज्योतिष-विज्ञान को जानता है, वही यज्ञादि सब कुछ जानता है।**[2] इस शास्त्र के बिना हमारे श्रौत और स्मार्त-कर्म सिद्ध नहीं हो सकते। अतः ज्ञान-भण्डार की निगम, आगम और दिव्य नाम से प्रसिद्ध शतशः विद्याओं के अन्तर्गत हिन्दू ज्योतिष-शास्त्र का अपना ही वैशिष्ट्य है। अतः वैदिककालीन शिक्षा पद्धति से वर्तमान शिक्षा नीति में खगोलादि विषयों की जानकारी के लिए ज्योतिष-शास्त्र को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

यज्ञ और आधुनिक शास्त्र—आधुनिक शास्त्र में मुख्यतः रसायन-विज्ञान, भौतिक-विज्ञान, गणित-शास्त्र, वनस्पति-विज्ञान जीव-विज्ञान, वैद्यक, शिल्प-शास्त्र और कम्प्यूटर प्रणाली की गणना की जा सकती है। किन्तु वैदिक-साहित्य के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि आज के भौतिक-शास्त्र

---

१. वेदस्य चक्षुः किल शास्त्रमेत-
त्प्रधानताङ्गेषु ततोऽर्थजाता।
अङ्गैर्युतोऽन्यैः परिपूर्णमूर्ति-
श्चक्षुर्विहीनः पुरुषो न किञ्चित्॥
—वृद्धवसिष्ठ सिद्धान्त (मध्यमाधिकार श्लोक-८)

२. वेदस्तु यज्ञार्थमभिप्रवृत्ताः
कालानुपूर्वा विहिताश्च यज्ञाः।
तस्माद्धिदं कालविधान शास्त्रं
यो ज्यौतिषं वेद स वेद सर्वम्॥ विष्णुधर्मोत्तरपुराण—२/१७४/१

की निष्पत्ति यज्ञ प्रक्रिया द्वारा ही हुई है। यज्ञ में निर्दिष्ट चयन नामक विधि का विचार शुल्ब सूत्रों में मिलता है। शुल्ब का अर्थ है—रस्सी, जिसकी सहायता से नाप लेकर यज्ञ-वेदी तैयार की जाती है। इसके लिए चयन की आकृतियों के सम्बन्ध में रेखागणित-शास्त्र के अनेक सिद्धान्त बताये गए हैं। चयन के लिए ईटों के निर्माण की विधी भी शुल्ब शास्त्रों में मिलती है।

याज्ञिक प्रक्रिया में सोम, करीर, शमी आदि की समिधा व पत्ते प्रयोग में लाये जाते हैं। इस सम्बन्ध में वनस्पति की उत्पत्ति, गुण-धर्मादि की शिक्षा यज्ञ-विषयक साहित्य में मिलती है। यज्ञ में पशुओं की बलि का विधान भी बताया गया है। जिसके फलस्वरूप मानव-समाज के विशिष्ट वर्ग को शल्य-शास्त्र की शिक्षा भी उपलब्ध हो सकती है। पशु के विशसन करने के शास्त्र से लेकर भीतरी अवयवों का यथार्थ ज्ञान इनसे सम्बन्धित ग्रन्थों में मिलता है। स्वार्थ का दूसरा नाम पशु-प्रवृत्ति है। उसके हिंसन का भी तात्पर्य लिया जा सकता है। ऋग्वेद मन्त्रों में वैद्य अश्विनीकुमार की चिकित्सा क्षेत्र में प्राप्त ख्याति का वर्णन मिलता है, जिसके अन्तर्गत उन्होंने शर्याति राज्य की राजकुमारी के अनुनय-विनय करने पर प्रसन्न हो **उसके वृद्ध और दृष्टि-विहीन पति-च्यवन को तरुण और दृष्टि से युक्त बनाया**।[१] वर्तमान में यह विधि शल्यचिकित्सा विज्ञान की अत्याधुनिक "plaster surgery" प्रणाली के रूप में देखने को मिलती है। नेत्र-चिकित्सा सम्बन्धी प्रक्रिया का उल्लेख भी विभिन्न ऋग्वेदीय मन्त्रों में मिलता है, जिसमें **परावृज का दृष्टान्त**[२] प्रसिद्ध है। इन समस्त दृष्टान्तों से ज्ञात होता है कि वर्तमान में विकसित औषधि और शल्यचिकित्सा विज्ञान का अति विस्तृत प्रारम्भिक स्वरूप वैदिक-वाङ्मय में देखने को मिलता है।

इसके अतिरिक्त प्राचीन साहित्य में हमें कृषि आदि अन्य अनेक व्यावसायिक प्रशिक्षण के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध होती है। तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप आर्यों की जीविका का मुख्य साधन कृषि-कर्म और पशु-पालन था, जिसकी अभिवृद्धि के लिये ऋषियों ने अनेक यज्ञादि अनुष्ठानों के विधि-विधान का निर्देश दिया है। यज्ञ के कारण समय पर पर्याप्त वर्षा होती है, जिससे अन्न के अभाव की सम्भावना क्षीण हो जाती

१. युवं च्यवानमश्विना जरन्तं पुनर्युवानं चक्रक्षुः शचीभिः।
ऋग्वेद—१/११७/१३

२. याभिः शचीभिर्वृषणा परावृजं प्रान्धं श्रोणं चक्षस एतवे कृथः।
ऋग्वेद—१/११२/८

है तथा गेहूँ, जौ, चावल, शाक-सब्जी और खरबूजे आदि खाद्य पदार्थों की उपज पर्याप्त मात्रा में होती है। कृषि-प्रक्रिया सम्बन्धी ज्ञान की चर्चा करते हुए मन्त्रदृष्टा महर्षियों ने कहा है—खेती में अन्नादि पदार्थों की प्राप्ति होती है, जिससे सम्पूर्ण मानव-जाति का कल्याण हो सके, अतः अन्नादि खाद्य पदार्थों के बीजों को खेत में डालने से पूर्व भूमि पर हलादि चलाकर उसे इस योग्य बनायें जिससे कि अच्छी फसल तैयार हो सके। तत्पश्चात् पर्याप्त मात्रा में जल की प्राप्ति हेतु यज्ञादि को सत्पन्न करते हुए जल-देव से प्रार्थना करनी चाहिये, जिससे जल-देव प्रसन्न हो जल-वृष्टि द्वारा हमारी उत्तम खेती में सहायता करें। न बहुत गर्मी पड़े न पाला पड़े। खर-पतवार आदि को हटाकर भूमि को उत्तम प्रकार से तैयार किया जाय, खेत में घी जैसा पानी दिया जाय अर्थात् वृक्षों को न अधिक पानी दिया जाय न कम, क्योंकि इससे फसल को हानि पहुँचने की सम्भावना होती है। इस प्रकार खेती करने से बहुत उत्तम वनस्पत्तियाँ उत्पन्न होती हैं और उससे समस्त प्राणियों का कल्याण होता है।[1] यजुर्वेद में भी कृषि उपकरण और उसकी उपयोगिता के विषय में पर्याप्त वर्णन मिलते हैं। महर्षि ने कृषि-प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए कहा है—हल के नीचे लगी लोहे की बनी उत्तम फलियाँ भूमि को सुखपूर्वक नाना प्रकार से बोयें और किसान लोग बैलों से सुख पूर्वक उनके पीछे जावें। हे वायु और आदित्य ! तुम दोनों हवि से संतुष्ट होकर इसके लिए औषधियों को उत्तम फल युक्त करो।[2] इसके साथ ही साथ ऋषियों ने कृषकों को भी आदेश दिया है—हलों को जोतो, जुओं को नाना प्रकार से फैलाओ। खेत के तैयार हो जाने पर उसमें बीज बोओ। कृषि-विद्या के अनुसार अन्न की नाना जातियाँ अच्छी प्रकार हृष्ट-पुष्ट होकर शीघ्र ही काटने योग्य अनाज

---

१. प्र नभस्व पृथिवि भिन्द्धी इदं दिव्यं नभः।
उन्दो दिव्यस्य नो धातरीशानो विष्या दृतिम्॥

न घ्रंस्तताप न हियो जघान प्र नभतां पृथिवी जीरदानुः।
आपश्चिदस्मै घृतमित्क्षरन्ति यत्र सदमित्तत्र भद्रम्॥

अथर्ववेद—७/१८/१-२

२. शुन सु फाला वि कृषन्तु भूमि शुनं कीनाशा अभि यन्तु वाहैः।
शुनासीरा हविषा तोशमाना सुपिप्पला औषधीः कर्तनास्मै॥

यजुर्वेद—१२/६९

हमारे लिए पक कर प्राप्त हो।[1]

उपर्युक्त कथन की समीक्षा करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि वैदिक कालीन समाज में आध्यात्मिक प्रशिक्षण के साथ-साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया है—जिसमें कर्म की प्रधानता पर अत्यधिक बल दिया गया। **"मा कस्याद्भुतक्रतू यक्षं भुजेमा तनूभिः"**[2] मन्त्र के द्वारा महर्षियों ने आदेश दिया है कि स्वयं के शारीरिक श्रम से प्राप्त अन्न का ही उपयोग करना चाहिए न कि अन्य से प्राप्त अन्न का। इस महर्षि वाक्य द्वारा यह शिक्षा मिलती है कि सर्वत्र कर्म ही प्रधान है, कर्म में आसक्त व्यक्ति ही धन-धान्यादि ऐश्वर्य युक्त संसाधनों का उपभोग करता हुआ ब्रह्मानन्द को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए महर्षि ने स्वयं द्वारा उपजाये हुए अन्न को ही ग्रहण करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ-साथ यह भी ज्ञात होता है कि वैदिककालीन समाज का मुख्य व्यवसाय खेती-बाड़ी ही था। आधुनिक भौगोलिक पर्यविक्षण से भी यही ज्ञात होता है कि वर्तमान में भी हमारा मुख्य व्यवसाय कृषि ही है, जिसके विकास के लिए हमें निरन्तर प्रयत्नशील रहना चाहिये।

वैदिक समाज में इसके अतिरिक्त अन्य अनेक उद्योग धन्धे भी थे, जिनके विषय में विस्तृत जानकारी शुक्ल यजुर्वेद में मिलती है। **'व्रीहयश्च मे यावाश्च मे माषाश्च मे तिलाश्च मे ०००'**[3] मन्त्र द्वारा विभिन्न खाद्य सामग्री की समृद्धि हेतु यज्ञानुष्ठान के समय सम्बन्धित देवताओं से प्रार्थना की गई है। इससे यह प्रतीत होता है कि उस समय समाज में अन्नों का अच्छा व्यवसाय प्रचलिता था। इसी अध्याय में **"पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे ०००"**[4] मन्त्र के द्वारा तैल और घृतादि पदार्थों का व्यवसाय होता था, इसकी सूचना मिलती है। **'लोहं च मे सीसं च मे ०००"**[5] इत्यादि मन्त्र से यह संकेत मिलता है कि उस समय लोह, काँच और स्वर्ण आदि अनेक धातु सम्बन्धित व्यवसाय प्रचलित थे। उस समय युद्ध सम्बन्धित अनेक हथियारों का भी निर्माण होता था, जिनमें तलवार, भाला, धनुष-बाण मुख्य थे। ऋग्वेदीय आर्य हाथी,

१. युनक्त सीरा वि युगा तनुध्वं कृते योनौ वपतेह बीजम्।
गिरा च श्रुष्टिः सभरा असन्नो नेदीय इत्सृण्यः पक्वमेयात्॥
यजुर्वेद—१२/६८

२. ऋग्वेद—५/७२/४

३. यजुर्वेद—१८/१२

४. यजुर्वेद—१८/६

५. यजुर्वेद—१८/३

घोड़े और रथ की सवारी करते थे तथा गदहे, और कुत्ते से खेती और व्यवसाय का काम लेते थे। ऋग्वेद में वर्णित विवाह प्रकरण में कन्या अपने वर के लिए स्वयं वस्त्रों का निर्माण[1] करती थी, जिससे यह ध्वनित होता है कि उस समय वस्त्रों का कुटीर-उद्योग छाया हुआ था।

उपर्युक्त परिचर्चा से यह विदित होता है कि उस समय के समाज में विभिन्न व्यवसायों की उचित व्यवस्था थी। वर्तमान में भी वही व्यवसाय प्रचलित हैं। हाँ इतना अवश्य है कि आधुनिक वैज्ञानिकीकरण ने उन व्यवसायों का औद्योगिकीकरण कर समाज को अत्याधुनिक ऐश्वर्यादि संसाधनों से सम्पन्न किया है। नवीन कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा अत्यल्प समय में ही व्यावसायिक कुशलता का प्रशिक्षण प्राप्त कर विभिन्न व्यवसायों में संलग्न हो सकते हैं।

यज्ञ में निर्दिष्ट अहिंसा—यज्ञानुष्ठान का मानवीय जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध है। यह मनुष्य की समस्त दुर्बलताओं को विनष्ट कर उसे सबल और प्रगतिमान बनाता है। '**अ तमेरू: यज्ञ:**'[2] इस मन्त्र द्वारा यज्ञानुष्ठान के महत्त्व को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि यज्ञ सुदृढ़ता प्रदान करने वाला है, आत्म-बल की अभिवृद्धि करने वाला है। यज्ञ मानव की शिथिलता का विनाश करता है, उसमें स्फूर्ति का संचार करता हैं तथा शत्रु पर आधिपत्य स्थापित करने की बौद्धिक और शारीरिक शक्ति का विकास करता है। इस विधि द्वारा उसमें जन-कल्याण और पर-हित के निमित्त आत्म-समर्पण की भावना का विकास होता है। मानवीय गुणों की परिशुद्धि के लिए प्रथम यज्ञ-शाला उसका स्वयं का घर है, जहाँ पति-पत्नी एक-दूसरे के लिए आत्म-समर्पण की भावना को लिए हुए सामर्थ्यानुसार आत्म-त्याग करते हैं। उसी प्रकार माता-पिता अपने बच्चों के हित-संरक्षण को तथा बच्चे माता-पिता के सुख-साधनों को ध्यान में रखते हुए पितरों के लिए आत्म-समर्पण द्वारा यज्ञादि सम्पादित करते हैं। परिणामतः परिवार धन-धान्य और समृद्धि को प्राप्त करता है। जिससे पारिवारिक सदस्यों में सहयोग और त्याग की भावना का विकास होता है। त्याग-भावना का यही क्रम हमें सम्पूर्ण मानव समाज में दृष्टिगोचर होता है। आत्म-त्याग अथवा आत्म-समपर्ण की यही भावना सम्पूर्ण मानव-जाति को अहिंसा का उपदेश देती है। स्मृतिकार

---

१. याकृतन्नवयं यश्चदेवी तन्तूनभितोततन्थ।
तास्त्वादेवौ जरसे आयुष्मतीदं परिधत्स्ववासः॥
पारस्करगृह्यसूत्र—१/४/१३

२. शुक्ल यजुर्वेद—१/२३

आचार्य[१] ने भी मानव धर्म में अहिंसा को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करते हुए आत्म ज्ञानी द्विज को सदैव सत् आचरण करने का उपदेश दिया है ।

वैदिक वाङ्मय द्वारा मन्त्रद्रष्टा ऋषियों ने सम्पूर्ण मानव-जाति को अहिंसा अर्थात् पर-हित के लिए निज-स्वार्थ का परित्याग, यह उपदेश दिया है, जिसकी परिणति '**यत्रविश्वंमवत्येकनीडम्**'' के रूप में होती दिखाई देती है । इस प्रकार अहिंसा शब्द का अर्थ है—कल्याणपरक । शुक्ल-यजुर्वेदीय मन्त्रों में 'अहिंसा' शब्द का प्रयोग मिलता है, जिसमें एक स्थान पर **भगवान रूद्र**[२] से अनुरोध किया गया गया है कि वह धनुष को धारण किये बिना हमारी हिंसा न करें । यहाँ यज्ञ के समय रूद्र से राष्ट्र में सर्वत्र शान्ति स्थापनार्थ प्रार्थना की गई है । मन्त्र में प्रयुक्त 'अहिंसन्' शब्द हिंसा का प्रतिषेध करता है । इससे यह सिद्ध होता है कि वैदिक काल में अहिंसा का अनुपालन परम-सीमा तक विद्यामान था, जिसका अभिप्राय जीव-हिंसा का विरोध करते हुए जन-कल्याण की भावना का विस्तार करना है । शुक्ल—**यजुर्वेद**[३] में अन्यत्र आये मन्त्र में भी यही भाव विद्यमान हैं । विभिन्न मन्त्रों में प्रयुक्त 'अ-ध्वरः' शब्द भी अहिंसा का वाचक है । जिसके द्वारा यज्ञ में महर्षियों ने प्रार्थना की है—**इस हिंसा रहित कर्म (यज्ञ) के प्रारम्भ होने के पश्चात् हम आप से उत्तम धन चाहते हैं** । **अतः हे देवो ! हमें श्रेष्ठ आशीर्वचन द्वारा यज्ञ की सफलता और उससे प्राप्त शुभ-फल की प्राप्ति की कामना पूर्ण करो** ।[४] यही अन्यत्र महर्षि ने अग्नि देव से प्रार्थना की है—समृद्धि **के लिए यजन करने वाले महापुरुष तेजस्वी और बड़े तुझ को अहिंसा रहित कर्म (यज्ञ) में प्रज्वलित करते हैं** ।[५] यह अग्नि अन्धकार का विनाश करती हुई ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित कर समस्त दिशाओं में प्रकाश फैलाते हुए उत्तम मार्ग प्रशस्त करती है, उष्णता प्रदान कर उत्साह और स्फूर्ति को

---

१. अहिंसा परमोधर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्तमेव च ।
तस्मादस्मिन्सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान् द्विजः ।।

२. अहि सन्नः शिवोऽतीहि । यजुर्वेद—३/६१

३. मा न प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिषः । यजुर्वेद—१६/१५

४. आ वो देवास ईमहे वामं प्रयत्यध्वरे ।
आ वो देवास आशिषो यज्ञियासो हवामहे ।। यजुर्वेद—४/६

५. वीतिहोत्रं त्वा कवे द्युमन्त समिधीमहि । अग्ने बृहन्तमध्वरे ।।
यजुर्वेद—२/४

बढ़ाती है तथा समस्त मानव-जाति को अभ्युदय प्रदान करती है, अतः यज्ञादि अनुष्ठानों में सर्वप्रथम इस अग्नि का आधान किया जाता है ।

ऋग्वेदीय मन्त्रों में भी यज्ञ के स्वरूप और उसके महत्त्व को प्रतिपादित करते हुये जन-हितकारी और संगतिकरण का हेतु होने के कारण अहिंसा वाचक कहा गया है । यज्ञ में प्रज्वलित अग्नि के महत्त्व को स्पष्ट करते हुए महर्षियों ने कहा है कि जैसे अग्नि में पड़ा हुआ पदार्थ अग्नि रूप बन जाता है, उसी प्रकार अग्नि की संगति में आया हुआ मानव अग्नि-सदृश उत्साही और 'कविक्रतुः' अर्थात् ज्ञान और शक्ति का स्रोत बनते हुए हिंसा रहित, कुटिलता रहित और शुभ-कर्मों का ही अधिपति होता है । इन्हीं गुणों की प्राप्ति हेतु ऋग्वेद में ऋषियों ने याज्ञिक क्रिया के समय देवताओं से प्रार्थना की है—**हम सूर्य और चन्द्र के समान कल्याणप्रद मार्ग पर ही चलें, बार-बार दान देते हुए एक-दूसरे की हिंसा न करें तथा ज्ञान से युक्त होकर सभी संगठित रहें** ।[1] यहाँ प्रयुक्त 'अघ्नता' शब्द भी अहिंसा सूचक है । इन समस्त उद्धरणों से ज्ञात होता है कि वैदिककालीन समाज में यज्ञ का विधान हिंसा करना नहीं था, अपितु प्राणि-मात्र का कल्याण करते हुए परब्रह्म में आसक्ति उत्पन्न करना था । इसीलिये याज्ञिक प्रक्रिया के प्रारम्भ में यज्ञकर्ता '**तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु**'[2] इस मन्त्र द्वारा यज्ञ से प्रजा के कल्याण की कामना करता है ।

महाभारत में अहिंसक-यज्ञ के महत्त्व को स्पष्ट करते हुए कहा गया है—**समस्त यज्ञादि अनुष्ठानों में किया गया दान तथा तीर्थों में किये गये स्नान से प्राप्त शुभ फल अहिंसा की तुलना में नगण्य है** ।[3] दूसरे शब्दों में, अहिंसा का फल न समाप्त होने वाले पुण्य-कर्मों में भी श्रेष्ठतम होने के कारण हिंसा रहित यज्ञ को श्रेष्ठ कर्म कहा गया है तथा उसमें सर्वदा संलग्न रहने का आदेश दिया गया है ।

आचार्य विनोवा भावे ने भी यज्ञ का आधार लेकर ही भू-दान यज्ञ, श्रम-दानयज्ञ और जीवन-यज्ञ आदि विविधि अहिंसा यज्ञों का विधान मान-

---

१. स्वस्ति पन्थामनु चरेम सूर्याचन्द्रमसाविव ।
पुनर्ददताघ्नता जानता सं गमेमहि ।। ऋग्वेद—५/१५

२. वाजसनेयिसंहिता—३४/१-६

३. सर्वं यज्ञेषु वा दानं सर्वतीर्थेषु चाप्लुतम् ।
सर्वदानफलं चैव नैतत् तुल्यमहिंसया ।।
अहिंस्रस्य तपोऽक्षय्यमहिंस्रो यजते सदा । महाभारत

चोत्कृष्ट सभ्यता के विकास के लिए समाज के सम्मुख प्रस्तुत किया है ।

प्राचीन काल में सामाजिक सुख-सुविधा की अभिवृद्धि और राष्ट्र-कल्याण के निमित्त विभिन्न यज्ञादि अनुष्ठान सम्पादित किये जाते थे। व्यक्तिगत सुख की प्राप्ति के लिए देवताओं से पशु, पुत्र, गृह, धन-धान्य और आरोग्य-जीवन की याचना याज्ञिक-प्रक्रिया के सम्पादन द्वारा की जाती थी । इस प्रकार गृहस्थ-आश्रम में किये जाने वाले चौदह श्रौत यज्ञों, सात गृह्य यज्ञों और सोलह संस्कारों के समय किये जाने वाले यज्ञों के साथ-साथ पञ्च महायज्ञ (ब्रह्म-यज्ञ, पितृ-यज्ञ, देव-यज्ञ, भूत-यज्ञ और मनुष्य-यज्ञ, जिनका वर्णन हम पूर्व में कर चुके हैं) आदि नित्य यज्ञों के द्वारा प्रत्येक याज्ञिक का सम्पूर्ण-विश्व के साथ सम्बन्ध बना रहता है । विश्व में अन्न बाँट कर वह स्वयं यज्ञ शेष का भोजन करता है । वैदिक पद्धति द्वारा विश्व के साथ कौटुम्बिक सम्बन्ध बनाये रखने का यह एक उदात्त दृष्टान्त है, जो वैदिक शिक्षा का एक दिव्य उपहार है ।

समस्त विश्व को एक परिवार मानकर उसके कल्याणार्थ किये गये यज्ञादि कर्मों का अनुष्ठान मानवीय कार्यों में सर्वोत्तम कार्य कहा गया है । **'कर्मणा कर्मनिर्हारो न भवति'** इस सिद्धान्त के अनुसार सामान्य पुण्य कर्मों के करने से पापों का निवारण नहीं होता । पाप-कर्मों से निविर्मुक्त होने के लिये महर्षियों ने यज्ञादि प्रक्रिया द्वारा आत्म-अनुशीलन का उपदेश दिया है। उनके मतानुसार आत्मानुशीलन द्वारा ही पूर्व-संचित पाप-कर्मों से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। जैसा कि शतपथब्राह्मण में कहा गया है—**यज्ञ के मर्म को जानते हुए जो अग्निहोत्र करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं।**[1] इस महर्षि-वाक्य से यह निष्कर्ष निकलता है कि यज्ञ हमारे वैयक्तिक आत्मोद्धार के साथ-साथ परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व का भी कल्याण करते हैं। ब्राह्मण-ग्रन्थों में इस विश्व-जनीय हित के लिये यज्ञ का परिणाम और उसका वैज्ञानिक क्रम बताते हुए कहा है कि—**अग्नि से यज्ञ करने पर जो धुआँ उत्पन्न होता है, वह वायु द्वारा अन्तरिक्ष में जाकर वहीं मेघ बन जाता है, जिससे वृष्टि होती है और अन्नादि उत्पन्न होते हैं।**[2] यह यज्ञ का

१. सर्वस्यात्माप्मनो निर्मुच्यते च एवं विद्वानाग्निहोत्रं जुहोति ।

शतपथब्राह्मण—५/३/५/१

२. अग्निर्वै धूमो जायते धूमादभ्रमभ्राद्वृष्टिः ।
विशुद्धीदं वृष्टिमन्नाद्यं संप्रयच्छति ।। ऐतरेयब्राह्मण—२/४१

आधिभौतिक फल है। यज्ञ से देवगण प्रसन्न होते हैं तथा यज्ञ-कर्त्ताओं की बुद्धि शुद्ध होती है, यह यज्ञ का आधिदैविक फल है। इसके द्वारा पापों की निवृत्ति के साथ-साथ मृत्यु का अतिक्रमण कर अमृतत्व की प्राप्ति होती है, यह यज्ञ का आध्यात्मिक फल है। मुण्डकोपनिषद् में यज्ञ के आधिदैविक फल मानव-व्यक्तित्व के सम्बन्ध में स्पष्ट कहा गया है—**ज्ञान के प्रसाद से मानव सत्त्व विशुद्ध हो जाता है।**[1] **सत्त्व-शुद्धि से मानव-शरीर में विद्यमान ज्योतिर्मय निर्मल आत्मा से साक्षात्कार करने का सौभाग्य प्राप्त होता है।**[2] इस प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थों में वैज्ञानिक दृष्टि से यज्ञ-विधान का महत्त्व सूक्ष्म, संतुलित और स्वानुभूत दृष्टि से समझाया गया है।

ब्राह्मण ग्रन्थों में यज्ञ-विधान के साथ-साथ यजमान को आचार प्रधान होने का भी उपदेश दिया गया है। आत्म-साक्षात्कार सम्बन्धी आध्यात्मिक प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए महर्षियों ने स्पष्ट किया है—**सत्य, तप, सम्यग्ज्ञान और ब्रह्मचर्य द्वारा द्विज आत्म-तत्त्व परब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप से साक्षात्कार सम्भव है।**[3] इसके साथ ही साथ जिन ब्राह्मण ग्रन्थों में सत्य की महिमा का निरूपण किया गया है, वहीं असत्य की निन्दा भी की गई है। शतपथब्राह्मण में असत्य का वर्णन करते हुए कहा गया है—**असत्य मनुष्य को अपवित्र कर देता है।**[4] अपवित्रता के कारण यज्ञ-याग आदि सभी आत्म-कल्याणकारी उपायों में अधिकार न होने के कारण व्यक्ति कल्याण कार्य से वञ्चित हो जाता है, जबकि इसके विपरीत सत्य-निष्ठ व्यक्ति को आत्म-दर्शन प्राप्त होता है। ईशावास्योपनिषद् में आत्म-स्वरूप को अभिव्यक्त करते हुये ऋषि ने कहा है—**आत्मा सर्व व्यापक है, शुक्ल है, स्थूल-सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से रहित है। व्रण और स्नायु आदि शरीर के दोष-गुण रूप उपाधियों से रहित है, शुद्ध है और पाप-विद्ध नहीं है। उस आत्म को क्रान्तिदर्शी, मनीषी, व्यापक, स्वयं-भू और यथार्थ रूप में शाश्वत-काल के समस्त पदार्थों का निर्माण** कर्त्ता कहा गया है। जो उस

---

१. ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वः। मुण्डकोपदिषद्—३/१/८

२. अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः। मुण्डकोपनिषद्—३/१/५

३. सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्। मुण्डकोपनिषद्—३/१/५

४. अमेध्यो वै पुरुषो यदनृतं वदति। शतपथब्राह्मण—३/१/३/८

आत्मा को जान लेता है, वह शोक और समस्त पाप कर्मों से विमुक्त हो जाता है तथा गृह्यादि समस्त सांसारिक बन्धनों से निवृत्त होकर अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है।[1] छान्दोग्योपनिषद् में आत्म-तत्त्व का विवेचन करते हुए कहा गया है—**आत्मा न तो वृद्धावस्था को प्राप्त करती हैं, न ही उसे मृत्यु और मन का सन्ताप ही प्रभावित कर सकता है और न ही उसे पाप-पुण्य की रेखा ही स्पर्श कर सकती है, क्योंकि यह पुष्करपलाशवत् निर्लिप्त और पाप रहित परब्रह्म स्वरूप है।**[2] आगे और भी कहा गया है—**यह आत्मा पाप-पुण्य से शुन्य वृद्धावस्था से रहित, मृत्यु हीन, मनो-व्यथा से शून्य, खान-पान की इच्छा से रहित, पिपासा शून्य, सत्य कामना वाली तथा सत्य संकल्प युक्त है।**[3] परमात्मतत्त्व स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर के विषय में कहा गया है—**परमात्मा मनोमय, प्राणरूप शरीर वाला, प्रकाश स्वरूप, सत्य-संकल्प, आकाश सदृश, समस्त कर्मों में संलग्न अथवा समस्त विश्व ही जिसका कर्म क्षेत्र है ऐसा, सर्व काम वाला, समस्त गन्ध वाला, सभी रसों से युक्त, विश्व में व्याप्त, वाणी-रहित और संभ्रम रहित है।**[4]

उपर्युक्त वेद-वेदाङ्ग वाक्यों के परिशीलन से ज्ञात होता है कि भारतीय मनीषियों ने आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा आत्म-तत्त्व के अन्वेषण को ही शिक्षा का परम् उद्देश्य माना है, जिसे हम ज्ञान की पराकाष्ठा भी कह सकते हैं। जिसके फलस्वरूप व्यक्ति अपने कर्तव्य-ज्ञान, सदुपदेश और शुद्धाचरण के अनुपालन द्वारा समाज में उच्च स्थान प्राप्त करता है। संक्षेप में, भारतीय

---

१. स पर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाविरँ शुद्धमपापविद्धम्।
कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान्व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः॥ ईशावास्योपनिषद्—८

२. न जरा न मृत्युर्न शोको न सुकृतं न दुष्कृतं सर्वे पाप्मानोऽतो निवर्तन्ते ऽपहतपाप्मा ह्येष ब्रह्मलोकः॥
छान्दोग्योपनिषद्—८/४/१

३. एष आत्मापहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्कामः सत्यसंकल्पः।
छान्दोग्योपनिषद्—८/१/५

४. मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः सत्यसंकल्प आकाशात्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिदमभ्यात्तोऽवाक्यनादरः।
छान्दोग्योपनिषद्—३/१४/२

धर्म का आध्यात्मिक, धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण इतना महान् और व्यापक है कि जिसके संसर्ग से साधारण मनोभूमि वाला व्यक्ति भी आध्यात्मिक प्रगति करता हुआ जीवन-लक्ष्य तक सुगमता से पहुँच सकता है। समस्त विश्व ने जिस ज्ञान के कारण भारत वर्ष को जगद्-गुरू स्वीकारा था, वह ज्ञान वेदों और उपनिषदों में ही सन्निहित है।

यद्यपि सदाचार का मुख्य फल उपनिषदों में आत्म-साक्षात्कार या आध्यात्मिक अभ्युदय बताया गया है। किन्तु महाभारत में सदाचार का ही दूसरा नाम शील बताया गया है। शील के साथ धर्म का, धर्म के साथ सत्य का, सत्य के साथ बल का और बल के साथ लक्ष्मी का नित्य सहवास बता कर सदाचार को ऐहलौकिक और पारलौकिक अभ्युदय तथा निःश्रेयस् का मूल साधन सिद्ध किया गया है। इन्द्र और प्रह्लाद के प्रसिद्ध वृत्तान्त द्वारा इसे अधिक स्पष्ट किया जा सकता है, यथा—एक बार प्रह्लाद के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर इन्द्र के मन में भय उत्पन्न हुआ कि प्रह्लाद का यह प्रभाव सम्पूर्ण विश्व पर छा जायेगा, तो फिर मेरे सिंहासन का क्या होगा। अतः भगवान इन्द्र ब्रह्मचारी का रूप धारण कर प्रह्लाद के पास विद्याध्ययन के लिये गये। प्रह्लाद ने इन्द्र को सम्पूर्ण विद्यायें पढ़ा दी, तब इन्द्र ने उन्हें गुरू-दक्षिणा के रूप में कुछ मांगने का आग्रह किया। इस पर उन्होंने कहा—तुम ब्राह्मण हो, मैं क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय से ब्राह्मण उत्तम विद्या अथवा संस्कार तो ग्रहण कर सकता है, किन्तु वह ब्राह्मण से गुरु-दक्षिणा ग्रहण नहीं कर सकता है, अपितु उसे तो दान दी गई विद्या की दक्षिणा के रूप में ब्राह्मण को वरदान देना चाहिए। अतः मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम्हें जो अभीष्ट हो मुझ से माँग लो। इस पर इन्द्र ने उनसे कहा—मुझे आप अपना शील दे दीजिये। जिसके उत्तर में उन्होंने 'एवमस्तु' कह दिया। इस पर प्रह्लाद के शरीर से एक दिव्य पुरुष निकल कर इन्द्र के साथ जाने लगा। इस पर प्रह्लाद ने उससे पूछा—तुम कौन हो? दिव्य पुरुष ने उत्तर दिया—मैं आपका शील हूँ, आपने मुझे इन्द्र को दान रूप में दे दिया है, अतः मैं इन्द्र के साथ जा रहा हूँ। वह दिव्य-पुरुष इन्द्र के साथ कुछ ही दूर गया था कि उनसे एक और दिव्य-पुरुष निकला, पूछने पर उसने अपने आप को 'धर्म' बताया और कहा-जहाँ शील जायेगा धर्म भी वहीं जायेगा। उसके जाते ही तीसरा दिव्य-पुरुष उनके शरीर से प्रकट हुआ, जिसने 'सत्य' के नाम से अपना परिचय देते हुए कहा—जहां धर्म का आधिपत्य होगा, वहीं मेरा निवास होगा।

उसके चले जाने के पश्चात् भक्त प्रह्लाद के शरीर से एक और ज्योति निकली, जिसने अपने आप को 'बल' नाम से सम्बोधित करते हुए कहा—मैं सत्य के साथ रहता हूँ, अत: उसी के साथ जा रहा हूँ। इस प्रकार अन्त में प्रह्लाद के शरीर से एक दिव्य-ज्योति स्वरूप देवी प्रकट हुई, जिसने अपने आप को लक्ष्मी सम्बोधित करते हुए कहा कि जहाँ 'बल' रहता है, वहीं मेरा निवास स्थान है। अत: मैं जा रही हूँ। इस प्रकार समस्त दिव्य-ज्योतियों के चले जाने के पश्चात् वह प्रभाव हीन हो गया तथा समस्त लोगों में इन्द्र का प्रभाव बढ़ गया। इस प्रकार महाभारत के शील निरूपण अध्याय में शील या सदाचार की बड़ी महिमा प्रकट की गई है।

यज्ञ-शक्ति-सञ्चय:—वेदों में वर्ण और आश्रम के सम्बन्ध से मानव के लिये अनेक कर्तव्यों का बिधान दिया गया है, किन्तु उन कर्तव्यों का पालन शक्ति-हीन व्यक्ति नहीं कर सकते। इसीलिए शक्ति-सञ्चय के प्रतयय के साथ-साथ वेदों में उनकी अभिवृद्धि के लिए अनेक प्रार्थनाएँ भी सिखाई गई हैं, जिनके द्वारा मानव ईश्वर से तथा अधिष्ठातृ देवों से शक्ति-याचना भी करते रहते हैं। यजुर्वेदादि ब्राह्मण संहिताओं में शक्ति-दातृ देवों के अर्चनार्थ मन्त्रों में कहा गया है—**कल्याणकारी ईश्वर-नेत्र सूत्र के रूप में हमारी आँखों के सामने उदय हो रहे हैं वह हमें शक्ति दें कि हम सौ वर्ष तक देखते रहें, सौ वर्ष तक जीते रहें, सौ वर्ष तक सुनते रहें, सौ वर्ष तक बोलते रहें। हम सौ वर्ष तक दीन या आधीन न हों, सौ वर्ष के पश्चात् फिर सौ वर्ष तक हम आत्म-निर्भर होकर जीते रहें।**[1] यह याचना हमें उन प्रयत्नों के लिए जागरूक रहने की प्रेरणा देती है, जिन प्रयत्नों से इन शक्तियों का संग्रह होता है।

शक्ति या आत्म-बल मानवीय क्रियाओं का मूलाधार है, किन्तु क्रियाओं के साधकतम करण तो पञ्च-कर्मेन्द्रियों के साथ उभयेन्द्रिय मन ही है। इसीलिए वैदिक प्रार्थनाओं के माध्यम से महर्षियों ने निर्देश दिया है—**जो परमात्मा आत्म-शक्ति का दाता और शारीरिक-बल प्रदाता है तथा जिसकी उत्तम शिक्षा का सब देव-गण पालन करते हैं तथा जिसका आश्रय**

---

१. तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्।
पश्येम शरद: शतं जीवेम शरद: शत शृणुयाम ॥
शरद: शतं प्र ब्रवाम शतमदीना: स्याम।
शरद: शतं भूयश्च शरद: शतात् ॥ यजुर्वेद—३६/२४

अमृत अर्थात् मोक्ष-सुख है और जिसका आश्रय न करना, भक्ति न करना ही मरण है, उस सुख रूप देव की हम लोग होम के पदार्थों से सेवा करें।[1] यजुर्वेद में ऋषियों ने वाक्-चातुर्य ऐक्य का सामर्थ्य और आत्मबल की अभिवृद्धि के लिए वाक्-मनन-प्राण और श्रवणादि शक्ति को क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में पूर्णतया लगाया है।[2] इसके साथ ही ऋषियों ने शक्ति-सञ्चयार्थ यज्ञादि अनुष्ठानों को सम्पादित करते हुए अभीष्ट इष्ट से निवेदन किया है हमारी चक्षु आदि बाह्य इन्द्रियों में, हृदय में और मन में जो न्यूनता अथवा हीनता छिपी हुई है, उसको दूर करते हुए परम पिता परमेश्वर (सृष्टि का स्वामी) हमारा कल्याण करें।[3] अन्यत्र मन्त्र द्वारा स्तुति की गई है—हम कानों से भला-भला सुनें, आँखों से भला-भला देखें, हम अपने समर्थ अङ्गों से ईश्वर को सन्तुष्ट करने वाले कर्म करें तथा अपने स्थूल, सूक्ष्म और करण तीनों शरीरों से इन्द्रियों के लिए हितकर कार्य करते हुए पूर्ण आयु को प्राप्त करें।[4] इसी आधार पर युग प्रवर्तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अहिंसा का उपदेश देते हुए कहा है—बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। क्योंकि बुराई अनिष्ट की जड़ है। अनिष्ट ही मृत्यु का पथ है। अतः 'अहिंसा' के उपदेशक महात्मा गाँधी ने मानवीय गुणों के अभिवृध्यर्थ मानव समुदाय को अहिंसा-यज्ञ के माध्यम से निर्देश दिया है कि वह 'शक्ति-सञ्चय' को वरीयता प्रदान करते हुए ऐसा कोई कार्य न करे, जिससे स्वयं का अनर्थ और अन्यों को हानि उठानी पड़े। क्योंकि संगठन में ही शक्ति है, चाहे वह संगठन शारीरिक अवयवों का हो अथवा सामाजिक प्रणियों का। शक्ति-सञ्चय की समस्त प्रवृत्ति अहिंसा पर ही आधारित है जिसके लिए अथर्ववेद में महर्षियों ने वाक्-शक्ति प्रदायिनी देवी

---

१. य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः।
यस्यच्छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥
यजुर्वेद—२५/१३

२. ऋचं वाचं प्र पद्ये मनो यजुः प्र पद्ये साम प्राणं प्र पद्ये चक्षुः श्रोत्रं प्र पद्ये।
वागोजः सहौजो मयि प्राणापानौ ॥ यजुर्वेद—३६/१

३. यन्मे छिद्रं चक्षुषो हृदयस्य मनसो वातितृण्णं बृहस्पतिर्मे तद्दधातु। शं नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः। यजुर्वेद—३६/२

४. भद्रं कर्णेभिः श्रृणुयाम देवा।
भद्रं पश्यमाक्षभिर्यजत्राः ॥ ऋग्वेद—१/८९/८

सरस्वती से प्रार्थना की है कि वो ज्ञानामृत द्वारा हमारे समस्त शारीरिक अवयवों को पुष्टि प्रदान करें। उन्होंने यहाँ कहा है कि—**जो हिंसा से बोलने के कारण मेरा मन क्षुभित हो गया है, जो लोगों की सेवा करते हुए याचना करने वाली व्याकुलता है तथा अपनी आत्मा और शरीर में जो हीनता पैदा हो गई है, उसको सरस्वती घृत से भर देवें।**[1] दूसरे शब्दों में, जन-सेवा करते समय जो शारीरिक और मानसिक कष्ट भोगने पड़ते हैं, इन कष्टों से वाक्-देवी की अनुकम्पा से छुटकारा मिल सकता है। इसी आधार पर समस्त वैदिक वाङ्मय में मानव समुदाय को निर्देश दिया गया है कि उसे जन-कल्याण के लिए सर्वदा तत्पर रहना चाहिए, चाहे उसे इस पवित्र कार्य के लिए कितनी ही यातना क्यों न सहनी पड़े। उसे उन यातनाओं को आनन्द के साथ सहना चाहिए। क्योंकि ज्ञान-सरिता वाक् देवी के ज्योतिर्मय ज्ञान द्वारा उनके समस्त कष्टों का अपहरण हो जायेगा। अथर्ववेद की उक्ति भी है—**मानव शरीर में बुद्धि, मन और पांच ज्ञानेन्द्रियां, ये सात शक्तियां नैसर्गिक रूप से विद्यमान रहती हैं तथा आवश्यकतानुसार ये शक्तियाँ मानव शरीर में ऐसे कार्य करती हैं, जैसे बालक अपने पिता का कार्य करता है। उसमें निहित प्राण और अपान ये दो शक्तियाँ तेज की वृद्धि, कार्य और पोषण करती हैं।**[2] दूसरे शब्दों में, चोट लगने पर अथवा उसका आभास होने पर संवेदनशील शक्तियाँ स्वतः कार्य में प्रवृत्त होते हुए सावधानी सूचक सूचनाएँ उपलब्ध कराती हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण वैदिक वाङ्मय मानवीय शक्ति-सञ्चय का पोषक है।

---

१. यदाशसा वदतो मे विचुक्षुभे यद्याचमानस्य चरतो जनाँ अनु।
यदात्मति तन्वो मे विरिष्टं सरस्वती तदा पृणद्घृतेन॥
अथर्ववेद—७/५७(५९) १

२. सप्त क्षरन्ति शिशवे मरुत्वते पित्रे पुत्रासो अप्यवीवृतन्नृतानि।
उभे इदस्योभे अस्य राजते उभे यतेते उभे अस्य पुष्यतः॥
अथर्ववेद—७/५७/५९/२

९

शिक्षा-कर्मयोग

न्याय-सूत्रकार महर्षि गौतम[1] के मतानुसार दुःख का कारण जन्म, जन्म का कारण कर्म-बन्धन, कर्म-बन्धन का कारण दोष और दोष का कारण अज्ञान है। उन्होंने आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक दुःखों की निवृत्ति हेतु क्रम प्रस्तुत करते हुए कहा है—**कारण को हटाते जायें, कार्य स्वय हटते जायेंगे, मिथ्या ज्ञान को हटाने से दोष अर्थात् राग-द्वेष मिट जायेंगे।** राग-द्वेष के मिटने से कर्म, पाप-पुण्य, उपकार-अपकार की प्रवृत्ति भी मिट जायेगी। उस प्रवृत्ति के नष्ट होने से फिर पुनर्जन्म नहीं होगा और जन्म न होने पर दुःख नहीं होगा, क्योंकि दुःखों का प्रादुर्भाव तभी से होने लगता है, जब से हमारा जन्म हुआ है। महर्षि गौतम के इस उपदेश का सूक्ष्म-बुद्धि से विचार किये बिना लोग कर्म का ही त्याग करने लगें। जबकि कर्म के त्याग के लिए दोष का और दोष के त्याग के लिए मिथ्या-ज्ञान का त्याग करने का उपदेश दिया गया है। श्रीमद्भगवद्गीता में स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने महर्षि गौतम के विचारानुसार कर्म करने का एक तरीका, एक युक्ति या योग सिखाया है, जिसे हम कर्म-योग कहते हैं। श्रीकृष्ण ने उपदेश देते हुए कहा है—**कर्म स्वयं बन्धन का कारण नहीं है, अपितु बन्धन का कारण तो अहंकार और फलाकांक्षा ही है। मैं संसार की सृष्टि करता हूँ, उसका पालन-पोषण करते हुए अन्त में संहार करता हूँ, फिर भी मुझे किसी भी प्रकार का कोई**

---

१. दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापायेतदनन्तरापायादपवर्गं।

न्याय सूत्र

कर्म-बन्धन या कर्म-लेप प्राप्त नहीं होता है ।[1] क्योंकि मैं अपने आपको निष्क्रिय मानता हूँ । कर्ता होने पर भी कोई अहंकार नहीं करता और किये हुए कर्मों के फल की लेशमात्र भी इच्छा नहीं करता । श्रीमद्भगवद्गीता में महर्षि ने श्रीकृष्ण से '**योगःकर्मसु कौशलम्**'[2] के द्वारा कर्म सम्बन्धी कुशलता को 'कर्म-योग' कहकर सम्बोधित करवाया है । यहाँ कुशलता से यह तात्पर्य है कि जब कोई व्यक्ति जंगल से कुशा लेने जाता है और अज्ञानता-वश कुश को जड़ से पकड़कर उखाड़ना चाहता है तो कुश की जड़ का काँटा उसे चुभ जाता है, यदि वह कुशा को ऊपर से पकड़ता है तो पत्तों में बने हुए दाँत उसके हाथ को छील देते हैं । इसलिए बुद्धिमान् व्यक्ति कुशा को बीच में से पकड़कर '**ॐफट् स्वाहा**' इस मन्त्र का जाप करते हुए उसे उखाड़ लेता है । ऐसे ही विवेकी पुरुष कर्म के मूल अहंकार को छोड़कर कर्म के अन्तिम फल का परि-त्याग कर कर्म को यज्ञ भावना से मध्य में ग्रहण करता है । इसी का नाम कर्म सम्बन्धी कुशलता है । इसीको कर्म-योग के नाम से अभिहित किया गया है । कर्मयोग की इस शिक्षा का उपदेश महर्षियों ने यजुर्वेद के ४०वें अध्याय के माध्यम से दिया है । जहाँ उन्होंने इस जगत् में '**प्रशस्त कर्म करता हुआ ही मानव सौ वर्ष तक जीने की इच्छा करे**'[3] इत्यादि प्रार्थना मन्त्रों द्वारा सृष्टि के प्रारम्भ में ही ईश्वर द्वारा मनुष्य को कर्म करने की प्रेरणा दी गई थी। अथर्ववेद में कर्म के महत्त्व को स्पष्ट करते हुए महर्षियों ने कहा है—**संसार-सिन्धु से उद्धार करनेवाले तप और कर्म, ये दो साधन थे ।**[4] इसी सूक्त में आगे कहा गया है कि तप, कर्म से ही उत्पन्न होता है, अतः मानव को कर्मशील होना चाहिए ।

श्रीमद्भगवद्गीता में वेद निर्दिष्ट कर्म-प्रधान शिक्षा का अनुशासन करते हुए स्वयं भगवान ने कहा है—**जो पुरुष कर्म में अर्थात् अहङ्कार रहित की हुई समस्त शारीरिक चेष्टाओं में अकर्म अर्थात् वास्तव में उनका न होना देखे और जो पुरुष अकर्म में अर्थात् अहङ्कार युक्त पुरुष द्वारा किये हुए समस्त क्रियाओं के त्याग में भी, कर्म को अर्थात् त्याग रूप क्रिया को देखे, वह पुरुष**

---

१. न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा ।
इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते ।।

श्रीमद्भगवद्गीता—४/१४

२. श्रीमद्भगवद्गीता—२/५०

३. कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत ँ समाः । यजुर्वेद—४०/२

४. तपश्चैवास्तां कर्म चान्तर्महत्यर्णवे । अथर्ववेद—११/८/२

मनुष्यों में बुद्धिमान्, योगी और समस्त कर्मों का करने वाला है।[1] यदि कर्म-योग की यह शिक्षा हमें प्राप्त होती रहे तो हम कर्म करते हुए भी कर्म-बन्धन से मुक्त रह सकते हैं तथा कर्म-योग द्वारा शुद्ध हुए अन्तःकरण से भक्ति-योग के मार्ग में प्रवेश कर ज्ञान-योग तक पहुँच सकते हैं। हमारी शिक्षा के यही तीन मुख्य-लक्ष्य हैं और हमारे जीवन को सुखमय, शान्तिमय और आनन्दमय बनाने के ये ही तीन साधन हैं। श्रीमद्भगवद्गीता में उपर्युक्त साधनों की प्राप्ति के लिए श्रीकृष्ण ने अर्जुन को कर्म-योग का उपदेश देते हुए कहा है—**अभी तुम्हारा अन्तःकरण शुद्ध नहीं हुआ, इसलिए तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है. ज्ञाननिष्ठारूप वेदान्त वाक्यों के विचार आदि में अधिकार नहीं है और न ही कर्म करते हुए किसी भी अवस्था में तुम्हारी उनके फलों में आसक्ति है, अतः कर्मफल के हेतु तुम मत बनो, फलों के अभाव में कर्म न करने से भी तुम्हारी प्रीति न हो।**[2] इस प्रकार यहाँ भी यही समझाया गया है कि मनुष्य के अधिकार की सीमा कर्म करने तक ही है, कर्म के फल के विषय में मनुष्य सदा पराधीन है। इसलिए मनुष्य को अपने अधिकार की सीमा में रहकर कर्म करते रहना चाहिए। जब कर्म-फल में उसका कोई अधिकार ही नहीं है तो अपने आपको कर्मफल का कारण नहीं बनाना चाहिए और अपने कर्म करने के अधिकार से विमुख भी नहीं होना चाहिए। इस कर्म-योग के मर्म को जानने के लिए गीता में जीव को आत्म-स्वरूप समझाया गया है। जिसके अनुसार आत्म-स्वरूप से ही न कर्ता है, न कर्म है और न ही कारण है। जो व्यक्ति इस आत्मबोध को प्राप्त कर लेता है, **उसे मैं कुछ नहीं करता हूँ, इन्द्रियाँ इन्द्रियार्थों में वर्तमान हैं, ऐसा मानता हूँ, वह कर्तृत्व का अहङ्कार नहीं करता।**[3] इसलिए वह कर्म-बन्धन से मुक्त रहता है।

कर्म-योग में कायिक-वाचिक-मानसिक और बौद्धिक कर्मों का निरन्तर अनुष्ठान करते हुए भी कर्तृत्व के अहङ्कार से मुक्त रहने की युक्ति समझाई

---

१. कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः।
स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्॥
श्रीमद्भगवद्गीता—४/१८

२. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥ श्रीभगवद्गीता—२/४७

३. नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्।
श्रीमद्भगवद्गीता—५/८

गई है । क्योंकि पूर्वमीमांसा में प्रतिपादित कर्मकाण्ड, मुख्यतः सकाम कर्मों के उद्देश्य से ही वर्णित है । जैसाकि कहा भी गया है—**सोमपान करेंगे और स्वर्ग में जाकर अमर होंगे ।**[1] इससे यह स्पष्ट होता है कि जो सोद्देश्य वैदिक कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, उनकी अन्तिम अभिलाषा स्वर्ग प्राप्ति तक ही सीमित है । अतएव श्रीमद्भगवद्गीता में प्रतिपादित कर्म-योग में श्रुति-स्मृति वर्णित काम्य कर्मों की गणना नहीं है । इसी आधार पर श्रीकृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा है कि **कर्म न करने से कर्म करना अच्छा है ।**[2] इसपर अर्जुन के अन्तःकरण में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि **वेद को त्रैगुण्य विषयक बताकर मुझे निस्त्रैगुण्य होकर कर्म करने के लिए कहते हैं, तो मैं कौन-सा कर्म करूं ।**[3] इसके उत्तर में श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि **कर्म तो वेद विहित ही करना चाहिए, क्योंकि कर्तव्य-अकर्तव्य के निर्णय में वेद ही प्रमाण हैं ।**[4] हमारे सर्वोच्च धार्मिक ग्रन्थों के रूप में वेद ही प्रतिष्ठित हैं, वेद-वाक्य ही प्रमाण हैं, जिनका श्रुति-स्मृति और उपनिषद् आदि ग्रन्थ अनुसरण करते हैं ।—श्रीमद्-भगवद्गीता में श्रीकृष्ण-अर्जुन सम्वाद में कहा गया है—**वेद-वेदाङ्ग द्वारा निर्दिष्ट जो नियत कर्म हैं तथा जिन कर्मों का फल स्वर्गादि प्राप्ति की इच्छा नहीं है, वहीं निष्काम कर्म तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि निष्क्रिय कर्म करने से तो कहीं अच्छा है फल रहित कामना से कर्म करना । क्योंकि निष्क्रियता से तो तुम्हारी देहयात्रा भी नहीं हो पायेगी ।**[5] अतः तुम्हें निष्काम कर्म में प्रवृत्त होते हुए कर्म करते रहना चाहिए, ऐसा श्रीकृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है । व्यावहारिक पक्ष भी यही है, जैसाकि प्रत्यक्ष है—**पञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ अर्थात् चक्षु, श्रोत्र, त्वचा, नासिका और रसना अपना-अपना काम कभी नहीं छोड़ती हैं । केवल अज्ञानी लोग जिस तत्परता से कर्म में आसक्त होकर (कर्तृत्व का अहङ्कार और फलाकांक्षा को लेकर) कर्म करते हैं, ज्ञानी पुरुष को भी अना-**

---

१. अपाम सोमममृता अभूम । पूर्व-मीमांसा

२. मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ।
श्रीमद्भगवद्गीता—२/४७

३. त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन ।
श्रीमद्भगवद्गीता—२/४५

४. ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ।
श्रीमद्भगवद्गीता—१६/२४

५. नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः ।
शरीरयात्राऽपि च ते न प्रसिद्ध्येदकर्मणः ।। श्रीमद्भगवद्गीता—३/८

सक्त भाव से उसी तत्परता के साथ कर्म करना चाहिए।[1] इसीलिए देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ और खाता हुआ भी **"मैं कुछ नहीं करता"** यह तो चक्षु आदि इन्द्रियाँ अपने-अपने इन्द्रियार्थों में बरत रही हैं, ज्ञानी पुरुष की यह बुद्धि निरन्तर बनी रहती है। ऐसे ही कर्मेन्द्रियों द्वारा चलता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ भी वह अपने मन में कर्तृत्व के अहङ्कार को नहीं आने देता। जैसे हम श्वास लेते समय भूले से रहते हैं कि हम श्वास ले रहे हैं, ऐसे ही कर्म-योगी प्रत्येक कर्म को सहजभाव से श्वास लेने और आँखें झपकाने की तरह अनायास ही करता रहता है। इस प्रक्रिया में जहाँ कर्म-योगी में अहङ्कार का अभाव रहता है, वहाँ उसकी सभी कार्यों में निपुणता भी सूचित होती है। यह निपुणता अभ्यास के द्वारा अर्थात् पुनः पुनः उन कर्मों के परिशीलन के द्वारा प्राप्त की जाती है। यही कर्म-योगी का कार्यानुभव कहलाता है। जिसमें ज्ञानेन्द्रियों के कार्यानुभव का आधार ललित-कलाएँ (वास्तु, मूर्ति, चित्र, संगीत और काव्य) हैं तथा कर्मेन्द्रियों के कार्यानुभव का आधार उपयोगी कलाएँ (कृषि, तक्षण, वयन, कुम्भ-कर्म, चर्म-कर्म, स्वर्ण-कर्म, टंकण और आशुलिपि आदि) हैं। भारतीय कलाशास्त्र में पाँच ललित कलाओं और उनसठ उपयोगी कलाओं का निरूपण किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कार्यानुभव के महत्त्व तथा उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है—**कार्यानुभव एक ऐसा उद्देश्य पूर्ण और सार्थक शारीरिक काम है, जो सीखने की प्रक्रिया का अनिवार्य अङ्ग है और जिससे समाज को वस्तुएँ या सेवाएँ मिलती हैं। यह अनुभव एक सु-संगठित और क्रमबद्ध कार्यक्रम के द्वारा दिया जाना चाहिए। कार्यानुभव की गतिविधियाँ, विद्यार्थियों की रुचियों, योग्यताओं और आवश्यकताओं पर आधारित होंगी। शिक्षा के स्तर के साथ ही कुशलताओं और ज्ञान के स्तर में वृद्धि होती जायेगी। इसके द्वारा प्राप्त किया गया अनुभव आगे चलकर रोजगार पाने में बहुत सहायक होगा। माध्यमिक स्तर पर दिए जानेवाले पूर्व-व्यावसायिक कार्यक्रमों से उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के चुनाव में सहायता मिलेगी।**[2]

---

१. सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत।
कुर्याद्विद्वान्स्तथाऽसक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्॥
श्रीमद्भगवद्गीता—३/२५

२. राष्ट्रीय शिक्षा नीति—१९८६

उपर्युक्त उद्देश्य की सिद्धि के लिए अज्ञानी पुरुष के कार्यानुभव की अपेक्षा उपयुक्त ज्ञान सम्पन्न कर्म-योगी का कार्यानुभव अधिक समर्थ सिद्ध होगा। श्रीमद्भगवद्गीता में ज्ञानी-अज्ञानी दोनों के कर्म देखने में समान प्रतीत होते हुए भी परिणाम में असमान होते हैं। ज्ञानी द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म उद्धार का साधन होता है, जबकि अज्ञानी का प्रत्येक कर्म बन्धन या पतन का कारण सिद्ध होता है। वास्तव में कर्मेन्द्रियों से किया गया कर्म और ज्ञानेन्द्रियों से प्राप्त हुआ अनुभव बन्धन या ह्रास का कारण नहीं होता बन्धन या पतन का कारण तो उनके साथ लग गया मन ही होता है। तभी श्रीमद्भगवद्गीता में स्पष्टोक्ति है—**कर्मेन्द्रियाँ अपने ग्रहण आदि कर्मों में और ज्ञानेन्द्रियाँ अपने रूपादि विषयों में ऐसे विचरती हैं, जैसे जल पर नौकाएँ। तर जाने अथवा पार पहुँच जाने के लिए ही नौकाओं का आश्रय लिया जाता है। किन्तु जैसे सहजभाव से चलती हुई नौकाओं को तूफान दूर बहाकर ले जाता है तथा डुबा देता है, वैसे ही हमारा मन हमारी इन्द्रियों के साथ हमारी बुद्धि को भी हर ले जाता है अर्थात् डुबा देता है।**[1] इसीलिए "**मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः**" इत्यादि वेदान्त वाक्यों में मन को ही बन्धन और मुक्ति दोनों का कारण कहा गया है। जब मन विषयों में आसक्त हो जाता है, तब बन्धन देता है और जब वह निर्विषयक हो जाता है अर्थात् विषयाशक्ति से छूट जाता है, तब मुक्ति देता है। इसी प्रकार की गहन-गहनतर विचार बीथियों में विवेकी जनविचरण करते रहते हैं। किन्तु यह विचरण आचरण की प्रतीक्षा करता है। जब तक कि दृढ़-व्रत होकर साधक आचरण नहीं करता, तब तक उसका उद्धार नहीं होता है, अपना उद्धार स्वयं ही करना चाहिए, अपने आपको अवसाद में अर्थात् अनुत्साह में नहीं डालना चाहिए। उत्साहयुक्त आत्मा ही हमारा बन्धु है, सच्चा सहायक है और उत्साह-हीन आत्मा ही हमारा शत्रु है अर्थात् सिद्धि के मार्ग में बाधक है। अनुत्साही व्यक्ति में स्वतः आत्मानुशासन की भावना का सदा लोप रहता है, जिससे उसकी कर्म-योग में प्रवृत्ति नहीं हो पाती।

साधारणतया जीव ईश्वर की कृपा पर भरोसा करता है, किन्तु प्रमादवश बरसती हुई ईश्वर की कृपा का अनुभव नहीं कर पाता। किसी भी सन्त या सच्चे ज्ञानी का सत्संग ईश्वर की कृपा का ही फल है। अब सन्त जो हमारे

---

१. इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनु विधीयते।
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि॥ श्रीमद्भगवद्गीता—२/६७

अधिकार के अनुसार हमें हित का उपदेश करते हैं, यह सन्त कृपा ही है । इस उपदेश को श्रवण-मनन-निदिध्यासन द्वारा आत्मसात् कर लिया तो समझो, उपदेश की भी कृपा हो गई । किन्तु उस उपदेश को आचरण में लाने के लिए अपने आप पर अपनी कृपा अर्थात् स्वतः आत्मानुशासन अत्यन्त आवश्यक है । तभी हम अपने बन्धु बनकर अपना उद्धार कर पाते हैं, अन्यथा नहीं । इसीलिए श्रीमद्भगवद्गीता में श्रीकृष्ण-अर्जुन सम्वाद के अन्तर्गत मनोनिग्रह को योगारूढ़ पुरुष का श्रेष्ठतम साधन माना है । उसके साथ ही साथ प्राणी-मात्र को उपदेश दिया गया है—**संसार रूपी समुद्र से अपने आपको पार पहुँचाने के लिए अर्थात् मानव के चरमोत्कर्ष लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निष्काम कर्म-योग में प्रवृत्त होना चाहिए, जिससे विषयों में अनासक्त होते हुए अधोगति को प्राप्त न हो पाये । क्योंकि यह जीवात्मा पूर्वजनित पाप और पुण्य के संस्कारों से आच्छादित होने के फलस्वरूप स्वयं का मित्र और शत्रु दोनों हैं ।**[1] अतः महर्षि ने पूर्व जन्मसंग्रहित पाप कर्मों से छुटकारा दिलाने के लिए निष्काम कर्म-योग में आरूढ़ होने का उपदेश दिया है ।

व्यावहारिक पक्ष भी यही है कि यदि हम समाज में कोई स्थान बनाना चाहते हैं अथवा जीवन के चरमोत्कर्ष उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें निरन्तर कार्य में संलग्न रहना चाहिए तभी हम अपने आपको और जिस समाज में हम रहते हैं अथवा जिसके सदस्य हैं, उसको संरक्षण दे पायेंगे । जिसके लिए श्रीमद्भगवद्गीता में **एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग कल्याण को प्राप्त हो,**[2] ऐसा उपदेश दिया गया है । जो एक-दूसरे के अभाव की पूर्ति करें, एक दूसरे को सुख पहुँचाएँ, एक दूसरे का हित करें, तो अनायास ही सबका कल्याण हो जायेगा । इसीलिए दूसरे का हित करना, दूसरे को सुख देना, दूसरे को आदर देना, दूसरे की बात रखना, दूसरे को आराम देते हुए उसकी सेवा करना ही भारतीय शिक्षा का मूललक्ष्य है । जिसकी प्राप्ति के लिए हमें दूसरे का कर्तव्य नहीं देखना चाहिए, प्रत्युत निष्कामभाव से अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मानवीय गुणों की ओर प्रवृत्त होना चाहिए, तभी हम आत्म-संयम होते हुए आत्म-निर्भर बनकर राष्ट्रोत्थान में

---

१. उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् ।
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ।।
श्रीमद्भगवद्गीता—६/५

२. परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ । श्रीमद्भगवद्गीता—३/११

महत्त्वपूर्ण योगदान दे पायेंगे । इसके लिए महर्षियों ने यजुर्वेद में सम्पूर्ण विश्व को उपदेश दिया है—**हे शक्ति सम्पन्न पुरुष ! तुम स्वयं अपने शरीर को समर्थ बनाओ। स्वयं यज्ञ करो। स्वयं धर्मादि आचरण का सेवन करो। तुम्हारी महिमा अन्य कोई प्राप्त नहीं कर सकता है।**[1] इस प्रकार समस्त वैदिक-वाङ्मय में मानव को आत्म-स्वावलम्बी बनने के लिए निष्काम कर्मयोग की शिक्षा दी गई है। स्वावलम्बन मानव में स्वाभिमान की भावना को जाग्रत करता है, आन्तरिक प्रेरणा देता है और मनोबल को पुष्टि प्रदान करता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु युगप्रवर्तक राष्ट्रपिता महात्मागांधी ने पूर्वनिर्धारित 3-R शिक्षण प्रक्रिया, जोकि ज्ञानात्मक पक्ष पर आधारित थी, को अधिक सबल और राष्ट्रोपयोगी बनाने के लिए कर्मेन्द्रियों के प्रशिक्षण को अधिगम की प्रक्रिया में समाहित करते हुए शारीरिक क्षमता पर अधिक बल देते हुए 4-H पर आधारित शिक्षण-प्रक्रिया को विकसित करते हुए जीवनोपयोगी कार्यानुभव-प्रणाली को बुनियादी शिक्षा का मूलाधार स्वीकार किया है। शिक्षण के नवीनतम दृष्टिकोण में भी औपचारिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अनौपचारिक शिक्षा को समाहित करते हुए रोजगार की समस्या के निदानार्थ कार्यानुभव प्रणाली को उचित स्थान प्रदान किया है। यह प्रणाली मानव को आत्म-निर्भरता प्रदान करते हुए उसे पूर्ण मानव के रूप में प्रतिष्ठित करती हुई स्वाभिमान की भावना को जाग्रत करती है। जहाँ से आत्म-स्वाभिमान की भावना जाग्रत होती है, सच्चे अर्थों में वहीं से उच्च विचार और आत्म-उन्नति और परोपकार की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। इस विषय में शास्त्रज्ञों का कथन है कि **दूसरे पर आश्रित रहना दुःख है और आत्म-निर्भरता सुख है,**[2] जिसे हम शिक्षा में कर्म-योग अथवा कार्यानुभव द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षण की कार्यानुभव प्रणाली द्वारा ऐश्वर्यादि संसाधनों को जुटाते हुए वेद-निर्दिष्ट पुरुषार्थचतुष्टय की अन्तिम परिणति रूप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अतः वेद निर्दिष्ट कर्म का उद्देश्य है—व्याप्ति, कीर्ति और यश। क्योंकि यश प्राप्ति हेतु जो कर्म किया जाता है, वह शुभ-फल प्रदायक ही होता है। शुभ-कर्म तारक है, उद्धारक है तथा बन्धन मुक्त है।

---

१. स्वयं वाजिँस्तन्वं कल्पयस्व
स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व।
महिमा तेऽन्येन न सन्नशे ॥ यजुर्वेद—२३/१५

२. सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम्।

अतः मोक्षानुगामी के लिए कैवल्य कर्म प्रस्तावक है। शुभ-कर्मों से ही समस्त विश्व में यश फैलता है। **जिसका यश है, वही मनुष्य अमर है।**[1] अतः मन्त्र-द्रष्टा महर्षियों ने वैदिक-वाङ्मय के आधार पर समस्त मानव जाति को यज्ञादि वैदिक अनुष्ठानों के माध्यम से सतत कर्म करते हुए इन्द्रिय निग्रह द्वारा आत्मानुशासन का उपदेश दिया है। वस्तुतः में यही कर्मयोग है, यही कार्यानुभव है।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि यदि मानव आत्मोन्नति के साथ-साथ राष्ट्रोन्नति में अपनी अहम् भूमिका निभाना चाहता है, तो उसे निष्कामभाव से जन-कल्याण के कार्यों में प्रवृत्त होना चाहिए तथा नैसर्गिक गुणानुसार 'कार्यानुभव' की प्रक्रिया को अपनाते हुए जीविकोपार्जन की प्रक्रिया में निष्णात होना चाहिए। जिससे हम समाज और पारिवारिकजनों पर भार-स्वरूप न बन जाये। समाज में अविकसित अथवा विकलाङ्ग बालकों को आत्म-निर्भरता प्रदान करने के लिए ही शिक्षणाभ्यास क्रम में— माँस पेशियों के प्रशिक्षणार्थ कार्यानुभव प्रणाली को पूर्णरूप से समाहित किया गया है। इसीके साथ-साथ बेरोजगार की समस्या के निदानार्थ तथा जीविकोपार्जन के साधन के रूप में बालक को पूर्ण आत्म-निर्भरता प्रदान करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण महाविद्यालय में कार्यानुभव की प्रणाली को अपनाया गया है। कार्यानुभव की प्रणाली द्वारा न केवल एकादश इन्द्रियों को प्रशिक्षित किया जाता है अपितु विभिन्न समाज सुधारक संस्थाओं के माध्यम से समाज-सेवा से सम्बन्धित भावना को भी विकसित किया जाता है। परिणामतः कार्यानुभव की प्रणाली न केवल हमें जीविकोपार्जन के साधन में निपुणता प्रदान करती है, अपितु पूर्ण मानवत्व को भी विकसित करती है।

---

१. कीर्तियस्य स जीवति।

१०

स्वतन्त्रता और अनुशासन

"**स्वतन्त्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है**" लोकमान्य बालगङ्गाधर तिलक का यह नारा पूर्णतः मनोवैज्ञानिक होने के कारण स्वतन्त्रता सेनानियों और राष्ट्रानुरागियों के मानस पटल पर व्याप्त पराधीनता की जंजीरों के भावों से मुक्ति की आकांक्षा को अंकुरित करता हुआ नई-दिशा और प्रेरणा के स्रोत को जन्म देता है। पराधीन राष्ट्र के पराधीन नागरिकों के अन्तःकारण में '**स्व+तन्त्र**' स्वतन्त्र अर्थात् अपने पर अपना शासन आत्मानुशासन की भावना को विकसित करते हुए प्रजातन्त्रात्मक शासन व्यवस्था को क्रियान्वित करने का मार्ग प्रशस्त करता है। मार्ग-प्रशस्तीकरण की यह प्रक्रिया शिक्षा का मूल उद्देश्य है। जिसके अन्तर्गत बालक में निहित रूचि, रूझान और आवेश के साथ-साथ शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा कलात्मक और सौन्दर्यात्मक नैसर्गिक शक्तियों के पूर्ण विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुये अधिगम प्रणाली के द्वारा आत्म-विकास के अनुरूप स्वतन्त्र वातावरण बनाने का प्रयास किया जाता है। परिणामतः बालक स्वेच्छा पूर्वक प्रारम्भ किये गये कार्य की परिसमाप्ति तक एकरसता की प्राप्ति के उद्देश्य से स्वतन्त्र चिन्तन की प्रक्रिया को विकसित करते हुये निर्धारित लक्ष्य तक पहुँचने का प्रयत्न करता है। जिससे उसमें पहलकदमी और निर्भरता आदि अनेक गुणों का स्वतः विकास होने लगता है। यही कारण है कि प्रकृतिवाद के प्रबल समर्थक और प्रसिद्ध दार्शनिक रूसो ने बाह्य बल और बन्धन का घोर विरोध करते हुये बालक की पूर्ण स्वतन्त्रता के मार्ग-प्रशस्तीकरण द्वारा अधिगम प्रक्रिया में बालक को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है।

'पूर्ण स्वतन्त्रता' से क्या अभिप्राय है ? स्वेच्छाचारिता या उच्छृंखलता इस प्रकार के अनेक संशय शिक्षाविदों और दार्शनिकों के अन्तःकरण में उत्पन्न होते हैं यदि वास्तविकता में पूर्ण स्वतन्त्रता ही उच्छृंखल है तो उसमें निहित अनियन्त्रित वातावरण से बालक के बिगड़ने की आकांक्षा अधिक प्रबल होती हैं तथा स्वार्थपरता की सर्वोत्कृष्ट सीमा का उलंघन करने की प्रवृत्ति उसे स्वेच्छाचारी बनाने में सहायक सिद्ध होती है। परिणामतः वह अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिये समाज विरोधी-कार्यों में आसक्ति द्वारा अशान्ति और अराजकता से आतंकवाद को जन्म देता है। विद्वानों का मत भी है कि पूर्ण स्वतन्त्रता अर्थात् अनियन्त्रित वातावरण में रहने वाले बालक में आत्म-नियन्त्रण अथवा आत्मानुशासन के भावों का ह्रास होने लगता है तथा सामाजिक नैतिक और आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न होने से व्यक्तित्व के सर्वाङ्गीण विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है तथा यहाँ तक कि उसे कभी-कभी बहुमूल्य कीमत भी अदा करनी पड़ जाती है, जिसका उसे आभास तक नहीं हो पाता। इस सम्बन्ध में छात्रावास में घटित घटना का स्मरण आता है, जहाँ एक ही कमरे में साथ रहने वाले दो छात्र अपने-अपने एकाधिकार का प्रयोग करते हुए एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करने लगते हैं कि इस कमरे का यह भाग मुझे रहने के लिये दिया है, अतः इस निर्धारित भाग के उपभोग में मैं पूर्ण रूप से स्वतन्त्र हूँ, चाहे मैं इस समय स्वाध्याय में प्रवृत हूँ अथवा (विविध-भारती) से प्रसारित रङ्गा-रङ्ग कार्यक्रम को सुनने के लिए रेडियो का स्विच ओन करूं अथवा समय व्यतीत करने के लिये डिस्को डाँस करूँ इससे तुम्हें क्या ? किन्तु उसी समय पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार उसका साथी परीक्षा की सामीप्यता देखकर शिक्षण कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहता अथवा शारीरिक अस्वस्थता के कारण उसकी किसी कार्य में रुचि न होने से अपने साथी को अरूचिकर चेष्टाओं को न करने की सलाह देता है, किन्तु उसमें निहित स्वाभिमान की भावना उसे अंकुश लगाने वाले साथी के प्रति झगड़े का रुख अपनाने को बाध्य करते हुये अपने-अपने अधिकार क्षेत्र का बोध कराती है। जिसका सम्बन्ध उनकी स्वयं की निजी स्वतन्त्रता तो है किन्तु उन कर्तव्यों का बोध नहीं कराती जिनका सम्बन्ध छात्रावास-अधिष्ठाता द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप आचरण करते हुए अनुशासित होने से है जिसके कारण अन्ततोगत्वा दोनों को छात्रावास से निष्कासित होना पड़ता है। उपर्युक्त घटना-चक्र की समीक्षा से यह निष्कर्ष निकलता है कि छात्रा-

वास के एक ही कमरे में साथ-साथ निवास करने वाले उन छात्रों में परस्पर उत्तरदायित्व का अभाव था। परस्पर उत्तरदायित्व से तात्पर्य है—अधिभार और कर्तव्य का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध, जिसे प्रजातन्त्रात्मक भावना की आधार शिला अथवा सामाजिकता का मूलमन्त्र और स्वतन्त्रता का अहं-बोधक कहा जा सकता है।

वस्तुतः व्यापक अर्थ में स्वतन्त्रता व्यक्तिगत वस्तु नहीं है, जिसका सम्बन्ध निज स्वार्थ की भावना से है अपितु एक सामाजिक समझौता है जो निःस्वार्थ भाव से विश्व-बन्धुत्व के उपदेश को प्रसारित करते हुए अनुशासित रहने को बाध्य करता है, कारण अनुशासित व्यक्ति ही स्वतन्त्रता के वास्तविक अर्थ को समझते हुये उसका पूर्ण उपभोग कर सकता है, अन्य नहीं। इस प्रकार स्वतन्त्रता और अनुशासन दोनों अन्योन्याश्रित हैं, दोनों ही शरीर और आत्मा सदृश बद्ध हैं, एक के अभाव से दूसरे का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है या यों कह सकते हैं कि स्वतन्त्रता व्यक्ति का आभूषण है, जिसकी शोभा अनुशासन रूपी जीवात्मा से है। अतः दोनों के अर्थ और स्वरूप को जानना नितान्त परमावश्यक है।

स्वतन्त्रता-शाब्दिक अर्थ—सामान्यतः स्वतन्त्रता का अर्थ किसी भी प्रकार के बन्धन से मुक्ति है। किन्तु बन्धन-मुक्त स्वतन्त्रता सीमा का अतिक्रमण कर स्वच्छन्दता में परिणत हो जाया करती है। इसीलिये प्रसिद्ध अमरीकन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने बड़े मार्मिक ढंग से कहा है—"**दुनियाँ ने कभी स्वतन्त्रता का सही अर्थ नहीं समझा। अमरीकन लोगों के लिए तो उसका सही अर्थ समझना बहुत आवश्यक है**"।

'**स्वतन्त्रता**' के समकक्ष अंग्रेजी में अनेक शब्द हैं, यथा—*Liberty*, *Independence* और *Freedom*. *Liberty*, शब्द की व्युत्पत्ति *Libra* (लिबरा) शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है-तुला। तुला किसी वस्तु के सही मापन का यन्त्र है। इस प्रकार *Liberty* शब्द आचरण और व्यवहार का सही माप बताती है। '*Independence*' शब्द का अर्थ है-अपराश्रित, स्वाधीन अर्थात् किसी के अधीन नहीं रहना। तृतीय शब्द '*Freedom*' है, जो वन्धनहीनता या रुकावट से मुक्ति का साधन है।

राष्ट्रपिता **महात्मा गाँधी** ने अंग्रेजी शासन व्यवस्था की दासता से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से समग्र स्वतन्त्रता संग्राम को नेतृत्व प्रदान किया, जिसका उद्देश्य '**स्व+तन्त्र**' अर्थात् अपने पर अपना शासन अथवा '**स्व+अधीनता**' अर्थात् अपनी व्यवस्था या किसी के अधीन न रहना है। इसी उद्देश्य से

प्रसिद्ध दार्शनिक अब्राहिम लिंकन ने प्रजातन्त्र के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए स्वाधीनता के वास्तविक अर्थ का बोध कराते हुए कहा है—**"जनता का शासन, जनता के द्वारा, जनता के लिए।**

लिंकन के कथन की समीक्षा द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वास्तविक रूप में हम बन्धन-मुक्त या स्वतन्त्र तभी हो सकते हैं जब हम अपने-अपने अधिकार और कर्तव्य का बोध करते हुए जन-कल्याण की भावना से एक-दूसरे के सुख-दुःख में अपना सुख-दुःख समझते हुए शासन-व्यवस्था में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे पाये।

सम्भवतः अंग्रेजी में प्रयुक्त '*Licence*' शब्द भी 'स्वतन्त्रता' का वाचक है, जिसकी व्युत्पत्ति *Licent* से हुई है तथा जिसका तात्पर्य किसी कार्य को न करने की अनुज्ञा (*It is allowed*) से है।

द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् शैक्षिक विचारों की गूँज ने स्वतन्त्रता के वास्तविक अर्थ को इस प्रकार व्यक्त किया है—स्वतन्त्रता व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए बन्धनों से मुक्ति देती है। अतः स्वतन्त्र व्यक्ति का विचार शील होना परमावश्यक है, जिससे वह स्वतन्त्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम हो, अन्यथा वह वास्तविक रूप से स्वतन्त्रता का उपभोग नहीं कर पायेगा। पाश्चात्य दार्शनिक **बोड** ने स्वतन्त्रता के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा है—"**स्वतन्त्रता वस्तुतः विचारशीलता की क्रिया है, जो बौद्धिक स्वप्रयत्न, निरीक्षण की स्वाधीनता, निर्णय पूर्ण आविष्कार, परिणामों की पूर्ण दृष्टि तथा अनुकूलन की कुशलता के रूप में प्रकट होती है।**" सत्यता भी इसी में है कि मानव बुद्धि विवेक द्वारा निर्णय न ले पाये तो सम्पूर्ण विश्व में अराजकता और अशांति व्याप्त हो सकती है। जैसा कि **टी०पी० नन** ने कहा है—**"अपने निम्नतम अर्थ में स्वतन्त्रता का अर्थ—निरंकुशता, स्वछन्दता और उद्दण्डता है।"** किन्तु जॉन डीवी ने स्वतन्त्रता को किसी भी प्रकार के बन्धनों से मुक्त योग्यता का छुटकारा माना है। क्योंकि यदि मानव में योग्यता रहेगी तो स्वछन्दता पनप नहीं पावेगी। संक्षिप्त में यह कह सकते हैं कि स्वतन्त्रता में आत्म-नियन्त्रण, आत्मानुशासन और आत्म-विश्वास का होना परमावश्यक है, जो अनुशासित व्यक्ति का बीज-मन्त्र है।

अनुशासन का अर्थ—सामान्यतः 'अनुशासन' शब्द का प्रयोग-दण्ड, आज्ञापालन और प्रशिक्षण के रूप में किया जाता है जिससे सदैव यह भ्रम

बना रहता है कि हम किस अर्थ के रूप में इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं यथा-अध्यापक के इस कथन का क्या अर्थ है, "उस छात्र को अनुशासन की आवश्यकता है" ?

(क) **अनुशासन का सामान्य अर्थ है**—दण्ड। उपर्युक्त प्रश्न में शिक्षा का आशय यह हो सकता है कि शिक्षार्थी को 'दण्ड' की आवश्यकता है।

(ख) **'अनुशासन' का अर्थ**—आज्ञा पालन या मर्यादित व्यवहार के प्रबलन द्वारा नियन्त्रण है। दूसरे शब्दों में, यहाँ प्रश्न के उत्तर में शिक्षक का का अभिप्राय यह है कि शिक्षार्थी को किसी ऐसे व्यक्ति या परामर्शदाता की आवश्यकता है जो उचित निर्देश और नियन्त्रण द्वारा पथ्यापथ्य का बोध कराते हुए उसके व्यवहार का परिशोधन कर सके। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षार्थी अपने आचरण को स्वयं निर्देशित, नियन्त्रित और परिशोधन द्वारा सीमित करने में असमर्थ होता है।

(ग) **तृतीय श्रेणी में अनुशासन का अर्थ**—एक ऐसे प्रशिक्षण से है जो बालक के नैसर्गिक गुणों को परिष्कृत करता है और उसे शक्तिशाली बनाता है। दूसरे शब्दों में, यहाँ अनुशासन का अर्थ आत्मानुशासन से है। इस रूप में शिक्षक की आकांक्षा का आशय यह है कि शिक्षार्थी को अधिगम के समय ऐसे अनुभव प्राप्त होने चाहिए जिससे वह अपनी आत्म-नियन्त्रित शक्ति को उन्नत करते हुए आत्म-संचालित व्यक्तित्व के रूप में प्रतिष्ठित हो पावे।

जिसके लिए महर्षि **पतञ्जलि ने "योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः"**[1] नामक सूत्र द्वारा चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहा है, जिसे आत्मानुशासित व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है। अतः महर्षि ने अपने ग्रन्थ के प्रारम्भ में ही **'अथ योगाऽनुशासनम्**[2]' सूत्र में 'अनुशासन' शब्द के उल्लेख और उसके महत्त्व को स्पष्ट किया है। स्वामी विवेकानन्द ने पतञ्जलि के इस सूत्र की व्याख्या में **'अनुशासन'** शब्द का अभिप्राय चित्त की एकाग्रता से लिया है। एकाग्रता आत्मानुशासन का बीज मन्त्र है तथा विनीत का आभूषण भी है। जैसा कि कहा भी गया है—**विद्या विनम्रता को प्रदान करती है, जिससे उसमें पात्रता का विकास होता है, तथा धन की प्राप्ति द्वारा ऐश्वर्यादि सुखों के उपभोग**

१. पतञ्जल योग प्रदीप—१/२

२. पतञ्जल योग प्रदीप—१/१

रूप साधनों का सञ्चय होता है।[1] अतः विद्या उसी को सु-शोभित करती है, जिसमें पात्रता अर्थात् विनम्रता, शालीनता और सह-भाव निहित हैं। दूसरे शब्दों में, 'विनीत' शब्द में जो नम्रता और शालीनता की भावना है, वह 'अनुशासित' शब्द से व्यक्त नहीं की जा सकती। फिर भी व्यवहार में **'अनुशासन'** शब्द अधिक प्रचलित होने के कारण उसी का प्रयोग करना अधिक उचित प्रतीत होता है। वैसे भी जो व्यक्ति विनीत भाव से द्रवित होगा, वह अवश्य ही अनुशासित होगा, उसमें लेश मात्र भी सन्देह के लिए स्थान नहीं है। दूसरे शब्दों में, विनीत व्यक्ति ही अपने कर्तव्यों के प्रति अधिक जागरूक दिखाई देते हैं, ऐसा व्यवहार में भी देखा जाता है। इसी आधार पर हमारे अर्वाचीन महर्षियों ने शिक्षार्थियों को केवल विनीत होने का ही आशीर्वाद प्रदान नहीं करते अपितु अपने स्वयं के आचरण और व्यवहार के द्वारा उन्हें विनीत होने की प्रेरणा भी प्रदान करते हैं।

'*Discipline*' अनुशासन का समानार्थी शब्द है, जो लैटिन भाषा के '*Discipulus*' शब्द से बना है तथा जिसका अर्थ है—छात्र या शिष्य शिक्षक का अनुगामी, जिससे यह आशा की जाती है कि वह अपने इष्ट-जनों के आदेशों का अक्षरशः श्रद्धापूर्वक पालन करते हुए उनके द्वारा निर्दिष्ट मार्ग का अनुगमन करते हुए सफल जीवन की कामना हेतु अपने आवश्यक और वाञ्छित गुणों का विकास कर सके, जो विनीत का लक्षण भी है। इस प्रकार '*Discipline*' शब्द का अभिप्राय है—आचरण में नियमितता उत्पन्न करना।

संस्कृत साहित्य में 'शासन' में 'अनु' उपसर्ग लग कर 'अनुशासन' शब्द की निष्पत्ति हुई है, जिसमें 'अनु' का अर्थ है—पीछा करना अथवा अनुकरण करना तथा 'शासन' का अभिप्राय है—व्यवस्था। इस प्रकार **'अनुशासन'** शब्द का तात्पर्य हैं—शासन या व्यवस्था का अनुकरण करना।

सम्भवतः हम **'अनुशासन'** शब्द के विभिन्न अर्थों में कुशलतापूर्वक भेद नहीं कर पाते हैं और हमारे मानस पटल पर **'अनुशासन'** शब्द से सम्बन्धित विभिन्न अर्थ एक साथ उभर आते हैं। बहुत सम्भव है, हम यह सोचते हैं कि अगर छात्र को दण्डित किया जाता है, या पर्याप्त मात्रा में निर्देशन और नियन्त्रण प्राप्त होता है, तो आत्मानुशासन के भावों को अपने में विकसित

१. विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रताम्।
पात्रत्वाद्धनमाप्नोति धनाद्धर्मं ततः सुखम्॥ हितोपदेश

कर लेगा क्योंकि-मानव-आचरण सम्बन्धित अनेक लोकप्रिय विचारों के सदृश अनुशासन से सम्बन्धित नैतिक प्रत्यय कुछ तो ठोस सिद्धान्तों पर आधारित होते हैं और कुछ अभिलाषा-कल्पित चिन्तन पर। फिर भी, यह सत्य है कि बालक को नियन्त्रण और निर्देशन की समुचित आवश्यकता होती है, किन्तु यदि उन्हें हर पल हर मोड़ पर नियन्त्रित और निर्देशित किया जाता तो यह आवश्यक नहीं की वह आत्म-नियन्त्रण और आत्म-निर्देशन को सीख ही पाये। अतः अधिगम के समय कठिनाई यह है कि शिक्षक शिक्षार्थी को स्वयं नियन्त्रित होने की सलाह देने के बजाय उन पर अपने नियन्त्रण का **प्रबलन** करने लगता है। क्योंकि नियन्त्रण का **प्रबलन** अधिक सुगम है, इस-लिए हम मान लेते हैं कि शिक्षार्थी पथ्यापथ्य नियम के प्रबलित-नियन्त्रण द्वारा अपने आप को नियन्त्रित करना सीख सकते हैं।

यद्यपि शिक्षक परस्पर अनुशासन से सम्बन्धित विचारधाराओं से असहमत है, फिर भी इस बात पर सहमत है कि शिक्षार्थी को यह तो सीखना ही चाहिए कि आत्म-चिन्तन कैसे करे और कैसे प्रौढ़ व्यक्ति बनने के लिए विकसित हों—जिससे उत्तरदायी, कानूनों का पालन करने वाले दूसरों का अभ्युदय करने वाले, कुण्ठाओं से रहित अनेक समस्याओं का सामना करते हुए जीवन के महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्वों को वहन करने में सक्षम हो सके। तब प्रश्न उठता हैं कि अधिगम के समय उन गुणों के विकास के लिए शिक्षार्थियों की किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं।

उपयुक्त शङ्का के समाधान हेतु शिक्षकों को चाहिए कि वे विद्यालय में ऐसा वातावरण उपस्थित करें जिससे प्रभावित होकर छात्र स्वयं अनुशासन की ओर प्रवृत्त हो सकें। इसके लिए चाहिए कि वे शिक्षार्थियों को उन मूल्यों और परम्पराओं से परिचित करावें जिनका सम्बन्ध आध्यात्मिक विकास और राष्ट्रीय चेतना से सम्बन्धित हो जिससे उनमें निष्पक्ष खेल की भावना, दूसरों के विचारों को आदरपूर्वक सुनना, सत्य के अन्वेषण में निरन्तर लगे रहना तथा कमजोर और अधीनस्थ व्यक्तियों की बात सुनने की प्रवृत्ति का विकास हो सके। क्लेरेंस डब्ल्यू हनिकट द्वारा सिरेक्यूज यूनिवर्सिटी में जे. रिचार्ड स्ट्रीट व्याख्यान में आत्म-विकास सम्बन्धित मूल्यों के अधिगम के सन्दर्भ में कहा है कि—"**कुछ ऐसे भी अध्यापक हैं जो सैद्धा-न्तिक अधिगम पर बल देते हैं। वे यह अनुभव करते हैं कि उन्हें सभी उत्तर जानने चाहिए और वे बालकों द्वारा ऐसे क्षेत्रों का अन्वेषण करने के प्रति भयभीत होते हैं, जिनमें शिक्षक अपने को सुरक्षित नहीं समझता है। वे प्रायः**

वे शिक्षक होते हैं, जिन्होंने आज्ञापालन और उत्तरदायित्व के बीच स्पष्ट भेद नहीं किया। वे यह मानते हैं कि उनके छात्र अपने कार्यों के प्रति वैयक्तिक उत्तरदायित्व नहीं स्वीकार कर रहे हैं, उस पर भी वे अत्यन्त कठोर आज्ञा-पालन के लिए जोर देकर उन्हें ऐसा करने पर रोकते हैं।" किन्तु आज्ञापालन और उत्तरदायित्व, इन दोनों में परस्पर विरोध होने के कारण यह सम्भव नहीं है कि जो बालक आज्ञापालक है वह अपने उत्तरदात्विों को ठीक-ठीक वहन कर सकता है। केवल योजनाओं के निर्माण करने से अथवा उन पर अर्थ-स्वतन्त्रता पूर्वक कार्य करने तथा उनका परिणाम देख लेने मात्र से ही वह एक उत्तरदायी नागरिक नहीं बन सकता है। उसके लिए चाहिए कि विद्यालयों में बालक को बाह्य-नियन्त्रण की अपरिपक्व-निर्भरता से दूर, वैयक्तिक-उत्तरदायित्व की परिपक्व निर्भरता की ओर संतुलित गति से उसके व्यक्तित्व विकास की ओर उन्मुख करना चाहिए।

सम्भवतः इसी आधार पर 'अनुशासन' को सामान्यतः **'स्कूल-व्यवस्था'**[1] का पर्याय समझा जाता है। जैसा कि रस्क का कथन भी है—**व्यवस्था का तात्पर्य बालक के उस आचरण से है जिसके दर्शन हमें परिवार स्कूल और कक्षा-कक्ष में होते हैं।** इससे ज्ञात होता है कि व्यवस्था का सम्बन्ध केवल वर्तमान से है, जो कक्षा-कक्ष और कक्षा-व्यवहार तक सीमित है, जैसे कि—विद्यालय में अध्यापक नियमित आते हैं अथवा नहीं, कक्षाएँ नियमित लगती हैं अथवा नहीं, छात्र अथवा अध्यापक कक्षा-कक्ष में नियमित उपस्थित होते हैं अथवा नहीं, पाठ्यक्रमानुसार शिक्षण कार्य चल रहा है अथवा नहीं, इसी के साथ-साथ कक्षा-कक्ष अथवा कार्यालय में पर्याप्त फर्नीचर है अथवा नहीं, यदि है तो व्यवस्थित है अथवा नहीं, पुस्तकालय में शिक्षणोपयोगी पर्याप्त पुस्तकें हैं अथवा नहीं, यदि हैं तो वे समय पर उन्हें उपलब्ध होती हैं अथवा नहीं तथा उपलब्ध सामग्री के लिये प्रशासन क्या कार्यवाही कर रहा है। उसके विपरीत अनुशासन के लिये हमें अपनी समस्त शक्तियों तथा प्रवृत्तियों में अनुवर्तन करना आवश्यक है, जिससे वे नियन्त्रित रूप में कार्य करती रहें। इससे यह बोध होता है कि अनुशासन का सम्बन्ध बालक के भविष्य से है। जिसके द्वारा बालक के स्वभाव अथवा नैसर्गिक शक्तियों का परिशोधन करते हुये उसे सदाचारी, सभ्य और सुसंस्कृत अर्थात् अच्छे संस्कारों से युक्त बनाया जाता है।

---

1. School order

'अनुशासन' शब्द के लिए हरबर्ट ने जुस्ट (*Zucht*) तथा **'व्यवस्था'** के लिए रेगीरङ्ग (*Ragie-Rung*) शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने शिक्षा के मूल उद्देश्य 'नैतिक-विकास' की प्राप्ति के लिये निर्देशन (*Instruction*) शब्द पर बल देते हुये उसके विकास के लिये विद्यालय में उच्चकोटि की व्यवस्था (*Order*) का होना परमावश्यक बताया है। क्योंकि अच्छी व्यवस्था से ही श्रेष्ठ अनुशासन की भावना को उत्पन्न किया जा सकता है। अतः हरबर्ट की इस उक्ति से यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुशासन एक प्रकार का लक्ष्य अथवा अन्तिम परिणाम है, जिसकी प्राप्ति में व्यवस्था एक साधन के रूप में कार्य करती है। किन्तु यह भी सत्य है—**"श्रेष्ठ व्यवस्था उत्तम अनुशासन का पर्याय नहीं है।"** इसके विपरीत निःसन्देह अच्छे अनुशासन में स्वच्छ व्यवस्था सन्निहित होती है। अतः दोनों अन्योन्याश्रित हैं या यों कहा जा सकता है कि व्यवस्था साधन है और अनुशासन साध्य है। अनुशासन का तात्पर्य बालक के केवल बाह्य-व्यवहार से ही नहीं हैं वरन् उसके आचरण की आन्तरिक भावनाओं से भी है अर्थात् आत्म-नियन्त्रण, आत्म-संयम, आत्मानुशासन और विनय आदि से भी है। जैसा कि प्रसिद्ध दार्शनिक **टी० पी० नन** का कथन भी है—**"अनुशासन का अर्थ अपनी भावनाओं और शक्तियों को नियन्त्रण के अधीन करना है जिससे अव्यवस्था को व्यवस्थित किया जा सके।"**

अनुशासन की प्रक्रिया—सामान्यतः अधिगम प्रणाली द्वारा आत्मानुशासन की भावना के विकास के लिए शिक्षार्थी को जिस निर्देशन और नियन्त्रण में रखा जाता है, उस प्रक्रिया को विभिन्न शिक्षा-शास्त्रियों ने तीन वर्गों में विभक्त किया है—

प्रथम वर्ग के अन्तर्गत—

शिक्षक द्वारा आरोपित अनुशासन—शिक्षणाभ्यास के प्रारम्भिक दिनों में बालक के चित्त को विषय-केन्द्रित करने के लिए शिक्षक द्वारा आरोपित अनुशासन की अत्यधिक आवश्यकता होती है। शैशवावस्था में सुसज्जित और सुनियोजित नर्सरी स्कूल में साथ-साथ खेलनेवाले पूर्व स्कूल के बालकों को अनुशासन की बहुत कम आवश्यकता होती है। क्योंकि वहाँ बहुत कम ऐसा सामान होता है जिसे वे तोड़ सकें तथा ऐसा कोई ही छात्र होता है जिसे अपने साथियों से बचने की आवश्यकता होती है। किन्तु प्राथमिक स्कूल के शिक्षार्थियों को नियन्त्रण और निर्देशन की अत्यधिक आवश्यकता होती है

जिसका कारण यह है कि वे यह नहीं जानते कि एक बड़े समूह के साथ उनका आचरण किस प्रकार का होना चाहिए वे उस समुदाय में सहायता के अभाव में अपने आपको असहाय और किंकर्तव्यविमूढ़ समझने लगते हैं। सहसा प्राप्त हुई इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए वे एक ऐसे व्यक्तित्व की खोज करने लगते हैं, जो उन्हें उन नवीन परिस्थितियों को अनुकूल करने में सहायक सिद्ध होता हुआ पथ-प्रदर्शक का कार्य कर सके। ऐसी परिस्थितियों में पथ-प्रदर्शक और आत्म-नियन्ता के रूप में जो व्यक्तित्व उभरकर सामने आता है, उसे शिक्षक, अध्यापक अथवा गुरु के नाम से सम्बोधित किया जाता है।

अधिगम के समय शिक्षक अपने व्यक्तित्व की छाप द्वारा शिक्षार्थियों के अन्तःकरण में केवल आत्म-नियन्त्रण और आत्म-संचालन से सम्बन्धित कुशलताओं का ही विकास नहीं करते अपितु उनमें आत्मानुशासित समूह के साथ कार्य करने की रुचि और आत्म-नियन्त्रण सम्बन्धी अपने स्वयं के मानदण्डों की आवश्यकता का विकास भी करते हैं। किन्तु आत्मानुशासन और स्थायित्व का विकास स्थिर क्रमिक-विकास की वक्र-रेखा नहीं होती है और न ही बालक प्रौढ़ों की सहायता का सदैव आदर ही करते हैं, चाहे उन्हें उस सहायता की कितनी ही आश्यकता क्यों न हो। अतः पूर्वकिशोरावस्था वाले बालक विरोधी प्रवृत्ति को अंगीकृत करते हुए यह स्वीकार करने लगते हैं कि उन्हें शिक्षक और पालकों के नियन्त्रण या स्वीकृति की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इन परिस्थितियों में शिक्षक के समक्ष अनुशासन सम्बन्धित नेतृत्व की समस्या देखी जा सकती है, जिसका निराकरण शिक्षा मनोवैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित उपलब्धियों द्वारा किया जा सकता है। उनके मतानुसार नेतृत्व की प्रक्रिया के दो पहलू हैं—संरचना का उपक्रमण और विचार। '**संरचना-उपक्रमण**' से सम्बन्धित नेतृत्व प्रक्रिया में अन्तर्गत-निर्देशन, नियन्त्रण, दण्ड-सीमा निर्धारण, पुरस्कार, चतुराई, संगठन तथा मानकों का अनुकरण आदि सम्मिलित हैं। '**विचार**' के अन्तर्गत—सहानुभूति प्रदर्शित करना और अवबोध ग्रहण करना, समझौता करना, सहायता करना, आमन्त्रित करना और समूह-सदस्यों के सुझावों का उपयोग करना तथा उनका समर्थन करना।

दण्ड—बहुत से शिक्षक अनुशासन को दण्ड के रूप में स्वीकार करते हैं। उनके मतानुसार शिक्षार्थी को आत्म-नियन्त्रण के प्रशिक्षण के समय शारीरिक दण्ड ही दिया जाना अनिवार्य नहीं है अपितु उसे सामाजिक और मान-

सिक रूप से भी प्रताड़ित किया जा सकता है यथा—अध्यापन कार्य की समाप्ति के पश्चात् उदण्ड छात्र को रोकना अथवा खेल-कूद के समय छात्र को कक्षा-कक्ष में ही बिठाये रखना, अतिरिक्त कार्य करवाना, कक्षा-कक्ष से बाहर निकाल देना, उसके साथियों के समक्ष प्रताड़ित करना इत्यादि।

समूह-आरोपित अनुशासन—वर्तमान परिस्थितियों में जबकि वैज्ञानिक अन्वेषणों के फलस्वरूप विश्व का क्षेत्रफल संकुचित होता जा रहा है, समूह-द्वारा उत्पन्न शक्ति को नियन्त्रित और जन-कल्याण की ओर प्रवृत्त करने की समस्या दिन-प्रति-दिन बढ़ती ही जा रही है। यही समस्या अधिगम के समय कक्षा-समूह को नियन्त्रित और क्रियात्मक कार्य में संलग्न करने की भी है, जबकि बालक अपने नियन्त्रण और निर्देशन के लिए गुरूजनों पर निर्भर रहने से पूर्णतः मुक्त होना चाहता है तथा अपने सम-वयस्क के संकेतों की ओर उन्मुख रहता है कि उसे किस तरह का आचरण करना चाहिए तथा क्या सोचना और विश्वास प्राप्त करना चाहिए। इन परिस्थितियों में यदि शिक्षक छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकता को न देखते हुए उनके विकास के सामान्य और स्वाभाविक पहलू के रूप में स्वीकार करें तो सैद्धान्तिक और व्यवहारिक रूप में समूह-नियन्त्रण का कार्य अधिक सार्थक हो सकता है। अतः अधिगम के समय शिक्षक को चाहिए कि वह सामूहिक दायित्व का वहन करते हुए कक्षा-समूह को आत्म-नियन्त्रण अथवा आत्मानुशासन की भावना को विकसित करने के लिए उचित वातावरण उपस्थित करे।

आत्मारोपित अनुशासन—मानव एक सामाजिक प्राणी है, समाज से भिन्न उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, किन्तु इस अस्तित्व का संरक्षण तभी तक सम्भव है जब तक कि हम अपने कर्तव्य के अनुपालन में सतर्कता अपनाते हुए अधिकारों का उपभोग करते हैं। जिस व्यक्ति ने यह नहीं सीखा कि अपने स्वयं के आचरण के माध्यम से कैसे सोचना चाहिए, उसके समक्ष ऐसा कोई विकल्प ही नहीं होता कि वह समूह के अनुरूप अपने आपको ढाल ले। किन्तु जो व्यक्ति अपने आपका तथा समूह का मूल्याङ्कन करने में समर्थ होता है, वह नये तथा श्रेष्ठ समूह मानवों के विकास में अधिक योगदान देने में समर्थ होता है। इसके लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करें जिसके माध्यम से छात्रों में सामाजिक परिपक्वता के लिए आत्मानुशासन की भावना स्वतःप्रेरित होने लगे।

कार्य-आरोपित अनुशासन—वैदिककाल से ही मानव विकास का क्रम कार्यानुशासन की प्रक्रिया पर आधारित था। मानव में आध्यात्मिक और

नैतिक विकास के लिए जिन यज्ञादिक धार्मिक अनुष्टानों का आयोजन किया जाता था,[1] मूलतः उनका आधार कार्यानुशासन ही था।[2] **श्रीमद्भगवद्गीता** में प्रतिपादित निष्काम कर्मयोग का उपदेश कार्यानुशासन की प्रक्रिया का उद्बोधक है। अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मागाँधी ने बुनियादी शिक्षा में कार्यानुभव की प्रधानता से कार्यानुशासन का उपदेश दिया है। वैसे भी हर कार्य की सफलता असफलता अनुशासनात्मक प्रक्रिया पर निर्भर करती है। कार्य चाहे डाक टिकट की छटनी करने का हो, गणित के सवालों को समाधान करने का हो अथवा प्राकृतिक सुषमा के अवलोकनार्थ की गई पद-यात्रा का हो, उसका अपना अनुशासन होता है। व्यक्ति में जितनी अधिक परिपक्वता होगी वह उतना ही अधिक अपने को अनुशासित कर पायेगा और अपने निर्धारित कार्य की सफलता के लिए आवश्यकताओं के साथ अनुरूप सम्बन्ध स्थापित कर पायेगा। अल्प-परिक्वता के कारण शिक्षार्थी अपने कार्य और आवश्यकता के साथ तारतम्य स्थापित न कर सकने के कारण कुण्ठित और निराशा से घिरे होने के फलस्वरूप उसे मध्य में ही छोड़कर असफलता को गले लगा लेता है। अतः अधिगमप्रणाली में कार्यारोपित अनुशासन की अत्यधिक आवश्यकता है, जिसके अनन्तर अध्यापक शिक्षार्थी को उचित निर्देशन और नियन्त्रण द्वारा कार्य की उपयोगिता के मूल्याङ्कन का बोध कराते हुए एकाग्रचित्त से उसे सम्पादित करने का प्रशिक्षण प्रदान करता है। अतः शिक्षण-प्रक्रिया में इस अनुशासन का महत्त्वपूर्ण योगदान है।

द्वितीय वर्ग के अन्तर्गत—

प्राकृतिक अनुशासन—प्रकृतिवादी दार्शनिक रूसो और स्पेन्सर का मत है कि प्रकृति बालक की सर्वप्रथम शिक्षिका है। इस प्रकार सुख और दुःख अथवा स्वाभाविक परिणामों के कारण बालक आत्मानुभूति को प्राप्त करेगा तथा उसमें स्वाभाविक अथवा प्राकृतिक अनुशासन का विकास होगा। अतः बालक को प्राकृतिक-नियन्त्रण के अधीनस्थ छोड़कर ऐसा वातावरण दिया जाना चाहिए जिससे वह स्वेच्छानुसार अपने व्यक्तित्व के पूर्णविकास में सतत प्रयत्नशील रह सके। किन्तु प्राकृतिक अनुशासन के विरोध में मत देने वालों का कथन है कि बालक को पूर्णरूप से प्राकृतिक-नियन्त्रण के अधीन नहीं

---

१. आनोभद्राःक्रतवो यन्तु विश्वतोदब्धासोऽपरीता सउद्भिदा (श.प.वे. २५/१४)
दैवीन्धियमनामहे—(शु.प. ४.११)

२. पूषन्तवव्रतेनरिष्येयकदाचन (शु.प.वे. ३४·४१)

छोड़ना चाहिए इससे उसके बिगड़ने की सम्भावना अधिक होती है। अतः इस प्रक्रिया के अन्तर्गत किसी न किसी रूप से शिक्षक को पथ-प्रदर्शक के रूप में अवश्य स्थान देना चाहिए।

आधिकारिक अनुशासन—यह अनुशासन शिक्षक-आरोपित अनुशासन के ही सदृश है, जिसका प्रयोग शैशव-अवस्था के बाद किया जाता है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत बालक घर पर अपने माता-पिता और अन्य पारिवारिक सदस्यों तथा विद्यालय में शिक्षकों के अधीनस्थ रहता हुआ नैसर्गिक गुणानुसार अपने व्यक्तित्व के विकास में प्रयत्नशील रहता है। किन्तु आगे चलकर दार्शनिकों ने इस अनुशासन की प्रक्रिया का खण्डन करते हुए अपने पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा है कि भय और नियन्त्रण के अधीनस्थ रहने से बालक का स्वाभाविक विकास सम्भव नहीं हो पाता है तथा स्वयं के आत्म-निर्णय की शक्ति क्षीण हो जाने के फलस्वरूप वह हीनता की ग्रन्थियों से ग्रसित हो जाता है।

सामाजिक अनुशासन—बढ़ती हुई छात्र संख्या और बालक में—समाजोपयोगी भावों को विकसित करने के लिए सामाजिक नियन्त्रण की आवश्यकता होती है। उसके लिए विद्यालय में अधिगम के अतिरिक्त ऐसा वातावरण प्रस्तुत करना चाहिए जिससे वह भावी जीवन में समाज और राष्ट्र के नियमों का पालन करने के योग्य बनाया जा सके। बालक में सामाजिकीकरण के लिए विद्यालयों में विभिन्न सांस्कृतिक समारोह, खेलों का आयोजन तथा समाज और राष्ट्र सेवा से सम्बन्धित विभिन्न संगठनों को उचित स्थान प्रदान करते हुए उन्हें उसमें सम्मिलित होने की प्रेरणा देनी चाहिए जिससे कि वे अपने आपको आदर्श नागरिक के रूप में समाज में प्रतिष्ठित कर पावें। किन्तु उस पक्ष के आलोचकों का मत है कि यह प्रक्रिया एक पक्षीय सामाजिक विकास पर आधारित होने के कारण बालक को वैयक्तिक-विकास की ओर उन्मुख नहीं करती है।

वैयक्तिक अनुशासन—वैयक्तिक अनुशासन का सम्बन्ध बालक के संवेगात्मक तथा मानसिक विकास से होता है। अतः बालक को प्रारम्भिक दिनों से ही ऐसे वातावरण अथवा व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है जिससे प्रभावित होकर बालक अनुकरणात्मक प्रक्रिया को अपनाते हुए, संवेगों का परिशीलन करते हुए अपने व्यक्तित्व के निर्माण में आत्म-नियन्त्रण का प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। वैसे भी व्यक्ति का सामाजिक प्राणी होने से पूर्व उसकी अपनी पहचान है, उसका अपना अस्तित्व है। उस पहचान अथवा अस्तित्व

को बनाये रखने के लिए उसे निर्देशन और नियन्त्रण की आवश्यकता होती है जो केवल उसे पारिवारिक परिप्रेक्ष्य में माता-पिता से तथा विद्यालय-परिवेश में अध्यापकों द्वारा प्राप्त हो सकता है। यह भी सत्य है कि व्यक्ति अपनी पहचान द्वारा ही समाज में समुचित स्थान प्राप्त करते हुए समाजोत्थान में अपनी अहम् भूमिका निभा सकता है। अतः शैक्षणिक-पाठ्यक्रम में इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे बालक अपने व्यक्तित्व के चहुमुखी विकास से विकसित होता हुआ—जन-कल्याण के कार्य में प्रवृत्त हो सकता है। वैयक्तिक अनुशासन के मूलकारण चोरी की प्रवृत्ति, कक्षा से भाग जाना, बड़ों की आज्ञा की अवहेलना करना, दूसरों के साथ अभद्र व्यवहार करना, झूठ बोलना तथा अनुचित बात का समर्थन करना आदि हैं, जिनकी ओर प्रवृत्त होने से पूर्व बालक को नैतिक आचरण के प्रशिक्षण द्वारा अथवा प्रताड़ना द्वारा आत्म-नियन्त्रित होने की प्रेरणा प्रदान करनी चाहिए अन्यथा ये समस्याएँ समाज में विष का रूप धारण कर उसको मूल से ही नष्ट करने का कार्य करने लगेंगी। परिणामतः न व्यक्ति रह पायेगा और न समाज। अतः मानव व्यक्तित्व निर्माण में इस प्रक्रिया का महत्त्वपूर्ण स्थान है। फिर भी अनेक शिक्षाविदों तथा दार्शनिक विद्वानों ने इस प्रक्रिया के विरोध में अपना मन्तव्य देते हुए इसे एकाङ्गी बताया है। उनके मतानुसार सामाजिक सत्ता से भिन्न व्यक्ति की सत्ता का कोई अर्थ नहीं है। इस प्रक्रिया द्वारा वह पुजारी अथवा दैविक गुणों से तो परिपूर्ण हो सकता है किन्तु सामाजिक गुणों के अभाव के कारण दीन-हीन और अपने आपको असहाय मान बैठता है। जिससे उसके जीवन में नीरसता उत्पन्न हो जाती है।

व्यावसायिक अनुशासन—मानव की सबसे महत्त्वपूर्ण आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान है, जिसकी प्राप्ति हेतु वह आजीवन अथाह परिश्रम करता है किन्तु परिश्रम द्वारा जीवन की आवश्यकता को परिपूर्ण करने के लिए व्यावसायिक अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है। बिना व्यावसायिक कुशलता को प्राप्त किये न तो वह शैक्षिक उद्देश्यों को ही पूर्ण कर सकता है और न ही राजनैतिक अथवा सामाजिक संवेगों पर अपना आधिपत्य जमा सकता है। जिसके अभाव में समाज में व्याप्त रोजगार-सम्बन्धित समस्याओं से ग्रसित व्यक्तियों को राजनैतिक दल अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए भड़काने लगते हैं, जिससे प्रभावित होवे इस प्रकार की चेष्टाएँ करने लगते हैं जिससे राष्ट्र में अराजकता और अशान्ति को बढ़ावा मिलने लगता है। इन समस्याओं के रोकने के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे विषयों को

समाहित किया गया है जिनका सम्बन्ध शिक्षार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करते हुए आत्म-निर्भरता प्रदान करना है। व्यावसायिक अनुशासन का वास्तविक स्वरूप भी यही है, जिसके द्वारा राष्ट्र में उत्पत्ति (*Productivity*) और कुशलता (*Efficiency*) की वृद्धि होती है और राष्ट्र उन्नति के शिखर को प्राप्त करता है।

इस मत के विपक्ष में मन्तव्य देने वाले विद्वानों का मत है कि बिना आध्यात्मिक एवं नैतिक उत्थान के व्यावसायिक प्रशिक्षण कोरी कल्पनामात्र है। केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण द्वारा राष्ट्र का अभ्युदय और उत्थान नहीं हो सकता है उसके लिए आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक अनुशासन की भी आवश्यकता है। तभी वा॰ विक रूप से अधिगम की प्रक्रिया का उद्देश्य पूर्ण हो पायेगा।

तृतीय वर्ग के अन्तर्गत—

प्रसिद्ध पाश्चात्य दार्शनिक मंन मेकमन ने अपनी पुस्तक "*The childs path freedom*" और एडम्स ने अपनी पुस्तक '*Modern Development in Education of practice*" में विभिन्न दार्शनिक सिद्धान्तों के आधार पर अनुशासन की प्रक्रिया के स्वरूप को तीन भागों में विभक्त किया है—जिसके अन्तर्गत उपयुक्त श्रेणियों का समावेश भी हो जाता है।

दमनात्मक अनुशासन—शिक्षक और शिक्षार्थियों के इतिहास अनुशीलन से ज्ञात होता है कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली दमनात्मक अनुशासन की पद्धति पर आधारित थी, जिसका ध्येय शारीरिक दण्ड अथवा नियन्त्रण द्वारा आत्मानुशासन की भावना को विकसित करना था। इससे पता चलता है कि उस समय दमनवादी विचारधारा पर स्वेच्छाचारी राजनैतिक विचारधारा का प्रभाव था, जिसमें राज-आज्ञा के अनुपालन हेतु शक्ति के प्रयोग का विधान था। इस सिद्धान्त को आधार मानकर शिक्षकों ने शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण में निर्देशन और नियन्त्रण परमावश्यक मानते हुए शारीरिक दण्ड-विधान द्वारा उसके नैसर्गिक गुणों का परिशोधन कर आत्म-नियन्त्रण और आत्मानुशासन का प्रशिक्षण प्रदान करने का मार्ग-प्रशस्त किया।[1] सैमेटिक मत के प्रवर्तकों ने भी दमन के प्रभाव का मूल्याङ्कन करते हुए मानव व्यक्तित्व में उसकी उपयोगिता सिद्ध करते हुए कहा है—बालक के अन्तःकरण में

---

१. लालनेबहवोदोषा, ताडनेवहवोगुणाः, तस्मात्पुत्रञ्च शिष्यञ्च ताडयेन्न तु लालयेत्।

शैतान निवास करता है, जो उसे अधोपतन की ओर निरन्तर प्रवृत्त करता रहता है। यदि शिक्षक शिक्षार्थी को व्यक्तित्व ह्रास की इस प्रक्रिया से मुक्त कराना चाहता है, तो उसे उसके अन्तःकरण में विद्यमान शैतान को निकालना होगा, जिसके लिए केवल मात्रदण्ड का ही निर्धारण किया गया है। इस प्रकार उसे दण्डित करने से तात्पर्य है—शैतान की प्रताड़ना अर्थात् मानव-अन्तःकरण में विद्यमान पाशविक मनोवृत्तियों का परिशोधन करते हुए बल-पूर्वक दबाना, जिसके फलस्वरूप मानव व्यक्तित्व का मानवीय सिद्धान्तों के अनुरूप विकास हो सके। **जैरिनिया** नामक विद्वान् ने दमनात्मक अनुशासन की प्रक्रिया को उचित बताते हुए कहा है कि—"**दिल धोखा देता है, दुष्ट है अतः बीच-बीच में दण्ड आवश्यक है।**" १८वीं शताब्दी में यूरोप के प्रत्येक स्कूल में शिक्षक अपनी आज्ञाओं का पालन कराने तथा कक्षा-कक्ष में अनु-शासित वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से दण्डे का सहारा लेते थे। इस सम्बन्ध में उनकी धारणा थी कि—"**दण्डा छूटा और बालक बिगड़ा।**"[1]

शारीरिक दण्ड—

वैदिककालीन शिक्षा-व्यवस्था में 'दण्ड' का विधान था, पर शिक्षाविदों में शारीरिक दण्ड के सम्बन्ध में मतैक्य नहीं था। जैसाकि **आपस्तम्बधर्मसूत्र** में कहा गया है कि शब्दों द्वारा भर्त्सना करनी चाहिए और अपराध की गुरुता के आधार पर निम्न दण्ड में से कोई एक या कई दण्ड दिये जा सकते हैं; यथा—धमकाना, भोजन न देना, शीतल जल में स्नान कराना या सामने न आने देना। महर्षि **गौतम** ने निर्देश दिया है कि—**साधारणतः बिना मारे-पीटे शिष्यों को अनुशासित करना चाहिए, किन्तु यदि शब्दों का प्रभाव न पड़े तो पतली रस्सी या बाँस की फट्टी से मारना चाहिए। किन्तु यदि शिक्षक किसी अन्य प्रकार से अर्थात् हाथ-पांव आदि से मारे तो उसे राजा द्वारा दण्डित किया जाना चाहिए। महाभाष्य**[2] में अनुदात्त को उदात्त और उदात्त को अनुदात्त कहने पर उपाध्याय द्वारा चपेटा मारने की ओर संकेत किया गया है। आचार्य मनु, और नारद ने महर्षि गौतम का अनुसरण करते हुए कहा है कि पीठ पर ही मारा जा सकता है, सिर व छाती पर कभी नहीं।[3] नियम विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया का प्रयोग किये जाने पर शिक्षक को वही

1. spare the rod and spail the child.
२. य उदात्ते कर्तव्येऽनुदात्तं करोति खण्डिकोपाध्यायस्तस्मै चपेटां ददाति।
पतञ्जलि महाभाष्य—१/१/१
३. 'पृष्ठतस्तु शरीरस्य नोत्तमाङ्गे कथञ्चन। मनुस्मृति—८/३००

परिताड़ना मिलनी चाहिए जो किसी चोर को मिलती है।[1] इस प्रकार समस्त श्रुतिस्मृतियों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वैदिक और उत्तर-वैदिककाल में शिक्षक बालक की समाज-विरुद्ध चेष्टाओं पर अङ्कुश लगाने के लिए, अनभ्यासी छात्र को शिक्षण कार्य में प्रवृत्त करने के लिए, दण्ड का विधान किया गया था।

बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में भी संवेगात्मक मनोवृत्तियों के नियन्त्रण द्वारा आत्मानुशासन की भावना को विकसित करने के लिए दमनात्मक प्रक्रिया का सहारा लिया जाता था। बौद्ध-विहारों में अनुशासन बनाये रखने के लिए शिक्षार्थियों को विशेष निर्देश दिये गये थे, जिसके अन्तर्गत बिहार में अध्ययन करनेवाले बौद्ध भिक्षु फूल-पत्तों तथा वृक्षों को हानि नहीं पहुँचा सकते थे, सम्पत्ति का सञ्चय नहीं कर सकते थे, खेल तथा तमाशे नहीं देख सकते थे तथा अहिंसाव्रतानुसार आचरण करने को वचनबद्ध थे। इन नियमों के विरुद्ध आचरण करनेवाले संघ के सदस्यों को दण्डित किया जाता था तथा कभी-कभी तो अनुशासनहीनता के कारण पूरे संघ को ही दण्ड दिया जाता था, संघ के दण्ड-विधान के अनुसार दोषयुक्त समस्त सदस्यों को संघ से ही निकाल दिया जाता था। इस प्रकार बौद्धकालीन समाज में भी आत्म-नियन्त्रण और निर्देशन की भावना से दमनात्मक प्रवृत्ति का आधिपत्य था।

मुस्लिमकालीन शिक्षा-व्यवस्था में शिक्षकगण शिक्षार्थी के पूज्य और आदर के पात्र समझे जाते थे, उनकी अवज्ञा 'अल्लाह' की अवज्ञा समझी जाती थी। फिर भी यदि कोई उच्छृंखल छात्र होता था, जिसकी विवृत मनोवृत्तियों का दमन करने के लिए दण्ड का प्रयोग किया जाता था। राज्य की ओर से कोई दण्ड-विधान निर्धारित न होने के कारण शिक्षक शिक्षार्थियों को किसी भी प्रकार का दण्ड देने के लिए पूर्णरूप से स्वतन्त्र हुआ करते थे। छात्रों को बेंत, कोड़े और घूँसे से प्रताड़ित किया जाता था तथा छात्र के महान् अपराध करने पर उसे मुर्गा बनाकर उसकी पीठ पर अथवा गर्दन पर ईंट या लकड़ी रख दी जाती थी, जिसे वह निश्चित अवधि तक नीचे गिरा नहीं सकता था।

वर्तमान में दमनात्मक अनुशासन की झलक हमें सैनिक-संगठनों में देखने को मिलती है, जहाँ *There is not to reason why, there is not to make*

---

१. अतोऽन्यथा तु प्रहरन्प्राप्त स्याच्चौरकिल्बिषम्॥ मनुस्मृति—८/३००

reply" के विषाक्त वातावरण में दण्डे का साम्राज्य रहता है। अधिकांश विद्यालयों के सर्वेक्षण से पता चलता है कि अब भी शिक्षार्थियों को अनुशासित करने के लिए शारीरिक, मानसिक और आर्थिक दण्ड-विधान की आवश्यकता पड़ती है।

दमनात्मक अनुशासन के पक्ष में तर्क—

(i) दमनवादी विचारकों ने दमनात्मक अनुशासन की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा है कि नियन्त्रित वातावरण में ही बालक की नैसर्गिक शक्तियों का परिशीलन और परिवर्धन सम्भव हो सकता है।

(ii) इस मत के प्रबल समर्थकों का विश्वास है कि नियन्त्रित वातावरण में बालक के उच्छृंखल होने की सम्भावना समाप्त हो जाती है। परिणामतः बालक में समय की तत्परता, आज्ञाकारिता, व्यावसायिक-कुशलता और समाज-निर्दिष्ट आचरण के अनुरूप व्यवहार करने की दक्षता आ जाती है।

(iii) दमनवादियों के मतानुसार बालक प्रकृति से ही उदण्ड और पापी हैं। उसके हृदय की क्रूरता को नष्ट करने के लिए दण्ड की आवश्यकता होती है। उनके विचारानुसार बालक के प्रति सहानुभूति, पूर्ण व्यवहार उसमें अनुशासनहीनता को जन्म देता है।

(iv) **'भय बिनु होइ न प्रीति'** के अनुसार बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नियन्त्रित वातावरण में ही सम्भव है जहाँ उसे सर्वत्र दण्डे का भय दिखाई देता है।[1]

(v) इस मत के समर्थकों के अनुसार शिक्षक की प्रताड़ना बालक को स्वाध्याय की ओर प्रवृत करती है।

(vi) उनके मतानुसार नियन्त्रण अथवा दण्ड द्वारा उदण्ड से उदण्ड छात्र भी अनुशासित हो जाता है।

(vii) **जेरिमिया** के मतानुसार बालक को सुधारने के लिए कड़े से कड़ा दण्ड मिलना चाहिए।

---

१. न निन्दाताडने कुर्यात् पुत्रंशिष्यञ्च ताडयेत् (याज्ञवल्क्यस्मृति ६/१५५)

(viii) डेविड पी० आसुबेल ने विभिन्न विद्यालयों के सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर कहा है—यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त तर्क है कि दुराचार और दण्ड की स्वीकृति, नैतिक उत्तर-दायित्व का अधिगम और स्वस्थ-विवेक विकसित करने का ही एक अङ्ग है।

दमनात्मक अनुशासन के विपक्ष में तर्क—

(i) दमनात्मक-अनुशासन की प्रक्रिया के प्रबल आलोचकों का मत है कि नियन्त्रण की यह प्रक्रिया पूर्णतः अमनोवैज्ञानिक सिद्धान्त पर आधारित होने के कारण छात्र की मनोवृत्तियों, इच्छाओं और रुचियों का दमन करती है, जिससे मानव स्वभाव के प्रति संकुचित दृष्टि-कोण को बढ़ावा मिलता है।

(ii) यह सिद्धान्त शिक्षक को अनुचित बल प्रयोग की स्वतन्त्रता प्रदान करता है, जो पैशाचिक, क्रूर और अमानवीय गुणों से ग्रसित है।

(iii) इस प्रक्रिया द्वारा प्रजातन्त्रात्मक आदर्शों का पतन होता है तथा बालक के दिल तथा दिमाग में अवज्ञामूलक भाव उत्पन्न होने लगते हैं, जो उसे बागी बनाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

(iv) दमनवादी विचारधारा विषाक्त वातावरण को जन्म देती है, जो बालक की स्मरण-शक्ति को विनष्ट कर देती है।

(v) कठोर शारीरिक दण्ड पाने पर बालक स्कूल में जाने से डरता है तथा अधिगम के प्रति उसकी रूचि क्षीण होने लगती है।

(vi) निरन्तर दण्ड से भयभीत रहने के कारण शिक्षार्थी मानसिक रोगों का शिकार हो जाता है तथा उसके मस्तिष्क में **ग्रन्थियां** उत्पन्न हो जाती हैं, शारीरिक विकास रुक जाता है तथा व्यक्तित्व का ह्रास प्रारम्भ हो जाता है।

(vii) **सेमुअल स्माइल** के कथनानुसार—शिक्षक की कठोरता एवं क्रूरता ज्ञान की प्रगति में सहायक नहीं होती।

(viii) **कामेनियस** ने ऐसे विद्यालय को कसाईखाने की संज्ञा देते हुए उसकी निन्दा की है तथा शिक्षकों को दण्ड का नहीं प्रेम और ज्ञान का सहारा लेने का निर्देश दिया है।

(ix) दण्ड पर बल देने वाली शिक्षा, बालक को इस बात की सहायता प्रदान किये बिना कि उसे क्या पढ़ना चाहिए, केवल वही पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है, जिसे उसे नहीं पढ़ना चाहिए ।

(x) इङ्गलैण्ड के प्रसिद्ध उपन्यासकार **एन्थानी ट्रालाप** ने अपने 'विंचेस्टर' नामक विद्यालय के विषाक्त वातावरण का विरोध प्रकट करते हुए कहा है—विद्यालय अनुशासन को बनाये रखने के लिए मुझे यह बात अनुचित प्रतीत होती है कि स्कूल में शारीरिक दण्ड छात्र के दैनिक जीवन का स्थायी अङ्ग हो ।

अतः वर्तमान शृंखला के दार्शनिकों एवं शिक्षा विशेषज्ञों ने नियन्त्रण द्वारा अनुशासन की प्रक्रिया का सर्वत्र विरोध किया है ।

प्रभावात्मक अनुशासन—प्रभाववादी विचारधारा के प्रबल समर्थकों के मतानुसार नियन्त्रण से कहीं अधिक आध्यात्मिक और पाण्डित्यपूर्ण व्यक्तित्व के प्रभाव से बालक में मनोवांच्छित भावनाओं तथा समाजोचित आचार-विचार और व्यवहार को विकसित किया जा सकता है । इस प्रकार प्रभा-वात्मक अनुशासन के वातावरण से समानुकूलन की भावना से बालक के व्यक्तित्व पर सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक और आर्थिक विचारधाराओं का ऐसा प्रभाव पड़ता है, जिससे बालक स्वतः विनीत होता हुआ आत्मानुशासन की ओर प्रवृत्त होता है । अतः प्रभाववादी अनुशासन की प्रक्रिया के अन्तर्गत वैयक्तिक उदाहरण, प्रोत्साहन और वातावरण विशेष महत्त्व रखते हैं । इसी सिद्धान्त को आधार मानकर शिक्षा-विशेषज्ञों ने समानुकूलन की भावना को विकसित करने के उद्देश्य से शैक्षणिक-पाठ्यक्रम में विभिन्न धर्मों से सम्बन्धित विचारों, महापुरुषों का इतिवृत्त तथा राष्ट्रीय महत्त्व के महापुरुषों से सम्बन्धित विचारधाराओं को व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला मानते हुए, प्रमुख स्थान दिया है ।

इस प्रक्रिया के अन्तर्गत शिक्षक अपने स्वच्छ और निर्मल व्यक्तित्व तथा ज्ञान की अजस्रधारा द्वारा शिक्षार्थी के अन्तःकरण का शोधन कर **'सत्यं शिवं सुन्दरम्'** की अनुभूतिरूप सत्य ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित रखता है, जिसका प्रमुख उद्देश्य श्रुति-स्मृति द्वारा प्रतिपादित मुक्ति का सिद्धान्त **"सा विद्या या विमुक्तये"** है । मुक्ति के इस अजस्र मार्ग का प्रशस्तीकरण ऋषि-मुनियों द्वारा सुझाये गये सत्यनिष्ठ धर्माचरण के अनुरूप आचरण करने वाले व्यावहारिक

व्यक्तित्व द्वारा ही सम्भव हो सकता है। इस प्रकार वैदिककालीन शिक्षण-पद्धति के अवलोकन से यह प्रमाणित होता है कि गुरु-आश्रमों में आचार्य अपने स्वयं के आचरण से सान्निध्य प्राप्त शिष्यों के जीवन को प्रभावित करता हुआ उन्हें संयमित और नैतिक मूल्यों के अनुरूप मर्यादित आचरण करने को प्रोत्साहित करता है।

सुकरात प्लेटो और फ्रोबेल आदि अनेक आदर्शवादी विचारधारा के प्रबल समर्थकों और अनुयायियों ने व्यक्तित्व के प्रभाव से अनुशासित करने की इस प्रक्रिया का अनुमोदन करते हुए उसके महत्त्व पर प्रकाश डाला है। प्रसिद्ध दार्शनिक **रास** का इस सम्बन्ध में विचार है—"**प्रभाव का प्रयोग जब किसी प्रबल व्यक्तित्व वाले अध्यापक द्वारा किया जाता है, तो निःसन्देह स्वच्छ और श्रेष्ठ व्यवस्था स्थापित होती है। इसी तरह यह बात भी सत्य है कि इसका चरित्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है अर्थात् अनुशासनकारी प्रभाव पड़ता है।**" दूसरे शब्दों में, शिक्षक अपनी योग्यता, आचार-विचार और आदर्श-व्यवहार द्वारा स-स्नेहयुक्त वातावरण के माध्यम से शिक्षार्थी को स्वेच्छानुसार अनुकरणात्मक पद्धति को अपनाते हुए आचरण करने को प्रेरित करता है। इस प्रकार शिक्षक के व्यक्तित्व से प्रभावित शिक्षणाभ्यास में कार्यरत बालक (शिक्षार्थी) में अनुशासन से सम्बन्धित कोई समस्या ही उत्पन्न नहीं होती और यदि होती भी है तो शिक्षक अपने प्रेम और सहानुभूति पूर्ण व्यवहार द्वारा उस समस्या का तत्काल समाधान करने में सक्षम होता है।

प्रभावात्मक अनुशासन से अनुप्राणित शिक्षकों में इङ्गलैण्ड के **'उपिंघम स्कूल'** के प्रधानाध्यापक एडवर्ड थ्रिंग और **'रगबी स्कूल'** के प्रधानाचार्य **टॉमस ऐरनाल्ड** को इस सम्बन्ध में विशेष रूप से स्मरण किया जा सकता है, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से छात्रों के नैसर्गिक गुणों से सम्बन्धित विकास की प्रक्रिया में उचित वातावरण की पृष्ठभूमि तैयार करते हुए अधिगम की प्रक्रिया को नई-दिशा प्रदान की।

प्रभावात्मक अनुशासन के पक्ष में तर्क—

(i) यह प्रक्रिया पूर्णतः मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर आधारित होने के कारण शिक्षार्थी को भय के वातावरण से मुक्त कराते हुए प्राप्त निर्देशों को स्वेच्छया से अनुपालन का अवसर प्रदान करती है।

(ii) इस प्रक्रिया द्वारा प्रभावशाली शिक्षक शिक्षार्थी को स्वाभाविक और स्वतः प्रवर्तित रूप में विकसित होने का पर्याप्त अवसर प्रदान करता हुआ निश्चित अवधि में उसके आचरण की सीमा को निर्धारित करता है।

(iii) इस प्रकार की व्यवस्था के अन्तर्गत बालक में नम्रता, सहिष्णुता, सत्यवादिता, ईमानदारी, अपने कार्य के प्रति जागरूकता, समय की पाबन्दी तथा आदेशों के अनुरूप व्यवहार करने की प्रवृत्ति का स्वतः विकास होता है।

(iv) यह प्रक्रिया बालक के चोटग्रस्त अन्तःकरण में मरहम-पट्टी का कार्य करती है तथा गुरु-शिष्य सम्बन्ध में एकरूपता को विकसित करते हुए **'आचार्यपितुर्तुल्यम्'** की उक्ति को चरितार्थ करती है। इसके साथ ही साथ **'मातृ देवोभव पितृ देवोभव आचार्य देवोभव'** इस उपनिषद् वाक्य की गरिमा को स्पष्ट करती है।

(v) इस प्रक्रिया के अनन्तर शिक्षक पथ-प्रदर्शक का कार्य करता है, जिससे छात्र में अनुशासनहीनता की सम्भावना ही समाप्त हो जाती है किन्तु अनुशासन के क्षेत्र में अध्यापक का दायित्व बढ़ जाता है।

प्रभावात्मक अनुशासन के विपक्ष में तर्क—

(i) अनुशासन की प्रभावात्मक प्रक्रिया में शिक्षक की अहम् भूमिका होने के कारण वह अपने आपको शिक्षार्थी का भाग्यविधाता मान बैठता है।

(ii) प्रभावात्मक-अनुशासन का मुख्य आधार आदर्श शिक्षक है, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मिलना असम्भव है, वैसे भी संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, जिसे उच्च आदर्श की कसौटी पर तोला जा सकता है अथवा पूर्णरूप से दोष-मुक्त माना जा सकता है। अतः जब उच्च आदर्श से परिपूर्ण अध्यापक ही नहीं है, तब प्रभावात्मक अनुशासन की प्रक्रिया द्वारा बालक को अनुशासित करने की बात अयुक्तियुक्त प्रतीत होती है।

(iii) इस प्रक्रिया के अन्तर्गत बालक की मूल प्रवृत्तियों की अवहेलना करते हुए व्यक्तित्व-निर्माण में सभी छात्रों के साथ समान रूप से व्यवहार न करना अप्रजातान्त्रिक कार्य प्रतीत होता है।

(iv) अनुशासन की प्रभावात्मक प्रक्रिया के अन्तर्गत बालक की स्वयं की अनुभूतियों के लिए कोई महत्त्व नहीं है। दूसरे शब्दों में, कार्य की उपयोगिता और रुचि का पता लगाये बिना जब कोई अध्यापक अपने प्रभाव का प्रयोग करता है तो बालक का हृदय अनेक कुण्ठाओं से कुण्ठित हो जाता है तथा उसके व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास रुक जाता है।

(v) प्रभावात्मक अनुशासन की प्रक्रिया अनुकरणात्मक सिद्धान्त पर आधारित होने के कारण पूर्णतः मनोवैज्ञानिक, सुगम और सरस तो है, किन्तु इसमें एक महत्त्वपूर्ण दोष यह है कि अनुकरणीय व्यक्ति के कहीं अन्यत्र चले जाने के कारण शिक्षार्थी के समक्ष यह समस्या उत्पन्न हो जाती है कि वह उस व्यक्ति की अनुपस्थिति में किसका अनुकरण करे, इन परिस्थितियों में वह किंकर्तव्यविमूढ़ हो जाता है।

(vi) इस प्रक्रिया द्वारा बालक अध्यापक का अन्धा-भक्त तो अवश्य बन जाता है किन्तु वह स्वयं के अच्छे-बुरे कार्य से अनभिज्ञ रहता है।

मुक्त्यात्मक अनुशासन—प्रकृतिवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक प्रसिद्ध शिक्षा दार्शनिक रूसो और स्पेन्सर ने मुक्त्यात्मक अनुशासन की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए बन्धनमुक्त वातावरण में मूलप्रवृत्तियों को विकसित करने वाले छात्र में स्वतः अनुशासन की भावना को प्रेरित करते हुए "Let him free" का नारा बुलन्द किया है, जिसका मूलमन्त्र श्रीमद्भगवद्गीता में वर्णित उपदेश "**प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति**"[१] पर आधारित है। यहाँ भगवान् श्रीकृष्ण ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक प्राणी की पूर्वजन्मार्जित संस्कार के अनुरूप प्रकृति होती है, जिसे हठ या बलपूर्वक परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। हाँ, शिक्षा द्वारा इन पूर्व अर्जित संस्कारों से प्राप्त प्रकृति (स्वभाव) में संशोधन और परिवर्द्धन अवश्य किया जा सकता है। भौतिकी सत्ता को स्वीकार करने वाले चार्वाकदर्शन के प्रबल समर्थकों ने भी बन्धन-मुक्त वातावरण द्वारा जीव-मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करते हुए कहा है—"**यह शरीर नश्वर होने के कारण पुनः प्राप्त होने वाला नहीं है, अतः सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए यदि ऋण द्वारा घी पीना पड़े तो भी कोई**

---

१. श्रीमद्भगवद्गीता— ३/३३

बात नहीं।"[1] इससे प्रतीत होता है कि चार्वाक दर्शन भी स्वतन्त्र वातावरण में मानव स्वभाव के अनुरूप व्यक्तित्व विकास का पक्षधर है, जो सम्भवतः मुक्त्यात्मक-अनुशासन की कार्यप्रणाली द्वारा मानव-व्यक्तित्व को सवाँरना सजाना चाहता है। ठीक भी है, स्वतन्त्र वातावरण में रहते हुए नैसर्गिक गुणों के अनुरूप मानव-व्यक्तित्व का जितना अधिक विकास किया जा सकता है, अन्य किसी प्रक्रिया द्वारा सहज और सुगमता से उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। वैसे भी अनुशासन की अन्य प्रक्रियाएँ भय का वातावरण उपस्थित करती हैं, जिसमें मानव व्यक्तित्व का विकास किसी भी रूप में सम्भव नहीं हो सकता, हाँ कुछ समय के लिए उसे नियन्त्रित और व्यवस्थित अवश्य किया जा सकता है, सम्भवतः उसके दूषित परिणाम भी निकल सकते हैं। अतः कुण्ठाओं से ग्रसित दूषित परिणामों द्वारा मानव व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास की प्रक्रिया में उपस्थित बाधा को रोकने के लिए स्वतः—अनुशासन के सिद्धान्तानुसार व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व विकास के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए, यही शिक्षा का भी चरमोत्कृष्ट उद्देश्य है।

उपर्युक्त परिचर्चा के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि प्रकृतिनिष्ठ भारतीय मनीषियों के दार्शनिक सिद्धान्तों से प्रेरित पाश्चात्य दार्शनिकों ने 'Back to the nature' अर्थात् प्रकृति की ओर लौटो, अथवा Break to the social bonds" अर्थात् सामाजिक बन्धन तोड़ने का निर्देश दिया है। जैसाकि प्रसिद्ध पाश्चात्य दार्शनिक **रूसो** का कथन भी है—"**शिक्षक और समाज की आवश्यकताओं और भावों के अनुरूप बालक को शिक्षित नहीं करना चाहिए अपितु अधिगम के समय बालक की आवश्यकता और उसकी स्वाभाविक प्रकृति के अनुरूप उचित पथ-प्रदर्शित करना चाहिए क्योंकि मनुष्य की गति में नियमबद्धता, बाह्याडम्बर, उपदेश और दण्ड का विधान निश्चित कर उसे प्रकृति से दूर रखा जाता है, तभी उसके स्वाभाविक पवित्र अन्तःकरण में विकार के भाव उत्पन्न होने लगते हैं। परिणामतः उसकी सरलता और स्वाभाविकता नष्ट होने लगती है।**" अतः प्रकृतिवादी विचारधारा के प्रबल समर्थकों ने बाह्याडम्बर और सामाजिक बन्धन को व्यक्तित्व निर्माण का अवरोधक मानकर प्रकृति प्रांगण में प्राप्त स्वतः अनुभवों के आधार पर शिक्षित होने का निर्देश दिया है। **वर्डसवर्थ** का कथन भी है—"**बच्चा यश और गौरव के बादलों**

---

१. यावज्जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत्।
भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः॥

चार्वाक-दर्शन

प्रेक्षक के रूप में शिक्षक के अस्तित्व को स्वीकारा है, न कि नियन्त्रणकर्ता के रूप में, जिसे प्राकृतिक अनुशासन के नाम से भी सम्बोधित किया गया है।

प्रसिद्ध दार्शनिक **हक्सले** ने प्राकृतिक अनुशासन को महत्त्व प्रदान करते हुए कहा है—**"यदि तुम्हारा लक्ष्य स्वतन्त्रता और प्रजातान्त्रिक विचार-धारा पर आधारित है तो तुम्हें मनुष्यों को स्वतन्त्रता का महत्त्व और स्वानु-शासन की शिक्षा देनी चाहिए।"** स्वानुशासन का प्रशिक्षण मानव अन्तःकरण में स्वतन्त्र विचारधारा का जनक है, जो प्रजातन्त्रात्मक शासन व्यवस्था का अनुप्राणक है।

मुक्त्यात्मक अनुशासन के पक्ष में तर्क—

(i) मुक्त्यात्मक अनुशासन की यह प्रक्रिया पूर्णतः मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त पर आधारित है।

(ii) बन्धन मुक्त अनुशासन की इस प्रक्रिया द्वारा आत्मानुशासन की भावना स्वतः जाग्रत होती है।

(iii) इस प्रक्रिया के अन्तर्गत दमन और प्रभाव दोनों ही महत्त्वहीन हैं जिसके कारण बालक न तो भयभीत होता है, और न ही आदेश के अनुपालन के लिये बाध्य।

(iv) जब समस्त प्राणियों का नियामक परब्रह्म स्वरूप परमेश्वर है, तो बाह्य-बन्धन और नियन्त्रण की क्या आवश्यकता है।

(v) स्वतः आत्मानुशासन की इस प्रक्रिया द्वारा बालक के प्रचेतन मन में भाव ग्रन्थियाँ जन्म नहीं ले पातीं, परिणामतः वह मानसिक रोगों से मुक्त होता हुआ आत्मोत्थान में सक्रिय रहता है।

(vi) यह प्रक्रिया स्वतः अनुभव जन्य ज्ञान पर आधारित होने के कारण बालक के नैसर्गिक गुणों के विकास में अधिक सहयोगी है।

(vii) यह प्रणाली प्रजातन्त्रात्मक सिद्धान्तों की आधारशिला होने के कारण अधिगम की प्रक्रिया में अहम् भूमिका निभा सकती है।

मुक्त्यात्मक अनुशासन के विपक्ष में तर्क—

(i) आत्मानुशासन की यह प्रक्रिया पूर्णतः बन्धन मुक्त वातावरण पर आधारित होने के कारण मनोवैज्ञानिक तो है, किन्तु अनियन्त्रित वातावरण में बालक के पथ-भ्रष्ट होने की सम्भावना अधिक होती है।

(ii) इ० क्रिम के मतानुसार अत्याधिक स्वतन्त्रता बालक में उच्छृंखलता को विकसित करती है।

(iii) प्राय: प्राकृतिक परिणाम अपराध की अपेक्षा अधिक कटु एवं कठोर होते हैं।

(iv) प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री हक्सले महोदय ने "एसेज ऑन एजुकेशन" में प्राकृतिक अनुशासन की कठोरता के भयानक परिणामों के सम्बन्ध में कहा है—"समस्त अनिवार्य नियमों में व्यावहारिक दृष्टि से प्रकृति के नियम अत्यन्त कठोर तथा हानिकारक होते हैं। प्राकृतिक ढंग की व्यवस्था में नियम का अज्ञानी तथा नियम का जानबूझ कर उल्लंघन करने वाला एक सा दण्ड पाता है। अपराधी तथा निरपराधी, दोनों को अपराधी जैसा ही दण्ड मिलता है। प्रकृति दण्ड देने से पूर्व सावधान नहीं करती, किन्तु वह बिना संकेत के ही आघात करती है।"

(v) प्रकृति अन्धी होती है, उसके दरबार में न्याय की आकांक्षा मात्र भ्रम है। कहावत भी है—"खेत खाय गधा, मारा जाय जुलाहा, ।

(vi) प्राय: बालक स्वतन्त्रता का अर्थ अपने अधिकारों से लगाता है। उससे वह अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है।

(vii) जन्म के साथ बालक पाशविक प्रवृत्तियों को लेकर इस धरातल पर अवतरित होता है, जिनका परिशोधन स्वतन्त्र वातावरण में नहीं हो सकता है। परिणामत: स्वेच्छाचरिता उसे समाज विरोधी गतिविधियों की ओर प्रवृत्त करने में सहायक सिद्ध होती है।

(viii) जन्म के समय बालक आत्म-नियन्त्रण और आत्मानुशासन के भावों को साथ लेकर इस धरातल पर कदम नहीं रखता, अपितु इसके लिए उसे किसी प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जिसके अभाव में न तो उसके व्यक्तित्व का विकास हो पाता है और न ही समाजोत्थान के कार्यों में वह अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा पाता है।

उपर्युक्त अनुशासन से सम्बन्धित विभिन्न विचार धाराओं की परिचर्चा से ज्ञात होता है कि मानव-व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास में अनुशासनात्मक शैक्षाणिक पाठ्यक्रम की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। फिर भी विभिन्न दार्शनिकों द्वारा निर्दिष्ट आत्मानुशासन की प्रक्रिया में जहाँ विशेषताओं का, आधिपत्य है वहाँ एकांगी दृष्टिकोण होने के कारण मानव-व्यक्तित्व के सर्वाङ्गीण

विकास के उद्देश्य को पूर्ण करने में अनुपयुक्त है। फिर भी, चाहे वह प्रक्रिया-नियन्त्रण द्वारा छात्र की दुष्प्रवृत्तियों पर बलात् अंकुश लगाने से सम्बन्धित विचारधारा पर आधारित हो या उज्जवल व्यक्तित्व के प्रभाव द्वारा शिक्षार्थी को अनुकरणीय बनाने से सम्बन्धित हो अथवा मुक्त-वातावरण में स्वत: आत्मानुशासन की भावना से अध्ययनार्थी को प्रशिक्षित करने से सम्बन्धित हो, तब भी समस्त प्रक्रियाओं का मूल उद्देश्य इन्द्रिय-निग्रह के प्रशिक्षण द्वारा शिक्षार्थी को विभिन्न विषयों में निपुणता प्रदान करते हुए आत्मसात् की प्रवृत्ति द्वारा जीवन के अन्तिम लक्ष्य तक पहुँचाना है। अत: शिक्षा के इस परम् उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विभिन्न दार्शनिकों ने एक मत हो समन्वय-नीति का निर्धारण किया है, जिसके अन्तर्गत छात्र को उसकी आवश्यकतानुसार मुक्ति-प्रभाव और दमन की प्रक्रिया के माध्यम से आत्मानुशासन की ओर प्रवत्त कर उचित मार्ग प्रस्तुत करना है, जिसके फलस्वरूप वह अपने व्यक्तित्व को आवश्यकतानुसार विकसित करने के उद्देश्य से सर्वोत्तम मार्ग को अपनाते हुए शैक्षणिक उद्देश्य के चरमोत्कृष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। अन्ततोगत्वा कह सकते हैं कि अनुशासन सभी के लिये परमावश्यक है, बिना अनुशासन के मानव मानव न रहकर राक्षस बन जाता है जैसा कि रामायण का पात्र रावण बहुर्मुखी प्रतिभा से सम्पन्न होने पर भी धर्म-विरुद्ध आचरण के कारण विनाश को प्राप्त हुआ। अत: समाजानुकूल आचरण के लिये धर्म प्रतिपादित आचार संहिता के अनुरूप व्यवस्था प्रदान करना अनुशासन की प्रक्रिया है, जिसका विश्व में कहीं भी उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। अत: अनुशासन की समन्वित प्रक्रिया ही विश्व को एक सूत्र में पिरोने के लिये सर्वोत्कृष्ट प्रक्रिया है, जिसके द्वारा विश्व बन्धुत्व की भावना को बल प्राप्त होता है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्याप्त अनुशासनहीनता—वैज्ञानिक युग की चकाचौंध ने मानव-मस्तिष्क को इतना अधिक भ्रमित कर डाला है कि वह अपनी मूल संस्कृति के विनाश की दिशा में निरन्तर आगे बढ़ते हुये यह भूल बैठा है कि इसकी स्वयं की संस्कृति ही उसकी अपनी अन्तरात्मा है, जिसके विनिष्ट हो जाने से उसका अपना अस्तित्व ही समाप्त हो जायेगा। जिससे उत्पन्न असंतोष और उच्छृंखलता उसे सामाजिक और राष्ट्रीय धरातल पर विद्रोही के रूप में स्थिर कर देगी, जो निश्चित रूप से उसके लिये प्राणान्त की अवस्था सिद्ध होगी। इस दुष्कर परिणाम के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुये हुमायूँ कबीर ने कहा है—**यदि इस समय अनुशासन-**

हीनता को रोकने के लिए हम उचित कदम उठाने में असफल रहे तो यह समस्या इतनी भयंकर हो जाएगी कि हमारे राष्ट्र-जीवन की नींव हिला देगी।" विनाश के इस क्रम को रोकने के लिए हमारे ऋषि-महर्षियों ने विभिन्न यौगिक प्रक्रियाओं द्वारा चित्त की एकाग्रता के स्वरूप का वर्णन कर अपने आप में अवस्थित होने का निर्देश दिया है, जिसे चित्त की शान्त अवस्था के रूप में वर्णित किया गया है। यही स्वतः आत्मानुशासन की प्रक्रिया मानव को पथ-विमुख होने से बचाती है।

किन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भौतिक साधनों के अत्याधिक उपभोग से मानव मानव न रह कर राक्षस बन गया है। उसका स्वयं का चिन्तन इतना संकीर्ण हो गया है कि वह आत्महित के लिये दूसरों को बड़े से बड़ा कष्ट देने में भी नहीं हिचकिचाता। यही निज स्वार्थ की भावना उसे बागी बना देती है, उसके विकासोन्मुख व्यक्तित्व को नष्ट कर देती है तथा सहयोग पर आधारित वेद निर्दिष्ट विश्व-बन्धुत्व की भावना को ही जड़ से उखाड़ फेंकने का मार्ग प्रशस्त करती है। यदि हम इन समस्त विषम परिस्थितियों से बचना चाहते हैं तथा विनाश की ओर बढ़ते हुए छात्र के कदमों को रोकना चाहते हैं, तो उसे पारिवारिक और विद्यालय परिप्रेक्ष्य में पर्याप्त मात्रा में संरक्षण देना होगा, सन्मार्ग प्रशस्तीकरण के लिये उपयुक्त वातावरण प्रस्तुत करना होगा, उसकी आकांक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करना होगा तथा वात्सल्य, अनुराग और अस्तित्व के भावों को लेकर कदम से कदम मिलाना होगा। तभी हम मानव अन्तःकरण में व्याप्त पाशविक प्रवृत्तियों पर अधिकार पा सकते हैं, शिक्षा द्वारा उनका परिशोधन और परिवर्धन कर उसे सु-सभ्य नागरिक के रूप में प्रतिष्ठित कर सकते हैं।

शिक्षा जगत् में सर्वत्र व्याप्त छात्र-असंतोष वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अनुशासन हीनता का मूल कारण है। दिग्भ्रमित छात्र उफनती हुई नदी के सदृश हैं, जिन्हें रोकना असंभव है। किन्तु छात्रों में व्याप्त असंतोष के विश्लेषण से पता चलता है कि उसमें तर्क की मात्रा कम है, विद्रोह की अधिक। हुमायूँ कबीर ने कहा है कि आधुनिक छात्र विद्रोही नहीं है वरन् आस्थाहीन और दिग्भ्रमित हैं। विद्रोह किसी उद्देश्य से किया जाता है और लक्ष्य की प्राप्ति के बाद वह शान्त हो जाता है परन्तु आस्थाहीनता और लक्ष्यहीनता अनियन्त्रित होती है। उन्हें रोकना बहुत कठिन है। वास्तव में अनुशासन-हीनता एक खतरनाक मनोवृत्ति है, यह बालक को खतरनाक खेल खेलने को

उकसाती है, जिससे उसे स्वयं को तो हानि उठानी ही पड़ती है, साथ ही साथ उससे प्राप्त दुष्परिणामों से सम्पूर्ण मानव जाति को ही कष्ट भोगने पड़ते हैं। अतः इसके कारण का विश्लेषण और सम्यक् निदान परमावश्यक है। १६ दिसम्बर १९६५ में "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित गृह-मंत्रालय की विज्ञप्ति के मतानुसार-छात्रों में अनुशासन हीनता बढ़ रही है, जो शान्ति के लिए गम्भीर खतरा हैं। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर विभिन्न शिक्षा-शास्त्रियों और दार्शनिकों ने अनुशासनहीनता के कारणों का विश्लेषण कर उनके निदान के लिये उपयुक्त मार्ग प्रस्तुत किये हैं, यथा—

हुमायूं कबीर के मतानुसार अनुशासनहीनता के कारण—

(i) आदर्श शिक्षकों के नेतृत्व का अभाव।
(ii) निर्धनता और शैक्षणिक संस्थाओं को प्राप्त अनुदानों में भारी कटौती।
(iii) दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति।
(iv) मानवीय गुणों की पृष्ठभूमि में उच्च सामाजिक आदर्शों का अभाव।

गृह-मन्त्रालय विज्ञप्ति के मतानुसार—

(i) विद्यालय, विश्वविद्यालय स्तर पर शैक्षणिक वातावरण का अभाव।
(ii) पाठ्यक्रम में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परम्पराओं का अभाव।
(iii) शिक्षार्थियों में व्याप्त-असंतोष।
(iv) शैक्षणिक संगठनों में राजनैतिक हस्तक्षेप।

शांकर पीठ के जगत् गुरू शङ्कराचार्य के अनुसार—

(i) मानवीय धरातल पर नैतिक मूल्यों का पतन।
(ii) वैदिक वाङ्मय की उपेक्षा द्वारा सांस्कृतिक संरक्षण का अभाव।
(iii) शैक्षणिक पाठ्यक्रम में विज्ञान और तकनीकी शिक्षा पर तो पर्याप्त ध्यान दिया गया है किन्तु नैतिक शिक्षा को कोई महत्त्व नहीं दिया गया।
(iv) राष्ट्रीय समस्याओं के अनुरूप शिक्षा-प्रणाली में आमूल परिवर्तन।
(v) पारिवारिक परिप्रेक्ष्य में बिखराव।

(vi) शैक्षणिक क्षेत्र में विभिन्न राजनैतिक दलों का हस्तक्षेप।

(vii) आवश्यकता से अधिक शैक्षणिक संगठनों पर राजकीय नियन्त्रण।

(viii) विद्यालय परिप्रेक्ष्य में शिक्षक-अभिभावक संघों का अभाव।

(ix) संस्कृति पोषक संस्कृत वाङ्मय का शैक्षणिक पाठ्यक्रम में अभाव।

अनुशासनहीनता के अन्य अनेक कारण—

(i) शैक्षणिक पाठ्यक्रम में सामाजिक और नैतिक मूल्यों का अभाव।

(ii) पाश्चात्य संस्कृति का अन्धानुकरण।

(iii) शिक्षा का व्यवसायीकरण।

(iv) शिक्षण कार्य में अध्यापकों की अरुचि।

(v) पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय भावना का अभाव।

(vi) चल-चित्रादि माध्यमों से अनैतिक विचार धारा का दुष्प्रचार।

(vii) आधुनिकीकरण के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दूरदर्शन द्वारा असामाजिक तत्त्वों पर आधारित लघु-वृत्त कथाओं का प्रसारण।

(viii) छात्रों का अन्धकारमय भविष्य।

(ix) पाठ्यक्रम में बुनियादी शिक्षा का अभाव।

(x) विद्यालय पाठ्यक्रम में कार्यानुशासन का अभाव।

(xi) सहगामी क्रियाओं की उपेक्षा।

(xii) गुरू-शिष्य सम्बन्धों के मध्य उभरती दीवार।

(xiii) राजनैतिक आधारों पर अयोग्य अध्यापकों की नियुक्ति।

(xiv) संस्कृति और शिष्टाचार के बन्धनों की अवहेलना।

(xv) छात्रों की नैतिक माँगों की अवहेलना।

(xvi) शैक्षणिक पाठ्यक्रम में रूचि के सिद्धान्त की अवहेलना।

(xvii) शैक्षणिक-कार्यक्रम के निर्माण में छात्रों की उपेक्षा।

(xviii) परीक्षा-पद्धति का दोषपूर्ण होना।

(xix) दूषित पारिवारिक एवं सामाजिक वातावरण।

(xx) शिक्षकों का शिक्षार्थी के प्रति पक्षपूर्ण व्यवहार।

(xxiv) शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप वातावरण देना चाहिए। जिससे उनके जीवन में असंतोष के भाव जन्म ही न ले पायें।

इस प्रकार अनुशासनहीनता से सम्बन्धित उपायों द्वारा शिक्षार्थी के अन्तःकरण में व्याप्त असंतोष को दूर किया जा सकता है तथा उसमें पनपते अनुशासनहीनता से सम्बन्धित कारणों का निदान किया जा सकता है। जिससे उसके अंतःकरण में स्वतः अनुशासन के विचार पनपने लगते हैं। इसके साथ ही साथ अधिगम की प्रक्रिया में पूर्व शिक्षणाभ्यास की प्रक्रिया में मंच विधान की रूपरेखा द्वारा भी विभिन्न कौशलों में निपुणता प्राप्ति के लिए आत्मानुशासन का प्रशिक्षण अनिवार्य है। अधिगम की प्रक्रिया में बिना आत्मानुशासन के सफलता प्राप्त ही नहीं हो सकती है। जो भी हो, अनुशासन किन्हीं प्रणालियों पर इतना अधिक निर्भर नहीं करता जितना कि शिक्षकों की इस इच्छा पर कि वे छात्र को व्यक्ति के रूप में आदर दें और उन्हें समझने के लिये समय दें तथा कष्ट उठाएँ, हैनरी क्ले लिन्ग्रेन का यह कथन-अनुशासन हीनताके निदान की कुञ्जी है। क्योंकि छात्र के नैसर्गिक गुणों की अवहेलना किये बिना ही उसके व्यक्तित्व का चहुँमुखी विकास किया जा सकता है, जो आत्मानुशासन की प्रक्रिया पर आधारित है।

—o—

११

संस्कृत में शिक्षा-शास्त्र

वेद के छः अङ्गों में शिक्षा प्रधान अङ्ग है, क्योंकि "**शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं ज्योतिः छन्दो विचितिः**" इस परिगणन में शिक्षा को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है। 'शिक्षा' इस नाम से सूचित होता है कि प्राचीन काल में बालकों को सर्वप्रथम इसी शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। आजकल वर्णों के ठीक-ठीक उच्चारण का ज्ञान कराने वाले इस शास्त्र के अध्ययन-अध्यापन की अवहेलना की जाती है। बाल्यकाल में उच्चारण की शुद्धता की ओर ध्यान न देने से जो उच्चारण दोष आ जाता है, उसे उच्च विद्वत्ता प्राप्त विद्वान् दूर करने की प्रबल इच्छा के साथ प्रयास करके भी नहीं हटा पाते हैं। इसके उदाहरणों को खोजने की आवश्यकता नहीं है, प्रतिक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। ऐसे अनेक महावैयाकरणों को जिन्हें वर्ण के स्थान प्रयत्न का शास्त्रीय ज्ञान है, परन्तु तदनुकूल उच्चारण का प्रशिक्षण बाल्यकाल में न मिलने से तथा भ्रष्ट उच्चारण वाले प्रान्तीय भाषा के उच्चारण से दूषित उच्चारण करने वाले अध्यापक से पढ़ने से तथा स्वयं श्रेष्ठ उच्चारण करने वाले व्यक्ति या गुरु से उच्चारण की ओर ध्यान न देने से या अहंभाव से जब संस्कृत बोलते समय '**काव्यम्**' को '**कव्बम्**', '**आचार्यः**' को '**आचार्जः**', '**सकलम्**' को '**शकलम्**' और '**एषा भाषा भाष्यकारेण न भाषिता**' को '**एखा भाखा भाख्यकारेन न भाखिता**", '**कक्षा उत्तिष्ठतु**' को '**कच्छा उत्तिस्ठतु**' कहते हुए सुनते हैं, जब वे '**ब्राह्मणः**' को '**ब्राह्मणः**' बोलते हैं, तो उनकी सारी धाक खाक में मिल जाती है। उनकी विद्वत्ता कराहने लगती है।

आश्चर्य यह है कि जब वे इंग्लिश बोलते हैं तो उनका उच्चारण शुद्ध रहता है। मैंने ऐसे विद्वानों को संस्कृत और इंग्लिश दोनों भाषाओं में भाषण देते हुए सुना है। संस्कृत का उच्चारण भ्रष्ट और इंग्लिश का उच्चारण अंग्रेजों के उच्चारण के समान परिशुद्ध सुनकर मैंने यही कारण पाया कि संस्कृत के उच्चारण को विधिवत् न करने पर उनके गुरुओं ने ध्यान नहीं दिया होगा। इंग्लिश टीचर ने अपने उत्तरदायित्व का पालन किया होगा। यदि कोई स्वराज्यं' को 'श्वराज्यम्' कहता है तो सचमुच स्वतन्त्र राज्य को कुत्ते का राज्य बताता है। कोई गायत्री मन्त्र में 'स्वः' को यदि 'श्वः' बोलता है, तो आने वाले कल के लिए प्रयुक्त 'श्वः' उसे क्या सिद्धि देगा। इस तरह जप करने वाला गायत्री मन्त्र तो प्रसिद्धि-दायक है, परन्तु उच्चारण को सुधार कर जप नहीं करते। संस्कृत वाणी जिसे सभी भूषणों में उत्तम कहा गया है, वह शुद्ध उच्चारण वाली ही हो सकती है, जैसे तैसे उच्चारित संस्कृत भाषा नहीं।

सभी भाषाओं की अपनी-अपनी विशेषता है। अपनी-अपनी अलग-अलग राह है। हिन्दी में विधि, उपाधि आदि शब्द स्त्रीलिङ्ग हैं, इसलिए उसने उपाधि प्राप्त की, अनुसंधान की यह विधि डा० नगेन्द्र ने बतायी है, ये वाक्य हिन्दी में शुद्ध हैं परन्तु हिन्दी से प्रभावित और संस्कृत-व्याकरण का ज्ञाता होकर भी यदि कोई प्रायोगिक निपुणता से दूर व्यक्ति 'तेन उपाधिः प्राप्ता। इयं विधिः पं० नगेन्द्रेण आख्याता' का प्रयोग संस्कृत बोलते समय करे तो ऐसे प्रशिक्षित व्यक्ति को प्रशिक्षण से क्या लाभ मिला।

प्रशिक्षण सैद्धान्तिक कम और प्रायोगिक अधिक होना चाहिए। सिद्धान्त जानने वाला भी प्रायोगिक अभ्यास के बिना गलत बोलता है। प्रयोगज्ञ व्याकरण न जानकर भी शुद्ध बोलता है। इसी को देखकर पतञ्जलि कहते हैं—**व्याकरण में निष्णात भी गलती करते है, प्रयोग में और अवैयाकरण भी शुद्ध बोलते हैं, फिर तो व्याकरण का अध्ययन निरर्थक है।**[1]

इस तरह सम्यक् ज्ञान की सार्थकता सम्यक् प्रयोग पर निर्भर है। यह प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिये। इसके लिए शिक्षा-शास्त्र जो भारतीय ऋषियों ने लिखा है, उसके सम्यक् ज्ञान के साथ सम्यक् प्रयोग सिखाना ही मेरे मत से प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है।

---

१. "दृश्यते कृतप्रयत्नाश्चा प्रवीणा, अकृतप्रयत्नाश्च प्रवीणा अनर्थकं व्याकरणमिति।" (पस्पशा आ०)

भारत में शिक्षा-शास्त्र प्रचुर मात्रा में लिखे गये हैं। राजशेखर ने काव्य-मीमांसा में लिखा है—**वर्णानां स्थानकरणप्रयत्नादिभिर्निष्पत्ति निर्णयिनी शिक्षा आपिशलीयादिका**। इस में आपिशलीयादि में प्रयुक्त आदि पद आपिशलीय शिक्षा की प्राचीनता व्यक्त करता है। परन्तु आपिशलि से पहले काशकृत्स्न ने शिक्षा ग्रन्थ लिखा था, जिसका उद्धरण इति काशकृत्स्न शिक्षा के साथ प्राप्त होता है। ईसा० पूर्व पञ्चम शताब्दी से पूर्व आपिशलि और उन से पूर्व काशकृत्स्न हुए थे। यह बात "**पाणिनिना कथमवगतम् एते साधव इति आपिशलेन पूर्वं वैयाकरणम्**" इस पतञ्जलि के कथन से तथा "**पाणिनीयं व्याकरणम् आपिशलं व्याकरणम् काशकृत्स्नं व्याकरणम्**" इस कथन में उत्तरोत्तर ही प्राचीनता से सिद्ध होती है। शायद राजशेखर को आपिशलीय शिक्षा से पूर्व लिखित ग्रन्थ देखने को नहीं मिला था। इसीलिए उसने उसी को आदि माना।

चन्द्रगोमी का शिक्षा-सूत्र उपलब्ध है। प्रायः काश्यप, गालव, सैनिक, भारद्वाज आदि सभी शाब्दिकों ने शिक्षा ग्रन्थ लिखे थे, क्योंकि व्याकरण में आदेश तथा विकार आदि का नियामक सवर्ण संज्ञा है, उस स्वर्ण संज्ञा का आधार स्थान प्रयत्न ज्ञान है, वह शिक्षा का विषय है।

शिक्षा-शास्त्र वर्ण के उच्चारण की प्रक्रिया बताता है, उच्चारण की विधि बताता है और उसके प्रयोग पर बल देता है। पाणिनीय-सूत्र के आधार पर लिखित तथा सर्वत्र उपलब्ध श्लोकात्मक शिक्षा कहती है—**बोलने की इच्छा होने पर आत्मा बुद्धि से, अर्थ सम्पृक्त होकर मन से जुड़ता है, मन शरीर की अग्नि पर आघात करता है, अग्नि तीव्र होने पर मारुत कुण्डलिनी चक्र से ऊपर उठता है, गर्मी तीव्र होने पर हवा का ऊपर उठना स्वभाव है, वह हवा मुख में आती है और मुख की छत से टकराती है, फिर जिह्वा उसे स्थान विशेष से स्पृष्ट ईषत् स्पृष्ट आदि प्रयत्नों के द्वारा मिलती है, वह उन स्थानों से टकराकर वर्ण का प्रादुर्भावक बनती है, फिर विवार, संवार आदि बाह्य प्रयत्न उस वर्ण को स्पष्ट और शुद्ध रूप में परिणत करते हैं।**[1] इस तरह शुद्ध बोलने की इच्छा रखने वालों को आत्मा, बुद्धि, मन, कायाग्नि, प्राणवायु और उसको उचित प्रयत्न के साथ स्थान से

---

१. आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान् मनोयुङ्क्ते विवक्षया
मनः कायाग्निमाहत्य स प्रेरयति मारुतम्।
स उदीर्णो मूर्ध्न्यभिहतो वक्त्रमापद्य मारुतः
वर्णान् जनयते ॥

समाहित हो कर जोड़ने तथा नाद, महाप्राण, अल्पप्राण आदि स्पष्टता दायक बाह्य प्रयत्नों से सम्पृक्त करना चाहिए। ऐसा न करने पर वर्ण पीड़ित होता है, वह सु-प्रयुक्त नहीं होता है और वह इच्छित अर्थ को व्यक्त नहीं कर पाता है। जैसे व्याघ्री अपने बच्चों को मुँह से उठा कर यहाँ से वहाँ ले जाती है, उसके दाँत बड़े और नुकीले होते हैं, परन्तु इतनी सावधानी बरतती है कि वे उसे नहीं चुभते। इसी तरह वर्ण को सावधानी से बोलना चाहिए, जिससे वह पीड़ित न हो। इस प्रकार की सावधानी की शिक्षा प्रशिक्षण का कर्तव्य हैं। प्रयोग द्वारा इस सावधानी का ज्ञान कराया जा सकता है। सावधानी की प्रविधि भारतीय शिक्षा ग्रन्थों में वर्णित है। उन ग्रन्थों को प्रशिक्षण में स्थान देना चाहिए। परन्तु उसकी अवहेलना ही पाठ्यक्रम में दिखाई पड़ती है। हम संसार के शिक्षाविदों के सिद्धान्त वहाँ पढ़ते हैं, परन्तु प्रायोगिक विधि के ज्ञापक अपने आर्ष ग्रन्थों से अस्पृष्ट रहते हैं। मानों घर की कामधेनु को न दुह कर बकरी को दुहने के लिए लालायित रहते हैं। सूरदास ने जो कहा है—"**सूरदास प्रभु कामधेनु तजि छेरी कौन दुहावै**" इस प्रश्न चिह्न का भाजन बनते हैं। '**अक्के चेन्मधु विन्देत किमर्थं पर्वतं व्रजेत्**' इस न्याय की अवहेलना स्पृहणीय नहीं हो सकती। ज्ञान कहीं से प्राप्त हो, लेना चाहिए, परन्तु जितना अपने पास है उससे अधिक और मूल्यवान् का ही संग्रह उचित है। अपनी निधि को भुला कर अन्य का अन्धानुगामी हो कर यह भिक्षाटन या शिक्षाटन उचित नहीं है। इसलिए '**सारभूतं यत् तदुपासनीयम्**'' इस कथन के अनुसार अन्यत्र से सारभूत तत्त्व ही लेना चाहिए और यह भी देखना आवश्यक है उस गृहीत विषय के साथ अपनी परम्परा के सामञ्जस्य को भी देखना चाहिए। गृहीत और ग्राह्य में तालमेल बिठाकर उनको अपनाना ही शिक्षादर्शन की उपादेयता को बढ़ाना है। आधुनिक युग के लिए यह सामञ्जस्य अत्यावश्यक है। इत्यलम्।

—o—

अनुशीलित ग्रन्थानुक्रमणिका

संस्कृत ग्रन्थ

ग्रन्थ	लेखक/सम्पादक,	प्रकाशक
१. अग्निपुराणम्,	आचार्य बलदेव उपाध्याय,	चौखम्बा प्रकाशन वाराणसी, १९६०
२. अथर्ववेद,	भाष्यकार डा० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर,	स्वाध्याय मण्डल, सूरत, १९८५
३. अथर्ववेद संहिता,	श्रीकण्ठ शास्त्री,	माधव पुस्तकालय, दिल्ली, सम्वत् २०३१
४. अथर्ववेद संहिता,	विश्वनाथ शास्त्री,	चौखम्बा ओरियन्टलिया दिल्ली, १९७७
५. अष्टादश पुराण परिचय,	श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी,	भारतीय साहित्य विद्यालय, वाराणसी, सं० २०१३
६. अष्टादश उपनिषद्,	लिमये वि०प्र०, वाडेकर,	वैदिक संशोधन मण्डल, पूना, १९५८
७. अष्टादश स्मृति,	पं० मिहिरचन्द,	नाग प्रकाशक, १९९०
८. आपस्तम्बीयं श्रौतसूत्रम्,	धूर्तस्वामिः (भाष्य),	ओरियण्टल रिसर्च इन्सटीट्यूट, मैसूर, १९४५, १९६३
९. आपस्तम्ब धर्मसूत्र,	हरदत्त मिश्र,	चौखम्बा संस्कृत सीरीज वाराणसी, १९६९
१०. ईशावस्योपनिषत्,	शांकर भाष्य,	मोतीलाल जालान, गीताप्रेस गोरखपुर

११. ईशादि नौ उपनिषद्, व्याख्याकार हरिकृष्णदास गोयन्दका, गीताप्रेस गोरखपुर, सं० २०४७

१२. ऋग्वेद (१-८ भाग) विश्वबन्धु, वैदिक शोधसंस्थान, १९६५

१३. ऋग्वेद संहिता, (१-४), मैक्समूलर भट्ट, चौखम्बा संस्कृत सीरिज वाराणसी, १९६६,

१४. ऋग्वेद सूक्त विकास, दिवेकर ह० रा०, मोतीलाल बनारसीदास, १९७०

१५. एकादशोपनिषद्, सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार, विजयकृष्ण लखनपाल एण्ड कम्पनी, देहरादून

१६. ऐतरेय ब्राह्मण चौखम्भा संस्कृत संस्थान वाराणसी, १९८७

१७. कालिदास ग्रन्थावली, रेवाप्रसाद द्विवेदी, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

१८. कात्यायन श्रौतसूत्रम्, (टीकाकार), गोपाल शास्त्री, कर्काचार्य, चौखम्बा संस्कृत सीरिज, वाराणसी, सं० १९९६

१९. कात्यायन शुल्वसूत्र, टीकाकार विद्याधर, अच्युत ग्रन्थमाला कार्यालय, काशी, सं० १९८५

२०. कुमारसम्भव, (कालिदास प्रणीत), व्याख्याकार श्री पं० प्रद्युम्न पाण्डेय, चौखम्बा संस्कृत सीरिज वाराणसी, १९६३

२१. कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय संहिता, दामोदर श्रीपादसातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल सूरत, १९५८

२२. कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीयाख्यकम् सायणाचार्य, आनन्दाश्रम मुद्रणालय, १९६७

२३. गोपथ ब्राह्मण भाष्यम्, मेधादेवी, प्रज्ञादेवी, इन्द्रदयाल सेठ अथर्ववेद भाष्य कार्यालय, इलाहाबाद, १९७७

२४. छान्दोग्योपनिषद्,	आचार्य वामन,	महाराज शिवाजी यूनिवर्सिटी, बड़ोदा, १९६१
२५. धर्मशास्त्र का इतिहास,	डा० पाण्डुरङ्ग वामनकाणे,	उत्तरप्रदेश हिन्दी संस्थान, १९८४
२६. नैषध महाकाव्य, (श्रीहर्ष प्रणीत),	मल्लिनाथ कृत जीवातु सहित,	चौखम्बा संस्कृत सीरिज, बनारस, १९५४
२७. पंचतन्त्र,	श्रीविष्णु शर्मा,	चौखम्बा संस्कृत सीरिज, वाराणसी, १९६८
२८. पद्मपुराण,	हरिनारायण आप्टे,	पूना, १८९३
२९. पारस्कर गृह्यसूत्रम्,	हरदत्त शास्त्री,	भारतीय विद्या प्रकाशन, वाराणसी, १९७२
३०. पाश्चात्य शिक्षा शास्त्री,	राजेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव,	साकेत साहित्य मन्दिर फैजाबाद, १९६५
३१. पुराण विमर्श,	बलदेव उपाध्याय,	चौखम्बा विद्याभवन, १९६५
३२. पुराणतत्त्वमीमांसा,		वाराणसी, १९६१
३३. पुराणानुशीलन,	म०म० गिरिधरशर्मा चतुर्वेदी,	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना, १९७०
३४. प्राचीन भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक भूमिका	डा० रामजी उपाध्याय,	इलाहाबाद, १९६६
३५. प्राचीन भारत का इतिहास	डा० भगवतशरण उपाध्याय,	पटना १९४९
३६. बौधायन धर्मसूत्र,	सं० चिन्ना स्वामी शास्त्री,	काशी संस्कृत सीरिज,
३७. बौधायन शुल्ब सूत्रम्,	थी०बी०जी०,	प्राचीन वैज्ञानिक अनुसन्धान, नई दिल्ली, १९६८
३८. ब्रह्मसूत्र शाङ्कर भाष्य,	श्री सत्यानन्द सरस्वती,	गोविन्दमठ टेढ़ी नीम, वाराणसी, सं० २०२८

३९. ब्रह्मवैवर्त पुराण, (पूर्वार्ध, उत्तरार्ध), तारिणीश झा, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, १९८४,

४०. ब्रह्म पुराण, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, १९८६

४१. भविष्य पुराण वेंक्टेश्वर प्रेस, बम्बई, सं० १८९७

४२. भर्तृहरिशतकत्रयम् चौखम्बा संस्कृत सीरिज, १९८५

४३. भारतीय धर्मशास्त्र और उनका इतिहास वाचस्पति गैरोला, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, १९८८

४४. भारतीय संस्कृति का विकास डा० मंगलदेव शास्त्री, ज्ञानपीठ, वाराणसी, १९६४

४५. भारतीय साहित्य की रूपरेखा भोलाशंकर व्यास, चौखम्बा संस्कृत सीरिज वाराणसी

४६. भारतीय शिक्षा-दर्शन, सरयूप्रसाद चौबे दि मैकमिलन कं० आफ इण्डिया, दिल्ली, १९७५

४७. भारतीय शिक्षा का इतिहास, रावत प्यारेलाल, रामप्रसाद एण्ड सन्स, आगरा, १९७२

४८. भारतीय साहित्य का अनुशीलन, आचार्य बलदेव उपाध्याय, शारदा संस्थान, वाराणसी, १९८५

४९. मनुस्मृति चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान १९८५

५०. महाभारत (श्रीकृष्ण द्वैपायन प्रणीत,) गीताप्रैस, गोरखपुर, वि० सं० २०१३

५१. मुण्डकोपनिषद् गीताप्रैस, गोरखपुर

५२. याज्ञवल्क्य स्मृति नारायणराम आचार्य नाग प्रकाशक, १९८५

५३. रामायणकालीन संस्कृति, शान्तिकुमार, नानूराम व्यास, सत्साहित्य प्रकाशन, दिल्ली

५४. वाजसनेयि संहिता,	महीधर,	चौखम्बा संस्कृत सीरिज, वाराणसी १ १९७२
५५. विष्णुपुराण,	श्रीराम शर्मा,	संस्कृति संस्थान, ख्वाजा कुतुब, बरेली, १९६९
५६. विष्णुधर्मोत्तरपुराण,	श्री वेङ्कटेश्वर	स्टीम प्रेस, बम्बई, सं० १९६४
५७. विद्यालय व्यवस्था,	दिनेशचन्द्र भारद्वाज	आगरा पुस्तक भण्डार
५८. वेद दिग्दर्शन,	माधवाचार्य, विश्वबन्धु,	माधव पुस्तकालय, दिल्ली, सं० २०३०
५९. वेदसार,		विश्वेश्वरानन्द संस्थान प्रकाशन, १९५१
६०. वेदस्वरूप विमर्श,	श्रीकरपात्र, स्वामी,	भक्ति सुधा साहित्य परिषद्, कलकत्ता, सं० २०२७
६१. वैदिक साहित्य की रूपरेखा,	हंसराज अग्रवाल,	चौखम्बा विद्या भवन, १९६५
६२. वैदिक विज्ञानम्,	म०म० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी,	अखिल भारतीय संस्कृत विद्यालय, दिल्ली, १९६५
६३. वैदिक साहित्य और संस्कृति	वाचस्पति गैरोला,	चौखम्बा प्रतिष्ठान
६४. वैदिक साहित्य और संस्कृति,	आचार्य बलदेव उपाध्याय,	शारदा संस्थान, वाराणसी, १९८०
६५. वैदिक साहित्य का इतिहास,	डा० कर्णसिंह, रतिराम शास्त्री,	शिक्षा साहित्य प्रकाशक, मेरठ, १९८९
६६. शतपथ ब्राह्मण, रामनाथ,	चिन्नस्वामी दीक्षित	चौखम्बा संस्कृत सीरिज, वाराणसी, १९५०
६७. शाङ्र्गधर संहिता,	पं० परशुराम विद्यासागर, शास्त्री	कृष्णदास अकादमी, वाराणसी, १९८५
६८. शिवमहापुराणम्, (प्रथम, द्वितीय खण्ड)	पं० शिवदत्त मिश्र शास्त्री,	ठाकुर प्रसाद बुकसेलर १९६०

६९. शुक्ल यजुर्वेद संहिता, जगदीशलाल शास्त्री, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, १९७१

७०. शिक्षा मनोविज्ञान, वी०डी० घाटे, हरियाणा हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, चण्डीगढ़, १९७१,

७१. शिक्षा और स्वतन्त्रता, कामेण्ट जेम्स बीट, अनुवादक विशाल प्रसाद, आत्माराम एण्ड सन्स, कश्मीरी गेट, १९६५

७२. शिक्षा मनोविज्ञान, पाठक और त्यागी, विनोद पुस्तक भण्डार, आगरा,

७३. शिक्षा के मूल सिद्धान्त, रामशकल पाण्डेय, विनोद पुस्तक भण्डार आगरा,

७४. शैक्षिक मनोविज्ञान, शैरो जी० पी०, प्रताप प्रकाशन प्रेमनगर, दयालबाग, आगरा, १९६६,

७५. श्वेताश्वरोपनिषद्, तुलसी राम शर्मा ईस्टर्न बुक लिंकर्स, दिल्ली, १९४२

७६. श्रीमद्भागवतमहापुराण, गीताप्रेस गोरखपुर, सं० २००९

७७. श्रीमद्देवीभागवत भाषा टीका श्रीपण्डित रामतेज पाण्डेय, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान

७८. श्रीमद्भगवद्गीता, टीकाकार जयदयाल गोयन्दका, गीताप्रेस गोरखपुर, सं० २०४६.

७९. श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण, अनु०पं० रामनारायण शास्त्री, गीताप्रेस, गोरखपुर, सं० २०४४.

८०. श्रीरामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास प्रणीत गीताप्रेस गोरखपुर

८१. संस्कृत साहित्य का इतिहास पं० बलदेव उपाध्याय, शारदा मन्दिर वाराणसी १९६८ ई०.

८२. संस्कार विज्ञान, पं० श्री एन० पट्टाभिराम शास्त्री, वेद-मीमांसा-अनुसन्धान केन्द्र, वाराणसी १९८४-८५.

८३.	संस्कृत साहित्य का इतिहास,	वाचस्पति गैरोला,	चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी,
८४.	संस्कृत साहित्येतिहासः,	श्री हंसराज अग्रवाल	
८५.	साहित्यदर्पण,	विश्वनाथ प्रणीत,	मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, १९६१ ई०.
८६.	सिद्धान्त कौमुदी,	वासुदेव शर्मा,	चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान १९८५.
८७.	सुभाषितरत्न-भाण्डागार,	नारायण शर्मा आचार्य,	मुन्शीराम मनोहरलाल, दिल्ली १९७८.
८८.	हिन्दी महाभारत, अनुवादक	चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शर्मा,	इलाहाबाद, १९३० ई०
८९.	हिन्दी महाभारत,		गीताप्रेस गोरखपुर, सं० २०१३.
९०.	हितोपदेश	नारायण स्वामी,	भार्गव पुस्तकालय गया घाट, वाराणसी, १९५५.

BOOKS IN ENGLISH

	Books	Author	Publisher
1.	A new History of Literature.,	Chaitanya, Krshna,	Sanskrit, Asia Publishing house, 1962.
2.	A Sociological approach, of Calucation	Cook andcook,	Megraw Hill Book Company in, 1960
3.	A History of Sanskrit, Literature	Macdonell A.A.,	Delhi, 1962
4.	A History of Sanskrit, Literature	Keith A.B.	Oxeford University Press.
5.	A History of Indian, Literature.	Winternitz, M.	Motilal Banarasidas 1963.
6.	A History of Indian Philosophy,	J.N. Sinher,	Calcatta, 1956.
7.	A Vedic Concor-dance,	Bloomfield,	Motilal Banarasidas Delhi.
8.	Cultural Heritage of India, Vol. I,II.	Introduction by, Dr. Radhakrishnan.	Institute of Culture. Calcutta.
9.	Cultural History from Matsya Puran.	S.G. Kantawala,	Baroda, 1964.
10.	Critical study of Veda	Deo prakash Shastri	Patanjal Publication New Delhi 1963.
11.	Common Life in the Ṛgveda and Atharvaveda,	Chhanda Chakrabarty,	1977.
12.	Educational theories and Modern Trends,	D.N. Gaihe,	Ram Prasad and Sons Agra.

13. History and Culture of Indian People Vols. I. to III.		Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay.
14. History of Classical Sanskrit, Literature.	M. Krishnamachariar,	Madras, 1937.
15. Hymns. of the Ṛgveda,	J.L. Shastri,	Motilal Banarasidas, Delhi, 1973.
16. India in the Vedic, Age.	P.L. Bhargava.	
17. Lectures on Ṛgveda,	Glates, V.S. Sukthankar,	Oriental Book Agency, Poona, 1966.
18. On the Veda,	Sri Aurbindo,	Sri Aurbindo Ashram Trust, Pondichery1964.
19. Ṛgveda Pratisakhya,	Mangal Deva Shastri,	The Indian Press Ltd. Allahabad, 1937.
20. Studies in Skanda Puran	A.B.L. Avasthi,	Lucknow, 1965.
21. Social Control,	Joseph S. Reucek,	New Delhi, 1965.
22. The Rigveda,.	Adolf, Kaegi,	Amako Book Agency, New Delhi, 1975.
23. The Vedic Age,	R.C. Majumdar,	Bhartiya Vidya Bhavan Bombay, 1965.
24. The Development of Social thought,	Emory S. Bogardus.	Bombay
25. Vedic India,	Louis Rerou,	Sushil Gupta Pvt. Ltd. Calcutta, 1957.
26. Vedic Bibliography,	R.N. Dandekar,	University of Poona, 1961.
27. Vedic Foundation of a Indian Culture,	Chidambara kulkarni,	Sri Dvaipayana Trust, Bombay, 1973.

कोश

शब्दकल्पद्रुम, अमरकोश, वाचस्पत्यम्,
संस्कृत हिन्दी कोश, (वामन आप्टे)

पत्र-पत्रिकाएँ

नवभारत टाइम्स, हरिजन पत्रिका, यंग इण्डिया, शोधप्रभा, विमर्श,

JOURNALS.

1. Annals of Bhandarkar Oriental Research Institute.
2. Asiatic Researches.
3. Journal of Royal Asiatic Society.
4. Indian Historical Quarterly, 1927.



नाम—डा० भास्करमिश्र
पितृनाम—डा० मण्डनमिश्र
जन्मस्थान—जयपुर
जन्मतिथि १५ अप्रैल: १९५३ ई०
शिक्षा—साहित्याचार्य, एम० ए० (संस्कृत), शिक्षा-
शास्त्री (बी० एड०), एम० एड०, विद्या-
वारिधि (पी-एच. डी)।

अध्यापन—

प्राध्यापक—हरियाणा संस्कृतविद्यापीठम्
बघोला, हरियाणा। (१९७८-८०)।
प्राध्यापक एवं प्रशिक्षणविभागाध्यक्ष—श्रीरणवीर-
केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, जम्मू।
(१९८०-१९८२)।
प्राध्यापक—श्रीलालबहादुरशास्त्रीकेन्द्रीयसंस्कृत-
विद्यापीठ, दिल्ली। (१९८२ से)

लेखनसम्पादनकार्य—

प्रधानसम्पादक— **'प्रतिष्ठा'** त्रैमासिकी पत्रिका,
दिल्ली।
दिल्ली-सम्वाददाता—**"लोकजीवन"** दैनिकपत्र,
भीलवाडा, राजस्थान।
सहसम्पादक—**ग्रामसमाचार**-मासिकपत्रिका,
दिल्ली।

अन्य कृतियां—

१. चतुर्भुजमिश्रविरचितरसकल्पद्रुमस्य समीक्षा-
त्मकं सम्पादनं भाषानुवादश्च।
२ विद्यालय-प्रशासन (यन्त्रस्थ)
३. शिक्षा-संस्कृति ,,